प्रतिवेदन

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग

(राज्य कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त
शैक्षिक एवं प्राविधिक संस्थाओं के
कर्मचारियों से सम्बन्धित)

खण्ड II

भाग I

(विभागवार चर्चा)

नवम्बर, 1980

मुद्रक :
अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद

खण्ड II

भाग I

(विभागवार चर्चा)

Ram Narain Lal Beni Madho
Booksellers & Publishers
2. Katra Road, Allahabad.
नवम्बर, 1980

प्रतिवेदन

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग

(राज्य कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त
शैक्षिक एवं प्राविधिक संस्थाओं के
कर्मचारियों से सम्बन्धित)

खण्ड II

भाग I

(विभागवार चर्चा)

नवम्बर, 1980

विषय-सूची

विभाग का नाम | पृष्ठ संख्या

विभाग का नाम — पृष्ठ संख्या

अध्याय--एक

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र

कृषि उत्पादन आयुक्त संगठन

देश में नियोजन युग आने के बाद उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है, जिन्होंने ग्राम विकास के लिए कर्मचारिवर्ग की अपेक्षा के संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की। यह बात स्वीकार की गई कि विभिन्न विकास विभाग पृथक-पृथक कार्य करके समन्वित ग्राम विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि कृषि, पशुपालन, सहकारिता, सामुदायिक विकास और पंचायत राज जैसे विभिन्न विभागों के कृत्य पूरक हैं। बहुधन्धी ग्राम सेवक की धारणा को पाइलेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (महावा), इटावा में मूल रूप प्रदान किया गया और इस कृत्यकारी के लिए व्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया गया। इस समय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विकास आयुक्त का पद सृजित किया गया। विकास आयुक्त ग्राम विकास से सीधे सम्बद्ध विकास विभागों अर्थात कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्यपालन, प्रादेशिक विकास दल, पंचायत राज, ग्राम विकास और लघु सिंचाई विभाग के सचिव भी नियुक्त किये गये।

1.2 इस शताब्दी के छठे दशक के प्रारम्भ में यह महसूस किया गया कि ग्राम विकास योजना में मुख्य रूप से कृषि विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, अतः विकास आयुक्त संगठन का नाम बदलकर कृषि उत्पादन आयुक्त संगठन रखा गया। सम्भागीय (रीजनल) स्तर पर विकास कार्य का समन्वयन और पर्यवेक्षण मंडलीय उप विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है। जिनकी सहायता के लिए विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो समग्र रूप से (मण्डलीय) आयुक्त के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं जबकि जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी जिला स्तर के विभागीय कार्मिकों सहित जिला अधिकारी के नियंत्रण में विकास संबंधी कार्य-कलाप के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह संगठन कृषि उत्पादन में बहुत सहायक माना गया है। इस संगठन में समग्र रूप से कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, लघु सिंचाई, सहकारी ऋण, विपणन और विधायन (प्रासेसिंग) मण्डियों और ग्रामीण सड़कों जैसी अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की वृद्धि और जिला परिषदों, क्षेत्रीय समितियों और ग्राम पंचायतों की पंचायत राज संस्थाओं का विकास सम्मिलित है। इसमें विशाल मानवीय साधनों को जुटाने का कार्य भी सम्मिलित है।

1.3 कृषि उत्पादन आयुक्त और उनके संगठन के जो अन्य अधिकारी हमारे समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए, वे इस आधारभूत दृष्टिकोण से सहमत थे और वे इस मत के लिए उत्सुक थे कि इस विषय में और भी सम्बद्धता तथा समन्वय होना चाहिए। अतः कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन जो विभिन्न विभाग हैं, उनके विषय में हम एक ही स्थान पर विचार कर रहे हैं।

1.4 अपने विचारणीय विषयों पर विभिन्न विभागों के बारे में विचार करने से पूर्व हम कतिपय उन महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विचार करना चाहेंगे, जो कृषि उत्पादन आयुक्त और उनके संगठन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के ग्राम स्तर पर कृत्यों की परस्पर व्यापिता (ओवरलैपिंग)

1.5 विभागों से जो विवरण-पत्र और कार्य संबंधी चार्ट प्राप्त हुए हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में हैं, किन्तु उनके कार्य सुपरिभाषित नहीं हैं। ग्राम विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ग्राम सेवक हैं, जो अपना 80 प्रतिशत समय कृषि विकास संबंधी कार्यों में लगाते हैं। इन ग्राम सेवकों के अलावा कृषि विभाग के अधीन ग्रुप-3 के कृषि कार्मिक हैं। इनमें से कुछ कार्मिक भूमि संरक्षण, कृषि बीज भंडारों और कृषि फार्मों जैसे कार्यक्रमों के लिए हैं, जबकि अन्य कार्मिक तेलहन विकास, दाल विकास, जूट विकास, कपास विकास जैसे कृषि कार्यकलापों में लगे हुए हैं। इसी प्रकार पंचायत सेवक, पंचायत राज के संगठनात्मक कार्य अर्थात् पंचायतों और उनकी उप समितियों की बैठकों और पंचायत-कर की देख-रेख करते हैं। वे ग्रामस्तर के कार्यक्रमों जैसे पटरियों, पेय जल के कुओं, श्रमदान द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के निर्माण और अन्य संबंधित कार्य-कलाप में भी लगे रहते हैं उनके कर्तव्यों की सूची के अनुसार उनसे यह आशा की जाती है कि वे कृषि उत्पादन में भी सहायता करें। इसके अलावा प्रादेशिक विकास दल के क्षेत्रीय संगठनकर्ता हैं। इनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कर्तव्यों की एक बड़ी सूची है। इस सूची में अधिकांश रूप में वे ही कार्य सम्मिलित हैं, जो ग्राम सेवकों और पंचायत सेवकों के कर्तव्यों संबंधी सूची में दिये हुए हैं। क्षेत्रीय संगठनकर्ता से जो दो महत्वपूर्ण कार्य किये जाने की आशा की जाती है वे (1) शारीरिक सम्वर्धन-खेलकूद और युवा क्लबों के संगठन और (2) जनशक्ति को जुटाने से संबंधित हैं।

1.6 हमने विभिन्न विभागों के इन ग्राम सेवकों के कृत्यों की परस्पर व्यापिता के प्रश्न पर कृषि उत्पादन आयुक्त और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया, कृषि उत्पादन आयुक्त इस बात से सहमत हुए कि कृत्यों/कार्यों में कुछ परस्पर व्यापिता है, अतः इन्हें युक्ति-

संगत बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि बहुत से सरकारी कर्मचारी एक ही प्रकार के कार्य के लिए ग्रामीण व्यक्ति के पास न जायं। अतः यह युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि कृषि विभाग के ऐसे सभी ग्राम सेवकों को जो भूमि संरक्षण जैसे विशेषीकृत कार्यकलाप में नहीं लगे हुए हैं या बीज भण्डार जैसी संस्थाओं से सहयुक्त नहीं हैं, ग्राम सेवकों के संवर्ग का अंग होना चाहिए। इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाय यह बात संबंधित विभागों द्वारा तय की जा सकती है। ग्राम स्तर के इन सभी कर्मचारियों का एक समूह (पूल) बनाकर उनके क्षेत्रों को फिर से विभाजित किया जाय ताकि ग्राम में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सभी संबंधित कार्यों को अपेक्षाकृत कम ग्रामों में करने के लिए उत्तरदायी हो जैसा कि एकीकृत ग्राम विकास खण्डों में हो रहा है।

1.7 राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों ने ग्राम स्तर पर कार्मिकों की बहुलता के प्रश्न पर विचार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में सामान्य रूप से सहमति है कि ग्राम स्तर पर तीन कर्मचारी होने चाहिये।

(1) लेखपाल जो भूमि अभिलेखों के रख-रखाव और अन्य सामान्य प्रशासनिक कृत्यों से संबंधित हो, जैसे जनगणना, निर्वाचन, दैवी आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना।

(2) ग्राम सेवक जो आर्थिक विकास और विशेष रूप से कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तरदायी हो और

(3) ग्राम का एक तीसरा कर्मचारी पंचायत सेवक है, जो विनियामक और सामाजिक तथा अलाभकर (नान-इकोनामिक) विकासात्मक कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। पंचायत सेवक इस समय पंचायतों के कार्यों अर्थात पंचायत की बैठकें कराने तथा न्याय पंचायत के कार्य कराने के लिए उत्तरदायी है। वह ऐसे अलाभकर विकासात्मक कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी है, जिनका समाज से संबंध है। हम यह सुझाव नहीं देते कि पंचायत सेवक का ग्राम सेवक के साथ विलयन कर दिया जाय जोकि आर्थिक विकास और विशेष रूप से कृषि विकास के लिए उत्तरदायी है।

खंड स्तर के कर्मचारी

1.8 खण्ड स्तर के विभिन्न कर्मचारियों के कृत्यों का पुनर्मूल्यांकन पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में किन्तु इस सावधानीपूर्वक समझ लिया जाना चाहिए कि ग्राम तथा खण्ड स्तर का संगठन एकमात्र ग्राम्य विकास विभाग के ही प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं जिनका प्राविधिक रूप से पर्यवेक्षण विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है, अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जहां तक विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वियन का संबंध है, उन्हें संबंधित विभागों के भी प्रति उत्तरदायी रहें। हम खण्ड विकास अधिकारियों के प्रतिनिधियों के इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं कि खण्ड स्तर के कर्मचारियों को सीधे केवल ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी को जिला कृषि अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी और अन्य विषय विशेषज्ञों के प्रति उन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी रहना चाहिए, जिनके लिये ये अधिकारी जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर के कृषिकारी

1.9 हम यह महसूस करते हैं कि जिला विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए परिक्षेत्रीय (जोनल) और मुख्यालय विकास अधिकारी के प्रति उतने ही उत्तरदायी हैं, जितना कि वे संबंधित प्राविधिक विभाग के सम्भागीय (रीजनल)/मुख्यालय अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं। हम यह जानते हैं कि इस प्रकार का संबंध होने पर कुछ तनाव उत्पन्न होना अपरिहार्य है, किन्तु यह बात किसी भी जीवित संगठन में अन्तर्निहित होती है और इससे ग्राम विकास संबंधी कार्य जो कि अधिकतर कृषि उत्पादन और सम्बद्ध क्षेत्रों का विकास कार्य है, के प्रति अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण में भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

1.10 हम अब कृषि उत्पादन आयुक्त के संगठन के अधीन विभिन्न विभागों के बारे में विचार करेंगे।

कृषि विभाग

1.11 इस विभाग में कुल मिलाकर 32,961 कर्मचारी हैं, जिनमें ग्रुप "घ" के 11,452 कर्मचारी सम्मिलित हैं। कर्मचारियों का कोटि क्रमानुसार विभाजन नीचे दिया गया है :—

	1974	1979
ग्रुप "क"	13	133
ग्रुप "ख"	19	611
ग्रुप "ग"	14,280	20,766
ग्रुप "घ"	11,417	11,452
योग	25,729	32,961

1.12 कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न सेवा संघों ने निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं :—

(1) निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक का वेतनमान सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता के वेतनमान के स्तर तक उन्नत किया जाना चाहिए।

(2) पचास प्रतिशत खण्ड विकास अधिकारियों (बी0 डी0 ओ0) को वर्ग-2 के वेतनमान दिये गये हैं, अतः जिला कृषि अधिकारी को जिससे उनके कार्य का पर्यवेक्षण किये जाने की आशा की जाती है, वर्ग-1 (क्लास-1) में रखा जाना चाहिए, अर्थात उन्हें उप-निदेशक का वेतनमान दिया जाना चाहिए और सम्भागीय उप-निदेशकों के वेतनमान को उन्नत (अपग्रेड) करके उसे संयुक्त निदेशक के वेतनमान के स्तर तक लाया जाना चाहिए।

(3) कृषि विभाग को प्राविधिक विभाग घोषित किया गया है, अतः कृषि निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के वेतनमान अवर (जूनियर) अभियन्ता को अनुमन्य वेतनमान के समान होने चाहिए।

(4) इस समय ग्रुप-1 के निरीक्षकों के 50 प्रतिशत पद कृषि निरीक्षकों/सहायक विकास अधिकारियों (कृषि) में से पदोन्नति करके भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इस बात का विचार करते हुए कि ग्रुप-2 के निरीक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं, इन सभी पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए और इनके वेतनमान खण्ड विकास अधिकारी के वेतनमान के समतुल्य होने चाहिए।

(5) पौध संरक्षण कर्मचारिवर्ग सेवा संघ ने यह मांग की कि जोखिम भत्ता/विशेष वेतन दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उठाना पड़ता है।

(6) सभी कोटि की सेवाओं के लिए पदोन्नति के अवसर काफी बढ़ाये जाने चाहिए।

1.13 हमने कृषि निदेशक और कृषि उत्पादन आयुक्त से विस्तार में विचार-विमर्श किया। इस विषय में दो राय नहीं हो सकती कि कृषि उत्पादन में कृषि विभाग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। यह संगठन निवेशों की समग्र रूप से सम्पूर्ति को समन्वित करता है और कृषि के प्राविधिक पहलुओं के बारे में मार्ग-दर्शन करता है, कर्मचारियों और कृषकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करता है और कृषि विकास की एक समन्वित योजना तैयार करने तथा समयबद्ध कार्यक्रम और योजनायें तैयार करके उसे ठोस रूप प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है। इस विभाग के 162 कृषि फार्म हैं, जो उन्नत किस्म के बीजों के पर्याप्त स्रोत हैं। यह विभाग लगभग 1,200 बीज भण्डारों का संचालन करता है, जहां से कृषकों को कृषि निवेश उपलब्ध होते हैं। भूमि संरक्षण, पौध संरक्षण, कृषि सांख्यिकीय जैसी विशेषीकृत सेवाओं की व्यवस्था करने का दायित्व भी कृषि निदेशालय का है। किन्तु हमें इस बात की भी जानकारी है कि कृषि उत्पादन बहुत से विभागों और कर्मचारियों, जिनके अन्तर्गत सिंचाई, विद्युत, लघु सिंचाई, ग्राम विकास, सहकारिता, बैंक, गन्ना विभाग, राजस्व विभाग हैं, के प्रयास से तथा इन सबसे अधिक कृषकों से सक्रिय सहयोग और सहमति से होता है, जिन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना पड़ता है कि वे उन्नत किस्म की कृषि करें। हमें इस बात की जानकारी है कि इस समय कुल जितने बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियों, कृषि उपकरणों, भण्डारों, भण्डारागारों (वेयरहाउसेज) आदि की अपेक्षा है, उसके एक थोड़े से ही प्रतिशत की पूर्ति कृषि विभाग करता है। हमें इस बात की भी जानकारी है कि ग्राम तथा खण्ड (ब्लाक) स्तर पर ग्राम विकास संबंधी जो बहुधन्धी कार्मिक हैं, वे उन्नत किस्म की कृषि के संबंध में मुख्य रूप से उत्प्रेरक एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं।

1.14 इस अध्याय के आरम्भ में हम इस विषय में संक्षेप में विचार कर चुके हैं कि कृषि उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न विभागों के बीच निकट सहयोग और समन्वय होना कितना अपरिहार्य है अतः हमें यह बात सुनिश्चित करनी है कि, जहां तक सम्भव हो कृषि उत्पादन कार्य में विभिन्न स्तरों पर लगे हुए विभिन्न कर्मचारियों के वेतनमानों, पदोन्नति के अवसरों आदि में तुलनात्मक सापेक्षता होनी चाहिए।

1.15 जहां तक कृषि निदेशक के वेतनमान का संबंध है, हमने विभिन्न विभागाध्यक्षों के वेतनमानों के प्रश्न पर एक पृथक अध्याय में विचार किया है। जहां तक अतिरिक्त कृषि निदेशक के वेतनमान का संबंध है, हम इस तर्क को मानने में असमर्थ हैं कि अतिरिक्त कृषि निदेशकों को जिनकी संख्या विभाग में कार्य बढ़ जाने के कारण काफी बढ़ गई है, अपेक्षाकृत उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिए।

1.15क कृषि विभाग ने सांख्यिक कृषि, उद्यान और ग्राम विकास के निदेशक के नये पद के लिए वेतनमान की संस्तुति करने के लिए अनुरोध किया है। हमने इस विषय में कृषि उत्पादन आयुक्त से विचार-विमर्श किया है। उनका यह दृढ़ मत था कि एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखने वाले इन विभागों के जोकि कृषि उत्पादन आयुक्त संगठन के एक अंग के रूप में कार्य करते हैं, सांख्यिकीय कार्य को समन्वित करना आवश्यक हो गया है। इस नये पद को सृजित किये जाने के निर्णय के बारे में आयोग को कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। इस पद के कार्य के उत्तरदायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए हम इस पद के लिए रु0 2,050—2,500 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

1.16 जहां तक जिला कृषि अधिकारी, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला पौध संरक्षण अधिकारी और विशेष योजनाओं के लिए अन्य कृषि अधिकारियों के पदों का संबंध है, हमने इस विषय में विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों से संबंधित अध्याय में विस्तार में विचार किया है। हम यहां पृथक से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं। हमने कृषि विभाग में राजपत्रित कोटि पदाधिकारियों के लिए पदोन्नति की संभावनाओं की स्थिति का परीक्षण किया है। जिला कृषि अधिकारियों के पचास प्रतिशत पद सम्मिलित प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और उच्चतर पदों पर पदोन्नतियां अपर्याप्त हैं। अतः हम जिला कृषि अधिकारी/जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के 20 प्रतिशत पदों के लिए सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करते हैं।

1.17 हम यह महसूस करते हैं कि ग्रुप-2 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। ग्रुप-2 के पदों पर भर्ती के लिए आधारिक अर्हता बी0 एस-सी0 (एग्रीकल्चर) है, अतः हमें इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-1 के सभी पद अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-2 में कार्य करने वाले व्यक्तियों में से पदोन्नति करके क्यों न भरे जायं। तद्नुसार हम यह संस्तुति करते हैं कि अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-1 के सभी पद भविष्य में पदोन्नति द्वारा भरे जायं।

1.18 इसी प्रकार अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-3 के कर्मचारियों का जो कि ग्राम सेवकों के समकक्ष हैं, वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) हो रहा है, यद्यपि कि उनकी ग्रुप-2 के पदों पर पदोन्नति किये जाने के लिए व्यवस्था है। अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-3 के पदों पर सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति उसी वेतनमान में पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। कृषि निदेशक और कृषि उत्पादन आयुक्त ने भी इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया है।

1.19 हम यह आशा करते हैं कि ग्रुप-1 के सभी पदों पर ग्रुप-2 के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में से पदोन्नति करने से ग्रुप-2 के कर्मचारियों के वृद्धिरोध (स्टैगनशन) का प्रश्न पर्याप्त रूप से हल हो जायेगा। किन्तु ऐसी स्थिति आने में कुछ समय लग जायेगा। अतः हम ग्रुप-2 के साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संस्तुति करते हैं। इसी प्रकार ग्रुप-3 के साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय। यह व्यवस्था इस रिपोर्ट के खण्ड-1 में "सामान्य सिद्धान्त" के अध्याय में शीर्षक "सेलेक्शन ग्रेड" के अधीन उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। हमने यह देखा है कि ग्रुप-3 में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं, जो बी0 एस-सी0 (एग्रीकल्चर) की अर्हता प्राप्त हैं। उनकी पदोन्नति हेतु अपेक्षाकृत अधिक अवसरों की व्यवस्था करने के लिए हम यह भी संस्तुति करते हैं कि ग्रुप-3 के ऐसे कर्मचारियों को, जो बी0 एस-सी0 (एग्रीकल्चर) की अर्हता प्राप्त हैं, सीधे ग्रुप-2 के पदों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दी जाय, यदि वे अन्यथा इसके पात्र हैं। उनके मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाय।

1.20 विभाग में सामान्य पदानुक्रम से संबंधित सामान्य हित की सामान्य बातों के संबंध में विचार करने के बाद अब हम कतिपय पृथक्-पृथक पदों के संबंध में विचार करेंगे :—

(1) संयुक्त निदेशक (प्रसार और प्रशिक्षण) का एक पद है, जिसका वेतनमान इस समय 900—1.600 रु0 है। हमें जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार यह पद कृषि विभाग के वर्ग-1 के अधिकारियों में से पदोन्नति करके ठीक उसी प्रकार भरा जाता है, जिस प्रकार इस विभाग में संयुक्त निदेशक के अन्य पद, जिनका वेतनमान इस समय रु0 1,150—1,700 है, भरे जाते हैं। हमें इस पद का वेतनमान निम्नतर रखे जाने का कोई कारण नहीं दिखाई देता, अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि इस पद का वेतनमान भी वही होना चाहिए जो अन्य संयुक्त निदेशकों को अनुमन्य है।

(2) पौध संरक्षण कर्मचारिवर्ग ने इस आधार पर जोखिम भत्ता/विशेष वेतन दिये जाने की मांग की है कि उनका कार्य जोखिम का है। हमने चिकित्सा विभाग के कई मामलों में इस प्रश्न पर विचार किया है और संबंधित प्राधिकारियों ने हमें इस बात से आश्वस्त किया है कि ऐसे सभी मामलों में घातक प्रभाव से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय किये जाते हैं। टाटा इन्स्टीट्यूट, बम्बई ने हमें लिखा है कि एक्स-रे टेक्नीशियन आदि को विकिरण अवकाश (रेडियेशन लीव) अनुमन्य नहीं है। पौध संरक्षण संबंधी उपाय कृषकों द्वारा सामान्यतया अपने ही श्रमिकों के माध्यम से किये जाते हैं। अतः हमें इस कर्मचारिवर्ग को कोई जोखिम भत्ता या विशेष वेतन दिये जाने का औचित्य नहीं दिखाई पड़ता।

(3) कृषि विभाग में कामदार की उपयोगिता के प्रश्न पर निदेशक के साथ विचार-विमर्श किया गया। पहले जबकि राज्य में ग्राम स्तर पर इतनी अधिक संख्या में कार्मिक नहीं थे, कामदारों को स्पष्ट रूप से दो कार्य करने पड़ते थे :

(क) वे कृषि निवेशों की सम्पूर्ति और वितरण में बीज भण्डार के प्रभारी की सहायता किया करते थे, और

(ख) वे ग्राम स्तर पर अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-3 के कार्मिकों की प्रसार कार्य में सहायता किया करते थे।

(4) इस विषय में सामान्य सहमति है कि राज्य में कृषि के लिए लगभग 20,000 ग्राम सेवक नियुक्त

किये जाने के बाद प्रसार कार्य के लिए कामदारों को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। किन्तु, बीज-भण्डारों, कृषि फार्मों और बीज अनुसंधान केन्द्रों (रिसर्च सीड स्टेशन) पर उन्हें बनाये रखने का औचित्य है।

(5) सामान्य कोटि के अर्थात लेखा-नियंत्रक (कन्ट्रोलर आफ एकाउन्ट) लेखा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, सांख्यिक-कर्मचारिवर्ग, प्रधान लिपिक, आशुलिपिक, फोटोग्राफर के पद हैं और इनके अलावा अन्य कोटि के भी पद हैं। हमने इन पदों के संबंध में सामान्य कोटि के पदों से संबंधित अध्याय में विचार किया है. अतः हम यहां पृथक रूप से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

ग्राम्य विकास विभाग

1.21 इस विभाग में कुल 21,489 कर्मचारी हैं, जिनमें ग्रुप-घ के 4,794 कर्मचारी सम्मिलित हैं। इन कर्मचारियों का कोटि क्रमानुसार विभाजन नीचे दिया गया है :—

	1974	1979
ग्रुप-क	23	24
ग्रुप-ख	1,006	958
ग्रुप-ग	15,121	15,713
ग्रुप-घ	4,657	4794
योग	20,807	21,489

1.22 विभिन्न सेवा संघों और विभागीय प्रतिनिधियों ने जो मुख्य मांगें की/सुझाव दिये उन पर यहां विचार किया गया है। खण्ड विकास अधिकारियों के संघ ने यह मांग की कि :—

(1) संवर्ग के सभी पद वर्ग-2 के वेतनमान में रखे जाने चाहिए।

(2) जिला विकास अधिकारी को 1,400—1,800 रु0 के वर्तमान वेतनमान में रखा जाना चाहिए।

(3) ग्राम विकास विभाग के सभी पदों पर ग्राम विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने चाहिए। ऐसे पदों पर जो विकास, समन्वय, नियोजन और योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित हैं और जिन पर इस समय आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 या अन्य संवर्ग के अधिकारी हैं, ग्राम विकास विभाग के ही कर्मचारिवर्ग को नियुक्त किया जाना चाहिए।

(4) खण्ड विकास अधिकारी को रु0 550—1,200 के वेतनमान में रखे जाने के अलावा संवर्ग के कुल पदों के 25 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिए तथा उसे सुपर सेलेक्शन ग्रेड के पद भी दिये जाने चाहिए।

1.23 खण्ड विकास अधिकारी संघ ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसमें इस बात का उल्लेख है कि सभी सहायक पशु चिकित्सक (वेटरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन) जो 1978 तक खण्ड विकास अधिकारियों की अपेक्षा निम्न वेतनमान में थे, वर्ग-2 में रखे गये हैं और देश के विभिन्न राज्यों में खण्ड विकास अधिकारियों को अपेक्षाकृत बहुत उच्चतर वेतनमान उपलब्ध हैं। हमारे समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि खण्ड विकास अधिकारियों के लिए पदोन्नति की संभावनायें बहुत कम हैं। जो अधिकारी रु0 550—1,200 के वेतनमान में हैं, उनका 8 वर्ष से लेकर 17 वर्षों से वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) हो रहा है। विशिष्ट रूप से पंजाब और कर्नाटक राज्य का उल्लेख किया गया है जहां, संघ के अनुसार, खण्ड विकास अधिकारियों को वर्ग-1 का वेतनमान दिया गया है। जिला विकास अधिकारी को उच्चतर वेतनमान दिये जाने के समर्थन में संघ ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिला स्तर पर समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करने के कारण उन्हें वर्ग-1 के बहुत से अधिकारियों से सम्पर्क रखना पड़ता है। इस संबंध में महाराष्ट्र और गुजरात में जिला विकास अधिकारी की प्रास्थिति का उल्लेख किया गया जहां जिला विकास अधिकारी का वेतनमान वही है जो जिला अधिकारियों को अनुमन्य है। संघ ने अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी को भी वर्ग-1 का वेतनमान दिये जाने की मांग की। उप विकास आयुक्त के पद के लिए रु0 1,600—2,000 के वेतनमान जो अतिरिक्त विभागाध्यक्षों के वेतनमान के समान है, की मांग की गई है।

1.24 हमने कृषि उत्पादन आयुक्त और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये या उसके द्वारा बताये गये तथ्यों/आंकड़ों का परीक्षण किया। कृषि उत्पादन आयुक्त का यह दृढ़ मत था कि खण्ड विकास अधिकारियों की उन्नति के लिए अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

1.25 जहां तक खण्ड विकास अधिकारियों के वेतनमान का संबंध है, उनके संघ ने विभिन्न राज्यों में खण्ड विकास अधिकारियों को अनुमन्य वेतनमानों का उल्लेख किया है। जहां तक अन्य राज्यों में अन्य अधिकारियों की तुलना में उत्तर प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों की सापेक्षिक-स्थिति का संबंध है, यह महत्वपूर्ण है। हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि खण्ड विकास अधिकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है और वह खण्ड (ब्लाक) स्तर पर कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित विकास के बहुत से

कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी हैं। महाराष्ट्र (जिसका उल्लेख ज्ञापन में किया गया है) में खण्ड विकास अधिकारी को 1 अप्रैल, 1976 से रु0 600—1,150 का वेतनमान दिया गया है। यही वेतनमान तहसीलदार, ग्रेड-2 के सहायक अभियन्ता, सहकारी समितियों के जिला रजिस्ट्रार और जिला कृषि अधिकारी को भी उसी दिनांक से अनुमन्य है। जिला पशुपालन अधिकारी और ग्रेड-1 के सहायक अभियन्ता को रु0 680—1,250 का वेतनमान दिया गया है, जबकि डिप्टी कलेक्टर को रु0 680—1,500 का वेतनमान दिया गया है। खण्ड विकास अधिकारियों के लिए एक उच्चतर वेतनमान भी है, जो रु0 680—1,500 है। ज्ञापन में उल्लिखित अन्य राज्य अर्थात पंजाब में खण्ड विकास अधिकारियों को रु0 825—1,580 का वेतनमान दिया गया है, जो जिला कृषि अधिकारी, पौध संरक्षण अधिकारी, उद्यान अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी और सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को भी अनुमन्य है। पंजाब में कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये 1,200—1,700 रु0 का एक सेलेक्शन ग्रेड है और सहायक पशु चिकित्सकों (वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जनों) के लिये 825—1,700 रु0 का वेतनमान है तथा जिला पशुपालन अधिकारी 825—1,700 रु0 के वेतनमान पर 150 रु0 का विशेष वेतन पाने के अधिकारी हैं। पंजाब में जिला विकास अधिकारी केवल 825—1,700 रु0 के वेतनमान में हैं, जबकि पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को 940—1,850 रु0 का वेतनमान दिया गया है। केरल में नये वेतनमान 1-7-1978 से दिये गये हैं और खण्ड विकास अधिकारियों को दो वेतनमानों में रखा गया है। साधारण ग्रेड 650—1,150 रु0 का है और सीनियर ग्रेड 750—1,450 रु0 (25 प्रतिशत) का है। खंड विकास अधिकारियों का सीनियर स्केल जिला कृषि अधिकारी के वेतनमान के समान है। कर्नाटक में 1-1-1977 से खण्ड विकास अधिकारी का वेतनमान 750—1,550 रु0 है और यही वेतनमान जिला कृषि अधिकारी का भी है, किन्तु कर्नाटक में पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) और पी0 सी0 एस0 (जुडीशियल) को अनुमन्य वेतनमान 900—1,750 रु0 है।

1.26 वेतनमानों का राज्य परिप्रेक्ष्य भी होता है, क्योंकि अन्तर्विभागीय सापेक्षता दीर्घकाल के बाद स्थापित होती है। अधिकांश राज्यों में तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों को अनुमन्य वेतनमान एक ही है। यद्यपि खंड विकास अधिकारी के कार्य के महत्व को हम स्वीकार करते हैं किन्तु हम यह महसूस करते हैं कि तहसीलदार के कृत्य भी कम दुर्भर और कठोर नहीं होते। यदि खंड विकास अधिकारी तहसीलदार के लगभग एक-चौथाई क्षेत्र में विकास कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी है तो तहसीलदार भी पूरी तहसील में भू-अभिलेखों, राजस्व वसूली, उप कोषागार, राजस्व न्यायालय के मामलों, निर्वाचनों, जनगणना, सामान्य प्रशासन और बहुत से अन्य कृत्यों के लिये उत्तरदायी है।

1.27 हम यह मानते हैं कि सभी सहायक पशु चिकित्सकों को 550—1,200 रु0 का वेतनमान दिये जाने के कारण वेतन की सापेक्षता के विषय में गम्भीर उद्भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है। यहां स्थिति न केवल खंड विकास अधिकारी और सहायक पशु चिकित्सक के बीच, वरन् सहायक पशु चिकित्सक और जिला पशुधन अधिकारी के बीच तथा पशुपालन (स्टाकमैन) और सहायक पशु चिकित्सक तथा अन्य कृत्यकारियों के बीच भी उत्पन्न हो गयी है। तथापि हम एक उद्भ्रान्ति के कारण राज्य में वेतन ढांचे की सम्पूर्ण बनावट में गड़बड़ी नहीं होने देंगे।

1.28 उत्तर प्रदेश के पिछले दशक में खण्ड विकास अधिकारी और सहायक पशु चिकित्सक के वेतनमानों की सापेक्षता में कतिपय परिवर्तन हुये हैं। वेतन अभिनवीकरण समिति, 1965 की रिपोर्ट के कायन्वयन के पूर्व खंड विकास अधिकारी का वेतनमान 220—400 रु0 था, जबकि सहायक पशु चिकित्सक (वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन) का वेतनमान 200—350 रु0 था। वेतन अभिनवीकरण समिति ने खंड विकास अधिकारियों के लिये 225—500 रु0 के वेतनमान की संस्तुति की और सहायक पशु चिकित्सकों के लिये 200—450 रु0 के वेतनमान की संस्तुति की, जिसे वेतन असंगति समिति ने पुनरीक्षित करके 225—500 रु0 कर दिया। उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971—73) ने सहायक पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा अधिकारी के सम्मिलित सम्वर्ग के लिये 450—850 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति की और खंड विकास अधिकारियों के लिए 400—750 रु0 के निम्नतर वेतनमान की संस्तुति की है। खण्ड विकास अधिकारियों ने अपना मामला वेतन असंगति समिति के समक्ष रखा, जिसने उनके सभी खण्ड विकास अधिकारियों के लिए प्रतिमास 50 रु0 के विशेष वेतन की संस्तुति की। हमने यह देखा है कि आरम्भ से ही खण्ड विकास अधिकारियों के कुछ पदों के लिए विशेष वेतनमान भी था। यह विशेष वेतनमान जिला कृषि अधिकारी और वर्ग-2 के अधिकारियों के वेतनमान के बराबर था। सहायक पशु चिकित्सकों का ऐसा कोई वेतनमान नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को प्रतिमास 50 रु0 का विशेष वेतन स्वीकृत करके उनके वेतमान को उन्नत करने का प्रयास किया है, क्योंकि संगत नियमों के अधीन पूरे संवर्ग के लिए विशेष वेतन स्वीकृत किये जाने की कल्पना नहीं की गई है। सामुदायिक विकास आन्दोलन के आरम्भ से ही सहायक पशु चिकित्सक ब्लाक संगठन का एक अंग था, यद्यपि कि उसका पद अन्य सहायक विकास अधिकारियों से थोड़ा सा भिन्न था जो निम्नतर वेतनमान में थे उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971—73) ने खण्ड विकास अधिकारियों को अपेक्षाकृत निम्नतर वेतनमान देते समय उन्हें कतिपय पदों पर विशेष वेतनमान का लाभ दिया। 1978 में सहायक पशु चिकित्सक का वेतनमान बढ़ा कर रु0 550—1200

किया गया । इस निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप खण्ड विकास अधिकारियों ने उच्चतर वेतनमान दिये जाने की मांग की और राज्य सरकार ने खण्ड विकास अधिकारियों के 50 प्रतिशत पदों के लिए रु0 550—1200 का विशेष ग्रेड स्वीकृत किया शेष पदों का वेतनमान रु0 400—750 ही रहा किन्तु इसके साथ में प्रतिमास रु0 50 का विशेष वेतन दिया जाता रहा । विभिन्न विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सेवा संघों ने हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि सहायक पशु चिकित्सक के 100 प्रतिशत पदों पर और खण्ड विकास अधिकारियों के 50 प्रतिशत पदों पर रु0 550—1200 का वेतनमान दिया गया है किन्तु उनके वेतनमानों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है या केवल मामूली रूप से ही पुनरीक्षित किया गया है । जिला कृषि अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जैसे अधिकारी वेतनमान के मामले में खण्ड विकास अधिकारी और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को उनके समकक्ष लाये जाने की स्थिति को स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं । इसी प्रकार जिला पशुधन अधिकारी वेतनमान के मामले में सहायक पशु चिकित्सक को उनके समकक्ष लाये जाने की स्थिति को स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं । सहायक पशु चिकित्सक को रु0 550—1200 का वेतनमान स्वीकृत किये जाने को हम एक गम्भीर बात समझते हैं क्योंकि इसके फलस्वरूप विभिन्न विकास अधिकारियों के पदों की स्वीकृत सापेक्षता के विषय में गम्भीर रूप से उद्भ्रान्ति उत्पन्न हुई है । इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारियों के 50 प्रतिशत पदों को रु0 550—1200 के वेतनमान में रखे जाने से निश्चय ही अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई है । अतः हमने खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक पशु चिकित्सकों और विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के संवर्ग के वेतन ढांचे को तर्क संगत बनाने का प्रयास किया है ।

1.29 जहां तक जिला विकास अधिकारी के पदों को उन्नत किये जाने (अपग्रेड) का संबंध है, हम इस सुझाव से सहमत होने में असमर्थ हैं । विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मांग का समर्थन नहीं किया है । जिला विकास अधिकारी उन अधिकारियों के कार्य को समन्वित करता है जो कि निम्नतर वेतनमान में हैं । अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ उसका संबंध एक वरिष्ठ और अधीनस्थ अधिकारी के समान नहीं माना जा सकता । जहां कहीं कुछ कठिनाई होती है वहां उसे जिला अधिकारी की सहायता से हल किया जाता है । जो व्यवस्था है उसे हम बिगाड़ना नहीं चाहते । महाराष्ट्र और गुजरात का उदाहरण यहां लागू नहीं किया जा सकता । इसका पहला कारण यह है कि इन राज्यों में उच्च वेतनमान के आई0 ए0 एस0 अधिकारी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर) के पद पर नियुक्त किये जाते हैं और दूसरा कारण यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जो कृत्य सौंपे जाते हैं, वे बहुत बड़े और काफी अधिक उत्तरदायित्व और महत्व के हैं । महाराष्ट्र और गुजरात में जो विकेन्द्रीकृत प्रणाली है उसे हमारी राज्य सरकार ने अभी नहीं अपनाया है । हमें यह सूचित किया गया है कि इन दोनों राज्य की सरकारें भी इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार कर रही हैं । जहां तक वर्ग-2 में वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) का संबंध है, हम यह महसूस करते हैं कि खण्ड विकास अधिकारियों को जिला विकास अधिकारियों के कुछ और पद तथा विकासात्मक संगठन/निगमों (कारपोरेशन्स) में कुछ अन्य पद उपलब्ध कराये जा सकते हैं, जहां कि उनके प्रचुर अनुभव का समुचित उपयोग किया जा सके । हाल ही में राज्य सरकार ने अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के पद सृजित किये हैं और इनमें से अनेक पद खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति से भरे जाने का प्रस्ताव है । जहां तक उप विकास आयुक्तों के वेतनमान का संबंध है, हम इस बात से सहमत हैं कि इस पद का वर्तमान वेतनमान वही होना चाहिए जो कि इस पद पर कार्य करने वाले पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को अनुमन्य है । तद्नुसार हमने इस पद को उन्नत (अपग्रेड) करने की संस्तुति की है ।

1.30 एक अनुवर्ती ज्ञापन में खण्ड विकास अधिकारियों के संघ ने यह सुझाव दिया है कि :—

(1) उनकी प्रास्थिति विभिन्न विभागों के उन प्रसार कृत्यकारियों (एक्सटेंशन फंक्शनरीज) से उच्च मान ली जानी चाहिए जिन्हें उन्हें आदेश देना पड़ता है ।

(2) खण्ड विकास अधिकारियों की पदोन्नति पी0 सी0 एस0 में होनी चाहिए ।

अन्य कृत्यकारियों को "आदेश देने" की खण्ड विकास अधिकारियों की जो धारणा है उससे हम सहमत नहीं हैं उन्हें टीम के कप्तान के रूप में कार्य करने की स्थिति में होना चाहिए । यह मुख्यतः एक प्रशासनिक मामला है । छठें दशक के प्रारम्भ में कुछ खण्ड विकास अधिकारियों की पदोन्नति पी0 सी0 एस0 संवर्ग में हुई थी, किन्तु वे अपने संवर्ग में इसलिए लौट आये कि उस समय उनके संवर्ग में पदोन्नति की सम्भावनायें अपेक्षाकृत अधिक थी । इस विषय में निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाना है । इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि वास्तविक रूप में जो अच्छे खण्ड विकास अधिकारी हैं उनकी पी0 सी0 एस0 में पदोन्नति किये जाने के लिए विचार क्यों न किया जाय ।

1.31 ग्राम सेवक संघ ने अपने ज्ञापन में लगभग ऐसे 35 कृत्यों की एक सूची प्रस्तुत की है जिनको किये जाने की

उनसे आशा की जाती है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारम्भिक भाग में उल्लेख किया जा चुका है, कृषि, पशुपालन, पंचायती राज, प्रादेशिक विकास दल और उद्यान विभाग के ग्राम सेवक भी इसी प्रकार के कृत्य करने का दावा करते हैं। इसके विषय में हमने विस्तृत परीक्षण नहीं किया है, किन्तु हम राज्य सरकार को यह सुझाव देंगे कि ग्राम स्तर के प्रत्येक कृत्यकारी के कृत्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के प्रश्न पर एक उच्चाधिकार समिति द्वारा विचार करना चाहिए और जिन ग्राम सेवकों के कृत्य एक समान हों उन्हें एकीकृत कर दिया जाना चाहिए।

1.32 पहले ग्राम सेवक के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल थी जो अब बढ़ाकर इण्टरमीडिएट (कृषि/विज्ञान) कर दी गई है। इस पद के लिए चुन लिए जाने के बाद ग्राम सेवक को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे प्रशिक्षण के दौरान वजीफा (स्टाइपेन्ड) भी दिया जाता है। वह एक बहुधन्धी कार्मिक है, अतः उससे पूरे वर्ष एक न एक कार्य करते रहने की आशा की जाती है। इस समय वह रु0 230—385 के वेतनमान में है। 20 प्रतिशत पदों पर रु0 250—425 का सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत है। वह एक नियत अनुपात में कृषि, सहकारिता, सांख्यिकी और पंचायत के सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का भी पात्र है। संघ ने इस बात की ओर संकेत किया है कि इस संवर्ग के कार्मिकों का गम्भीर रूप से वृद्धिरोध हो रहा है क्योंकि इस संवर्ग में ऐसे ग्राम सेवक हैं जो 20 वर्ष से अधिक की सेवा करने पर भी अभी ग्राम सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह मांग की है कि प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में प्रसार अधिकारी (ग्राम विकास) के एक नये पद का सृजन किया जाय, सेलेक्शन ग्रेड और सुपर सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय, सेलेक्शन ग्रेड के प्रतिशत में वृद्धि की जाय, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद सीधे भर्ती बन्द की जाय तथा खण्ड विकास अधिकारियों के कुछ प्रतिशत पद ग्राम सेवकों में से पदोन्नति करके भरने हेतु सुरक्षित किये जांय। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सहायक विकास अधिकारियों के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले सभी पद उनके लिए सुरक्षित किये जांय। जैसा कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग में संक्षेप में विचार किया जा चुका है, ग्राम विकास को कृषि, सहकारिता और पंचायत जैसे विभागों से अलग किया जाना हितकार नहीं होगा। सामान्यतया विभिन्न विभागों के ग्राम सेवकों का वेतनमान रु0 200—320 है। ग्राम विकास में उनका जो योगदान है उसको देखते हुए वे पहले ही से रु0 230—385 का उच्चतर वेतनमान पा रहे हैं और 20 प्रतिशत पदों पर उन्हें सेलेक्शन ग्रेड भी मिल रहा है। उन्हें सहायक विकास अधिकारी के एक निश्चित प्रतिशत पद पदोन्नति के लिए उपलब्ध हैं। विगत वर्षों में बहुत से ग्राम सेवक पदोन्नति पाकर खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पहुंच गये हैं। ग्राम सेवकों के वृद्धिरोध का मुख्य कारण यह है कि 3-4 वर्षों के अन्दर काफी अधिक संख्या में खण्ड (ब्लाक) खोले गये हैं जिसके फलस्वरूप एक ही स्तर पर एक साथ बड़ी संख्या में व्यक्तियों को भर्ती किया गया है। ये ग्राम सेवक एक ही आयु-ग्रुप के हैं, जो सहायक विकास अधिकारी नियुक्त किये गये हैं वे भी एक ही आयु-ग्रुप के हैं और अधिक संख्या में जो खण्ड विकास अधिकारी भर्ती किये गये हैं वे भी लगभग एक ही आयु-ग्रुप के हैं। ग्राम सेवकों की वृद्धिरोध का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है। फिर भी हम समझते हैं कि ग्राम सेवक ग्राम विकास कार्यक्रम की रीढ़ हैं और यह संस्तुति करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में (जबकि दीर्घकाल की सेवा वाले ग्राम सेवकों का वृद्धिरोध हो रहा है) उनको सामान्य शर्तों के अधीन 30 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय। हम सहायक विकास अधिकारी के 20 प्रतिशत पदों पर भी सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करते हैं।

1.33 ग्राम सेवकों ने यह शिकायत की है कि कृषि ग्रुप-2 के पदों पर पदोन्नति हेतु उनके लिए वर्ष 1961 में जो कोटा नियत किया गया है वह उनमें से पदोन्नति करके नहीं भरा गया है। हमने इस विषय में कृषि निदेशक से विचार-विमर्श किया। उन्होंने हमें इस बात से आश्वस्त किया कि यह सही नहीं है और ग्राम सेवकों की पदोन्नति 1961 के सरकारी आदेश के अनुसार की गई है, निदेशक ने इस बात की पुष्टि लिखित रूप से भी की है।

पंचायत राज विभाग

1.34 पंचायत राज विभाग यू0 पी0 पंचायत राज अधिनियम, 1948 में उल्लिखित कृत्यों के संबंध में पंचायतों का पर्यवेक्षण करने और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए भी उत्तरदायी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम आरम्भ करें। यह विभाग पंचायत उद्योग के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रहा है। इस समय राज्य में लगभग 72,800 गांव पंचायतें और 8,875 न्याय पंचायतें हैं। इस विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या 10,301 है। कर्मचारिवर्ग का कोटि क्रमानुसार विभाजन नीचे दिया गया है :—

ग्रुप	1974	1979
क	4	4
ख	55	57
ग	1,142	1,365
घ	8,871	8,875
योग	10,072	10,301

1.35 विभिन्न सेवा संघों और पंचायत राज निदेशक ने निम्नलिखित मांगें की हैं :—

1—जिला पंचायत राज अधिकारी का वेतनमान वही होना चाहिए जो जिला स्तर के अन्य अधिकारियों को अनुमन्य है।

2—डिवीजनल स्तर पर उप-निदेशक (पंचायत) का एक पद होना चाहिए और इन पदों पर जिला पंचायत राज अधिकारियों को ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

3—जिला विकास अधिकारियों के पांच पद वरिष्ठ जिला पंचायत राज अधिकारियों में से पदोन्नति करके भरे जाने चाहिए।

4—अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् के पचास प्रतिशत पद जिला पंचायत राज अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करके भरे जाने चाहिए।

5—उप-निदेशक (पंचायत) का वेतनमान वर्तमान रु0 650—1,300 के बजाय रु0 800—1,450 होना चाहिए।

6—इस संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति सरकार के उप-सचिव के पद पर भी की जानी चाहिए।

7—जो सहायक निदेशक जिला पंचायत राज अधिकारी के सेलेक्शन ग्रेड में हैं उन्हें उनके वेतनमान के साथ प्रतिमास 150 रु0 का विशेष वेतन भी दिया जाना चाहिए।

8—प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी का एक पद सृजित किया जाना चाहिए और इन पदों पर ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत और सामाजिक शिक्षा) की पदोन्नति की जानी चाहिए।

9—प्रतिवर्ष 1 लाख रु0 से अधिक का लेन-देन करने वाले पंचायत उद्योगों के लिए ग्रुप-1 के वर्तमान वेतनमान रु0 350—700 में आठ नये पद सृजित किये जाने चाहिए।

10—सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के 50 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में होने चाहिए।

11—पंचायत सेवक का वेतनमान वही होना चाहिए जो कि ग्राम विकास विभाग के ग्राम सेवक का है। उसे वही सेलेक्शन ग्रेड भी मिलना चाहिए।

12—सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर पदोन्नति पंचायत सेवकों में से की जानी चाहिए न कि ग्राम सेवकों में से।

13—पंचायत सेवकों के पचास प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में होने चाहिये।

14—पंचायत सेवक को प्रतिमास 21 रु0 साइकिल भत्ता दिया जाना चाहिये।

1.36 पंचायत राज से सम्बन्धित विभिन्न सेवा संघों और वरिष्ठ अधिकारियों ने जिनमें पंचायत निदेशक, ग्राम विकास सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त सम्मिलित हैं, पंचायत राज्य विभाग के कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में हमारे साथ विचार विमर्श किया। पंचायत राज विभाग ने "विकेन्द्रीकृतलोकतंत्र"की धारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर नियुक्त किये गये आयोगों/समितियों ने पंचायतों को पुनः सशक्त बनाने तथा ग्राम पुनर्निर्माण कार्य में उन्हें अधिक सक्रिय भागीदार बनाने के सम्बन्ध में संस्तुतियां की हैं। इस समय देश के अधिकांश राज्यों में पंचायत राज का जो ढांचा है वह वलवन्त राय मेहता रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश में गोविन्द सहाय समिति ने भी अपनी संस्तुतियां की थीं। अखिल भारतीय स्तर पर अब अशोक मेहता समिति द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जिनमें ग्राम पंचायतों और क्षेत्र समितियों के वर्तमान प्रतिरूप में आमूल परिवर्तन किये जाने की संस्तुति की गई है। यह हमारे विचारणीय विषयों में नहीं है कि हम इसके बारे में कोई सुझाव दें, किन्तु हम इसका उल्लेख केवल इस बात की ओर संकेत करने के लिये कर रहे हैं कि पंचायत राज की धारणा, उसकी कार्यविधि उसे सौंपे जाने वाले दायित्व और किस प्रकार से उन दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए इसके विषय में विभिन्न स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। विकासशील समाज में, जैसा कि हमारा है, ऐसा होना स्वाभाविक है। हमने जिला पंचायत राज्य अधिकारी के वेतन मान के प्रश्न पर जिला स्तर के अधिकारियों से सम्बन्धित एक पृथक अध्याय में विचार किया है। हमने जिला पंचायत राज अधिकारियों की जिला विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के प्रश्न पर विचार किया है। इस समय एक जिला पंचायत राज अधिकारी जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। रु0 650-1300 के वेतनमान में उप-निदेशक का एक पद है और रु0 550-1200 के वेतनमान में सहायक निदेशक (मुख्यालय) का एक पद है। कुछ जिला पंचायतराज अधिकारी जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि उनकी पदोन्नति के अवसर नगण्य हैं। जिला विकास अधिकारियों के कुछ पदों को जिला पंचायत राज अधिकारियों के लिये सुरक्षित किये जाने के विषय में सरकार विचार कर ले। हम जिला पंचायत राज अधिकारियों के 30 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जाने की भी संस्तुति करते हैं।

1.37 उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) ने पंचायत सेवक को रु0 175-250 के वेतनमान में रखा था हाल ही में इस वेतनमान को पुनरीक्षित करके लेखपाल के वेतनमान रु0 185-265 के बराबर कर दिया गया है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वेतनमान के मामले में पंचायत सेवकों को ग्राम सेवकों के समकक्ष लाया जाना चाहिये। ग्राम सेवक के दायित्व अपेक्षाकृत अधिक हैं और उसका कार्य भी अधिक दुष्कर प्रकार का है। उसे 2 वर्ष का प्रशिक्षण भी पूरा करना पड़ता है। हम यह भी महसूस करते हैं कि पंचायत सेवक की अर्हता बढ़ाकर इण्टरमीडिएट निर्धारित करना आवश्यक नहीं है किन्तु इस बात का विचार करते हुए कि पंचायत सेवकों के लिए पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं, हम साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों के लिए सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति कर रहे हैं।

1.38 पंचायत उप निदेशक इस समय 650-1300 रु0 के वेतनमान में हैं। वे उप विभागाध्यक्ष हैं अतः हम इस पद के लिए रु0 1250-2050 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं। किन्तु हम मुख्यालय पर सहायक निदेशक के पद के लिये उच्चतर वेतनमान या विशेष वेतन दिये जाने की संस्तुति करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह अन्य विभागों में इसी प्रकार के पदों के लिये की गई हमारी सामान्य संस्तुतियों के अनुरूप नहीं होगा। हम जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी का पद सृजित किये जाने की संस्तुति करने में असमर्थ हैं क्योंकि केवल पदोन्नति के अवसर जुटाने के लिये पदों को सृजित किये जाने का हम कोई औचित्य नहीं समझते।

पंचायत सेवकों ने निम्नलिखित मांग की है:

(1) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के संवर्ग में प्रोन्नति से भरे जाने वाले सभी पद उनके लिये सुरक्षित किये जांय, और

(2) 50 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय।

जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है, हम इस विभाग को ग्राम विकास विभाग से पृथक किये जाने की संस्तुति नहीं कर सकते और हम इस सुझाव से सहमत नहीं हैं कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ऐसे सभी पद जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले हों, पंचायत सेवकों के लिये सुरक्षित किये जांय। वर्तमान व्यवस्था चलती रहनी चाहिये। विभाग ने प्रकाशन अधिकारी के पद के लिये जो इस समय रु0 400-750 के वेतनमान में हैं रु0 550-1200 के वेतनमान की संस्तुति की है। यह पद पहले रु0 350-700 के वेतनमान में था जो हाल ही में पुनरीक्षित करके रु0 400-750 किया गया है। हम इस पद का वेतनमान बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते।

1.39 हमने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/पंचायत निरीक्षक की पदोन्नति की स्थिति का परीक्षण किया है। ग्रुप-2 के इन पदों के संपूर्ण संवर्ग के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति हेतु लगभग केवल 30 ही पद सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और पंचायत निरीक्षकों को उन पदों के अलावा उपलब्ध होंगे जो खण्ड विकास अधिकारियों के पदों में से उनके हिस्से में आयेंगे हम इस संवर्ग के साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों पर सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संस्तुति करते हैं।

सहकारिता विभाग

1.40 सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में सहकारिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1906 में प्रारम्भ होने के बाद से सहकारिता आन्दोलन इस राज्य में धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। 1951 में रु0 31.14 करोड़ का अल्पकालिक ऋण दिया गया था। इस ऋण की धनराशि बढ़कर 1971 में 57.10 करोड़ रु0 और 1979 में 163.50 करोड़ रु0 हो गई। सहकारी बैंकों द्वारा बहुत बड़ी धनराशि मध्यम कालीन और दीर्घकालीन ऋण के रूप में संवितरित की जा रही है। कृषि मूल्यों, विपणन (मार्केटिंग) और विधायन (प्रोसेसिंग) में स्थिरता लाने में भी सहकारिता की भूमिका होती है। सहकारी समितियों का काफी विस्तार हो जाने से यह आन्दोलन अधिकांश कृषकों तक पहुंच गया है।

1.41 इस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा संघ ने इस सेवा के सदस्यों के लिये रु0 1000—4000 के रनिंग स्केल की मांग की है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि पदोन्नति के समय परिलब्धियों में रु0 300 प्रतिमाह की वृद्धि होनी चाहिए। विभिन्न कोटि के राजपत्रित कर्मचारिवर्ग के लिये जिन भिन्न भिन्न वेतनमानों की मांग की गई है वे इस प्रकार हैं:

	रु0
(1) सहायक निबन्धक	1000-1800
(2) उप-निबन्धक	1400-2000
(3) संयुक्त निबन्धक	1800-2500
(4) अतिरिक्त निबन्धक	2500-3500
(5) निबन्धक	3000-4000

1.42 उत्तर प्रदेश सहकारी निरीक्षक संघ ने विभिन्न कोटि के कृत्यकारियों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की मांग की है:

	रु0
(1) कार्यालय के चपरासी और अन्य समतुल्य पद	300-450
(2) कनिष्ठ (जूनियर) लिपिक और अन्य समतुल्य पद	325-600

	रु0
(3) ज्येष्ठ लिपिक, सहकारी पर्यवेक्षक (कोआपरेटिव सुपरवाइजर) और अन्य समतुल्य पद	350-700
(4) उपलेखक और प्रालेखक (नोटर एण्ड ड्राफ्टर) प्रधान लिपिक और अन्य समतुल्य पद	450-900
(5) सहकारी निरीक्षक-ग्रुप-2 और अन्य समतुल्य पद	450-900
(6) सहकारी निरीक्षक ग्रुप-1 और अन्य समतुल्य पद	600-1200
(7) सहायक निबन्धक और अन्य समतुल्य पद	700-1600
(8) उप-निबन्धक और अन्य समतुल्य पद	1500-2000
(9) अतिरिक्त निबन्धक	2000-2500
(10) निबन्धक	3000

1.43 उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सहकारी निरीक्षक ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के पद एक में विलीन कर दिये जांय और विशेष रूप से यह मांग की कि सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को उस वेतनमान में रखा जाना चाहिए जिस वेतनमान में प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक (सब डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल), अवर (जूनियर) अभियन्ता, पुलिस उप-निरीक्षक, या नायब तहसीलदार हैं। अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी को जो कि इस समय रु0 350-700 के वेतनमान में हैं उसी वेतनमान में रखा जाना चाहिये जो कि खण्ड विकास अधिकारियों को अनुमन्य है। सहकारी समितियों के निबन्धक ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि प्रान्तीय सहकारी संघ में जो सहकारी पर्यवेक्षक (कोआपरेटिव सुपरवाइजर) सेवायोजित हैं वे रु0 230-385 के वेतनमान में हैं किन्तु जो सहकारी पर्यवेक्षक सहकारिता विभाग की सेवा में हैं वे रु0 200-320 के वेतनमान में हैं। जो अन्य विशिष्ट बात कही गई वह यह है कि सहकारी समितियों के अतिरिक्त निबन्धक रु0 1200-1800 के वेतनमान में हैं जब कि अन्य विभागों में अतिरिक्त विभागाध्यक्ष रु0 1600-2000 के वेतनमान में हैं।

1.44 हमारे समक्ष अपने साक्ष्य में निबन्धक ने इस बात की ओर भी संकेत किया कि सम्भागीय (रीजनल) उप-निबन्धक के कार्यालयों में आशुलिपिकों के दो वेतनमान हैं कुछ सम्भागों (रीजन) में वे रु0 300-500 के वेतनमान में हैं और अन्य सम्भागों में रु0 250-425 के वेतनमान में हैं। उन्होंने सम्भागीय स्तर पर आशुलिपिकों के समस्त पदों के लिये रु0 300-500 के वेतनमान की मांग की। निबन्धक ने यह मांग की कि सहकारी निरीक्षक ग्रुप-1 भी खण्ड विकास अधिकारियों के पद पर पदोन्नति के पात्र होने चाहियें। निबन्धक ने यह भी अनुरोध किया है कि जिलों में सहायक रजिस्ट्रार के पद को उन्नत (अपग्रेड) करके वर्ग1 का पद बनाया जाना चाहिये।

1.45 अतिरिक्त निबन्धक के चार पद हैं जो अतिरिक्त गन्ना आयुक्त के साद्दश्य रु0 1200-1800 के वेतनमान में हैं। संयुक्त निबन्धक (सहकारी समितियां) का कोई पद नहीं है। हम अतिरिक्त निबन्धक के पद हेतु रु0 1660-2300 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

1.46 जहां तक जिला स्तर पर सहायक निबन्धक के पद को उन्नत (अपग्रेड) करने का सम्बन्ध है, हम यह महसूस करते हैं इस पद को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का औचित्य नहीं है पहले इस विभाग में जिला स्तर पर ग्रुप-1 के वेतनमान में जिला सहकारी अधिकारी होते थे। जिला स्तर पर सहकारी कार्य का विस्तार होने के कारण इस पद को उन्नत करके वर्ग-2 का पद बना दिया गया था। अन्य विभागों में समान प्रास्थिति और दायित्व वाले पदों के वेतनमानों की सापेक्षता की दृष्टि से भी इस पद को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें यह सूचित किया गया है कि जिन जिलों में एस0 एफ0 डी0 ए0/एम0 एफ0 ए0 एल0 जैसी विशेष योजनायें आरम्भ की गई हैं उनमें कार्य की मात्रा के अनुसार जिला स्तर पर एक से अधिक सहायक निबन्धक तैनात किये गये हैं।

1.47 इस विभाग ने यह सुझाव दिया है कि ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के पद एक में विलीन कर दिये जांय। हमने इस प्रश्न का विभागीय प्रशासनिक पदानुक्रम की दृष्टि से तथा पदोन्नति के अवसरों की दृष्टि से परीक्षण किया है। निबन्धक ने हमें जो विवरण पत्र प्रस्तुत किया है उसके अनुसार ग्रुप-2 के सहकारी निरीक्षकों/सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के 66 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं जिसके लिए आधारिक अर्हता स्नातक की डिग्री होती है। वर्ग-2 के पद अर्थात सहायक निबन्धक के संवर्ग के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पद राज्य सिविल सेवा की सम्मिलित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इन परिस्थितियों में हम यह संस्तुति करते हैं कि ग्रुप-1 के सभी पद ग्रुप-2 के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में से पदोन्नति करके भरे जांय। इससे सभी व्यक्तियों के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ जायेंगे। पदोन्नति के अवसरों के प्रसंग में 280-460 रु0 के और 550-1200 रु0 के वेतनमान वाले पदों की संख्या को देखते हुये हम ग्रुप-2 के साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों के लिये और सहायक निबन्धक के संवर्ग में 15 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करते हैं।

1.48 जहां तक राज्य सरकार द्वारा सेवायोजित सहकारी पर्यवेक्षकों के वेतनमान का सम्बन्ध है, हम यह महसूस करते हैं कि उन्हें उन सहकारी पर्यवेक्षकों की अपेक्षा जो

कि प्रान्तीय सहकारी संघ द्वारा सेवायोजित किये गये हैं तथा जिन्हें 230-385 रु० का वेतनमान अनुमन्य है, कम वेतनमान दिया जाना वांछनीय नहीं है। गन्ना पर्यवेक्षकों को यह वेतनमान पहले ही दिया जा चुका है। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि सहकारी पर्यवेक्षकों को ग्राम सेवक के समान वेतनमान दिया जाय। वैसे भी उसे बहुत महत्वपूर्ण कृत्यों का निर्वाहन करना पड़ता है। हमने उसकी पदोन्नति के अवसरों की स्थिति का परीक्षण किया है। सहकारी पर्यवेक्षकों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

1.49 इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व हम इस बात की ओर संकेत करना चाहेंगे कि इस विभाग ने विभिन्न संवर्ग के लिये उच्चतर वेतनमानों की मांग इस परिकल्पना के आधार पर की है कि इस विभाग के विभिन्न कृत्यकारी विभिन्न सहकारी समितियों को चलाते हैं या उन पर नियंत्रण रखते हैं। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे। सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति लोगों के स्वैच्छिक प्रयासों के आधार पर हुई है और सहकारी कृत्यकारियों से केवल मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

1.50 संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्ष का पद 1200-1800 रु० के वेतनमान में है। इस पद का वेतनमान वही है जो सहकारी समितियों के अतिरिक्त निबन्धक को अनुमन्य है। हम इस पद के लिये उस वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं जो कि सहकारी समितियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के लिये अब पुनरीक्षित करके निर्धारित किया जा रहा है।

1.51 जहां तक लेखा अधिकारी और लेखाकार (एकाउन्टेन्ट), आशुलिपिक जैसे सामान्य कोटि के पदों का सम्बन्ध है, हमने इस प्रश्न पर "सामान्य कोटि के पदों" से संबंधित अध्याय में विचार किया है।

प्रादेशिक विकास दल

1.52 शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता करने तथा लोगों को अपनी जानमाल की रक्षा करने के लिये छोटे हथियार चलाने में प्रशिक्षित करने के लिये 1948 में प्रान्तीय रक्षक दल नामक संगठन सृजित किया गया था। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पुलिस को शनैः शनैः सुदृढ़ किया गया और भारत सरकार की सहायता से होमगार्ड का संगठन भी बनाया गया। इसके फलस्वरूप प्रान्तीय रक्षक दल अपने मुख्य कृत्यों से वंचित हो गया और एक अवस्था ऐसी आई जबकि प्रान्तीय रक्षक दल और होमगार्ड को एक ही अधिकारी के प्रभार में रखा गया। 1971 में इन संगठनों को पृथक किया गया और प्रान्तीय रक्षा दल का नाम प्रादेशिक विकास दल रखा गया जिसके मुख्य उद्देश्य ग्राम्य क्षेत्रों में लोगों को विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये जुटाना और विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये ग्रामीण खेल कूद और युवक क्लबों को संगठित करना भी है।

1.53 इस संगठन का प्रधान प्रशासकीय समादेष्टा है जो आई० ए० एस० संवर्ग का अधिकारी है। उसकी सहायता के लिये मुख्यालय पर एक उप निदेशक (जन-शक्ति), तीन सहायक समादेष्टा और कार्यालय कर्मचारी वर्ग है। डिवीजनल स्तर पर कोई संगठन नहीं है किन्तु जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में 400-750 रु० के वेतनमान में जिला संगठनकर्ता है। कुछ जिलों में स्थापित 20 व्यायामशालाओं में व्यायामशाला प्रशिक्षक तैनात किये गये हैं और प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में 230-385 रु० के वेतनमान में एक क्षेत्रीय संगठनकर्ता है।

1.54 इस संगठन के लिये निम्नलिखित मुख्य मांगें की गई हैं :

(1) संयुक्त सचिव का विशेष वेतन 250 रु० प्रति मास है किन्तु निदेशक, जनशक्ति संचालन (मोबलाइज़ेशन) एवं संयुक्त सचिव को केवल 200 रु० प्रति मास का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है। उन्हें भी वही विशेष वेतन दिया जाना चाहिये जो आई० ए० एस० संवर्ग के संयुक्त सचिव को अनुमन्य है।

(2) उप निदेशक का पद जो इस समय 800-1450 रु० के वेतनमान में है, 1150-1700 रु० के वेतनमान में होना चाहिये जो कि कुछ अन्य विभागों के वर्ग-1 के अधिकारियों को अनुमन्य है।

(3) प्रादेशिक विकास दल का सहायक समादेष्टा 550-1200 रु० के वेतनमान में है। यह पद वर्ग-1 का पद घोषित किया जाना चाहए और इसे वर्ग-1 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(4) मुख्यालय पर लिपिक वर्गीय कर्मचारि वर्ग को वही वेतनमान दिया जाना चाहिये जो कि अन्य विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग को अनुमन्य है।

(5) ड्रिल इन्स्ट्रक्टर का वेतनमान जो कि इस समय 185-265 रु० है, पुनरीक्षित करके 230-385 रु० निर्धारित किया जाना चाहिये जो कि पुलिस और होमगार्ड के इन्स्ट्रक्टर को अनुमन्य है।

(6) प्रादेशिक विकास दल के जिला संगठनकर्ता के कर्तव्यों और दायित्वों, चयन की रीति, अर्हता और प्रशिक्षण का विचार करते हुये उसे वर्ग-2 का वेतनमान दिया जाना चाहिये जो कि अन्य विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों को अनुमन्य है।

(7) सहायक जिला संगठनकर्ता को जो कि इस समय 280-460 रु० के वेतनमान में हैं, 400-750 रु० का वेतनमान दिया जाना चाहिये।

(8) मुख्यालय पर केवल एक पद है जिस पर जिला संगठन कर्ता की पदोन्नति की जा सकती है। पदोन्नति के नगण्य संभावनाओं का विचार करते हुए जिला संगठन कर्ता के 50 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में होने चाहिये जैसा कि खण्ड विकास अधिकारियों के संवर्ग में है।

(9) प्रादेशिक विकास दल का क्षेत्रीय संगठनकर्ता खण्ड (ब्लाक) स्तर का अधिकारी होता है जिसकी शैक्षिक और अन्य अर्हतायें अन्य सहायक विकास अधिकारियों की अर्हता के समान हैं, किन्तु उसका वेतनमान (230-385) ग्राम सेवक के वेतनमान के बराबर है। क्षेत्रीय संगठनकर्ता के अधिकार क्षेत्र और उसके दायित्वों का विचार करते हुये उसे 280-460 रु० का वेतनमान मिलना चाहिये जो कि खण्डों (ब्लाकों में तैनात अन्य सहायक विकास अधिकारियों) को अनुमन्य है।

(10) क्षेत्रीय संगठनकर्ता के 50 प्रतिशत पद सलेक्शन ग्रेड में होने चाहिये।

(11) व्यायामशाला प्रशिक्षक का वेतनमान जो कि इस समय 230-385 रूपया है, 300-500 रूपया होना चाहिये।

1.55 परिवर्तित परिस्थितियों में इस संगठन की उपयोगिता के बारे में हमने कृषि उत्पादन आयुक्त और निदेशक से विस्तार में विचार विमर्श किया। क्षेत्रीय संगठन--कर्ता जो कि इस संगठन का आधारभूत कार्यकर्ता है, के ड्यूटी चार्ज से यह विदित होता है कि वह अधिकतर ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो पंचायत सेवक और ग्राम सेवक जैसे ग्राम स्तर के अन्य कृत्यकारियों द्वारा भी किये जा रहे हैं। इस समय संगठन द्वारा जो तीन मुख्य कार्य किये जाते हैं वे ये हैं (क) युवक क्लब संगठित करना, (ख) जनशक्ति जुटाना (ग) शारीरिक शिक्षा और ग्रामीण खेल-कूद।

1.56 युवक क्लब के संगठन का कार्य ग्राम विकास से बिलकुल जुड़ा हुआ है। युवकों को युवक क्लबों के माध्यम से मुख्यतया आर्थिक कार्यकलापों के लिये शिक्षित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यकलाप कृषि सम्बन्धित होते हैं। क्षेत्रीय संगठनकर्ता कृषि में प्रशिक्षित नहीं होते। अतः जब तक कि कृषि विकास के सम्बन्ध में उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित न किया जाय, कृषि विकास में उनका योगदान सीमित रहेगा। यह स्पष्ट है कि ग्राम स्तर पर दोहरा कार्य होता है। ग्रामीण खेल-कूद इस संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा संस्थाओं में जो खेलकूद होते हैं वे इस संगठन के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ग्रामीण खेलकूदों के लिये भी इस संगठन के निधियों के लिये खेलकूद विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार इस समय ग्रामीण खेलकूद के मामले में शिक्षा विभाग, खेलकूद विभाग और प्रादेशिक विकास दल के परस्पर व्यापी कार्य हैं।

1.57 यह बात सभी लोग जानते हैं कि श्रमदान की जो पुरानी धारणा है वह वर्तमान समय में उतनी सुसंगत नहीं है जितना कि पहले थी। 'जब से कार्य के बदले अनाज' का कार्यक्रम अपनाया गया है, लोग भुगतान के आधार पर कार्य करने के लिए आते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद हम इस बात से आश्वस्त हैं कि इस संगठन का उसके वर्तमान स्वरूप में एक पृथक विभाग की तरह बने रहने का औचित्य नहीं है। जो कार्मिक शारीरिक प्रशिक्षण के कार्यकलापों में लगे हुए हैं वे खेल-कूद विभाग को स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय संगठनकर्ता होम-गार्ड संगठन में संविलीन किये जायें या वैकल्पिक रूप में ग्राम विकास विभाग में संविलीन किये जायें जिला संगठन कर्ताओं को प्रत्येक की अर्हता के अनुसार अन्य विकास विभागों में संविलीन किया जाय। विभाग के अन्य अधिकारियों और कार्मिकों को भी शिक्षा, खेल-कूद और ग्राम विकास विभाग में उपयुक्त पदों पर संविलीन किया जाय। खेलकूद और ग्रामीण युवकों के लिये अपेक्षाकृत एक अच्छा और अधिक जीवनक्षम विभाग सृजित किया जाना सम्भव हो सकता है। इससे दो लाभ होंगे :

(1) प्रादेशिक विकास दल के विभिन्न कृत्यकारियों के लिये इस समय पदोन्नति की कोई सम्भावनायें नहीं हैं। जीवनक्षम संगठन में उनके लिए पदोन्नति के अपेक्षाकृत अच्छे अवसरों की व्यवस्था करना सम्भव होगा।

(2) जब वे एक निश्चित कार्यकलाप में लगाये जायेंगे तो उस कार्य को करने में उन्हें संतोष मिलेगा। वर्तमान विभाग को लोग कम जानते हैं। फिर भी नयी व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक हमने विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान तथा जहां कहीं आवश्यक है, सेलेक्शन ग्रेड संस्तुत किये हैं।

1.58 ऐसे व्यायामशाला प्रशिक्षक के लिए जिसकी शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट है, हम रु0 400-615 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। हम अपनी इस संस्तुति का विचार करते हुए कि इस संगठन का अपने वर्तमान रूप में बने रहने का बहुत ही कम औचित्य है, अन्य मांगों/सुझावों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

पशुपालन विभाग

1.59 पशुपालन विभाग पशुधन की किस्म सुधारने तथा पशुओं के रोगों की रोकथाम और उनका उपचार करने के लिये उत्तरदायी है। इस विभाग में कुल मिलाकर 15558 कर्मचारी हैं जिनमें ग्रुप-ख के 7251 कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। कर्मचारियों का कोटि क्रमानुसार विभाजन नीचे दिया गया है :

	1974	1979
ग्रुप "क"	36	59
ग्रुप "ख"	1875	2038
ग्रुप "ग"	5159	6210
ग्रुप "घ"	6646	7261

1.60 पशुपालन विभाग से सम्बन्धित विभिन्न सेवा संघों ने निम्नलिखित मांगे की हैं :

(1) उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ—

(एक) पशुपालन निदेशक का वेतनमान वही होना चाहिये जो कि अभियन्त्रण और चिकित्सा जैसे अन्य प्राविधिक विभागों में अनुमन्य है।

(दो) पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक का वेतनमान वही होना चाहिये जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त निदेशक को अनुमन्य है।

(तीन) डिवीजनल स्तर के सभी पदों पर रु0 1200-1800 के वेतनमान में संयुक्त निदेशक होने चाहियें जैसा कि चिकित्सा विभाग में हैं।

(चार) पशु चिकित्सकों को सभी स्तर पर तथा सभी मामलों में मेडिकल डाक्टर के समान समझा जाना चाहिये।

(पांच) पचास प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में होने चाहियें।

(छः) ऐसे विभिन्न पदों के वेतनमान को जिनके लिए निम्नतम प्राविधिक अर्हता बी0 वी0 एस-सी0 और पशुपालन डिग्री है, पुनरीक्षित करके रु0 550-1200 किया जाना चाहियें।

(सात) सहायक विकास अधिकारी (कुक्कुट) फार्म मैनेजर (कुक्कुट) सहायक प्रायोजना अधिकारी (कुक्कुट) फार्म सुपरिन्टेण्डेन्ट, ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक (सीनियर पोल्ट्री इन्स्पेक्टर), लेक्चरर (त्रैमासिक कुक्कुट पालन पाठयक्रम) भी रु0 550—1200 के वेतनमान में होने चाहियें और इन पदों पर पशु चिकित्सक ही रखे जाने चाहिए।

(आठ) जिला विकास अधिकारियों और प्रधानाचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के पद पशु चिकित्सकों से भरे जाने चाहियें।

(नौ) एस0 एफ0 डी0 ए0/एम0 एफ0 ए0 एल0/डी0 पी0 ए0 पी0/शारदा सहायक/गंडक प्रयोजनाओं, चित्रकूट विकास निगम, एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, सेन्ट्रल डेयरी कारपोरेशन, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र आदि के अधीन तैनात सभी पशु चिकित्सकों को उनके वेतन के 50 प्रतिशत की दर से प्रायोजना भत्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(दस) प्रायोजना कार्य से सम्बन्धित सभी अन्य कोटि के अराजपत्रित पैरा वेटेरिनरी कर्मचारिवर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को उनके वेतन के 25 प्रतिशत की दर से प्रायोजना भत्ता स्वीकृत किया जाना चाहियें।

(ग्यारह) उन व्यक्तियों को जो स्नातकोत्तर/पी0 एच0 डी0 डिग्री प्राप्त हैं, डिग्री प्राप्त करने के दिनांक से निम्नलिखित दर से स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाना चाहियें :

डिप्लोमा के लिए	100 रु0 प्रति मास
एम0 वी0 एस0 सी0 के लिये	200 रु0 प्रति मास
पी0 एच0 डी0 के लिए	400 रु0 प्रति मास
डी0 एस-सी0 के लिए	450 रु0 प्रति मास

(बारह) जिन पशु चिकित्सकों (वेटेरिनरी डाक्टर) को प्रैक्टिस न करने वाले पदों पर तैनात किया जाय, उन्हें उनके वेतन के 50 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस न करने का भत्ता/प्रैक्टिस न करने का वेतन दिया जाना चाहिए।

(तेरह) जिन पशु चिकित्सकों (वेटेरिनरी डाक्टर) के पास एम0 बी0 एस0 सी0 और पी0 एच0 डी0 की डिग्री है उन्हें क्रमशः चार और आठ अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जानी चाहिए।

(चौदह) उन्होंने निम्नलिखित वेतनमान की मांग की है—

(क) जिन पदों का वेतनमान 550—1200 रु0, 450—850 रु0, और 500—1000 रु0 है, उनका पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1200—2400 होना चाहिए।

(ख) जो पद वर्तमान में रु0 800—1450 के वेतनमान में हैं, उनके लिए रु0 2400—2700 का वेतनमान सृजित किया जाना चाहिए।

(ग) संयुक्त निदेशक का रिप्लेसमेन्ट वेतन-के वेतनमान की मांग की गई है।

(घ) अतिरिक्त निदेशक का नया वेतनमान रु0 3000—3250 होना चाहिए।

(ड) निदेशक के लिए रु0 3250—3500 के वेतनमान की मांग की गई है।

(2) उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन संघ)

(1) सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) का वेतनमान पशुधन विकास अधिकारी के समान होना चाहिए।

(2) सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) को पदोन्नति के वे ही अवसर मिलने चाहिये जो अन्य सहायक विकास अधिकारियों को उपलब्ध हैं।

(3) ऐसे सभी व्यक्तियों को जो अपने वेतनमान की अधिकतम धनराशि पर पहुंच गये हैं, सेलेक्शन ग्रेड मिलना चाहिएं।

(4) सहायक विकास अधिकारियों को रु0 500—1000 का वेतनमान तथा रु0 550—1200 रु0 का सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिए।

(3) वेटरनरी स्टाफमैन एसोसियेशन

(1) उन्हें वर्तमान वेतन ढांचे में रु0 500—1000 का वेतनमान मिलना चाहिए।

(2) पचास प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में होने चाहिए।

(3) कुक्कुट पालन, भेड़ और दुग्धशाला विकास से सम्बन्धित सभी पद इस संवर्ग के लिये पृथक आरक्षित किये जाने चाहिए।

(4) वेतन की एक-तिहाई की दर से प्रैक्टिस न करने का भत्ता दिया जाना चाहिए।

(5) स्टाकमैन को रु0 500—1000 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(4) पशु औषधिक संघ

(1) उन्हें वही वेतनमान मिलना चाहिए जो मेडिकल कम्पाउन्डरों को उपलब्ध है।

(2) सम्पूर्ण मौलिक संवर्ग के 60 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में होने चाहिए।

(5) बायोलाजिकल प्रोडक्ट्स कर्मचारी संघ

वैक्सीन निर्माण कार्य में जो कार्मिक लगे हुए हैं वे कुशल कोटि (स्किल्ड कटेगरी) के हैं। अतः उन्हें इस रूप में मान्यता दी जानी चाहिए अर्थात् उन्हें चतुर्थ वर्ग के साधारण कर्मचारियों की अपेक्षा उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए।

1.61 जिला पशुधन अधिकारी जिले का सबसे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है और वह पशु विकास, पशुओं के रोगों की रोकथाम तथा सहायक पशु चिकित्सकों सहित अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग के कार्य को समन्वित करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। सहायक पशु चिकित्सक का वेतनमान बढ़ाकर रु0 550—1200 कर दिये जाने से ये दोनों कोटि के अधिकारी अब एक ही वेतनमान में हैं। हम यह महसूस करते हैं कि जिला पशुधन अधिकारी जिले में पशु विकास संबंधी कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाता है, अतः उसका उत्तरदायित्व सहायक पशु चिकित्सक से निश्चय ही अधिक है।

1.62 तद्नुसार हमने सहायक पशु चिकित्सक और जिला पशुधन अधिकारी के लिए दो पृथक-पृथक वेतनमान बनाये हैं। जिला पशुधन अधिकारी को उच्चतर वेतनमान दिया गया है।

1.63 पशु चिकित्सकों (वेटेरिनरी डाक्टरों) ने यह मांग की है कि उन्हें सभी स्तरों पर मेडिकल डाक्टरों से समानता दी जाय। वस्तुतः केवल निम्नतर स्तरों पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए ही उच्चतर पद सृजित नहीं किये जा सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं। उसे बहुत से चिकित्सा अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है तथा उन पर नियंत्रण रखना पड़ता है। उसे परिवार कल्याण कार्य के लिए भी उत्तरदायी बनाया गया है, अतः उसे व्यापक रूप से कार्य करना पड़ता है। अतः हम जिला पशुधन अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समानता दिये जाने की मांग को स्वीकार नहीं कर सकते।

1.64 हमने पशुपालन विभाग में जिला पशुधन अधिकारी और उनके समतुल्य पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की सम्भावनाओं का परीक्षण किया है। हम यह महसूस करते हैं कि उन्हें पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय। जहां तक सहायक पशु चिकित्सक (वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन) का संबंध है, हम उनके लिये भी साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संस्तुति करते हैं।

1.65 संघ ने यह मांग की है कि इस सेवा के सदस्यों को प्रैक्टिस न करने का वही वेतन और भत्ता दिया जाना चाहिये जो कि एलोपैथिक के चिकित्सा अधिकारियों को अनुमन्य है। सहायक पशु चिकित्सक का पदनाम अब पशुधन विकास अधिकारी है। विकास अधिकारी के रूप में उसे अपने क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है और लोगों को इस बात के लिये समझाना-बुझाना पड़ता है कि वे कृत्रिम गर्भाधान

का तरीका अपनायें, पशुओं को उन्नत किस्म का चारा खिलायें और उनकी अधिक देखभाल रखें। सामान्यतया उसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुज्ञा दिये जाने या उसके बदले में प्रैक्टिस न करने का भत्ता दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। किसी भी चिकित्सक को क्लीनिक या आपरेशन थियेटर खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने की अनुमति दिये जाने पर वह विकास कार्य पर कम ध्यान देगा। उसे प्रैक्टिस न करने का कोई भत्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे समक्ष यह कहा गया कि इस समय पशु चिकित्सकों को प्रैक्टिस न करने के भत्ते के रूप में प्रति मास 10 रु0 दिया जाता है। हम यह संस्तुति करते हैं कि इसे तुरन्त रोक दिया जाना चाहिये।

1.66 पशु चिकित्सक सेवा संघ के प्रतिनिधियों द्वारा यह कहा गया है कि बड़े पशुओं की चिकित्सा करने के लिये प्राइवेट तौर पर जाने के लिये फीस इस समय 3 रु0 और छोटे पशुओं के लिये 2 रु0 है जो कि बहुत ही कम है जैसा कि पिछले पैरा में बताया जा चुका है, हम पशुधन विकास अधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने के पक्ष में नहीं हैं, किन्तु हमें इस बात की जानकारी है कि ऐसे भी अवसर आ सकते हैं, जबकि पशु ऐसी स्थिति में न हो कि उसे चिकित्सालय लाया जा सके और पशुधन विकास अधिकारी को पशु के चिकित्सोपचार के लिये पशु के स्वामी के घर जाना पड़े। ऐसी स्थिति में पशुधन विकास अधिकारी परामर्श फीस के रूप में निम्नलिखित ले सकता है :—

(क) बड़े पशुओं के लिये छः रुपये, और

(ख) छोटे पशुओं के लिये चार रुपये।

हमें यह सूचित किया गया है कि उन्हें वधशाला में पशुओं की जांच करने के लिये कुछ शुल्क अनुमन्य है। यह शुल्क भी उन्हें मिलता रहना चाहिए।

1.67 विभाग ने जो विवरण-पत्र प्रस्तुत किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग में ऐसे बहुत से पद हैं जिनके लिये निर्धारित निम्नतम अर्हता पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री है। किन्तु उनका वेतनमान 450—850 रु0 या 500—1000 रु0 है। ऐसे पदों की संख्या 50 है, जो ये हैं—

सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी (1), फार्म मैनेजर (कुक्कुट) (9), ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक (16), सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट) (5), प्रशिक्षण प्रभारी (कुक्कुट और पशुपालन) (11), फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट कुक्कुट (1), लाइव स्टाक मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स इन्सपेक्टर (1), ए0 पी0 ओ0 (डी0 पी0 ए0 पी0) (6)। हमने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या इन पदों पर विभाग के ऐसे कार्मिकों को रखा जा सकता है जिनके पास बी0 वी0 एस0 सी0 की डिग्री नहीं है। विभाग ने इस विषय में कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया। इन पदों के कार्य की अपेक्षाओं को देखते हुये प्रशिक्षण निरीक्षकों के 11 पदों और ए0 पी0 ओ0 और डी0 पी0 ए0 पी0 के 6 पदों पर बी0 वी0 एस0 सी0 डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को रखना होगा। सरकार इस बात पर विचार कर ले कि क्या शेष 33 पदों पर सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन)/वेटेरिनरी फील्ड असिस्टेन्ट में से पदोन्नति करके रखा जा सकता है जिन्हें क्षेत्र में पशुपालन का कुछ प्रशिक्षण और दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त है। इससे निम्नकोटि के कार्मिकों को कुछ प्रोत्साहन भी मिलेगा जिनकी संख्या बहुत अधिक है और जिनको पदोन्नति की शायद ही कोई सम्भावनायें हैं। वेटेरिनरी फील्ड असिस्टेन्ट के 167 पद और सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) के 166 पद हैं। सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) "घ" कोटि के औषधालयों को चला रहे हैं, उनके नीचे स्टाकमैन हैं। हम इस बात से अवगत हैं कि स्टाकमैन को सहायक पशु चिकित्सक (वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन) के पद पर या उससे ऊंचे पद पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती।

1.68 सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) संघ, स्टाकमैन, संघ और पशु औषधिक संघ ने हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उनके लिये अपने संवर्ग में या उसके बाहर पदोन्नति के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं। हम यह संस्तुति करते हैं कि स्टाकमैन और पशु औषधिक के साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों पर सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय। पशु औषधिक के मामले में सेलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या केवल प्रशिक्षित पशु औषधिकों की कुल संख्या के आधार पर अवधारित की जायेगी। जहां तक पशु औषधिकों की इस मांग का संबंध है कि उन्हें वही वेतनमान दिया जाये जो चिकित्सा विभाग के फार्मेसिस्ट को ग्राह्य है, हम इस मांग से वहां तक सहमत हैं जहां तक इसका संबंध प्रशिक्षित पशु औषधिक से है। पशु औषधिक का कार्यभार सामान्यतया बहुत हल्का होता है किन्तु हम प्रशिक्षित पशु औषधिक के लम्बे अनुभव को देखते हुये उनका वेतनमान उन्नत (अपग्रेड) किये जाने की संस्तुति कर रहे हैं।

1.69 वायोलाजिकल प्रोडक्ट्स शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने यह मांग की है कि उन्हें चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान की अपेक्षा उच्च वेतनमान मिलना चाहिये। विभाग ने हमें जो विवरण-पत्र प्रस्तुत किया है उससे यह प्रतीत होता है कि वे प्राविधिक अर्हता प्राप्त नहीं हैं। आयोग ने इस अनुभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का भलीभांति परीक्षण किया है। 22 लेबोरेटरी अटेन्डेन्ट हैं जिनमें से 5 अटेन्डेन्ट "नैकिंग" के कार्य और 3 "पोस्टमार्टम" के कार्य पर लगे हैं। "नैकिंग" और "पोस्टमार्टम" के लिये तैनात अटेन्डेन्टस का कार्य बहुत

अप्रिय हैं। अतः हम इन दो पदों पर कार्य करने वाले पद-धारकों को 15 रु0 प्रतिमाह की दर से भत्ता दिये जाने की संस्तुति करते हैं। वेतनमान 200—320 रु0 तथा 185—265 रु0 में भी प्रयोगशाला सहायक के पद हैं। उनके कर्तव्य और अर्हतायें एक समान हैं। हमें इनके लिये पृथक-पृथक वेतनमानों का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता और हम सभी प्रयोगशाला सहायकों के लिये 354—550 रु0 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं। विभाग में वैक्सीन कैरियर के पद हैं। वैक्सीन कैरियर को वैक्सीन लेकर दूर-दूर तक जाना पड़ता है जिसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यात्रा भत्ता की सुविधा के मामले में उसे वर्ग-4 के अन्य कर्मचारियों के समतुल्य माना जाता है। विशेष मामले के रूप में हम यह संस्तुति करते हैं कि यदि अपरिहार्य रूप से रात्रि के समय यात्रा पर जाना पड़े तो उसे शयन स्थान की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।

1.70 हम यहां अन्य कोटि के कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग, चतुर्थ वर्ग कर्मचारिवर्ग, आशुलिपिकों, लेखा कर्मचारिवर्ग सांख्यकीय कर्मचारिवर्ग आदि के वेतनमान के प्रश्न पर "सामान्य कोटि के पदों" से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमान तथा जहां कहीं आवश्यक है वहां उपयुक्त सेलेक्शन ग्रेड रिपोर्ट के भाग-2 में दिये गये हैं। विशेष वेतन/भत्ते से संबंधित मांगों के विषय में संबंधित अध्याय में विचार किया गया है।

उद्यान विभाग

1.71 1974 तक उद्यान से संबंधित कार्यकलाप कृषि विभाग के अंग थे, इसके बाद एक पृथक उद्यान निदेशालय बनाया गया। इस विभाग में निदेशक के अलावा 2 अतिरिक्त निदेशक, 1 संयुक्त निदेशक, 33 उप निदेशक और 550—1200 रु0 के वेतनमान में 124 अधिकारी हैं। में 27 जिला उद्यान अधिकारी 400—750 रु0 के वेतनमान में हैं। अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-1, ग्रुप-2 और ग्रुप-3 के सदस्यों की संख्या क्रमशः 359, 465 और 634 है। हेड चौधरी, दफ्तरी, कामदार आदि के 449 पदों के अतिरिक्त जो कि 170—225 रु0 के वेतनमान में हैं, चपरासियों, चौकीदारों, मालियों आदि के चतुर्थ वर्ग के 3517 पद हैं।

कर्मचारिवर्ग का कोटि क्रमानुसार विभाजन जैसा कि वह 1974 और 1979 में था, नीचे दिया गया है :—

	1974	1979
ग्रुप "क"	28	37
ग्रुप "ख"	97	153
ग्रुप "ग"	1532	2053
ग्रुप "घ"	3485	4182
	5142	6425

1.72 निदेशक ने लिखित रूप से तथा हमारे समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य में निम्नलिखित बातें कही :—

(1) मैदानों में दो कोटि के जिला उद्यान अधिकारी हैं। इनके 19 पद 550—1200 रु0 के वेतनमान में हैं और 27 पद 400—750 रु0 के वेतनमान में हैं। निदेशक ने यह महसूस किया कि चूंकि इन सभी पदों की अर्हतायें और उत्तरदायित्व समान हैं, अतः उन्हें एक ही वेतनमान में रखा जाना चाहिये।

(2) अधीनस्थ राजपत्रित कोटि (400—750) के 27 अधिकारियों में से 12 अधिकारी अपने वेतनमान की अधिकतम धनराशि तक पहुंच गये हैं और अब उनका वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) हो रहा है। निदेशक ने इस बात को स्पष्ट किया कि इनमें से कोई भी अधिकारी डिप्लोमा प्राप्त नहीं है।

(3) खाद्य परिक्षण के 73 केन्द्र हैं जिनमें से प्रत्येक केन्द्र ग्रुप-1 के अधिकारी के प्रभार में है जिसका वेतनमान रु0 350—700 है। निदेशक ने यह बताया कि उनके संवर्ग में अत्यधिक वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) हो रहा है।

(4) निदेशक ने निम्नलिखित अबाध वेतनमान (रनिंग स्केल) की संस्तुति की :—

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	निदेशक द्वारा प्रस्तावित वेतनमान
	(रु0)	(रु0)
1 माली, प्रधान माली, कामदार, बढ़ई, लोहार, ट्रक ड्राइवर, जीप ड्राइवर, नलकूप चालक, (ट्यूबवेल आपरेटर) यांत्रिक (मेकेनिक) आदि	165—215 170—225 175—250 185—265	350—780
2 अधीनस्थ सेवा ग्रुप-3	230—385	450—1300
3 अधीनस्थ सेवा ग्रुप-2/अवर अभियन्ता/अधीनस्थ ग्रुप-1	280—460 300—500 350—700	500—1550
4 वर्ग-2 अधीनस्थ/वर्ग-2	400—750 450—850 550—1200	850—1950
5 वर्ग-1	800—1450	1250—2100
6 संयुक्त निदेशक	1150—1700	1750—2250
7 अतिरिक्त निदेशक	1600—2000	2000—2500
8 निदेशक	2200—2500	2500—3000

1.73 निदेशक ने यह बताया है कि 400—750 के वेतनमान में जो 27 अधीनस्थ राजपत्रित पद हैं वे ग्रुप-2 के उन 27 पदों के बदले सृजित किये गये थे जो पहले 350—700 रु0 के वेतनमान में थे। निदेशक ने इस दो कोटि के पदों के जिलेवार विभाजन हमारे पास भेजे हैं। 550—1200 रु0 के वेतनमान में जिला उद्यान अधिकारी के पद पर्वतीय जिलों के लिये और उन मैदानी जिलों के लिये सृजित किये गये हैं जहां उद्यान संबंधी कार्य अपेक्षाकृत व्यापक रूप से किया जाता है तथा जूनियर ग्रेड के पद उन जिलों के लिये सृजित किये गये हैं जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रथम कोटि के अन्तर्गत सहारनपुर, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, देवरिया, बस्ती और इलाहाबाद जैसे जिले हैं और द्वितीय कोटि के अन्तर्गत आगरा, एटा, मैनपुरी, जालौन जैसे जिले हैं। पर्वतीय जिलों में 550—1200 रु0 के वेतनमान में जिला उद्यान अधिकारी के पद के अलावा उद्यान विशेषज्ञ के पद (11), प्रसार सेवा अधिकारी के पद (2), सब्जी विशेषज्ञ के पद (1), उद्यान प्रशिक्षण अधिकारी के पद (1) हैं।

1.74 निदेशक के साथ विचार-विमर्श के दौरान हमने यह पाया कि वर्ग-2 की सेवा में वृद्धिरोध बिल्कुल नहीं है और उस संवर्ग का कोई अधिकारी अपने वेतनमान की अधिकतम धनराशि तक नहीं पहुंच पाता है। निःसंदेह कुछ जिला उद्यान अधिकारी जो कि (जूनियर स्केल) में हैं, अपने वेतनमान की अधिकतम धनराशि तक पहुंच गये हैं। ये सभी अधिकारी ग्रुप-2 में भर्ती किये गये थे और इन्हें दो पदोन्नतियां मिल चुकी हैं। जब उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति कोटा वाले पद उपलब्ध होंगे तो उन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ उच्चतर वेतनमान में पद पाने का अवसर मिलेगा। हमें इस कोटि के पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। हमने निम्नतर पदों पर प्रोन्नति के प्रश्न का भी परीक्षण किया है और हम इन पदों पर कोई वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) नहीं पाते। हमने जिला उद्यान अधिकारी के वेतनमान के प्रश्न पर जिला स्तर के अधिकारियों से संबंधित अध्याय में विचार किया है। अतः हम यहां अलग से कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

1.75 अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप-1 के अधीन प्रभारी परिरक्षण केन्द्र (इंचार्ज प्रिजर्वेशन सेन्टर्स) का एक पृथक संवर्ग है। निदेशक ने यह सुझाव दिया कि इन पदों को वर्ग-२ के पदों में परिवर्तित कर दिया जाय। इन पदों को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने हेतु कोई औचित्य नहीं बताया गया है किन्तु इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि इस संवर्ग में वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) है। हम इस संवर्ग के लिये 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड की उपयुक्त व्यवस्था कर रहे हैं।

1.76 निदेशक ने विभिन्न पदों के लिये अबाध वेतनमान (रनिंग स्केल) बनाये जाने का सुझाव दिया किन्तु जिस अर्थ में उन्हें सामान्य रूप से समझा जा रहा है वे अबाध

वेतनमान (रनिंग स्केल) नहीं हैं । [illegible] लम्बी अवधि वाले वेतनमान हैं किन्तु चतुर्थ वर्ग के पदों को छोड़कर जिनके लिये वर्तमान 4 वेतनमानों के बदले में एक सामान्य वेतनमान बनाये जाने का सुझाव दिया गया है, प्रत्येक वर्तमान के लिये एक नया वेतनमान बनाये जाने का सुझाव दिया गया है । निदेशक ने वर्तमान ग्रुप-1, ग्रुप-2 के पदों के लिये एक सामान्य वेतनमान बनाये जाने का भी सुझाव दिया है। हमारे समक्ष जो साक्ष्य दिया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के पद विभिन्न स्तर के उत्तरदायित्वों के लिये बनाये गये हैं । अतः हम उनके विलयन के पक्ष में नहीं हैं । फिर भी चूंकि ग्रुप-2 के पदों के लिये अर्हता उद्यान कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री है अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि ग्रुप-1 के पदों पर सीधी भर्ती नहीं की जानी चाहिये और ये सभी पद ग्रुप-2 के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों से भरे जाने चाहिये ।

1.77 निदेशक ने लेखा लिपिक वर्ग और सांख्यकी से सम्बन्धित पदों तथा अन्य कोटि के पदों के वेतनमानों को भी पुनरीक्षित किये जाने का सुझाव दिया है । इसके विषय में हमने "सामान्य कोटि के पदों" से संबंधित अध्याय में विचार किया है ।

1.78 फिजियोलाजिकल बायो केमिस्ट का एक पद 450—850 रु0 के वेतनमान में है । निदेशक ने सुझाव दिया है कि यह पद 550—1200 रु0 के वर्तमान वेतनमान में होना चाहिये क्योंकि इस पद के लिये अर्हता और कार्य की अपेक्षायें वही हैं जो वर्ग-2 के अन्य अधिकारियों के लिये हैं । इस पद के लिये हम उसी वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं जिसकी संस्तुति हम जिला उद्यान अधिकारी के संबंध में कर रहे हैं ।

1.79 निदेशक ने यह भी संस्तुति की है कि सीनियर डिमान्सट्रेटर का पद (वर्तमान वेतनमान 300—550 रु0) 350—700 रु0 के वेतनमान में होना चाहिये क्योंकि इस पद के उत्तरदायित्व ग्रुप-1 के अन्य पदों के समान हैं । वह स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त हैं अतः हम निदेशक की इस बात से सहमत हैं कि उसे 570—1070 रु0 के पुनरीक्षित वेतनमान में रखा जाना चाहिये ।

1.80 पुनरीक्षित वेतनमान और सेलेक्शन ग्रेड जहां कहीं भी आवश्यक हैं, रिपोर्ट के एक पृथक भाग में दिये गये हैं ।

दुग्ध विकास विभाग

1.81 **दुग्ध विकास संगठन** 1975 तक सहकारी संगठन का एक अंग था दुग्ध विकास कार्य में पशुओं का विकास उनकी चिकित्सीय देखरेख और विपणन (मार्केटिंग) भी सम्मिलित है । इस संगठन के प्रधान दुग्ध आयुक्त हैं जो आई0 ए0 एस0 संवर्ग के वेतनमान (सीनियर स्केल) के अधिकारी हैं । उनकी सहायता के लिये मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला प्राविधिक अभियंता, दुग्धशाला विकास अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग हैं । इस विभाग में 668 कर्मचारी हैं जिनमें ग्रुप "घ" के 114 कर्मचारी सम्मिलित हैं । 1974 और 1979 में कर्मचारि-वर्ग का कोटि क्रमानुसार जो विभाजन था उसे नीचे दिया गया है :—

	1974	1979
ग्रुप "क"	3	11
ग्रुप "ख"	17	31
ग्रुप "ग"	423	512
ग्रुप "घ"	21	114
	464	668

1.82 उत्तर प्रदेश वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक संघ ने आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और विभाग के विभिन्न पदों के लिये निम्नलिखित वेतनमानों का सुझाव दिया :—

	(रु0)
1 कार्यालय चपरासी और अन्य समतुल्य पद	300—450
2 कनिष्ठ (जूनियर) लिपिक और अन्य समतुल्य पद	325—600
3 ज्येष्ठ (सीनियर) लिपिक/सहकारी पर्यवेक्षक और अन्य समतुल्य पद	350—700
4 उप लेखक और प्रालेखक (नोटर एंड ड्राफ्टर) प्रधान लिपिक और अन्य समतुल्य पद	450—900
5 वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक ग्रुप-2 और समतुल्य पद	450—900
6 वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षण और अन्य समतुल्य पद	600—1200
7 उप दुग्धशाला विकास अधिकारी और अन्य समतुल्य पद	700—1600
8 दुग्धशाला विकास अधिकारी और अन्य समतुल्य पद	1500—2000
9 अतिरिक्त दुग्ध आयुक्त	2000—2500
10 दुग्ध आयुक्त	3000

1.83 दुग्ध पर्यवेक्षक संघ ने भी आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और यह मांग की कि उनके 200—320 रु0 के वर्तमान वेतनमान को उन्नत करके 230—385 रु0 कर दिया जाय । उन्होंने ग्राम विकास विभाग के ग्राम सेवकों के समानता दिये जाने की मांग की । इस पद के लिये अर्हता

इंटरमीडियट (विज्ञान/कृषि) हैं। दुग्ध आयुक्त ने आयोग के समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

(1) दुग्ध पर्यवेक्षक का पद जो कि 200-320 रु0 के वेतनमान में हैं, 230-385 रु0 के वर्तमान वेतनमान में रखा जाना चाहिये, क्योंकि दुग्ध पर्यवेक्षक का बहुधन्धी कर्तव्य है जैसे दुग्ध संघों को संगठित करना, दुग्ध संग्रहण की देखभाल करना और दुग्ध विधायन (प्रोसेसिंग) का कार्य। दुग्ध पर्यवेक्षकों के संवर्ग में वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) है अतः उनके लिए सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(2) उप दुग्धशाला विकास अधिकारी 550—1200 रु0 के वेतनमान में हैं। उन्हें प्रयोजना भत्ता दिया जाना चाहिये क्योंकि उन्हें स्थापित किये जाने वाले नये दुग्ध प्रायोजना संवर्गों की देखभाल करनी पड़ेगी।

(3) दुग्धशाला विकास अधिकारी के संवर्ग में वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) को रोकने के लिये उनके 25 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जाने चाहिये।

(4) दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता को जो कि 1400—1800 के वेतनमान में हैं, अबाध वेतनमान (रनिंग स्केल) दिया जाना चाहिये जिसमें दक्षता रोक की व्यवस्था हो।

1.84 दुग्ध आयुक्त ने विभाग के विभिन्न पदों के लिये निम्नलिखित वेतनमानों का भी सुझाव दिया—

कोटि	वर्तमान वेतनमान (रु0)	प्रस्तावित वेतनमान रु0
कोटि—1	800–1,450 (दुग्धशाला विकास अधिकारी के लिये 25 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड)	1,2,00–1,900
2—वर्ग—2	550–1,200	900–1,600
3—ग्रुप—1	350–700	650–1,300
4—ग्रुप—2	280–460	500–1,000
5—ग्रुप—3	200–320 230–385	450–900
6—वर्ग—4	165–215	300–600
	(25 प्रतिशत पद–सेलेक्शन ग्रेड)	350–700
7—वैयक्तिक सहायक	500–750	850–1,350
8—प्रधान लिपिक/आशुलिपिक	300–500	600–1,100
9—प्रधान सहायक (हेड असिस्टेन्ट)	450–700	800–1,250
10—सेलेक्शन ग्रेड आशुलिपिक (25 प्रतिशत)	400–600	800–1,250

1.85 उत्तर प्रदेश वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक संघ ने आयोग के समक्ष मौखिक साक्ष्य में यह कहा कि वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक श्रेणी-1 (ग्रेड-1) के 85 पद हैं और दुग्ध निरीक्षक श्रेणी-2 (ग्रेड-2) के 24 पद हैं। संघ ने वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों के लिये वर्ग-2 के वेतनमान की मांग की है।

1.86 आयोग को जो विवरण पत्र उपलब्ध कराया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि दुग्धशाला प्राविधिक अभियंता के पद के लिये न्यूनतम विहित अर्हता यांत्रिक या विद्युत अभियंत्र (मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक की डिग्री है और इसके साथ ही बायलर, रिफ्रीजियेशन, डेरी प्लान्ट, वर्कशाप और डिजल जेनरेटर आदि का 10 वर्ष का अनुभव भी आवश्यक है। दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता इस समय उसी वेतनमान में हैं जो अभियंत्रण विभागों में अधीक्षण अभियन्ता (सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर) को अनुमन्य है। सहायक अभियन्ता की अधिशासी अभियन्ता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) के पद पर पदोन्नति तभी हो सकती है जबकि वह 7 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर लें और अधीक्षण अभियन्ता (सुपरिटेंडिंग इंजीनियर) के पद पर उसकी पदोन्नति तभी हो सकती है जबकि वह सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंता के रूप में कम से कम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ले। सिंचाई/सार्वजनिक निर्माण विभाग में दस वर्ष के अनुभव वाले किसी सहायक अभियन्ता की अधीक्षण अभियन्ता (सुपरिटेंडिंग इंजीनियर) के पद पर पदोन्नति सामान्यतया नहीं हो सकती। किन्तु दुग्ध विकास विभाग में दस वर्ष का अनुभव वाला कोई स्नातक अभियन्ता दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता के पद पर सीधे तैनात किया जा सकता है। हम यह महसूस करते हैं कि डेरी प्राद्योगिकी (टेक्नोलोजी) उत्तर प्रदेश में अभी शैशवास्था में हैं अतः संभवतः बहुत से अर्हता प्राप्त व्यक्ति इसकी ओर आकृष्ट नहीं होते हैं हम यह भी जानते हैं कि इस विभाग में कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर पदोन्नति किये जाने के लिये दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता आकांक्षा कर सके। अतः हम एकल (आइसोलेटेड) पदों के प्रतिरूप पर यह संस्तुति कर रहे हैं कि जब पदधारक अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाय तब उसे 100 रु0 की दर से द्विवार्षिक वेतन वृद्धियां दी जांय जिनकी संख्या अधिकतम पांच होगी।

1.87 जहां तक वरिष्ठ दुग्धशाला निरीक्षकों और दुग्ध निरीक्षकों की पदोन्नति की संभावनाओं का संबंध है, यह प्रश्न थोड़ा सा जटिल हो गया है क्योंकि वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों के संवर्ग में पदों की संख्या 85 है जबकि दुग्ध निरीक्षकों के केवल 24 पद हैं। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों के पद 350—700 रु0 के वेतनमान में हैं और दुग्ध निरीक्षकों के पद 280-460 रु0 के वेतनमान में हैं। दुग्ध आयुक्त ने यह सुझाव दिया है कि (1) वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों और दुग्ध निरीक्षकों के पद एक में विलीन कर दिये जायें (2) इसके विकल्प स्वरूप ग्रुप-1 के निरीक्षकों को 550—1200 रु0 का वेतनमान दिया जाय।

1.88 हमने इस प्रश्न पर दुग्ध आयुक्त से विस्तार से विचार किया। दोनों पदों को एक में विलीन किये जाने की बात पदों को उन्नत किये जाने से (अपग्रेडिंग) से बिल्कुल भिन्न है। 26 जिलों में वेतनमान 550—1200 रु0 में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी हैं और इसके अलावा दुग्धशाला विकास अधिकारी के 8 पद हैं जो 800—1450 रु0 के वेतनमान में हैं। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों में से भरे जाते हैं और दुग्धशाला विकास अधिकारी के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की पदोन्नति के लिये कुल जितनी संख्या में उच्चतर पद उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुये हम यह संस्तुति करते हैं कि वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 10 प्रतिशत पदों के लिये सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय किन्तु दुग्ध निरीक्षकों के लिये वृद्धि-रोध (स्टैगनेशन) की कोई समस्या नहीं है। विचार विमर्श के दौरान यह कठिनाई सामने आयी कि ग्रुप-1 के पदों की तुलना में ग्रुप-2 के पदों की संख्या बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप दुग्ध निरीक्षकों की वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति बहुत जल्दी हो जाती है किन्तु वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों की पदोन्नति उतनी जल्दी नहीं हो पाती। दोनों पदों अर्थात वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों और दुग्ध निरीक्षकों के पदों के एक में विलीन कर दिये जाने से समस्या हल नहीं होगी क्योंकि इन दोनों पदों के उत्तरदायित्व का स्तर भिन्न-भिन्न है। दुग्ध आयुक्त ने यह संकेत दिया है कि वे भविष्य में दुग्ध निरीक्षकों के और अधिक पद सृजित करेंगे। जैसे ही नये संयंत्र (प्लान्ट) स्थापित किये जायं या नये क्षेत्रों में कार्य चालू किया जाय, विभाग उचित संवर्ग व्यवस्था के लिये भविष्य में दुग्ध निरीक्षकों के पद सृजित किये जाने के बारे में विचार कर सकता है।

1.89 दुग्ध आयुक्त ने 11 जनवरी, 1980 के अपने पत्र में आयोग को यह सूचित किया कि मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी का एक पद है जो 750—1400 रु0 के वेतनमान में है। पिछले उत्तर प्रदेश वेतन आयोग ने इस पद के बारे में विचार नहीं किया क्योंकि यह पद आस्थागित था दुग्ध आयुक्त ने यह सुझाव दिया है कि यह परिकल्पना करके कि यदि यह पद आस्थगित न होता तो इस आस्थागित पद का वेतनमाम 1-8-1972 से पुनरीक्षित करके रु0 1200—1800 किया गया होता, इस पद को 1600—2500 रु0 का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाय। यह एक परिकल्पना मात्र है जिसका कोई आधार नहीं है। यह पद 1972 से आस्थगित है और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये विद्यमान नहीं है। हम इस पद के लिये किसी वेतनमान की संस्तुति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पद अभी पुनर्जीवित (रिवाइव) नहीं किया गया है।

1.90 जहां तक राजकीय दुग्ध पर्यवाक्षकों के वेतनमानों का संबंध है, वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ पर्यवेक्षक दुग्ध सहकारिता के संगठन कार्य में लगे हुये हैं, कुछ पर्यवेक्षक दुग्ध उत्पादन कार्य में लगे हुये हैं और कुछ पर्यवेक्षक विधायन संयंत्रों में (प्रोसेसिंग प्लान्ट) से सम्बद्ध हैं।

1.91 उत्तर प्रदेश में दुग्धोद्योग एक अपेक्षाकृत नया उद्योग है और प्रस्तावित "दुग्ध क्रांति" के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षक इस विभाग का मूल कर्मचारी है और उसे अच्छा कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। अतः हम दुग्ध पर्यवेक्षक के लिये ग्राम सेवक के बराबर उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं। हम इस पद के लिये दो कारणों से सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति नहीं कर रहे हैं। (क) पर्यवेक्षक का वेतनमान उन्नत किया जा रहा है, और (ख) विभाग ने ग्रुप-2 के निरीक्षकों की काफी संख्या में भर्ती किये जाने का प्रस्ताव किया है जिससे पर्यवेक्षकों को प्रोन्नति के अच्छे अवसर उपलब्ध हो जायेंगे।

1.92 जहां तक आशुलिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक जैसे अन्य पदों के वेतनमानों का संबंध है, हमने इन पदों के बारे में "सामान्य कोटि के पदों" से संबंधित अध्याय में विचार किया है। जहां कहीं आवश्यक है सेलेक्शन ग्रेड सहित पुनरीक्षित वेतनमान, रिपोर्ट के भाग-2 में दिये गये हैं।

1.93—सरकारी दुग्धशाला आगरा के दुग्धशाला सहायक अभियन्ता ने हमें इस आशय का अभ्यावेदन किया कि उसका वेतनमान जो इस समय 280-460 रु0 है, पुनरीक्षित करके 550-1200 रु0 किया जाना चाहिए क्योंकि वह इसी पद पर 1964 से कार्य कर रहा है और उसकी पदोन्नति की कोई संभावनायें नहीं हैं। वह डिपलोमा प्राप्त अभियन्ता है अतः हम उसे वही वेतनमान दिये जाने की संस्तुति कर रहे हैं जो कि अन्य विभागों में अवर अभियन्ताओं को दिये गये हैं।

मत्स्य विभाग

1.94 1946 तक मत्स्य विकास पशुपालन विभाग के अधीन था। 1947 में पृथक रूप से मत्स्य विभाग सृजित किया गया और मत्स्य विकास अधिकारी को उसका प्रधान बनाया गया। 1 अक्टूबर, 1950 से यह विभाग पुनः पशुपालन निदेशक के अधीन रखा गया है। किन्तु, 1965 से यह विभाग पुनः पृथक किया गया और 1966 में मत्स्य निदेशालय सृजित किया गया। यह विभाग मत्स्य अनुसंधान विकास और विपणन (मार्केटिंग) के लिये उत्तरदायी है। इस विभाग में कुल मिलाकर 1795 कर्मचारी हैं जिनमें ग्रुप "घ" के 1052 कर्मचारी सम्मिलित हैं। इन कर्मचारियों का कोटि क्रमानुसार विभाजन नीचे दिया गया है :

	1974	1979
ग्रुप "क"	7	9
ग्रुप "ख"	37	39
ग्रुप "ग"	618	695
ग्रुप "घ"	941	1052
	1603	1795

1.95 इस विभाग के कर्मचारियों के संबंध में निम्न-लिखित मांगें की गई हैं—

(1) प्रयोगशाला सहायकों (लेबोरेटरी असिस्टेन्ट्स) को जिनकी अर्हता और ड्यूटी वही है जैसा कि अन्य विभागों में है, वही वेतनमान मिलना चाहिये जो कि अन्य विभागों में प्रयोगशाला सहायकों के अनुमन्य है। इस विभाग में प्रयोगशाला सहायकों की अर्हता और भर्ती की रीति और कार्य की अपेक्षायें यद्यपि कि एक सी हैं, फिर भी उनके दो भिन्न-भिन्न वेतनमान अर्थात 200—320 रु0 और 185—265 रु0 हैं। यह असमानता दूर की जानी चाहिये।

(2) मछुवे को चतुर्थ वर्ग के साधारण कर्मचारी की अपेक्षा उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिये।

(3) भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवरों के वेतनमान एक समान होने चाहिये।

(4) फरमैन और आशुलिपिकों के पद तथा लिपिक वर्गीय पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का वृद्धि-रोध (स्टेगनेशन) हो रहा है अतः उन्हें वृद्धिरोध संबंधी वेतन वृद्धियां (स्टेगनेशन इंक्रीमेन्ट) दी जानी चाहिये।

1.96 प्रयोगशाला सहायक के पद "सामान्य कोटि के पदों के अन्तर्गत आते हैं जिनके बारे में हमने पृथक रूप से विचार किया है। इसी प्रकार लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग और आशुलिपिकों के वेतनमानों के बारे में पृथक रूप से विचार किया गया है। अतः इन पदों के संबंध में पृथक रूप से कोई संस्तुति नहीं की जा रही है।

1.97 मत्स्य विभाग के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने हमें जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने यह मांग की है कि मछुवे को उच्चतर वेतनमान दिया जाय। निदेशक ने भी लिखित रूप में तथा आयोग के समक्ष दिये गये अपने मौखिक साक्ष्य में यह कहा है कि मछुवों का कार्य बहुत दुष्कर है और उनके पद की आवश्यकतायें प्राविधिक प्रकार की हैं। मत्स्य विभाग के कार्यकरण में उसका योगदान महत्वपूर्ण है।

1.98 इस विभाग से जो विवरण पत्र प्राप्त हुआ है उससे यह प्रतीत होता है कि मछुवे, फिश गार्ड, नेट मेकर और फील्ड मैन के पदों के लिये आधारिक अर्हता यह है कि उन्हें हिन्दी पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिये। उनके लिये यह भी अपेक्षित है कि वे तैरना जानते हों और उन्हें मछली पकड़ने और विशेष रूप से मछली पालने, जाल बनाने आदि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान हो इस पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता वही है जो अकुशल कार्मिक के लिये है।

1.99 सामान्यतया उनके वेतनमान को पुनरीक्षित करके बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है किन्तु दुष्कर प्रकार के उनके कार्य को देखते हुये तथा इस बात को भी देखते हुये कि उन्हें किन कठिन स्थितियों में कार्य करना पड़ता है हम उनके मामले को अपवाद स्वरूप मान रहे हैं और यह संस्तुति कर रहे हैं कि उन्हें अगला उच्चतर वेतनमान दिया जाय। यह संस्तुति करते समय हमें इस बात की जानकारी है कि वे समाज के अत्यधिक पिछड़े हुये आर्थिक वर्ग के हैं।

1.100 राज्य मुख्यालय पर ऐसे पद हैं जिनका पदनाम सहायक निदेशक है और जो 550—1200 रु0 के वेतनमान में हैं। उनका वेतनमान उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971—73) के पूर्व 250—750 रु0 था जो आयोग द्वारा पुनरीक्षित करके 450-950 रु0 किया गया और जो तत्पश्चात् असंगति समिति की संस्तुति पर पुनरीक्षित करके 1-10-1975 से 550—1200 रु0 किया गया। 24 पद ऐसे हैं जिनका पदनाम क्षेत्रीय सहायक निदेशक है। ये अधिकारी उन जिलों में तैनात किये गये हैं जहां मछली पकड़ने का कार्य व्यापक रूप से प्रारम्भ किया गया है और इन पदों का पदनाम यद्यपि सहायक निदेशक है फिर भी ये जिला स्तर के पद की तरह हैं। हमें इन पदों को राज्य मुख्यालय के पदों के समान मानने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। हम इनके लिये 770—1600 रु0 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

1.101 निदेशक से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसमें मैकेनिक फोरमैन के पद पर वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) होने का प्रश्न भी उठाया गया है। मैकेनिक फोरमैन 350—700 रु0 के वेतनमान में हैं। इस विभाग में मैकेनिक फोरमैन का केवल एक ही पद है। इस पद के लिये अर्हता आटोमोबाइल्स में 2 वर्ष का डिप्लोमा है। सामान्यतया इस पद के लिये वेतनमान 300—500 रु0 होना चाहिये था, उसे पहले ही 350—700 रु0 का उच्चतर वेतनमान दिया जा चुका है। हमें इस पद को उन्नत (अपग्रेड) करने या इसके लिये सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।

1.102 जहां तक आशुलिपिकों, लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों, ड्राइवरों आदि जैसे सामान्य कोटी के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की वृद्धिरोध (स्टेगनेशन)/पदोन्नति के प्रश्न का सम्बन्ध है हमने इस विषय पर 'सामान्य कोटि' के पदों से संबंधित अध्याय में विचार किया है।

क्षेत्रीय विकास परियोजना समादेश

(कमान्ड एरिया डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स)

1.103 पिछले दो दशकों में सिंचाई की तीन प्रमुख योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया है। ये हैं राम गंगा, शारदा सहायक और गंडक। शारदा सहायक परियोजना अगले वर्ष तक में पूर्ण हो जाने की आशा है तथा शेष दो परियोजनायें पूर्ण रूप से कार्यादिष्ट (कमीशन) की जा चुकी हैं। सिंचाई

की उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना कृषि विकास की हमारी योजना के लिये नितान्त आवश्यक है। सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रीय समादेश में क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों को तेज किये जाने के लिए तीन स्वशासी विकास प्राधिकरण सृजित किये गये थे जिनका नाम क्षेत्रीय विकास परियोजना समादेश प्राधिकरण रखा गया। इन क्षेत्रीय समादेशों में वरिष्ठ अधिकारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं। अधिकांश अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग भी विभिन्न विकास विभागों से लिये गये हैं, किन्तु कुछ निम्नतर पदों पर इन प्राधिकरणों के प्रशासकों द्वारा सीधी भर्ती भी की गई है। ये पद अधीनस्थ प्राविधिक सामान्य तथा लिपिक वर्गीय पद हैं। यह सभी पद सामान्य कोटि के पद हैं अतः हम यहां उन पर पृथक से विचार नहीं कर रहे हैं।

1.104 पुनरीक्षित वेतनमान तथा जहां कहीं आवश्यक है वहां सेलेक्शन ग्रेड, इस खंड के भाग-2 में दिये गये हैं।

1.105 इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने यह सुझाव दिया है कि कृषि उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कृत्यकारियों के कृत्यों की परस्पर व्यापिता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये। ग्राम्य विकास विभाग का काफी विस्तार हो चुका है। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रत्येक खंड में व्यय करने के लिये जो धनराशि उपलब्ध होती है वह अब काफी अधिक है। खंड विकास अधिकारी को अपना अधिक समय क्षेत्र में ही लगाना चाहिये। अतः यह आवश्यक है कि इस बात का परीक्षण कर लिया जाय कि क्या वर्तमान स्थिति में खंड विकास अधिकारी को खंड स्तर पर निधियों एवं कर्मचारिवर्ग की देखरेख करने के लिये कुछ सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। हमने इसका विस्तृत परीक्षण नहीं किया है। खंड स्तर पर कर्मचारिवर्ग के ढांचे के प्रश्न की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रबन्ध को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसी प्रकार की समीक्षा कृषि उत्पादन आयुक्त के कार्यालय के स्तर पर भी की जानी चाहिये। यह आवश्यक है कि जहां कहीं आवश्यक हो क्षेत्रीय संगठन (सचिवालय संगठन से भिन्न) पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किये जायं।

अध्याय–दो

वन विभाग

वन विभाग के विभागाध्यक्ष मुख्य अरण्यपाल हैं और उनकी सहायता के लिये अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल तथा अरण्यपाल हैं। ये सभी पद भारतीय वन सेवा के संवर्ग के हैं जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

2.2 1-4-1974 तथा 1-4-1979 को राज्य संवर्ग में जो कर्मचारिवर्ग था उसकी संख्या नीचे दी गई है—

	1-4-1974	1-4-1979
1—ग्रुप "क"	16	15
2—ग्रुप "ख"	104	133
3—ग्रुप "ग"	3618	4359
4—ग्रुप "घ"	7213	8329
	10951	12836

2.3 वन विभाग के विभिन्न सेवा संघों ने अपनी मांगों के संबंध में अपना-अपना ज्ञापन भेजा और अपनी मांगों के संबंध में वे आयोग के समक्ष उपस्थित भी हुए इनकी मांगों को संक्षेप में इसके पश्चात दिया गया है—

उत्तर प्रदेश वन सेवा संघ

2.4 इस संघ ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक सेवा में पदोन्नति के कम से कम दो अवसर उपलब्ध होने चाहियें और 10 वर्षों की अवधि का समय वेतनमान (टाइम स्केल) होना चाहिये। उसने यह भी सुझाव दिया है कि साधारण ग्रेड के 25 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड होना चाहिये। यह मांग भी की गयी कि उत्तर प्रदेश वन सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों की भांति प्रोन्नति पाकर आये अधिकारियों को भी अग्रिम वेतनवृद्धि की सुविधा दी जाय।

अधीनस्थ वन सेवा संघ

2.5 वन राजिक (रेंजर) उप वन राजिक (डिप्टी रेंजर) वनविद् (फारेस्टर), प्लानटेशन जमादार, मोहर्रिर, वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड) नायक, वन्य जीव रक्षक (वाइल्ड लाइफ गार्ड) और अन्य पदों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संघ ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

(1) विभिन्न पदों का वेतनमान निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाना चाहिये—

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रतावित वेतनमान रु0
(क) वन विद् (फारेस्ट)	200—320	250—425
(ख) उप वन राजिक (डिप्टी रेंजर)	250—425	300—500
(ग) वन राजिक (रेंजर)	350—700	400—750
(घ) वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड)	175—250	200—320
((ङ) प्लान्टेशन जमादार/ मोहर्रिर	185—265	230—385

(2) नियत भत्ता बढ़ाया जाना चाहिये और उसका भुगतान निम्नलिखित दर से किया जाना चाहिये—

पद का नाम	मैदानों में	पहाड़ों में
(क) वन राजिक (रेन्जर)	75 रु0 प्रतिमास	100 रु0 प्रतिमास
(ख) उप वन राजिक (डिप्टी रेन्जर)	50 रु0 प्रतिमास	75 रु0 प्रतिमास
(ग) वन विद् (फारेस्टर)	40 रु0 प्रतिमास	85 रु0 प्रतिमास
(घ) वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड)/ प्लान्टेशन जमादार	25 रु0 प्रतिमास	40 रु0 प्रतिमास

(3) वन राजिक (रेन्जर), उप वन राजिक (डिप्टी रेन्जर), वन विद् (फारेस्टर), वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड),, प्लान्टेशन जमादार/मोहर्रिर को प्रतिमास क्रमशः 75 रु0, 50 रु0, 40 रु0 और 25 रु0 की दर से विशेष वेतन दिया जाना चाहिये।

(4) पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं उनमें काफी वृद्धि की जानी चाहिये।

वन प्राविधिक सहायक संघ

2.6 इस संघ ने यह मांग की कि सिविल ड्राफ्ट्समैन का वेतनमान मेकैनिकल ड्राफ्ट्समैन के

वेतनमान के समान होना चाहिये अर्थात सिविल ड्राफ्ट्समैन का वेतनमान 280—460 रु0 से बढ़कर 325—575 रु0 किया जाना चाहिये। पिछले वेतन आयोग ने डिप्लोमा प्राप्त ड्राफ्ट्समैन के लिये तथा आई0 टी0 आई0 सर्टीफिकेट प्राप्त ड्राफ्टसमैन के लिये 280—460 रु0 का सामान्य वेतनमान दिया। संघ ने यह मांग की कि आई0 टी0 आई0 सर्टीफिकेट प्राप्त ड्राफ्टसमैन के वेतन का निर्धारण नये वेतनमान में उस दिनांक से किया जाय जब से वे उस पद पर नियुक्त किये गये थे।

2.7 मुख्य अरण्यपाल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये—

(1) जिन वन राजिकों (रेन्जरों) की पदोन्नति सहायक अरण्यपाल के पद पर की जाय उन्हें सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों के समान 550—1200 रु0 के वेतनमान में एक अग्रिम वेतन वृद्धि दी जानी चाहिये;

(2) प्रधान सहायक (हेड असिस्टेन्ट) का वेतनमान 400—550 रु0 है जब कि प्रभागीय लेखाकार का वेतनमान 325—575 रु0 है। प्रभागीय लेखाकार प्रधान सहायक के अधीनस्थ है इसीलिये प्रधान सहायक के वेतनमान की अधिकतम धनराशि प्रभागीय लेखाकार के वेतनमान की अधिकतम धनराशि से अधिक होनी चाहिये;

(3) वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड) के कर्तव्य अत्यन्त दुष्कर हैं, अतः उनके वेतनमान पुलिस कान्सटेबुल के वेतनमान के समान होने चाहिये;

(4) उप अरण्यपालों के तथा उन अधिकारियों के जो सीधे वन राजिक (रेन्जर) के पद पर भर्ती किये जाते हैं, संवर्ग में वृद्धिरोध है और सहायक अरण्यपाल के पद पर तथा तत्पश्चात उप अरण्यपाल के पद पर पदोन्नति किये जाते हैं। वन राजिक (रेन्जर्स) (सीधे भर्ती किये गये) के लिये सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जाना चाहिये;

(5) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को (जो भारतीय वन सेवा संवर्ग में न हों) 800—1450 रु0 के वेतनमान में भी कुछ पद उपलब्ध कराये जाने चाहिये;

(6) आई0 टी0 आई0 से सर्टीफिकेट प्राप्त तथा डिप्लोमा प्राप्त सर्वेयर क्रमशः 230—385 रु0 और 300—500 रु0 के वेतनमान में हैं। यह सुझाव दिया गया कि जो सर्वेयर आई0 टी0 आई0 से सर्टिफिकेट प्राप्त किये हुए हैं उनका वेतनमान 280—460 रु0 होना चाहिये;

(7) वन विभाग के प्रचार प्रभाग में जो फोटोग्राफर हैं उनका वेतनमान 230—385 रु0 है। उसका वेतनमान बढ़ा कर सूचना विभाग के फोटोग्राफर के बराबर किया जाना चाहिये।

2.8 अन्त में मुख्य अरण्यपाल ने यह कहा कि यदि वन विभाग के विभिन्न कृत्यकारियों के वेतनमानों को पुलिस विभाग के या राजस्व विभाग के वेतनमानों के समान करना संभव हो तो यह बहुत ही अच्छा होगा।

2.9 विभिन्न सेवा संघों के ज्ञापन में और उनके तथा मुख्य अरण्यपाल और सरकार के वन विभाग के सचिव के मौखिक साक्ष्य में जो बातें उठाई गईं उन पर नीचे विचार किया गया है—

(क) जहां तक प्रभागीय लेखाकार और प्रधान सहायक (हेडअसिस्टेन्ट) का सम्बन्ध है, हम यह महसूस करते हैं कि दोनों पद लगभग स्वतंत्र प्रकार के हैं। विभागीय लेखाकार, प्रधान सहायक (हेड असिस्टेन्ट) के अधीन नहीं होना चाहिये। अतः इस के आधार पर प्रधान सहायक के वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यह सुझाव है कि वन विभाग में प्रभागीय लेखाकार का पद उसी प्रकार भरा जाना चाहिये जिस प्रकार से सिंचाई/सार्वजनिक निर्माण विभाग में भरा जाता है।

(ख) वेतन आयोग (1971-73) से पूर्व वन राजिक (रेन्जर) का वेतनमान 180—380 रु0 था। इस वेतनमान का सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेन्ट 325—575 रु0 होना चाहिये था। इस पद के महत्व को देखते हुये इसके वेतनमान को उन्नत करके 350—700 रु0 कर दिया गया जिसे हम पर्याप्त समझते हैं। तहसीलदार और रेन्जर के कार्य और उत्तरदायित्व में शायद ही कोई समानता है।

(ग) वेतन आयोग (1971-73) के पूर्व उप वन राजिक (डिप्टी रेन्जर) का वेतनमान 120—220 रु0 था जिसे वेतन आयोग ने पुनरीक्षित करके 230—385 रु0 कर दिया और असंगति समिति ने पुनरीक्षित करके 250—425 रु0 कर दिया। यह पद वनविदों (फारेस्टर) में से जो कि 200—320 रु0 के वेतनमान में हैं, शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। सामान्यतया 200—320 रु0 के वेतनमान वाले पद के लिये पदोन्नति का वेतनमान 230—385 रु0 होना चाहिये था, किन्तु सरकार उप वन राजिक (डिप्टी रेन्जर) के पद को जो महत्व देती है उसे देखते हुये इसके वेतनमान को उन्नत करके 250—425 रु0 कर दिया गया। हमें उप वन राजिक (डिप्टी रेन्जर) के वेतनमान को और उन्नत किये जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

(घ) वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड) और वनविद् (फारेस्टर) के संवर्ग की मुख्य समस्या यह है कि उनमें पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड्स) की कुल संख्या 3762 है जबकि [illegible]/मोहर्रिर की कुल संख्या 1366

हैं। बनविदों के कुल पदों की संख्या 1311 हैं। इनमें से 75 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। मोहरिर/प्लान्टेशन जमादार के 50 प्रतिशत पद भी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, अतः वनविद (फारेस्टर) के संवर्गों में कुछ वृद्धिरोध है और इसकी तुलना में वनरक्षकों (फारेस्ट गार्ड) के स्तर पर अत्यधिक वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) है। हम यह संस्तुति करते हैं कि सामान्य शर्तों के अधीन वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड्स) के 20 प्रतिशत पदों और बनविद् (फारेस्टर) के 10 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय। वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड) का वेतन-मान बढ़ाकर 325—495 रु0 किया जा रहा है क्योंकि वह वन सम्पदा की रक्षा करने में उल्लेखनीय योगदान देता है।

(ङ) जहां तक फोटोग्राफर के वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने का प्रश्न है, सूचना विभाग में प्रचार (पब्लिसिटी) से सम्बन्धित जो पद है उनकी तुलना यहां के पद से और विभागीय प्रचार (पब्लिसिटी) से संबंधित सूचना विभाग के पद से नहीं की जा सकती है। सूचना विभाग एक विशेषीकृत (स्पेशलाइज्ड) विभाग है अतः यह स्वाभाविक है कि वहां अधिक विशेषीकृत निपुणता उपलब्ध होनी चाहिये। वन विभाग में फोटोग्राफर का जो वेतनमान है उसकी तुलना सूचना विभाग में इसी प्रकार के पदनाम वाले पद के वेतनमान से नहीं की जा सकती है। फिर भी यह सामान्य कोटि का पद है अतः इस के बारे में सामान्य कोटि के अन्य पदों के साथ विचार किया गया है।

(च) डिवीजनल और सर्किल कार्यालयों की लिपिक सेवाओं में वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) के प्रश्न पर भी विचार किया गया है और उसके बारे में सामान्य कोटि के पदों से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है। इसी प्रकार नियत यात्रा भत्ता और विशेष वेतन से संबंधित प्रश्न पर संगत अध्यायों में विचार किया गया है।

(छ) जहां तक सहायक अरण्यपाल के पद पर पदोन्नति पाये हुये वन राजिकों (रेन्जर्स) के वेतन निर्धारण का प्रश्न है, इसका सम्बन्ध वेतनमान से नहीं है। पदोन्नति पाये हुये कर्मचारी के वेतन का निर्धारण उस विषय से सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जाता है और किसी विशेष मामले में विभेद करना उचित नहीं है।

(ज) वन विभाग में प्रभागीय वन अधिकारियों के 156 पद हैं, जिनमें से 38 पद प्रदेशीय वन सेवा के अधिकारियों के लिये आरक्षित हैं, जिनमें वे अधिकारी भी सम्मिलित हैं जिनकी पदोन्नति वन राजिकों (रेन्जर्स) के संवर्ग से होती है। सहायक अरण्यपाल के पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्त होने और पिछले 10-12 वर्षों की अवधि में सहायक अरण्यपाल के संवर्ग में रेन्जरों की बहुत काफी पदोन्नति होने से यह संभावना है कि भविष्य में सहायक अरण्यपाल के संवर्ग में कुछ वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) हो जाय। विभाग ने इस बात के लिये जोर दिया है कि 800—1450 रु0 के वेतनमान में पदोन्नति वाले कुछ पद सृजित किये जांय जैसा कि अन्य संवर्गों में है जहां कि राज्य अधिकारियों की पदोन्नति अखिल भारतीय सेवाओं में की जाती है। इस समय सात सहायक अरण्यपाल 800—1450 रु0 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। जिन विभागीय अधिकारियों ने इस विषय में हमसे विचार विमर्श किया उन्होंने यह महसूस किया कि वन्य जीव अभिरक्षक (वाइल्ड लाइफ वार्डेन) जैसे कतिपय पदों पर जिन पर इस समय प्रभागीय वन अधिकारी (डी0 एफ0 ओ0) कार्यरत हैं, ऐसे सहायक अरण्यपाल को रखा जा सकता है जो कि सीनियर वेतनमान में हैं। भारतीय वन सेवा संवर्ग हमारे विचार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है अतः हम कोई निश्चित संस्तुति करने में असमर्थ हैं किन्तु हम सरकार को यह सुझाव देंगे कि वह इस विषय में विचार करें और यदि अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्व के पदों को निश्चित किया जा सके तो उन पर प्रदेशीय वन सेवा के अधिकारियों को रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उस समय तक जब तक कि इन अपेक्षाकृत अधिक दायित्व वाले पदों को निश्चित किया जा सके और उन पर पद-धारी तैनात किये जांय, साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों पर सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति की जाती है।

(झ) हमने सर्वेयर के पद की अर्हताओं और उनके कार्य की अपेक्षाओं के प्रसंग में उनके वेतनमान के प्रश्न का परीक्षण किया है। विभागीय अधिकारियों से हमने जो विचार विमर्श किया है उससे यह स्पष्ट है कि सर्वेयर के पद के लिये सर्टीफिकेट की अर्हता पर्याप्त है। अतः हम यह संस्तुति कर रहे हैं कि—

(क) भविष्य में केवल सर्टीफिकेट प्राप्त व्यक्ति ही इस पद पर 400—615 रु0 के वेतनमान में भर्ती किये जांय।

(ख) डिप्लोमा प्राप्त किये हुये ऐसे व्यक्ति जो सर्वेयर के पद पर उच्चतर वेतनमान में पहले से कार्य कर रहे हैं, वे उच्चतर वेतनमान में कार्य करते रहे और वह उच्चतर वेतनमान उन्हें वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य होगा।

(ग) पुनरीक्षित वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड जहां कहीं आवश्यक है, इस खण्ड के भाग 2 में

अध्याय तीन

गन्ना और चीनी विभाग

गन्ना विभाग

इस विभाग में ग्रुप "घ" के 3793 कर्मचारियों सहित कुल 6646 कर्मचारी हैं। कर्मचारियों का कोटि क्रमानुसार विभाजन नीचे दिया गया है—

	1974	1979
ग्रुप "क"	20	29
ग्रुप "ख"	48	87
ग्रुप "ग"	2567	2737
ग्रुप "घ"	3770	3793
	6405	6646

3.2 गन्ना विभाग से सम्बन्धित विभिन्न सेवा संघों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें कीं—

(1) अतिरिक्त गन्ना आयुक्त का वेतनमान 1600—2000 रु. होना चाहिये जैसा कि अन्य विभागों में अतिरिक्त विभागाध्यक्षों को अनुमन्य हैं।

(2) इस विभाग के सभी कोटी के कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये जाने चाहियें।

(3) गन्ना पर्यवेक्षक के सेलेक्शन ग्रेड (250—425 रु0) में और गन्ना विकास निरीक्षक के साधारण वेतनमान (280—460 रु0) में यह असंगति है कि यदि सेलेक्शन ग्रेड के किसी गन्ना पर्यवेक्षक की 375 रु0 के प्रक्रम पर गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाती है तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि 10 रु0 से घट कर 9 रु0 रह जाती है। यह असंगति दूर की जानी चाहिये।

(4) गन्ना विभाग के गन्ना ग्राम सेवक को वही वेतनमान मिलना चाहिये जो ग्राम विकास विभाग के ग्राम सेवक को अनुमन्य है।

(5) गन्ना पर्यवेक्षक का वेतनमान वही होना चाहिये जो राजस्व विभाग के सुपरवाइजर कानूनगो का है।

3.3 उत्तर प्रदेश गन्ना सेवा संघ ने गन्ना विभाग के विभिन्न पदों के लिये निम्नलिखित वेतनमानों का प्रस्ताव किया—

	रु0
(1) चपरासी	500—575
(2) जमादार, दफ्तरी	550—640
(3) प्राविधिक कर्मचारी	525—700
(4) कनिष्ठ उपलेखक एवं प्रालेखक (जूनियर नोटर एण्ड ड्राफ्टर),	700—1050
(5) ज्येष्ठ (सीनियर) उपलेखक एवं प्रालेखक/गन्ना पर्यवेक्षक	800—1250
(6) प्रधान लिपिक/गन्ना विकास निरीक्षक	900—1275
(7) लेखाकार/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	1000—1425
(8) जिला गन्ना अधिकारी/लेखा अधिकारी	1425—1875
(9) सहायक गन्ना आयुक्त	1550—2075
(10) उप गन्ना आयुक्त	1600—2175
(11) संयुक्त गन्ना आयुक्त	2000—2500
(12) अतिरिक्त गन्ना आयुक्त	2500-3000

3.4 उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक संघ ने यह सुझाव दिया है कि विभाग में केवल 8 वेतनमान होने चाहियें। उसने यह सुझाव दिया है कि अतिरिक्त गन्ना आयुक्त और संयुक्त गन्ना आयुक्त के पदों को एक में मिला दिया जाय और इसी प्रकार उप गन्ना आयुक्त और सहायक गन्ना आयुक्त के पद को एक में मिला दिया जाय। इसी प्रकार यह सुझाव दिया गया है कि लेखा अधिकारियों और सहायक लेखा अधिकारियों को वही वेतनमान दिये जायें जो जिला गन्ना अधिकारी और सीड प्रोडक्शन अधिकारी को अनुमन्य हैं। इसी प्रकार निम्नस्तर पर गन्ना विकास निरीक्षक के पद का वेतनमान सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षक, असिस्टेन्ट प्रोजेक्ट आफिसर

प्रचार निरीक्षक आदि के वेतनमान के समान किये जाने का सुझाव दिया गया है। उक्त संघ ने यह भी सुझाव दिया है कि दफ्तरी, जमादार, ड्राइवर और गन्ना ग्राम संवक के लिये एक ही वेतनमान होना चाहिये।

3.5 गन्ना ग्राम संवकों ने यह मांग की है कि गन्ना पर्यवेक्षक की अर्हतायें वही हैं जो गन्ना ग्राम संवकों की हैं अतः उन्हें एक ही वेतनमान में होना चाहिये।

3.6 अतिरिक्त गन्ना आयुक्त का वेतनमान इस समय 1200—1800 रु0 है और संयुक्त गन्ना आयुक्त का वेतनमान 1150—1700 रु0 है। संयुक्त गन्ना आयुक्त का वेतनमान संयुक्त कृषि निदेशक के वेतनमान के समान है जब कि अतिरिक्त गन्ना आयुक्त का वेतनमान (1200—1800 रु0) अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियों के वेतनमान के समान है किन्तु अतिरिक्त निदेशक कृषि और अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन (1600—2000 रु0) से कम है। संयुक्त गन्ना आयुक्त का वेतनमान वेतन असंगति समिति के द्वारा पुनरीक्षित करके 1150—1700 रु0 किये जाने के पूर्व 900—1600 रु0 था। अतिरिक्त गन्ना आयुक्त का वेतनमान आरम्भ में 1150—1700 रु0 था जो बाद में पुनरीक्षित करके 1200—1800 रु0 किया गया था। हमें निम्नतर वेतनमान रखे जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता जो कि 1800 रु0 पर सम्भवतः इसलिये सीमित रखा गया है कि गन्ना आयुक्त का वेतनमान इस समय 1200—2000 रु0 है। गन्ना आयुक्त आई0 ए0 एस0 संवर्ग के हैं अतः उनका अपना वेतनमान है। इसलिये हमने अतिरिक्त गन्ना आयुक्त के लिये उसी वेतनमान की संस्तुति की है जो कि अतिरिक्त कृषि निदेशक को अनुमन्य है।

3.7 गन्ना पर्यवेक्षक की तुलना में गन्ना ग्राम संवक के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रश्न पर गन्ना आयुक्त से विस्तार में विचार किया गया। गन्ना ग्राम संवक (185—265 रु0) का पदनाम पहले गन्ना कामदार था और वह गन्ना पर्यवेक्षक (230—385 रु0) के अधीन कार्य किया करते थे।

3.8 गन्ना आयुक्त ने जो सूचना दी है उसके अनुसार गन्ना ग्राम संवक के पद के लिये निर्धारित अर्हता हाई स्कूल या उसके समतुल्य परीक्षा है। गन्ना पर्यवेक्षक की आधारिक अर्हता इंटरमीडियट (कृषि) या उसके समतुल्य परीक्षा या हाई स्कूल तथा कृषि में दो वर्ष का डिप्लोमा है। गन्ना ग्राम संवक और गन्ना पर्यवेक्षक के कर्त्तव्यों का जो चार्ट है उससे यह विदित होता है कि गन्ना ग्राम संवक गन्ना ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है और वह प्रगति रिपोर्ट तैयार करने, गन्ना क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिये उत्तरदायी है, गन्ना पर्यवेक्षक पौधों के संरक्षण निवेश (इन्पुट) गोदाम के लिये उत्तरदायी है और वह गन्ना ग्राम संवकों के क्षेत्रों में पौधशालाओं के लिये भी उत्तरदायी है। विभाग ने दोनों कृत्यकारियों के कर्त्तव्य इस प्रकार नियत कर दिये हैं कि ये दोनों अब लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। 3404 गन्ना ग्राम संवक और 1424 गन्ना पर्यवेक्षक हैं। हम यह महसूस करते हैं कि गन्ना पर्यवेक्षकों के सीमित कृत्यों को देखते हुये उनकी संख्या में काफी कमी की जानी चाहिये। स्पष्टतः हमारे लिए यह बताना संभव नहीं है कि निवेश केन्द्रों पर कार्य करने के लिये या अन्य कार्य करने के लिये यथार्थ में कितने गन्ना पर्यवेक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, इस के विषय में सरकार को विचार करना पड़ेगा।

3.9 गन्ना पर्यवेक्षकों के पद के अतिरिक्त [1] 350—700 रु0 के वेतनमान में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (82) और गन्ना संरक्षण निरीक्षक (34), [2] वेतनमान 280—460 रु0 में गन्ना विकास निरीक्षक (290), असिस्टेन्ट प्रोजेक्ट आफिसर (79), सहायक गन्ना निरीक्षक (85) और खाद निरीक्षक (11) और [3] वेतनमान 230—385 रु0 में सीनियर फील्ड पर्यवेक्षक (12) और सीनियर फील्ड असिस्टेन्ट/मैन (7) के पद हैं। विभाग द्वारा इन पदों को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाना चाहिये जिससे यह स्पष्ट रूप ज्ञात हो सके कि ये पद किस स्तर के हैं।

3.10 हम यह संस्तुति करेंगे कि गन्ना विभाग में तीन कोटि के क्षेत्रीय कर्मचारिवर्ग होने चाहिये—

(1) ग्राम स्तर पर गन्ना ग्राम संवक।

(2) गन्ना पर्यवेक्षक/सीनियर फील्ड पर्यवेक्षक, सीनियर फील्ड मैन, सीनियर फील्ड असिस्टेन्ट जो निवेशों (इन्पुट्स) की सप्लाई और वितरण, उन्नत बीजों और पौधों की सप्लाई आदि की देखरेख करें।

(3) निरीक्षणालय स्तर पर कर्मचारियों की संख्या 582 है। एक कारखाना परिक्षेत्र (फैक्टरी जोन) के लिये औसतन लगभग 7 गुना विकास निरीक्षक हैं जो गन्ना पर्यवेक्षक और गन्ना ग्राम संवक दोनों ही के कार्य का पर्यवेक्षण करने, जांच करने तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिये पर्याप्त हैं। निरीक्षकों के पद ग्रुप-2 (280—460 रु0) और ग्रुप-1 (350—700 रु0) में हैं और उनके पदनाम भिन्न-भिन्न हैं। कृषि विभाग के अनुसार उनका पदनाम क्रमशः निरीक्षक ग्रुप-2 और ग्रुप-1 होना चाहिये।

3.11 उप गन्ना आयुक्त (सांख्यिकी) का एक पद 800—1450 रु0 के वेतनमान में है। इस पद के लिये आधारित अर्हता सांख्यकी या गणित में स्नातक की डिग्री दिखाई गई है। ज्येष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का एक अन्य पद है जो 650—1300 रु0 के वेतनमान में है और उसकी भी अर्हतायें वही हैं। इस पद को इस समय रिक्त दिखाया गया है। एक दूसरा पद सहायक गन्ना आयुक्त (सांख्यिकी) का है जो इसी वेतनमान में तथा इसी अर्हता का है। यह पद भी सांख्यकी अधिकारियों (550—1200 रु0) के दो पदों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। सांख्यिकीय अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद सम्भवतः सांख्यिकीय सहायकों (350—700 रु0) में से पदोन्नीत द्वारा भरे जाते हैं। हमारे पास जो विवरण पत्र

भेजा गया है उसमें उनकी अर्हता कृषि स्नातक की डिग्री दिखाई गई है। कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक, संगणक और संकलक के निम्नतर पद 280—460 रु0 के वेतनमान में हैं और उनके लिये निर्धारित अर्हता सांख्यिकीय या गणित विषय में स्नातक की डिग्री है। सांख्यकीय कर्मचारिवर्ग की अर्हताओं में स्पष्ट रूप से असंगति है। सांख्यिकीय ग्रुप-1 के या उनसे उच्च पदों के लिये सीधी भर्ती हेतु आधारिक अर्हतायें वही होनी चाहिये जो अर्थ और संख्या विभाग में इसी प्रकार के पदों के लिये निर्धारित हैं। यह संस्तुति की जाती है कि भविष्य में पद पुनरीक्षित अर्हताओं के आधार पर भरे जायं।

3.12 मुख्य प्रचार अधिकारी का एक पद है जो 800—1450 रु0 के वेतनमान में है और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के 5 पद हैं जो 550—1200 रु0 के वेतनमान में हैं। गन्ना आयुक्त के कार्यालय से हमारे पास जो विवरण पत्र भेजा गया है उसमें यह दिखाया गया है कि 800—1450 रु0 के वेतनमान में जो पद है वह क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के जो पद हैं वे प्रचार निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। किसी भी प्रचार निरीक्षक में गन्ना विकास या प्रचार से सम्बन्धित कोई अर्हता नहीं है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों (रीजनल पब्लिसिटी आफिसर) के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और इन पदों के लिये आधारिक अर्हता हिन्दी साहित्य सहित स्नातक की डिग्री है। सामान्यतया उस दशा में जबकि निम्नतर पदों का आधार इतना संकीर्ण है वर्ग (क्लास)-2 के 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिये। तदनुसार हम इस आशय की संस्तुति कर रहे हैं कि 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिये।

3.13 लेखा अधिकारी के दो पद 550-1200 रु0 के वेतनमान में हैं और लेखा तथा संपरीक्षा अधिकारियों के तीन पद 450—950 रु0 के वेतनमान में हैं। ये पद अब एकीकृत वित्त एवं लेखा संवर्ग के अंग हैं अतः इनके बारे में संगत अध्याय में विचार किया गया है।

3.14 कृषि और सहकारिता जैसे अन्य सम्बद्ध विभागों की भांति जहां कि ग्रुप-2 के पद और वर्ग-2 के पद आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, हम यह संस्तुति करते हैं कि ग्रुप-1 के सभी पद अर्थात् ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना संरक्षण निरीक्षक के पद ग्रुप-2 के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जायं। हमने विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों की स्थिति का परीक्षण किया है। हमने गन्ना ग्राम सेवकों के 15 प्रतिशत पदों के लिये, गन्ना पर्यवेक्षकों के साधारण ग्रेड के 15 प्रतिशत पदों के लिये, और ग्रुप-2 के निरीक्षकों के 20 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करते हैं। हम जिला गन्ना अधिकारियों के साधारण ग्रेड के पदों और उनके समतुल्य पदों के 20 प्रतिशत पदों के लिये भी सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करते हैं।

3.15 हमने गन्ना ग्राम सेवक के वेतनमान के प्रश्न का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है। गन्ना ग्राम सेवक के पद के लिये निर्धारित अर्हता हाई स्कूल या समतुल्य परीक्षा है। हम उसे पंचायत सेवक के समतुल्य मानते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि उसके पद के लिये निर्धारित अर्हता हाई स्कूल पर्याप्त है और उसकी समानता ग्राम सेवक से नहीं की जा सकती है।

चीनी आयुक्त का कार्यालय

3.16 गन्ना आयुक्त ही चीनी आयुक्त भी हैं। चीनी आयुक्त की हैसियत से वे उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के अधीन पावर क्रशर के लिये लाइसेन्स देने के कार्य को विनियमित करते हैं। उनकी सहायता के लिये 3 क्षेत्रीय उप चीनी आयुक्त, 18 सहायक चीनी आयुक्त, 15 खण्डसारी अधिकारी, 130 खण्डसारी निरीक्षक और अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग हैं।

3.17 उत्तर प्रदेश खण्डसारी निरीक्षक संघ ने हमारे पास भेजे गये अपने ज्ञापन में निम्नलिखित मांग की है:—

(1) खण्डसारी निरीक्षक एवं कर-निर्धारण अधिकारी का वेतनमान पुनरीक्षित करके 1400—1800 रु0 किया जाना चाहिये।

(2) खण्डसारी अधिकारी, सहायक चीनी आयुक्त और उप चीनी आयुक्त के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिय।

3.18 गन्ना और चीनी उद्योग के सचिव ने हमारे समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य में निम्नलिखित संस्तुति की:—

(1) खण्डसारी निरीक्षक और खण्डसारी अधिकारी के वेतनमान पुनरीक्षित करके क्रमशः 350—700 और 450—850 रु0 किये जाने चाहिये।

(2) चीनी आयुक्त के संगठन में प्रधान लिपिक (हेड क्लर्क) का वेतनमान (300—500 रु0) गन्ना आयुक्त के संगठन में प्रधान सहायक (हेड असिस्टेन्ट) के वेतनमान (450—700 रु0) के समान होना चाहिये।

3.19 खण्डसारी निरीक्षकों के पद के लिये न्यूनतम अर्हता स्नातक की डिग्री है किन्तु विधि स्नातकों (ला ग्रेजुएट) को अधिमानता दी जाती है। 75 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है और 25 प्रतिशत पद लिपिकवर्गीय संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। यह तर्क दिया गया है कि खण्डसारी निरीक्षक कर-निर्धारण करने, कर वसूल करने, प्रवर्तन करने और अभियोजन करने के उत्तरदायी हैं। खण्डसारी निरीक्षक के पद के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व को देखते हुये हम उनके लिये 515-840 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। खण्डसारी अधिकारी का वेतनमान भी पुनरीक्षित करके 625-1170 रु0 किया जाना चाहिये।

3.20 लिपिकवर्गीय पदों के वेतनमानों के बारे में "सामान्य कोटि के पदों" से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है।

3.21 पुनरीक्षित वेतनमानों तथा सेलेक्शन ग्रेड को, जहां कहीं आवश्यक है, इस खण्ड के भाग 2 में दिया गया है।

अध्याय चार

अभियंत्रण विभाग

नियोजित विकास के आरंभ के साथ ही विकास क्षेत्रों में पूंजी विनियोजन की गति में काफी वृद्धि हुई। राज्य परिव्यय का लगभग 40 प्रतिशत विद्युत् क्षेत्र के लिए और लगभग 20 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र के लिए (लघु सिंचाई को छोड़कर) आरक्षित किया जाता है। सड़कों, भवनों, नागरीय तथा ग्रामीण पेय जल की सम्पूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी बृहत निर्माण कार्य भी आरम्भ किए गये हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में है जिनके पास भूमिगत और सतही जल साधनों का बड़ा भंडार है और जो 200 प्रतिशत या उससे अधिक फसल सघनता का प्रयास कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने अधिक से अधिक अभियन्ताओं और तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती इस आशय से की कि निर्माण कार्यों और उनके रख-रखाव को हाथ में लिया जा सके। निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों का इस कारण तीव्र गति से विकास हुआ है। सभी अभियंत्रण विभागों में स्टाफ का ढांचा लगभग एक सा है और स्टाफ की समस्यायें लगभग एक ही प्रकार की हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम सभी अभियंत्रण विभागों के बारे में एक ही शीर्षक के अन्तर्गत विचार कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक विभाग की विशिष्ट समस्याओं पर अलग से विचार कर रहे हैं। राज्य विद्युत् परिषद् और जल निगम इत्यादि के बारे में हम यहां विचार नहीं कर रहे हैं। जिन अभियन्त्रण विभागों के बारे में इस अध्याय में विचार किया गया है वे निम्नलिखित हैं—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग

(2) सिंचाई विभाग

(3) लघु सिंचाई विभाग

(4) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

(5) भूमिगत जल साधन सर्वेक्षण निदेशालय (अन्डर ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेज डाइरेक्टोरेट) तथा

(6) विद्युत् निरीक्षणालय

उपरोक्त 6 अभियंत्रण विभागों के अतिरिक्त इस अध्याय में हमने टेकनिकल आडिट सेल्स और राज्य संपत्ति विभाग के बारे में भी विचार किया है जिनके कार्यकलापों का अभियंत्रण विभागों के कार्यों से घनिष्ट संबंध है।

4.2 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न सेवा संघों जिन्होंने अपने ज्ञापन हमें प्रेषित किये थे या जो मौखिक साक्ष्य के लिये हमारे सम्मुख उपस्थित हुये थे, ने अभियंत्रण सेवाओं से संबंधित समस्यायें हमारे सामने रखी। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(1) स्नातकोत्तर अभियन्त्रण संघ (फ्रैटरनिटी आफ पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स)

(क) स्नातकोत्तर अभियंत्रण संघ (फ्रैटरनिटी आफ पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स) जिन्होंने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया और जो साक्ष्य देने के लिए हमारे सामने उपस्थित भी हुये, ने इस बात पर बल दिया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उन्होंने विकसित टेकनालाजी में जो प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त किया है उसके फलस्वरूप अन्य स्नातक अभियन्ताओं के मुकाबले में सभी विभागीय कार्यकलापों में जिनमें नियोजन, डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव शामिल हैं, अधिक क्षमता रखते हैं और अधिक योग्यता से कार्य करते हैं।

(ख) उपर्युक्त संघ ने इस बात पर बल दिया कि उनकी स्नातकोत्तर अर्हताओं के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नीति में उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये और निम्नलिखित दरों पर स्नातकोत्तर वेतन की मांग की—

(1) स्नातकोत्तर डिप्लोमा रु0 150 प्रतिमास

(2) स्नातकोत्तर डिग्री रु0 300 प्रतिमास

(3) पी0 एच0 डी0/डी0 एस0 सी0 डिग्री रु0 450 प्रतिमास

(ग) संघ ने यह भी मांग की कि स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त अधिकारियों को प्रारम्भिक, नियुक्ति और पदोन्नीति के समय 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की ज्येष्ठता मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि उनके लिये अलग संवर्ग (कैडर) बनाया जाय और पदोन्नीति और सेलेक्शन ग्रेड पदों में से 25 प्रतिशत पद उनके लिये सुरक्षित किये जायें। एक दूसरी संस्तुति संघ ने यह की कि उच्च पदों के लिये उच्च शिक्षा अनिवार्य की जाय और उन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जाय। मौखिक साक्ष्य के समय उन्होंने यह मांग की कि स्नातकोत्तर वेतन सभी पदों पर दिया जाय चाहे उनका वेतनक्रम और वास्तविक उपलब्ध वेतन कुछ भी हो।

(2) उत्तर प्रदेश अभियंता संघ (इंजीनियर्स एसोशियेशन)

4.3 (1) उत्तर प्रदेश अभियंता संघ (इंजीनियर्स एसोशियेशन) ने अपने विस्तृत ज्ञापन में आयोग के सामने निम्नलिखित सुझाव दिये:—

(क) विभिन्न सेवाओं का वेतन ढांचा निर्मित करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाय कि किस सेवा का राज्य की नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या योगदान है, सेवा में भर्ती के लिये किन योग्यताओं और क्षमता की आवश्यकता है, सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यकलाप और जिम्मेदारियां क्या हैं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उस प्रकार की अर्हताओं के आधार पर क्या परिलब्धियां उपलब्ध हैं।

(ख) प्रास्थिति और वेतन के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्तियों को जो सृजनात्मक कार्यों में लगे हों, उच्चतम स्तर पर रखा जाय।

(ग) सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर अभियंताओं को राज्य के विकास और कल्याण संबंधी उच्चतम जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं परन्तु उनकी प्रास्थिति और परिलब्धियां उनके योगदान के अनुसार नहीं हैं। यह माना जाना चाहिए कि अभियंत्रण सेवाओं में उच्चतर तत्व हैं।

(2) आयोग के सामने मौखिक साक्ष्य में संघ के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में दिये गये बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित बातें कहीं :—

(क) सहायक अभियन्ता के पद पर वर्षानुवर्ष भारी भर्ती किये जाने के कारण सेवा में पदोन्नति के अवसर बहुत कम रह गये हैं अतः सेवा में पदोन्नति के और अधिक अवसर उपलब्ध कराये जायें।

(ख) सहायक अभियन्ताओं के लिये एक समयबद्ध चालू वेतनमान निर्मित किया जाय जो अधीक्षण अभियन्ता के ग्रेड तक चलता रहे।

(ग) अभियन्त्रण सेवाओं में निम्नलिखित वेतनमानों पर विचार किया जाय :

(1) सहायक अभियन्ता—900- 50 -1150- द0- रो0- 1350- 50- 1750- द0 रो0- 1950- 75- 2400- 100-2500।

(2) उच्चतर तत्व संवर्ग—रु0 1400- 50- 1850- द0 रो0- 2050-75- 2500- 125-2750।

(3) मुख्य अभियन्ता—2750-125-3000

(4) प्रमुख अभियन्ता—3500 नियत

(घ) इस समय ऐसे अधिशासी अभियन्ता जिन्हें सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के पदों पर सेवा करते हुये कुल मिलाकर 15 वर्ष हो गये हों, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किये जाने के लिए अर्ह हैं। यदि इस प्रकार का कोई अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नत न हुआ हो तो उसे रु0 900-2500 के वेतनमान में कुछ वेतन बढ़ोत्तरी दी जाय।

(ङ) दक्षता स्तर सुनिश्चित करने के लिये चालू वेतनमान में दक्षतारोक का प्राविधान किया जा सकता है।

(च) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद समाप्त किये जायें और उनके स्थान पर परिक्षेत्रीय (जोनल) मुख्य अभिजन्ताओं के पद सृजित किये जायें।

(छ) अधिकारियों को उच्च ज्ञान और टेक्नालाजी अर्जित करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में स्नातकोत्तर भत्ता बिना इस बात का विचार किये हुये दिया जाय कि वह डिजाइन और शोध जैसे विशिष्ट कार्यों में लगे हैं या नहीं। सेवा में रहते हुये प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाय जिससे अभियन्ता अपने विषय से संबंधित नवीनतम शोध कार्य से लाभान्वित हो सकें। नये भर्ती किये हुये अधिकारियों के लिये बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता है साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए अधिकतम सुविधायें दी जायें।

(ज) यद्यपि सहायक अभियन्ता 7 वर्ष की सेवा के बाद अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए अर्ह हो जाता है फिर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग में 242 सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जो 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक सेवा कर लेने के बाद भी अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग में 207 अधिशासी अभियंता ऐसे हैं जिनकी सेवा अवधि सहायक अभियंता और अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर कुल मिलाकर 15 वर्ष हो गई है परन्तु वे अभी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नत नहीं हुये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत 32 अधीक्षण अभियन्ताओं में से 11 अधीक्षण अभियन्ता अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं। इसी प्रकार सिंचाई विभाग में 756 सहायक अभियन्ता, जिनकी सेवा अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक है अभी अधिशासी अभियन्ता के पदों पर कुल सेवा अवधि 15 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, अभी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नत नहीं हुये हैं। इसी प्रकार सिंचाई विभाग में 127 अधीक्षण अभियन्ताओं में से 30 अधीक्षण अभियन्ता अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं।

(3) संघ ने अपने पक्ष के समर्थन में राज्य पुलिस, न्यायिक तथा प्रशासनिक सेवा के बारे में आंकड़े दिये और यह कहा कि इन सेवाओं की तुलना में अभियंत्रण सेवाओं में पदोन्नति में अवरोध है।

(4) अभियन्त्रण सेवा के अधिकारियों ने 'सनवाल कमेटी' की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जिसमें राज्य अभियन्त्रण सेवाओं के लिये निम्नलिखित वेतनक्रमों की संस्तुति की गई थी :—

1. (क) सहायक अभियन्ता—रु0 550-1200
   (ख) सहायक अभियन्ता (प्रवर वेतनमान) रु0 800-1450
   (ग) सहायक अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड) रु0 1400-1800
2. (घ) अधिशासी एवं अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता रु0 1000-1800
3. अधीक्षण अभियन्ता रु0 1650-2000
   अधीक्षण अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड) रु0 2000-2250
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्य अभियन्ता पद नाम के साथ) } रु0 2500-2750
5. मुख्य अभियंता
6. प्रमुख अभियन्ता रु0 3000 नियत

(5) पदोन्नति में अवरोध के कारणों का विश्लेषण करते हुए संघ ने यह इंगित किया कि "जब किसी विशेष वर्ष में रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होती हैं तब एक ही आयुवर्ग के व्यक्ति एक साथ इन सेवाओं में भर्ती होते हैं जिससे आयुवर्ग संतुलन पर कुप्रभाव पड़ता है जिसकी व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए थी कि वर्ष प्रति वर्ष भर्ती किये हुये व्यक्ति उचित समय पर पदोन्नति पाते रहते।" सिंचाई विभाग के आंकड़ें प्रस्तुत करते हुये संघ ने यह इंगित किया कि वर्ष 1972, 1973, 1977 और 1978 में क्रमशः 196, 225, 210 और 230 सहायक अभियन्ताओं की भर्ती की गई। संघ के अनुसार पदोन्नति अवरोध की स्थिति उस समय और भी खराब हो जायेगी जब यह सब अधिकारी पदोन्नति के लिए अर्ह हो जायेंगे। संघ ने अभियन्त्रण सेवाओं में वेतन-निर्धारण, सिद्धांतों की चर्चा करते हुये यह संस्तुति की थी—

(1) मोटे तौर पर वेतनमान सनवाल कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार रखे जायें।

(2) समयबद्ध वेतनमान निर्मित करने के लिए अभियन्ता संवर्ग के 3 स्तरों को एक वेतनमान में एकीकृत कर दिया जाय।

(3) अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता (सेलेक्शन-ग्रेड) को एक वेतनमान में एकीकृत कर दिया जाय।

(4) अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता को प्रतिमास क्रमशः रु0 200 तथा रु0 300 विशेष वेतन दिया जाय।

(5) सहायक अभियन्ता को उसकी उच्चतर व्यावसायिक अर्हताओं को देखते हुए प्रथम नियुक्ति के समय 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दी जायें।

4.4 उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसियेशन तथा अधिनस्थ अभियंत्रण सेवा संघ (सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस एसोसियेशन) ने वेतन आयोग के सम्मुख निम्नलिखित सुझाव/मांगें प्रस्तुत की—

(1) अवर अभियंताओं (जूनियर इंजीनियर्स) को सवारी भत्ते के रूप में केवल 30 रु0 प्रतिमास अनुमन्य है जबकि मोटर साइकिल के रख-रखाव में वास्तविक व्यय 160 रु0 प्रतिमास से अधिक होता है। सवारी भत्ते में इसी के अनुरूप बढ़ोत्तरी की जाय।

(2) वेतन अभिनवीकरण समिति (1965) तथा उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) द्वारा अवर अभियन्ताओं के कार्य का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया और इसी कारण से उनके वेतनमान अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रखे गये। अगर बिन्दु रेटिंग किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि उस आधार पर अवर अभियन्ता को जो वेतनमान मिलना चाहिए उससे वह कम पा रहा है और सहायक अभियन्ता को औचित्य से अधिक वेतनमान मिल रहा है।

(3) सेलेक्शन ग्रेड के पदों का प्रतिशत 20 से बढ़ा कर 33 किया जाय तथा अवर अभियंताओं के संवर्ग में पदोन्नति अवरोध को देखते हुये सहायक अभियन्ता के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायें। सिंचाई विभाग में 1951 के बैच के और सार्वजनिक-निर्माण विभाग में 1948 के बैच के अवर अभियन्ताओं की अभी तक सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है। जल निगम में 1964 बैच के अवर अभियन्ता सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जा चुके हैं।

(4) अवर अभियन्ताओं के वेतनमान उत्तर प्रदेश में केन्द्र या अन्य राज्य सरकारों में अवर अभियन्ताओं के वेतनमान से अपेक्षाकृत कम हैं।

(5) जो डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता सहायक अभियन्ता के पद के लिए निर्धारित अर्हता अर्जित कर लें उन्हें सहायक अभियन्ताओं की सीधी भर्ती वाले पदों पर खपाया जाय।

(6) सहायक अभियन्ताओं के लगभग 500 पद ऐसे हैं जिन पर कार्य की प्रकृति और जिम्मेदारी को देखते हुये अवर अभियन्ताओं की तैनाती की जा सकती है।

(7) अवर अभियन्ताओं को 1964 तक 25 रु0 प्रतिमास का जो प्रतिकर भत्ता अनुमन्य था और जिसे वेतन बाद में अभिनवीकरण समिति 1965 की संस्तुति पर समाप्त किया गया, उसे फिर दिया जाय।

(8) ऐसे अवर अभियन्ताओं को जिन्होंने 10 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा पूरी कर ली हो परन्तु जिनकी पदोन्नति उच्चतर पद उपलब्ध न होने के कारण सहायक अभियन्ता के पद पर न हुई हो, सहायक अभियन्ता का वेतनमान दिया जाय।

सिंचाई विभाग

1—वैज्ञानिक संघ (साइंटिस्ट एसोसियेशन)

4.5 संघ के प्रतिनिधियों ने हमारे सम्मुख निम्नलिखित सुझाव रक्खे—

(क) शोध पर्यवेक्षक, वैज्ञानिक सहायक तथा प्रयोगशाला सहायकों के वर्तमान वेतनमानों को उच्चीकृत (अपग्रेड) किया जाय।

(ख) यह कार्यकर्ता शोध कार्य में लगे हुये हैं अतः इन्हें शोध भत्ता दिया जाय।

(ग) अभियन्ताओं के प्रतिरूप उन्हें भी स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाय ।

(घ) सहायक शोध अधिकारी के पदों जो रु0 550-1200 के वेतनक्रम में हैं, में से 50 प्रतिशत पद शोध पर्यवेक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पद विभागीय सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण द्वारा भरे जाते हैं । सहायक शोध अधिकारियों के सभी 22 पद शोध पर्यवेक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाय जिससे उनके पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हो सकें ।

(ङ) शोध अधिकारी के 7 पद रु0 800-1450 के वेतनमान में हैं । इस समय यह पद अधिशासी अभियन्ताओं में से भरे जाते हैं शोध अधिकारियों के पदों में से 50 प्रतिशत पद सहायक शोध अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायं ।

(6) इस समय शोध पर्यवेक्षकों के 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा वैज्ञानिक सहायकों में से भरे जाते हैं और 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत बढ़ाकर 50 किया जाय ।

(7) वैज्ञानिक सहायकों के 50 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय ।

2—डिप्लोमा इंजीनियर्स तथा वास्तुविद संघ (आर्कीटेक्ट्स एसोसियेशन)

4.6 यह संघ ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, आर्कीटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, कम्प्यूटर तथा हेड आर्कीटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन का प्रतिनिधित्व करता हैं । उसने सुझाव दिया कि—

(1) कम्प्यूटर और ड्राफ्ट्समैन के पदों को अवर अभियन्ता (तकनीकी) पदनाम दिया जाय ।

(2) पूर्ण अर्ह ड्राफ्ट्समैन के लिये अलग ज्येष्ठता सूची बनायी जाय । संयुक्त ज्येष्ठता सूची होने के कारण यह विसंगति पैदा हो गयी है कि अनर्ह व्यक्ति कम्प्यूटर के पद पर कार्य कर रहे हैं और सेलेक्शन ग्रेड में भी हैं जबकि अर्ह ड्राफ्ट्समैन उनके नीचे कार्य कर रहे हैं ।

(3) अवर अभियंता और उसके समान पदों के कार्य और जिम्मेदारियां ऐसे कर्मचारियों को न सौंपी जायं जो केवल आई0 टी0 आई0 अर्हतायें रखते हैं ।

(4) इस समय कम्प्यूटर और ड्राफ्ट्समैन के पदोन्नति के अवसर नगण्य हैं अतः उन्हें अपेक्षाकृत अधिक पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जांय । कम्प्यूटर और ड्राफ्ट्समैन के 20 प्रतिशत पदों के लिये रु0 400-750 के सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय ।

(5) इस बात की व्यवस्था की जाय कि ये सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति पा सकें ।

3—आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण कम्प्यूटर तथा ड्राफ्ट्समैन संघ (एसोसियेशन)

4.7 संघ के प्रतिनिधियों ने हमारे समक्ष अपने ज्ञापन/मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव दिये—

(1) 1-8-1972 से पूर्व अर्ह ड्राफ्ट्समैन तथा आई0 टी0 आई0 पास ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान क्रमशः रु0 160-280 तथा रु0 120-220 थे । 1-8-1972 से इन्हें रु0 280-460 का सामान्य वेतनमान दिया गया । यह तथ्य होते हुये भी कि दोनों कोटियों के ड्राफ्ट्समैन अर्हता प्राप्त हैं और समान कार्य कर रहे हैं तथा उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी एक सी हैं, उनकी परिलब्धियों में अन्तर है । यह विसंगति पुरानी तिथि से समाप्त की जाय ।

(2) इस समय ड्राफ्ट्समैन, आर्कीटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन तथा मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन अलग-अलग वेतनमानों में हैं । सभी ड्राफ्ट्समैनों के कर्तव्य एक से हैं अतः उन सबको एक ही वेतनमान में रक्खा जाय ।

(3) उनके प्रोन्नति के अवसर नहीं हैं अतः सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय ।

(4) परियोजना पर कार्यरत कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जाय ।

4—ड्राइंग स्टाफ संघ (एसोसियेशन) उत्तर प्रदेश

4.8 संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की—

(1) विभिन्न पदों के लिये निम्नलिखित वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड दिये जायं ।

पद का नाम	साधारण वेतनमान (रु0)	सेलेक्शन ग्रेड (रु0)
(1) ट्रेसर/सहायक ड्राफ्टसमैन	650—1100	700—1200
(2) ड्राफ्टसमैन (3) आर्कीटेक्चरल ड्राफ्टसमैन (4) मैकेनिकल ड्राफ्टसमैन	800—1450	900—1500
(5) कम्प्यूटर (6) हेड आर्कीटेक्चरल ड्राफ्टसमैन	1050—160	1150—1700

(2) इस समय ड्राफ्ट्समैन के 20 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा ऐसे ट्रेसर/सहायक ड्राफ्ट्समैन में से भरे जाते हैं जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और विभागीय परीक्षा पास कर ली हो । इन्हें 5 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति के लिये अर्ह माना जाए यदि उन्होंने नियमित विभागीय परीक्षा पास कर ली हो ।

(3) ड्राफ्ट्समैन, आर्कीटैक्चरल ड्राफ्ट्समैन तथा मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन को 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कम्प्यूटर/हैड आर्कीटैक्चरल ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नति किया जाय। यदि 8 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद भी पदोन्नति देना संभव न हो तो उन्हें पदोन्नति वाले पद का वेतनमान दिया जाय।

(4) सहायक अभियन्ताओं के 10 प्रतिशत पद कम्प्यूटरों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं।

(5) सहायक आर्कीटैक्ट के 25 प्रतिशत पद हैड आर्कीटैक्चरल ड्राफ्टसमैन में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएं। अन्यथा हैड आर्कीटैक्चरल के पद को सहायक आर्कीटैक्ट के पद में परिवर्तित कर दिया जाए।

5—सिंचाई संघ, उ0 प्र0 :

4.9 संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित सुझाव रखे :

(1) पतरोल और नलकूप चालक को ग्राम सेवक, गन्ना ग्राम सेवक, पंचायत सेवक तथा लेखपाल के समान वेतनमान दिया जाए।

(2) सिंचाई पर्यवेक्षक का वेतनमान सहायक विकास अधिकारी (कृषि), सहायक विकास अधिकारी (पंचायतराज), गन्ना पर्यवेक्षक तथा सुपरवाइजर कानूनगो के समकक्ष रखा जाए।

(3) पतरोल/नलकूप चालक रु0 700-1200 के वेतनमान में रखे जाएं और सिंचाई पर्यवेक्षक रु0 800-1450 के वेतनमान में रखे जायं। उन्हें 40 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड भी दिया जाए।

(4) इस समय पतरोल/नलकूप चालक का सेलेक्शन ग्रेड सिंचाई पर्यवेक्षक के वेतनमान के समान है। यह विसंगति दूर की जाए और सिंचाई पर्यवेक्षक को अधिक ऊंचा वेतनमान दिया जाए।

6—सिगनलर संघ (एसोसिएशन), उ0 प्र0 :

4.10 संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित सुझाव रखे —

(1) सिंचाई विभाग के सिगनलरों की शैक्षिक और तकनीकी अर्हताएं डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के समान हैं परन्तु सिंचाई विभाग में सिगनलरों को रु0 200-320 के वेतनमान में रखा गया है जबकि डाक और तार विभाग में उन्हें रु0 260—480 वेतनक्रम उपलब्ध है।

(2) 1965 से पूर्व सिंचाई विभाग के सिगनलरों का वेतनमान नैत्यक ग्रेड लिपिक के वेतनमान से ऊंचा था। उन्हें ऊंचा वेतनमान दिया जाए।

(3) सिगनलरों के लिये पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं हैं और न उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है। 50 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

(4) सिंचाई विभाग में जिलेदार की परीक्षा में बैठने की उन्हें अनुमति दी जाय।

(5) जो कन्टिन्जेन्सी उन्हें दी जा रही है उस बढ़ोत्तरी की जाय।

7—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा, नलकूप प्राविधिक कर्मचारी संघ [पी0 डब्लू0 डी0 (सिंचाई शाखा) ट्यूबवेल टैक्निकल इम्प्लाइज एसोसिएशन], संघ ने यह मांग की है कि :—

4.11 (1) सेक्शन मिस्त्री, मैकेनिकल फिटर, ड्राइंग रूम मैकेनिक तथा इलेक्ट्रीशियन के पद की अर्हतायें समान हैं और पूर्व में उनका वेतनमान भी समान था। अब मैकेनिकल फिटर रु0 280-460 और सेक्शनल मिस्त्री रु0 200-320 के वेतनमान में हैं। उपरोक्त दोनों पदों के लिये एक ही वेतनमान दिया जाय।

(2) अवर अभियन्ता के 20 प्रतिशत पदों के स्थान पर 40 प्रतिशत पदों पर उन्हें पदोन्नति के अवसर दिये जायं।

(3) उन्हें भी सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

8—मुन्शी संघ, उत्तर प्रदेश

4.12 उक्त संघ द्वारा यह कहा गया कि :

(क) मुन्शी और हेड मुन्शी के कार्य की तुलना क्रमशः नैत्यक ग्रेड लिपिक तथा नोटर एण्ड ड्राफ्टर से की जा सकती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह पत्रावलियों पर टिप्पणी, निर्णय और आदेश लिखें। उन्हें लिपिकीय कर्मचारियों के समान वेतनमान दिये जायं।

(ख) मुंशी के 25 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

(ग) मुन्शी का वेतनमान नलकूप चालक और पतरोल से सदैव ऊंचा रहा है क्योंकि यह पद नलकूप चालक और पतरोल के लिये पदोन्नति का पद है। मुन्शी और हेड मुन्शी को अपेक्षाकृत ऊंचा वेतनमान दिया जाय।

9—सुपीरियर रेवेन्यू इस्टेब्लिशमेन्ट संघ (एसोसियेशन)

4.13 संघ के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि उनका संघ डिप्टी रेवेन्यू आफिसर और जिलेदारों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कुछ सुझाव दिये जो निम्न प्रकार हैं :

(1) 1-8-1972 से पूर्व डिप्टी रेवेन्यू आफिसर का वेतनमान रु0 345 के प्रारम्भिक वेतन के साथ रु0 225-500 था जबकि 1-8-1972 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 400-750 दिया गया परन्तु प्रारम्भिक वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई।

(2) डिप्टी रेवेन्यू आफिसर के पद जिलेदारों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और जिलेदारों के 75 प्रतिशत पद सिंचाई पर्यवेक्षक की पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। जिलेदारों के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायं।

(3) डिप्टी रेवेन्यू आफिसर्स के कर्तव्यों की तुलना डिप्टी कलेक्टर के कार्यों से की जा सकती है और जिलेदारों के कर्तव्यों की तुलना तहसीलदार/नायब तहसीलदार से की जा सकती है।

(4) पदोन्नति के अवसर नहीं हैं अतः 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय तथा डिप्टी रेवेन्यू आफिसर और जिलेदार के 20 प्रतिशत पद क्रमशः रु0 1800-2000 तथा रु0 1200-1700 के वेतनमान में रखे जायं।

4.14 उपरोक्त संघों के अतिरिक्तजिन्होंने अपने ज्ञापन हमें दिये या हमारे सम्मुख साक्ष्य के लिये आये, सिंचाई विभाग के कुछ अन्य संघों ने जैसे उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन, पूर्ण अर्हता प्राप्त ड्राफ्ट्समैन तथा कम्प्यूटर संघ, अराजपत्रित कर्मचारी संघ, लिपिकीय अधिष्ठान संघ, सिंचाई तथा बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद् चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल अधीनस्थ संघ, राजकीय वाहन चालक संघ, प्रशिक्षित कर्मचारी संघ, सिंचाई श्रमिक संघ, उत्तर प्रदेश, अभियन्त्रण कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, आई0 टी0 आई0 डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट अभियन्त्रण कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश ने भी ज्ञापन दिये या प्रश्नावली के उत्तर भेजे। अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप देते समय तथा वेतनमानों की संस्तुति करते समय हमने उपरोक्त संस्थाओं के विचारों पर भी विचार किया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(1) उ0 प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग वास्तुविद् संघ

4.15 संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित सुझाव रखे :

(1) सहायक वास्तुविद, वास्तुविद तथा ज्येष्ठ वास्तुविद तीनों ही के लिये एक अवाध वेतनमान निर्मित किया जाय तथा पदधारियों को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अगले ऊंचे पद पर प्रोन्नति किया जाय। डिग्रीधारी वास्तुविद को सहायक इंजीनियर के प्रारम्भिक वेतन के ऊपर 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां दी जायं।

(2) वास्तुकला में उच्च अर्हता प्राप्त अधिकारियों को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां और दी जायं।

(3) दक्षता रोक की पद्धति समाप्त की जाय।

(4) निम्नलिखित दर पर प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय :

(क) सहायक वास्तुविद	रु0 200
(ख) वास्तुविद	रु0 250
(ग) ज्येष्ठ वास्तुविद	रु0 300
(घ) मुख्य वास्तुविद	रु0 400

(5) सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (डिजाइन) को विशेष वेतन दिया जाता है परन्तु यह ज्येष्ठ वास्तुविद को अनुमन्य नहीं है। इस विसंगत को समाप्त किया जाय।

(6) सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियुक्त वास्तुविदों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाय या उसके बदले में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जाय।

(7) वास्तुविद के कार्यालय सभी जिलों में स्थापित किये जायं जिससे उन्हें पदोन्नति के कुछ अवसर उपलब्ध हो सकें।

(8) निम्नलिखित दरों पर सवारी भत्ता दिया जाय :

	प्रतिमास
(क) साइकिल भत्ता	रु0 50
(ख) मोटर साइकिल या स्कूटर भत्ता	रु0 150
(ग) मोटरकार भत्ता	रु0 300

(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग वैज्ञानिक कर्मचारी संघ

4.16 संघ ने निम्नलिखित सुझाव/मांगें प्रस्तुत कीं :

(1) सहायक शोध अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद अवर सहायक कैमिस्टों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं।

(2) शोध कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को शोध भत्ता दिया जाय।

(3) वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के अवसर नगण्य हैं। विभिन्न पदों पर पदोन्नति के अवसर दिये जांय।

(4) अवर सहायक कैमिस्टों का वेतनमान अपेक्षाकृत बहुत कम है और अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच कर रुके हुये हैं। उनका वेतनमान उन्नत (अपग्रेड) किया जाय।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग प्राविधिक सहायक संघ

4.17 संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित सुझाव/मांगें प्रस्तुत कीं :

(1) गत वेतन आयोग ने अर्ह ड्राफ्ट्समैन के लिये रु0 280-460 और मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के लिये रु0 325-575 के वेतनमान संस्तुत किये थे। इस विसंगति को दूर किया जाय।

(2) ड्राफ्ट्समैन की पदोन्नति के अवसर नगण्य हैं। हेड ड्राफ्ट्समैन और कम्प्यूटर के पदों की संख्या सीमित हैं। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सभी ड्राफ्ट्समैन की कम्प्यूटर के पद पर प्रोन्नति की जाय।

(3) 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ट्रेसर की ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नति की जाय और 10 वर्ष की सेवा करने के बाद कम्प्यूटर की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की जाय।

हमारे सम्मुख साक्ष्य देते हुये संघ के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि जिस प्रकार सहायक अभियन्ता का वेतनमान सभी शाखाओं जैसे सिविल, मैकेनिकल तथा आर्कीटेक्चर में समान है। इसी प्रकार सभी सिविल और मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन को भी रु0 325-575 का समान वेतनमान दिया जाय। इसी प्रकार हेड ड्राफ्ट्समन, आर्कीटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, आर्की-टेक्चरल आसिस्टेन्ट तथा कम्प्यूटर को भी समान वेतनमान में रखा जाय।

यह भी बताया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में वास्तुविद् सहायक का वेतनमान रु0 450-950 है जबकि हेड ड्राफ्ट्समन और आर्कीटेक्चरल हेड ड्राफ्ट्समन का केवल रु0 325-575 है। इन तीनों पदों की जिम्मेदारियां और कर्तव्य समान हैं इस कारण इन सभी को रु0 450-950 के सामान्य वेतनमान में रखा जाय।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग वर्क चार्ज और नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ

4.18 संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं :

(1) जब तक छटनीशुदा और विभागीय फालतू कर्मचारी खपा न दिये जायें तब तक किसी व्यक्ति को वर्कचार्ज के आधार पर नियुक्त न किया जाय।

(2) वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में खपाते समय उनकी पुरानी वर्कचार्ज सेवाओं को भी गिना जाय जिससे पेंशन और अनुग्रह धन के मामले में उन्हें हानि न हो।

(3) वर्कचार्ज कर्मचारियों के सेवा नियमों में यह प्राविधान किया जाय कि 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें नियमित अधिष्ठान में ले लिया जायगा।

(4) वर्कचार्ज पदों पर भर्ती की पद्धति समाप्त की जाय।

(5) ट्रक, ट्राली और जीपों पर कार्य करने वाले वर्क-चार्ज कर्मचारियों को बिना इस बात के विचार किये कि उनकी सेवा अवधि क्या है, स्थायी किया जाय और भविष्य में केवल नियमित नियुक्तियां की जायें।

(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ :

4.19 संघ के प्रतिनिधियों ने आयोग को अपने ज्ञापन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दिया :

(1) न्यूनतम वेतन 540 रु0 से कम नहीं होना चाहिये।

(2) सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के वेतनक्रमों को निर्मित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि इन कर्मचारियों को खुले आसमान के नीचे कार्य करना पड़ता है, प्राकृतिक परिवर्तनों को झेलना पड़ता है और दोहरी रिहायशी व्यवस्था करनी पड़ती है।

(3) बेलदार, अकुशल श्रमिक हैं जबकि मेट अर्ध-कुशल श्रमिक की कोटि में आता है। इन दोनों कोटियों के वेतनमानों में कुछ अन्तर होना चाहिए।

(4) वर्क एजेन्ट पर्यवेक्षकीय पद है और उसे बेलदार और मेट से ऊंचा वेतनमान मिलना चाहिये।

(5) ड्राइवर और मैकेनिक के वेतनमान समान नहीं होने चाहियें। मैकेनिक को ड्राइवर से अधिक वेतन मिलना चाहिये।

(6) प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान जो इस समय रु0 200-320 है, बढ़ाकर प्राविधिक सहायक के वेतनमान के समान अर्थात् रु0 230-385 किया जाना चाहिये।

(7) सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में कार्यरत चौकीदारों और राजभवन में कार्यरत चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को 50 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय।

(7) विधि अधिकारी संघ

4.20 संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित तथ्य/मांगें आयोग के सम्मुख रखी :

(1) विधि अधिकारियों की निर्धारित अर्हता विधि स्नातक है और उनका चुनाव एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।

(2) विधि अधिकारी न्यायालयों में विभागीय मामलों को प्रस्तुत करते हैं तथा जटिल मामलों में सलाह देते हैं परन्तु उन्हें केवल रु0 300-500 का वेतनमान दिया गया है।

(3) विसंगति समिति ने 1-10-75 से रु0 350-750 का वेतनमान स्वीकृत किया था परन्तु इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। संघ के प्रति-निधियों ने यह बताया कि अन्य विभागों में जैसे सह-कारी संघ, आवास परिषद् परिवहन विभाग और जल निगम में विधि अधिकारी का वेतनमान रु0 550-1200 है। इस विसंगति को दूर किया जाए और उनका वेतनमान पुनरीक्षित किया जाए।

(8) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग आशुलिपिक संघ

4.21 संघ के प्रतिनिधियों ने आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दिया :

(1) सचिवालय सहित सभी विभागों में आशु-लिपिकों के कर्तव्य, अर्हतायें और भर्ती की पद्धति एक सी है परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग में आशु-लिपिकों का वेतनमान सचिवालय में नियुक्त

आशुलिपिकों से कम हैं। आशुलिपिकों का वेतनमान सचिवालय के आशुलिपिकों के समान होना चाहिये।

(2) आशुलिपिक का पद नाम वैयक्तिक सहायक किया जाए और उन्हें निम्नलिखित वेतनमान दिये जायं :

1—वैयक्तिक सहायक	रु0 350-700
2—वैयक्तिक सहायक (सेलेक्शन ग्रेड)	रु0 400-750
3—निजी सचिव	रु0 500-1000
4—निजी सचिव श्रेणी-1	रु0 1000-1350
5—निजी सचिव (उपसचिव)	रु0 1300-1600

(9) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त कार्यालय लिपिकीय संघ

4.22 संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित मांगें आयोग के सम्मुख रखीं।

(1) वृत्त कार्यालय का प्रधान सहायक रु0 400-550 के वेतनमान में है। यह वृत्त कार्यालय का लिपिकीय प्रधान है जबकि सचिवालय में अनुभाग अधिकारी केवल एक अनुभाग का कार्य देखता है। उसे अनुभाग अधिकारी का पदनाम दिया जाए और उचित वेतनमान दिया जाए।

(2) वृत्त कार्यालयों में ज्येष्ठ उपलेखक प्रालेखक तथा कनिष्ठ उपलेखक प्रालेखक के पद हैं। दोनों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में कोई अन्तर नहीं है। उनके कार्य की प्रकृति भी मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय में कार्य करने वाले आलेखक प्रालेखक के समान है तथा सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के समान है। इन सभी को समान वेतन दिया जाए।

(3) सामान्य नैत्यक लिपिक रु0 200-320 के वेतनमान में हैं। वृत्त कार्यालयों में सामान्य नैत्यक लिपिक का पद सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के बराबर है और उसे वही वेतनमान दिया जाना चाहिए।

विद्युत निरीक्षणालय

4.23 विद्युत्त निरीक्षणालय अभियन्त्रण संघ के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव किया कि :

(1) अबाध वेतनमान दिया जाए।

(2) सहायक विद्युत निरीक्षक की पदोन्नति के अवसर नगण्य हैं। 17 वर्ष की सेवा के बाद भी वे सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं और 26 वर्ष की सेवा के बाद उन्हें उप विद्युत्त निरीक्षक का पद मिलता है। प्रोन्नति के कुछ अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करायें जांय।

4.24 विद्युत्त निरीक्षणालय डिप्लोमा अभियन्ता संघ के प्रतिनिधियों ने यह मांगें प्रस्तुत कि :

(1) सवारी भत्ता जो इस समय रु0 50 प्रतिमास है, सिंचाई विभाग के समान रु0 150 प्रतिमास किया जाए।

(2) "सी" श्रेणी के नगरों में मकान किराया भत्ता दिया जाए तथा चिकित्सा भत्ते का प्राविधान किया जाए।

लघु सिंचाई

4.25 अवर अभियन्ता संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किये :

(1) अवर अभियन्ता और सहायक अभियन्ता के वेतनमानों में 5:6 का अनुपात रखा जाए।

(2) अवर अभियन्ता/सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) की पदोन्नति रु0 400-750 के वेतनमान में ज्येष्ठ मैकेनिकल इन्स्पेक्टर के पद पर होती है। दूसरे अभियन्त्रण विभागों में अवर अभियन्ता की पदोन्नति रु0 550-1200 के वेतनमान में सीधे सहायक अभियन्ता के पद पर होती है। उनके मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।

(3) इस संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं अतः 50 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाए।

(4) सवारी भत्ता काफी बढ़ाया जाए।

(5) यदि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी अवर अभियन्ता की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर पदों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पाती है तो उन्हें सहायक अभियन्ता का वेतनमान दे दिया जाए।

4.26 बोरिंग टेक्नीशियन्स संघ के प्रतिनिधियों ने यह मांग की कि :

(1) इस समय सहायक बोरिंग मैकेनिक और बोरिंग मैकेनिक के वेतनमान क्रमशः रु0 185-265 और रु0 200-320 हैं। सहायक बोरिंग मैकेनिक और बोरिंग मैकेनिक दोनों ही का वेतनमान समान होना चाहिये।

(2) 1965 से पूर्व सहायक बोरिंग मैकेनिक और बोरिंग मैकेनिक का वेतनमान ग्राम सेवक के बराबर था परन्तु वेतन अभिनवीकरण समिति ने इनके वेतनमान को नीचा कर दिया।

(3) पूर्व में सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) के 25 प्रतिशत पद बोरिंग मैकेनिकों में से भरे जाते थे। अब पदोन्नति के लिये उन्हें केवल 12.5 प्रतिशत पद उपलब्ध हैं तथा ग्राम सेवकों के 12.5 प्रतिशत पद उपलब्ध हैं। पुरानी स्थिति पुनः लायी जाय।

(4) पदोन्नति के नाममात्र अवसरों को देखते हुए 60 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

(5) नियत यात्रा भत्ते की दर बढ़ायी जाए। इसी प्रकार मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए कान्टिन्जेन्सी की धनराशि बढ़ायी जाए।

4.27 हमने सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभागों के प्रमुख अभियन्ताओं, लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता, निदेशक, भूमिगत जल सर्वेक्षण निदेशालय तथा अभियन्त्रण विभागों के सचिवों से सेवा संघों द्वारा प्रस्तुत किए गये ज्ञापनों में उठाये गये बिन्दुओं पर तथा अन्य संबंधित मामलों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया।

4.28 अभियन्त्रण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में लगभग एक मत थे कि अवर अभियन्ताओं को अपने संवर्ग तथा सहायक अभियन्ता के संवर्ग में पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई का मत था कि उनके विभाग के कार्य की प्रवृत्ति को देखते हुए सहायक अभियन्ता के पदों पर अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है परन्तु अन्य अधिकारियों का मत था कि इस समय वृहत निर्माण कार्यों में विकसित टेक्नालाजी अपनाई जाने के कारण सहायक अभियन्ता के संवर्ग में अवर अभियन्ताओं के पदोन्नति के प्रतिशत को बढ़ाना उचित न होगा। उक्त अधिकारियों ने इस बात का समर्थन किया कि अवर अभियन्ताओं के संवर्ग में तीन ग्रेड (1) सामान्य ग्रेड (2) प्रवर (सीनियर) ग्रेड तथा (3) सेलेक्शन ग्रेड होने चाहिए। ऐसे अवर अभियन्ताओं को जिन्हें प्रवर (सीनियर) ग्रेड में पदोन्नति किया जाए, अपने ही संवर्ग में अधिक जिम्मेदारी के पदों पर रखा जाए। उनका यह मत था कि अभियन्त्रण कार्य में, नयी टेक्नालाजी के संदर्भ में, उच्चतर प्राविधिक स्तरों की आवश्यकता है जिन्हें अवर अभियन्ता के संवर्ग में केवल अनुभव के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी उन्होंने यह संस्तुति की कि अवर अभियन्ताओं को हर प्रकार की सुविधा और अवसर उच्चतर प्राविधिक अर्हतायें बढ़ाने के लिये दिये जाने चाहिए।

4.29 प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस बात पर बल दिया कि अभियन्ताओं के संवर्ग में दो वेतनमान रखे जायें। इसके लिये उन्होंने यह संस्तुति की कि नीचे का वेतनमान प्रादेशिक सिविल सर्विस (प्रशासकीय) के आधार पर रखा जाय जो रु0 1000-2250 हो तथा उच्च वेतनमान रु0 1450-2750 रखा जाय जो उच्च अभियन्त्रण तत्व के आधार पर अभियन्ताओं को दिया जाय। प्रमुख अभियन्ता के अनुसार उच्च वेतनमान में अधिशासी और अधीक्षण अभियन्ता रखे जायें। उन्होंने यह भी संस्तुति की कि अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के समय अधिकारी के वेतन में 200 रु0 प्रतिमास की बढ़ोत्तरी हो जाय। अधीक्षण अभियन्ताओं के पद योग्यता के आधार पर चुनाव करके भरे जायें और उन्हें 200 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय। इसके अलावा उन्हों ने यह भी संस्तुति की कि मुख्य अभियन्ताओं को रुपया 2750-3000 का वेतनमान दिया जाय और प्रमुख अभियन्ता को रु0 3500 नियत वेतन दिया जाय।

4.30 प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग ने यह मत व्यक्त किया कि विभाग में उच्च पदों की संख्या बहुत कम है। सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिवों ने भी इसी बात पर बल दिया। प्रमुख अभियन्ता ने यह सुझाव दिया कि मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के पद 1:3:9 के अनुपात में होने चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि यदि कोई सहायक अभियन्ता 7 वर्ष की प्रशासनिक सेवा पूरी कर ले तो उसे स्वतः अधिशासी अभियन्ता के वेतनमान में रखा जाय चाहे उच्च पद उपलब्ध हों या न हों। इसी प्रकार 14 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अधिकारी को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दी जाय और 21 वर्ष की सेवा करने के बाद उसे वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर प्रोन्नति दी जाय।

4.31 मुख्य अभियंताओं ने यह संस्तुति की कि स्नातकोत्तर भत्ते को जारी रखा जाय। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ताओं के अलावा अन्य सभी प्रमुख अभियन्ता इस मत के थे कि डिजाइन, शोध, सर्वेक्षण और नियोजन के लिये एक अलग संवर्ग बनाया जाना चाहिये। प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग इस बात से सहमत थे कि इन कार्यों के लिये एक अलग संगठन होना चाहिये परन्तु उनका यह मत था कि इन कार्यों के लिये एक अलग निगम बनाया जाना चाहिये जो कन्सल्टेन्सी के आधार पर कार्य करे।

4.32 कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझाव जो मुख्य अभियन्ताओं द्वारा दिये गये, वे निम्नलिखित थे :—

(1) मोटर साइकिल भत्ता बढ़ाया जाय और मोटर साइकिल की खरीद के लिये ब्याज रहित ऋण दिया जाय।

(2) सहायक अभियन्ताओं को मोटर साइकिल दी जाय तथा अधिशासी अभियन्ताओं को सरकारी कार्य के लिये क्रमशः जीप और कार दी जाय।

(3) मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक के पद को जो इस समय अधिशासी अभियन्ता के स्तर का है, उन्नत करके अधीक्षण अभियन्ता के स्तर का किया जाय जिससे मुख्य अभियन्ता के महत्वपूर्ण कार्यों को देखने के लिये अधिक समय मिल सके।

सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग

अभियंत्रण अधिकारी

4.33 आयोग के सम्मुख जो साक्ष्य और ज्ञापन दिये गये उनके आधार पर अभियंत्रण स्नातकों की समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु विचारणीय हैं :—

(1) क्या स्नातकोत्तर अभियन्ताओं को एक अलग वर्ग माना जाय और उन्हें उच्च परिलब्धियां और विशेष वरीयता दी जाय ?

(2) क्या सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ताओं के संवर्ग में पदोन्नति के संबंध में बहुत अवरोध हैं ? यदि ऐसा है तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जायें ?

(3) क्या अभियन्ताओं के मामले में समयबद्ध तथा अबाध वेतनमान का सुझाव मान लिया जाय ?

(4) क्या अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के सभी पद मुख्य अभियन्ता के पदों में परिवर्तित कर दिये जायें ?

उपरोक्त बिन्दुओं पर आगे के प्रस्तरों में विचार किया गया है :

4.34 स्नातकोत्तर अभियंत्रण संघ ने नियुक्ति तथा पदोन्नति में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को विशेष वरीयता दिये जाने पर बल दिया है तथा प्रारम्भिक भर्ती और पदोन्नति में 2 से 6 वर्ष तक की ज्येष्ठता दिये जाने की मांग की। उन्होंने स्नातकोत्तर अर्हता के अनुसार रु0 150 से रु0 450 प्रतिमास तक स्नातकोत्तर भत्ता दिये जाने की भी मांग की। हमने संबंधित अध्याय में स्नातकोत्तर भत्ते/वेतन के गठन पर विचार किया है, अतः इसके बारे में इस स्थान पर अलग से विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त अधिकारियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित 2 वर्गों में रखा जा सकता है :—

(क) वे अधिकारी जिनके पास भर्ती के समय स्नातकोत्तर अर्हतायें हों तथा

(ख) वे अधिकारी जो अपनी सेवा अवधि में स्नातकोत्तर अर्हतायें सृजित करें।

जहां तक वर्ग "क" के अधिकारियों का संबंध है, उन्हें भर्ती के समय अन्य अधिकारियों की तुलना में स्नातकोत्तर डिग्री का लाभ मिल जाता है। एक बार किसी भी व्यक्ति के किसी पद पर नियुक्त होने के बाद उसकी ज्येष्ठता उसके संवर्ग में सेवा नियमों के अनुसार निश्चित होती है। उनके लिये पदोन्नति के पदों में कोई आरक्षण करना संभव नहीं है जब तक नियमों में संशोधन न किया जाय और कुछ पदों को बिल्कुल अलग से ऐसे व्यक्तियों से भरने का निर्णय न लिया जाय जिनके पास स्नातकोत्तर या उससे भी उच्चतर अर्हतायें हों। वर्तमान नियमों में ऐसा प्राविधान नहीं है कि वरिष्ठ पदों को केवल ऐसे अधिकारियों द्वारा भरा जाय जो स्नातकोत्तर अर्हतायें रखते हों। हमने वरिष्ठ अभियंत्रण अधिकारियों तथा कुछ वाह्य विशेषज्ञों से भी इस बिन्दु पर विचार-विमर्श किया। वे इस बारे में एक मत थे कि यदि पदधारक अपनी जानकारी बराबर बढ़ाता रहे तो विभाग में किसी भी पद के लिये स्नातक डिग्री और समय-समय पर सेवा में रहते हुये प्रशिक्षण पर्याप्त है। वर्ग "ख" में वे अधिकारी आते हैं जिन्होंने अपनी सेवा अवधि में स्नातकोत्तर अर्हतायें अर्जित की हैं। कई मामलों में अधिकारियों को जनहित में सरकारी खर्चे पर उच्च प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। उनके अनुभव और शैक्षिक अर्हतायें उस समय अधिक उपयोगी होती हैं जबकि ऐसे अधिकारियों को उन पदों पर नियुक्त किया जाता है जहां उच्च अर्हताओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह प्रश्न सीधे इस बात से संबंधित है कि ऐसे पदों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाय जहां कार्य के हित में उच्च प्राविधिक अर्हतायें सम्बन्धित क्षेत्र के लिये आवश्यक/अपेक्षित हों। किसी भी पद की अर्हतायें कार्य की आवश्यकता के आधार पर निश्चित की जाती हैं और ऐसे पदधारकों को जो ऊंची अर्हतायें रखते हों, ऊंचा वेतन पाने का स्वयं में कोई औचित्य नहीं है। एक प्रश्न यह भी है कि किसी पदधारक को जो पद दिया गया है उसके कार्य की वास्तविक आवश्यकताओं से उन स्नातकोत्तर अर्हताओं का क्या सम्बन्ध है जिन्हें उसने अर्जित की है।

4.35 सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुसंधान, डिजाइन, नियोजन तथा शोध शाखाओं में अभियन्ताओं के पद बड़ी संख्या में हैं। सिंचाई विभाग में 8 मुख्य अभियंता, 43 अधीक्षण अभियन्ता तथा 139 अधिशासी अभियंता, अनुसंधान, नियोजन, डिजाइन तथा शोध का कार्य देखते हैं। हमारे देश में नियोजित विकास की प्रगति के फलस्वरूप बहुत सी ऐसी परियोजनायें ली गई हैं जिनमें उच्च प्राविधिक ज्ञान की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि ऐसे नये क्षेत्रों की बराबर जानकारी रखी जाय जहां नई परियोजनायें ली जा सकती हैं। इस कार्य में प्रस्तावित परियोजना/परियोजनाओं से सम्बन्धित अनुसंधान, नियोजन तथा शोध एवं डिजाइन कार्य सम्मिलित हैं। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये काफी संख्या में नियोजन एवं अनुसंधान खंड तथा वृत्त सिंचाई विभाग में स्वीकृत किये गये हैं। सिंचाई विभाग द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का अनुसंधान एवं नियोजन कार्य भी राज्य विद्युत परिषद् की ओर से किया जाता है।

4.36 अभियंत्रण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें यह बतलाया है कि अधिकारी सामान्यतया इन विशिष्ट पदों पर अपनी तैनाती से बचते हैं और क्षेत्र में निर्माण एवं रख-रखाव सम्बन्धी पदों पर तैनाती को प्राथमिकता देते हैं। हमें यह भी इंगित किया गया कि कुछ अनुसंधान एवं नियोजन खंड के स्टाफ का आंशिक रूप से उपयोग निर्माण संबंधी

कार्य में किया जा रहा है। यह निर्विवाद है कि अनुसंधान नियोजन, डिजाइन और शोध शाखायें अभियंत्रण विभागों के बहुत महत्त्वपूर्ण अंग हैं तथा इन शाखाओं के लिये विभाग में उपलब्ध सबसे योग्य अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिये क्योंकि इन शाखाओं में कार्यों के गुणात्मक स्तर पर ही आर्थिक विकास निर्भर है तथा परियोजनाओं की वित्तीय क्षमता भी इनके गुणात्मक स्तर पर निर्भर है। इन विशेषीकृत शाखाओं में पदों की संख्या काफी बड़ी है और इन पदों को योग्य अधिकारियों द्वारा भरे जाने की समस्या वास्तव में आवश्यक है इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि इनमें से बहुत से पद रिक्त रहते हैं यह आवश्यक है कि इस समस्या का संतोषजनक हल निकाला जाय।

4.37 हमने इस प्रश्न पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, शासन के सचिवों तथा अन्य विख्यात अभियन्ताओं से वार्ता की। यह प्रस्ताव किया गया कि इन पदों के लिये अभियन्ताओं का एक विशेषीकृत संवर्ग अलग से बनाया जाय। अधिकतर वरिष्ठ अभियन्ता इस प्रस्ताव से सहमत थे। उन्होंने अलबत्ता कुछ कठिनाइयां हमारे सामने रखी जो उनके विचार से इस योजना के कार्यान्वियन में सरकार के सामने आ सकती हैं जैसे (क) यदि विशेषीकृत व्यक्तियों के लिये अलग संवर्ग बनाया जाता है तो जो अधिकारी इस संवर्ग में जायेंगे उन्हें क्षेत्र में कार्य का अनुभव न होगा जिसके फलस्वरूप इन अधिकारियों को परियोजना और डिजाइन बनाते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने में कठिनाई होगी, (ख) इन पदों के लिये उपयुक्त व्यक्ति कदाचित्त उपलब्ध न हों। हमारी राय में ये कठिनाइयां वास्तविक हैं परन्तु इन पर काबू पाया जा सकता है। बहुत से स्नातक और स्नातकोत्तर अभियन्ता अब उपलब्ध हैं जो इस विशेषीकृत संवर्ग के अन्तर्गत अपना भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहेंगे। प्रत्येक स्नातक अभियन्ता से यह आशा करना कि वह इस प्रकार के विशेषीकृत कार्यों में रुचि ले अव्यवहारिक है और जिन्हें ऐसे कार्यों में रुचि न हो वे इस प्रकार के सृजनात्मक प्रयासों में कोई वास्तविक योगदान नहीं कर सकते। यह संभव होना चाहिये कि विभागों में कार्यरत अधिकारियों में से अर्ह व्यक्तियों को इन पदों के लिये चुना जाय और यदि आवश्यक हो तो बाहर से भी इन पदों पर भर्ती की जाय। हम इस बात से सहमत हैं कि इन विशेषीकृत शाखाओं में इन पदों के पदधारकों को क्षेत्र में कार्य के अनुभव का अवसर मिलना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था किये जाने की रीति निकाली जा सकती है। यह स्पष्ट है कि इन पदों की परिलब्धियां अपेक्षाकृत ऊंची रखनी पड़ेगी।

4.38 अभियंत्रण विभागों की इन शाखाओं का कार्य परियोजनाओं का अनुसंधान और नियोजन कार्य करने तथा ऐसी परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अनुसंधान की जिम्मेदारी लेने के संबंध में राज्य सरकार को प्रमुख रूप से कन्सल्टेन्सी सेवा उपलब्ध कराना है जो सिंचाई या विद्युत विभाग द्वारा लिये गये हैं। इस प्रकार के संगठन में कई विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है। यह संभव है कि किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिये अपेक्षित कौशल उन व्यक्तियों में सदैव उपलब्ध न हो जो पहले से सरकारी सेवा में हों क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अपने कार्य को सामान्य रूप से करने के दौरान इस प्रकार के अवसर न आये हों। इसके अलावा विहित आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिये यह संभव नहीं है कि वे वह विशेष कौशल और प्राविधिक ज्ञान प्राप्त कर लें जिसे प्राप्त करने के लिये अपेक्षाकृत दीर्घ काल तक अध्ययन करने तथा प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन विभागों में प्रत्येक स्तर पर प्रतिभाशाली व्यक्ति कार्यरत हो सकते हैं, हमारा यह निश्चित मत है कि यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त तथ्य भी है कि विभाग के बाहर भी उच्च स्तरीय योग्यता और जानकारी वाले व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं। इस कारण हमें यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार के संगठन में यह लाभदायक होगा कि बीच के और उच्च स्तर पर अधिकारियों की सीधी भर्ती का भी प्राविधान किया जाये।

4.39 उपरोक्त के संदर्भ में हम संस्तुति करते हैं कि :—

(क) सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, डिजाइन और शोध अनुभागों को इन विभागों की पृथक शाखाओं के रूप में संगठित किया जाय।

(ख) यदि पर्याप्त अर्हता और अनुभव के अधिकारी बीच के और उच्च स्तर पर विभाग में उपलब्ध न हों तो अधिशासी अभियन्ता के ऊपर के पदों पर सीधी भर्ती संभव होनी चाहिये।

(ग) संवर्ग में स्टाफ की अपेक्षित संख्या के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त पद होने चाहिये जिससे 20 प्रतिशत अधिकारियों को क्षेत्रों में उपयुक्त पदों पर निर्माण और रख-रखाव के कार्यों पर बारी-बारी से काम करने के लिये भेजा जा सके। इस प्रक्रिया में उन्हें क्षेत्रीय आवश्यकताओं की जानकारी हो सकेगी। निर्माण और रख-रखाव के लिये स्वीकृत पदों में उतनी ही संख्या कम कर दी जाय।

(घ) विशेषीकृत संवर्ग संबंधित विभाग के प्रमुख अभियन्ता के नियंत्रण में होना चाहिये।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित प्रतिभा और कौशल वाले अधिकारी इस संवर्ग में शामिल हों, उन अधिकारियों को जो विभाग से इस संवर्ग में आने का विकल्प दें या जो बाद में इस संवर्ग में सम्मिलित हों, ऊंचे वेतनमान के रूप में अपेक्षाकृत अधिक परिलब्धियां दी जायें। अधीक्षण अभियन्ता के स्तर तक हम अलग वेतनमान की संस्तुति करते हैं...

हैं। मुख्य अभियन्ता संबंधित विभाग के मुख्य अभियन्ताओं की कुल संख्या में शामिल रहेंगे।

(च) शोध, डिजाइन, अनुसंधान एवं नियोजन संवर्ग में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय। हमारा सुझाव है कि :—

1. विशेषज्ञ संवर्ग के ऐसे सदस्यों को जो उच्च कोटि का कार्य करें, प्रोत्साहन देने का मानक निश्चित करने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की जानी चाहिये।

2. मानक ऐसे होने चाहियें कि उनका गुण और कार्यभार के आधार पर विश्लेषण हो सके, जैसे यदि किसी डिजाइन इकाई ने कम लागत का कोई डिजाइन तैयार किया है तो पूरी इकाई को पारितोषिक दिया जाना संभव होना चाहिये। इसी प्रकार यदि किसी परियोजना पर अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्य निश्चित समय में पूरा हो गया है तो पूरी इकाई को ही कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। अगर कार्य निर्धारित समय से पूर्व पूरा हो गया है तो अधिक पारितोषिक दिया जाना चाहिये। शोध के मामलों में इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि जो समस्यायें शोध शाखा को निर्दिष्ट की गई हैं उनका हल किसी सीमा तक निकला और उनका गुणात्मक स्तर क्या है।

4.40 अभियंत्रण सेवाओं के संबंध में जो अन्य मुख्य समस्यायें आयोग के सम्मुख रखी गईं वे (1) अभियंत्रण सेवाओं में अपेक्षाकृत निम्नतर वेतनमानों तथा (2) पदोन्नति के अवसरों में अवरोध के संबंध में हैं। हमने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में अनुमन्य वेतनमानों का तुलनात्मक परीक्षण किया। राज्य सरकार ने अभियंत्रण सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित करने के प्रश्न का परीक्षण करने तथा अभियंत्रण सेवाओं में उनके सेवा मूल्य को देखते हुये उनके लिये उचित वेतनमान की संस्तुति करने हेतु एक समिति का तत्कालीन मुख्य सचिव श्री बी0 डी0 सनवाल की अध्यक्षता में वर्ष 1974 में गठित की थी। दुर्भाग्यवश यह समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी। अभियंत्रण विभागों के विभागाध्यक्षों में से गठित एक उप समिति ने अभियंत्रण अधिकारियों के लिये निम्नलिखित वेतनमानों का सुझाव दिया था :—

	रु0
1. सहायक अभियन्ता	550—1,200
2. सहायक अभियन्ता (प्रवर वेतनमान)	800—1,450
3. सहायक अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड)	1,400—1,800
4. अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता	1,000—2,000
5. अधिशासी अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड)	1,800—2,000
6. अधीक्षण अभियन्ता	2,000—2,500
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	2,500—2,750
8. मुख्य अभियन्ता	3,000 नियत
9. प्रमुख अभियन्ता	3,500 नियत

4.41 सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग और मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक वर्किंग पेपर भी तैयार किया था जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे :—

(क) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के सभी पद मुख्य अभियन्ताओं के पदों में उन्नत (अपग्रेड) कर दिये जांय तथा प्रमुख अभियन्ता विभाग का प्रमुख विभागाध्यक्ष हो।

(ख) अभियन्त्रण सेवाओं में निम्नलिखित वेतनमान रखे जांय :—

	रु0
1. सहायक अभियन्ता	550—1,200
2. सहायक अभियन्ता (सीनियर ग्रेड)	8,00—1,450
1, 2 व 3 का 20 प्रतिशत	
3. सहायक अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड)	1,400—1,800
1, 2 व 3 का 10 प्रतिशत	
4. अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता	1,000—1,800
5. अधीक्षण अभियन्ता (सोलहवें वर्ष)	1,600—2,000
6. अधीक्षण अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड)	2,000—2,250
5 व 6 का 20 प्रतिशत	
7. मुख्य अभियन्ता	2,500—125/2—2,750
8. प्रमुख अभियन्ता	3,000 नियत

4.42 इस बारे में उस समय कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और दिसम्बर 1979 में राज्य सरकार ने अभियंत्रण सेवाओं के संबंध में वेतन आयोग को निम्नलिखित निर्देश प्रेषित किया :—

राज्य सरकार ने मुख्य अभियन्ताओं के कार्यकारी दल की संस्तुतियों तथा सनवाल समिति द्वारा गठित उप समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जो अभियंत्रण सेवाओं की कठिनाइयों के संबंध में है। सरकार इस तथ्य से अवगत है कि प्रदेश के विकास में अभियंत्रण सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है तथा अन्य समानान्तर सेवाओं की तरह उनमें भी उच्चतर तत्व है तथा उनकी प्राविधिक शिक्षा और क्षमताओं के अनुसार उन्हें समुचित पदोन्नति के अवसर मिलने चाहिये। सरकार इस बात से भी सहमत है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये। सरकार इस बात से भी सहमत है कि इस संदर्भ में उनके वेतनमान और ढांचे के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह सनवाल कमेटी के मूल सिद्धान्तों से सहमत है तथा सरकार द्वारा वेतन आयोग से यह आग्रह किया जाता है कि वह उपरोक्त दो समितियों तथा अन्य सेवाओं में स्थिति को ध्यान में रखते हुये अभियंत्रण सेवाओं के बारे में अपनी संस्तुतियां राज्य सरकार को दे।

4.43 हमने राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मामले पर गहराई से विचार किया है। संक्षेप में यह मामला इस प्रकार है :—

(क) अन्य सेवाओं की तरह अभियंत्रण सेवाओं में भी उच्चतर तत्व है।

(ख) यदि उनके पदोन्नति के अवसर अन्य समानान्तर सेवाओं के मुकाबिले में अपर्याप्त हैं तो इसे दूर करने के उपाय ढूंढ़े जायं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के संदर्भ में उनके वेतनमानों के ढांचे को पुनरीक्षित करने का औचित्य है।

4.44 इस तथ्य से कभी इन्कार नहीं किया गया है कि अन्य सेवाओं की तरह अभियंत्रण सेवाओं में भी उच्चतर तत्व है। वास्तव में अभियंत्रण सेवाओं द्वारा आर्थिक विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, वह उल्लेखनीय है और जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, भारतीय परिस्थितियों में विभिन्न परियोजनाओं में आधुनिक टेक्नालोजी लागू करने में उनका योगदान और अधिक होगा।

4.45 हमने पदोन्नति के अवरोध के प्रश्न पर ब्योरेवार विचार किया है। उत्तर प्रदेश अभियन्ता संघ ने अपने ज्ञापन में ब्योरेवार यह इंगित किया है कि 14 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि वाले सहायक अभियन्ताओं की सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद पर अभी पदोन्नति नहीं हो पाई है और इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ताओं की भी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी ऐसी ही स्थिति है। आयोग को जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार 1-4-1979 को सार्वजनिक निर्माण विभाग में भरे हुए पदों की वास्तविक संख्या निम्न प्रकार थी :—

1. सहायक अभियन्ता	1456
2. सहायक अधिशासी अभियन्ता	शून्य
3. अधिशासी अभियन्ता	328
4. अधिशासी अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड)	शून्य
5. अधीक्षण अभियन्ता	56
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	7
7. मुख्य अभियन्ता (प्रमुख अभियन्ता)	1

उपरोक्त स्थिति के अनुसार सामान्य ग्रेड के सहायक अभियन्ताओं हेतु 27 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर उपलब्ध थे। परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासकीय आदेश संख्या 4158-ई-जी/23-एस-एन-अनु-5-292-ई-जी/73 तथा संख्या 4168-ई-जी/23-ईजी-23-एस-एन-5-292-ई-जी/73, दिनांक 14-1-1974 द्वारा यह आदेश पारित किए गये थे कि सहायक अभियन्ताओं के 20 प्रतिशत पद सलेक्शन ग्रेड (रु0 650—1300) में रखे जांय और अधिशासी अभियन्ता के भी 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड (रु0 1250—1600 जिसे बाद में रु0 1300—1600 संशोधित किया गया) में रखे जायं। इन शासकीय आदेशों के अनुसार सहायक अधिशासी अभियन्ता के 225 पद और अधिशासी अभियन्ता के 48 पद सहायक अभियन्ताओं और अधिशासी अभियन्ताओं की उस समय की संख्या के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड में सृजित किये गए थे। 1-4-79 को सहायक अभियन्ताओं और अधिशासी अभियन्ताओं की संख्या के आधार पर सहायक अभियन्ता के सेलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या 291 और अधिशासी अभियन्ता के सेलेक्शन ग्रेड पदों की संख्या 66 होनी चाहिए। यदि ये पद भर दिये जायं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की अभियंत्रण सेवाओं में पदोन्नति के अवसर (सेलेक्शन ग्रेड पदों को शामिल करते हुए) 58 प्रतिशत हो जाते हैं अर्थात सहायक अभियन्ता सामान्य ग्रेड के पदों की संख्या 1165 और उससे ऊंचे पदों की संख्या 683 होती है।

4.46 सिंचाई विभाग के बारे में भी हमने 1-4-79 को विद्यमान स्थिति का अध्ययन किया है जिसे नीचे इंगित किया जा रहा है :—

1. सहायक अभियन्ता	2187
2. सहायक अधिशासी अभियन्ता	369
3. सहायक अभियन्ता इंचार्ज	100

4. वैयक्तिक सहायक प्राविधिक (टैक्नीकल)	20
5. अधिशासी अभियन्ता	407
6. अधिशासी अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड)	74
7. अधीक्षण अभियन्ता	131
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	22
9. मुख्य अभियन्ता (अब प्रमुख अभियन्ता)	1

4.47 उपर्युक्त आंकड़े के आधार पर सामान्य ग्रेड के सहायक अभियन्ताओं के पदों की संख्या 2187 होगी और उच्च पदों की संख्या 1124 होगी जिससे पदोन्नति के अवसर 51 प्रतिशत से भी अधिक हो जायेंगे। किन्तु यदि सेलेक्शन ग्रेड के पद सरकारी आदेशों के अनुसार भरे जायं तो पदोन्नति के अवसर बढ़कर 56 प्रतिशत तक हो जायेंगे।

4.48 हम इस बात से पूर्णतया अवगत नहीं हैं कि पदोन्नति के सभी पद क्यों नहीं भरे गये। हमें यह बताया गया है कि अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता के संबंध में मुकदमेबाजी होने के कारण पदोन्नति के पदों को भरा नहीं गया है। फिर भी हम जोरदार शब्दों में सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि वह अभियंत्रण अधिकारियों को राहत देने के लिये रिक्त पदों को तुरन्त भरे। सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वेतन आयोग को लिखे गये दिनांक 11-3-1980 के अपने पत्र में यह सुझाव दिया है कि एक डिवीजन में एक अधिशासी अभियन्ता और तीन सहायक अभियन्ता होने चाहिए। इस सुझाव के अनुसार डिवीजन का कार्य भार केवल उपान्तिक रूप से घट जायेगा और डिवीजनल कार्यालय में कुछ लिपिकों और अर्ध कुशल कार्मिकों के पद कम हो जायेंगे जिससे परिणामस्वरूप अधिशासी अभियन्ता कार्य की देख-रेख और भी प्रगाढ़ रूप से कर पायेगा और इससे राज्य कोषागार पर अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा।

4.49 सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता ने यह सुझाव दिया है कि अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता के पदों की संख्या में 1:3:9 का अनुपात होना चाहिये। विभाग में इस विषय में क्या मानक होना चाहिये। इस प्रश्न का परीक्षण करने के लिये हमारे पास पर्याप्त समय और सामग्री नहीं थी अतः सरकार इस प्रश्न का व्योरेवार परीक्षण करे।

4.50 हमने इस बात का कारण पता लगाने का प्रयास किया है कि गणितीय दृष्टि से पदोन्नति के पर्याप्त अवसर होने पर भी अधिक संख्या में अधिकारियों की पदोन्नति क्यों नहीं की गई। अभियंता संघ ने अपने ज्ञापन में यह निवेदन किया है कि नियतकालीन रूप से अधिक भर्ती की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में भर्ती का औसत 1959 तक प्रति वर्ष लगभग 20 रहा है। उसके बाद कई वर्षों में अधिक भर्ती हुई अर्थात 1961 में 88, 1964 में 97 1971 में 78, 1972 में 173 और 1973 में 196। सिंचाई विभाग में भी वर्ष 1960 तक प्रति वर्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 30-40 थी। फिर भी 1961 में 119, 1962 में 120, 1963 में 731, 1964 में 157, 1965 में 93, 1968 में 99 1969 में 120, 1970 में 113 अधिकारी भर्ती किये गये और 1971, 1972 और 1973 में प्रति वर्ष 200 से भी अधिक अधिकारी भर्ती किये गये। 1977 में 306 अधिकारी भर्ती किये गये। 1978 में 184 अधिकारी भर्ती किये गये।

4.51 जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है, जब कभी किसी विभाग में किसी संवर्ग में विशेष वर्षों में निम्नतम स्तर पर अधिक भर्ती की जाती है तो पदोन्नति के अवसरों में अवरोध होना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उच्चतर पद अनुमोदित प्रतिरूप के आधार पर ही स्वीकृत किये जाते हैं। यह बात लगभग सभी विभागों के संबंध में सच है, किन्तु अभियंत्रण सेवाओं में तो स्थिति इस समय सबसे अधिक खराब है क्योंकि निम्नतम वेतनमान में लगभग नियमित रूप से कई वर्षों तक भरे गये पदों की संख्या बहुत अधिक है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह अंकित किया है कि "प्रथम बार अकस्मात विस्तार किये जाने और तत्पश्चात अपेक्षाओं का बिना पूर्वानुमान लगाने और संवर्ग बनाने के लिये पर्याप्त उपाय किये बिना सतत विस्तार किये जाने के परिणामस्वरूप गुणता (क्वालिटी) घट गयी है। विस्तार किये जाने का परिणाम यह हुआ है कि भर्ती की तदर्थ रीति अपनाई गई और गुणता (क्वालिटी) की अधिक चिन्ता किये बिना पदों को अविवेकपूर्ण ढंग से भरा गया है"।

4.52 नीति के तौर पर हम "अबाध वेतनमान" को (रनिंग स्केल) के अवधारण के विरुद्ध हैं और समयबद्ध वेतनमान के सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं करते हैं जैसा कि "सामान्य सिद्धान्तों" से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है। हमारा यह दृढ़ मत है कि विभागीय अनुशासन की दृष्टि से भी समयबद्ध वेतनमान को अपनाना एक अच्छी युक्ति नहीं है। जैसा कि एक बहुत ही वरिष्ठ अभियंत्रण अधिकारी ने कहा है 'इससे अकुशलता और अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलेगा'। समयबद्ध वेतनमान उन संस्थाओं के लिये उपयुक्त हो सकता है जहां प्रशासनिक पदानुक्रम महत्वपूर्ण बात नहीं है किन्तु जहां नियंत्रण रेखा (लाइन आफ कमाण्ड) बनाये रखना है वहां यह पूर्णतया अनुपयुक्त है।

4.53 हम पहले ही यह इंगित कर चुके हैं कि हम विभागों में मानक निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं और इस प्रश्न का सरकार द्वारा व्योरेवार परीक्षण किया जाना है। फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि केन्द्रीभूत निर्माण और रख-रखाव डिवीजन में अधिशासी अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं में 1:4 का अनुपात आगे भी कायम रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में इस बात का परीक्षण किया जाय कि क्या सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई विभाग में सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन और डिजाइन और बिखरे

हुये निर्माण कार्यों में उच्चतर पदों का उच्चतर प्रतिशत (अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ताओं के बीच 1:3 का अनुपात जैसा कि उपयुक्त पाया जाय) रखना अधिक लाभप्रद होगा। सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों को दृष्टिगत रखते हुये कि उन विभागों में उच्च पदों की और अधिक संख्या में प्राविधान किये जाने से कार्य कुशलता और कार्य की गुणता बढ़ जायगी। सरकार इस बात की भी समीक्षा करे कि मुख्य अभियन्ताओं और अधीक्षण अभियन्ताओं के उच्चतर पदों के संबंध में अत्यधिक अनुकूलतम अनुपात क्या होना चाहिये। जैसा कि पूर्वोक्त पैराग्राफों में स्पष्ट किया जा चुका है, हम इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदोन्नति के अवसरों में बड़े पैमाने पर अवरोध है, अतः हम तात्कालिक उपाय के रूप में उदारतापूर्वक सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करते हैं। सरकार इस स्थिति को नियतकालिक रूप से समीक्षा करें।

4.54 स्थिति को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुये हम सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंत्रण अधिकारियों की संवर्ग व्यवस्था (कैडर मैनेजमेन्ट) और वेतनमानों के संबंध में निम्नलिखित संस्तुति करते हैं :—

(1) सहायक अभियन्ताओं के लिये सामान्य ग्रेड की, सहायक अभियन्ताओं के लिये एक सेलेक्शन ग्रेड की, अधिशासी अभियन्ताओं के लिये एक पृथक वेतनमान की और अधिशासी अभियन्ताओं के लिये एक सेलेक्शन ग्रेड की जो वर्तमान व्यवस्था है वह आगे भी जारी रहेगी जैसा कि वह अब तक जारी थी। फिर भी इन दोनों विभागों में जो विशेष परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुये हम यह संस्तुति करते हैं कि सहायक अभियन्ता के 30 प्रतिशत पद सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड में रखे जांय। अधिशासी अभियन्ताओं के मामले में हम यह संस्तुति करते हैं कि अधिशासी अभियन्ताओं के 25 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय किन्तु शर्त यह है कि पदधारियों को सेवा करते हुये कुल 15 वर्ष हो गये हों जिसमें से वे अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम पांच वर्ष तक सेवा कर चुके हों।

(2) इन दोनों विभागों में जो विशेष परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुये सहायक अभियन्ताओं के लिये सेलेक्शन ग्रेड उनके (सहायक अभियन्ताओं के) सामान्य ग्रेड से काफी ऊंचा होना चाहिये।

(3) इन विभागों में जो विशेष परिस्थितियां हैं उनमें ऐसे अधीक्षण अभियन्ताओं के जो कुल 25 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हों और जिसमें से वे अधिशासी अभियन्ता के रूप में कम से कम पांच वर्ष सेवा कर चुके हों, 15 प्रतिशत पद 2,200—2,600 रु० के सेलेक्शन ग्रेड में रखे जांय।

(4) सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के लिये सेलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या की गणना करते समय सामान्य ग्रेड में सहायक अभियन्ताओं और अधिशासी अभियन्ताओं के उन कुल पदों को हिसाब में सम्मिलित किया जाना चाहिये जो तीन वर्ष या उससे अधिक समय से चल रहे हैं और इसके लिये इस बात का विचार नहीं किया जाना चाहिये कि ये पद स्थायी, अस्थायी या तदर्थ हैं।

(5) विभिन्न विभागों के बीच वर्तमान समस्तर सापेक्षता (हारीजेन्टल रिलेटिविटी) भंग किये बिना अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को अपेक्षाकृत ऊंचे वेतनमान दिये जांय।

(6) अधीक्षण अभियन्ता के ऊपर, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 और मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पद सृजित किये जांय। हम इन दोनों पदों के लिये उपयुक्त वेतनमानों की संस्तुति कर रहे हैं।

(7) सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियन्ता के लिये हम मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के वेतनमान ऊपर 250 रु० के विशेष वेतन की संस्तुति कर रहे हैं।

(8) प्रमुख अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता स्तर-1 अपने स्टाफ अधिकारी के रूप में अधीक्षण अभियन्ता की कोटि के अधिकारियों को रख सकते हैं जिन्हें प्रतिमास 200 रु० का विशेष वेतन दिया जाय।

अवर अभियन्ता (जूनियर इंजीनियर)

4.55 अवर अभियन्ता अभियंत्रण विभागों का आधारिक कार्मिक है। उसके पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल तथा तीन वर्षीय डिप्लोमा है। सामान्यतया एक सहायक अभियन्ता चार अवर अभियन्ताओं के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं की कुल संख्या 7143 है, सार्वजनिक निर्माण विभाग में 5483 वर्णन किया है कि उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) ने है, लघु सिंचाई विभाग में 986 है और ग्राम्य अभियन्त्रण सेवा में 865 है। उनका मुख्य कार्य दिये गये विशिष्ट विवरण के अनुसार निर्माण कार्यों को सम्पादित कराना है। उत्तर प्रदेश अभियन्ता संघ, सिविल डिप्लोमा अभियन्ता संघ अधीनस्थ अभियंता सेवा संघ ने अपना अपना मामला आयोग के समक्ष रखा इन संघों ने यह निवेदन किया कि अवर अभियन्ता का वेतन उससे कम है जो सहायक अभियन्ता को अनुमन्य वेतन की तुलना में प्वाइन्ट रेटिंग रीति के आधार पर न्यायोचित है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं और उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में यह कहा कि सिंचाई विभाग में 1951 के बैच के अवर अभियन्ताओं और सार्वजनिक निर्माण विभाग में 1948 के बैच के अवर अभियन्ताओं की अभी सहायक अभियन्ताओं के रूप में पदोन्नति होनी है। यह रिपोर्ट है कि जल निगम में 1964 के बैच के अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के रूप में पदोन्नति हो चुकी है। अवर अभियन्ताओं ने जोरदार शब्दों में यह अभि-

उनके मामले पर उनके अनुकूल ढंग से विचार नहीं किया है।

4.56 हमने अवर अभियन्ता के वेतनमान जैसा कि वह उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) द्वारा नियत किया गया है, के प्रश्न का परीक्षण किया है। 1-8-72 के पूर्व उनका वेतनमान 175-300 रुपया था। इस वेतनमान की न्यूनतम धनराशि के अनुसार पदधारी 1-8-1972 को वास्तव में रु0 309 पा रहा था। इस वेतनमान की अधिकतम धनराशि पर पदधारी 461 रुपया पा रहा था इस वेतनमान में नियत महंगाई भत्ता जोड़ने पर न्यूनतम अनुमन्य धनराशि रु0 318 हो गयी और अधिकतम अनुमन्य धनराशि रु0 524 हो गई। इससे यह स्पष्ट है कि वेतनमान का वेतनमान से पुनरीक्षण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान अवर अभियन्ताओं के अनुकूल नहीं था।

4.57 जहां तक अवर अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं के वेतनमान में असमानता का संबंध है, उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) ने स्थिति का उस दृष्टिकोण से परीक्षण नहीं किया। फिर भी सहायक अभियन्ताओं को रु0 550-1200 का जो वेतनमान दिया गया वह रु0 300-900 का प्रतिस्थापन वेतनमान था केवल वेतनमानों को उद्धृत करके ही असमानता अनुपात के बारे में राय कायम नहीं की जा सकती है वरन् इस बात का ध्यान रखते हुए राय कायम की जा सकती है कि किसी विशेष निश्चित समय पर किन्हीं दो कर्मचारियों की वास्तविक परिलब्धियां क्या थीं। उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) द्वारा संस्तुति किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों के पूर्व अवर अभियन्ताओं की कुल परिलब्धियों के रूप में 309 रुपया पा रहा था जबकि सहायक अभियन्ता 511 रुपया पा रहा था। इस प्रकार उनकी परिलब्धियों में असमानता का अनुपात 1:1.65 था। उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद अवर अभियन्ता आरम्भिक वेतन के रूप में 318 रु0 पा रहा है और सहायक अभियन्ता आरम्भिक वेतन के रूप में 550 रु0 पा रहा है जिससे उनके आरम्भिक वेतन में असमानता का अनुपात 1:1.73 है। फिर भी दोनों वेतनमानों की अधिकतम धनराशि में असमानता का अनुपात 1:2.17 से बढ़कर 1:2.33 हो गया। 30-6-79 को वेतन को वेतन के आरम्भिक स्तर पर परिलब्धियों में असमानता का अनुपात 1:1.64 था और वेतनमान के अधिकतम स्तर पर परिलब्धियों का अनुपात 1:2.12 था। अवर अभियन्ता संघ ने यह सुझाव दिया है कि दोनों वेतनमानों के बीच असमानता का अनुपात 1:1.5 रखा जाय।

4.58 उत्तर प्रदेश, डिप्लोमा अभियन्ता संघ ने अपने ज्ञापन में विभिन्न राज्यों के वेतनमानों को उद्धृत किया है। फिर भी इन वेतनमानों से मुश्किल से तुलना की जा सकती है क्योंकि तामिलनाडू का वेतनमान (रु0 525-925) 1-4-78 से महाराष्ट्र का वेतनमान (रु0 395-900) 1-4-76 से, कर्नाटक का वेतनमान (रु0 500-1200) 1-1-77 से, उड़ीसा का वेतनमान (रु0 375-750) 1-1-74 से और आन्ध्र प्रदेश का वेतनमान (रु0 480-900) 1-1-74 से लागू है। बिहार द्वारा जो वेतनमान दिया गया है वह रु0 335-555 है। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का वेतनमान 1-1-73 से रु0 425-700 है। अधिकांश दक्षिणी राज्यों में अवर अभियन्ताओं के पद आंशिक रूप से डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों में से और आंशिक रूप से डिग्री प्राप्त व्यक्तियों में से भरे जाते हैं। विभिन्न राज्यों में क्रमिक राज्य वेतन आयोगों ने इस तर्क को नहीं माना कि विभिन्न संवर्गों के वेतनमानों को केन्द्रीय सरकार के तत्स्थान संवर्गों के वेतनमानों के समान किया जाय। राज्य सरकार के किसी विभाग में किसी सेवा के वेतनमानों के विषय में केवल संबंधित राज्य सरकार के अन्य विभागों में तत्स्थानी पदों के वेतनमानों के सम्बन्ध में ही विचार किया जा सकता है।

4.59 उत्तर प्रदेश अभियन्ता संघ ने अपने ज्ञापन में भूतिलिंगम समिति की रिपोर्ट के उद्धरण दिये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का उल्लेख है—

> "यह सोचना कि केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों का पूर्ण रूप से मानकीकरण हो जायगा, अवास्तविक और वास्तुतः संघीय अवधारणा के विपरीत होगा।"

4.60 अवर अभियन्ताओं के वेतनमानों और सम्बद्ध मामलों के प्रश्न पर चतुर्वेदी समिति द्वारा 1973 में विचार किया गया था। समिति ने अवर अभियन्ताओं के आधारिक वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने के लिये कोई संस्तुति नहीं की क्योंकि उसकी राय में वेतनमान एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और किसी विशेष सेवा के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने से राज्य सरकार के वेतनमान का सम्पूर्ण ढांचा बिगड़ जायेगा किन्तु उसने सेलेक्शन ग्रेड को रु0 400-600 से पुनरीक्षित करके रु0 400-750 किये जाने की संस्तुति की। उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) ने सेलेक्शन ग्रेड में 10 प्रतिशत पद रखे जाने की संस्तुति की है। चतुर्वेदी समिति ने यह संस्तुति की कि इस प्रतिशत को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाय। किन्तु सरकार ने इस प्रतिशत को बढ़ाकर बीस प्रतिशत कर दिया। इस संवर्ग में पदोन्नति के कम अवसरों को देखते हुए सरकार ने सिंचाई विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री एस0 डी0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 1978 में पुनः एक समिति नियुक्त की। समिति ने उत्तर प्रदेश के अन्य संवर्गों के वेतनमानों के प्रसंग में अवर अभियन्ताओं के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाई, किन्तु उसने यह संस्तुति की कि सहायक अभियन्ताओं के 5 प्रतिशत अतिरिक्त पद ऐसे अवर अभियन्ताओं के लिये सुरक्षित रखे जाने चाहिये जो या तो बी0 ई0 या ए0 एम0 आई0 ई0 डिग्री प्राप्त किये हुए हों, किन्तु उस दशा में जबकि इस कोटा में पदोन्नति किये जाने के लिये पर्याप्त संख्या में अवर अभियन्ता उपलब्ध न हों तो ये पद ऐसे अवर

अभियन्ताओं में से भरे जायें जो अभियन्त्रण डिग्री प्राप्त नहीं हैं।

4.61 जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सामान्यतया सहायक अभियन्ता के प्रत्येक पद के लिये अवर अभियन्ता के चार पद हैं। नवीनतम आदेशों के अनुसार सहायक अभियन्ताओं के 30 प्रतिशत पद अवर अभियन्ताओं में से भरे जाने के लिये आरक्षित हैं। अवर अभियन्ता अपने सेवाकाल के बिल्कुल अन्त में पदोन्नति पाते हैं अतः अभियन्ताओं के संवर्ग में उनके आगे बढ़ने के अवसर बहुत ही कम हैं। अतः उनकी पदोन्नति के अवसर 7.5 प्रतिशत हैं। इस विषय में हम अवर अभियन्ताओं की इस मांग से पूर्णतया सहमत हैं कि उन्हें पदोन्नति के और अवसर दिये जायें। हम यह भी पाते हैं कि अवर अभियन्ताओं के संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड में 20 प्रतिशत पदों की व्यवस्था किये जाने से स्थिति में काफी सुधार हुआ है किन्तु इससे उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई है।

4.62 अवर अभियंता 10 वर्ष संतोषजनक सेवा करने के बाद ही सहायक अभियन्ता के रूप में पदोन्नति किए जाने का पात्र होता है। यह स्वाभाविक है कि 20 वर्ष सेवा करने के बाद भी जब उसको पदोन्नति नहीं होती है तो वह यह समझता है कि उसकी पदोन्नति में अवरोध हो गया है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस विषय में कुछ किया जाना है।

4.63 अवर अभियन्ता संघ ने यह मांग की है कि उनकी पदोन्नति के लिये सहायक अभियन्ताओं के 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायें, किन्तु अभियन्त्रण विभागों की सामान्य धारणा यह है कि सहायक अभियन्ताओं के 30 प्रतिशत पदों को अवर अभियन्ताओं में से भरे जाने का जो वर्तमान फार्मूला है वह ठीक और न्यायोचित है। शोध और डिजाइन, नियोजन और मानिटरिंग जैसे विशेषीकृत क्षेत्र हैं जहां काफी उच्च स्तर का प्राविधिक ज्ञान अपेक्षित है। यहां तक कि भारी निर्माण कार्यों और रख-रखाव सम्बन्धी बृहद कार्यों के लिये भी उच्चतर प्राविधिक ज्ञान आपेक्षित है। फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि कम पेचीदा निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण अनुभवी अवर अभियन्ताओं द्वारा किया जा सकता है। अभियन्त्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत थे कि अवर अभियन्ताओं को जो कार्य सौंपे जाते हैं उनमें उच्चतर उत्तरदायित्व वाले कार्यों का प्रत्येक विभाग द्वारा पता लगाया जा सकता है तथा अधिक अनुभवी अवर अभियन्ताओं के प्रभार में रखा जा सकता है। प्रवर (सीनियर) पदों के लिये मानदण्ड के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा कुछ विशिष्ट सुझाव दिये गये।

4.64 हमारे लिये यह संभव नहीं है कि हम अलग-अलग कार्य/पद के ब्योरों में जांय, किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग अपने अपने विभागों में इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन से पद उच्चतर उत्तरदायित्व के हैं। पदोन्नति के अवसरों का तथा संवर्ग में अवरोध को हटाने की आवश्यकता का समग्र रूप से विचार करते हुये हम यह संस्तुति करते हैं कि—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं को 3 कोटियों में वर्गीकृत किया जाय।

(क) अवर अभियन्ता (सामान्य ग्रेड),

(ख) अवर अभियन्ता (सीनियर ग्रेड),

(ग) अवर अभियन्ता (सेलेक्शन ग्रेड)।

(2) अवर अभियन्ताओं के 20 प्रतिशत पद सीनियर ग्रेड में रखे जायें और पदधारियों को उच्चतर उत्तरदायित्व वाले अभिज्ञात पदों पर तैनात किया जाय। प्रवर (सीनियर) वेतनमान में पदोन्नति के प्रयोजन के लिये अवर अभियन्ता की नियमित भर्ती की गई होनी चाहिये और सम्बन्धित विभाग में लगातार सात वर्ष की उसकी संतोषजनक सेवा होनी चाहिये। सरकार सामान्य ग्रेड से सीनियर ग्रेड में पदोन्नति के लिये नियम बना सकती है।

(3) अवर अभियन्ता के संवर्ग के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें। सेलेक्शन ग्रेड पाने का हकदार होने के लिये अवर अभियन्ता को कम से कम 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी किये हुए होना चाहिये।

(4) यह सहायक अभियन्ताओं के पद पर अवर अभियन्ताओं के पदोन्नति के सामान्य स्रोत के अतिरिक्त है।

4.65 विभिन्न अभियंत्रण विभागों के मुख्य अभियंताओं और सरकार के अभियन्त्रण विभागों के सचिवों ने जो हमारे समक्ष साक्ष्य देने के लिये उपस्थित हुये थे जोरदार शब्दों में अपना यह मत व्यक्त किया कि सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने के लिये अवर अभियन्ता के लिए यह अवश्य ही अपेक्षित होना चाहिये कि वह विभागीय अर्हकारी परीक्षा पास कर ले जो कि कुछ समय पूर्व प्रचलित थी और अब भी सेवा नियमों का एक अंग है। हम इस सुझाव का अनुमोदन करते हैं कि इससे अवर अभियन्ता अपना प्राविधिक ज्ञान अद्यावधिक रखने तथा अभियन्त्रण के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान से अपने को अवगत रखने के लिए प्रेरित होंगे।

4.66 सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में स्नातक तथा डिप्लोमा प्राप्त अभियन्ताओं के वेतनमान और उनकी पदोन्नति के अवसरों पर विचार करने के बाद अब हम इन दोनों विभागों की विशिष्ट समस्याओं के बारे में विचार करेंगे।

सिंचाई विभाग—शोध कर्मचारी वर्ग—

4.67 शोध अधिकारी के 8 पद वेतनमान रु0 800-1450 में, शोध अधिकारी के 26 पद वेतनमान रु0 550-

1200 तथा शोध पर्यवेक्षक के 96 पद, रु0 350-700 के वेतनमान में हैं। शोध पर्यवेक्षक के पद के लिये विहित अर्हता बी0 एस-सी0 प्रथम श्रेणी अथवा एम0 एस-सी0 द्वितीय श्रेणी हैं। अगला उच्चतर पद सहायक शोध अधिकारी का है। इन पदों में से 50 प्रतिशत पद शोध पर्यवेक्षक की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और शेष 50 प्रतिशत पदों पर विभागीय सहायक अभियन्ता रखे जाते हैं। शोध अधिकारियों के सभी 8 पदों पर अधिशासी अभियन्ता रखे जाते हैं। इस प्रकार सीधे भर्ती किये गये 96 शोध पर्यवेक्षकों के लिये पदोन्नति के केवल 13 पद हैं। वे शोध पर्यवेक्षक या तो बी0 एस-सी0 प्रथम श्रेणी या एम0 एस0 सी0 द्वितीय श्रेणी में पास हुये रहते हैं अतः उनकी पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए। हम यह नहीं संस्तुति करेंगे कि सहायक शोध अधिकारियों और शोध अधिकारियों के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जायें क्योंकि वैज्ञानिक पदों पर पार्श्वीय प्रवेश (लेटरल इन्ट्री) होना भी आवश्यक है, इस लिये हम यह संस्तुति करते हैं कि—

(1) शोध पर्यवेक्षक के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें :

(2) शोध अधिकारी के 4 पद शोध पर्यवेक्षकों में से पदोन्नति किये गये सहायक शोध अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। चयन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये।

4.68 वैज्ञानिक सहायकों के भी 79 पद हैं जो रु0 280—460 के वेतनमान में हैं इन पदों में से 75 प्रतिशत पद इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये स्थानीय रूप से भरे जाते हैं तथा 25 प्रतिशत पद माडल सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस पद के लिये विहित अर्हता विज्ञान में स्नातक डिग्री या अभियंत्रण डिप्लोमा है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये इस पद के लिये अर्ह विज्ञान सहायक को कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हुए होना चाहिये। हम यह महसूस करते हैं कि उनका वेतनमान भी कुछ अधिक अर्थात् रु0 515—840 होना चाहिये माडल सहायक के वेतनमान में कोई असंगति नहीं है। प्रोत्साहन के तौर पर माडल असिस्टेंन्ट के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें। इस समय शोध पर्यवेक्षक के 25 प्रतिशत पद वैज्ञानिक सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। वैज्ञानिक संघ ने यह मांग की है कि शोध पर्यवेक्षक के 50 प्रतिशत पद वैज्ञनिक सहायकों में से भरे जायें। हमारा यह मत है कि शोध पर्यवेक्षकों के 30 प्रतिशत पद वैज्ञानिक सहायकों की पदोन्नति के लिये आरक्षित किये जायें।

4.69 हम यह भी संस्तुति करते हैं कि सरकार यह इंगित करे कि वैज्ञानिक सहायकों के कितने पद विज्ञान स्नातक की अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से भरे जायें और कितने पद अभियंत्रण डिप्लोमा की अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से भरे जायें। डिप्लोमाधारी वैज्ञानिक सहायकों का पद अवर अभियन्ताओं के संवर्ग का एक अंग होना चाहिये।

ड्राफ्ट्समैन और कम्प्यूटर—

4.70 ड्राफ्ट्समैन के 101 पद हैं जो रु0 280—460 (अर्ह) या रु0 200—320 और रु0 230—385 (अनर्ह) के वेतनमान में हैं। अर्ह ड्राफ्ट्समैन की भी दो कोटियां हैं ऐसे अर्ह ड्राफ्ट्समैन जो 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त हैं और ऐसे अन्य अनर्ह ड्राफ्ट्समैन जो आई0 टी0 आई0 की 2 वर्षीय प्रमाण-पत्र (सर्टीफिकेट) प्राप्त हैं। हमारे सामने यह कहा गया है कि यह एक असंगति स्थिति है। जो मूल बात विचारणीय है वह यह है कि क्या आई0 टी0 आई0 का दो वर्षीय प्रमाण-पत्र (सर्टीफिकेट) ड्राफ्ट्समैन के लिये पर्याप्त अर्हता है। हमने इस प्रश्न पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि कि वे इन पदों के लिये डिप्लोमाधारी व्यक्तियों को पसन्द करेंगे किन्तु उनके उपलब्ध न होने के कारण विभाग आई0 टी0 आई0 से अर्हता प्राप्त प्रमाण-पत्र धारी व्यक्तियों से काम चला सकते हैं। सामान्यतया हम इस पद के लिये जिसके लिये न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल के बाद आई0 टी0 आई0 का प्रमाण-पत्र है रु0 400—615 के वेतनमान की संस्तुति करते, किन्तु इस पद की प्रकृति और महत्व को देखते हुए हम इसके लिये रु0 470—735 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन का पद रु0 300—500 के वेतनमान में है। इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये आवश्यक है कि वह वास्तुकला में डिप्लोमा प्राप्त किये हुए हो और यह पद डिप्लोमाधारी व्यक्ति से भरा जाना चाहिये।

4.71 मेकैनिकल ड्राफ्ट्समैन का पद रु0 325—575 के वेतनमान में है। सिंचाई विभाग में मेकैनिकल ड्राफ्ट्समैन का महत्वपूर्ण योगदान है अतः यह पद डिप्लोमाधारी मेकैनिकल ड्राफ्ट्समैन से भरा जाना चाहिये। कार्य की प्रकृति को देखते हुए इस पद के लिये रु0 550—940 का उच्चतर वेतनमान दिये जाने का औचित्य है। हेड आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन और कम्प्यूटर के पद रु0 325—575 के वेतनमान में हैं जो ड्राफ्ट्समैन और आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उन्हें भी वही वेतनमान दिया जाय।

4.72 पूर्ववर्ती पैराग्राफ में जो विचार किया गया है उसके प्रसंग में हम यह संस्तुति करते हैं कि :—

(1) ड्राफ्ट्समैन के कोई भी और पद अनर्ह व्यक्तियों से नहीं भरे जाने चाहिये,

(2) जो अनर्ह ड्राफ्ट्समैन—10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें रु0 400—615 का वेतनमान दिया जाय,

(3) अर्ह ड्राफ्ट्समैन (मेकैनिकल और आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन से भिन्न) का सामान्य वेतनमान रु0 470—735 हो,

(4) ड्राफ्ट्समैन के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें,

(5) कम्प्यूटर और हैड आर्किटैक्चरल ड्राफ्ट्समैन रु0 550—940 के वेतनमान में हों,

(6) कम्प्यूटर और हैड आर्किटैक्चरल ड्राफ्ट्समैन के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखें जायें ।

4.73 उपर्युक्त संस्तुति करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि इस पद के लिये भविष्य में अधिकतर आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र धारी व्यक्ति उपलब्ध होंगे । सामान्यतया हम इस बात की संस्तुति न करते कि आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र धारी ड्राफ्टसमैन को सहायक अभियन्ता के रूप में पदोन्नति की जाय किन्तु यह सम्भव है कि कुछ ड्राफ्टसमैन उच्चतर पद प्राप्त करने की नीयत से इस पद के कार्य को बहुत परिश्रम से तथा निष्ठा की भावना से करके आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लें अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि उन्हें इस समय पदोन्नति का जो कोटा उपलब्ध है वह जारी रहे किन्तु शर्त यह है कि वे विभाग द्वारा विहित परीक्षा (टैस्ट) पास कर लें ।

4.74 पदानुक्रम में सबसे निचला पद ट्रेसर का है जो रु0 185-265 के वेतनमान में है इस कोटि के कुल पदों की संख्या 843 है । ट्रेसर के पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल है जिसमें एक विषय ड्राइंग, आर्ट्स या या कामर्शियल ड्राइंग होना चाहिये ड्राफ्टसमैन के 20 प्रतिशत पद 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने के बाद ट्रेसर की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । हमारा यह मत है कि यह प्रणाली भविष्य में भी चालू रहनी चाहिये और ट्रेसर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर लेने के बाद रु0 354-550 के वेतनमान में ड्राफ्टसमैन के पद पर पदोन्नति पाने के पात्र होने चाहियें ।

पतरौल/ट्यूबवेल चालक/मिस्त्री/अमीन जिलेदार/डिप्टी रेवेन्यू आफिसर

4.75 1-4-79 को पदों की संख्या तथा इन कोटियों में से प्रत्येक कोटि के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

पद का नाम	वेतनमान (रु0)	पदों की संख्या
1 नलकूप चालक	185—265	12.232
	200—320 (सेलेक्शन ग्रेड)	1.283
2 पतरौल	185—265	6.487
	200—320 (सेलेक्शन ग्रेड)	687
3 मुंशी	185—265	704
	200—320 (सेलेक्शन ग्रेड)	108
4 हेड मुंशी	200—320	136
5 सिंचाई पर्यवेक्षक (इरीगेशन सुपरवाईजर)	200—320	2.191
6 मिस्त्री	200—320	889
7 सेक्शनल मिस्त्री	200—320	416
8 जिलेदार	280—460	543
9 डिप्टी रेवेन्यू आफिसर	400—750	140

4.76 सम्बन्धित संघ की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं

(1) वेतनमान निम्नतर हैं,

(2) पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं,

हमने विभिन्न पदों को भरे जाने के लिये उनके विहित अर्हताओं तथा भर्ती की रीति का परीक्षण किया है लगभग 19,000 पद रु0 185—265 के वेतनमान में जिनमें से पदोन्नति वाले पद लगभग 3,000 हैं । सेलेक्शन ग्रेड में भी लगभग 2000 पद हैं । इस प्रकार उच्चतर वेतनमान के पदों की संख्या निम्नतम ग्रेड के पदों की लगभग प्रतिशत है ।

4.77 कुछ वेतनमानों में कुछ असंगति है । ट्यूबवेल आपरेटर और पतरौल का सेलेक्शन ग्रेड रु0 200—320 जो पदोन्नति वाले पदों अर्थात् सिंचाई पर्यवेक्षक, सेक्शनल मिस्त्री और हेड मुंशी के पदों का वेतनमान है । इसी प्रकार मुंशी का पद जो ट्यूबवेल आपरेटरों और पतरौल के पदोन्नति का पद समझा जाता है रु0 185-265 के वेतनमान में है जो ट्यूबवेल आपरेटरों और पतरौलों का वेतनमान है । इन पदों के लिये वेतनमान निर्धारित करते समय हमने वर्तमान वेतनमानों में विद्यमान इस श्रृंखला का ध्यान रखा है । हम यह भी संस्तुति करते हैं नलकूप चालक के 20 प्रतिशत पदों पर और सिंचाई पर्यवेक्षक के 10 प्रतिशत पदों पर उन सभी पदों की संख्या के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिये जो पद 3 वर्ष या उससे अधिक समय से विद्यमान हैं, भले वे स्थायी हों या अस्थायी ।

4.78 जिलेदार 280-460 रु0 के वेतनमान में सिंचाई पर्यवेक्षक राजस्व अधिष्ठान संघ (इरीगेशन सुपरवाईजर रेवेन्यू इस्टेब्लिशमेन्ट एसोसियेशन) ने हमें यह बताया किया है कि डिप्टी रेवेन्यू आफिसर के लिये पदोन्नति के अवसर नहीं हैं । यह बताया गया कि यह पद जिलेदारों से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है । जिलेदार के पद सिंचाई पर्यवेक्षकों की पदोन्नति करके भरे जाते हैं और सिंचाई पर्यवेक्षक के पद पतरौल/नलकूप चालकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । अतः डिप्टी रेवेन्यू आफिसर इस पद पर अधिक आयु के हो जाने पर नियुक्त किये जाते हैं और इस बात का विचार करके उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुतियों को अंगीकार किये जाने के पूर्व डिप्टी रेवेन्यू आफिसर को रु0 225-500 के वेतनमान में 325 का आरम्भिक वेतन दिया गया । हमारा यह मत है कि डिप्टी रेवेन्यू आफिसर का वेतनमान अल्प अवधि (शार्ट स्पैन) का वेतनमान होना चाहिये और इसलिये हम इसके लिये रु0 745-1170 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं ।

4.79 सिंचाई विभाग में सिगनलर के 450 पद हैं जो रु0 200-320 के वेतनमान में हैं । वे हाई स्कूल के साथ 2 वर्षीय टेलीग्राफिक डिप्लोमा प्राप्त किये हुये हैं । इनके लिये पदोन्नति के अवसर नहीं हैं । इस संवर्ग के विशिष्ट मामले में हम निम्नलिखित संस्तुति करते हैं—

(1) सिगनलरों को ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के सिगनलरों की कोटि में रखा जाय ।

(2) ग्रेड-2 के सिगनलरों को रु0 354-550 के वेतनमान और ग्रेड-1 के सिगनलरों को रु0 400-615 के वेतनमान में रखा जाय ।

(3) ग्रेड-1 के सिगनलरों के पदों की संख्या ग्रेड-2 के सिगनलरों के पदों की 30 प्रतिशत रखी जाय ।

4.80 इस समय मुंशी के 704 पद हैं जो रु0 185-265 के वेतनमान में हैं और हेड मुंशी के 136 पद हैं जो रु0 200-320 के वेतनमान में हैं । मुंशी का पद नलकूप चालकों और पतरौलों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है जो उसी वेतनमान में हैं जो मुंशियों को अनुमन्य है । मुंशी का कार्य लिपिकीय है । हम इस बात से अवगत नहीं हैं कि किस बात से विवश हो कर ये पद नलकूप चालकों और पतरौलों में से भरे जाते हैं । हमारा यह मत है कि मुंशियों और हेड मुंशियों का एक पृथक संवर्ग होना चाहिये । मुंशी के लिये न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट तथा टाइप का ज्ञान होना चाहिए। जैसा लिपिकीय संवर्गों के लिये विहित है । मुंशी का पद रु0 354-550 के वेतनमान में रखा जाय । हेड मुंशी का पद मुंशियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाय और उसका वेतनमान रु0 400-615 रखा जाय । इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि वेतनमानों को बढ़ा दिया गया है, हम मुंशियों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति नहीं कर रहे हैं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

आर्कीटेक्चरल सेक्शन

4.81 आर्कीटेक्चरल सेक्शन के विभिन्न पदों, उनकी कुल संख्या और वर्तमान वेतनमानों को नीचे दिया गया है—

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान रु0
1—ज्येष्ठ वास्तुविद	3	1400-1800
2—वास्तुविद	11	800-1450
3—सहायक वास्तुविद	20	550-1200

4.82 सहायक वास्तुविद का पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे भरा जाता है जबकि उच्चतर पद अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियंता आदि के सादृश्य पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । इस संवर्ग के व्यक्तियों की मुख्य मांग यह है कि इस संवर्ग के अधिकारियों को वही विशेष वेतन दिया जाना चाहिये जो कि शोध और डिजाइन अनुभाग में अभियंत्रण अधिकारियों को अनुमन्य है । आर्कीटेक्चरल पाठ्यक्रम सामान्य अभियन्त्रण पाठ्यक्रम की अपेक्षा दीर्घ कालिक अवधि का है और उसके कार्य की औचित्यपूर्ण ढंग से तुलना कुछ हद तक शोध और डिजाइन अभियंत्रण अनुभाग आदि से की जा सकती है । इसीलिये हमने "विशेष वेतन" से संबंधित अध्याय में सहायक वास्तुविद (असिस्टेन्ट आर्कीटेक्ट) वास्तुविद और ज्येष्ठ वास्तुविद के लिये "विशेष वेतन" की संस्तुति की है । इस संवर्ग के संबंध में अभी सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है अतः हम सेलेक्शन ग्रेड आदि के संबंध में कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं । यदि वास्तुविद और ज्येष्ठ वास्तुविद के सभी पद सहायक वास्तुविद में से पदोन्नति द्वारा भरे जांय तो 20 निम्नतर पदों के लिये पदोन्नति वाले पद 14 हैं । इस प्रकार पदोन्नति के अवसर लगभग 70 प्रतिशत हैं । अभियंत्रण संवर्ग के प्रतिरूप हम यह संस्तुति करते हैं कि सहायक वास्तुविद के 25 प्रतिशत पद डिप्लोमाधीरी वास्तुविद में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं ।

वैज्ञानिक और शोध कार्य—

4.83 इस कोटि के अन्तर्गत उप निदेशक (अनुसंधान), सहायक शोध अधिकारी, कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ (जूनियर सहायक कैमिस्ट) और प्रयोगशाला सहायक के पद हैं । उनकी कुल संख्या तथा वर्तमान वेतनमान निम्न हैं—

पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान रु0
1—उपनिदेशक (अनुसंधान)	1	800—1450
2—सहायक शोध अधिकारी	9	550—1200
3—कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ (जूनियर असिस्टेन्ट कैमिस्ट)	24	280—460
4—प्रयोगशाला सहायक		

4.84 इन संवर्गों के सम्बन्ध में सेवा नियमावली नहीं बनायी गयी है । कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ (जूनियर असिस्टेंट कैमिस्ट) के पद के लिये विहित अर्हता बी0 एस0 सी0 है और प्रयोगशाला सहायक के लिये विहित अर्हता इंटरमीडियेट (विज्ञान) है । इन वैज्ञानिक कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं । अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि:—

(1) कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ का पद नाम कनिष्ठ रसायनज्ञ (जूनियर कैमिस्ट) रखा जाय और उन्हें दो ग्रेडों में अर्थात् कनिष्ठ रसायनज्ञ ग्रेड-1 और कनिष्ठ रसायनज्ञ ग्रेड-2 में 3:7 के अनुपात में रखा जाय ।

(2) कनिष्ठ रसायनज्ञ ग्रेड-1 को रु0 515—840 का वेतनमान दिया जाय और कनिष्ठ रसायनज्ञ ग्रेड-2 को रु0 470—735 का वेतनमान दिया जाय ।

(3) रु0 400—615 का वेतनमान ऐसे प्रयोगशाला सहायकों को दिये जायं जिनके पास प्रयोगशाला टेक्निशियन का डिप्लोमा हो या जो 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा कर चुके हों ।

(4) सहायक शोध अधिकारी के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें ।

ड्राफ्ट्समैन/कम्प्यूटर/ट्रेसर—

4.85 1-4-1979 को इस कोटि में जो पद थे वे नीचे दिये गये हैं :—

पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वेतनमान रु0
1—कम्प्यूटर	574	325—575 400—750 (सेलेक्शन ग्रेड)
2—हैड ड्राफ्ट्समैन	59	325—575 400—750 (सेलेक्शन ग्रेड)

पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वेतनमान रु0
3—आर्किटेक्चरल असिस्टेंन्ट	21	450—950
4—हेड आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमॅन	1	325—575
5—आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमॅन	61	300—500
6—ड्राफ्टसमॅन	1212	280—460
		300—500 (सेलेक्शन ग्रेड)
7—ट्रेसर	406	185—265

4.86 कम्प्यूटर के कुल पदों में से 20 प्रतिशत पद ड्राफ्टसमॅन में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इसी प्रकार हेड ड्राफ्टसमॅन के सभी पद ड्राफ्टसमॅन में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। हमने ड्राफ्टसमॅन, हेड ड्राफ्टसमॅन और कम्प्यूटर के वेतनमान का परीक्षण किया है। हम वर्तमान वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाते हैं। सिंचाई विभाग से सम्बन्धित पॅराग्राफ में ड्राफ्टसमॅन के पदों के बारे में जो संस्तुतियां की गई हैं वे इस मामले में भी लागू होंगी। फिर भी हम यह संस्तुति करते हैं कि सेलेक्शन ग्रेड के प्रयोजन के लिये कम्प्यूटर के ऐसे सभी पदों का जो 3 वर्ष या उससे अधिक समय से विद्यमान हैं विचार में लिया जाना चाहिये। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि हेड ड्राफ्टसमॅन के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि ड्राफ्टसमॅन के 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

4.87 जहां तक आर्किटेक्चरल सेक्शन के पदों का सम्बन्ध है हम यह पाते हैं कि आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट और आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमॅन के पद की अर्हतायें एक ही हैं यद्यपि कि आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट का वेतनमान रु0 450—950 है और आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमॅन का वेतनमान रु0 300—500 है। केवल अन्तर यह है कि आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्ट के 80 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमॅन के पद विभागीय चयन समिति द्वारा भरे जाते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमॅन का पद रु0 300-500 के वेतनमान में है। इस पद को विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं। ये पद लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जाने चाहिये। आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट के वेतनमान को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट के 30 प्रतिशत पद आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमॅन में से पदोन्नति द्वारा भरे जायें और आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें।

4.88 ट्रेसर की आधारिक अर्हता हाई स्कूल है जिसमें "आर्ट" एक विषय होना चाहिये। इनका वर्तमान वेतनमान पर्याप्त है। ड्राफ्टसमॅन के 20 प्रतिशत पद पदोन्नति हेतु ट्रेसर के लिये आरक्षित रहते हैं। ड्राफ्टसमॅन की कुल संख्या 1212 है अतः उनकी (ट्रेसर की) पदोन्नति के अवसर पर्याप्त हैं।

4.89 जहां तक अनर्ह ड्राफ्टसमॅन का संबंध है, इस अध्याय में हम इसके पूर्व यह अंकित कर चुके हैं कि ड्राफ्टसमॅन के पद पर अनर्ह व्यक्तियों की भर्ती नहीं की जानी चाहिये। अनर्ह ड्राफ्टसमॅन का सामान्य ग्रेड रु0 200-320 का है, किन्तु जो व्यक्ति 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा कर चुके हैं वे रु0 230-385 के वेतनमान में रखे जाते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि यह व्यवस्था संतोषजनक है।

वर्कचार्ज कर्मचारी—

4.90 राज्य सरकार वर्क चार्ज कर्मचारियों की प्रणाली को हतोत्साहित करती रही है। प्रयास यह होना चाहिये कि किसी परियोजना पर वर्क चार्ज कर्मचारियों की संख्या यथा संभव कम से कम रखी जाय। राज्य सरकार ने वर्क चार्ज कर्मचारियों के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई है। इस समय सिंचाई विभाग में 7000 कर्मचारी दैनिक मजदूरी के आधार पर रखे गये हैं। इन कर्मचारियों में अकुशल, अर्ध कुशल व्यक्ति सम्मिलित हैं। ये कर्मचारी अधिकतर नलकूपों के ड्रिलिंग कार्य से संबंधित परियोजनाओं पर लगे हुए हैं। स्पष्टतः स्थायी पदों पर जो नियमित कर्मचारी हैं वे इन कार्यों पर नहीं लगाये जा सकते हैं। वर्क चार्ज कर्मचारिवर्ग पर होने वाला व्यय संबंधित परियोजना के पूंजी व्यय के नाम में डाला जाता है।

4.91 यहां तक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन भी सेवायोजक को यह अधिकार है कि वह अपने अधिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या अवधारित करे और ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो परिनियत विहित अवधि तक लगातार सेवा कर चुके हों, छटनी संबंधी प्रतिकर का भुगतान करके फालतू कर्मचारिवर्ग की छटनी कर दे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राज्य सरकार को छटनी करने का अधिकार है परन्तु ऐसी कार्यवाही किये जाने के पूर्व अनुच्छेद 309 के अधीन इस संबंध में नियमावली अवश्य बनाई जानी चाहिये। इस समय कोई नियमावली न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी स्थिति अस्थायी सरकारी कर्मचारी से उच्चतर है।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल कार्मिक—

4.92 इस समय बेलदार और मेट दोनों ही रु0 165-215 के वेतनमान में हैं। अभियंत्रण विभागों ने जोरदार शब्दों में यह संस्तुति की है कि मेट पर्यवेक्षी कार्मिक है अतः उसे उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिये ताकि वह प्रभावी हो सके। हम इस संस्तुति से सहमत हैं और तदनुसार हम मेट के लिये उच्चतर वेतनमान अर्थात् रु0 300-440 की संस्तुति करते हैं। वर्क एजेन्ट और मुंशी के पद पदानुक्रम में मेट की तुलना में कुछ उच्चतर हैं। अतः हम वर्क एजेन्ट के लिए रु0

300-440 के वेतनमान के अतिरिक्त प्रतिमास 10 रु0 का भत्ता दिये जाने की संस्तुति कर रहे हैं। मेट और वर्क एजेन्ट के संबंध में यह संस्तुति सभी अभियंत्रण विभागों पर लागू होगी।

4.93 हम यहां ड्राइवरों और चौकीदारों के वेतनमान के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं क्यों कि वे सामान्य कोटि के पद हैं और उनके बारे में संगत अध्याय में विचार किया गया है।

विधिक सहायता (लीगल असिस्टेन्ट)

4.94 विधिक सहायकों का वर्तमान वेतनमान रु0 300-500 है। असंगति समिति ने उनके लिये रु0 350-700 के वेतनमान की संस्तुति की थी। यदि उनकी अर्हता और शर्तें की रीति वही हैं जो सहायक सरकारी अभियोक्ता (असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासिक्यूटर) की है। ये शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। अतः उनका वेतनमान रु0 300-500 ही है। जब तक कि ये पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से न भरे जायं, हम इन पदों के वेतनमान को पुनरीक्षित करके बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

विद्युत निरीक्षणालय

4.95 निरीक्षणालय के प्राविधिक पक्ष में निम्नलिखित पद हैं—

पद का नाम	पद की कुल संख्या	वेतनमान रु0
मुख्य विद्युत् निरीक्षक	1	1950-2250
उप विद्युत् निरीक्षक	6	800-1450
सहायक विद्युत् निरीक्षक	24	550-1200
विद्युत् पर्यवेक्षक	22	400-750
विद्युत ओवर सियर	35	300-500

4.96 निम्नतम प्राविधिक पद विद्युत ओवरसियर का है। ओवरसियर के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। अगला पद विद्युत पर्यवेक्षक का है। विद्युत पर्यवेक्षक के सभी पद विद्युत ओवरसियरों से भरे जाते हैं विद्युत ओवरसियरों के 35 पद हैं जबकि विद्युत् सुपरवाइजरों के 22 पद हैं। अतः विद्युत् पर्यवेक्षक की पदोन्नति के अवसर लगभग 63 प्रतिशत हैं यह प्रतिशत और भी बढ़ जाता है क्योंकि सहायक विद्युत् निरीक्षक के 25 प्रतिशत पद भी विद्युत् पर्यवेक्षक में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अतः विद्युत् ओवरसियर या विद्युत् पर्यवेक्षक के पद पर सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। फिर भी सहायक विद्युत् निरीक्षक के सामान्य ग्रेड के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें। उप विद्युत् निरीक्षक के केवल 6 ही पद हैं अतः हम यह महसूस करते हैं कि मुख्य विद्युत् निरीक्षक उनके कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये पर्याप्त हैं और मुख्य विद्युत् निरीक्षक तथा विद्युत् निरीक्षक के बीच कोई मध्यवर्ती पद सृजित किये जाने का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं। फिर भी हम उप विद्युत निरीक्षक के एक पद पर सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संस्तुति करते हैं।

लघु सिंचाई विभाग

4.97 तुलनात्मक दृष्टि से यह एक नया विभाग है और इसमें निम्नलिखित प्राविधिक पद हैं:—

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
		रु0
मुख्य अभियन्ता	1	1950-2250
अधिशासी अभियन्ता	13	800-1450
सहायक अभियन्ता	71	550-1200
ज्येष्ठ अवर अभियन्ता	50	400-750
अवर अभियन्ता	109	300-500
सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई)	876	300-500
बोरिंग मेकेनिक	1003	200-320
असिस्टेन्ट बोरिंग मेकेनिक	1118	185-265
ड्राफ्ट्समेन	11	280-460
ट्रेसर	15	185-265
अमीन	67	185-265
पतरोल	7	170-225
ड्राइवर	21	185-265

सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) का पद प्राविधिक पद है। सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) के 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं 12-1/2 प्रतिशत पद बोरिंग मेकेनिक में से और 12-1/2 प्रतिशत पद ग्राम सेवक में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। हम उन परिस्थितियों को नहीं जानते हैं जिनमें यह प्राविधिक पद ग्राम सेवकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। हमारा यह मत है कि सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) का पदोन्नति का जो पद है वह विभागीय परीक्षा के आधार पर बोरिंग मेकेनिक की पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिये।

4.98 बोरिंग मेकेनिक संघ ने यह सुझाव दिया है कि बोरिंग मेकेनिक और असिस्टेन्ट बोरिंग मेकेनिक सभी को एक ही संवर्ग में स्वीकृत किया जाना चाहिये। इस सुझाव के लिये हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है और हम यह महसूस करते हैं कि दोनों ही सेवाओं को पृथक-पृथक ही रखा जाना चाहिए जैसा कि अब तक रखा गया है।

4.99 हमने मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई से जो विचार विमर्श किया उसके दौरान हमें यह बताया गया है कि उनके विभाग में उतना परिष्कृत और विकसित प्राविधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जितना कि सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग में है। अतः उनके विभाग में सहायक अभियन्ताओं

के 50 प्रतिशत पद अवर अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं तदनुसार हम यह संस्तुति करते हैं कि (निजी) लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के 50 प्रतिशत पद अवर अभियन्ताओं में से भरे जांय।

4.100 सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) के 20 प्रतिशत पद इस समय सेलेक्शन ग्रेड में हैं। सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) और अवर अभियन्ता की संख्या सम्मिलित रूप से 985 है और उन्हें पदोन्नति के जो पद उपलब्ध हैं उनकी संख्या 100 से कम है अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई) के 25 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें जैसा कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई ने सुझाव दिया है।

इस विभाग में अमीन के 21 पद और पतरौल के 7 पद हैं। हम इस विषय में निश्चित नहीं हैं कि इस विभाग में इन पदों की क्या उपयोगिता है। सरकार इस बात का परीक्षण करना चाहे कि क्या (निजी) लघु सिंचाई विभाग में इन पदों की अब भी आवश्यकता है। हमें यह बताया गया है कि जिस कार्य के लिये ये पदसृजित किये गये थे वह कभी चालू ही नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में हम उनकी पदोन्नत आदि के सम्बन्ध में कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं। फिर भी जब तक कि पतरौल और अमीन के पद विभाग में बने रहें तब तक उन्हें उन्हीं वेतनमान में रखा जाय जिनमें सिंचाई विभाग में उनके प्रतिस्थानी रखे गये हैं। हम तदनुसार संस्तुति कर रहे हैं।

4.101 जहां तक ड्राफ्टसमैन के पद का संबंध है हम उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संस्तुति करते हैं जैसा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में ड्राफ्टसमैन के लिये संस्तुति की गई है। हम विभाग में अन्य पदों के संबंध में कोई अन्य असंगत नहीं पाते हैं।

ग्राम्य अभियन्त्रण सेवा विभाग

4.102 ग्राम्य क्षेत्रों में निर्माण की या छोटी-छोटी और पृथक-पृथक परियोजनाओं की मामूली अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये अभियन्त्रण व्यवस्था है। अधिक पेचीदी और बड़ी-बड़ी परियोजनायें सार्वजनिक निर्माण विभाग या उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा हाथ में ली जाती हैं। इस विभाग में प्राविधिक पद निम्नलिखित हैं :—

पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वेतनमान (रु0)
मुख्य अभियन्ता	1	1,950—2,250
अधीक्षण अभियन्ता	4	1,400—1,800
अधिशासी अभियन्ता	31	8,00—1,450
सहायक अभियन्ता	160	550—1,200
सहायक विकास अधिकारी (ग्राम्य अभियंत्रण)	960	300—500
आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट	1	450—950
कम्प्यूटर	7	325—575
ड्राफ्टसमैन	35	280—460
ट्रेसर	31	185—265

4.103 इस विभाग द्वारा जिस प्रकार का कार्य हाथ में लिया जाता है वह छोटे-छोटे निर्माण कार्यों से संबंधित है। अतः हम यह संस्तुति कर रहे हैं कि इस विभाग में भी सहायक अभियन्ताओं के 50 प्रतिशत पद अवर अभियन्ताओं और सहायक विकास अधिकारी (ग्राम्य अभियंत्रण) में से पदोन्नति द्वारा भरे जांय। सहायक अभियन्ता की पदोन्नति के अवसरों को देखते हुये हम सहायक अभियन्ताओं के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में भी रखे जाने की संस्तुति करते हैं।

4.104 आयोग को जो विवरण-पत्र भेजा गया है उसमें यह इंगित किया गया है कि कम्प्यूटर के कुछ पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और अन्य पद ड्राफ्टसमैन में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। हम यह संस्तुति करते हैं कि कम्प्यूटर के सभी पद ड्राफ्टसमैन में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं। ड्राफ्टसमैन और कम्प्यूटर आदि के लिये भी कुछ इसी प्रकार ड्राफ्टसमैन के 35 पद हैं जिनमें से 50 प्रतिशत पद ट्रेसर में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जिनकी संख्या केवल 31 है। ट्रेसर के पद के संबंध में कोई सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं। किन्तु हम यह संस्तुति करते हैं कि ड्राफ्टसमैन के 20 प्रतिशत पद के लिये सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय। ड्राफ्टसमैन यदि प्रमाण-पत्र डिप्लोमाधारी हैं तो उन्हें रु0 470—735 के ग्रेड में रखा जाय। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि सहायक विकास अधिकारी (ग्राम्य अभियंत्रण सेवा) के 20 प्रतिशत पद पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

4.105 यह अध्याय समाप्त करने के पूर्व हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि विभिन्न सरकारी विभागों में प्राविधिक कार्मिकों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि वे अपना प्राविधिक ज्ञान बढ़ायें। पृथक-पृथक अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे इस विषय पर नवीनतम पुस्तकों, जर्नल और मैगजीन पढ़ें और राज्य सरकार भी उनके लिये अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करे। राज्य सरकार अभियंत्रण अधिकारियों के बुनियादी और सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये कालागढ़ में एक अभियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर चुकी है। हमारा यह सुझाव है कि अवर अभियन्ताओं, ड्राफ्टसमैन और कम्प्यूटर आदि के लिये भी कुछ इसी प्रकार

की व्यवस्था की जाय। हम यह भी आवश्यक समझते हैं कि अभियंत्रण कार्मिकों जिनमें अवर अभियन्ता भी सम्मिलित हैं, को उच्चतर अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। सरकार इस विषय में विचार करे कि इस प्रसंग में अध्ययन अवकाश संबंधी नियमों में क्या उदारता बरते जाने की आवश्यकता है।

प्राविधिक संपरीक्षा सेल (टैक्निकल आडिट सेल)

4.106 राज्य में इस समय दो प्राविधिक संपरीक्षा सेल (टैक्निकल आडिट सेल) हैं। ये प्राविधिक संपरीक्षा सेल सार्वजनक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के हैं, जो क्रमशः 1959 और 1969 में स्थापित किये गये थे। ये सेल सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के सचिव के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। फिर भी इन प्राविधिक संपरीक्षा सेल के अधीन जो पद हैं वे सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के ऐसे कर्मचारियों में से भरे जाते हैं जो इन विभागों की कार्य प्रणाली के अच्छे जानकार हैं। इन प्राविधिक संपरीक्षा सेल में कर्मचारिवर्ग का जो प्रतिरूप है वह लगभग सामान्य प्रतिरूप पर है। प्रत्येक प्राविधिक संपरीक्षा सेल का प्रधान मुख्य प्राविधिक परीक्षक है जिसकी सहायता के लिये 4 प्राविधिक परीक्षक और 4 सहायक प्राविधिक परीक्षक हैं। इनके अतिरिक्त इस सेल में लिपिक वर्गीय और अन्य कोटि के कर्मचारी हैं।

4.107 प्रशासकीय विभाग ने अपने ज्ञापन में तथा हमारे समक्ष दिये गये अपने मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(1) प्राविधिक संपरीक्षा सेल का कार्य महत्वपूर्ण और गोपनीय प्रकार का है। उन्हें निर्माण कार्य से संबंधित प्राविधिक लेखे का वास्तविक परीक्षण करना पड़ता है। प्राविधिक संपरीक्षा सेल से यह आशा की जाती है कि वह स्थानीय निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करें। उसे अनुमानों/विधिक संविदाओं, सीमेन्ट की खपत, परिमाणों और दरों आदि के बिलों का परीक्षण यह पता लगाने के लिए करना पड़ता है कि निधियों का समुचित उपयोग किया गया है या नहीं और विहित नियमों का सम्यक् रूप से पालन किया गया है या नहीं।

(2) मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक परीक्षक और सहायक प्राविधिक परीक्षक उन वेतनमानों में हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग में क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियन्ता को अनुमन्य हैं। इसके अलावा इन पदों पर 150 रु0, 100 रु0 और 75 रु0 की दर से विशेष वेतन भी अनुमन्य हैं।

(3) इस समय उन्हें जो वेतनमान अनुमन्य हैं वे उनके मूल विभागों के प्रतिरूप पर हैं। ये वेतनमान सचिवालय के कर्मचारियों के प्रतिरूप पर होने चाहिये।

4.108 कतिपय पदों के लिये निम्नलिखित वेतनमानों का सुझाव दिया गया है।

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
		(रु0)	(रु0)
1.	अनुभाग प्रभारी (सेक्शन इंचार्ज)	450—700	500—1,000
2.	प्रवर वर्ग लिपिक	280—460	350—700
3.	अवर वर्ग लिपिक	230—385	280—460
4.	आशुलिपिक	300—500 250—425	350—700

4.109 सचिव, सिंचाई विभाग का यह विचार था कि कर्मचारियों को ऊपर प्रस्तावित वेतनमान सचिवालय में उनके समान कोटि के कर्मचारियों के सादृश्य अनुमन्य होने चाहिये उन्होंने यह भी कहा कि अर्हता और भर्ती की रीति उसी के समान होनी चाहिये जो सचिवालय में है।

4.110 हमने विभाग तथा सरकार के सचिव द्वारा दिये गये सुझावों का सावधानी से परीक्षण किया है। हम इस बात से सहमत हैं कि प्राविधिक संपरीक्षा सेल बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो नैत्यक प्रकार का नहीं है। सेल के अन्तर्गत जो कर्मचारीवर्ग कार्य कर रहा है उससे यह आशा की जाती है कि वह संविदा बिलों (कान्ट्रैक्ट बिलों) विधिक संविदाओं, समुचित लेखे और संपरीक्षाधीन निर्माण कार्यों से संबंधित अन्य विभिन्न प्राविधिक बिन्दुओं की जांच करे। फिर भी हम उन्हें सचिवालय में अनुमन्य वेतनमान दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। कार्य की प्रकृति और महत्व का विचार करते हुये हमारा यह मत है कि उनका मामला सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने योग्य है। इस समय इन दोनों प्राविधिक संपरीक्षा सेल में कर्मचारियों के ढांचे में थोड़ी सी भिन्नता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग प्राविधिक संपरीक्षा सेल के अन्तर्गत टंकक और नैत्यक ग्रेड लिपिक के पद हैं जबकि सिंचाई विभाग के प्राविधिक संपरीक्षा सेल में ऐसे पद नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि टंकक का कार्य अवर वर्ग लिपिक द्वारा किया जाता है। हम इन दोनों प्राविधिक संपरीक्षा सेल के कर्मचारियों को निम्नलिखित पदनाम और उपयुक्त उच्चतर वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करते हैं :—

(1) अनुभाग प्रभारी का वेतनमान रु0 450—700 है। हम इस वेतनमान को पुनरीक्षित करके उसमें वृद्धि किये जाने का सुझाव नहीं देते हैं। इस पद के लिये रु0 670—1070 के पुनरीक्षित वेतनमान की संस्तुति की जा रही है।

(2) प्रवर वर्ग लिपिक के पद का नाम ज्येष्ठ सहायक (सीनियर असिस्टेन्ट) रखा जाय और उसे रु0 515—840 के उच्चतर वेतनमान में रखा जाय।

(3) अवर वर्ग लिपिक तथा नैत्यक वर्ग लिपिक (टंकक को छोड़कर) के पद का नाम कनिष्ठ सहायक (जूनियर असिस्टेन्ट) रखा जाय और उसे रु0 430—685 के वेतनमान में रखा जाय।

(4) टंकक का पदनाम कनिष्ठ लिपिक (जूनियर क्लर्क) रखा जाय और उसे रु0 354—550 के वेतनमान में रखा जाय। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि सिंचाई विभाग में जो कर्मचारी प्राविधिक संपरीक्षा सेल में टंकन कार्य में लगे हुए हैं उन्हें पृथक कर दिया जाय और उन्हें रु0 354—550 के वेतनमान में रखा जाय।

(5) मुख्य प्राविधिक परीक्षक से सम्बद्ध आशुलिपिक को रु0 622—940 के वेतनमान में रखा जाय और अन्य आशुलिपिकों को रु0 515—840 के वेतनमान में रखा जाय।

4.111—सभी कोटि के कर्मचारियों के उपयुक्त पुनरीक्षित वेतनमान इस खंड के भाग-2 में दिये गये हैं।

राज्य संपत्ति विभाग

4.112—राज्य संपत्ति विभाग कतिपय सरकारी संपत्तियों और अधिष्ठानों के प्रबन्ध और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं। विधायक निवास, राज्य अतिथि गृह (स्टेट गेस्ट हाउस), अधिकारी विश्राम गृह (आफिसर्स रेस्ट हाउस), यू0 पी0 निवास दिल्ली/कलकत्ता और नैनीताल क्लब तथा अन्य भवनों का प्रशासन राज्य संपत्ति विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग सचिवालय स्तर पर सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। इस संगठन के प्रधान राज्य सम्पत्ति अधिकारी हैं। प्रबन्ध अधिकारी (मैनेजमेन्ट अफसर) के 9 पद हैं जिनमें से 7 पद रु0 350—700 के वेतनमान में हैं और 2 पद रु0 400—750 के सेलेक्शन ग्रेड में हैं। प्रबन्धक (मैनेजर) के 2 पद (रु0 250—425) हैं। ड्राइवर के 90 पद हैं जो रु0 185—265 के वेतनमान में हैं, रसोइया के 12 पद हैं जो रु0 170—225 के वेतनमान में हैं। प्रबन्धक की सहायता के लिये सहायक प्रबन्धक के 2 पद हैं, कैन्टीन पर्यवेक्षक का एक पद है, लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष का एक पद है और अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग हैं जिसमें लिपिकीय, प्राविधिक और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सम्मिलित हैं।

4.113—मोटर ड्राइवर संघ ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि 1972 से पूर्व ड्राइवर का वेतनमान प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के समान था किन्तु इस समय राज्य समिति विभाग के ड्राइवर को अनुमन्य वेतनमान प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के वेतनमान से कम है। अतः उक्त संघ ने यह मांग की है कि ड्राइवरों को रु0 200-320 का वेतनमान दिया जाय। यह भी सुझाव दिया गया है कि मैकेनिक का वेतनमान बढ़ाकर रु0 250-425 का दिया जाय और हेड ड्राइवर का वेतनमान बढ़ाकर रु0 230-385 का दिया जाय।

4.114—विधायक निवास चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन में यह मांग की है कि मैकेनिक का वेतनमान अधिक होना चाहिये और भारी गाड़ियों के ड्राइवरों के वेतनमान में वृद्धि की जानी चाहिए। यह भी मांग की गई कि निरीक्षण गृहों (इन्सपेक्शन हाउसेज), विश्राम गृहों (रेस्ट हाउसेज), और अतिथि गृहों (गेस्ट हाउसेज) में तैनात चतुर्थ वर्ग के सभी कर्मचारियों को प्रतिमास रु0 50 का विशेष वेतन दिया जाना चाहिये। जैसा कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन मोटर ड्राइवरों को अनुमन्य है क्योंकि इन कर्मचारियों को शनिवार रविवार और त्योहारों की छुट्टियां नहीं मिलती हैं।

4.115—राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने अपने ब्योरेवार टिप्पणी में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

(1) प्रबन्ध अधिकारी के वेतनमान की न्यूनतम धनराशि 1000 रु0 होना चाहिये।

(2) यू0 पी0 निवास, न्यू दिल्ली में तैनात कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान और आवासिक सुविधा दी जानी चाहिये।

(3) राज्य सम्पत्ति विभाग के ड्राइवरों का वेतनमान भारत सरकार के ड्राइवरों के वेतनमान के समान होना चाहिये।

(4) हेड ड्राइवर का वेतनमान ड्राइवर के सेलेक्शन ग्रेड से अधिक होना चाहिये।

(5) मोटर मैकेनिक का वेतनमान रु0 (230-385) हेड ड्राइवर के वेतनमान से अधिक होना चाहिये और उसे विशेष वेतन भी दिया जाना चाहिये।

(6) टेलीफोन अटेन्डेन्ट एवं संदेशवाहक, टेलीफोन अटेन्डेन्ट और टेलीफोन अटेन्डेन्ट एवं वेयरर को रु0 185-265 का वेतनमान दिया जाना चाहिये।

(7) चपरासी टेलेक्स इस समय रु0 165-215 के वेतनमान में है। उसका पदनाम मोटर साईकिल ड्राइवर रखा जाय और उसे रु0 175-250 का वेतनमान दिया जाय

4.116—हमने राज्य सम्पत्ति अधिकारी से विचार-विमर्श किया है और उपर्युक्त संघ के ज्ञापन में तथा राज्य सम्पत्ति अधिकारी की टिप्पणी में उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में एतद्पश्चात् विचार-विमर्श किया गया है—

(1) प्रबन्ध अधिकारी के 9 पद हैं। इन सभी पदों को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी हम यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली (चाणक्यपुरी), नैनीताल और अन्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग, लखनऊ के प्रबन्ध अधिकारी के 3 पदों के लिये रु0 625-1170 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि

यू0 पी0 निवास (चाणक्यपुरी) नई दिल्ली के प्रबन्ध अधिकारी का कार्य अत्यधिक परिश्रम का है। अतः हम उनके लिये प्रतिमास रु0 75 के विशेष वेतन की संस्तुति करते हैं। प्रबन्ध अधिकारी के तीनों पदों को उन्नत किये जाने के कारण अब इन तीनों पदों के लिए कोई सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य नहीं होगा।

(2) प्रबन्धक (इसके पूर्व इसका पदनाम सहायक प्रबन्धक था) के दोनों पद रु0 250-425 के वेतनमान में हैं। हम यह संस्तुति करते हैं कि इन पदों के वेतनमान को बढ़ाकर रु0 470-735 किया जाय।

(3) चपरासी-टेलेक्स का पद रु0 165-215 के वेतनमान में है। हमें यह सूचित किया गया है कि उसे एक मोटर साइकिल दी गई जिसके लिये उसके पास वैध लाइसेंस भी है और उससे मोटर साइकिल ड्राइवर एवं संदेश वाहक के रूप में काम लिया जाता है। हम उसके लिये रु0 300-440 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

(4) हमने राज्य सम्पत्ति विभाग के ड्राइवरों के वेतनमान का बहुत सावधानी से परीक्षण किया है। राज्य सम्पत्ति विभाग के ड्राइवरों को सामान्यतया प्रतिमास रु0 30 का विशेष वेतन दिया जाता है किन्तु जब ये मंत्रियों के साथ तैनात किये जाते हैं तो उन्हें रु0 50 प्रतिमास का वेतनमान दिया जाता है। ड्राइवर का पद सामान्यकोटि का पद है और हमने उसके विषय में "सामान्य कोटि के पदों" से संबंधित अध्याय में विचार किया है। राज्य सम्पत्ति विभाग के ड्राइवरों को उच्चतर वेतनमान दिये जाने का कोई हमें औचित्य नहीं दिखाई देता है। क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जो ड्राइवर हैं उनका कार्य भी समान रूप से दुष्कर है अतः हम ड्राइवरों के एक सेट का ड्राइवरों के दूसरे सेट से विभेद करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। जहां तक राज्य सम्पत्ति विभाग के ड्राइवरों का संबंध है, उन्हें उच्चतर दर से धुलाई भत्ता दिया जाता है जो उनके कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुये पूर्ण रूप से न्यायोचित है।

(5) हेड ड्राइवर रु0 200-320 के वेतनमान में है, किन्तु वह कोई विशेष वेतन का हकदार नहीं है। हम उन परिस्थितियों से अवगत नहीं हैं जिनमें सभी ड्राइवरों को विशेष वेतन दिया गया है किन्तु हेड ड्राइवर को नहीं दिया गया है। हम यह महसूस करते हैं कि हेड ड्राइवर को भी प्रतिमास रु0 30 का विशेष वेतन दिया जाना चाहिये।

(6) मोटर मैकेनिक रु0 230-385 के वेतनमान में है किन्तु वह कोई विशेष वेतन नहीं पाता है। राज्य सम्पत्ति विभाग के मोटर मैकेनिक का कार्य जिम्मेदारी और परिश्रम का है अतः हम उसे रु0 30 प्रतिमास का विशेष वेतन दिये जाने की संस्तुति करते हैं।

अध्याय पांच

विज्ञान और पर्यावरण (इकालोजी) पर्यावरण और पारिस्थितिकी निदेशालय (डाइरेक्टरेट आफ इनवायरनमेन्ट एण्ड इकालोजी

पर्यावरण और पारिस्थितिकी निदेशालय के अध्यक्ष निदेशक हैं और उनकी सहायता के लिए एक चीफ अप्रेंजल, दो संयुक्त निदेशक और दो सहायक निदेशक हैं। इनके अलावा 14 लिपिक वर्गीय और अन्य श्रेणी के कर्मचारी हैं।

5.2—विज्ञान और पर्यावरण विभाग के सचिव ने हमारे पास जो ज्ञापन भेजा है उसमें उन्होंने निम्नलिखित वेतनमानों का सुझाव दिया है—

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रु0)	प्रस्तावित वेतनमान (रु0)
1	निदेशक	1950—2250	2250—2750
2	चीफ अप्रेंजल	1600—2000	1950—2250
3	संयुक्त निदेशक	1400—1800	1600—2000
4	सहायक निदेशक	550—1200	900—1600
5	वैयक्तिक सहायक	350—700	500—1000
6	प्रधान सहायक (हेड असिस्टेन्ट)	450—700	500—1000
7	आशुलेखक	300—500	400—750
8	ज्येष्ठ उपलेखक एवं प्रालेखक (सीनियर नोटर एण्ड ड्राफ्टर)	280—460	400—750
9	टंकक	200—320	300—500
10	चपरासी	165—215	—

5.3—यह सुझाव दिया गया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी निदेशालय एक विशेषीकृत प्राविधिक विभाग है और इसके निदेशक के पद के लिये निर्धारित अर्हता पर्यावरण अभियंत्रण (इनवायरनमेन्टल इंजीनियरिंग)/मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री या विज्ञान में पी0 एच0 डी0 तथा 20 वर्ष का अनुभव है। यह सुझाव दिया गया है कि निदेशक का वेतनमान कृषि निदेशक, शिक्षा निदेशक, मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग या मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के वेतनमान से कम नहीं होना चाहिये।

5.4—यह भी सुझाव दिया गया है कि चीफ अप्रेंजल का वेतनमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई/सार्वजनिक निर्माण विभाग के वेतनमान से कम नहीं होना चाहिये इसके अतिरिक्त उन्हें 250 रु0 का विशेष वेतन दिया जाय। इसी प्रकार संयुक्त निदेशक को 1600—2000 रु0 के वेतनमान के साथ-साथ 250 रु0 का विशेष वेतन भी दिया जाय। सहायक निदेशक के लिये प्रतिमास 50 रु0 के विशेष वेतनमान की संस्तुति की गई है। यह भी संस्तुति की गई है कि सामान्य रूप से ऐसे सभी व्यक्तियों को प्रतिमास 100 रु0 का विशेष वेतन दिया जाना चाहिये जो अभियंत्रण (इंजीनियरिंग)/मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हैं।

5.5—विभाग के सचिव ने हमें यह भी सूचित किया है कि वैयक्तिक सहायक का पद 350—700 रु0 के वेतनमान में यह परिकल्पना करके सृजित किया गया था कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी निदेशक सरकार के विशेष सचिव भी होंगे किन्तु यह बात मूर्तरूप धारण नहीं कर सकी है।

5.6 हमने विज्ञान और पर्यावरण विभाग के सचिव द्वारा दिये गये सुझाव का विस्तृत परीक्षण किया है। इस निदेशक, चीफ अप्रेंजल और संयुक्त निदेशक के लिये उपयुक्त वेतनमान अर्थात क्रमशः 2400—2800 रु0, 2050—2500 रु0 और 1840—2400 रु0 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। हम इस संगठन के उपर्युक्त पदों के लिये विशेष वेतन या स्नातकोत्तर वेतन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते।

5.7—जहां तक निदेशक के वैयक्तिक सहायक के वेतनमान का संबंध है, वैयक्तिक सहायक को 350—700 रु0 का वेतनमान इसलिये स्वीकृत किया गया था कि निदेशक को सरकार का विशेष सचिव भी बनाये जाने का प्रस्ताव था, किन्तु उन्हें सरकार का विशेष सचिव नहीं बनाया गया। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि वैयक्तिक सहायक के पद का नाम आशुलेखक रखा जाय और उसे 622—940 रु0 के वेतनमान में रखा जाय।

5.8—शेष लिपिक वर्गीय और अन्य पद सामान्य कोटि के पद हैं। हमने ऐसे पदों के बारे में "सामान्य कोटि के पदों" से संबंधित अध्याय में जो संस्तुति की है वह उनके संबंध में भी लागू होगी।

उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला (आवजर्वेटरी), नैनीताल

5.9—यह वेधशाला स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आरम्भ में वाराणसी में स्थापित की गई थी और वर्ष 1955 में नैनीताल

को स्थानान्तरित की गयी थी। उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला इस राज्य में अपनी तरह की एकमात्र संस्था है।

5.10 तारकीय तथा सौर खगोल विज्ञान (स्टेलर एण्ड सोलर एस्ट्रानोमी) में खगोल भौतिकी अनुसन्धान (एस्ट्रो-फिजिकल रिसर्च), ग्रहों का अध्ययन एवं विकास इस वेधशाला के मुख्य कार्यकलाप हैं। इस वेधशाला को आगरा विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और ओसमानिया विश्वविद्यालय ने अनुसन्धान केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह वेधशाला अपने प्रयोग के लिये यंत्रों जिनमें इलेक्ट्रानिक यंत्र और तारा तथा सौर खगोल भौतिकी (स्टेलर आस्ट्रोफिजिक्स) यंत्र भी (सम्मिलित हैं, की डिजाइन तैयार करता है तथा उनका निर्माण भी करता है।

5.11 उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला के निदेशक ने एक ज्ञापन भेजा और हमसे विचार-विमर्श करने के दौरान भी उन्होंने कतिपय सुझाव दिये। निदेशक ने जो महत्वपूर्ण तथ्य/सुझाव दिये हैं वे नीचे दिये गये हैं :—

(1) जो कर्मचारिवर्ग अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है वह विशेष अर्हतायें प्राप्त है तथा उपयोग अनुभव प्राप्त करता है।

(2) सहायक ज्योतिर्विद (असिस्टेन्ट एस्ट्रानोमर और ज्योतिर्विद के वेतनमान 1-1-73 के पूर्व विश्वविद्यालयों के लेक्चरर और रीडर के वेतनमान के लगभग समान थे। लेक्चरर/रीडर के वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर 1-1-73 से पुनरीक्षित करके बढ़ा दिये हैं किन्तु सहायक ज्योतिर्विद (असिस्टेन्ट एस्ट्रानोमर) और ज्योतिर्विद (एस्ट्रानोमर) के वेतनमान पुनरीक्षित न किये जाने के कारण विश्वविद्यालयों के लेक्चरर और रीडर के वेतनमानों तथा वेधशाला कर्मचारिवर्ग के वेतनमानों में अन्तर बढ़ गया है।

(3) वेधशाला के वैज्ञानिकों के वेतनमान कम हैं, अतः प्रतिभाशाली युवक इस वेधशाला में कार्य करने के लिये आना नहीं चाहते हैं इसलिये वैज्ञानिकों के पद के लिये अपेक्षाकृत अच्छे वेतनमान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) निदेशक ने हमें प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में जिन वेतनमानों का सुझाव दिया है, वे नीचे दिये गये हैं :—

क्रम संख्या		वेतनमान (रु0)	वेतनमान (रु0)
1	2	3	4
1.	निदेशक	1200–1800	2250–2750
2.	ज्योतिर्विद (एस्ट्रानोमर)	800–1450	1200–1800
3.	सहायक ज्योतिर्विद (असिस्टेन्ट एस्ट्रानोमर)	550–1200	900–1600
4.	वैज्ञानि अधिकारी	450–950	650–1300
5.	वैज्ञानि सहायक	450–850	650–1300
6.	आप्टिकल अभियंता	500--1200	900--1600
7.	इलेक्ट्रानिक्स अभियन्ता	500--1200	900--1600
8.	ज्येष्ठ प्राविधिक	325–575	450–950
9.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	280-- 460	400-- 750
10.	ड्राफ्ट्समैन	280-- 460	400-- 750
11.	प्राविधिक प्रथम कोटि	230–385	325–575
12.	प्राविधिक, द्वितीय कोटि	200–320	300–500
13.	फिटर, टर्नर, वेल्डर	185–265	300–500
14.	दूरबीन सहायक	170–225	280–460
15.	वर्कशाप सहायक	165-215	230-385
16.	वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन)	450–950	1200–1800
17.	पुस्तकालयाध्यक्ष	280–460	650–1300
18.	निबंधक	350–700	650–1300
19.	प्रधान लिपिक	250–425	500–1000
20.	निदेशक के आशुलिपिक	250–425	400–750
21.	आशुलेखक (अन्य अधिकारियों के लिये)	250–425	350–700
22.	लिपिक वर्गीय सहायक (मिनिस्टीरियल असिस्टन्ट) (स्टोर सुपरवाइजर एवं केयरटेकर)	230–385	450–950
23.	लिपिक वर्गीय सहायक (उप लेखक प्रालेखक एवं लेखाकार	230–385	400–750
24.	लिपिक वर्गीय सहायक (अधिष्ठान)	230–385	400–750
25.	लिपिक वर्गीय सहायक (पर्चेज)	200–320	400–750
26.	लिपिक वर्गीय सहायक (पुस्तकालय)	200–320	350–700

1	2	3	4
27.	लिपिक वर्गीय सहायक (नैत्यक) (रुटीन)	200—320	325—575
28.	हैवी वेहिकल ड्राइवर	185—265	280—460
29.	लाइट वेहिकल ड्राइवर	175—250	230—385
30.	बढ़ई/ब्लैक स्मिथ जिल्दसाज	170—225	230—385
31.	राज/पेन्टर		
32.	वर्कशाप असिस्टेन्ट माली/जमादार	165—215	200—320
33.	चपरासी/अर्दली		

5.12 निदेशक द्वारा ज्ञापन में जिन वेतनमानों का सुझाव दिया गया है, उनके अलावा साक्ष्य के समय कतिपय विशिष्ट सुझाव दिये गये हैं :—

(1) ज्योतिर्विद (एस्ट्रानोमर) के वर्तमान वेतनमान 800—1450 रु0 को उन्नत (अपग्रेड) करके 900-1600 रु0 कर दिया जाय ।

(2) सहायक ज्योतिर्विद (असिस्टेन्ट एस्ट्रानोमर) को 550—1200 रु0 के वेतनमान के स्थान पर 650—1300 रु0 का वेतनमान दिया जाय ।

(3) वैज्ञानिक अधिकारी और वैज्ञानिक सहायक के वर्तमान वेतनमानों क्रमशः 450—950 रु0 और 450—850 रु0 को एक वेतनमान में विलीन करके 550—1200 रु0 के वेतनमान में रखा जाना चाहिए ।

(4) वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन) को 450—950 रु0 के वेतनमान के स्थान पर 650—1300 रु0 के वेतनमान में रखा जाना चाहिए । इसी प्रकार निबन्धक का वेतनमान भी 350—700 रु0 से उन्नत (अपग्रेड) करके 650—1300 रु0 किया जाना चाहिए ।

(5) पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का वेतनमान 280—460 रु0 है, इस वेतनमान को 550—1200 रु0 का दिया जाना चाहिये ।

(6) आप्टिक्स इंजीनियर का 550—1200 रु0 का जो वेतनमान है उसे उन्नत करके 800—1450 रु0 किया जाय । हालांकि इस विषय में यह सुझाव भी दिया गया था कि इस पद पर आरम्भिक नियुक्ति के समय 650—1300 रु0 का वेतनमान दिया जाय और लगभग 3 वर्ष सेवा करने के बाद पदधारी को 800—1450 रु0 का वेतनमान दिया जाय ।

(7) इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर के लिये 800—1450 रु0 के वेतनमान का सुझाव इस शर्त पर दिया गया है कि यह वेतनमान ऐसे पदधारियों को दिया जाय जो इस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हैं किन्तु ऐसे व्यक्तियों के लिए जो केवल स्नातक हैं, 550—1200 रु0 का वेतनमान ही पर्याप्त होगा, किन्तु कतिपय वर्ष अर्थात 5 या 7 वर्ष की सेवा करने के बाद उसे भी 800—1450 रु0 का वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

5.13 हमने वेधशाला के कार्यों और अन्य संबंधित विषयों तथा समस्याओं के बारे में कुमायूं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री शम्भू दयाल सिनवहाल के भी विचार सुने । उन्होंने निदेशक, अधीनस्थ प्राविधिक कर्मचारिवर्ग के वेतनमानों को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने तथा वैज्ञानिक अधिकारी और वैज्ञानिक सहायक के वेतनमानों को एक में विलीन किये जाने पर विशेष रूप से बल दिया । हम राज्य वेधशाला भी गये । हमने वेधशाला की कार्यविधि, वैज्ञानिकों का अनुसंधान कार्य और वेधशाला के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए यंत्रों को देखा । हमने विभिन्न विषयों के संबंध में कर्मचारिवर्ग की समस्याओं के बारे में भी विचार-विमर्श किया । आयोग निदेशक के इस विचार से सहमत है कि वेधशाला का कार्य विशेषाकृत प्रकार का है, जिसके लिए विशेष अर्हता, निष्ठा और व्यवहारिक अनुभव अपेक्षित है ।

5.14 हम यह महसूस करते हैं कि वेधशाला ने अपने क्षेत्र में कुछ अग्रगामी कार्य किया है और हम इस विचार से सहमत हैं कि वेधशाला के कर्मचारिवर्ग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा उसे अच्छे से अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए तथा उसे अच्छा हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए । अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि—

(1) सहायक ज्योतिर्विद (असिस्टेन्ट एस्ट्रानोमर) का वेतनमान 550--1200 रु0 से बढ़ाकर 1000--1900 रु0 किया जाय ।

(2) ज्योतिर्विद (एस्ट्रानोमर) का वेतनमान 800-1450 रु0 से बढ़ाकर 1360-2125 रु0 किया जाय ।

(3) वैज्ञानिक अधिकारी और वैज्ञानिक सहायक के कार्य की प्रकृति लगभग एक सी है, अतः ये पद एक में विलीन करके 850-1720 रु0 के वेतनमान में रखे जाने चाहिए । हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन) को 650-1300 रु0 का वेतनमान दिया जाय और हम इस पद के लिये भी 850-1720 रु0 का वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करते हैं ।

(4) आप्टिक्स इंजीनियरिंग का कार्य अत्यंत प्राविधिक प्रकार का है और इस पद के लिये निर्धारित अर्हता इस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री है । उनका वर्तमान वेतनमान 550-1200 रु0 है । इस वेतनमान पर कार्य करने के लिये वास्तव में अच्छे कार्मिक आकृष्ट नहीं हो सकते हैं । अतः हम यह संस्तुति करते हैं

कि उन्हें 1250-2050 रु0 का वेतनमान दिया जाय । इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर का कार्य भी अत्यधिक प्राविधिक प्रकार का है । इस पद के लिये निर्धारित अर्हता इस विषय में स्नातक डिग्री है, अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर को आरम्भ में 1000-1900 रु0 का वेतनमान दिया जाय और इस पद पर 5 वर्ष तक कार्य करने के बाद पदधारी को 1250-2050 रु0 का उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

(5) हम इस सुझाव से सहमत नहीं हैं कि निबंधक के पद को उन्नत (अपग्रेड) करके 650-1300 रु0 किया जाय । हमारी राय में ऐसे छोटे से संगठन के लिये निबंधक जैसे पद की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः हम यह संस्तुति करेंगे कि सरकार इस बात का परीक्षण करे कि इस पद की आवश्यकता है या नहीं । हमने इस खण्ड के भाग 2 में इस पद के लिये पुनरीक्षित वेतनमान की संस्तुति की है ।

(6) पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सामान्य कोटि का पद है, अतः इस पद के बारे में ''सामान्य कोटि के पदों'' से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है ।

(7) वेधशाला में किये जाने वाले अत्यन्त प्राविधिक प्रकार के कार्य, उसके अनुसंधान कार्य और प्रदर्शन तथा वेधशाला के महत्व को देखते हुए हम निदेशक के पद के लिये 1840-2400 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं ।

(8) अधीनस्थ प्राविधिक पद कनिष्ठ वैज्ञानिक के हैं जो 280-460 के वेतनमान में हैं । इनके अलावा प्राविधिक प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के पद हैं जो क्रमशः 230-385 रु0 और 200-320 रु0 के वेतनमान में हैं । हम कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद के लिये 515-840 रु0 के और प्राविधिक (प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि जो एक में विलीन कर दिये जायेंगे) के पद के लिये 430-685 रु0 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं । ज्येष्ठ प्राविधिक (वर्कशाप) को 570-1070 रु0 का वेतनमान दिया जाय । वर्तमान पदधारी 690-1420 रु0 का वैयक्तिक वेतनमान ले सकता है ।

(9) जहां तक अन्य कर्मचारियों, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारिवर्ग के वेतनमान का संबंध है, हमने इस खण्ड के भाग 2 में उनके लिये उपयुक्त वेतनमानों की संस्तुति की है ।

अध्याय–छः

उद्योग विभाग

उद्योग निदेशालय

6·1—यह विभाग मुख्यतः राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर-टाइम आई0 ए0 एस0 वेतनमान के अधिकारी उद्योग निदेशक के अधीन कार्य करता है, उसकी सहायता के लिए मुख्यालय पर एक अतिरिक्त निदेशक, 7 संयुक्त निदेशक तथा बहुत से विकास अधिकारी और उप-निदेशक कार्यरत हैं। इन अधिकारियों की सहायता हेतु सहायक निदेशक तथा क्षेत्रीय अधीक्षक मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत हैं। वित्तीय नियंत्रक, उद्दयोग तथा एक उप-वित्तीय नियंत्रक व्यय पर नियंत्रण तथा उसकी देख-रेख में सहायता करते हैं।

6·2—मण्डल स्तर पर संयुक्त निदेशक, उद्योग द्वारा निरीक्षण सम्पन्न किया जाता है। नयी औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप लघु उद्योग विकास हेतु सभी जिलों को एक स्वयं पूर्ण इकाई माना गया है और इस प्रकार जिला स्तर पर इस संगठन में मूलभूत परिवर्तन हो गया है। अब सभी योजनायें जिनमें उन्नयन कार्य भी सम्मिलित हैं को एक ही स्थान पर केंद्रित किया गया है। गांव के लघु उद्यमी को सभी प्रकार की सेवाएं एवं सहायता प्रदान करना जिला उद्योग इकाइयों से अपेक्षित है। इसमें जिले की औद्योगिक क्षमता का मूल्यांकन जिसमें कच्चे माल का आर्थिक अन्वेषण, उद्यम की क्षमता, तकनीकी ज्ञान तथा अन्य साधनों की उपलब्धता, मशीन तथा औजारों की पूर्ति, कच्चे माल का प्रबन्ध, ऋण सुविधाओं का प्रबन्ध, प्रभावकारी क्रय-विक्रय व्यवस्था तथा गुण-शोध एवं विस्तार आदि सम्मिलित हैं। जिला उद्योग इकाई के महा-प्रबन्धक को रु0 800--1450 के वेतनमान में रखा गया है जिसकी सहायता के लिये रु0 550--1200 रु0 450--950 वेतनमान वाले प्रबन्धक (सांख्यकी), प्रबन्धक (तकनीकी), प्रबन्धक (विपणन तथा आर्थिक अन्वेषण) प्रबन्धक (खादी एवं ग्रामोद्योग), तथा प्रबन्धक (हैण्लूम, हस्तशिल्प, वस्त्रोद्योग एवं सहकारिता) तथा अन्य सहायक कर्मचारिगण हैं। सर्वप्रथम जिला उद्योग इकाइयों की स्थापना 1-5-78 से अल्मोड़ा, सहारनपुर, झांसी, इलाहाबाद, गाजीपुर, लखनऊ, बलिया, देवरिया, रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, मुरादाबाद तथा मथुरा जिलों से प्रारम्भ की गई थी। अब ये अन्य सभी जिलों में भी स्थापित हो गये हैं। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की संख्या दिनांक 1-4-74 तथा 1-4-79 को निम्न प्रकार थी—

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	
	1-4-74	1-4-79
समूह "क"	40	107
समूह "ख"	160	549
समूह "ग"	3264	3405
समूह "घ"	1137	1872
नियत वेतन	15	29
योग	4616	5962

6·3—उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा संघ ने प्रश्नावली का उत्तर भेजा तथा हमारे सम्मुख अपने मौखिक साक्ष्य के लिए भी उपस्थित हुए। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं—

(1) अन्य सेवाओं/विभागों में उपलब्ध श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के अधिकारियों के समान यहां भी एक वेतनमान होना चाहिए।

(2) सभी सेवा/संवर्ग में 25 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में होना चाहिए।

(3) विभागीय अधिकारियों को विशेष वेतन उन्हीं दरों पर भुगतान अनुमन्य होना चाहिए जिन दरों पर प्रशासकीय सेवाओं के अधिकारियों को ऐसे पदों पर अनुमन्य है।

(4) ऐसे लोग जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष के अन्दर पदोन्नत नहीं हो पाये, दूसरा उच्च वेतनमान स्वयं प्राप्त हो जाना चाहिए।

(5) प्रबन्धक (तकनीकी) के सभी पदों तथा अन्य तकनीक अधिकारियों, जिनकी अर्हताएं तथा अनुभव समान हों, को रु0 550--1200 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(6) नगर प्रतिकर भत्ता एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में दिया जाना चाहिए।

(7) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता तथा अव्यवस्था भत्ता की दरों में संशोधन किया जाये।

(8) सेवा नियम बनाये जायें तथा वेतनमानों की संख्या में कमी की जाये।

(9) एक बार लोक सेवा आयोग से किसी पद पर अनुमोदन के उपरान्त नियुक्त अभ्यर्थी को द्वारा आयोग के समक्ष समान पद पर जिसका पदनाम भिन्न हो, अनुमोदनार्थ न भेजा जाये।

6.4—उद्योग विभाग कर्मचारी संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधियों ने निम्न मांगें कीं—

(1) उद्योग निरीक्षक (वेतनमान रु0 280—460) को श्रम निरीक्षक (रु0 350—700) के समान लाया जाये।

(2) विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत अधीक्षक जैसे उत्पादन, उपयोग एवं वसूली, भण्डार, चिकन, जरी एवं गुण चिन्हांकन का वेतनमान एक समान रु0 400—750 होना चाहिए।

(3) प्रारंभिक कार्यशाला तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के अनुदेशकों के वेतनमान भिन्न हैं। उसी प्रकार प्रारम्भिक कार्यशाला तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के फोरमैनों के वेतनमान भी भिन्न हैं। इस विषमता को दूर किया जाये और उनके वेतनमान हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में विद्यमान समकक्षीय पदों के समान लाये जायें। अनुदेशकों एवं फोरमैनों के लिए उच्च वेतनमान मांगा गया क्योंकि उनको पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं।

(4) आशुलिपिकों के पद जो रु0 300—500 में हैं को ऐसे आशुलिपिक जो रु0 250—425 के वेतनमान में हैं से पदोन्नति द्वारा भरा जाये।

6.5—उद्योग निदेशक ने विभिन्न पदों के वेतनमानों की असंगति निवारण हेतु सुझाव दिया है। उनके मुख्य सुझाव निम्न हैं—

(1) रु0 450—950 के वेतनमान वाले तकनीकी था गैर-तकनीकी सभी पदों को रु0 550—1200 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(2) जिला उद्योग इकाइयों की स्थापना के फलस्वरूप परिवर्तित "कर्मचारी ढांचा" प्रणाली के अनुसार अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों के पदों, जैसे तकनीकी अधिकारी (रु0 450—850) क्षेत्रीय उद्योग अधीक्षक (रु0 400—750) प्रारंभिक परियोजना अधिकारी (रु0 400—750) तथा अन्य राजपत्रित पद जो रु0 400—750 के वेतनमान में हैं, को रु0 450—950 का वेतनमान संस्तुत किया जाये।

(3) डिप्लोमा धारी अभियन्त्रण पदों के पदधारक जो रु0 450—950 के वेतनमान में कार्यरत हैं, को जब वह वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायें उन्हें रु0 550—1200 का उच्च वेतनमान उपलब्ध कराया जाये।

(4) सहायक निदेशक, उद्योग (चर्म) तथा (खादी) गुड़ विकास अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी (प्रयोगशाला) का पुनरीक्षित वेतनमान रु0 550—1200 होना चाहिए।

(5) अधीक्षक (उपयोग एवं वसूली) का वेतनमान रु0 325—575 से रु0 350—700 पुनरीक्षित किया जाये—

(6) गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत अधीक्षक का वेतनमान अर्हता के अनुसार निम्न प्रकार संशोधित किया जाये—

	रु0
(अ) सम्बन्धित व्यवसाय में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक	400—750
(ब) सम्बन्धित विषय में एम0 एस-सी0 योग्यताधारी	350—700
(स) जिनके पास उपरोक्त अर्हतायें न हों	325—575

(7) अनुदेशकों का वेतनमान निम्न प्रकार संस्तुत किया जाये—

(अ) जो हाई स्कूल तथा आई0 टी0 आई0 प्रमाणपत्र धारक हों और 5 वर्ष का सम्बन्धित व्यवसाय में अनुभव हो	280—460
(ब) जो हाईस्कूल तथा 5 वर्ष का संबंधित व्यवसाय में अनुभव रखते हों।	230—385
(स) जो उपरोक्त (अ) तथा (ब) के अन्तर्गत न आते हों।	200—320

6.6—उद्योग विभाग ने अपने पत्र संख्या 4954-आर/XVIII-1-116आर/73, दिनांक मई 3, 1980 द्वारा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों के साथ सम्बद्ध आशुलिपिकों के वेतनमानों की असंगतियों को वेतन आयोग की जानकारी में लाया। इनमें से कुछ रु0 300—500 के वेतनमान में हैं तथा अन्य रु0 250—425 के वेतनमान में हैं। मुख्यालय से सम्बद्ध विभिन्न अधिकारियों के आशुलिपिक रु0 300—500 के वेतनमान में हैं। यह भी बताया गया है कि जिला उद्योग इकाई योजना के लागू होने के पश्चात क्षेत्रीय संयुक्त उद्योग निदेशकों से सम्बद्ध आशुलिपिकों का कार्यभार बढ़ गया है। चूंकि सभी आशुलिपिकों क अर्हता, कार्य की प्रकृति, कार्य तथा उत्तरदायित्व समान हैं, यह सुझाव दिया गया कि क्षेत्रीय संयुक्त उद्योग निदेशकों के सभी आशुलिपिकों को समान वेतनमान देने का पूर्ण औचित्य है।

6.7—हमने निदेशक, उद्योग तथा सचिव, उद्योग विभाग से संघों द्वारा उनके ज्ञापन में तथा निदेशक की टिप्पणी में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया। आशुलिपिकों, लिपिकीय कर्मचारियों तथा वर्ग-4 के कर्मचारियों के पदों से संबंधित वेतनमानों इत्यादि के संबंध में हमने "सामान्य कोटि के पदों" के अन्तर्गत विचार किया है और इसलिये यहां पर पृथक रूप से विचार नहीं किया जा रहा है। अन्य मामलों पर यहां पर विचार किया जा रहा है—

6.8—अनुदेशक—विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत अनुदेशक के वेतनमान भिन्न प्रकार के हैं। विभाग द्वारा दिये गये विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं—

योजना का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपया)
1	2	3	4
प्रारम्भिक कार्यशाला ..	अनुदेशक	40	230–385
विस्तार योजना	तदेव	56	280–460 (केवल ऐसे पदधारकों के लिये जो हाई स्कूल के बाद आई0 टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक हों और लोक सेवा आयोग से चुने गये हैं, इनसे निम्न स्तरीय अर्हताधारी के लि रु0 230–385)
राजकीय उत्तर रक्षा गृह (महिला) ..	तदेव	5	200–320
पर्वतीय विकास योजना ..	तदेव	2	300–500 (जो सम्बन्धित व्यवसाय में डिप्लोमा धारी हैं। रु0 280–460 जिनके पास सम्बन्धित विषय में 18 मास का प्रमाण-पत्र है)
होजरी	अनुदेशक। कनिष्ठ अनुदेशक	5	200–320 (जो आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र रखते हों तथा 5 वर्ष का अनुभव हो)
आर0आई0पी0	अनुदेशक	11	230–385
तदेव	अनुदेशक (कृषि-संयंत्र)	3	200–320

6.9 निदेशक ने सुझाव दिया है कि अनुदेशकों को उनकी अर्हता के आधार पर 3 प्रकार के वेतनमानों में विभाजित किया जाना चाहिये। ऐसे अनुदेशक के पद जहां हाई स्कूल के बाद आई0 टी0 आई0 प्रमाणपत्र तथा 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक हो उन्हें रु0 280—460, ऐसे अनुदेशक जो केवल हाई स्कूल तथा 5 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव बिना आई0 टी0 आई0 प्रमाणपत्र के रखते हों उन्हें रु0 230—385 तथा अनुदेशकों के शेष पदों को रु0 200—320 के वेतनमान में रखा जाना चाहिये।

6.10 हमने प्रस्ताव का परीक्षण किया। हम दृढ़ता से अनुभव करते हैं कि व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु बिना किसी तकनीकी अर्हता के किसी अनुदेशक की नियुक्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिये हम यह सिफारिश करते हैं कि व्यवसायों में अनुदेशक के पद की न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल के बाद आई0 टी0 आई0 प्रमाणपत्र होना चाहिये। ऐसे पद जहां पर अनुभव आवश्यक है वहां उच्च वेतनमान दिये जा सकते हैं। इस परिपेक्ष्य में हमारी निम्नलिखित सिफारिश है—

(अ) अनुदेशक के ऐसे पद जहां पर हाई स्कूल के बाद आई0 टी0 आई0 प्रमाणपत्र तथा कम से कम 5 वर्ष का अनुभव न्यूनतम अर्हता हो को रु0 470—735 का वेतनमान स्वीकृत किया जाये।

(ब) ऐसे पद जहां पर हाई स्कूल के बाद आई0 टी0 आई0 प्रमाणपत्र न्यूनतम अर्हता हो, रु0 400—615 का वेतनमान दिया जाय।

(स) ऐसे पद जहां पर हाई स्कूल की अर्हता आवश्यक नहीं समझी जाती है, उदाहरण स्वरूप लोहारी, बढ़ईगिरी, कृषि संयंत्र के अनुदेशक के पद, वहां भी जूनियर हाई स्कूल के बाद आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होनी चाहिये और उन्हें रु0 354—550 का वेतनमान दिया जाना चाहिये।

(द) वर्तमान पदधारक जो उपरोक्त तीनों श्रेणियों में से किसी भी के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनके लिये हम रु0 354—550 का निम्न वेतनमान संस्तुत करते हैं।

6.11—फोरमैन के पद वेतनमान रु0 300—500, रु0 325—575 और रु0 350—700 में हैं। फोरमैन के विभिन्न पदों हेतु निर्धारित अर्हताओं तथा उनके लिये निर्धारित वेतनमानों में स्पष्टतया कोई तर्क नहीं है। यांत्रिक अथवा विद्युत अभियंत्रण डिप्लोमाधारी तथा 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले का वेतनमान रु0 300—500 है जबकि आई0 टी0 आई0 प्रमाणपत्र धारक उसी वेतनमान में हैं। फोरमैन एवं मिस्त्री तकनीशियन जिनके लिये हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र के साथ 2 वर्ष का अनुभव न्यूनतम निर्धारित अर्हता है, का वेतनमान रु0 325—575 है। रु0 350—700 का वेतनमान भी सामान्य व्यवसायों के लिये डिप्लोमा धारी को तथा फोरमैन (कर्मशाला) को जो कि विद्युत अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा रखते हैं तथा प्रमाणपत्र अथवा एक वर्ष का अनुभव रखते हों दिया गया है। इस प्रकार डिप्लोमा पाठ्यक्रम और किसी ख्यातिप्राप्त यांत्रिक कार्यशाला में एक वर्ष के अनुभव को बराबर का स्तर दिया गया है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि फोरमैन का पद पर्यवेक्षी पद है, हम निम्न संस्तुति करते हैं—

(1) ऐसे पद जहां पर हाई स्कूल के बाद आई0 टी0 आई0 प्रमाणपत्र और कम से कम 7 वर्ष का अनुभव **न्यूनतम निर्धारित अर्हता हो, को रु0 515—840 के वेतनमान में रखा जाय और**

(2) ऐसे पद जहां पर यांत्रिक या विद्युत डिप्लोमा **तथा कम से कम दो वर्ष** का अनुभव निर्धारित न्यूनतम अर्हता हो, रु0 570—1070 के पुनरीक्षित वेतनमान में रखा जाये।

6.12—अधीक्षक—अधीक्षक (उपयोग एवं वसूली) रु0 325—575 के वेतनमान में हैं। अधीक्षक (ताला, भवन साज सज्जा, कैंची, ऊनी कालीन, हस्त-छपाई, चिकन हौजरी गोल्ड थ्रेड, फर्नीचर (लकड़ी), खेलकूद-सामान, लकड़ी नक्काशी, संगमरमर, चर्मकला, धातु) का वेतनमान रु0 325—575 है। अधीक्षक (कला, सर्वेक्षण तथा गणितीय उपकरण) का वेतनमान रु0 350—700 है तथा अधीक्षक (साइकिल पुर्जे, डीजल इंजन, कृषि उपकरण, विद्युत उपकरण, जरी, पक्की कलई) रु0 400—750 के वेतनमान में हैं।

6.13—उद्योग विभाग ने हमारे समक्ष यह प्रत्यावेदित किया कि सभी व्यवसायों के अधीक्षक जो गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत हैं, वे सभी अपने व्यवसायों में डिप्लोमाधारी हैं और उनके कार्य की प्रकृति तथा उत्तरदायित्व समान हैं। इसीलिए उन्होंने यह मांग किया क इन सभी को रु0 400—750 के वेतनमान में रखा जाना चाहिये। निदेशक, उद्योग ने अपने पत्र संख्या 587/3, दिनांक अप्रैल, 28, 1980 द्वारा गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत विद्यमान सभी पदों का विवरण भेजा है। अधीक्षक (साइकिल पुर्जे, डीजल इंजन, विद्युत उपकरण, जरी, पक्की कलई) रु0 400—750 के वेतनमान में हैं। इन विभिन्न प्रकार के पदों की अर्हता डिप्लोमा तथा 3 वर्ष का अनुभव अथवा डिग्री तथा 2 वर्ष का अनुभव अथवा रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि है। इन पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती परीक्षकों से जिनका **वेतनमान रु0 300—500 और रु0 280—460 है**, पदोन्नति द्वारा की जाती है। अधीक्षक (कला, सर्वेक्षण तथा **गणितीय उपकरण) रु0 350—700 में हैं।** मौलिक अर्हता यांत्रिकी अथवा विद्युत अभियन्त्रण में डिप्लोमा है। **रु0 350—700 का निम्न वेतनमान सामान्यतया इस कारण** निर्धारित है क्योंकि यांत्रिकी अथवा विद्युत डिप्लोमा के साथ इनके लिए कोई अनुभव की शर्त नहीं निर्धारित की गई है। हम संस्तुत करते हैं कि इन पदों पर भी यांत्रिकी/विद्युतीय डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव **निर्धारित किया जाय तथा रु0 625—1170** का वेतनमान दिया जाना चाहिये।

6.14—अधीक्षक के दूसरे पद (ताला, ऊनी कालीन, हस्त छपाई, चिकन, हौजरी, लकड़ी का फर्नीचर, गोल्ड थ्रेड, **खेलकूद का सामान, चर्म संगमरमर अथवा धातुकला इत्यादि) रु0 325—575 के वेतनमान में हैं।** इनमें से कुछ पदों की मौलिक अर्हता सम्बन्धित व्यवसाय में डिप्लोमा है और **अन्य की मौलिक अर्हता रसायन** विज्ञान में अथवा भूगर्भ विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि है। इन व्यव**सायों के अधीक्षकों का उत्तरदायित्व** उन अधीक्षकों के समान नहीं हैं जो साइकिल पुर्जे, डीजल इंजन, विद्युत उपकरण अथवा गणितीय उपकरण में गुण चिन्हांकन का कार्य करते हैं। अतः हम इन अधीक्षकों के वेतनमानों को उच्चीकृत करने का औचित्य नहीं समझते हैं। जहां पर सम्बन्धित व्यवसाय में डिप्लोमा की न्यूनतम अर्हता रखी गई है वहां कोई अनुभव निर्धारित नहीं किया गया है।

6.15—जहां तक अधीक्षक (उपयोग तथा वसूली) **जोकि रु0 325—575 के वेतनमान में हैं**, का सम्बन्ध है उनकी निर्धारित अर्हता कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान में स्नातक है। हम अनुभव करते हैं कि उनका वेतनमान पर्याप्त है।

6.16—अधीक्षक (उद्योग) का पद भी विभाग द्वारा **भेजी गई सूचना के आधार पर रु0 300—500 में हैं।** इस पद की निर्धारित अर्हता अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में स्नातक तथा 3 वर्ष का अनुभव है। इस पद की अर्हता को देखते हुए हम अनुभव करते हैं कि इनको अधीक्षक (उपयोग **एवं वसूली) के समान रु0 550—940** का वेतनमान दिया **जाना चाहिए। इसी प्रकार अधीक्षक** (उत्पादन, उपयोग) तथा अधीक्षक हस्त कला) के तीन अन्य पद रु0 300—550 के वेतनमान में हैं। उनकी अर्हता भी अधीक्षक (उद्योग) **के समान है। हम उनके लिए भी रु0 550—940 का वेतन-**

मान संस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार उद्योग विभाग में अधीक्षक पद के लिए हम केवल **दो प्रकार के वेतनमान रु0 625—1170 और रु0 550—940 संस्तुत कर रहे हैं।**

अधीनस्थ राजपत्रित पद—

6.17—निदेशक ने सभी प्रकार के अधीनस्थ राजपत्रित पद जो कि रु0 450—850 तथा रु0 400—750 से उच्च मान में हैं, के लिए रु0 450—950 का पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश की है। पदों के विवरण जो हमें भेजे गये हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्तमान वेतनमान रु0
तकनीकी अधिकारी	56	450—850
सांख्यिकीय अधिकारी (पी0 एण्ड आर0)	1	400—750
जिला उद्योग अधिकारी ग्रेड-2 (स्थगित)	35	400—750
नियोजन अधिकारी (भण्डार क्रय)	1	400—750
नियोजन अधिकारी (आर0 आई0 पी0)	1	400—750
क्षेत्रीय उद्योग अधीक्षक	13	400—750
प्रारम्भिक प्रयोजना अधिकारी (हस्तकला)	1	400—750
परिकल्प विस्तार अधिकारी	3	400—750

6.18 उपरोक्त पदों का उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में मुख्य कारण यह बताया गया है कि विभाग में रु0 400—750 के वेतनमान में अराजपत्रित संवर्ग भी है और इसका कोई औचित्य नहीं है कि राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों को बराबर रखा जाये। यह भी तर्क दिया गया है कि राजपत्रित पदों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व अराजपत्रित पदों की तुलना में उच्च होते हैं, अतएव राजपत्रित पदों का वेतनक्रम अराजपत्रित पदों से उच्च होना चाहिए।

6.19 हमने प्रस्ताव का परीक्षण किया। राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का स्तर उनके उत्तरदायित्व के अनुसार निर्धारित किया जाता है न कि उनके वेतनमान के आधार पर। हमें यह भी ज्ञात है कि बहुत से दूसरे विभागों में भी राजपत्रित तथा अराजपत्रित पद रु0 400—750 के वेतन मान में हैं। प्राविधिक अधिकारी के लिए निर्धारित शैक्षिक/प्राविधिक अर्हता अभियन्त्रण अथवा प्राद्योगिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा तथा एक/दो वर्षों का अनुभव है। क्षेत्रीय उद्योग अधीक्षक के तथा अन्य पद, जो कि रु0 400—750 के वेतनमान में हैं, की निर्धारित अर्हता कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातक और 3 से 5 वर्ष का अनुभव है। प्राविधिक अधिकारी के लिए उपरोक्त इंगित निर्धारित अर्हता अर्थात् अभियन्त्रण अथवा प्राद्योगिकी में डिप्लोमा को देखते हुए उसका वेतनमान रु0 450—850) उच्च स्तर का है। दूसरे पदों के सम्बन्ध में भी हम रु0 400—750 से उच्च पुनरीक्षित वेतनमान देने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

उद्योग निरीक्षक—

6.20—उद्योग निरीक्षकों का वर्तमान वेतनमान रु0 280—460 है। वेतन आयोग के समक्ष साक्ष्य के दौरान यह मांग की गई कि उद्योग निरीक्षक का वेतनमान श्रम-निरीक्षक के समान रु0 350—700 होना चाहिए। पद के लिए निर्धारित अर्हता अर्थशास्त्र में या वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा अर्थशास्त्र या वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री है। साधारणतया निरीक्षकों का वेतनमान सभी विभागों में रु0 280—460 है। उद्योग निरीक्षक का उत्तरदायित्व श्रम निरीक्षक के समतुल्य नहीं है क्योंकि श्रम निरीक्षक के लिए अपने उत्तरदायित्व के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व भी है। उद्योग निरीक्षकों के लिए ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी सूचित किया गया है कि उद्योग निरीक्षकों को सहायक प्रबन्धक रु0 350—700 के वेतनमान में जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत खपा लिया गया है। इसलिये हम उनके लिये पुनरीक्षित **वेतनमान संस्तुत नहीं कर रहे हैं।**

अभियांत्रिक पद

6.21 अभियन्ता प्रबन्धक (आई0 ई0), अभियन्ता (एस0 ई0 आई0), सहायक अभियन्ता (क्षेत्र विकास कार्यालय) तथा यांत्रिक अभियन्ता (विस्तार) के पद डिग्री धारकों के लिए रु0 550—1200 तथा डिप्लोमा धारकों के लिए रु0 450—950 में हैं। निदेशक उद्योग ने कहा कि इस प्रकार की विषमता का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इन सभी पदों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व समान हैं। विभाग द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि पद के लिए वांछित अर्हता अभियन्त्रण में डिग्री है किन्तु डिप्लोमा की भी अर्हता इसलिए रखी गई ताकि यदि डिग्री धारक उपलब्ध न हो सकें तो डिप्लोमा धारकों से पद को भरा जाये। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के अतिरिक्त पद धारकों की अर्हता को विशेषकर तकनीकी पदों हेतु उनके वेतनमान निर्धारित करते समय देखा जाना आवश्यक है। अतः हम इन पदों के धारकों की अर्हता के आधार पर दो प्रकार के वेतनमान रखने में कोई विसंगति नहीं पाते हैं। फिर भी हम यह संस्तुत करते हैं कि ऐसे डिप्लोमा धारक जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायें और उनकी सेवायें संतोषजनक हो उन्हें द्विवर्षीय वेतन वृद्धियों के आधार पर अधिकतम 5 वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जायें।

6.22—जिला उद्योग केन्द्र के प्रबन्धक—जिला उद्योग केन्द्रों में प्रबन्धक के पद रु0 550—1200 तथा रु0 450—950 के वेतनमान में हैं। संघ ने तथा निदेशक, उद्योग ने यह सुझाव दिया है कि प्रबन्धक के सभी पद रु0 550—1200 के वेतनमान में होने चाहिए। विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्रबन्धक (साख) प्रबन्धक (तकनीकी)-13 आर0 आई0 पी0 जिलों में तथा प्रबन्धक (हथकरघा) हस्तशिल्प, सूती वस्त्र उद्योग तथा सहकारिता, 23 जिलों में वेतनमान रु0 550—1200 में हैं तथा प्रबन्धक के अन्य पद रु0 450—950 में हैं। विभाग ने महत्वपूर्ण स्थानों में उच्च वेतनमान के अधिकारी नियुक्त किये हैं। यह बात नहीं मानी जा सकती है कि प्रबन्धक के सभी पदों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का स्तर समान है। इस प्रकार हम सभी प्रबन्धकों को बिना उनके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखे समान वेतनमान देने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

6.23—सेवा संघों तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श के दौरान हमारी जानकारी में यह बात आई कि जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में एक से अधिक प्रबन्धकों की नियुक्ति समान वेतनमान में बिना उनके कार्यभार, जिले का क्षेत्र, जिले की जनसंख्या तथा क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता को देखते हुए की गयी है। यह पद्धति ऐसे जिलों में अपनाई जा सकती है जहां कमोवेश जनसंख्या तथा क्षेत्र आदि समान हो किन्तु उत्तर प्रदेश में नहीं। यहां विभिन्न जिलों की जनसंख्या, क्षेत्र और औद्योगिक क्षमता आदि में काफी अन्तर है। शासन इस बात पर विचार करना चाहे कि वर्तमान पद्धति में कोई संशोधन वांछनीय है अथवा नहीं।

6.24—उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा संघ ने यह मांग की कि विभागीय अधिकारियों को विशेष वेतन उन्हीं दरों पर अनुमन्य किया जाय जैसा कि समकक्षीय पदों पर प्रशासकीय सेवाओं के अधिकारियों को दिया जाता है। विशेष वेतन प्रदान किये जाने के प्रश्न पर संबंधित अध्याय में विचार किया गया है। अतएव हम यहां पर इस संबंध में कोई संस्तुति नहीं करते हैं।

6.25—यह दुर्भाग्य की बात है कि यह संगठन इतना पुराना होते हुए भी यहां पर कोई "सेवा नियम" नहीं हैं। ऐसी स्थिति कर्मचारियों के नैतिकता को प्रभावित करती है तथा अनिश्चितता तथा असुरक्षा की स्थिति पैदा करती है। फलतः इस संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनमें अपने को अन्तर्ग्रस्त रखने की भावना में कमी है।

6.26—हम इस प्रकार की कार्य प्रणाली में निहित खतरों को इंगित करने में नहीं चूकना चाहते हैं जब कि एक छोटा अस्थायी कर्मचारी वर्ग, एक निश्चित अवधि के उपरान्त पूरे संगठन के उद्देश्य और अभिप्राय को प्रचलित करता है। ऐसा करने का परिणाम यह होता है कि संगठन की आधारशिला उद्देश्यों पर आधारित न होकर इन कर्मचारिवर्ग पर आधारित होती है। साथ ही साथ तदर्थ पदोन्नतियों में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता अस्तु हम शासन को यह संस्तुत करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत चयन, सेवा शर्तें तथा संबंधित मामलों हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियम बनायें जायें।

हथकरघा तथा सूती वस्त्र उद्योग निदेशालय

6.27—निदेशक हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग के कार्य के सहायतार्थ संयुक्त निदेशक, वित्तीय सलाहकार, उप निदेशक (हथकरघा), उप निबन्धक, दो उप-निदेशक उद्योग (रेशम उद्योग) तथा सहायक निदेशक, उद्योग (रु0 550—1200) के स्तर के अन्य अधिकारी तथा रु0 450—950 के वेतनमान के कुछ अधिकारी जैसे प्रायोजना अधिशासी अधिकारी (हथकरघा) सहायक नियंत्रक (सूती वस्त्र उद्योग) और कृषि अधिकारी हैं। क्षेत्रीय स्तर पर सहायक निदेशक (रु0 550—1200) के दस पद तथा अण्डा उत्पादन अधिकारी (वेतनमान रु0 450—950) का एक पद है। जिला स्तर पर परिकल्प प्रबन्धक के 5 पद रु0 550—1200 के वेतनमान में हैं।

6.28—निदेशक, हथकरघा तथा सूती वस्त्र उद्योग ने निम्न पदों के उचित वेतनमान देकर असंगतियां निवारण करने का सुझाव दिया है —

(1) उप-निदेशक, उद्योग (रेशम उत्पादन) देहरादून का वेतनमान रु0 650—1300 से रु0 800—1450 जैसा कि मुख्यालय पर समान पदनाम के पदों पर अनुमन्य है, दिया जाय।

(2) प्रायोजना अधिशासी अधिकारी (हथकरघा) वेतनमान रु0 450—950 को सहायक निदेशक, उद्योग (हथकरघा) के समान रु0 550—1200 का वेतनमान दिया जाय।

(3) वरिष्ठ निरीक्षक (सूती वस्त्र उद्योग) के पद जो रु0 280—460 के वेतनमान में प्रदेशीय सूती वस्त्र नियंत्रण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं, तथा जिला पूर्ति अधिकारी से सम्बद्ध हैं, का वेतनमान रु0 280—460 से रु0 325—575, जैसा कि खाद्य एवं रसद विभाग के वरिष्ठ निरीक्षकों को स्वीकृत है, के समान पुनरीक्षित किया जाय।

(4) वरिष्ठ निरीक्षक (लेखा) का वेतनमान रु0 300—500 से रु0 300—550 श्रम विभाग के लेखा निरीक्षक ग्रेड-1 के समतुल्य पुनरीक्षित किया जाय।

6.29—सचिव, उद्योग ने हमारे समक्ष अपने साक्ष्य के समय सामान्यतया निदेशक, हथकरघा तथा सूती वस्त्र उद्योग के उपरोक्त प्रस्तावों का समर्थन किया। हमने इन विसंगतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। हमें यह सूचित किया गया

हैं कि उप-निदेशक उद्योग (रेशम उत्पादन) के दो पद जो देहरादून तथा मुख्यालय पर स्थित हैं की अर्हतायें, चयन विधि और कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व समान हैं। इस प्रकार इन पदों के लिये दो वेतनमान रखने का औचित्य नहीं है। अस्तु हम इन दोनों पदों के लिये रु0 1250—2050 का वेतनमान संस्तुत करते हैं।

6.30 परियोजना अधिशासी अधिकारी (हथकरघा) प्रयोजना प्रतिवेदन बनाते हैं तथा उसके कार्यान्वियन को सुनिश्चित करते हैं तथा तकनीकी योजनाओं के पर्यवेक्षण और उनकी कठिनाइयों के निवारण हेतु परामर्श देते हैं। ये कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। इस पद के लिये न्यूनतम निर्धारित अर्हता सूती वस्त्र उद्योग तकनीकी की डिग्री है। हम इस मत के हैं कि इस पद के वेतनमान का उच्चीकरण होना चाहिये। अस्तु हम इस पद के लिये रु0 850—1720 का वेतनमान संस्तुत करते हैं।

6.31 प्रदेशीय सूती वस्त्र नियंत्रण योजना के अधीन कार्यरत वरिष्ठ निरीक्षक, (सूती वस्त्र) का कार्य वरिष्ठ निरीक्षक, खाद्य एवं रसद विभाग के कार्य से भिन्न है। वरिष्ठ निरीक्षक (सूती वस्त्र) का पद निरीक्षक (सूती उद्योग) के पद जो कि रु0 230—385 में हैं के लिये पदोन्नति का पद है। निरीक्षक के पद (केवल दो) लिपिकीय पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। हम वरिष्ठ निरीक्षक (सूती वस्त्र) के वेतनमान को पुनरीक्षित करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हम संस्तुत करते हैं कि इका पदनाम बदलकर निरीक्षक (सूती वस्त्र) कर दिया जाय तथा निरीक्षक के पद नाम को बदलकर कनिष्ठ निरीक्षक (सूती वस्त्र) कर दिया जाय।

6.32 वरिष्ठ निरीक्षक (लेखा) वेतनमान रु0 300—500 के पदों को सीधी भरती द्वारा तथा कनिष्ठ निरीक्षक (लेखा) के पद में से जो कि रु0 250—425 के वेतनमान में हैं, पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इनके कर्तव्यों को श्रम आयुक्त कार्यालय के लेखा निरीक्षक (ग्रेड-1) के कर्तव्यों से तुलना करना सम्भव नहीं है। वर्तमान वेतनमान रु0 300—500 को उच्चीकृत करके पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

6.33 पुनरीक्षित वेतनमान और सेलेक्शन ग्रेड जहां कहीं आवश्यक हैं इस खण्ड के भाग-2 में दिये गये हैं।

प्रान्तीय लौह तथा इस्पात नियंत्रक का कार्यालय

6.34 उद्योग निदेशक पदेन प्रान्तीय लौह तथा इस्पात नियंत्रक भी हैं। 1969 के पूर्व प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का कार्यालय खाद्य और रसद विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था। 1 अगस्त, 1969 से यह उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तांतरित किया गया। दिन प्रति दिन के कार्य की देख-रेख उप प्रान्तीय लौह तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा की जाती है जो रु0 900—1600 के वेतनमान में है। लौह तथा इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 के उपबन्धों के अधीन वे सबसे बढ़िया किस्म के या दोषपूर्ण लौह तथा इस्पात को अर्जित करने, आवंटित करने, निस्तारित करने, जांच और अधिग्रहीत करने, मूल्यांकन और मूल्य निर्धारित करने की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वे भारत सरकार के आदेशों के अधीन राज्य प्रवर्तन अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। उनके अधीन अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग की प्रभावी संख्या 18 है।

6.35 हमारे समक्ष यह प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि कुछ लिपिकीय पदों के धारक अपने वेतनमानों के अधिकतम पर रुके पड़े हैं अतः उनके वेतनमानों को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाय —

	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रस्तावित वेतनमान रु0
(क) प्रधान सहायक	400—550	450—700
(ख) प्रधान लिपिक	300—500	400—550
(ग) लेखाकार	250—425	280—460
(घ) ज्येष्ठ लिपिक	250—425	280—460

6.36 निम्नलिखित मांगें भी प्रस्तुत की गई—

(1) आशुलिपिकों का वेतनमान सार्वजनिक उपक्रमों में ज्येष्ठ आशुलिपिकों के समान होना चाहिए, और

(2) उप प्रान्तीय लौह तथा इस्पात नियंत्रक का वेतनमान (रु0 900—1600) संयुक्त निदेशक, उद्योग (रु0 1150—1700) के समान किया जाय।

6.37 हमने उप प्रान्तीय लौह तथा इस्पात नियंत्रक के वेतनमान के प्रश्न पर निदेशक और सचिव उद्योग विभाग से विचार-विमर्श किया है। वे इस मांग से सहमत थे कि इस पद को संयुक्त निदेशक, उद्योग के समान किया जाना चाहिये, क्योंकि वे लौह तथा इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 के अधीन महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हम भी इस प्रस्ताव से सहमत हैं और इस पद के लिये रु0 1540—2200 के पुनरीक्षित वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

6.38 लिपिकीय कर्मचारिवर्ग और आशुलिपिक के वेतनमानों के बारे में "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में विचार किया गया है।

6.39 तथापि हम यह महसूस करते हैं कि इस छोटे से कार्यालय में लिपिकीय पदों की संख्या अधिक है। यद्यपि हम तुरन्त छंटनी किये जाने की संस्तुति नहीं करेंगे तथापि फालतू कर्मचारियों को उद्योग निदेशालय में भविष्य में होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध खपाया जाय।

भूतत्व और खनिकर्म

6.40 भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय का कार्य मुख्यतः भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्वेषण करना है। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम का उत्तरदायित्व खनिज संसाधनों का समायोजन है। आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में निदेशक ने विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि इस विभाग के कर्मचारिवर्ग की मुख्य कठिनाई यह है कि उन्हें

विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में दुष्कर परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है जहां वे सभी सुविधाओं और यातायात के साधनों से वंचित रहते हैं । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कर्मचारियों को दो जगह गृहस्थी रखनी पड़ती है । निदेशक ने अपने ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया कि भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय में कर्मचारिवर्ग के वेतनमान राज्य सरकार के अन्य प्राविधिक विभाग के कर्मचारिवर्ग के तत्स्थानी वेतनमान से अपेक्षाकृत कम हैं ! उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय के कर्मचारिवर्ग को वहीं वेतनमान दिया जाना आवश्यक है जो भारत सरकार में (जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया) उनके प्रतिस्थानी कर्मचारिवर्ग को उपलब्ध है । निदेशक ने निम्नलिखित वेतनमानों का सुझाव दिया है—

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	निदेशक द्वारा संस्तुत वेतनमान
1	2	3
	रुपया	रुपया
1. निदेशक	1600—2000	2200—2500
2. संयुक्त निदेशक	1150—1700	1600—2000
3. उप निदेशक	900—1600	1200—1800
4. सीनियर जियो केमिस्ट	900—1600	1200—1800
5. जियालोजिस्ट	800—1450	900—1600
6. रसायनज्ञ (केमिस्ट)	800—1450	900—1600
7. सीनियर केमिस्ट (जियालोजी)	800—1450	900—1600
8. ज्येष्ठ खान अधिकारी	650—1300	900—1600
9. जियो केमिस्ट	550—1200	800—1450
10. सहायक रसायनज्ञ	550—1200	800—1450
11. सहायक जियोलाजिस्ट	550—1200	800—1450
12. खान अधिकारी	550—1200	800—1450
13. असिस्टेन्ट ड्रिलिंग इन्जीनियर	550—1200	800—1450
14. आफिसर सर्वेयर	550—1200	800—1450
15. अधिकारी प्रभारी (नक्शा अनुभाग)	550—1200	800—1450
16. अधिकारी प्रभारी (एक्सरे लैब)	550—1200	800—1450
17. सहायक खान अधिकारी	550—1200	800—1450
18. लेखा अधिकारी	550—1200	800—1450
19. प्राविधिक सहायक (जियोलाजी)	400—750	550—1200
20. प्राविधिक सहायक (रसायन)	400—750	550—1200
21. प्राविधिक सहायक (भूभौतिकी)	400—750	550—1200
22. खान निरीक्षक	400—750	550—1200
23. सर्वेयर	400—750	550—1200
24. मेकेनिकल फोरमैन	350—700	450—850
25. कनिष्ठ प्राविधिक सहायक (जियोलाजी)	350—700	450—850
26. सीनियर आडिटर	350—700	450—850
27. विधि सहायक	350—700	450—850
28. सर्वेयर (उन सदस्यों के लिये जिन्हें 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है ।	350—700	450—850
29. पुस्तकालयाध्यक्ष	325—575	450—850
30. सीनियर ड्राफ्टसमैन	325—575	400—750
	400—750 (सेलेक्शन ग्रेड)	450—950
31. ड्राफ्टसमैन	280—460	300—500
	300—500 (सेलेक्शन ग्रेड)	400—600

1	2	3
32. आडिटर	280—460	300—500
33. सीनियर लॅब टॅक्नीशियन	280—460	300—500
34. ड्रिलिंग असिस्टॅन्ट	230—385	280—460
35. फोटोग्राफर	230—385	280—460
36. ड्रिल आपरेटर	200—320	250—425
37. जॅक हॅमर ड्रिलर	200—320	250—425
38. गॅस प्लान्ट आपरेटर	200—320	250—425
39. सॅम्पलर	200—320	250—425
40. वाटर प्लान्ट आपरेटर	200—320	250—425
41. डीजल मॅकॅनिक	200—320	250—425
42. लेखा अधीक्षक	400—750	
43. स्टोर अधीक्षक	325—575	400—750
44. कार्यालय अधीक्षक	400—550	
45. प्रधान सहायक	280—460	
46. ज्येष्ठ लेखाकार	250—425	
47. लेखाकार	230—385	
48. ज्येष्ठ लिपिक	230—385	
49. ज्येष्ठ लिपिक (टाइप)	230—385	
50. उप लेखक और प्रालेखक	230—385	
51. स्टोर कीपर	230—385	
52. आशुलिपिक	250—425 300—500	300—550 400—600
53. लिपिक	200—320	
54. ड्रिलिंग स्टोर क्लर्क	200—320	
55. लेखा लिपिक	200—320	
56. सहायक स्टोरकीपर	200—320	
57. लिपिक (टंकक) टंकक	200—320	
58. मोहर्रिर	200—320	
59. प्रवर वर्ग सहायक	350—700	
60. अवर वर्ग सहायक	280—460	
61. टंकक	200—320	
62. फोटो, असिस्टॅन्ट	185—265	
63. ड्राइवर (भारी गाड़ी)	185—265	
64. वेल्डर	175—250	
65. सेक्शन कटर	175—250	
66. जीप ड्राइवर	175—250	
67. विद्युत मिस्त्री	175—250	
68. जमादार	170—225	
69. दफ्तरी	170—225	
70. साइक्लोस्टाइल आपरेटर	170—225	

अन्य पदों के लिये निदेशक ने किसी वेतनमान का सुझाव सम्भवतः इसलिए नहीं दिया हैं कि वे लिपिक, स्टोरकीपर और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों जैसे पद हैं।

6.41 विभाग के तीन सेवा संघों ने भी आयोग के समक्ष अपने ज्ञापन प्रस्तुत किये। भूतत्व और खनिकर्म अधिकारी संघ ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

(1) निदेशक रु0 2750—3000 के वेतनमान में होना चाहिये।

(2) वरिष्ठ वैज्ञानिक, संयुक्त निदेशक, मुख्य रसायनज्ञ रु0 2250—2750 के वेतनमान में होने चाहिए।

(3) उप निदेशक और उस स्तर के अधिकारी रु0 2000—2250 के वेतनमान में होने चाहिये।

(4) वर्ग-1 के वैज्ञानिक रु0 900—2000 के सामान्य वेतनमान में होने चाहिये।

(5) रु0 900—1600 और रु0 1150—1700 के वर्तमान वेतनमान को उन्नत करके रु0 1400-1800 किया जाना चाहिये।

(6) कर्मचारिवर्ग का दैनिक भत्ता समाप्त किया जाना चाहिये और अधिकारियों को रु0 100—150 प्रतिमास की दर से क्षेत्रीय अधिष्ठान भत्ता स्वीकृत किया जाना चाहिये।

(7) राजपत्रित अधिकारियों को रु0 100—150 प्रतिमास तक विशेष वेतन भी दिया जाना चाहिये।

(8) वर्ग-2 के पदों पर नियुक्त होने वाले नये अधिकारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति के समय दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जानी चाहिये।

(9) उच्चतर अर्हता प्राप्त अधिकारियों को स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाना चाहिये।

(10) विशेष जोखिम भत्ता दिया जाना चाहिये तथा उनकी जीवन बीमा कवर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.42 इस संघ ने ऐसे अधिकारियों को जो वर्ग 1 और 2 में 15 वर्ष सेवा कर चुके हैं, रु0 900—1600 का सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद् उपसमिति (1975) की संस्तुतियों को संदर्भित करते हुए इसी आधार पर वास्तविक स्वीकृति की मांग की है।

2—प्राविधिक कर्मचारी संघ

6.43 संघ ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित बिन्दु उठाये हैं :

(1) भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय के प्राविधिक कर्मचारियों का कार्य तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा जियालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया आदि के समान है अतः उन्हें भारत सरकार में अनुमन्य वेतनमानों के समान वेतनमान मिलने चाहिये।

(2) भारत सरकार में जिओलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के प्राविधिक कर्मचारिवर्ग को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त वे शिविर भत्ता, चिकित्सा भत्ता और अन्य भत्ते पाने के हकदार हैं।

3—प्राविधिक सहायक संघ

6.44—(1) इस संघ ने जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया में समान कोटि के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों की मांग की है।

(2) उन्हें प्रतिमास रु0 150 का विशेष अर्हता भत्ता दिया जाना चाहिये।

6.45 हमने सेवा संघों और भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय के निदेशक से विचार विमर्श करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। निदेशक तथा सेवा संघों द्वारा उठाये गए विभिन्न बिन्दुओं पर एतद्पश्चात् विचार किया गया है।

6.46 निदेशक और दोनों संघों की मुख्य मांग यह है कि जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के वेतनमान के समान वेतनमान दिये जांय। हम यह महसूस करते हैं कि यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं है। हमने सामान्य सिद्धान्त के अध्याय में इसके बारे में कुछ विस्तार से विचार किया है। तथापि हम इस बात को पुनः दोहराना चाहेंगे कि राज्य सरकार के संसाधन ऐसे नहीं हैं कि इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण अपनाया जाय। यह बात भी माननी पड़ेगी कि भारत सरकार के कर्मचारी देश भर में कहीं भी स्थानान्तरित किये जा सकते हैं जब कि राज्य सरकार के कर्मचारी इस राज्य की सीमा के भीतर ही स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। वेतनमानों में कुछ अन्तर रखने का यही एक कारण पर्याप्त होना चाहिये।

6.47 जहां तक निदेशक और संघों के इस तर्क का सम्बन्ध है कि कर्मचारिवर्ग को दो जगह गृहस्थी रखनी पड़ती है इस विभाग में कार्य की प्रकृति के कारण ऐसा आवश्यक हो जाता है। भारत सरकार ने जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिये क्षेत्रीय अधिष्ठान भत्ता की सुविधा दी है। निदेशक से विचार विमर्श करने के दौरान यह विदित हुआ कि यद्यपि क्षेत्रीय अधिष्ठान भत्ता की तरह का भत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जाता है, तथापि क्षेत्रीय कर्मचारिवर्ग को मुख्यालय से दूर तैनात किये जाने पर प्रथम 60 दिनों के लिये पूरा दैनिक भत्ता पाने का हक है। हमारा मत है कि दोनों ही लाभ एक साथ नहीं दिये जा सकते हैं। 60 दिनों के लिये पूरा दैनिक भत्ता दिया जाना एक बहुत बड़ी छूट है और इससे कर्मचारिवर्ग की वास्तविक मांग की पूर्ति हो जानी चाहिये। आयोग को बाद में प्रेषित अपनी टिप्पणी में निदेशक ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की है।

6.48 निदेशक और संघों ने जिन वेतनमानों को दिये जाने की मांग की है वे न केवल भिन्न हैं वरन् उनका कोई सम्बन्ध वास्तविक स्थिति से भी नहीं है। अतः मामले के इस पहलू पर हम कोई टीका नहीं कर रहे हैं।

6.49 जहां तक निदेशक के वेतनमान का सम्बन्ध है, हमने इसके बारे में एक पृथक अध्याय में विचार किया है। प्रशासनिक विभाग ने यह सुझाव दिया है कि विभागाध्यक्ष को ग्रेड 1, 2 और 3 में वर्गीकृत किया जाना चाहिये और निदेशक, भूतत्व और खनिकर्म को अन्तिम कोटि अर्थात् ग्रेड 3 में रखा जाना चाहिये। तथापि यह उल्लेखनीय है कि निदेशक, भूतत्व और खनिकर्म का पद पदोन्नति का पद है। इस पद के लिये पात्रता का क्षेत्र संयुक्त निदेशक और स्थायी उप निदेशक तक ही सीमित है। संयुक्त निदेशक और उप निदेशकों की संख्या केवल तीन है जिससे यह स्पष्ट है कि इस मामले में चयन की अधिक गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार संयुक्त निदेशक का पद केवल उप निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। संयुक्त निदेशक के केवल एक पद के लिये उप निदेशकों के केवल दो पद हैं अतः उप-निदेशकों के लिये पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त नहीं कहे जा सकते हैं। उप निदेशक के पद भी पांच वर्ष का अनुभव वाले सीनियर जियोलोजिस्ट में से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस विभाग में सीनियर जियोलोजिस्ट की कुल संख्या केवल एक है। जियोलोजिस्ट के 13 पद रु0 800-1450 के वेतनमान में हैं और ये पद पांच वर्ष का अनुभव वाले स्थायी सहायक जियोलोजिस्ट में से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सहायक जियोलोजिस्ट की कुल संख्या 25 है। इसी प्रकार रसायनज्ञों, सीनियर जियो-केमिस्ट और ज्येष्ठ खान अधिकारी के पद भी शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

6.50 इस विभाग में वर्ग 2 के 57 पद हैं। हमें उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार इन पदों में से 50 प्रतिशत पद अगले निम्नतर वेतनमान अर्थात् रु0 400-750 में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। रु0 400—750 के निम्नतर ग्रेड में पदों की कुल संख्या केवल 75 है और उस कोटि में भी कुछ पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सामान्यतया वृद्धिरोध की कोई स्थिति नहीं है। तथापि संघों और विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श करने से तथा हमें उपलब्ध की गई सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि वेतनमान रु0 400-750 और रु0 550-1200 में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नतियां आरम्भ में बहुत तेजी से हुई।

6.51 भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय का आधारिक कार्यकर्ता प्राविधिक सहायक है। अच्छी शैक्षिक अर्हता प्राप्त नवयुवक इस विभाग में सम्मिलित होते हैं अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनमें वृद्धिरोध न हो और वे हतोत्साहित न हों। हम यह महसूस करते हैं कि अब विभाग का काफी विस्तार हो गया है और भविष्य में पदोन्नतियां और भी अच्छी तरह विनियमित होंगी। सामान्यतः हम उन सेवाओं में, जहां वृद्धिरोध स्पष्ट है, पदों की कुल संख्या के प्रतिशत के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड दे रहे हैं। इस छोटे से विभाग की विशेष स्थिति को देखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि यदि किसी प्राविधिक सहायक (चाहे वह जिस अनुभाग में हो) ड्रिलर या खान निरीक्षक को अपनी मौलिक नियुक्ति के 10 वर्ष के भीतर उच्चतर पद पर पदोन्नति नहीं किया जाता है और यदि वह अच्छे कार्य और आचरण विषयक शर्त पूरी करता है तो उसे सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

6.52 खान अधिकारी के 6 पद रु0 550-1200 के वेतनमान में हैं। अगला उच्चतर पद ज्येष्ठ खान अधिकारी का रु0 650-1300 के वेतनमान में है। चूंकि इस अनुभाग में यही एकमात्र वरिष्ठ पद है, अतः हम इस पद के लिये रु0 1250-2050 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

6.53 अधीनस्थ राजपत्रित पदों, अर्थात् प्राविधिक सहायकों, के लिये निर्धारित अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री तथा सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक है। इन पदों के लिये चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। यह अर्हता कृषि विभाग में ग्रुप-1 के पदों के लिए निर्धारित अर्हता के लगभग समान है, जिनके लिये निर्धारित वेतनमान रु0 350-700 है। हम प्राविधिक सहायक के पद का वेतनमान उन्नत किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

6.54 खान निरीक्षक के लिये निर्धारित अर्हता केवल डिप्लोमा है जबकि ड्रिलर के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता केवल हाई स्कूल है। इन दोनों कोटि के वेतनमानों को उच्चीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। सर्वेयर का वेतनमान रु0 300-500 है। पांच वर्ष के अनुभव वाले सर्वेयर को रु0 350-700 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। हमें विदित नहीं है कि इस विभाग के सम्बन्ध में यह विशेष शर्त किन परिस्थितियों में लगायी गयी। तथापि हम यह संस्तुति करते हैं कि रु0 570-1070 का उच्चतर वेतनमान केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये जो सेलेक्शन ग्रेड के लिये पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। तथापि वर्तमान पदधारियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने लिपिकीय पदों, पुस्तकालयाध्यक्ष ड्राफ्टसमैन, लैब टेक्नीशियन, फोटोग्राफर, ड्राइवर और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों जैसे सामान्य कोटि के पदों के बारे में, "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में विचार किया है। इस समय भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय के ऐसे कर्मचारियों का जो प्राविधिक पदों के लिये निर्धारित अर्हता से उच्चतर अर्हता रखते हैं, विशेष वेतन भत्ता अनुमन्य नहीं है। हमने इस विषय में संगत अध्याय में विचार किया है।

6.55 हमने इस खण्ड के भाग 2 में पुनरीक्षित वेतनमान और जहां कहीं आवश्यक है, सेलेक्शन ग्रेड दिये हैं।

मुद्रण और लेखन सामग्री

6.56 अधीक्षक, मुद्रण और लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश सभी राजकीय मुद्रण कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। राजकी

मुद्रण कार्य की मात्रा बढ़ जाने के कारण वह न केवल इलाहाबाद और लखनऊ के मुद्रणालयों में किया जाता है वरन रुड़की, रामपुर और रामनगर (जिला वाराणसी) के राजकीय मुद्रणालयों में भी किया जाता है। अधीक्षक, मुद्रण और लेखन सामग्री (रु0 1600-2000) विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों के समग्र रूप से प्रभारी हैं। उनकी सहायता के लिये तीन संयुक्त अधीक्षक (रु0 800-1450), छः उप अधीक्षक (रु0 550-1200) और चौदह सहायक अधीक्षक (रु0 450-950) हैं। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत बनी वेलफेयर अधिकारी नियमावली, 1955 के उपबन्धों के अधीन एक कल्याण अधिकारी (रु0 900-1600) इलाहाबाद राजकीय मुद्रणालय में और एक कल्याण अधिकारी (रु0 550-1200) नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में है। लेखा सम्बन्धी कार्य की देख-रेख एक ज्येष्ठ लेखा अधिकारी (रु0 800-1450) और तीन सहायक लेखा अधिकारी रु0 (450-950) द्वारा की जाती है। कार्मिक अधिकारी (रु0 550-1200) के भी दो पद हैं जिनमें से एक पद इलाहाबाद में और दूसरा पद लखनऊ में है। चिकित्सा अधिकारी (रु0 550-1200) के दो पद हैं जिनमें से एक पद इलाहाबाद में और दूसरा पद लखनऊ में है। मुद्रण अभियन्ता (रु0 550-1200) के भी तीन पद हैं जिनमें से एक-एक पद इलाहाबाद, लखनऊ और रामपुर में हैं। इनके अलावा इलाहाबाद में एक सुरक्षा अधिकारी (रु0 550-1200) है। विभिन्न कोटि के कर्मचारिवर्ग की 1-4-1974 और 1-4-1979 को संख्या नीचे दी गई है:

कोटि	कर्मचारिवर्ग की संख्या	
	1-4-1974 को	1-4-1979 को
समूह "क"	6	7
समूह 'ख"	27	33
समूह "ग"	1506	1676
समूह "घ"	3166	3426
नियत वेतन	20	20
	2725	5162

6.57 राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी संघ, इलाहाबाद ने हमारी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और हमारे समक्ष निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं:

(1) राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों को "प्राविधिक कर्मचारी" घोषित किया जाय,

(2) विभिन्न पदों को अकुशल, अर्द्धकुशल, अत्यधिक कुशल और पर्यवेक्षी ग्रेड के रूप में कोटिबद्ध किया जाय तथा क्रमशः रु0 530-770, 620-880, 760-920, 865-1035 और 940-1160 के वेतनमान दिये जांय;

(3) वाउचर लिपिक को सेक्शन होल्डर से उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया जाय :

(4) कम्पोजीटर (रु0 185-265), इम्पोजीटर (रु0 175-225), बाइण्डर (रु0 175-250) और लाइनो बारमैन (रु0 175-250) के वेतनमान को बढ़ाकर रु0 200-320 किया जाय तथा समीकृत किये जायं;

(5) हेड प्रूफ रीडर का पद पदोन्नति का पद है अतः इसके वेतनमान की अवधि 10 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष की जाय :

(6) रिवाइजर का वेतनमान कापी होल्डर से अधिक होना चाहिए ;

(7) रीडर, बाइण्डर, कम्पोजीटर आदि के पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिये और

(8) इलेक्ट्रीशियन का वेतनमान (रु0 200-320) बढ़ाया जाना चाहिये।

6.58 राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी संघ, लखनऊ ने यह मांग की कि कर्मचारियों का वृद्धिरोध न होने देने के लिये विभिन्न पदों के लिये अपेक्षाकृत अच्छे वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड दिए जांय।

6.59 मुद्रण और लेखन सामग्री लिपिकीय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने यह मांग की कि—

(1) विभिन्न कोटि के लिपिकीय पदों को सचिवालय में तत्स्थानी पदों के समान वेतनमान दिये जांय ;

(2) लखनऊ और इलाहाबाद के राजकीय मुद्रणालय में रोकड़िया के उत्तरदायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए उसके वेतनमान को बढ़ा कर सचिवालय में रोकड़िया को अनुमन्य वेतनमान के समान किया जाय ; और

(3) राजकीय मुद्रणालयों में स्टोर कीपर का वेतनमान (रु0 200-320) उच्चीकृत किया जाय क्योंकि वह वहां विशाल स्टोर सामग्री को संभालता है।

6.60 राजकीय मुद्रणालय श्रमिक संघ, इलाहाबाद ने निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की :—

(1) राजकीय मुद्रणालय के सभी कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारियों की भांति वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाना चाहिए ;

(2) नैत्यिक श्रेणी लिपिकों और अन्य लिपिकीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए ;

(3) सेक्शन होल्डर का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए; और

(4) अवकाश के नकदीकरण की वर्तमान प्रक्रिया सरल बनायी जानी चाहिए और लीव ट्रेवेल कन्सेशन की सुविधा दी जानी चाहिए।

6.61 नवीन राजकीय मुद्रणालय कार्मिक संघ, लखनऊ ने हमारे समक्ष निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की :—

(1) गेटमैन को सुरक्षा गार्ड घोषित किया जाना चाहिए और उसे रु0 200-320 का वेतनमान दिया जाना चाहिए ;

(2) काउन्टर (आफिस) को सहायक लिपिक से समानता दी जानी चाहिए ;

(3) विभिन्न मशीनों पर कार्य करने वाले मशीन-मैन के वेतनमान समान होने चाहिए ;

(4) सहायक मशीनमैन (रु0 170-225) को उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिये ;

(5) लुडलो आपरेटर (रु0 185-265) को उच्च-तर वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिये ;

(6) कम्पोजीटर, बाइण्डर, मशीनमैन, फिटर और इम्पोजीटर के पदों को एक वेतनमान में रखा जाना चाहिए ; और

(7) रिवाइजर (रु0 200-320) को, जो इस समय कापी होल्डर के समान है, उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिये ।

6.62 अधीक्षक, मुद्रण और लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश ने अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये:—

(1) विभिन्न लिपिकीय पदों का नाम लिपिक ग्रेड 1, 2, 3 और 4 रखा जाय ;

(2) प्रत्येक मुद्रणालय में तीन स्टोर्स के प्रधान अनु-भाग प्रभारी के बजाय उपयुक्त वेतनमान में स्टोर कीपर होने चाहिए ,

(3) टास्क कम्पोजीटर का न्यूनतम वेतनमान वही होना चाहिए जो वैतनिक कम्पोजीटर का है । टास्क कम्पोजीटर के लिये न तो अतिव्यापी वेतनमान (ओवर-लैपिंग स्केल) और न दीर्घकालिक वेतनमान ही आव-श्यक है ;

(4) मोनो और लाइनो आपरेटरों को टास्क कम्पो-जीटर के उच्चतम वेतनमान से उच्चतर वेतनमान दिये जाने चाहिये ;

(5) ऐसे विभिन्न पदों पर जिन पर कार्य करने वाले कर्मचारी को पदोन्नति के अवसर नहीं हैं, सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिये ;

(6) इम्पोजीटर का वेतनमान (रु0 170-225) पुनरीक्षित करके रु0 175-250 किया जाना चाहिए ;

(7) फोल्डिंग मशीनमैन, गैंगस्टिचर मशीनमैन, थ्री साइडेड ट्रिमर मशीनमैन आदि जैसे विभिन्न पद-नाम वाले पदों का नाम बाइण्डरी मशीनमैन रखा जाय ;

(8) लेखा अनुभाग में लेखाकार को जो अनुभाग प्रभारी कहलाता है, उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिये ;

(9) कापी होल्डर और रिवाइजर के पद का नाम कापी होल्डर एवं रिवाइजर रखा जाय ;

(10) इलेक्ट्रीशियन और आर्मेचर बाइण्डर को उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये जाने चाहिए ;

(11) गेटमैन को चपरासियों से उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिये ; और

(12) कार्मिक अधिकारी और संयुक्त अधीक्षक के वेतनमानों को उच्चीकृत किया जाना चाहिये ।

6.63 उद्योग विभाग ने निम्नलिखित सुझाव विचा-रार्थ प्रस्तुत किए हैं—

(1) अधीक्षक, मुद्रण और लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में विभिन्न लिपिकीय पदों को उपयुक्त रीति से उन्नत किया जाना चाहिये जिससे उनके धारकों को पदो-न्नति के अवसर उपलब्ध हो सकें ;

(2) राजकीय मुद्रणालयों के विभिन्न प्राविधिक कर्मचारियों के पदों को वर्ग 3 के पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाय और उन कर्मचारियों को भी, जो इस समय वर्ग 4 के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान से भिन्न वेतनमान में हैं, कम से कम वर्ग 3 के कर्मचारियों के समान वेतनमान दिया जाना चाहिये ; और

(3) नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में एलबर्ट बुक रोटरी आपरेटर का पद इस राज्य में अपने प्रकार का एक मात्र पद है । इस पद के धारक को, जो रु0 280-460 के वेतनमान में 1-10-75 से अधिकतम धनराशि पा रहा है या तो सेलेक्शन ग्रेड या उच्चतर वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत किया जाय ।

6.64 हमारे समक्ष प्रस्तुत विभिन्न मांगों के बारे में हमने विभिन्न सेवा संघों के प्रतिनिधियों, अधीक्षक, मुद्रण और लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश और सचिव, उद्योग विभाग से विस्तृत विचार विमर्श किया । मुद्रणालय के विभिन्न अनुभागों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिये आयोग के एक सदस्य वेतन आयोग के एक अधिकारी के साथ नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को देखने गये । मुद्रणालय के विभिन्न अनुभागों में कुछ पदों के सम्बन्ध में हमारी संस्तुतियां नीचे दी गई हैं :

(क) रीडिंग अनुभाग—

रिवाइजर (रु0 200-320) अन्तिम प्रूफ को शुद्ध करने के लिये उत्तरदायी है । इस कार्य में उसकी

सहायता कापी होल्डर करता है । रिवाइजर का वेतनमान बढ़ाकर रु0 400-615 किया जाना चाहिये ।

(ख) कम्पोजिंग अनुभाग—

(1) इम्पोजीटर, डिस्ट्रीब्यूटर, टाइप सप्लायर और गैली प्रूफ प्रेसमैन को रु0 10 प्रति मास का विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये क्योंकि उनके कर्तव्य दुष्कर प्रकृति के समझे जाते हैं ।

(2) कम्पोजीटर की पदोन्नति के लिये काफी अवसर हैं । उसकी कार्यकुशलता के स्तर के आधार पर उसकी पदोन्नति टास्क कम्पोजीटर के रूप में की जा सकती है । वह प्रूफ अरेन्जर, असिस्टेन्ट सेक्शन होल्डर, सेक्शन होल्डर, और फोरमैन के पद पर भी पदोन्नति पा सकता है । इन परिस्थितियों में न तो कम्पोजीटर का वेतनमान बढ़ाना आवश्यक है और न लुडलो आपरेटर का ही, क्योंकि इस पद के लिये कम्पोजीटर से उच्चतर कौशल अपेक्षित नहीं है । तथापि वृद्धिरोध दूर करने के लिये कम्पोजीटर के 10 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(3) लाइनो बारमैन का कार्य महत्वपूर्ण तथा कास्टर के समान है । लाइनो बारमैन का वेतनमान बढ़ाकर रु0 325-495 किया जाय ।

(ग) प्रेस रूम—

इन्कमैन और पेपर ब्वाय भी, जो मशीन असिस्टेन्ट की सहायता करते हैं रु0 170-225 के वेतनमान में हैं तथापि मशीन आपरेटर के दुष्कर कर्तव्यों का विचार करते हुये उसे रु0 10 प्रतिमास का विशेष वेतन स्वीकृत किया जाय ।

(घ) बाइंडिंग अनुभाग—

(1) चूंकि काउन्टर और पैकर के कर्तव्य नैत्यिक प्रकार के हैं अतः उनका वेतनमान बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(2) वाउचर लिपिक (रु0 200-320) और सेक्शन होल्डर (रु0 230-385) को भिन्न-भिन्न कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है और ये पद एक दूसरे से तुलनीय नहीं हैं । अतः बाउचर लिपिक के पद को उच्चीकृत किए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(3) बाइंडिंग मशीन मैन रु0 185-265 के वेतनमान में हैं जबकि प्रेस रूम मशीनमैन रु0 200-320 के वेतनमान में हैं । कार्य स्थल पर अध्ययन करने पर यह पाया गया कि बाइंडिंग मशीनमैन के वेतनमान को प्रेस रूम मशीन मैन के वेतनमान के समान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(ङ) वर्क शाप—

आर्मेचर वाइण्डर द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुये उसके बाद के वेतनमान को बढ़ाकर इलैक्ट्रिशियन के समान अर्थात् रु0 354-550 किया जाय ।

6.65 हमने इस मांग पर भी विचार किया है कि गेट मैन और चौकीदार का पद नाम सुरक्षा गार्ड रखा जाय और उनका वेतनमान उच्चीकृत किया जाय । यद्यपि इन पदों का पद नाम बदलने या उन्हें उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, तथापि उनके दुष्कर कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुये हम यह महसूस करते हैं कि उन्हें रु0 10 प्रतिमास का विशेष वेतन स्वीकृत किया जाय ।

6.66 कार्मिक अधिकारी का वेतनमान रु0 550-1200 है । इस पद के लिए निर्धारित अर्हता विधि स्नातक (लाग्रेजुएट) तथा हिन्दी का ज्ञान है । पदधारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं । ये एकल पद (आइसोलेटेड पोस्ट) हैं अतः एकल पदों से सम्बन्धित हमारी संस्तुतियां इन पदों पर भी लागू होंगी ।

6.67 संयुक्त अधीक्षक का वेतनमान रु0 800-1450 है । उप अधीक्षकों और रु0 550-1200 के वेतनमान में मुद्रण अभियन्ताओं के लिये ये पदोन्नति के पद हैं । अतः इन पदों के वेतनमान को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है । तथापि इस बात का विचार करते हुए कि संयुक्त अधीक्षक, नवीन राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ विशेष रूप से दुष्कर कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे 150 रु0 प्रतिमास का विशेष वेतन स्वीकृत किया जाय ।

6.68 लिपिकीय कर्मचारिवर्ग, आशुलिपिक और स्टोरकीपर तथा चतुर्थ वर्गी के कर्मचारिवर्ग के वेतनमान के बारे में "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में विचार किया गया है ।

6.69 पुनरीक्षित वेतनमान तथा जहां कहीं आवश्यक है, सेलेक्शन ग्रेड इस खण्ड के भाग 2 में दिये गये हैं ।

अध्याय सात

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग 1854 में बनाया गया था और वह 1947 तक राज्य के शैक्षिक कार्यक्रम के लिये उत्तरदायी था। शिक्षा विभाग के कार्यकलाप का 1947 में पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया और डाइरेक्टर, पब्लिक इन्स्ट्रक्शन के पद का नाम बदल कर डाइरेक्टर, एजूकेशन (शिक्षा निदेशक) रखा गया। शिक्षा का तेजी से प्रसार होने से इस विभाग को तीन शाखाओं में अर्थात् (1) बेसिक शिक्षा, (2) माध्यमिक शिक्षा और (3) उच्च शिक्षा, विभाजित किया गया। बाद में विभागाध्यक्ष के तीन पृथक्-पृथक पद भी सृजित किये गये। तत्पश्चात् बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के कार्य को एक में मिला दिया गया और अब केवल दो निदेशक हैं अर्थात् (1) शिक्षा निदेशक और (2) उच्च शिक्षा निदेशक।

7.2 शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के कार्य की देख-रेख कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिये मुख्यालय पर तीन अतिरिक्त निदेशक, चार संयुक्त निदेशक और बहुत से उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा कुछ अन्य अधिकारी हैं। उच्च शिक्षा निदेशक की सहायता के लिये एक संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक और दो सहायक निदेशक हैं।

7.3 शिक्षा निदेशालय तथा उच्च शिक्षा निदेशालय में विभिन्न कोटि के कर्मचारी वर्ग की 1 अप्रैल, 1974 को तथा 1 अप्रैल, 1979 को जो संख्या थी वह नीचे दी गयी है :

(1) शिक्षा निदेशालय

	1 अप्रैल, 1974	1 अप्रैल, 1979
समूह 'क'	96	166
समूह 'ख'	813	1,415
समूह 'ग'	18,969	23,691
समूह 'घ'	9,798	13,007
	29,676	38,279

(2) उच्च शिक्षा निदेशालय

	1 अप्रैल, 1974	1 अप्रैल, 1979
समूह 'क'	5	5
समूह 'ख'	2	5
समूह 'ग'	248	358
समूह 'घ'	350	410
	605	778

7.4 शिक्षा विभाग के विभिन्न कोटि के कर्मचारी वर्ग के कुल 64 सेवा संघों ने अपने ज्ञापन/प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किये। बहुत से संघों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष साक्ष्य दिया। सेवा संघों द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण मांगें/सुझाव संक्षेप में नीचे दिये जा रहे हैं :

(1) उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ

(1) जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को सी0 टी0 ग्रेड अर्थात् रु0250–425 दिया जाय, जैसा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को अनुमन्य है।

(2) प्राइमरी विद्यालय के प्रधान अध्यापक की पदोन्नति जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर की जाती है किन्तु दोनों ही पदों के वेतनमान एक समान हैं। प्राइमरी विद्यालय के प्रधान अध्यापक को जो वेतनमान स्वीकृत किया गया है उससे उच्चतर वेतनमान जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक को दिया जाय।

(3) प्राइमरी विद्यालयों/जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के लिये पदोन्नति की सम्भावनाओं में बढ़ोत्तरी की जाय। प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूल में पदोन्नति की जानी चाहिए और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों की उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति की जानी चाहिए।

(4) राजकीय अध्यापकों की भांति मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता जैसी सुविधायें प्राइमरी विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को भी स्वीकृत किये जायं।

(5) राज्य के संसाधनों को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से बी0 टी0 प्रशिक्षण केन्द्र कम कर दिये जायं और शिक्षा उपकर लगाया जाय।

(2) जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ

(1) जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को वही वेतनमान दिया जाय जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को अनुमन्य है अर्थात् उन्हें रु0 250–425 का सी0 टी0 ग्रेड दिया जाय।

(2) निजी प्रबंधकों द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा 6 से8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को वही वेतनमान दिया जाय जो राजकीय और सहायता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को अनुमन्य है अर्थात् उन्हें 250–425 का सी0 टी0 ग्रेड दिया जाय।

(3) जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापकों को रु0 300–550 का एल0 टी0 ग्रेड मिलना चाहिए। विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों के पचास प्रतिशत पद प्राइमरी

विद्यालयों के उपयुक्त अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए ।

(4) ऐसे अध्यापकों को जो इण्टरमीडिएट और बी0 टी0 सी0 हैं, 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सी0 टी0 वेतनमान दिया जाय ।

(5) जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति की जानी चाहिए यदि वे उन विषयों में अर्ह हैं, जिनमें रिक्तियां विद्यमान हैं ।

(6) सरकारी कर्मचारी के पैटर्न पर चिकित्सा सुविधायें दी जानी चाहिए ।

(7) उर्दू विषय में कुछ अध्यापक केवल रु0 195 प्रतिमास नियत वेतन पा रहे हैं । उन्हें समय वेतनमान दिये जायं ।

(8) यदि कोई अध्यापक किसी ऐसे स्थान को स्थानान्तरित किया जाय जो 8 किलोमीटर से अधिक दूर हैं, तो उसे स्थानान्तरण भत्ता अनुमन्य किया जाय ।

(3) बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी संघ

(1) बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेतर कर्मचारियों को वही वेतनमान स्वीकृत किया जाय जो राजकीय संस्थाओं में समान कोटि के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं।

(2) जिला परिषद् और नगर महापालिका में प्रधान लिपिक का वेतनमान रु0240–424 है और नगर पालिका में वेतनमान रु0260–350 है । इनके लिये रु0300–500 के एक सामान्य वेतनमान की व्यवस्था की जाय । अन्य पदों के लिये भी कर्मचारियों को वही वेतनमान दिए जायं जो शिक्षा निदेशालय में अनुमन्य हैं । बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चतुर्थ वर्ग के लगभग 6000 कर्मचारी जो रु0 165 प्रतिमास का नियत वेतन पा रहे हैं, उन्हें रु0 165–215 का वेतनमान दिया जाय । चतुर्थ वर्ग के कुछ कर्मचारियों को दिनांक 1-10-1977 से रु0 165-215 का वेतनमान दिया गया है । उन्हें यह वेतनमान दिनांक 1-8-1972 से दिया जाय ।

(3) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जायं ।

(4) प्रादेशिक संस्कृत विद्यालय अध्यापक समिति, उत्तर प्रदेश

(1) आचार्य की डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य है किन्तु महाविद्यालय के लेक्चरर रु0 300-510 का वेतनमान पा रहे हैं । उन्हें इंटरमीडिएट कालेजों के लेक्चरर के वेतनमान के सामान रु0 400-750 का वेतनमान स्वीकृत किया जाय ।

(2) ऐसे अध्यापक, जो आचार्य और शास्त्री कक्षाओं को पढ़ाते हैं क्रमश: रु0500–1150 और रु0400–750 का निम्नतर वेतनमान पा रहे हैं । चूंकि आचार्य और शास्त्री डिग्री को स्नातकोत्तर और स्नातक डिग्री के समतुल्य मान्यता दी गयी है अतः इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों को स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिये जायं ।

(3) पाठशालाओं में पुस्तकालयाध्यक्ष और लिपिक के पद सृजित किये जायं ।

(4) इन संस्थाओं में त्रिलाभ योजना लागू की जाय ।

(5) इन संस्थाओं के चतुर्थवर्ग के कर्मचारी रु0 40 प्रतिमास का नियत वेतन पा रहे हैं । उन्हें अन्य संस्थाओं में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को अनुमन्य समय वेतनमान दिया जाय ।

(6) पर्वतीय और सीमावर्ती जिलों में संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को भी पर्वतीय विकास भत्ता और सीमा विशेष वेतन दिया जाय ।

(7) संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को उसी दर से मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधायें और शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जायं जैसी कि अन्य शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों को अनुमन्य है ।

(5) उत्तर प्रदेश के अरबी मदरसा अध्यापक संघ और जिला मदारिस अरबी अध्यापक संघ

(1) अरबी मदरसों के अध्यापकों को वही वेतनमान दिया जाय जैसा संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को अनुमन्य हैं ।

(2) संस्कृत पाठशालाओं के पैटर्न पर अरबी मदरसों को कोटिबद्ध किया जाय ।

(3) इन अरबी मदरसों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद की व्यवस्था की जाय ।

(4) प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिये दो विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त होने विषयक लगाया गया प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया जाय ।

(6) राजकीय अध्यापक संघ उत्तर प्रदेश

(1) कर्मचारिवर्ग में वृद्धिरोधा को दूर करने के लिय अबाध वेतनमान की व्यवस्था की जाय ।

(2) अध्यापकों को ट्यूशन बंदी भत्ता दिया जाय या उन्हें ट्यूशन कार्य करने की स्वीकृति दी जाय ।

(3) विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्यों और एल0 टी0 अध्यापकों के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जायं ।

(4) विभिन्न कोटि के कर्मचारी वर्ग को निम्नलिखित वेतनमान दिये जायं :—

	रु0
(क) प्रधानाचार्य, इण्टरमीडिएट कालेज/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	1300–2600
(ख) लेक्चरर, ट्रेनिंग कालेज	1100–2350

	रु0
(ग) प्रधान अध्यापक हाई स्कूल/प्रशिक्षण विद्यालय/लेक्चरर, इण्टरमीडिएट कालेज/विद्यालय उप निरीक्षक/विद्यालय अतिरिक्त उप निरीक्षक/लेक्चरर, अभियंत्रण	1100–2225
(घ) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक/विद्यालय प्रति उप निरीक्षक/बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका/प्रधान अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल/हाई स्कूलों में शिल्प, कला, संगीत, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा का शिक्षण देने वाले अध्यापक और सीनियर मैट्रन तथा वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर	950–1950
(ङ) कक्षा 6 से 8 तक सभी विषयों को पढ़ाने वाले प्रशिक्षित गैर स्नातक अध्यापक/प्राइमरी विद्यालयों के प्रधान अध्यापक/जूनियर मैट्रन	800–1650
(च) प्राइमरी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले प्रशिक्षित अध्यापक	625–1325

(5) कवाल नगरों में अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ता की दरें बढ़ाई जायं और अन्य स्थानों में तैनात कर्मचारिवर्ग को भी नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाय ।

(6) तैनाती के स्थान का विचार किये बिना सभी सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जाय ।

(7) सभी कर्मचारियों को बेसिक वेतन के 25 प्रतिशत की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाय ।

(8) सभी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को नकदीकरण अवकाश की सुविधा दी जाय और 30 दिन के अवकाश का उपभोग करने विषयक प्रतिबन्ध हटा लिया जाय।

(7) प्रादेशिक प्रसार शिक्षक संघ

(1) वृद्धिरोध दूर करने के लिये प्रसार शिक्षकों के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जायं ।

(2) कृषि पर्यवेक्षक, जो प्रसार शिक्षकों का निरीक्षण प्राधिकारी है, का वेतनमान वही है, जो प्रसार शिक्षक का है । पर्यवेक्षक का वेतनमान अधीनस्थ शिक्षा सेवा के बराबर किया जाय ।

(3) अर्हता प्राप्त प्रसार शिक्षकों की पदोन्नति एल0 टी0 शिक्षकों, विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों और लेक्चररों के संवर्गों में 50 प्रतिशत पदों पर की जाय ।

(4) एल0 टी0 ग्रेड के प्रसार शिक्षकों की पदोन्नति हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापक के पद पर की जाय ।

(8) उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद्

(1) राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों को उद्धृत करते हुए और इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्वों के बारे में इंगित करते हुए परिषद् ने सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न पदों के लिये निम्नलिखित वेतनमानों की मांग की :—

पद	वेतनमान रु0
(1) प्रधानाचार्य, इण्टरमीडिएट कालेज (विश्वविद्यालय में रीडर के समान)	1200–1900
(2) प्रधानाचार्य, हाई स्कूल	900–1600
(3) लेक्चरर, इण्टरमीडिएट कालेज	900–1600
(4) एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापक	700–1150
(5) तृतीय वर्ग के कर्मचारी	500–950
(6) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी	400–750

(2) ग्रामीण और नगर दोनों ही क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को उनके वेतन के 15 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाय । प्रधानाचार्य को निःशुल्क आवास दिया जाय ।

(3) बैंकों की भांति सभी वर्गों के कर्मचारियों को उनके वेतन के 5 प्रतिशत की दर से परिवार भत्ता दिया जाय ।

(4) कवाल नगरों में तथा नगर क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित कालेजों में तैनात कर्मचारी वर्ग को भी वही नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाय, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है ।

(5) बैंकों के पैटर्न पर चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद रु015 प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाय ।

(6) तीन वर्ष तक वेतनमान की अधिकतम धनराशि पर रुके रहने के बाद वृद्धिरोध संबंधी एक वेतन वृद्धि दी जाय और तत्पश्चात प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद एक वेतन वृद्धि दी जाय । सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(7) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को प्रति वर्ष रु0150 की दर से वर्दी भत्ता दिया जाय ।

(8) प्रतिवर्ष रु0 300 की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाय ।

(9) सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों को उसी दर से पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन/ सेवा ग्रेच्युटी दी जाय जिस दर से वह राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है ।

(9) उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ

(1) विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक और बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका के पद रु0550–950 के वेतनमान में राजपत्रित घोषित किये जायं ।

(2) विद्यालय उप निरीक्षक का पद विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों में से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाय । विद्यालय उप निरीक्षक और बालिका विद्यालय उप निरीक्षिका को रु0750–1550 का वेतनमान दिया जाय ।

(3) सभी संवर्गों में सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय ।

(10) सीधी भर्ती वाले लेक्चररों का संघ

(1) सीधी भर्ती वाले लेक्चररों की इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य के पद पर सीधे पदोन्नति दी जाय ।

(2) सीधे भर्ती वाले लेक्चररों और पदोन्नति द्वारा नियुक्त एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों की एक सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार की जाय । एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये लेक्चरर की ज्येष्ठता इण्टरमीडिएट कालेज के लेक्चरर के रूप में उसकी पदोन्नति के दिनांक से आगणित की जाय ।

(3) विद्यालय प्रति उप निरीक्षक की भांति सीधी भर्ती वाले लेक्चररों की पदोन्नति विद्यालय उप निरीक्षक/हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक/नार्मल स्कूल के प्रधान अध्यापक के पद पर की जाय और इस प्रयोजन के लिये एक सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार की जाय ।

(4) इण्टरमीडिएट कालेज/ट्रेनिंग कालेज के लेक्चरर का वेतनमान हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक के वेतनमान के समान होना चाहिए ।

(5) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों और प्राविधिक विद्यालयों के संवर्ग पृथक-पृथक होने चाहिए ।

(6) विशेष शिक्षा सेवा (सीधी भर्ती) में सम्मिलित पद अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) के पदों के समतुल्य समझे जायं ।

(11) उत्तर प्रदेश शैक्षिक लिपिकीय अधिकारी संघ

(1) अन्वेषक को रु0 280-460 का वेतनमान दिया जाय जैसा कि अन्यत्र अनुमन्य है ।

(2) अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमान मुख्यालय के लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमान के समान होने चाहिए ।

(3) विभिन्न लिपिकीय संवर्गों के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर उपलब्ध किये जायं ।

(12) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग का उत्तर प्रदेश प्राविधिक लिपिकीय संघ

(1) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग के वेतनमान वही होने चाहिए जो समान कोटि के राजकीय विद्यालयों में अनुमन्य हैं ।

(2) डिग्री कालेजों की भांति मकान किराया भत्ता की वर्तमान दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी जाय ।

(3) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों के पैटर्न पर कोटिबद्ध किया जाय और उसी आधार पर उपयुक्त वेतनमान दिये जायं ।

(4) चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के कुछ पदों को उच्चतर वेतनमान में रखा जाय ।

(5) विभिन्न लिपिकीय कर्मचारि वर्ग के वेतनमान निम्न रूप में निर्धारित किये जायं :—

	रु0
(क) प्रधान लिपिक	400-750
(ख) लेखाकार (लिपिक/फीस संग्रह कर्ता)	400-750
(ग) सहायक लिपिक/उपलेखक और प्रालेखक	350-700

(13) राजकीय और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयोगशाला सहायक संघ

इस संघ ने यह मांग की कि प्रयोगशाला सहायकों को रु0200-320 का वेतनमान दिया जाय और उन्हें वर्ग 3 के कर्मचारियों की कोटि में रखा जाय ।

(14) आगरा विश्वविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी संघ

इस संघ ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुति के बाद सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिये एक समान वेतनमान लागू किये जाने से उन्हें बहुत हानि पहुंची है क्योंकि इन वेतनमानों के लागू किये जाने के पूर्व इस कोटि के कर्मचारि वर्ग को अनुमन्य वेतनमान उनके नये वेतनमान से उच्चतर थे । लगभग 70 व्यक्तियों को, जो पिछले 20-25 वर्षों से उच्चतर वेतनमानों में कार्य कर रहे हैं, उच्चतर वेतनमान दिये जायं और शेष कर्मचारियों को अन्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के समान वेतनमान दिये जायं ।

(15) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (अध्यक्ष श्री आर0 एन0 ठकुराई)

(1) जे0 टी0 सी0/बी0 टी0 सी0/एच0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों को सी0 टी0 ग्रेड अध्यापकों के समान समझा जाय । सी0 टी0/जे0 टी0 सी0/एच0 टी0 सी0 के स्थान पर अब बी0 टी0 सी0 पाठ्यक्रम रखा गया है ।

(2) कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले तथा एच0 टी0 सी0/जे0 टी0 सी0/बी0 टी0 सी0/सी0 टी0 की अर्हता प्राप्त अध्यापकों को सी0 टी0 ग्रेड में रखा जाय ।

(3) विभिन्न कोटि के अध्यापकों के वेतनमान निम्न प्रकार से रखे जायं :—

	रु0
(क) प्रधानाचार्य (इण्टरमीडिएट कालेज)	1100-1900
(ख) प्रधान अध्यापक (हाई स्कूल)	950-1700
(ग) लेक्चरर इण्टरमीडिएट	900-1600
(घ) स्नातक अध्यापक (एल0 टी0 ग्रेड)	800-1400
(ङ) अभिस्नातक अध्यापक (सी0 टी0 ग्रेड)	650-1150

(4) इन संस्थाओं को दिये गये अनुदानों का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में सरकार को प्रबन्धकों पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए ।

(5) किसी संस्था में अतिरिक्त पदों का सृजन कड़ी छान-बीन के बाद ही स्वीकृत किया जाय । बहुत सी संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक अध्यापक सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं ।

(6) प्रौढ़ शिक्षा पर होने वाला व्यय निरर्थक है । इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाय और इसके स्थान पर इण्टरमीडिएट कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

(7) शिक्षा उपकर लगाया जाय ।

(8) विद्यालय उप निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के पद समाप्त कर दिए जायं क्योंकि उनके निरीक्षण प्रभावी नहीं होते ।

(16) माध्यमिक शिक्षक संघ (अध्यक्ष श्री हरि नारायण सिंह)

(1) उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वेतनमान अन्य राज्यों और केन्द्रीय सरकार में अनुमन्य वेतनमान की तुलना में कम हैं अतः उन्हें पुनरीक्षित करके बढ़ा दिया जाय ।

(2) प्रारम्भिक भर्ती केवल सी0 टी0 ग्रेड में ही की जाय और एल0 टी0 ग्रेड, लेक्चरर इण्टरमीडिएट कालेज, प्रधान अध्यापक और प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्तियां पदोन्नति द्वारा की जाय ।

(3) निरीक्षण के वर्तमान ढांचे को चालू रखा जाय ।

(4) शिक्षा उपकर लगाया जाय ।

(5) विभिन्न कोटि के अध्यापकों के वेतनमान निम्न प्रकार से हों :—

	रु0
(क) प्रधानाचार्य	1200–2000
(ख) प्रधान अध्यापक, हाई स्कूल	1000–1800
(ग) लेक्चरर, इण्टरमीडिएट कालेज	750–1600
(घ) एल0 टी0 ग्रेड अध्यापक	600–1350
(ङ) सी0 टी0 ग्रेड अध्यापक	500–1200
(च) जे0 टी0 सी0 अध्यापक	500–1200

(17) उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कालेज शिक्षणेतर कर्मचारी परिषद्

(1) लिपिकीय पदों का वेतनमान इस रीति से पुनरीक्षित किया जाय कि लिपिकीय कर्मचारिवर्ग और अध्यापक कर्मचारिवर्ग के वेतनमानों में असमानता का अनुपात उतना ही हो जाय जितना कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किये जाने से पूर्व था ।

(2) प्रयोगशाला सहायक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिये विहित अर्हताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके वेतनमान उन्नत किये जायं ।

(3) सहायता प्राप्त संस्थाओं के पैटर्न पर राजकीय संस्थाओं में भी कार्यालय अधीक्षक का पद सृजित किया जाय और राजकीय डिग्री कालेजों में प्रधान लिपिक के पद को कार्यालय अधीक्षक के पद में परिवर्तित किया जाय ।

(4) राजकीय डिग्री कालेजों को भी दो कोटि में वर्गीकृत किया जाय अर्थात् कोटि 'क' में वे कालेज रखे जायं जिनमें छात्रों की संख्या 1000 से अधिक है और कोटि 'ख' में वे कालेज रखे जायं जिनमें छात्रों की संख्या 1000 तक है ।

(5) विभिन्न पदों के वेतनमान निम्न प्रकार से हों :—

कार्यालय

कोटि 'क'	**प्रस्तावित वेतनमान**
	रु0
(क) प्रधान लिपिक (सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों की भांति पद को कार्यालय अधीक्षक के पद में परिवर्तित किया जाय)	600–1200
(ख) लेखाकार	550–1100
(ग) आशुलिपिक	500–990
(घ) सहायक लेखाकार	500–990
(ङ) उप लेखक/फीस लिपिक	475–970
(च) लिपिक/अवधाता/स्टोरकीपर	450–910
कोटि 'ख'	
(क) प्रधान लिपिक (कार्यालय अधीक्षक)	550–1100
(ख) आशुलिपिक	500–990
(ग) लेखाकार	500–990
(घ) उप लेखक/फीस लिपिक	475–970
(ङ) लिपिक/अवधाता/स्टोरकीपर	450–910

पुस्तकालय

कोटि 'क' और 'ख' के डिग्री कालेज	
(क) पुस्तकालयाध्यक्ष	800–1620
(ख) उप पुस्तकालयाध्यक्ष	600–1200
(ग) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कटैलागर	475–970
(घ) पुस्तकालय लिपिक (पुस्तकालय सहायक)	450–910

प्रयोगशाला संबंधी और अन्य प्राविधिक कर्मचारिवर्ग

कोटि 'क'	**रु0**
(क) प्रयोगशाला अधीक्षक	600–1200
(ख) ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक	550–1100
(ग) प्रयोगशाला सहायक	500–990
(घ) इलेक्ट्रीशियन	475–970
(सेलेक्शन ग्रेड)	500–990

(ङ) मैकेनिक	450–910	
	475–970	(सेलेक्शन ग्रेड)

कोटि 'ख'

(क) ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक	550–1100	
(ख) प्रयोगशाला सहायक	500–990	
(ग) इलेक्ट्रीशियन	475–970	
	500–990	(सेलेक्शन ग्रेड)
(घ) मैकेनिक	450–910	
	475–970	(सेलेक्शन ग्रेड)

चतुर्थ वर्ग कर्मचारी

(क) दफ्तरी/बुक लिफ्टर	375–600
(ख) ग्लास ब्लोअर/बढ़ई	375–600
(ग) चपरासी/चौकीदार/माली/पानी पिलाने वाला/मेहतर	350–560

(18) उत्तर प्रदेश डिग्री कालेज शिक्षणेतर कर्मचारी फेडरेशन

(1) इस समय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों को वर्ग क, ख और ग में जो कोटिबद्ध किया गया है उसे समाप्त किया जाना चाहिए ।

(2) संस्थाओं की कोटि के आधार पर कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान में रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पदों में वृद्धि से कार्यभार में वृद्धि की समस्या हल हो जाती है ।

(3) सहायता प्राप्त संस्थाओं में विभिन्न भत्तों की दरें सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य दरों के समान होनी चाहिए ।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान उन्नत (अपग्रेड) किया जाय ।

(5) कालेजों में आवश्यकता से कम कर्मचारिवर्ग है । कोई मानक निर्धारित किया जाय और तदनुसार कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था की जाय ।

(6) प्रयोगशाला परिचर (लेबोरेटरी बेयरर) के पद का वेतनमान (रु0 170–225) रुड़की विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में प्रयोगशाला परिचर को अनुमन्य वेतनमान के समान किया जाय ।

(7) विभिन्न पदों के पुनरीक्षित वेतनमान निम्न प्रकार से हों :—

कार्यालय	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रस्तावित वेतनमान रु0
(क) बर्सर	450–850	700–1600
(ख) कार्यालय अधीक्षक	(1) 325–625 (जहां छात्रों की संख्या 1500 से कम है)	680–1430
	(2) 350–675 (जहां छात्रों की संख्या 1500 से अधिक है ।)	
(ग) प्रधान लिपिक	300–500	650–1300
(घ) लेखाकार	325–625	650–1300
(ङ) प्रधान लिपिक/लेखाकार	300–500	600–1200
(च) आशुलिपिक	250–425	580–1130
(छ) सहायक लिपिक	230–385	500–1060
(ज) फार्मेसिस्ट, कम्पाउन्डर (अर्हता प्राप्त)	230–385	660–1160
कम्पाउन्डर (अनर्ह)	175–250	560–1160
(झ) नैत्यिक लिपिक	200–320	500–1000
(ण) जमादार (चपरासी) दफ्तरी	170–225	520–820
(ट) चपरासी, चौकीदार, फर्राश, पानी पिलाने वाला, मेहतर	165–215	500–800
(ठ) इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर	175–250	530–830
पुस्तकालय		
(क) पुस्तकालयाध्यक्ष	(1) 450–850 ('क' और 'ख' श्रेणी के कालेज)	700–1600
	(2) 350–675 ('ग' श्रेणी के कालेज)	
(ख) उप पुस्तकालयाध्यक्ष	325–625	625–1275
(ग) पुस्तकालय सहायक (इस पद का धारक लिपिकीय कर्मचारी है)	200–320	550–1000
(घ) बुक लिफ्टर	170–225	520–820
प्रयोगशाला		
(क) ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक	230–385	560–1060
(ख) प्रयोगशाला सहायक	200–320	550–1000
(ग) तबलावादक	200–320	550–1000
(घ) प्रयोगशाला परिचर	165–215	520–820
(ङ) गैसमैन	165–215	520–820
(च) माली	165–215	500–800

(8) सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग को पेन्शन की दरों और मकान किराया भत्ता के मामलों में राजकीय डिग्री कालेजों से समानता दी जाय ।

(19) उत्तर प्रदेश डिग्री कालेज शिक्षणेतर कर्मचारी परिषद्

(1) प्रयोगशालय सहायक और प्रयोगशाला अटेन्डेन्ट के वेतनमानों को पुनरीक्षित कर के बढ़ाया जाय ।

(2) कार्यालय अधीक्षक और लेखाकार के वेतनमानों में असंगति है जिसे दूर किया जाय । अधीक्षक और लेखाकार को एक ही वेतनमान में रखा जाय और यह वेतनमान कोटि 'क' और 'ख' की संस्थाओं के लिए एक समान होना चाहिए।

(3) बर्सर का वेतनमान लेक्चरर के वेतनमान के समान होना चाहिए ।

(4) लेखाकार को विशेष वेतन दिया जाय क्योंकि उसे प्रतिभूति देनी पड़ती है ।

(5) लिपिकीय पदों के लिए पदोन्नति के कुछ अवसर उपलब्ध किये जायं ।

(6) लेखाकार/लिपिक के पद पर कार्य कर रहे कुछ व्यक्तियों को, जो इण्टरमीडिएट की अर्हता प्राप्त नहीं है, भविष्य निधि की सुविधाएं नहीं दी गयी हैं । उन्हें भी यह सुविधा दी जानी चाहिए ।

(7) कोटि 'ग' की संस्थाओं में प्रधान लिपिक एवं लेखाकार के एकल पद को उस के उच्चतर उत्तरदायित्वों को देखते हुए वही वेतनमान दिया जाय जो कोटि 'ख' की संस्थाओं में प्रधान लिपिक के पद के लिए दिया गया है ।

(20) प्रयोगशाला सहायक संघ, राजकीय स्नातकोत्तर कालेज, कोटद्वार, गढ़वाल

(1) प्रयोगशाला सहायक के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं अतः रु0 350-650 के वेतनमान में ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक का एक पद सृजित किया जाय ।

(2) प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान (रु0 230-385) को रु0 300-500 में पुनरीक्षित किया जाय ।

(3) प्रयोगशाला सहायक को विशेष वेतन दिया जाय क्योंकि उसे जहरीले पदार्थों जैसे तेजाब, जहरीली गैस, विद्युत् सज्जा, आदि को उठाना धरना पड़ता है ।

(4) उन डिग्री कालेजों में जिनमें स्टोरकीपर का कोई पद नहीं हैं, प्रयोगशाला सहायक ही स्टोरकीपर का कार्य करता है अतः उसे रु0 10 प्रतिमास की दर से विशेष वेतन दिया जाय ।

(21) उत्तर प्रदेश शैक्षिक लिपिकीय संघ (उच्चतर माध्यमिक शिक्षणेतर संघ, उ0 प्र0)

(1) मकान किराया भत्ता जो उन्हें 1 अप्रैल, 1979 से दिया जा रहा है,, 1 अप्रैल, 1978 से दिया जाय, जैसा कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक वर्ग को दिया गया है ।

(2) सभी कर्मचारियों को अवकाश के नकदीकरण की सुविधा दी जाय ।

(3) अंशदायी पेंशन योजना उन पर दिनांक 30-6-1974 से लागू की गई है । उन्हें पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी भी दी जाय ।

(4) फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और देहरादून में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाय जैसा कि डिग्री कालेजों के शिक्षणेतर कर्मचारिवर्ग और सरकारी कर्मचारियों और बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों को दिया गया है ।

(5) छात्रों की संख्या के आधार पर चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पद बढ़ाये जायं । उन्हें वर्दी भत्ता, चिकित्सा भत्ता और साइकिल भत्ता भी दिया जाय ।

(22) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग फेडरेशन

रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार को वही वेतनमान दिया जाय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्रमशः प्रोफेसर रु0 1500-2500, रीडर रु0 1200-1900 और लेक्चरर रु0 700-1600 को अनुमन्य है ।

(23) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सहयुक्त कालेज शिक्षणेतर कर्मचारिवर्ग संघ, अलीगढ़

(1) कालेजों में विभिन्न पदों के वेतनमान छात्रों की संख्या के अनुसार कोटिबद्ध किये जांय अर्थात—

(क) जहां छात्रों की संख्या 1000 और उससे अधिक है, और

(ख) जहां छात्रों की संख्या 1000 से कम है ।

(2) ऐसे कर्मचारियों के लिए जो 5 वर्ष की अवधि तक सेवा कर चुके हैं, निर्धारित अर्हताएं शिथिल की जांय ।

(3) जो कर्मचारी नकद धनराशि को उठाने धरने का कार्य करते हैं, उन्हें रु0 30 प्रति मास अतिरिक्त भत्ता दिया जाय ।

(4) उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स डिग्री कालेजों के शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू किये जायं ।

(5) कर्मचारियों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाय ।

(6) चिकित्सा सुविधा, नगर प्रतिकर भत्ता और अवकाश नकदीकरण की सुविधा सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों के शिक्षणेतर कर्मचारिवर्ग को भी दी जाय जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राजकीय कालेजों में अनुमन्य है ।

(7) सेवारत कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को उसकी अर्हता के अनुसार डिग्री कालेज में नियुक्ति दी जाय ।

(8) आपातकालिक स्थिति में कर्मचारियों को समयोचित सहायता देने के लिए डिग्री कालेजों में कर्मचारी कल्याण निधि होनी चाहिए ।

(24) कला और शिल्प महाविद्यालय कर्मचारी संघ, लखनऊ

यह कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय का एक अंग बन गया है अतः इस कालेज के शिक्षणेतर कर्मचारिवर्ग

वेतनमान वही होना चाहिए जो मेडिकल कालेज के कर्मचारिवर्ग को अनुमन्य है ।

(2) प्रधानाचार्य के आशुलिपिक, लेखाकार/अधिष्ठान लिपिक/रोकड़िया, स्टोरकीपर, लिपिक, टंकक, संग्रहालय लिपिक, नैत्यक लिपिक, कम्पोजीटर, इलेक्ट्रिशियन के पद के वेतनमान मेडिकल कालेज में समान कोटि के पदों के वेतनमान के समान होने चाहिए ।

(25) आल इण्डिया नेशनल फिटनेस कोर असोसियेशन

केवल दो प्रकार के वेतनमानों अर्थात् रु0 300–550 और रु0 250–425 की व्यवस्था की जानी चाहिए । उन प्रशिक्षकों को, जो स्नातक होने के साथ एन0 डी0 एस0 और पुनरभिस्थापन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उनके वर्तमान वेतनमान रु0 230–385 के स्थान पर रु0 300–550 का वेतनमान और अन्य सभी प्रशिक्षकों को उनके वर्तमान वेतनमान रु0 200–320 के स्थान पर 250–425 का वेतनमान दिया जाय ।

(26) उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ

(1) सहायता प्राप्त डिग्री और स्नातकोत्तर कालेजों के पुस्तकालय कर्मचारिवर्ग को निम्नलिखित वेतनमान दिये जांय :–

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष — लेक्चरर ग्रेड रु0 700–1600 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उसे रीडर के ग्रेड में पदोन्नत किया जाय ।

(ख) उप पुस्तकालयाध्यक्ष — रु0 700–1300

(ग) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष — रु0 550–1250

(घ) कैटलागर — रु0 550–900 (संबंधित व्यक्ति बी0 ए0 में प्रथम या द्वितीय श्रेणी के साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री धारक होना चाहिए) ।

(ङ) पुस्तकालय सहायक — रु0 400–700 (कम से कम स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान का सर्टीफिकेट धारक होना चाहिए ।

(च) जिल्दसाज — रु0 300–500 (संबंधित व्यक्ति को हाई स्कूल के साथ 3 या 4 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए ।

(छ) बुक लिफ्टर — रु0 300–500 (संबंधित व्यक्ति कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए) ।

(ज) मेहतर — रु0 275–450

(2) छात्रों की भर्ती के आधार पर कर्मचारिवर्ग की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाना चाहिए ।

(3) पुस्तकालय कर्मचारिवर्ग के कम से कम 5 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए ।

(4) इण्टरमीडिएट कालेजों में पुस्तकालय सहायक और बुक लिफ्टर के वेतनमान क्रमशः रु0 250–425 और रु0 200–320 होने चाहिए ।

7·5 (1) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के रजिस्ट्रार और कुमांयू विश्वविद्यालय नैनीताल के रजिस्ट्रार ने आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के संबंध में अपने उत्तर/ज्ञापन प्रस्तुत किये । इन दोनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के रजिस्ट्रार हमारे समक्ष भी उपस्थित हुए । उन्होंने हमारे समक्ष जो सुझाव दिये/मांग प्रस्तुत की उन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :–

(क) उच्चतम वेतनमान और निम्नतम वेतनमान का अनुपात 1:8 होना चाहिए और वेतनमानों की अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ख) डाक्टरों को अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ता समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

(ग) सभी सेवाओं में समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य होने चाहिए । कर्मचारियों को 10 वर्ष सेवा करने के बाद अगले उच्चतर वेतनमान में स्वतः पदोन्नत किया जाना चाहिए ।

(घ) कवाल नगरों में नगर प्रतिकर भत्ता 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाय और यह सुविधा सभी कर्मचारियों को अधिकतम सीमा रु0 150 के साथ दी जाय ।

(ङ) पांच लाख या इससे अधिक की आबादी वाले नगरों में और कतिपय अन्य नगरों में, जैसे नैनीताल, पौड़ी-गढ़वाल, देहरादून (मंसूरी), टेहरी-गढ़वाल और अल्मोड़ा में, मकान किराया भत्ता वेतन के 20 प्रतिशत की दर से, अधिकतम सीमा रु0 400 के साथ दिया जाय ।

(च) सभी कर्मचारियों को रु0 15 से रु0 40 तक प्रति मास चिकित्सा भत्ता दिया जाय ।

(छ) सभी वर्ग के कर्मचारियों को अवकाश के नकदीकरण की सुविधा दी जाय ।

(2) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :–

(क) रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पद के वेतनमान क्रमशः विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर के वेतनमान के समतुल्य होने चाहिए ।

(ख) कुछ पदों के पदनाम बदले जांय और उनके वेतनमान निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किये जांय :-

पदों का नाम	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रस्तावित पदनाम	प्रस्तावित वेतनमान रु0
1	2	3	4
1--कार्यालय अधीक्षक (सामान्य अनुभाग)	400-750	अनुभाग अधिकारी (सामान्य अनुभाग)	जैसा कि सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के लिये स्वीकृत है
2--अधीक्षक (लेखा अनुभाग)	400-750	अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग)	तदेव
3--अधीक्षक (परीक्षा अनुभाग)	400-750	अनुभाग अधिकारी (परीक्षा अनुभाग)	तदेव
4--सहायक अधीक्षक	350--500	सहायक अधीक्षक	जैसा कि सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के लिये स्वीकृत हैं।
5--ज्येष्ठ कार्यालय अधीक्षक	280-460	प्रवर वर्ग सहायक	तदेव
6--कनिष्ठ सहायक नैत्यिक लिपिक	230--385 200-320	अवर वर्ग सहायक	जैसा कि सचिवालय में अवर वर्ग सहायक के लिये स्वीकृत हैं।

(ग) विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारिवर्ग को अवकाश के नकदीकरण की सुविधा दी जाय ।

(घ) 13 सहायकों पर एक अधीक्षक के पद की व्यवस्था की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर प्रति 8 सहायकों पर एक सहायक अधीक्षक के पद की व्यवस्था की जाय ।

(ङ) निम्नलिखित पदों के वेतनमान निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किये जायं :—

	रु0
(1) पुस्तकालयाध्यक्ष	1500-2500
(2) उप पुस्तकालयाध्यक्ष	1200-1900
(3) क्लासी फायर	1200-1900
(4) प्रोफेशनल जूनियर और क्लासी फायर, फोटोग्राफर (माइक्रो फिल्म)	700-1600
(5) कैटलागर	700-1600
(6) पुस्तकालय सहायक	650-1200
(7) डार्करूम असिस्टेन्ट	650-1200
(8) काउन्टर असिस्टेन्ट ग्रेड-1	380-640
(9) जैनीटर	380-640
(10) बंडल लिफ्टर	260-400
(11) पुस्तकालय परिचर	260-400
(12) दफ्तरी जिल्द साज	260-400

(च) शोध सहायक को जिसका पद नाम अब शोध अधिकारी है, दिनांक 1-8-1972 से रु0 700-1600 का वेतनमान दिया जाय तथा इस वेतनमान को पुनः रु0 1200-1900 में पुनरीक्षित किया जाय ।

(3) उपर्युक्त तीनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार ने हमारे समक्ष अपने साक्ष्य में निम्नलिखित और सुझाव दिये :-

(क) विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार का वेतनमान प्रोफेसरों के वेतनमान से उच्चतर था किन्तु अब उनका वेतनमान रीडर के वेतनमान से भी कम है। अन्य राज्यों में रजिस्ट्रार का वेतनमान उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार के वेतनमान की तुलना में अधिक है। इस पद का वेतनमान उन्नत किया जाय । इसी प्रकार डिप्टी-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के वेतनमान भी बढ़ाये जाने चाहिए ।

(ख) कुछ प्राविधिक पद, जैसे ग्लास ब्लोअर, गैस मैन आदि, इस समय वर्ग-4 के वेतनमान में हैं उनके वेतनमान उन्नत किये जांय ।

(ग) विश्वविद्यालयों के कर्मचारिवर्ग को वही वेतनमान और सुविधाएं दी जांय जो सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य है।

(घ) यदि विश्वविद्यालयों के कर्मचारिवर्ग को सरकारी कर्मचारियों के पैटर्न पर सुविधाएं स्वीकृत किये जाने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पद स्थानान्तरणीय बनाये जांय और उनकी सेवा निवृत्ति आयु भी घटा कर 58 वर्ष की जा सकती है ।

(ङ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में जो विशिष्ट बिन्दु उठाये गये वे इस प्रकार है :-

(1) प्रकाशन सहायक का पद जो इस समय रु0 400-750 के वेतनमान में है, उन्नत किया जाय;

(2) शोध सहायक और पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान उन्नत किया जाय;

(3) क्लासीफायर के पद के लिए निर्धारित अर्हता कैटलागर के पद के लिए निर्धारित

अर्हता की तुलना में अधिक है किन्तु क्लासीफायर का वेतनमान इस समय कैटलागर के वेतनमान से कम है। इस पद के लिए उच्चतर वेतनमान दिया जाय।

(4) फोटोग्राफर, आयुर्वेदिक-डाक्टर, पुजारी, आशुलिपिक के वेतनमान उन्नत किए जायं।

7.6 हमने जो प्रश्नावली जारी की थी उसके उत्तर कुछ अन्य संघों ने भी दिये या अपने सुझाव हमें भेजे। इनमें मुख्य बिन्दु या सुझाव इस प्रकार हैं :–

(1) प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा के लिए एक अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाय।

(2) कवाल नगरों में भिन्न स्थानों में तैनात कर्मचारियों को भी, जहां शिक्षा चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का अभाव है, नगर प्रतिकर भत्ता की सुविधा दी जाय।

(3) छोटे नगरों में भी मकान किराया भत्ता की सुविधा दी जाय।

(4) केन्द्रीय कर्मचारियों के पैटर्न पर राज्य कर्मचारियों को भी चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाय।

(5) सभी कर्मचारियों को अवकाश के नगदीकरण की सुविधा दी जाय।

(6) वर्ष में कम से कम एक बार लीव ट्रैवेल कनसेशन स्वीकृत किया जाय।

(7) राजकीय कालेजों और सहायता प्राप्त कालेजों में प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जैसे शिक्षणेतर कर्मचारी वर्गों के वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं। ये वेतनमान समान होने चाहिए।

(8) अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु 30 दिन के अवकाश का उपभोग करने विषयक इस समय लगा प्रतिबन्ध हटा लिया जाय।

(9) सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों को नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत पैटर्न पर स्वीकृत किया जायें।

(10) डिग्री कालेजों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा भत्ता दिया जाय।

(11) मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता की दरें बढ़ाई जायं।

(12) शैक्षिक संस्थाओं में अवकाश के नकदीकरण की वही सुविधा दी जाय जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य है।

(13) पेंशन के मामले में सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग को सरकारी कर्मचारियों से समानता दी जाय।

(14) ऐसे कर्मचारियों को जो कृषि कालेज के अधीन डेयरी फार्म में लगे हुए हैं या अन्य कर्मचारियों को जो साप्ताहिक छुट्टियों का उपभोग नहीं कर सकते, जैसे चौकीदार, माली, बढ़ई और इलेक्ट्रिशियन, सम्यक रूप से प्रतिकर दिया जाना चाहिए।

(15) छात्रावासों और खेलकूद विभाग के कार्यकर्ताओं को भी कालेज का कर्मचारी समझा जाना चाहिए।

(16) अराजकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और अराजकीय मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतनमानों में असंगति को दूर किया जाय।

(17) जूनियर हाई स्कूल में लिपिक का वेतनमान हाई स्कूल में लिपिक के वेतनमान के समतुल्य होना चाहिए।

(18) जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक का वेतनमान इण्टर कालेज के लेक्चरर के वेतनमान से उच्चतर होना चाहिए।

(19) जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक का वेतनमान हाई स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतनमान के समतुल्य होना चाहिए। इसी प्रकार लिपिकों और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का वेतनमान चाहे वे जूनियर हाई स्कूल में तैनात हों या हाई स्कूल में तैनात हों, समान होना चाहिए।

(20) बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चतुर्थवर्ग के कुछ कर्मचारियों को रु0 165–215 का वेतनमान नहीं मिल रहा है, जो उन्हें दिया जाना चाहिए।

(21) इण्टरमीडिएट कालेजों और हाई स्कूलों में प्रयोगशाला परिचर का पद सृजित किया जाय।

7.7 शिक्षा निदेशक ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमारे समक्ष उपस्थित भी हुए। उन्होंने जो मुख्य सुझाव दिये हैं उनका सारांश नीचे दिया गया है :–

(1) शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए वर्तमान 36 वेतनमानों की संख्या को घटाकर 16 कर दिया जाय, जैसा कि नीचे दिया गया है :–

कोटि	वेतनमानों की संख्या
(क) चतुर्थवर्ग	2
(ख) लिपिकीय	4
(ग) अध्यापक और निरीक्षक	3
(घ) प्रधान अध्यापक	1
(ङ) राज्य शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतनमान)	1
(च) राज्य शिक्षा सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान)	1
(छ) उप निदेशक	1
(ज) संयुक्त निदेशक	1
(झ) अतिरिक्त निदेशक	1
(ञ) निदेशक	1

(2) शिक्षा निदेशालय के शिक्षणेतर कर्मचारिवर्ग के वेतनमान वही होने चाहिए जो सचिवालय में अनु-

मन्य हैं, अर्हताएं और भर्ती का तरीका समान होना चाहिए ।

(3) चिकित्सकों को अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी वेतन भत्ता के पैटर्न पर अध्यापकों को ट्यूशन बंदी भत्ता अनुमन्य होना चाहिए ।

(4) इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति के अपर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं, वेतन का ढांचा इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी सेवावधि में तीन से पांच बार पदोन्नति मिल सके ।

(5) निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के पद नियत वेतन पर होना चाहिए ।

(6) प्रशिक्षित (नान-ग्रेजुएट) अध्यापकों, एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों और इण्टरमीडिएट कालेज के लेक्चररों के वेतनमानों में असंगति को दूर किया जाय ।

(7) जिला विद्यालय निरीक्षक का वेतनमान रु0 800–1450 है जबकि जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका का वेतनमान रु0 550–1200 है । दोनों पदों का वेतनमान समान होना चाहिए । इसी प्रकार परिक्षेत्रीय (जोनल) उप निदेशक का वेतनमान रु0 900–1600 है जब कि परिक्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का वेतनमान रु0 800–1450 है तथा रु0 100 प्रतिमास का विशेष वेतन है । उन्हें रु0 900–1600 का समान वेतनमान दिया जाय ।

(8) जिला विद्यालय निरीक्षक का वेतनमान वही होना चाहिए जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अनुमन्य है ।

(9) सम्भागीय स्तर पर उप शिक्षा निदेशक को वही वेतनमान स्वीकृत किया जाय जो अभियन्त्रण विभागों में अधीक्षण अभियन्ताओं को अनुमन्य है ।

(10) अतिरिक्त निदेशक को इस समय अनुमन्य रु0 1600–2000 के वेतनमान के स्थान पर वेतनमान रु0 1950–2250 होना चाहिए । इसी प्रकार संयुक्त निदेशक का वेतनमान रु0 1400–1800 के स्थान पर वेतनमान रु0 1600–2000 होना चाहिए।

(11) कर्मचारियों को उन सभी नगरों में नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाना चाहिए जहां इस समय मकान किराया भत्ता अनुमन्य है ।

(12) उन नगरों में भी मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए जिनकी आबादी 50,000 से अधिक है ।

(13) वेतन के 10 प्रतिशत की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाय ।

(14) अवकाश के नकदीकरण की सुविधा सभी वर्गों के कर्मचारियों को दी जाय और 60 दिन के अवकाश विषयक वर्तमान प्रतिबन्ध को हटा दिया जाय ।

(15) जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों को एल0 टी0 ग्रेड में रखा जाय । इस पद पर प्राइमरी विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों की पदोन्नति नहीं होनी चाहिए ।

(16) एल0 टी0 प्रशिक्षण कालेजों के लेक्चररों को वर्ग 2 के वेतनमान में रखा जाय ।

(17) एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों और विद्यालय प्रति उप निरीक्षक को एक संवर्ग में रखा जाय और इस समान संवर्ग के लिए समान वेतनमान की व्यवस्था की जाय ।

(18) सी0 टी0/एल0 टी0 ग्रेड के कृषि प्रशि० अध्यापकों को सी0 टी0/एल0 टी0 ग्रेड के सामान्य संवर्ग में संविलीन किया जाय ।

7.8 निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और हमारे समक्ष साक्ष्य देने के लिए भी उपस्थित हुए । उन्होंने जो प्रमुख बिन्दु उठाए/सुझाव दिए, वे इस प्रकार हैं :–

(1) निदेशालय में विभिन्न पदों के वेतनमान, अर्हताएं और सेलेक्शन ग्रेड निम्न प्रकार से होने चाहिए :–

क्रम-संख्या	पदनाम	अर्हतायें	वर्तमान-वेतनमान रु0	प्रस्तावित अर्हता	प्रस्तावित वेतनमान रु0
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान लिपिक	इण्टरमीडिएट	280–460	इण्टरमीडिएट	रु0 350–500 तथा 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड ।
2	लेखाकार	इण्टरमीडिएट	230–385	इण्टरमीडिएट	रु0 280–460 जहां प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक का वेतनमान उच्चतर है

1	2	3	4	5	6
			रु0		
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	इण्टरमीडिएट तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र	280-460	एम0 ए0 द्वितीय श्रेणी और बी0 लिब0 द्वितीय श्रेणी अथवा बी0ए0 द्वितीय श्रेणी और एम0लिब0 द्वितीय श्रेणी	रु0 400-750 तथा रु0 450-950 के वेतनमान में 20 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड पद जहां छात्रों की संख्या 1000 से अधिक है या स्नातकोत्तर डिग्री के लिये 5 विषयों को पढ़ाने की मान्यता मिल चुकी है
4	उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	तदेव	250-425 230-385	स्नातक और बी0लिब0 द्वितीय श्रेणी	रु0 280-460
5	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कैटेलागर, कैटेलागर क्लर्क	तदेव	200-320	इण्टरमीडिएट तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र	रु0 230-385
6	कार्टोग्राफर	(क) कार्टोग्राफी या गणितीय भूगोल और सर्वेक्षण के सम्बन्ध में एक विशेष पेपर के साथ भूगोल में एम0 ए0	300-550	जैसा स्तम्भ 3 में दिया गया है	वर्तमान वेतनमान का पुनरीक्षित वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड में 20 प्रतिशत पद,
		(ख) भूगोल विषय के साथ स्नातक	230-385	जैसा स्तम्भ 3 में दिया गया है	रु0 230-385 उन व्यक्तियों के लिये जिनके पास क्रमांक 6(क) के सम्मुख स्तम्भ 5 में दी गई अर्हतायें नहीं है
7	बढ़ई/ग्लास ब्लोअर/बुक बाइण्डर	(क) कक्षा 7 उत्तीर्ण और बढ़ईगीरी/ग्लास ब्लोइंग जिल्दसाजी में प्रमाण-पत्र	170-225	कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा बढ़ईगीरी ग्लास ब्लोइंग/जिल्दसाजी में प्रमाण-पत्र	रु0 185-265
		(ख) जिनके पास उपर्युक्त अर्हतायें नहीं हैं	165-215	जिनके पास उपर्युक्त अर्हतायें नहीं हैं	रु0 170-225

(ग) इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, मेकेनिक, प्रयोगशाला सहायक, आर्टिस्ट/फोटोग्राफर, तबलावादक, बुक-लिफ्टर, बुक प्यून, प्रयोगशाला ब्वाय या प्रयोगशाला चपरासी के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं।

(2) राजकीय डिग्री कालेजों और सहायताप्राप्त डिग्री कालेजों में कार्यालय कर्मचारिवर्ग, पुस्तकालय कर्मचारिवर्ग और प्रयोगशाला कर्मचारिवर्ग के वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं। यह असंगति दूर की जानी चाहिये।

(3) पुनरीक्षित वेतनमान की संस्तुति करते समय सहायताप्राप्त डिग्री कालेजों के कर्मचारिवर्ग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा के सदस्यों के लिये निर्धारित अर्हताओं तथा इन संवर्गों में उपलब्ध पदोन्नति के अवसरों पर विचार किया जाना चाहिये।

(4) कवाल नगरों में नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त किया जाय।

(5) किराये के मकानों में रहने वाले तथा एक लाख से कम आबादी वाले नगरों में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जाय।

(6) सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा जारी रखी जाय।

(7) अवकाश के नकदीकरण की सुविधा सभी कोटि के कर्मचारियों को उपलब्ध हो और 30 दिन के अवकाश का उपभोग करने विषयक वर्तमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

(8) सहायताप्राप्त डिग्री कालेजों में पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान रु0 450-850 है, जबकि राजकीय डिग्री कालेजों में उसका वेतनमान रु0 280-460 है। यह असंगति दूर की जाय।

(9) मुख्यालय पर तैनात संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक अध्यापक संवर्ग के हैं। उपर्युक्त पदों के लिये स्वीकृत वेतनमान डिग्री कालेजों में अध्यापकों को अनुमन्य वेतनमान से कम है। इन पदों के पुनरीक्षित वेतनमान डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान के समान होने चाहिये।

(10) कार्टोग्राफर पद के लिये इस समय तीन वेतनमान हैं यद्यपि अर्हतायें समान हैं। यह असंगति दूर की जाय।

(11) डिग्री कालेजों के अध्यापकों को अध्यापन के लिये पुस्तकें क्रय करने पर काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। उनके लिये पाठ्य पुस्तकें क्रय करने हेतु सहायता देने के लिये व्यवस्था की जाय। सम्बन्धित डिग्री कालेजों के अध्यापकों को लिये आवश्यक पुस्तकें क्रय करनी चाहिए, जो उनका उपयोग करें और जब कोई अध्यापक उस संस्था से स्थानान्तरित किया जाय तो वह पुस्तकें कालेज को वापस कर दें।

7.9 विभिन्न सेवा संघों के ज्ञापों में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के बारे में हमने आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग तथा शिक्षा निदेशक और निदेशक, उच्च शिक्षा से ब्योरेवार विचार-विमर्श किया। हमने विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार से, जो हमारे समक्ष उपस्थित हुए, विश्वविद्यालयों/डिग्री कालेजों के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवर्ग के वेतनमानों और सम्बद्ध विषयों से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया। पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, लिपिकीय कर्मचारिवर्ग और समूह 'घ' के पद जैसे "सामान्य कोटि के पद" से सम्बन्धित प्रश्न पर संगत अध्याय में परीक्षण तथा विचार किया गया है। इसी प्रकार भत्तों और सुविधाओं से सम्बन्धित मामलों पर संगत अध्याय में विचार किया गया है। हमने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों या विभिन्न सेवा संघों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर विचार किया है। राज्य में शिक्षा की उन्नति के संदर्भ में हम जिन बिन्दुओं को महत्वपूर्ण समझते हैं, उनके बारे में एतद् पश्चात् विचार किया गया है।

7.10 **निदेशालय मुख्यालय कर्मचारिवर्ग**—शिक्षा उप-निदेशक का वेतनमान रु0 900—1,600 है, संयुक्त निदेशक का वेतनमान रु0 1,400—1,800 है और अतिरिक्त निदेशक का वेतनमान रु0 1,600—2,000 है। निदेशक उच्च शिक्षा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उनके निदेशालय के अधिकारी अध्यापन संवर्ग के हैं और उन्हें वही वेतनमान दिये जाने चाहिये, जो उन्हें अध्यापक के रूप में अनुमन्य हैं। उनके अनुसार उपयुक्त यह होगा कि स्नातकोत्तर शैक्षिक संस्थाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के पैटर्न पर सहायक निदेशक, उप निदेशक और संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा के वेतनमान रु0 700—1,600, रु0 1,200—1,900 और रु0 1,500—2,500 में पुनरीक्षित किये जायं। शिक्षा निदेशक ने अतिरिक्त शिक्षा निदेशक का वेतनमान रु0 1,600—2,000 से उन्नत करके रु0 1,950—2,250 किये जाने पर बल दिया। हमने इस विषय का परीक्षण किया है। उप निदेशक और संयुक्त निदेशक, शिक्षा के वेतनमान इस समय अधिकांश अन्य विभागों के उप और संयुक्त अध्यक्ष के वेतनमानों से कुछ उच्चतर हैं। अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा का वेतनमान इस समय अधिकांश बड़े-बड़े विभागों में अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के वेतनमान के समान है और कुछ अन्य अतिरिक्त विभागाध्यक्षों की तुलना में उच्चतर है। यह केवल चिकित्सा और अभियंत्रण विभागों में अतिरिक्त विभागाध्यक्ष की तुलना में ही कम है। उप निदेशक, शिक्षा को उच्चतर वेतनमान इसलिये दिया गया था, क्योंकि उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्य की देख-रेख करनी पड़ती है, जिनका वेतनमान रु0 800—1,450 है, जो अधिकांश मामलों में सामान्यतया उप विभागाध्यक्ष का वेतनमान है और परिणामस्वरूप संयुक्त निदेशक का वेतनमान कुछ अधिक अर्थात् रु0 1,400—1,800 है, जबकि अन्य विभागों में संयुक्त निदेशक का वेतनमान रु0 900—1,600 या रु0 1,150—1,700 या 1,200—1,800 है, तथापि हम इन वेतनमानों में से किसी को भी और उन्नत किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते। हम अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा के पद को भी उन्नत किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। उनकी समानता चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त निदेशक से नहीं की जा सकती, क्योंकि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति पाने पर उन्हें प्रैक्टिस बन्दी वेतन/भत्ता मिलना बन्द हो जाता है और उन्हें स्वीकृत रु0 250 प्रति मास का प्रतिकर भत्ता उस हानि की प्रतिपूर्ति नहीं करता, जो उन्हें संयुक्त निदेशक के निम्नतर पद पर अनुमन्य प्रैक्टिस बंदी वेतन/प्रैक्टिस बंदी भत्ता के न मिलने से होती है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का पद विशिष्ट श्रेणी का पद है, क्योंकि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये वह मुख्य अभियन्ता के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हम अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद को समाप्त करने की संस्तुति कर रहे हैं।

7.11 **निरीक्षण कर्मचारिवर्ग**—हमने उप निदेशक (मुख्यालय) के वेतनमान से सम्बन्धित प्रश्न पर ऊपर विचार किया है। यह परिक्षेत्रीय उप निदेशक, शिक्षा के पद पर भी लागू होता है। यह सुझाव दिया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक का वेतनमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के वेतनमान के समान होना चाहिये। हमारी राय में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद की तुलना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से बिल्कुल ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके अधीन समूह "क" और "ख" के बहुत से अधिकारी होते हैं और उन्हें बहुत ही व्यापक प्रशासनिक और व्यावसायिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। जिला विद्यालय निरीक्षक को पहले ही से वह वेतनमान मिल रहा है, जो जिला विकास अधिकारी को अनुमन्य है। जिला विकास अधिकारी का कार्य उतना ही दुष्कर और उत्तरदायी है, जितना कि जिला विद्यालय निरीक्षक का है। जिला विद्यालय निरीक्षक के पद को उन्नत करने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। यह सुझाव दिया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षिका और सम्भागीय विद्यालय निरीक्षिका के वेतनमान जिला विद्यालय निरीक्षक और सम्भागीय उप निदेशक, शिक्षा के वेतनमान के समान किया जाय।

निरीक्षण कार्य के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक के आठ पद, अतिरिक्त सम्भागीय विद्यालय निरीक्षिका के दो पद और बेसिक शिक्षा अधिकारी, महिला के 57 पद रु0 550—1,200 के वेतनमान में हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने हमारे समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षिकाओं को पृथक् रूप से रखे जाने की उपयोगिता की आलोचना की। किसी भी दशा में जिला विद्यालय निरीक्षिकाओं के उत्तरदायित्वों की तुलना जिला विद्यालय निरीक्षक के उत्तरदायित्वों से कदापि नहीं की जा सकती।

7.12 हमें यह बताया गया है कि उच्चतर पदों की संख्या सीमित है अर्थात् सम्भागीय विद्यालय निरीक्षिकाओं के केवल 11 पद हैं, उप निदेशक का एक पद है, संयुक्त निदेशक का एक पद है। रु0 550—1,200 के वेतनमान में पदों की संख्या तथा उन्हें उपलब्ध उच्चतर पदों की संख्या को देखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद और मेरठ के पद उप निदेशक को अनुमन्य वेतनमान में रखे जायं। सम्भागीय निरीक्षिकाओं के सभी पदों को उन्नत किये जाने का यद्यपि हम कोई औचित्य नहीं पाते, तथापि हम यह संस्तुति करते हैं कि उप निदेशक के स्तर पर पुरुष और महिला अधिकारियों के संवर्ग को संविलीन कर दिया जाय, जिससे महिला अधिकारी भी उच्चतर पदों की आकांक्षा कर सकें।

7.13 विद्यालय प्रति उप निरीक्षक का वेतनमान रु0 325—575 है। अध्यापकों के प्रतिनिधियों ने जोरदार शब्दों में यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों की उपयोगिता संदिग्ध है। अध्यापकों के प्रतिनिधियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में इस बात में मतैक्य है कि विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों का वेतनमान एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के वेतनमान के समान होना चाहिये। हम उन्हें एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं और हम तदनुसार संस्तुति कर रहे हैं। यह भी सुझाव दिया गया कि विद्यालय प्रति उप निरीक्षक के पृथक् संवर्ग को समाप्त कर दिया जाय और विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों और एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों का एक संयुक्त संवर्ग गठित किया जाय, जिससे कि अध्यापन और निरीक्षण कार्य अन्तर्परिवर्तनीय हो सके। हम इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, किन्तु हमने इस मामले का गहराई से परीक्षण नहीं किया है और हम सरकार को यह सुझाव देंगे कि वह इन सुझावों पर विचार करे और इस विषय में निर्णय ले।

7.14 बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना हो जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) को जिले में प्राथमिक शिक्षा के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है। अध्यापकों के प्रतिनिधियों का यह निश्चित मत था कि इस नई व्यवस्था के बाद विद्यालय उप निरीक्षक/बालिका विद्यालय उप निरीक्षिका के पास अपनी भूमिका निभाने के लिये कोई कार्य नहीं रह जायेगा किन्तु शिक्षा विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जिले में प्राथमिक विद्यालयों की अधिक संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि निरीक्षण शाखा को सुदृढ़ किया जाय। हम यह संस्तुति करते हैं कि विद्यालय उप निरीक्षक और बालिका विद्यालय उप निरीक्षिका के पदों को समाप्त कर दिया जाय और उन स्थानों में जहां प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से औचित्य सिद्ध हो, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी और उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के पद सृजित किये जायं और उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के सीधे नियन्त्रण में रखा जाय।

7.15 विभिन्न सेवा संघों और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से ब्योरेवार विचार-विमर्श के दौरान हमारी यह निश्चित धारणा बनी है कि जब जिला परिषद् और नगर स्थानीय निकायें प्राथमिक शिक्षा की देखभाल करती थीं, तब राज्य में प्राथमिक विद्यालयों का अपेक्षाकृत अच्छा प्रबन्ध होता था तथा उनका और भी प्रगाढ़ रूप से पर्यवेक्षण होता था। जनता के प्रतिनिधि भी विद्यालयों के कार्य संचालन पर निगरानी रखते थे और जनसमुदाय में भी उनमें भाग लेने तथा जिम्मेदारी की भावना थी।

7.16 प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना सार्वभौमिक रूप से तथा वैध रूप से नगरपालिका का कार्य है और यह प्रणाली, अपनी विदित त्रुटियों के होते हुए भी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यद्यपि यह बिन्दु हमें संदर्भित नहीं किया गया है, तथापि हम यह महसूस करते हैं कि जिला परिषदों और नगर पालिकाओं/महापालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के पर्यवेक्षण का कार्य पुनः सौंपा जाय, जैसाकि बेसिक शिक्षा परिषद् अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व था। तथापि यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह इस विषय में नीति निर्णय ले।

7.17 **निरीक्षण कर्मचारिवर्ग**—इन्टरमीडिएट कालेज के लेक्चरर का वेतनमान रु0 400—750 है और 10 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड है। लेक्चरर संघ ने यह सुझाव दिया है कि लेक्चरर का वेतनमान हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक के वेतनमान के स्तर तक उन्नत किया जाय अर्थात् रु0 450—950 किया जाय। हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक के कर्त्तव्य इन्टरमीडिएट कालेज के लेक्चरर की अपेक्षा बहुत अधिक श्रम साध्य हैं। प्रधान अध्यापक को अध्यापन कार्य करने तथा संस्था में शैक्षिक स्तर बनाये रखने के अलावा प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी वहन करना पड़ता है। वह सम्बन्धित संस्था में कुशल वित्तीय व्यवस्था और पाठ्येतर कार्यकलाप हेतु अनुशासन बनाये रखने के लिये भी उत्तरदायी है। हम इन दोनों पदों के वेतनमान समान करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

7.18 राजकीय एल0 टी0 प्रशिक्षण कालेजों में लेक्चरर का वेतनमान रु0 400—750 है। उनके संघ ने यह मांग की है कि उन्हें वही वेतनमान दिया जाय, जो डिग्री कालेज में बी0 एड0 कक्षा को पढ़ाने वाले लेक्चरर को अनुमन्य है। शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक ने यह महसूस किया कि उनका वेतनमान कुछ उच्चतर अर्थात् रु0 550—1,200 होना चाहिये। हम

यह महसूस करते हैं कि एल0 टी0 कालेज के लेक्चरर का वेतनमान डिग्री कालेज/विश्वविद्यालय के लेक्चरर के वेतनमान के समान नहीं किया जा सकता है। तथापि हम इस बात से सहमत हैं कि उनके वेतनमान को उन्नत किया जाना चाहिये और तदनुसार हमने उनके लिये रु0 690—1,420 के वेतनमान की संस्तुति की है, जो उनके वर्तमान वेतनमान पर पर्याप्त अभिवृद्धि है। राजकीय एल0 टी0 कालेजों के प्रधानाचार्यों को अपने संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं, किन्तु सहायताप्राप्त एल0 टी0 कालेजों के प्रधानाचार्यों को ऐसे अवसर प्राप्त नहीं हैं। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि सहायता-प्राप्त एल0 टी0 कालेजों के प्रधानाचार्यों के पदों को "एकल पद" माना जाय।

7.19 शिक्षा विभाग ने हमें सूचित किया है कि राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों में इन्टरमीडिएट कक्षाओं में कला विषय के अध्यापन हेतु पृथक् से लेक्चरर का कोई पद नहीं है। यह अध्यापन कार्य एल0 टी0 ग्रेड के एक लेक्चरर द्वारा किया जाता है, जबकि सहायता प्राप्त इन्टरमीडिएट कालेजों में कला विषय के अध्यापकों के लिये रु0 300—550 (एल0 टी0 ग्रेड) और रु0 400—750 (लेक्चरर ग्रेड) के दो वेतनमान हैं। सहायताप्राप्त इन्टरमीडिएट कालेजों में उपर्युक्त वेतनमान अर्हता के आधार पर अनुमन्य हैं, अर्थात् रु0 400—750 का वेतनमान उन लेक्चररों को दिया जाता है, जो उस विषय में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक हैं और अन्य लेक्चरर रु0 300—550 के वेतनमान में हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि सहायताप्राप्त इन्टरमीडिएट कालेजों और राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों में इन अध्यापकों के सम्बन्ध में ऐसी भिन्नता क्यों है। हम यह संस्तुति करते हैं कि शिक्षा विभाग इस विषय में समान आदेश जारी करें।

7.20 बेसिक शिक्षा स्तर पर वर्तमान वेतनमान इस प्रकार हैं :

जूनियर हाई स्कूल—

1.	प्रधान अध्यापक (जूनियर हाई स्कूल)	रु0 240-390
2.	सहायक अध्यापक (जूनियर हाई स्कूल)	रु0 210-330 (हाई स्कूल और प्रशिक्षित के लिये)
3.	सहायक अध्यापक (जूनियर हाई स्कूल)	रु0 195-275 नान-मैट्रिक किन्तु प्रशिक्षित के लिए

प्राइमरी विद्यालय—

1.	प्रधान अध्यापक	रु0 210-330
2.	सहायक अध्यापक	रु0 195-275 (हाईस्कूल और प्रशिक्षित)
3.	सहायक अध्यापक	रु0 185-260 (प्रशिक्षित किन्तु नान-हाईस्कूल)
4.	सहायक अध्यापक	180 रु0 नियमित (अप्रशिक्षित)

7.21 हमने सेवा संघों के प्रतिनिधियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जो विचार-विमर्श किया, उससे यह बात स्पष्ट हुई कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की संगठनात्मक व्यवस्था के विषय में अभी बहुत कुछ किया जाना वांछनीय है। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति को अध्यापक के रूप में किसी भी स्तर पर और कम से कम प्राथमिक स्तर पर तो नियुक्त किया ही नहीं जाना चाहिये। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति तुरन्त बन्द की जाय। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल होनी चाहिये। उन अध्यापकों को भी, जो हाई स्कूल उत्तीर्ण नहीं हैं किन्तु प्रशिक्षित हैं और भविष्य में हाई स्कूल में उत्तीर्ण हो जाते हैं, वही वेतनमान दिया जाय, जो हाई स्कूल प्रशिक्षित अध्यापकों को अनुमन्य है। इसी प्रकार ऐसे अध्यापकों को भी, जो हाई स्कूल हैं किन्तु अप्रशिक्षित हैं और बाद में प्रशिक्षण की अर्हता प्राप्त कर लें, प्रशिक्षित अर्हताप्राप्त अध्यापकों के लिये संस्तुत नया वेतनमान दिया जा सकता है। सचिव, शिक्षा विभाग ने इंगित किया कि ऐसे अध्यापकों को वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं में दैचों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसमें यह सुनिश्चित हो जायगा कि कुछ समय बाद लगभग सभी सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर पर एक ही वेतनमान में हो जायेंगे। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए हम प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के लिये रु0 340—510 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ कर रहे हैं कि वे प्रशिक्षित हों तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हों। हम उन अध्यापकों के लिये जो हाई स्कूल नहीं हैं, रु0 320—460 के अपेक्षाकृत निम्नतर वेतनमान तथा उन अध्यापकों के लिये, जो अप्रशिक्षित हैं, रु0 310 नियत वेतन की संस्तुति कर रहे हैं। हमने जो वेतनमान बनाये हैं, वह अपेक्षाकृत दीर्घकालिक अवधि के हैं, ताकि प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की वृद्धि रोध न होने पाये। ऐसे अध्यापकों को, जो हाई स्कूल उत्तीर्ण नहीं हैं, किन्तु प्रशिक्षित हैं और दिनांक 1-8-1972 के पहले नियुक्त किए गये हैं, हाई स्कूल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित अध्यापकों के समान माना जाय।

7.22 प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक का वेतनमान रु0 210—330 है, जबकि वे प्रधान अध्यापक जो हाई स्कूल नहीं हैं, रु0 195—275 का वेतनमान पाने के हकदार हैं। हमने प्रधान अध्यापक के लिये भी रु0 375—565 के कुछ उच्चतर वेतनमान की संस्तुति की है।

7.23 हमारी यह दृढ़ धारणा है कि जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर सहायक अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों को कम से कम इन्टरमीडिएट तथा प्रशिक्षित होना चाहिये चाहे वे सी0 टी0 या बी0 टी0 सी0/जे0 टी0 सी0 या एच0 टी0 सी0 हों। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक को जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर स्वतः पदोन्नत किये जाने का हम कोई औचित्य

नहीं पाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के केवल ऐसे प्रधान अध्यापकों/सहायक अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति की जाय, जो इन्टर-मीडिएट हैं तथा प्रशिक्षित हैं। शासन संगत नियमों को तदनुसार पुनरीक्षित करना चाहे। हम जूनियर हाई स्कूलों के ऐसे अध्यापकों के लिये, जो इन्टरमीडिएट हैं तथा प्रशिक्षित हैं या जो किसी पश्चात्वर्ती दिनांक को उक्त अर्हतायें प्राप्त कर लें, रु0 400—620 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं। ऐसे सहायक अध्यापकों को, जो इन्टरमीडिएट नहीं हैं किन्तु प्रशिक्षित हैं, रु0 375—565 के समान ग्रेड में रखा जा सकता है।

7.24 जहां तक जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक के पद का सम्बन्ध है, हम यह महसूस करते हैं कि यद्यपि इस पद को पदोन्नति का पद बना रहना चाहिये तथापि केवल उन्हीं सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की जाय, जो कम से कम इन्टरमीडिएट हैं और प्रशिक्षित हैं तथा सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा कर चुके हैं। हम जूनियर हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक के पद के लिये रु0 430—700 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

7.25 जिन मामलों में अध्यापक क्षुब्ध प्रतीत होते हैं, उनमें से एक यह है कि माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को सी0 टी0/एल0 टी0 ग्रेड का वेतनमान अनुमन्य है, किन्तु जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक का वेतनमान अपेक्षाकृत कम है। हम पहले ही यह सुझाव दे चुके हैं कि जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक को कम से कम इंटरमीडिएट तथा प्रशिक्षित होना चाहिए। हाई स्कूल में ऐसे अध्यापकों के लिये, जिनसे केवल कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है। उच्चतर अर्हता निर्धारित किये जाने का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं। अतः हम यह संस्तुति कर रहे हैं कि इन सहायक अध्यापकों के लिये जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के समान अर्हताएं और वेतनमान होना चाहिये तथापि इसका उन वर्तमान पदधारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो रु0 250—425 के वेतनमान तथा रु0 280—460 के सेलेक्शन ग्रेड में कार्य कर रहे हैं और जिन्हें क्रमशः रु0 430—685 और रु0 470—735 का रिप्लेसमेंन्ट वेतनमान दिया जा रहा है। भविष्य में सभी नियुक्तियां हमारे द्वारा संस्तुत शैक्षिक अर्हताओं और वेतनमानों के आधार पर की जानी चाहिए।

शिक्षणेतर कर्मचारिवर्ग

7.26 हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि राजकीय डिग्री कालेजों और सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में निम्नलिखित पदों के वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं :

पद का नाम	राजकीय डिग्री कालेजों में वेतनमान	सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में वेतनमान
	रु0	रु0
पुस्तकालयाध्यक्ष	280-460	(1) 450-850 (क)
		(2) 450-850 (ख)
		(3) 350-675
उप/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	250-425	325-625
	230-385	
प्रधान लिपिक	280-460	(1) 300-500
		(2) 280-460
		(3) 350-500
लेखाकार	230-385	(1) 325-625
		(2) 300-500
		(3) 280-460

7.27 हमने इन पदों के लिये अपेक्षित अर्हताओं का परीक्षण किया है। सहायताप्राप्त डिग्री कालेजों को उनमें भर्ती हुए छात्रों की संख्या के अनुसार तीन कोटि में वर्गीकृत किया गया है। उन संस्थाओं को जिसमें छात्रों की संख्या 500 से कम है कोटि "ग" के डिग्री कालेजों में, जिनमें छात्रों की संख्या 500 और 1500 के बीच है, कोटि "ख" में, और जिनमें छात्रों की संख्या 1,500 से अधिक है, कोटि "क" में रखा गया है। कोटि "क" और "ख" की संस्थाओं के पुस्तकालयाध्यक्ष के लिये समान अर्हतायें हैं अर्थात् एक स्नातक डिग्री और एक स्नातकोत्तर डिग्री निर्धारित है, अर्थात् यदि पदधारी की शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री है तो उसे पुस्तकालय विज्ञान में केवल स्नातक डिग्री रखना अपेक्षित है और यदि पदधारी केवल स्नातक डिग्री प्राप्त है तो उसके पास पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए कोटि "ग" की सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिये पुस्तकालय विज्ञान में केवल डिप्लोमा या प्रमाणपत्र का होना अपेक्षित है। राजकीय डिग्री कालेजों के लिये भी वही अर्हतायें निर्धारित हैं, जो कोटि "क" और "ख" की संस्थाओं के लिये निर्धारित हैं। जब अर्हतायें और उत्तरदायित्व समान हैं, तो सहायताप्राप्त डिग्री कालेजों और राजकीय डिग्री कालेजों के वेतनमानों में इस असमानता का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं। "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हताओं और वेतनमानों के सम्बन्ध में हमारी संस्तुतियां राजकीय डिग्री कालेजों और सहायताप्राप्त डिग्री कालेजों, दोनों ही पर लागू होती हैं।

7.28 कोटि "क" के सहायताप्राप्त डिग्री कालेजों में लिपिक वर्ग के प्रधान का पदनाम कार्यालय अधीक्षक है, जो रु0 350—675 के वेतनमान में है। कोटि "ख" की संस्थाओं में उसका पदनाम प्रधान लिपिक है, जो रु0 300—500 के वेतनमान में है और कोटि "ग" की संस्थाओं में उसका पदनाम प्रधान लिपिक/लेखाकार है, जो रु0 280—460 के वेतनमान में है। राजकीय डिग्री कालेजों में उसका पदनाम प्रधान लिपिक एवं लेखाकार है, जो रु0 280—460 के वेतनमान में है। हमने इन वेतनमानों का ब्योरेवार परीक्षण किया है और हम यह संस्तुति करते हैं कि :

(क) कोटि "क" के डिग्री कालेजों के लिये चाहे वे राजकीय हों या सहायताप्राप्त हों, रु0 570—1,070 के वेतनमान में एक पृथक् कार्यालय अधीक्षक होना चाहिये।

(ख) अन्य सभी डिग्री कालेजों में, चाहे वे राजकीय हों या सहायता प्राप्त हों, प्रधान लिपिक या प्रधान लिपिक एवं लेखाकार रु0 515—840 के वेतनमान में होना चाहिये और उसका पदनाम कार्यालय अधीक्षक होना चाहिये।

(ग) लेखाकार के पद के लिये रु0 470—735 के वेतनमान की संस्तुति की जाती है और इस पद के लिये न्यूनतम अर्हता बी0 काम0 होनी चाहिये। तथापि वर्तमान पदधारी रु0 400—615 का अपना पुनरीक्षित वेतनमान पाते रहेंगे। भविष्य में लेखाकार के पद पर केवल बी0 काम0 की अर्हताप्राप्त व्यक्ति ही भर्ती किये जायं और उन्हें रु0 470—735 का वेतनमान दिया जाय।

7.29 **कार्टोग्राफर**—इस समय शिक्षा विभाग में कार्टोग्राफर निम्नलिखित वेतनमान पाने के हकदार हैं :

(क) रु0 300-550 — कार्टोग्राफी के पेपर
(ख) रु0 300-500 — के साथ स्नातकोत्तर
(ग) रु0 230-385 — डिग्री या गणितीय भूगोल और सर्वेक्षण।

सहायताप्राप्त संस्थाओं में भी कार्टोग्राफर के 3 पद रु0 250-500 के वेतनमान में हैं (जिसे दिनांक 1-8-1972 से पुनरीक्षित नहीं किया गया है)। इस पद की अर्हताओं को देखते हुए हम कार्टोग्राफर के सभी पदों के लिये रु0 570—1,070 के समान वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

7.30 **बर्सर**—सहायताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में बर्सर के 11 पद रु0 450—850 के वेतनमान में हैं। हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि उनका पदनाम प्रशासनिक अधिकारी रखा जाय और उनका वेतनमान उन्नत किया जाय। बर्सर का इस समय जो पदनाम है, वह दीर्घकाल से है और बर्सर से यह आशा की जाती है कि वह प्रधानाचार्य को प्रशासन, लेखा कार्य और ऐसे अन्य कार्य में सहायता करे, जो उसे समय-समय पर प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिनिहित किये जायं। इस पद का नाम बदलने के लिये हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं। इस पद की महत्ता तथा इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि यह पद कुछ प्रमुख डिग्री कालेजों में ही विद्यमान है, हम इस पद के लिये रु0 690—1,420 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

7.31 **अन्य पद**—चपरासी, परिचर, फर्राश, माली, पानी पिलाने वाले व्यक्ति, मेहतर आदि के 6,798 पद हैं, जिन पर इस समय रु0 165 के नियत वेतन के साथ समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता मिलता है। यह नियत वेतन इन कर्मचारियों को अक्तूबर 1977 से दिया गया था। रु0 180 नियत वेतन प्रति मास पर कुछ अन्य पद भी हैं। इन नियत वेतनों की पृष्ठभूमि यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के पूर्व प्राइमरी शिक्षा संस्थाओं में बहुत से पद नियत वेतन पर थे। इन व्यक्तियों को खादिम, खादिम-नौकरानी, नौकर, सेवक, सेविका, दासी आदि कहा जाता था। अधिकांश मामलों में नियत वेतन रु0 5 से रु0 20 प्रतिमास था। कुछ मामलों में अधिकतम नियत वेतन रु0 50 था। अन्य पद क्रमशः रु0 20—25, रु0 30—40 और रु0 22—27 आदि के भिन्न-भिन्न वेतनमानों में थे। कुछ कर्मचारियों को समय वेतनमान और अन्य कर्मचारियों को नियत वेतन स्वीकृत करते हुए शासनादेश संख्या 8831/15-57-77—449-76, दिनांक 14-6-78 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बहुत सा फालतू कर्मचारिवर्ग है, जिसे धीरे-धीरे कम किया जाना है। इस शासनादेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों के लिये मानक भी निर्धारित किये गये हैं। प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में इतनी अधिक संख्या में सेवकों और सेविकाओं का हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। इस राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों की कुल संख्या 7,140 है। समूह "घ" के जिन पूर्णकालिक कर्मचारियों को समय वेतनमान दिया गया है, उनकी कुल संख्या 11,668 है, जो वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक प्रतीत होती है। जिन पदों के लिये नियत वेतन निर्धारित है, वे इन 11,668 पदों के अतिरिक्त हैं। विभाग ने हमें प्रेषित एक पृथक् पत्र में यह भी इंगित किया है कि भविष्य में जो नये जूनियर हाई स्कूल खोले जायेंगे, उनके लिये समूह 'घ' के पूर्णकालिक पद सृजित नहीं किये जायेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिन 6,798 पदों के लिये रु0 165 प्रतिमास का नियत वेतन स्वीकृत किया गया है, वे सभी वास्तविक आवश्यकता से अधिक हैं। बेसिक शिक्षा परिषद् में खपाये जाने के समय उनकी परिलब्धियों को देखते हुए यह अत्यन्त सन्देहपूर्ण है कि क्या ये व्यक्ति शासनादेश में ऐसा घोषित किये जाने के पूर्व वास्तव में पूर्णकालिक कर्मचारी थे। अतः उन्हें समय वेतनमान दिये जाने की मांग को स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं। तथापि हम यह संस्तुति करते हैं कि जूनियर हाई स्कूल में समूह "घ" के कर्मचारियों को सेवायोजित किये जाने के लिये शासन द्वारा जो मानक निर्धारित किये जायं,

यदि उनके आधार पर अतिरिक्त पदों की आवश्यकता हो, तो वे ऐसे कर्मचारियों में से भरे जायं, जो इस समय नियत वेतन के आधार पर कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें समय वेतनमान दिया जाय। जहां तक अंशकालिक पदों को पूर्णकालिक पदों में परिवर्तित किये जाने की मांग का सम्बन्ध है, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अंशकालिक कर्मचारियों की व्यवस्था किसी भी दशा में न की जाय। प्राथमिक विद्यालयों के कार्य का समय, एक वर्ष में कार्य दिवसों की कुल संख्या तथा संस्थाओं के आकार को देखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि चौकीदार, फर्राश, मेहतर के पद पर अंशकालिक कर्मचारियों को सेवायोजित किया जाना अनुचित नहीं है।

7.32 ऊपर उद्धृत सरकारी आदेश (पैरा 7.31) में यह बात विशिष्ट रूप से कही गयी है कि जिला परिषदें और नगरपालिकायें/महापालिकायें पृथक्-पृथक् शिक्षा कार्यालय नहीं रखेंगी, जिसके परिणामस्वरूप लिपिकीय कर्मचारिवर्ग की संख्या में कमी होगी। चाहे इसका जो भी कारण हो, ऐसा नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है कि जिला स्तर पर सम्पूर्ण संगठन में केवल एक ही प्रधान लिपिक हो सकता है। यदि जिला परिषदों और नगर महापालिकाओं अथवा नगर पालिकाओं में अब भी पृथक्-पृथक् कार्यालय बने हुए हैं, तो यह सरकारी आदेशों के विरुद्ध है। हम दृढ़तापूर्वक संस्तुति करना चाहेंगे कि जिला परिषदों और नगर स्थानीय निकायों में पृथक्-पृथक् कार्यालयों को तुरन्त समाप्त कर दिया जाय और बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कर्मचारिवर्ग की संख्या नियत मानकों के अनुसार आगणित की जाय। तत्पश्चात् उन्हें वे वेतनमान दिये जायं, जिनकी हमने "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में लिपिकीय संवर्ग के लिये संस्तुति की है। तब तक वर्तमान वेतनमान बने रहेंगे और उनके रिप्लेसमेन्ट वेतनमान नहीं दिये जायं।

संस्कृत पाठशालायें और अरबी मदरसे

7.33 संस्कृत पाठशालाओं और अरबी मदरसों के लिये वेतनमान इस प्रकार हैं :

वर्ग 1 की पाठशाला

	रु0
(क) प्रधानाचार्य	500—1,150
(ख) प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष	400—775
(ग) सहायक प्रोफेसर/सहायक विभागाध्यक्ष	300—510
(घ) शिक्षक	230-380
(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष	175-250

पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्षों के लिये जो कम से कम हाई स्कूल और प्रथमा उत्तीर्ण हों और संस्था में कम से कम कम 1000 पुस्तकें हों।

वर्ग–2 की पाठशाला

	रु0
(क) प्रधानाचार्य	400-775
(ख) अध्यापक	300-510
(ग) सहायक अध्यापक	230-380

वर्ग–3 की पाठशाला

	रु0
(क) प्रधानाचार्य	300-510
(ख) सहायक अध्यापक	220-400
(ग) सहायक अध्यापक (कनिष्ठ)	200-380
(घ) अध्यापक	195-315

वर्ग–4 की पाठशाला

	रु0
(क) प्रधान अध्यापक	200-380
(ख) सहायक अध्यापक (ज्येष्ठ)	195-315
(ग) सहायक अध्यापक (कनिष्ठ)	185-260
(घ) अध्यापक	185-260

वर्ग–1 का मदरसा

जो उच्चतर स्तर की कक्षाओं (आलिया) को पढ़ा रहे हैं।

	रु0
(क) प्रधान अध्यापक	300-510
(ख) सहायक अध्यापक	220-400

वर्ग–2 का मदरसा

जो कक्षा 6 से 8 स्तर तक की कक्षाओं (फकानिया) को पढ़ा रहे हैं।

	रु0
(क) प्रधान अध्यापक	230-380
(ख) सहायक अध्यापक	185-265

वर्ग–3 का मदरसा

जो कक्षा 1 से 5 स्तर तक कक्षाओं (तहतानिया) को पढ़ा रहे हैं।

	रु0
(क) प्रधान अध्यापक	200-320
(ख) सहायक मौलवी	185-265
(ग) सहायक अध्यापक	185-265

अन्य कर्मचारी

	रु0
(क) लिपिक	175-250
(ख) चपरासी	165-215

7.34 हमने संस्कृत पाठशालाओं और अरबी मदरसों के अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जिनमें शिक्षा सचिव भी सम्मिलित हैं, ब्योरेवार विचार विमर्श किया। संस्कृत, फारसी और अरबी की विभिन्न डिग्रियों और प्रमाण-पत्रों

को विशिष्ट प्रयोजनों के लिये कतिपय डिग्री पाठ्यक्रमों के समान माना गया है, किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि इन संस्थाओं में विभिन्न कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या अत्यन्त ही कम है फिर भी ये संस्थायें हमारी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हैं अतः उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उनकी क्षमता का और अच्छे ढंग से उपयोग करने का प्रयास उनकी पाठ्य चर्चा में आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाना चाहिए ताकि उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा में लाया जा सके। जहां तक अरबी मदरसों को संस्कृत पाठशालाओं के पैटर्न पर कोटिबद्ध किये जाने की मांग का संबंध है, हमने इस विषय में शिक्षा विभाग की राय मांगी थी। शिक्षा विभाग ने यह इंगित किया है कि अरबी मदरसों को संस्कृत पाठशालाओं के पैटर्न पर कोटिबद्ध किया जाना सम्भव नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने भी इस विषय पर विचार किया था और उन्होंने यह महसूस किया है कि इन मदरसों में प्रचलित पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम को देखते हुए यह सम्भव नहीं है। हम यह महसूस करते हैं कि वर्ग 1 के मदरसों के प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापकों के वेतनमान को कुछ उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार हाने इन संस्थाओं के लिये उपयुक्त वेतनमान बनाये हैं। हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि इस समय अरबी मदरसों (आलिया) के प्रधानाचार्य के लिये अरबी और फारसी दोनों में ही स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक है, जो औचित्य पूर्ण नहीं है। शिक्षा विभाग इस मामले में अपने ही स्तर पर विचार करना चाहे।

7.35 **नेशनल फिटनेस कोर**–यह भारत सरकार की एक योजना थी जो पद धारकों सहित राज्य सरकार को हस्तान्तरित की गयी है। पदों के वेतनमान इस प्रकार हैं :–

(क) शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (सीनियर ग्रेड–1	रु0 300–550
(ख) शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (सीनियर ग्रेड–2)	रु0 230–385
(ग) शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (जूनियर ग्रेड)	रु0 200–320

इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिनांक 1-1-1973 से पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान नहीं दिये गये थे और वे दिनांक 1-1-1973 के पूर्व के ही वेतनमान पाते रहे। अनुदेशक (सीनियर ग्रेड-1) की अर्हता स्नातक तथा एन0 डी0 एस0 (नेशनल डिस्प्लीन स्कीम) संबंधी प्रशिक्षण है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (सीनियर ग्रेड-2) की अर्हता हाई स्कूल तथा एन0 डी0 एस0 और पुनरभिस्थापन प्रशिक्षण है शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (जूनियर ग्रेड) की अर्हता एन0 डी0 एस0 सम्बन्धी प्रशिक्षण है। उनकी मांग यह है कि उन्हें वही वेतनमान दिया जाय जो शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा धारक और शारीरिक शिक्षा के प्रमाण-पत्र धारकों को अनुमन्य है। हमने स्थिति की जांच की है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (सीनियर ग्रेड–1) के वेतनमान को उन्नत किये जाने के लिये कोई मांग नहीं की गयी है। यह कहा गया है कि वे वही कार्य कर रहे हैं, जो शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र धारण करने वाले शारीरिक शिक्षा अनुदेशक द्वारा किया जाता है। किन्तु उनके लिये निर्धारित अर्हतायें उत्तर प्रदेश में डी0 पी0 एड0 और सी0 पी0 एड0 के लिये निर्धारित अर्हताओं से कम हैं। अतः हम उनका वेतनमान डी0 पी0 एड0 और सी0 पी0 एड0 प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनमान के समान करने में असमर्थ हैं। तथापि हम यह संस्तुति करते हैं कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों (सीनियर ग्रेड–2) का वेतनमान उन्नत करके रु0 430–685 कर दिया जाय और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों (जूनियर ग्रेड) का वेतनमान उन्नत करके रु0400–615 कर दिया जाय। किन्तु इसके साथ स्पष्ट रूप से यह शर्त हो कि भविष्य में इस संवर्ग में कोई रिक्त पद न भरा जाय।

7.36 **विश्वविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग**—प्रशासकीय कार्य में रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार कुलपति की सहायता करते हैं। उनके वेतनमान क्रमशः रु01150–1700, रु0 550–1200 और रु0500–1000 हैं। हमें यह बताया गया है कि अध्यापक वर्ग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान स्वीकृत किये जाने से प्रशासनिक अधिकारियों और अध्यापक वर्ग की प्रस्थिति और वेतनमानों के बीच संतुलन में अन्तर आ गया है। यह सुझाव दिया गया है कि रजिस्ट्रार को असोशियेट प्रोफेसर के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में रखा जाय और डिप्टी रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार के वेतनमानों में भी उपयुक्त बढ़ोत्तरी की जाय।

7.37 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान पाने के लिये हकदार होने के लिये अध्यापक वर्ग में कतिपय आधारिक अर्हतायें होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के पैटर्न में लेक्चरर के पद से रीडर के पद पर और रीडर के पद से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की कोई परिकल्पना नहीं की गयी है। सहायक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के प्रशासनिक पदों के सम्बन्ध में में ऐसी स्थिति नहीं है। नियमों में यह व्यवस्था है कि सहायक रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के 33 प्रतिशत पद और उप रजिस्ट्रार के शत-प्रतिशत पद निम्नतर पद धारकों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। हम यह महसूस करते हैं कि प्रशासनिक पदों और अध्यापन सम्बन्धी पदों की स्थिति एक सी नहीं है। तथापि हम इस बात से सहमत हैं कि रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है और उसे पर्याप्त प्रस्थिति और समुचित वेतनमान दिया जाना चाहिए। अतः हम उसका वेतनमान रु0 1660–2300 में उन्नत कर रहे हैं। हम उप रजिस्ट्रार के पद के भी वेतनमान को उन्नत करने का कुछ औचित्य पाते हैं। ये पद सहायक रजिस्ट्रार से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। हम उप-रजिस्ट्रार के लिये रु01000–1900 के वेतनमान की और सहायक रजिस्ट्रार के लिये रु0770–1600 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। हमें जो सूचना उपलब्ध की गयी है उससे यह विदित होता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पद के लिए अर्हताए और भर्ती का तरीका समान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि शिक्षा विभाग ने ऐसे पदों के लिये सामान्य अर्हतायें और भर्ती का तरीका निर्धारित किया था तथापि विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। अतः हम यह संस्तुति करेंगे कि राज्य में विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार,

उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्ति के संबंध में सामान्य पैटर्न अपनाया जाना चाहिए। हमारी जानकारी में आया है कि पन्त नगर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पदों के वेतनमान अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में उच्चतर हैं। हमने इन पदों के लिये वेतनमानों की संस्तुति सभी विश्वविद्यालयों के लिये सामान्य पैटर्न पर की है और हम किसी विशेष संस्था के मामले में सामान्य सिद्धांतों से विचलित होने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। अतः हम पन्तनगर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पदों के लिये भी उन्हीं पुनरीक्षित वेतनमानों की संस्तुति करते हैं। तथापि वर्तमान पदधारियों को यह विकल्प होगा कि वे हमारे द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमानों के लिये विकल्प दें या अपने वर्तमान वेतनमानों में ही बने रहें।

7·38 हमें यह सूचित किया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में निर्देश सहायक (रेफरेन्स असिस्टेन्ट) का एक पद रु0 280–460 के वेतनमान में है। इस पद के लिये निर्धारित अर्हता पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा है। यह मांग की गयी है कि इस पद का वेतनमान उन्नत किया जाय ताकि वह कैटेलागर (रु0350–700) के बराबर हो जाय। हमने शिक्षा विभाग से अनुरोध किया कि वह इस मामले में हमें परामर्श दें किन्तु हमें इस संबंध में उनका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि हम यह महसूस करते हैं कि इस पद के कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। अतः हम इस पद के लिये रु0570–1070 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

7·39 लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय के संबंध में हमें जो सूचना उपलब्ध कराई गयी है उससे यह विदित होता है कि उसके अध्यक्ष एक अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष हैं और उनके नीचे एक उप पुस्तकालयाध्यक्ष है, किन्तु कोई सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं है। कैटेलागर और एक्वीजिशन असिस्टेन्ट अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह करते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि कैटेलगार और एक्वीजिशन असिस्टेन्ट को सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान स्वीकृत किया जाय। यद्यपि हम इस सुझाव में अधिक बल नहीं पाते हैं तथापि हम यह महसूस करते हैं कि पर्याप्त और प्रभावकारी देखरेख के लिये यह आवश्यक है कि इसके जैसे विकसित पुस्तकालय के लिये अधिक उच्चतर पदों की व्यवस्था की जाय। तदनुसार हम यह संस्तुति करते हैं कि राज्य सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के एक या दो पद सृजित किये जाने के प्रश्न का परीक्षण करें।

7·40 टैगोर पुस्तकालय, लखनऊ में बाइंडिंग असिस्टेन्ट का भी एक पद है। इस पद के लिये भी रु0 350–700 के वेतनमान की मांग की गयी है। हमें यह सूचित किया गया है कि इस पद के लिये निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट है। इस पद की अर्हता या कार्य की अपेक्षाओं के आधार पर वेतनमान को पुनरीक्षित करके बढ़ाये जाने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।

7·41 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के संबंध में वेतनमानों में असंगति के कतिपय मामले हमारी जानकारी में लाये गये हैं। हमने इस अध्याय में इससे पूर्व सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत पाठशालाओं के वेतनमानों के प्रश्न पर विचार किया है। वहां प्रकाशन अधिकारी का एक पद रु0400–750 के वेतनमान में है। इस पद की आधारिक अर्हता आचार्य की डिग्री तथा हिन्दी और संस्कृत आदि में प्रकाशन का दीर्घ कालिक अनुभव है। संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रति वर्ष बहुत सी उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। हम यह महसूस करते हैं कि उसका वेतनमान उन्नत करके रु0 690–1420 के स्तर तक लाया जाना चाहिए, विशेषतः इसलिये कि उसकी पदोन्नति के लिये कोई अवसर नहीं है। हमने शोध सहायकों के, जिनका पदनाम अब शोध अधिकारी है, वेतनमानों का भी परीक्षण किया है। वे रु0400–750 के वेतनमान में हैं। हम उनके वेतनमान को पुनरीक्षित करके बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। क्लासीफायर का एक पद रु0280–460 के वेतनमान में है। इस पद के लिये आधारिक अर्हता द्वितीय श्रेणी में आचार्य की डिग्री तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा तथा तीन वर्ष का अनुभव है। इस विश्वविद्यालय में कैटलागर का एक अन्य पद रु0 350–700 के वेतनमान में है जिसकी अर्हतायें भी लगभग इसी प्रकार की हैं। हमने इन पदों के पारस्परिक गुणागुण का परीक्षण किया है और हम यह महसूस करते हैं कि क्लासीफायर का कार्य कम महत्वपूर्ण नहीं है। अतः हम क्लासीफायर के लिये भी रु0570–1070 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

7·42 संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के सचिव का एक पद रु0500–750 के वेतनमान में है। यह पद सीधे भरा जाता है और न्यूनतम अर्हता स्नातक डिग्री तथा कार्यालय कार्य का दस वर्ष का अनुभव है। स्पष्टतः यह पद कार्यालय के अनुभवी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिये है। यह पद विश्वविद्यालय के ऐसे लिपिकीय कर्मचारी वर्ग के लिये पदोन्नति का पद घोषित किया जाना चाहिए, जिसमें श्रेष्ठता तथा ज्येष्ठता के आधार पर अपेक्षित अर्हता और अनुभव हो।

7·43 चिकित्सा अधिकारी का एक पद रु0400–750 के वेतनमान में है। यह पद अर्ह आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। हम यह संस्तुति करेंगे कि यह पद अर्हता आयुर्वेदिक स्नातकों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय और तत्पश्चात् रु0 850–1720 के वेतनमान में रखा जाय।

7·44 हमने संग्रहालयाध्यक्ष और सहायक अभियन्ता के वेतनमानों के प्रश्न पर भी विचार किया है। उनके वेतनमानों को उन्नत किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान का संबंध है, यह पद सामान्य कोटि का पद है और इसके संबंध में संगत अध्याय में विचार किया गया है।

7·45 काशी विद्यापीठ, वाराणसी में शारीरिक अनुदेशक के तीन पद हैं। इन पदों में से दो पद रु0400–900 के वेतनमान में और एक पद रु0350–700 के वेतनमान में है। रु0 400—900 के वेतनमान में दो पदों के लिये निर्धारित अर्हता एम0 ए0 और डी0 पी0 एड0

है और रु0350–700 के वेतनमान में पद के लिये निर्धारित अर्हता बी0 ए0, डी0 पी0 एड0 है। यह स्पष्ट है कि इस पद के लिये बी0 ए0, डी0 पी0 एड0 की निम्नतर अर्हता पर्याप्त है, अतः रु0350–700 का वर्तमान वेतनमान पर्याप्त है। जो दो पदधारी उच्चतर अर्हता प्राप्त है तथा उच्चतर वेतनमान में है वे वेतनमान वैयक्तिक रूप से तब तक पाते रहेंगे जब तक वे इस पद के पुनरीक्षित वेतनमान के लिये विकल्प न दे दें।

7.46 मेरठ विश्वविद्यालय में खेलकूद अधिकारी का एक पद रु0450–700 के वेतनमान में है। हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि इस अधिकारी की अर्हतायें यथार्थ में वही है जो इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, कानपुर और लखनऊ जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में खेलकूद अधिकारी के लिये निर्धारित है, जो रु0550–1200 के वेतनमान में है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य विश्वविद्यालयों में खेलकूद अधिकारियों के बहुत ऊंचे पदनाम है जैसे निदेशक, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन, निदेशक, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट और अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा। हम इस बात से सहमत हैं कि इस पद को वेतनमान रु0550–1200 में उन्नत किये जाने का औचित्य है।

7.47 आगरा विश्वविद्यालय में 70 शिक्षणेतर कर्मचारी ऐसे है जो सरकारी आदेशों के होते हुए भी उन ग्रेडों में वेतन पा रहे है तो तदनुरूप पदों के लिए स्वीकृत ग्रेड से भिन्न है। हमें उन परिस्थितियों के बारे में छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है जिन परिस्थितियों में इन पदों पर उच्चतर वेतनमानों में वेतन आहरित किये जा रहे है। हमने इस मामले पर शिक्षा सचिव से भी विचार विमर्श किया है। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में विभिन्न शिक्षणेतर पदों के लिए स्वीकृत सामान्य वेतनमान में परिवर्तन करने का हम कोई औचित्य नहीं पाते है।

7.48 हम कतिपय अन्य मामलों पर विचार करना चाहेंगे। शिक्षा पुनरभिस्थापन योजना के अधीन बहुत से पद शिक्षण और शिक्षणेतर, दोनों ही सृजित किये गये थे। इस योजना के अधीन कृषि प्रसार अध्यापक तथा सम्परीक्षक, उपलेखक एवं प्रलेखक, दफ्तरी जैसे अन्य सहायक कर्मचारी वर्ग भी नियुक्त किये गये थे। ये पद 1965 में स्थायी किये गये थे। पांच व्यक्ति रु0 400–750 के वेतनमान में कृषि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे है, 737 प्रसार अध्यापक रु0 300–550 के वेतनमान में है और 1826 जूनियर ग्रेड के प्रसार अध्यापक रु0 250–425 के वेतनमान में है। फैजाबाद में एक प्रसार अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र भी है। इन प्रसार अध्यापकों को कुछ विभागीय प्रशिक्षण भी दिया गया और उन्हें एल0 टी0/सी0 टी0 ग्रेड स्वीकृत किया गया। विचार-विमर्श के दौरान हमें यह सूचित किया गया कि विभाग में उनके लिए अब पर्याप्त कार्य नहीं है, क्योंकि पाठ्य चर्चा में कृषि अनिवार्य विषय नहीं है और हाई स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों से कृषि फार्मों को सम्बद्ध किये जाने की आशा भी सामान्यतया पूरी नहीं हुई है। रु0 300–550 के वेतनमान में प्रसार अध्यापकों में से 351 प्रसार अध्यापक इस समय जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक और शिक्षा निदेशक के कार्यालयों से सम्बद्ध है।

7.49 शिक्षा विभाग तथा इन प्रसार अध्यापकों की मुख्य कठिनाई यह प्रतीत होती है कि इन अध्यापकों के लिये भविष्य में पदोन्नति के अवसर नहीं है, और विभाग यह नहीं जानता है कि इनका उपयोग किस प्रकार किया जाय। जूनियर ग्रेड के कृषि प्रसार अध्यापकों के 183 पद रु0280–460 के सेलेक्शन ग्रेड में रखे गये थे, किन्तु इससे उनकी समस्या हल नहीं हुई है। इन अध्यापकों की मुख्य मांग यह है कि उन्हें अनुमन्य वर्तमान वेतनमान के आधार पर उन्हें एल0 टी0/ सी0 टी0 के दो संवर्गों में संविलीन किया जाय। इस विषय में हमने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से विचार-विमर्श किया है। चूंकि इन अध्यापकों ने स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम उन विषयों को लेकर पूरा नहीं किया, जो सामान्यतया हाई स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं अतः हम उन्हें एल0 टी0/सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के साथ सामान्यतया विलीन किये जाने के लिये संस्तुति करने में असमर्थ है। उनमें से कुछ अध्यापकों ने शिक्षा विभाग में बने रहने के दौरान एल0 टी0 सी0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, किन्तु उनमें से बहुत से अध्यापक इनमें से कोई भी अर्हता प्राप्त नहीं है। तथापि उनमें से ऐसे अध्यापकों को जो पूर्णतया अर्ह है या जिन्होंने एल0 टी/सी0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जिससे वे नियमित कक्षाओं को पढ़ाने के लिये अर्ह हो गये है, एल0 टी0/सी0 टी0 ग्रेड में सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध खपाये जाने पर विचार किया जाय और इस प्रयोजन के लिये उनकी आयु सीमा उदारता के साथ शिथिल की जाय। हम यह भी संस्तुति करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग उनमें से ऐसे अध्यापकों को आवश्यक प्रशिक्षण दे जो अप्रशिक्षित है, ताकि जूनियर हाई स्कूलों में उनका उपयोग किया जा सके। तथापि इसका उनके ग्रेड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.50 जहां तक उनकी पदोन्नति के अवसरों का संबंध है, हम उनकी कठिनाइयों से अवगत है किन्तु हम उनकी इस मांग का समर्थन करने का औचित्य नहीं पाते है कि उन्हें हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नति का पात्र माना जाय। इस बात को महसूस किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार इस कर्मचारी वर्ग पर सामान्यतया अनुत्पादक व्यय वहन कर रही है। हम इस बात की भी संस्तुति करते है कि जहां कहीं भी सम्भव हो, उन अध्यापकों में से कई अर्ह कृषि स्नातकों की सेवायें कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायं ताकि उन्हें इस विभाग में वर्तमान/भावी रिक्तियों में खपाया जाय। हम यह भी संस्तुति करते है कि इसे समाप्तप्राय संवर्ग घोषित किया जाना चाहिए और इस सेवा में आगे भर्ती नहीं की जानी चाहिए। इस समय इस संवर्ग में जूनियर ग्रेड के 10 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड उपलब्ध है। इन अध्यापकों ने अपने जीवन की सबसे अच्छी अवधि अपनी वर्तमान स्थिति में व्यतीत की है। अतः हम यह संस्तुति करते है कि जूनियर ग्रेड और सीनियर ग्रेड दोनों ही में दस-दस प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं।

7.51 **पदोन्नति के अवसर**—शिक्षा विभाग के विभिन्न सेवा संघों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हमसे यह निवेदन किया है कि राजकीय संस्थाओं और सहायता प्राप्त संस्थाओं

में अध्यापकों के लिये पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। हमने स्थिति का परीक्षण किया है। राजकीय संस्थाओं में एल0 टी0 श्रेणी ग्रेड के 30 प्रतिशत पद सी0 टी0 ग्रेड के उन अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, जो पात्रता क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट कालेजों के लेक्चरर के 50 प्रतिशत पद एल0 टी0 ग्रेड के उन अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जो पदोन्नति के पात्र हैं। सहायता प्राप्त संस्थाओं में एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के 40 प्रतिशत पद सी0 टी0 ग्रेड के उन अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जो पदोन्नति के पात्र हैं। इसी प्रकार लेक्चरर के 40 प्रतिशत पद उन अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जो पदोन्नति के पात्र हैं। इस समय लेक्चरर संवर्ग, एल0 टी0/सी0 टी0 ग्रेड में 10 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे गये हैं। हमने प्रत्येक मामले में प्रतिशतों का परीक्षण कर लिया है और हम यह महसूस करते हैं कि सामान्य शर्तों के अधीन लेक्चरर संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड के पदों का प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत पुनरीक्षित किया जाना चाहिए और एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के लिये सेलेक्शन ग्रेड के पदों का प्रतिशत बढ़ाकर 15 प्रतिशत पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के लिये सेलेक्शन ग्रेड के पदों के प्रतिशत में कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि लेक्चरर का पद कुछ अंश तक डेड-एण्ड पद है, कोई लेक्चरर 15 वर्ष तक सन्तोषजनक सेवा कर लेने के बाद ही अन्य सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड पाने का पात्र होगा। सेलेक्शन ग्रेड पाने के लिये एल0 टी0/सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के लिये पात्रता की अवधि अन्य सामान्य शर्तों के अधीन 10 वर्ष होगी।

7.52 जहां तक जूनियर हाई स्कूलों और बेसिक जूनियर स्कूलों के अध्यापकों का संबंध है हमने यह देखा है कि जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के लिये पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। अतः हम यह संस्तुति कर रहे हैं कि जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों के 15 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं। सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था हमारी इस संस्तुति के प्रसंग में की जा रही है कि केवल प्रशिक्षित और इण्टरमीडिएट पास अभ्यर्थी ही जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती किये जायेंगे। इस संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड पूर्ण रूप से अर्ह अध्यापकों (प्रशिक्षित इण्टरमीडिएट) की संख्या के 15 प्रतिशत तक और सीमित होगा। वह केवल इस कोटि के सहायक अध्यापकों को ही अनुमन्य होगी। हम बेसिक जूनियर स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की भी संस्तुति कर रहे हैं। यह संस्तुति इस बात को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही है कि हमने बेसिक जूनियर स्कूलों के प्रधान अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक के पद पर स्वतः पदोन्नति की संस्तुति नहीं की है।

7.53 हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिये पदोन्नति के अवसर बिल्कुल ही नहीं हैं। इस प्रसंग में तथा अच्छे कार्य सम्पादन के लिये प्रोत्साहन देने और इन संस्थाओं के कुशल प्रबन्ध के लिये हम यह महसूस करते हैं कि सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों के वास्तव में सुयोग्य प्रधानाचार्यों को भली-भांति प्रतिकर दिया जाना चाहिए। अतः हम इस संबंध में यह संस्तुति कर रहे हैं कि राज्य सरकार सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों के 15 प्रतिशत पदों के लिये रु01300–1900 का उच्चतर वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करे :—

(क) शासन द्वारा प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत रूप से उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया जाय न कि विशिष्ट संस्थाओं को।

(ख) उच्चतर वेतनमान के लिये उन्हीं प्रधानाचार्यों के संबंध में विचार किया जाय जिन्होंने राज्य में प्रधानाचार्य के रूप में 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक सराहनीय सेवा की है।

(ग) राज्य सरकार को गुणागुण का मानक निर्धारित करना चाहिए जिसके आधार पर उच्चतर वेतनमान के लिये किसी प्रधानाचार्य की उपयुक्तता अवधारित की जा सके। इस प्रकार के कुछ मार्ग निर्देशक सिद्धांत यह हो सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान संस्था का परीक्षाफल तथा अनुशासन और अध्यापन का स्तर कैसा रहा तथा पिछले 5 वर्षों के दौरान संस्था में क्या सुधार किये गये। यह उदाहरण स्वरूप है, न कि व्यापक।

7.54 डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों के सेवा संघों के प्रतिनिधियों ने हमारे समक्ष इस बात पर बल दिया कि जब से अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किये गये हैं तब से शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग और अध्यापक वर्ग के वेतनमानों में असमानता के अनुपात में बेमेल बढ़ोत्तरी हुई है अतः सामंजस्यपूर्ण कार्य के हित में शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग के वेतनमान इस स्तर तक बढ़ा दिये जायं ताकि उनका अनुपात वही हो जाय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के पूर्व था। हमने इस विषय में विभिन्न संघों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ विस्तार से विचार-विमर्श किया है। डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुमन्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेतनमान संबंधी योजना के गुणागुण के संबंध में हम नहीं कह रहे हैं। अध्यापक वर्ग के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप अध्यापक संवर्ग में क्रमागत रूप से पदोन्नति नहीं रह गयी है। प्रत्येक पद सीधी भर्ती के माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये चयन के आधार पर भरा जाता है। ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के वेतनमान सम्भवतः अपरिहार्य थे। शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग के संबंध में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अन्यथा भी शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग के कार्य और उत्तरदायित्व की प्रकृति लगभग एक ही पैटर्न की है, चाहे वह विश्वविद्यालय में हो या डिग्री कालेजों में हों या अन्य कार्यालयों में हों। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में लिपिकीय पद की तुलना अन्य कार्यालयों के केवल लिपिकीय पद से ही की जा सकती है, किन्तु उसकी तुलना किसी अध्यापक के पद से नहीं की जा सकती है। हम इस तर्क को कोई मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। कतिपय पदों के बीच पूर्व की सापेक्षता को किसी संवर्ग में वेतनमानों को उन्नत किये जाने के

लिये वैध आधार नहीं माना जा सकता है। हमने इस खण्ड के भाग 2 में पुनरीक्षित वेतनमान तथा जहां कहीं आवश्यक है, सलेक्शन ग्रेड दिये हैं।

7.55 इस खण्ड के भाग 2 में हमने सेलेक्शन ग्रेड के साथ-साथ, जहां आवश्यक था, पुनरीक्षित वेतनमान दिया है।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल (नेशनल कैडेट कोर)

7.56 इस देश में नेशनल कैडेट कोर की स्थापना छात्रों और छात्राओं के चरित्र का विकास करने, उनमें मैत्री और खेल की भावना बढ़ाने और सेवा तथा नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत करने और देश की रक्षा करने में उनकी अभिरुचि बढ़ाने के लिये तथा इसलिये भी कि आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ये कैडेट कतिपय कर्तव्यों का पालन कर सकें, सीमित सैन्य प्रशिक्षण देने के लिये की गयी थी। सीनियर और जूनियर डिवीजन कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिये इस संगठन में सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और सेना के कार्मिकों को तैनात किया जाता है। केन्द्रीय सरकार प्रशिक्षण कार्मिकों तथा कुछ अन्य कर्मचारी वर्ग पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करती है और राज्य सरकार प्रशासनिक कर्तव्यों और कार्यालय-कार्य से संबंधित कतिपय कर्मचारी वर्ग पर होने वाले व्यय की पूर्ति करती है।

7.57 नेशनल कैडेट कोर के निदेशक ने विभिन्न मामलों के संबंध में लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त किये और आयोग के समक्ष उपस्थित भी हुए उन्होंने वेतनमानों की जो असंगतियां समझी उनके बारे में विचार विमर्श के अलावा सामान्यतया यह विचार व्यक्त किया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर भर्ती किये गये कर्मचारी वर्ग को वे ही वेतनमान मिलने चाहिए जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उन प्रतिस्थानी कर्मचारियों को अनुमन्य हैं जो उनके अधिष्ठान में सम्मिलित हैं। शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के बीच उचित तुलना के प्रश्न पर "सामान्य सिद्धांतों" के अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है। इस तर्क को स्वीकार करना हमारे लिये संभव नहीं है जिसके लिये बहुत ही ठोस कारण हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को, चाहे वे जहां भी तैनात हों, केवल वे ही वेतनमान स्वीकृत किये जा सकते हैं, जो राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य हैं।

7.58 जहां तक निदेशक द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दुओं का संबंध है, उन पर नीचे विचार किया गया है:—

(1) यह मांग की गयी कि प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिशासक अधिकारियों का वेतनमान रु0400–750 से बढ़ाकर रु0550–1200 किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी अर्हता मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और कमांडिंग अफसर के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके उत्तरदायित्व उच्चतर स्तर के हैं क्योंकि वे केन्द्र के समग्र रूप से प्रभारी हैं। बहुत से ग्रुप-1 तथा अधीनस्थ राजपत्रित पदों के लिये निर्धारित अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री है। अधिशासक अधिकारियों का कार्य मुख्यतया प्रशिक्षण देने का है और इस दृष्टि से रु0400–750 का वेतनमान पर्याप्त है। तथापि चूंकि वे अपने कर्तव्यों के अलावा प्रशासनिक कार्य भी करते हैं, अतः हम इस पद के लिये रु0690–1420 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

(2) निदेशालय में प्रधान लिपिक के दो पद हैं। एक पद रु0 300–500 के वेतनमान में है और दूसरा पद रु0 280—460 के वेतनमान में है इन दोनों ही पदों के लिये अर्हता समान है। हम इन पदों के लिये समान वेतनमान दिये जाने की मांग को उचित समझते हैं। अतः हम इन दोनों पदों के लिये रु0 515–840 का समान वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करते हैं।

(3) शिप/एयरो माडेलिंग इन्स्ट्रक्टर का वेतनमान इस समय रु0 280–460 है। वेतनमान को उन्नत किये जाने की मांग इस तर्क के आधार पर की गयी कि इस पद के लिये शिप/एयरो माडेलिंग के बारे में विशेषज्ञ का ज्ञान होना अपेक्षित है। इस पद के लिये आधारित अर्हता केवल इण्टरमीडिएट तथा शिप/एयरो माडेलिंग का अनुभव है। यद्यपि इस पद के लिये निर्धारित अर्हता उच्च नहीं है किन्तु इस कार्य के लिये जिस प्रकार का अनुभव अपेक्षित है वह आसानी से उपलब्ध नहीं है। केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। जिन्हें जल/वायु सेना में जहां जहाज/वायुयान बनाये जाते हैं, कार्य का अनुभव हो। अतः हम इस पद के लिये रु0 515–840 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

7.59 यह भी कहा गया है कि निदेशालय स्तर पर लिपिकीय कर्मचारी वर्ग को वे ही वेतनमान दिये जाने चाहिए जो अन्य विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में अनुमन्य हैं। नेशनल कैडेट कोर निदेशालय द्वारा हमें जो विवरण-पत्र उपलब्ध कराया गया है उसमें हम समूह "घ" के कर्मचारियों, सम्परीक्षकों और ज्येष्ठ सम्परीक्षकों के वेतनमानों में कोई असमानता नहीं पाते हैं। हम प्रधान लिपिक के वेतनमान के बारे में पहले ही विचार कर चुके हैं। ज्येष्ठ श्रेणी लिपिक और कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के वेतनमानों में स्पष्टतः असमानता है। हमने इस असमानता को दूर करने के लिये उपयुक्त वेतनमानों की संस्तुति की है। तथापि ऐसे लेखा लिपिकों और लेखाकारों के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं है, जिन्होंने डिवीजनल परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

7.60 हमने ग्रुप मुख्यालय के पदों के वेतनमान का भी परीक्षण किया है और हम उस स्तर पर स्वीकृत वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाते हैं।

7.61 निदेशक ने लिपिकीय संवर्गों में कुछ पुनर्गठन किये जाने का भी सुझाव दिया है जो हमारे विचार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हैं, अतः हम इस सम्बन्ध में कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

7.62 इस खण्ड के भाग 2 में पुनरीक्षित वेतनमान दिये गये हैं।

कला और शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ

7.63 शिक्षा विभाग ने यह सूचित किया है कि यह संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय के संघटक कालेज के रूप में है। यह सुझाव दिया गया है कि इस कालेज के शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतनमान किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों के समान होना चाहिए। हमने कला और शिल्प महाविद्यालय और किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के विभिन्न पदों के वेतनमानों और पदनामों का परीक्षण किया है। किंग जार्ज मेडिकल कालेज और कला तथा शिल्प महाविद्यालय के लिपिकीय संवर्ग में नैत्यक श्रेणी लिपिक समान वेतनमान में हैं। इस कालेज में लेखाकार रु0 230–385 के वेतनमान में हैं। इस पद के लिये निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट है, जबकि मेडिकल कालेज में निर्धारित अर्हता स्नातक की डिग्री तथा लेखाकार्य का कुछ अनुभव है। अतः इन पदों की तुलना नहीं की जा सकती है, तथापि हम कला और शिल्प महाविद्यालय में लेखाकार के पद के लिये रु0 470–735 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

7.64 कला और शिल्प महाविद्यालय में प्रधान लिपिक का वेतनमान रु0 300–500 है। किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में कोई ऐसा पद नहीं है। किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में कार्यालय अधीक्षक का पद रु0 450–700 के वेतनमान में है। कला और शिल्प महाविद्यालय के प्रधान लिपिक के कार्यभार और उत्तरदायित्वों की तुलना किंग जार्ज मेडिकल कालेज के कार्यालय अधीक्षक से नहीं की जा सकती है। इसलिये हम वर्तमान पैटर्न में कोई परिवर्तन किये जाने की संस्तुति नहीं करते हैं।

7.65 कला और शिल्प महाविद्यालय में रंगेकिड़िया का पद रु0 200–320 के वेतनमान में है। हम इस पद के लिये रु0 400—615 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

7.66 प्रधानाचार्य के आशुलिपिक का वेतनमान रु0 250–425 है। हम इस पद के लिये 515–840 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

7.67 हम क्ले फिंगर माडेलर के वेतनमान को, जो इस समय रु0 300–500 है, उन्नत कर पुनरीक्षित करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। कार्य के अनुभव को छोड़कर इस पद के लिये कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गयी है। इस प्रकार की तुलना इन्स्ट्रक्टर से करने का कोई आधार नहीं है, जिसके लिये न्यूनतम निर्धारित अर्हता कला में डिप्लोमा है। फोरमैन का वेतनमान रु0 350–700 है और उसके लिये निर्धारित अर्हता मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा है। यह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। फोरमैन को अनुमन्य वेतनमान पर्याप्त है।

7.68 कला और शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के लिये जो वेतनमान अनुमन्य है वह रु0 1600–2000 है। यह मांग की गयी है कि प्रधानाचार्य का वेतनमान किंग जार्ज मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के वेतनमान के समान होना चाहिए। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि उपर्युक्त दोनों पदों के कार्यभार और उत्तरदायित्व की परस्पर तुलना कदापि नहीं की जा सकती है, किन्तु इस पद के महत्व और प्रास्थिति को देखते हुए हम रु0 2050–2500 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

7.69 राजकीय और सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं और कुछ अभियंत्रण संस्थाओं के कार्यकलाप को समन्वित करने तथा कार्य का मानकीकरण करने के लिये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय 1961 में स्थापित किया गया था। यह निदेशालय निम्नलिखित अभियंत्रण और प्राविधिक संस्थाओं के कार्य की देखरेख कर रहा है :—

(1) राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर।
(2) राजकीय चर्म संस्थान आगरा और कानपुर।
(3) उत्तर सम्भागीय मुद्रण संस्था, इलाहाबाद।
(4) राजकीय महिला बहुधन्धी संस्था, लखनऊ।
(5) राजकीय बहुधन्धी संस्थायें।
(6) सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थायें।
(7) राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय।

उपर्युक्त प्राविधिक संस्थाओं के अलावा डिग्री स्तर की भी प्राविधिक संस्थायें हैं, जो निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं। ये संस्थायें हैं :—

1—हारकोर्ट बटलर टैक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर।

2—मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।

3—मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।

4—रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।

5—कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टैक्नालाजी, सुल्तानपुर।

6—पेपर टैक्नोलोजी संस्थान, सहारनपुर।

(यह संस्था पहले डिप्लोमा स्तर की संस्था थी, किन्तु अब उसमें डिप्लोमा और डिग्री स्तर की शिक्षा दी जाती है)।

7.70 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा स्तर की प्राविधिक शिक्षा तथा डिप्लोमा संस्थाओं से सम्बद्ध कुछ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की देखरेख करते हैं। उनकी सहायता के लिये मुख्यालय पर दो संयुक्त निदेशक, दो उप निदेशक, चार सहायक निदेशक और कुछ अन्य अधिकारी हैं। निदेशक प्राविधिक शिक्षा के अधीन दिनांक 1-4-74 और दिनांक 1-4-79 को कर्मचारी वर्ग की संख्या इस प्रकार थी :–

	दिनांक 1-4-74	दिनांक 1-4-79
समूह "क"	72	86
समूह "ख"	228	294
समूह "ग"	1228	1430
समूह "घ"	798	876
	2326	2686

7.71 प्राविधिक संस्थाओं के बहुत से प्रधानाचार्यों/अध्यक्षों और राजकीय तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं के विभिन्न संघों ने अपने ज्ञापन या हमारी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किये और हमारे समक्ष उपस्थित भी हुए। उन्होंने जो असंगतियां इंगित कीं और हमारे समक्ष जो मांगें/सुझाव प्रस्तुत किये उनका उल्लेख नीचे किया गया है :–

(1) उत्तर प्रदेश राजकीय बहुधन्धी नान इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट लेक्चरर संघ।

(1) लेक्चरर (प्राविधिक) और लेक्चरर (अप्राविधिक) का वेतनमान समान होना चाहिए।

(2) अप्राविधिक विषयों के विभागाध्यक्ष का पद प्राविधिक विषयों के पैटर्न पर सृजित किया जाये।

(3) लेक्चरर के 50 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाये।

(4) वेतनमान निम्नलिखित रूप में हो :–

(क) लेक्चरर/वर्कशाप अधीक्षक	रु0 700–1300
(ख) विभागाध्यक्ष	रु01100–1600
(ग) प्रधानाचार्य	रु01300–1800

(2) विज्ञान और भाषा इन्सट्रक्टर संघ, राजकीय बहुधन्धी संस्था/राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय

(1) राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में इन्स्ट्रक्टर रु0 300–500 के वेतनमान में हैं और उनकी अर्हता स्नातक डिग्री है। इस समय तीन प्रकार के पद हैं अर्थात् कनिष्ठ लेक्चरर, इन्स्ट्रक्टर और डिमान्स्ट्रेटर जिनके कार्य की प्रकृति समान है। उपर्युक्त तीन कोटि के पदों का पद नाम कनिष्ठ लेक्चरर रखा जाये और उन्हें उच्चतर वेतनमान में रखा जाये।

(2) चूंकि उनके पदोन्नति के अवसर नहीं हैं अतः सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाये।

(3) बहुधन्धी संस्थाओं में कनिष्ठ लेक्चरर्स को लेक्चरर (अप्राविधिक) के पद पर पदोन्नत किया जाये।

(3) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा संघ।

(1) एक अबाध वेतनमान की व्यवस्था की जाये।

(2) लेक्चरर्स और सहायक निदेशकों के लिए समान वेतनमान दिया जाये।

(3) ज्येष्ठ लेक्चरर का वेतनमान अधीक्षण अभियन्ता के वेतनमान के समान रखा जाये।

(4) प्रधानाचार्य और संयुक्त निदेशक के वेतनमान एक ही किया जाये।

(5) 30 प्रतिशत की दर से पर्याप्त सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

(4) ड्राइंग इन्सट्रक्टर संघ, प्राविधिक शिक्षा विभाग

(1) राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले लेक्चरर/अध्यापक/इन्स्ट्रक्टर के वेतनमान में असंगतियों को दूर किया जाय, जिनकी अर्हता बी0 एस-सी0 तथा अध्यापन कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो।

(2) राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में लेक्चरर (अप्राविधिक) के रु0 400–750 के वेतनमान को रु0 550–1200 में उन्नत कर दिया गया है अतः ग्रेजुएट लेक्चरर/इन्स्ट्रक्टर का वेतनमान भी अनुपात में बढ़ाया जाये।

(3) पदों का पद नाम पुनः लेक्चरर (ड्राइंग) रखा जाय।

(4) सेलेक्शन ग्रेड दिया जाये।

(5) राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय कल्याण संघ, गोरखपुर

(1) राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों के वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर और ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर को वही वेतनमान दिये जायें जो राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर को अनुमन्य है।

(2) आई0 टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक और डिप्लोमा धारक इन्स्ट्रक्टर को एक ही समान वेतनमान मिलना चाहिए।

(6) अराजपत्रित प्राविधिक कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश

(1) लखनऊ और गोरखपुर स्थित राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर का वेतनमान अन्य बहुधन्धी संस्थाओं में वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर के वेतनमान के समान किया जाये।

(2) इन्स्ट्रक्टर को रु0 450–700 का वेतनमान दिये जाने संबंधी असंगति उप समिति की संस्तुति को कार्यान्वित किया जाये।

(7) उत्तर सम्भागीय मुद्रण संस्था के अध्यापक

(1) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किये हुए अभ्यर्थियों के लिए बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है।

(2) भारत में मुद्रण टेक्नालोजी में डिप्लोमा प्रदान किया जाता है, किन्तु कोई डिग्री पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है।

(3) वेतनमानों के मामले में उन्हें बहुधन्धी संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग से समानता दी जाये।

(8) उत्तर प्रदेश बहुधन्धी संस्था वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर संघ, लखनऊ

(1) वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर के पद के लिए अर्हता हाई स्कूल तथा आई0 टी0 आई0 का प्रमाण पत्र है।

(2) वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर और इंजीनियरिंग इन्स्ट्रक्टर का वेतनमान समान अर्थात् रु0 650–1350 होना चाहिए।

(3) पद का पद नाम परिवर्तित करके प्रशिक्षण अधिकारी रखा जाये और वेतनमान की अवधि 12 वर्ष हो।

(4) प्रति 36 छात्रों के लिए वर्कशाप अधीक्षक का एक पद होना चाहिए ।

(5) सहायक वर्कशाप अधीक्षक और वर्कशाप अधीक्षक के पद वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं ।

(6) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पेंशन, चिकित्सा सुविधा आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के संबंध में राजकीय और सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के बीच समानता लायी जाये ।

(7) पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाये ।

(8) बहुधन्धी संस्थाओं में स्टोरकीपर के पद के लिए प्राविधिक ज्ञान अपेक्षित है अतः इस पद का वेतनमान तद्नुसार पुनरीक्षित किया जाना चाहिए ।

(9) वर्कशाप अटेन्डेन्ट के पद का पदनाम प्राविधिक सहायक रखा जाये और उस पर भविष्य में भर्ती प्राविधिक रूप से अर्ह व्यक्तियों की की जाये । किन्तु वर्तमान वर्कशाप अटेन्डेन्ट के दीर्घकालिक अनुभव पर विचार करते हुए उसे रु0 350-450 का वेतनमान स्वीकृत किया जाये ।

(10) निम्नलिखित वेतनमान प्रस्तावित किये गये हैं :-

	रु0
(क) प्रधानाचार्य	1250-2300
(ख) ज्येष्ठ लेक्चरर	1100-2100
(ग) लेक्चरर	900-1800
(घ) सहायक वर्कशाप अधीक्षक	700-1600
(ङ) प्राविधिक इन्स्ट्रक्टर	750-1600
(च) अप्राविधिक इन्स्ट्रक्टर, वर्कशाप और इंजीनियरिंग	650-1350
(छ) ज्येष्ठ लिपिक	500-800
(ज) लिपिक	400-700
(झ) चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	350-450

(9) स्नातक इंजीनीरिंग अध्यापक संघ

(1) इसके पूर्व इसके सदस्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक अध्यापक संघ के सदस्य थे किन्तु अब "स्नातक इंजीनियरिंग अध्यापक संघ" के नाम से एक पृथक संघ बनाया गया है ।

(2) यह संघ बहुधन्धी संस्थाओं के लेक्चरर, विभागाध्यक्षों और प्रधानाचार्यों का प्रतिनिधित्व करता है ।

(3) टी0 टी0 टी0 आई0 की अर्हता जो 1 1/2 वर्ष के पाठ्यक्रम की है, स्नातक अर्हता के समतुल्य नहीं मानी जानी चाहिए ।

(4) टी0 टी0 टी0 आई0 को स्नातक डिग्री की अर्हता के समतुल्य माने जाने के फलस्वरूप बहुधन्धी संस्थाओं में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है ।

(10) उत्तर प्रदेश प्राविधिक अध्यापक संघ

(1) बहुधन्धी संस्थाओं में अध्यापक वर्ग को निम्नलिखित रूप में कोटिबद्ध किया जाय :-

(क) प्रधानाचार्य ।

(ख) विभागाध्यक्ष, ज्येष्ठ लेक्चरर, वर्कशाप अधीक्षक ।

(ग) लेक्चरर ।

(घ) डिमान्स्ट्रेटर, इन्स्ट्रक्टर आदि ।

(2) मोल्डर इन्स्ट्रक्टर का पद रु0 200-320 के वेतनमान में है । पहले इस पद के लिए निर्धारित अर्हता केवल प्रमाण पत्र थी किन्तु अब इस पद के लिए डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की गई है। इस प्रकार इस पद का वेतनमान रु0 325-575 होना चाहिए ।

(3) गोरखपुर और लखनऊ स्थित बहुधन्धी संस्थाओं में इन्स्ट्रक्टर का पद इस समय क्रमशः रु0 200-320 और रु0 230-385 के वेतनमान में है । इन इन्स्ट्रक्टरों के कार्य, कर्तव्य की प्रकृति और अर्हता समान है अतः उन्हें रु0 230-385 के सामान्य वेतनमान में रखा जाय ।

(4) लखनऊ और गोरखपुर स्थित बहुधन्धी संस्थाओं में भौतिक विज्ञान और गणित के लेक्चरर रु0 300-550 के वेतनमान में हैं जबकि लेक्चरर (अप्राविधिक) रु0 550-1200 के वेतनमान में हैं । ऐसे लेक्चरर का वेतनमान रु0 550-1200 में पुनरीक्षित किया जाय ।

(5) लखनऊ और गोरखपुर स्थित बहुधन्धी संस्थाओं में कतिपय ऐसे पद हैं जिनका पदनाम फर्स्ट मास्टर, सेकेण्ड मास्टर, थर्ड मास्टर है और जो रु0 350-700 और 325-575 के वेतनमान में हैं । चूंकि ये पद अध्यापन वाले पद हैं इन्हें रु0 550-1200 के वेतनमान में रखा जाय । जैसा कि अन्य बहुधन्धी संस्थाओं में लेक्चरर (अप्राविधिक) को दिया जा रहा है ।

(11) उत्तर प्रदेश बहुधन्धी संस्था कर्मचारिवर्ग संघ, हिवेट बहुधन्धी संस्था, लखनऊ

(1) इन्स्ट्रक्टर और डिमान्स्ट्रेटर (विज्ञान) क्रमशः रु0 325-575 और रु0 300-500 के वेतनमान में हैं । उनके लिए समान वेतनमान की व्यवस्था की जाय ।

(2) सहायक वर्कशाप अधीक्षक और इन्स्ट्रक्टर के लिये सेलेक्शन ग्रेड जो इस समय क्रमशः रु0 350-700 और 450-700 हैं, समान वेतनमान दिया जाय ।

(3) उन्हें ऐसी सुविधाएं दी जांय जो सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ।

(4) इन्स्ट्रक्टर और डिमान्स्ट्रेटर जैसे तृतीय वर्ग के कर्मचारी जो उच्चतर अर्हता अर्जित कर लें, लेक्चरर के पद पर नियुक्त किये जायं । लेक्चरर पद के लिए वांछित अर्हता अर्जित करने के लिए

उन्हें सरकारी व्यय पर टी0 टी0 टी0 आई0 का उच्चतर प्रशिक्षण दिया जाय ।

(5) पंजाब और हरियाणा शासन के पैटर्न पर अध्यापन भत्ता दिया जाय ।

(6) लेक्चरर और ज्येष्ठ लेक्चरर के वेतनमान क्रमशः रु0 1000–2000 और रु0 1100–2500 होने चाहिए ।

(12) कर्मचारीवर्ग कल्याण संघ इलाहाबाद बहुधन्धी संस्था, इलाहाबाद ।

(1) यह संस्था राज्य की सबसे बड़ी संस्था है अतः इसके प्रधानाचार्य के वेतनमान में बढ़ोत्तरी की जाय ।

(2) उप प्रधानाचार्य का पद और कुछ विभागाध्यक्षों के पद सृजित किये जायं और उनके वेतनमान प्राविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किये जायें ।

(3) ट्रेनिंग और प्लेसमेन्ट अधिकारियों और ज्येष्ठ लेक्चरर के वेतनमान इस समय समान हैं अतः भविष्य में भी उन्हें समान वेतनमान दिया जाय ।

(4) इस समय प्रत्येक बहुधन्धी संस्था में इन्स्ट्रक्टर के दो पदों पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य है । इन्स्ट्रक्टर की कुल संख्या के कुछ प्रतिशत के आधार पर इसकी व्यवस्था की जाय ।

(5) डिप्लोमा धारक इन्स्ट्रक्टरों और विज्ञान स्नातकों के लिए समान वेतनमान होना चाहिए ।

(6) आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र धारक इन्स्ट्रक्टरों को डिप्लोमाधारक इन्स्ट्रक्टरों से नीचे रखा जाय ।

(7) 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद इन्स्ट्रक्टर को लेक्चरर के पद पर नियुक्ति का पात्र बनाया जाय ।

(8) बहुधन्धी संस्थाओं में पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान इंजीनियरिंग कालेजों के पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान के समतुल्य किया जाय ।

(9) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं आदि जैसी अन्य सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के समान स्वीकृत की जाय ।

(13) उत्तर प्रदेश बहुधन्धी संस्था डिप्लोमा इन्स्ट्रक्टर संघ

(1) डिप्लोमा धारक इन्स्ट्रक्टर का पदनाम बदलकर सहायक लेक्चरर रखा जाय और उन्हें वर्तमान रु0 325–575 के वेतनमान के स्थान पर रु0 500–900 का वेतनमान दिया जाय ।

(2) ऐसे डिप्लोमा धारकों को जो टी0 टी0 टी0 आई0/ए0 एम0 आई0 ई0 अर्जित कर चुके हैं और जिनकी पदोन्नति अब तक लेक्चरर के पद पर नहीं हुई है, विशेष अर्हता भत्ता दिया जाय ।

(3) जब तक विभाग में सम्यक् रूप से अर्ह व्यक्ति उपलब्ध हैं तब तक बाहर से कोई तदर्थ नियुक्ति न की जाय ।

(4) चूंकि उनके पदोन्नति के अवसर नहीं हैं अतः 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय ।

(5) डिप्लोमा धारक इन्स्ट्रक्टरों की पदोन्नति के लिए लेक्चरर के 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायं ताकि उन्हें पदोन्नति के अपेक्षाकृत अधिक अवसर दिये जा सकें ।

(6) सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं में भी वही सुविधाएं दी जायं जो सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य हैं ।

(14) लिपिकीय कर्मचारिवर्ग संघ, पेपर टेक्नालोजी संस्थान, सहारनपुर

(1) पेपर टेक्नालोजी संस्थान, सहारनपुर एशिया भर में एक अनोखी संस्था है । यह संस्था कागज प्रौद्योगिकी के बारे में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करती है अतः इसकी तुलना बहुधन्धी संस्था से नहीं की जा सकती है ।

(2) इस संस्था के डिप्लोमाधारक, इंजीनियरिंग/टेक्नालोजी में डिग्री धारकों के समान माने जा रहे हैं, किन्तु उनके वेतनमान रुड़की विश्वविद्यालय में स्वीकृत वेतनमान के समान नहीं हैं ।

(3) इस संस्था के अध्यापक वर्ग को परियोजना रिपोर्ट के आधार पर आई0 टी0 आई0 के वेतनमान दिये गये हैं । किन्तु सहायक कर्मचारिवर्ग का वेतनमान अन्य इंजीनियरिंग कालेजों की तुलना में कम है ।

(4) वर्कशाप इंस्ट्रक्टरों का वेतनमान समान होना चाहिए ।

(5) पम्प अटेन्डेन्ट का वेतनमान उन्नत किया जाय ।

(6) सभी कोटि के कर्मचारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जाय ।

(15) दयालबाग इंजीनियरिंग कालेज आगरा का शिक्षणेतर कर्मचारी संघ

(1) इस कालेज में विभिन्न पदों की अर्हताएं और उत्तरदायित्व इंजीनियरिंग कालेजों में विभिन्न पदों की अर्हताओं और उत्तरदायित्वों के समान हैं अतः इस संस्था में कर्मचारिवर्ग के पदनाम और वेतनमान वे ही हैं जो अन्य इंजीनियरिंग कालेजों में हैं ।

(2) इलेक्ट्रीशियन का वेतनमान जो अब तक पुनरीक्षित नहीं किया गया है, उसका उपयुक्त पुनरीक्षण किया जाय ।

(3) कालेज में पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान अन्य इंजीनियरिंग कालेजों में पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान की तुलना में बहुत कम है । इस पद के लिए रु0 550–1200 का वेतनमान दिया जाय ।

(4) कर्मचारिवर्ग को पेन्शन की सुविधा दी जाय।

(5) उन्हें चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता नगर प्रतिकर भत्ता, और नकदीकरण भत्ता की सुविधाएं उपलब्ध की जायं।

(6) पदोन्नति के कुछ अवसर उपलब्ध किये जायं।

(16) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर ग्रेड-1 के मेकेनिक/डिमान्सट्रेटरों/ ज्येष्ठ वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर/कनिष्ठ वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर/ज्येष्ठ प्रयोगशाला टेक्नीशियन

(1) रु0 280-460 के वेतनमान ग्रेड-1 के मेकेनिक को वही वेतनमान दिये जायं जो रु0 325-575 के वेतनमान के ड्राफ्ट्समैन को अनुमन्य है। मेकेनिक ग्रेड-1 के पद के कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(2) रु0 350-700 के वेतनमान में ज्येष्ठ इन्स्ट्रक्टर/डिमान्स्ट्रेटर/ज्येष्ठ वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर/ ज्येष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक के कर्तव्य और उत्तर-दायित्व देश की अन्य प्राविधिक संस्थाओं के ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक/ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ज्येष्ठ शोध सहायक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के समान हैं अतः उन्हें रु0 550-900 का वेतनमान स्वीकृत किया जाय।

(3) कनिष्ठ वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर इस समय रु0 280-460, रु0 300-500 और रु0 325-575 के वेतनमान में हैं। उन्हें रु0 350-700 का वेतनमान दिया जाय। उन्हें पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं अतः उन्हें उपयुक्त सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जाय।

(17) प्रधानाचार्य दिगम्बर जैन बहुधन्धी संस्था बड़ौत (मेरठ)

(1) पदोन्नति के अवसर नहीं हैं अतः एक अवधि वेतनमान की व्यवस्था की जाय।

(2) 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद लेक्चरर को अगला उच्चतर वेतनमान दिया जाय।

(3) प्रत्येक वेतनमान के लिए एक सेलेक्शन ग्रेड होना चाहिए।

(4) इस संस्था के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से यह कहा जाता है कि वे 2-3 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कुछ प्राविधिक कार्य करें और उनसे रविवार और छुट्टियों में भी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है अतः उनके लिए उच्चतर वेतनमान की व्यवस्था की जाय।

(5) वर्कशाप अटेन्डेन्ट को उच्चतर वेतनमान दिया जाय।

(18) निदेशक हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर

(1) हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट जैसी संस्थाओं में संविदा-नियुक्तियां होनी चाहिए। ऐसे संविदा की अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। इससे कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी।

(2) दिनांक 1-8-72 के पूर्व अवर अभियंता (मेकेनिकल) का वेतनमान फोरमैन के समतुल्य था। पिछले वेतन आयोग ने अवर अभियन्ता (मेकेनिकल) का वेतनमान रु0 325—575 में पुनरीक्षित किया था और फोरमैन का वेतनमान रु0 350-700 में पुनरीक्षित किया था। अवर अभियन्ता (मेकेनिकल) को भी रु0 350-700 का वेतनमान दिया जाय।

(3) लोहार, ब्वायलर, अटेन्डेन्ट, टेलीफोन आपरेटर रु0 175-250 के वेतनमान में हैं। उनका वेतनमान रु0 200-320 में पुनरीक्षित किया जाय।

(4) इस समय कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन और ज्येष्ठ ड्राफ्ट्समैन रु0 280-460 के सामान्य वेतनमान में हैं। ज्येष्ठ ड्राफ्ट्समैन का वेतनमान कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन से उच्चतर होना चाहिए।

(5) अनुभाग प्रभारी (लेखा) का वेतनमान इस समय रु0 280-460 है। इस पद का वेतनमान रु0 300-500 के वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया जाय।

(6) भौतिकी इन्स्ट्रक्टर का वर्तमान वेतनमान उच्चीकृत किया जाय।

(7) सभी संवर्गों में 50 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें।

(8) राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पैटर्न पर नगर प्रतिकर भत्ता मिलना चाहिए।

(9) इस संस्था के कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता दिया जाय।

(10) छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा उन कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए जिनके वेतनमान की अधिकतम धनराशि रु0 1000 से अधिक हैं।

(19) प्रधानाचार्य मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद

(1) इस कालेज में ड्राफ्ट्समैन का पद अध्यापन वाला पद है। वे छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं और ट्यूटोरियल और इन्स्ट्रक्शन शीट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट्समैन के पांच पद रु0 325-575 के वेतनमान में हैं। किन्तु उनको पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अतः ड्राफ्ट्समैन के एक पद पर रु0 450-700 के सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय।

(2) ज्येष्ठ पुस्तकालय सहायक इस समय रु0 300-500 के वेतनमान में हैं। इस पद का वेतनमान हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट में ज्येष्ठ पुस्तकालय सहायक के रु0 350-700 के वेतनमान के समान होना चाहिए।

(20) प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर

(1) लेखाकार का वेतनमान रु0 140–280 है जिसे अभी तक पुनरीक्षित नहीं किया गया है। उसे रु0 280–460 का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाय।

(2) प्रधानाचार्य के आशुलिपिक का वेतनमान रु0 300–500 के स्थान पर रु0 350–700 में पुनरीक्षित किया जाय। इसी प्रकार आशुलिपिक-टंकक (स्टेनो-टाइपिस्ट) का वेतनमान रु0 250–425 के स्थान पर रु0 300–500 में पुनरीक्षित किया जाय।

(3) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान रु0 280–460 के स्थान पर रु0 450–850 में पुनरीक्षित किया जाय।

(4) स्टोर कीपर इस समय रु0 230–385 के वेतनमान में है। उसे रु0 280–460 का उच्चतर वेतनमान दिया जाय।

(5) इलेक्ट्रीशियन रु0 185–265 के वेतनमान में है उसे भी रु0 200–320 का वेतनमान दिया जाय।

(6) रु0 165–215 के वेतनमान में कार्यरत प्रयोगशाला अटेन्डेन्ट, वर्कशाप अटेन्डेन्ट/स्टोर मेट को उच्चतर वेतनमान दिया जाय।

(7) बुक लिफ्टर के लिए इस समय रु0 165–215 और रु0 170–225 के दो वेतनमान हैं। इस पद के लिए रु0 170–225 का समान वेतनमान दिया जाय।

(8) रु0 280–460 के वेतनमान में कार्यरत पी0 टी0 इन्स्ट्रक्टर को रु0 300–500 का वेतनमान दिया जाय।

(9) प्रयोगशाला सहायक इस समय रु0 200–320 के वेतनमान में है। उन्हें रु0 280–460 का वेतनमान दिया जाय।

(21) कुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय

(1) हेड कम्प्यूटर (सिस्टम) का पद अध्यापन का पद माना जाय और रु0 1500–2500 का वेतनमान (प्रोफेसर के वेतनमान के समतुल्य) दिया जाय।

(2) निदेशक, कन्टीन्यूइंग एजूकेशन को रु0 1500–2500 का वेतनमान दिया जाय।

(3) इस विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्य की प्रकृति और महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उच्चतर वेतनमान दिया जाय।

(4) इस समय विभागाध्यक्षों को दिन प्रतिदिन के कार्य में सहायता देने के लिए कोई ज्येष्ठ अधिकारी नहीं है। बड़े-बड़े विभागों में एक कार्यालय अधीक्षक और एक लेखाकार दिया जाय और छोटे-छोटे विभागों में उपर्युक्त दोनों पद में से एक पद दिया जाय।

(5) रुड़की विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर वही है जो आई0 टी0 आई0 कानपुर में है। कुछ लिपिकीय पदों के लिए उच्चतर वेतनमान दिया जाय। इसी प्रकार वेतनमान के संबंध में प्राविधिक कर्मचारिवर्ग को आई0 आई0 टी0 कानपुर से समानता दी जाय। कनिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक और ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद जो इस समय क्रमशः रु0 280–460 और 250–425 के वेतनमान में हैं, संविलीन कर दिये जायं और उनके लिए एक सामान्य वेतनमान की व्यवस्था की जाय।

(6) डीन छात्र कल्याण का पद पूर्णकालिक पद है। पिछले उत्तर प्रदेश वेतन आयोग ने इस पद के वेतनमान (रु0 1100–1600) को पुनरीक्षित नहीं किया है। इस पद के वेतनमान को रु0 1500–2500 में पुनरीक्षित किया जाय।

(7) पेपर टेक्नालोजी संस्थान, सहारनपुर ने डिग्री स्तर की शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे अध्यापकों को जो डिग्री स्तर की शिक्षा के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर चुके हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिये जायं। इस संस्था में कतिपय अध्यापन के पद जो रिक्त हैं/भविष्य में रिक्त हों, अर्ह व्यक्तियों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों में भरे जायं।

7.72 हमने जो प्रश्नावली जारी की है उसके उत्तर में प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सचिव ने निम्नलिखित सुझाव दिये :–

(1) बहुधन्धी संस्था के प्रधानाचार्य का वेतनमान रु0 900–1600 है और उसके लिए रु0 1200–1800 रु0 का सेलेक्शन ग्रेड भी है। जबकि प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सचिव का वेतनमान केवल रु0 800–1450 है। इस पद के कर्तव्यों और दायित्वों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए रु0 1400–1800 का वेतनमान दिया जाय।

(2) बहुधन्धी संस्थाओं में अध्यापक वर्ग के वेतनमान के संबंध में प्रोफेसर नाग चौधरी समिति की रिपोर्ट (1976) स्वीकार की जाय।

(3) प्राविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने यह संस्तुति की है कि प्राविधिक संस्थाओं को वही प्रास्थिति दी जाय जो विश्वविद्यालयों को दी गयी है। उपर्युक्त संस्तुतियों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए और "समान कार्य के लिए समान वेतन" जैसे अन्य तर्कों और प्राविधिक शिक्षा के महत्व को उद्धृत करते हुए निम्नलिखित वेतनमान प्रस्तावित किये गये :

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान रु0	वेतनमान दिनांक 1-4-79 से रु0
	रु0	
सचिव	800–1450	2200–2500
अतिरिक्त सचिव	900–1600 (विचाराधीन)	1500–2500
सहायक प्रोफेसर	650–1300 (विचाराधीन)	1200–1900
उप सचिव	550–1200	1200–1900
शोध सहायक	550–1200 (विचाराधीन)	700–1600
सहायक सचिव	450–850	1000–1350
परीक्षा अधीक्षक	400–750	1000–1350
ज्येष्ठ लेखाकार	350–700	500–1000
कार्यालय अधीक्षक	400–550	500–1000
अनुभाग प्रभारी (सेक्शनइंचार्ज)	350–700	500–1000
ज्येष्ठ सहायक (गोपनीय)	300–500	350–700

बजट लिपिक	280-460	300-500
आशुलिपिक	250-425	300-500
उपलेखक प्रालेखक/ लेखाकार/रोकड़िया/ कनिष्ठ सहायक	250-425	300-500
स्टोर कीपर/नैत्यक श्रेणी लिपिक/कार्यालय लिपिक टंकक	200-320	280-460

7.73 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने दिनांक 4-12-79 और 12-1-80 में अपने पत्र/कतिपय सुझाव दिये जिसमें उन्होंने वेतनमानों की असंगतियां इंगित की। उन्होंने यह सूझाव दिया कि विभाग में वर्तमान वेतनमानों को पहले प्रोफेसर नाग चौधरी समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 1-4-1979 से पुनरीक्षित किया जाय और तत्पश्चात् वेतन आयोग विभिन्न वेतनमानों को पुनरीक्षित करे। निदेशक ने यह भी सुझाव दिया कि बहुधंधी संस्थाओं में विभिन्न पदों के वेतनमानों की रचना हेतु प्राविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की संस्तुतियों को स्वीकार किया जाय। उत्तर सम्भागीय मुद्रण संस्था, इलाहाबाद के संबंध में निदेशक ने यह सुझाव दिया कि लेक्चरर (विज्ञान एवं ह्यूमैनिटीज) को वही वेतनमान दिया जाय जो बहुधन्धी संस्थाओं में लेक्चरर (अप्राविधिक) को अनुमन्य है और राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर में प्रधानाचार्य और अधीक्षक के वर्तमान वेतनमानों और राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के इसी प्रकार के पदों के वेतनमानों की तुलना में जो असंगति है उसे दूर किया जाय।

7.74 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने यह भी सुझाव दिया कि राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में चर्म प्रौद्योगिकी के सभी इन्स्ट्रक्टरों को उनके वर्तमान तीन वेतनमानों के स्थान पर रु0 325-575 के एक ही वेतनमान में रखा जाय। इसी प्रकार राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में इंजीनियरिंग के प्रधान इन्स्ट्रक्टर को वही वेतनमान दिया जाये जो बहुधन्धी संस्थाओं में वर्कशाप अधीक्षक को अनुमन्य है। उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में रु0 300—500 के वेतनमान में जो वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर को वही वेतनमान दिया जाये जो बहुधन्धी संस्थाओं में वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर को दिया गया है। निदेशक ने निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और कतिपय लिपिकीय पदों के वेतनमान में असंगतियां इंगित की। विभिन्न असंगतियों को दूर करने के लिये निदेशक ने विभिन्न पदों के लिये दिनांक 1-4-79 से निम्नलिखित वेतनमान प्रस्तावित किये और यह सुझाव दिया कि आयोग इन वेतनमानों का और आगे पुनरीक्षण करे :—

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान जिसके आधार	दिनांक 1-4-79 से प्रस्तावित वेतनमान जिसके आधार पर और आगे पुनरीक्षण किये जाने की मांग की गई है
1	2	3	4
		रु0	रु0
	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय		
1	निदेशक	1600—2000 2200—2500 (पूर्ववर्ती)	2250—2750
2	संयुक्त निदेशक	1150—1700	2200—2500
3	उप निदेशक	900—1600 1400—1800 (सेलेक्शन ग्रेड)	1500—2500
4	सहायक निदेशक	550—1200	1200—1900
5	प्रोफेसर शोध विकास और प्रशिक्षण संस्थान	800—1450 650—1300	1500—2500
6	पाठ्य पुस्तक अधिकारी	650—1300	1200—1900
7	प्रधान सहायक	400—550	450—700
8	कार्यालय अधीक्षक	400—550	450—700
9	सहायक कार्यालय अधीक्षक	280—460	300—500
10	ज्येष्ठ आलेखक और प्रालेखक	250—425	280—460
11	ज्येष्ठ संपरीक्षक	300—500	350—700
12	कनिष्ठ संपरीक्षक	250—425	280—460
13	स्टैटिस्टीशियन	250—425	400—750

1	2	3	4
		रु0	रु0
	बहुधन्धी संस्थायें		
1	प्रधानाचार्य	900—1600 1200—1800 (सेलेक्शन ग्रेड)	1500—2500
2	प्रशिक्षण और सेवायोजन अधिकारी/प्रशिक्षण और प्लेशमेन्ट अधिकारी ।	450—950	1200—1900
3	विभागाध्यक्ष	650—1300	1200—1900
4	लेक्चरर	550—1200	700—1600
5	वर्कशाप अधीक्षक	550—1200	700—1600
6	लेक्चरर, हिन्दी, राजकीय महिला बहुधन्धी संस्था, लखनऊ ।	400—750	700—1600
7	लेक्चरर, अंग्रेजी	400—750	700—1600
8	कनिष्ठ लेक्चरर, सामान्य विज्ञान, राजकीय बहुधन्धी संस्थान, उत्तर काशी, द्वारहाट ।	400—750	700—1600
9	कनिष्ठ लेक्चरर, भौतिकी विज्ञान, राजकीय बहुधन्धी संस्था, उत्तर काशी, द्वारहाट ।	400—750	700—1600
10	कनिष्ठ लेक्चरर, अंग्रेजी, राजकीय बहुधन्धी संस्था, उत्तर काशी, द्वारहाट ।	400—750	700—1600
11	कनिष्ठ लेक्चरर, भाषा, राजकीय बहुधन्धी संस्था, उत्तर काशी, द्वारहाट, लोहाघाट ।	400—750	700—1600
12	कनिष्ठ लेक्चरर, कास्ट्यूम, डिजाइन और ड्रेस निर्माण, राजकीय बहुधन्धी संस्था, बिजनौर ।	400—750	700—1600
13	लेक्चरर, गणित, राजकीय बहुधन्धी संस्था, गोरखपुर ।	400—750	700—1600
14	कनिष्ठ लेक्चरर, कास्ट्यूम, डिजाइन और ड्रेस निर्माण पाठ्य विवरण, राजकीय महिला बहुधन्धी संस्था, लखनऊ ।	400—750	700—1600
15	कनिष्ठ लेक्चरर, वाणिज्य, राजकीय महिला बहु-धन्धी संस्था, लखनऊ ।	400—750	700—1600
16	कनिष्ठ लेक्चरर, हिन्दी, अंग्रेजी, राजकीय बहुधन्धी संस्था, लोहाघाट ।	400—750	700—1600
17	कनिष्ठ लेक्चरर, फार्मेसी, राजकीय बहुधन्धी संस्था, उत्तर काशी, लोहाघाट ।	400—750	700—1600
18	कनिष्ठ लेक्चरर, वाणिज्य, (कार्मशियल प्रैक्टिस, सिलैबस), राजकीय बहुधन्धी संस्था, उत्तर काशी, द्वारहाट ।	400—750	700—1600

1	2	3	4
		रु0	रु0
	2—राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर		
1	प्रधानाचार्य	1400—1800	2200—2500
2	प्रोफेसर	1150—1700	1500—2500
3	सहायक प्रोफेसर	800—1450	1200—1900
4	उप प्रधानाचार्य	550—1200	1200—1900
5	लेक्चरर, आठ पद	400—750	700—1600
6	फोरमैन, वीविंग स्पिनिंग ड्राइंग	350—700	400—750
7	ज्येष्ठ इन्स्ट्रक्टर, टेक्सटाइल टेस्टिंग, वीविंग/स्पिनिंग इन्जीनियरिंग ।	350—700	400—750
8	प्राविधिक सहायक	350-700	400-750
9	डिमान्स्ट्रेटर, वीविंग/स्पिनिंग	350-700	400-750
10	इन्स्ट्रूमेन्ट मेकेनिक	280—460	325—575
11	हैण्डलूम इन्स्ट्रक्टर/ब्लैक स्मिथ इन्स्ट्रक्टर/स्पिनिंग फोरमैन ।	200—320	325—575
12	भौतिक विज्ञान और गणित सहायक/कनिष्ठ इन्स्ट्रक्टर, रसायन विज्ञान/इन्चार्ज टेस्टिंग लेबोरेटरी ।	300—500	325—575
	3—उत्तर सम्भागीय मुद्रण संस्थान, इलाहाबाद		
1	प्रधानाचार्य	800—1450	1500—2500
2	विभागाध्यक्ष	550—1200	1200—1900
3	लेक्चरर	400—750	700—1600
4	लेक्चरर विज्ञान	400—750	700—1600
5	डिमान्स्ट्रेटर	325—575	400—750
6	कनिष्ठ इन्स्ट्रक्टर	300—500	325—575
	4—राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर		
1	प्रधानाचार्य	800—1450	1500—2500
2	विभागाध्यक्ष	550-1200	1200-1900
3	कनिष्ठ लेक्चरर वाणिज्य और औद्योगिक अर्थशास्त्र	400—750	700—1600
4	लेक्चरर शैक्षिक विषय	400—750	700—1600
5	ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर, सुपरवाइजर/लेदर इन्स्ट्रक्टर	300—500 200—320	325—575
	5—राजकीय चर्म संस्थान, आगरा		
1	प्रधानाचार्य	800—1450	1500—2500
2	लेक्चरर	550—1200	700—1600
3	लेक्चरर औद्योगिक अर्थशास्त्र और अंग्रेजी	400—750	700—1600
4	लेक्चरर विज्ञान	400—750	700—1600
5	लेक्चरर गणित	400—750	700—1600
	6—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक संस्थान		
1	प्रधानाचार्य/एस0 टी0 एस0 के अध्यक्ष और इन्स्ट्रक्टर, इन्जीनियरिंग	550—1200	700—1600
2	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर एस0 टी0 एस0	300—500	325—575
3	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर, ड्राइंग	300—500	325—575

7.75 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा जब हमारे समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होंने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये :—

(1) प्लेसमेन्ट अधिकारी का वर्तमान वेतनमान रु0 400–750 है। इस पद के लिए रु0 550–1200 का वेतनमान दिया जाये।

(2) अर्ह ड्राफ्टसमैन और अनर्ह ड्राफ्टसमैन के वेतनमानों को एक समान न किया जाये। ड्राफ्टसमैन के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिये उनके लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाये।

(3) आई0 टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारकों और बहुधन्धी संस्थानों के डिप्लोमा धारकों के वेतनमानों में अन्तर को बढ़ाये रखा जाये।

(4) डिप्लोमा धारक इन्स्ट्रक्टरों और बी0 एस-सी0 उत्तीर्ण इन्स्ट्रक्टरों के लिए एक सामान्य वेतनमान होना चाहिए। इसी प्रकार राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों तथा बहुधन्धी संस्थाओं में वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर के लिये एक सामान्य वेतनमान होना चाहिये।

(5) अध्यापन वाले पदों के लिए उच्चतर वेतनमान होना चाहिए ताकि उन्हें अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

(6) राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में विज्ञान स्नातक कनिष्ठ लेक्चरर को रु0 300—550 के वेतनमान के स्थान पर रु0 325–575 का उच्चतर वेतनमान दिया जाये।

(7) लेक्चरर (अप्राविधिक) के लिये विभागाध्यक्ष का पद सृजित न किया जाय।

(8) सहायक निदेशक का वेतनमान बहुधंधी संस्थाओं में विभागाध्यक्ष के वेतनमान के समतुल्य अर्थात रु0 650–1300 होना चाहिए।

(9) कनिष्ठ लेक्चरर, आशुलिपिक के रु0 300--550 के वर्तमान वेतनमान को रु0 550–1200 में उन्नत किया जाये।

(10) केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, पेपर टेक्नालोजी संस्थान और चर्म संस्थान जैसी अन्य प्राविधिक संस्थाओं के लेक्चरर (अप्राविधिक) का वेतनमान रु0 550–1200 किया जाये जैसा बहुधन्धी संस्थाओं में लेक्चरर (अप्राविधिक) को अनुमन्य है।

(11) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा का वेतनमान निदेशक, शिक्षा के वेतनमान के समतुल्य होना चाहिए

7.76 हमने निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, कुलपति रुड़की विश्वविद्यालय, निदेशक, हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, प्राविधिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों और विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों/सुझावों पर सावधानी से विचार किया है। इनके बारे में एतद्पश्चात संक्षेप में विचार किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय

7.77 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के वेतनमान के प्रश्न पर "सामान्य कोटि के पदों" के एक अलग अध्याय में विचार किया गया है। हम निदेशक से सहमत हैं कि सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा का वेतनमान बहुधन्धी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों के वेतनमान के समान होने चाहिए जो कि इस समय रु0 650–1300 है। तदनुसार हमने इन पदों के लिये रु0 1000–1900 सामान्य वेतनमान की संस्तुति की है।

7.78 हमें प्लेसमेन्ट आफीसर के वेतनमान को विशेषकर पद के लिए निर्धारित अर्हता अर्थात् स्नातक डिग्री को ध्यान में रखते हुए, उन्नत करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। यदि इस पद के लिये न्यूनतम अर्हता बिजिनेस मैनेजमेन्ट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री निर्धारित की जाती है तो शासन इस पद के वेतनमान को बढ़ाकर रु0 850–1720 करने के प्रश्न पर विचार करना चाहे।

7.79 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग-2 में दिये गये हैं।

प्राविधिक शिक्षा परिषद्

7.80 प्राविधिक शिक्षा परिषद् प्राविधिक शिक्षा अधिनियम (1962 का सत्रह) की धारा 4 के अधीन स्थापित की गयी। यह परिषद् बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर स्थापित की गयी है और इसे प्राविधिक शिक्षा के अधीन प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलापों के संचालन का कार्य सौंपा गया है। यह परिषद् राज्य में प्राविधिक शिक्षा का विकास करने के लिये उत्तरदायी है और प्राविधिक शिक्षा के विकास के संबंध में शासन को परामर्श देती है। शासन के सचिव (प्राविधिक शिक्षा) प्राविधिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष हैं।

7.81 प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन विभिन्न पदों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि परिषद् के कर्तव्यों की प्रकृति उत्तरदायित्व और कार्यभार को देखते हुए परिषद् के सचिव के पद का वेतनमान बहुधन्धी संस्था के प्रधानाचार्य के वेतनमान के समतुल्य होना चाहिए। हम इस तर्क का कोई औचित्य नहीं पाते हैं कि उसके कर्तव्य, उत्तरदायित्व और कार्यभार की तुलना हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट शिक्षा परिषद् के सचिव के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व और कार्यभार से की जा सकती है। जहां तक प्राविधिक शिक्षा परिषद में कार्यरत विभिन्न कोटि के कर्मचारियों के प्रोन्नति के अवसरों का संबंध है, हमने प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया है और इस खण्ड के भाग-2 में जहां कहीं आवश्यक है हमने उपर्युक्त सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति की है।

राजकीय बहुधन्धी संस्थायें, राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर और आगरा, उत्तर सम्भागीय मुद्रण संस्थान, इलाहाबाद, पेपर टेक्नालोजी संस्थान, सहारनपुर, राजकीय वस्त्र संस्थान, कानपुर, राजकीय महिला बहुधन्धी संस्था और राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय

7.82 हमने प्राविधिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों और विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये प्रस्तावों का परीक्षण किया है। हम इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अर्ह और अनर्ह ड्राफ्टसमैन को समान वेतन

मान दिया जाय । इसी प्रकार हम उन पदों के लिये समान वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करने में असमर्थ हैं जिनके लिये न्यूनतम अर्हता डिप्लोमा है या आई0 टी0 आई0 का प्रमाण-पत्र है । डिप्लोमा 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है जब कि प्रमाण-पत्र दो या डेढ़ वर्ष का पाठ्यक्रम है । इस सुझाव में बल है कि डिप्लोमा धारक अध्यापकों और विज्ञान स्नातक अध्यापक (चाहे उनका पदनाम कुछ भी हो) के वेतनमान समान होने चाहिए । अतः हमने उपर्युक्त दोनों ही कोटि के इंस्ट्रक्टर कनिष्ठ लेक्चरर के लिये सामान्य वेतनमान की संस्तुति की है ।

7.83 हम इस सुझाव से सहमत होने में असमर्थ हैं कि राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में विज्ञान स्नातक इंस्ट्रक्टर को बहुधन्धी संस्थाओं के लेक्चरर (अप्राविधिक) के वेतनमान के समतुल्य वेतनमान दिया जाय । दोनों कोटि की संस्थाओं में अध्यापन के स्तर में बहुत अन्तर है । माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में विज्ञान स्नातक इंस्ट्रक्टर, स्नातक डिग्री धारक हैं जबकि प्राविधिक संस्थाओं में लेक्चरर (अप्राविधिक) स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं । तथापि हम यह महसूस करते हैं कि उनके रु0 300–550 के वर्तमान वेतनमान को रु0 325–575 के वेतनमान में कार्यरत इंस्ट्रक्टर के समान किया जाय । हम राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय संघ के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि बहुधन्धी संस्थाओं में दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद इंस्ट्रक्टर की पदोन्नति रु0 550–1200 के वेतनमान में लेक्चरर (अप्राविधिक) के पद पर स्वतः हो जाय । दोनों संस्थाओं में अध्यापन के स्तर में काफी अन्तर है और विद्यालय में अध्यापन का अनुभव डिप्लोमा स्तर पर अधिक उपयोगी नहीं हो सकता है । तथापि यदि विज्ञान स्नातक इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर के लिये निर्धारित अर्हता अर्जित कर ले तो उसे इस पद पर सीधी भर्ती की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये आयु में पांच वर्ष तक की छूट दी जाय ।

7.84 जहां तक संघ द्वारा किये गये इस सुझाव का संबंध है कि प्राविधिक पक्ष के लेक्चररों के पैटर्न पर लेक्चरर (अप्राविधिक) के लिये भी विभागाध्यक्ष का पद सृजित किया जाय, हमने इस प्रश्न पर सावधानी से विचार किया है । ये प्राविधिक संस्थायें हैं और इनमें प्राविधिक लेक्चरर की संख्या इतनी अधिक है कि उससे प्रत्येक विभाग में एक ऐसी बड़ी इकाई बन जाती है, जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा समन्वयन और समग्र रूप से पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है । अप्राविधिक विषयों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विभाग में ऐसे विषय विशेष में एक या दो लेक्चरर हैं । तथापि हम सहमत हैं कि अप्राविधिक विषयों में भी अध्यापन कार्य में समन्वयन का कुछ प्रबन्ध होना चाहिए । कदाचित विभागाध्यक्ष (प्राविधिक) इस समय इस कार्य की देखरेख कर रहे हैं । अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से समन्वयन के लिये हम यह संस्तुति करते हैं कि ज्येष्ठतम लेक्चरर (अप्राविधिक) को बारी-बारी से विभागाध्यक्ष नामित किया जाय । हम यह भी संस्तुति करते हैं कि उन्हें इस कार्य के लिये रु0 50 प्रतिमास का भत्ता दिया जाय । तथापि न तो कोई व्यक्ति तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक विभागाध्यक्ष बना रहे और न किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे एक बार विभागाध्यक्ष के रूप से नियुक्त किया जाय सिवाय उसकी अधिवर्षता या अन्य अप्रत्याशित परिस्थिति में उसके कार्य काल में पद से हटाया जाय । हम यह भी संस्तुति करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपनी संस्था में एक बार विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो, उसी संस्था में उसी पद पर द्बारा नियुक्त न किया जाय । हम सहमत हैं कि वस्त्र, कागज और चर्म संस्थान जैसी प्राविधिक संस्था में लेक्चरर (अप्राविधिक) का वेतनमान बहुधन्धी संस्थाओं की भांति लेक्चरर (प्राविधिक) के वेतनमान के समतुल्य होना चाहिए । तदनुसार हमने ऐसे लेक्चरर के लिये भी समान वेतनमानों की संस्तुति की है ।

उत्तर सम्भागीय मुद्रण संस्थान, इलाहाबाद

7.85 इस संस्थान के लेक्चरर्स ने भी रु0 550–1200 के वेतनमान की मांग की है जो बहुधन्धी संस्थाओं में लेक्चरर को अनुमन्य है । यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुद्रण प्रौद्योगिकी की डिग्री भारत में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जाती है । अतः मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री धारक इस पद के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं और न सरकार धारकों से यह आशा करेगी कि वे विदेश के किसी विश्वविद्यालय से इस विषय में डिग्री प्राप्त करें । इस देश में इस विषय में डिग्री पाठ्यक्रम की अनुपलब्धता के विशिष्ट कारणों को ध्यान में रखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि इस संस्थान में लेक्चरर्स को बहुधन्धी संस्थाओं के लेक्चरर के समान वेतनमान तब दिया जाय जब वे संस्थान में लेक्चरर के रूप में 5 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर लें । जो लेक्चरर इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वे निम्नतर ग्रेड में ही कार्य करते रहें ।

7.86 इस संस्थान में विभागाध्यक्ष के तीन पद हैं जो रु0 550–1200 के वेतनमान में हैं । हमने इस संस्थान में विभागाध्यक्षों का बहुधन्धी संस्थाओं में समान पदों के वेतनमानों से समानता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया है । इस समय ये पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । इस संस्थान में लेक्चरर्स के लिये पदोन्नति के अवसर नहीं हैं । अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि विभागाध्यक्ष का पद लेक्चरर में से पदोन्नति द्वारा भरा जाय और उसे रु0 1000–1900 का उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

7.87 प्रधानाचार्य के लिये उच्चतर वेतनमान दिये जाने का मामला भी हमारे समक्ष रखा गया । इस पद के लिये न्यूनतम अर्हता विभागाध्यक्ष के पद के समान है सिवाय इसके कि प्रधानाचार्य के लिये अपेक्षित अनुभव आठ वर्ष है जबकि विभागाध्यक्ष के लिये पांच वर्ष है । इन परिस्थितियों में हम यह महसूस करते हैं कि प्रधानाचार्य के लिये रु0 800–1450 का वेतनमान पर्याप्त है । तथापि इस बात को देखते हुए कि भारत में डिग्री प्रदान नहीं की जाती है और यह एक विशेषीकृत विषय है, प्रधानाचार्य को रु0 1360–2125 का वेतनमान दिया जाय, जब वह प्रधानाचार्य के रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ले ।

केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर

7.88 निदेशक ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान यह सुझाव दिया कि उप प्रधानाचार्य को जो इस

समय रु0 550-1200 के वेतनमान में हैं सहायक प्रोफेसर के समान वेतनमान दिया जाय। हमने इस प्रश्न का परीक्षण किया है और यह पाया कि इन दोनों पदों के लिये आधारित अर्हता लगभग एक ही है। उप प्रधानाचार्य का पद प्रशासनिक पद है और उनके उत्तरदायित्व भी बढ़े हुए हैं। अतः हम उसके लिये सहायक प्रोफेसर के समान रु0 1000-1900 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

7.89 प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर और निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने यह सुझाव दिया है कि फोरमैन, इन्जीनियरिंग वर्कशाप और फोरमैन, बीविंग/स्पिनिंग/ड्राइंग के वेतनमान समान हों। हमने इस विषय का परीक्षण किया है और पाया है कि फोरमैन (इन्जीनियरिंग वर्कशाप, बीविंग, स्पिनिंग और ड्राइंग) के सभी चारों पदों की निर्धारित अर्हता समान हैं और उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी लगभग समान हैं। ये फोरमैन अपनी-अपनी वर्कशाप के प्रभारी हैं। अतः हम उनके लिये दो पृथक वेतनमान रखे जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। तदनुसार हम फोरमैन के इन सभी चारों पदों के लिये रु0 625-1170 के सामान्य वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

7.90 मेकेनिकल असिस्टेंट, हैंडलूम इंस्ट्रक्टर ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, स्पिनिंग फोरमैन सेकेन्ड और थर्ड ड्राइंग असिस्टेन्ट, फर्स्ट और सेकेन्ड असिस्टेन्ट, प्रिंटिंग इंस्ट्रक्टर और ब्लाक कटिंग इंस्ट्रक्टर के पद रु0 200-320 के वेतनमान में हैं। इन सभी पदों के लिये अर्हता ट्रेड प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है। रु0 230-385 के वेतनमान में डिजाइनर और फोरमैन बीविंग के दो अन्य पद हैं जिनके लिये अर्हतायें समान हैं। चूंकि उनके पास संबंधित ट्रेड का प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का अनुभव है और इस संगठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है अतः हम उन सभी के लिये रु0 400-615 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

पेपर टेक्नालाजी संस्थान, सहारनपुर

7.91 भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान और ह्यूमैनिटीज में कनिष्ठ इन्सट्रक्टर रु0 400—750 के वेतनमान में हैं, जिनकी स्नातकोत्तर अर्हता है। हम प्राविधिक और प्राविधिक पक्ष में अध्यापक वर्ग के बीच असमानता के प्रश्न पर पहले ही विचार कर चुके हैं। अतः यह संस्तुति की जाती है कि कनिष्ठ इन्स्ट्रक्टर का वेतनमान कनिष्ठ इन्स्ट्रक्टर (प्राविधिक) के वेतनमान के समान किया जाय।

7.92 वर्कशाप इन्सट्रक्टर रु0 325—575 और 300—500 के वेतनमान में हैं। इन्स्ट्रूमेन्टेशन और मेकेनिक शाप में वर्कशाप में वर्कशाप इन्सट्रक्टर रु0 325—575 के वेतनमान में हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वेल्डिंग शाप, ब्लैक स्मिथ शाप, मेन्टिनेन्स शाप, हाइड्रोलिक्स लेबोरेटरी, कारपेन्टरी शाप, में इन्सट्रक्टर रु0 300—500 के वेतनमान में हैं। वर्कशाप इन्सट्रक्टर के दोनों वर्गों के लिये भिन्न-भिन्न अर्हतायें निर्धारित हैं। इन्स्ट्रूमेन्टेशन और मशीन शाप के लिये न्यूनतम अर्हता डिप्लोमा है जबकि अन्य इन्सट्रक्टर के लिये आई0 टी0 आई0 का प्रमाण-पत्र तथा हाई स्कूल की वैकल्पिक अर्हता भी है। दोनों के सम्बन्ध में अर्हता तथा अपेक्षित अनुभव की अवधि में अन्तर है, अतः हम वर्कशाप इन्सट्रक्टर के दोनों वर्गों के वेतनमान में समानता दिये जाने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

7.93 विभाग द्वारा हमें जो विवरण-पत्र भेजा गया है उसमें यह विदित होगा कि लेक्चरर (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) का एक पद रु0 550—1200 के वेतनमान में है। लगभग समान अर्हता के साथ उसी वेतनमान में कनिष्ठ इन्सट्रक्टर (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) का भी एक पद है। अधिकांश पदों का पद नाम जूनियर इन्सट्रक्टर है, अतः इस पद का नाम लेक्चरर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार लेक्चरर (गणित) का एक पद रु0 400-750 के वेतनमान में है और जिसके लिये वही अर्हताएं हैं जो कनिष्ठ इंस्ट्रक्टर (गणित) की है और जिसके लिये हम कनिष्ठ इंस्ट्रक्टर (प्राविधिक) के समतुल्य वेतनमान की संस्तुति कर चुके हैं। इस पद का पदनाम भी बदलकर कनिष्ठ इंस्ट्रक्टर रखा जाय और तब उसे वही वेतनमान दिया जाय।

राजकीय चर्म संस्थान, आगरा और कानपुर

7.94 दोनों ही संस्थाओं में रु0 800-1450 के वेतनमान में प्रधानाचार्य के अलावा उप प्रधानाचार्य का एक पद है और कानपुर में विभागाध्यक्ष के दो पद हैं। कानपुर और आगरा में इंस्ट्रक्टर के पद रु0 325-575 के वेतनमान में हैं। तथापि आगरा में लेक्चरर के दो पद रु0 550-1200 के वेतनमान में हैं। आगरा में ज्येष्ठ इंस्ट्रक्टर का भी एक पद रु0 350-700 के वेतनमान में है। चर्म संस्थान, आगरा और कानपुर के प्रधानाचार्यों की यह दीर्घकालिक मांग है कि उन्हें बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के वेतनमान अर्थात रु0 900-1600 के बराबर वेतनमान दिया जाय। चर्म संस्थान, आगरा और कानपुर के इन प्रधानाचार्यों को निम्नतर वेतनमान इसलिए दिया गया था कि बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के लिए निर्धारित अर्हताओं की तुलना में उनकी अर्हतायें अपेक्षाकृत कम हैं। तथापि हम इस बात से अवगत हैं कि यद्यपि डिप्लोमा एक वैकल्पिक अर्हता किन्तु डिप्लोमा धारक के लिए यह आवश्यक है कि बी0 एस-सी0 हो तथा उसे अध्यापन का आठ वर्ष का अनुभव हो। यह एक बहुत ही विशेषीकृत ट्रेड है। उत्तर सम्भागीय मुद्रण संस्थान इलाहाबाद के प्रधानाचार्य की भांति चर्म संस्थान, आगरा और कानपुर के प्रधानाचार्य को भी रु0 1360-2125 का वेतनमान दिया जाय, जब वे प्रधानाचार्य के रूप में सात वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर लें।

7.95 इंस्ट्रक्टर के पांच पद हैं जिनकी अर्हता प्रमाण-पत्र है। इनमें से दो पद रु0 230-385 के वेतनमान में हैं और तीन पद रु0 200-320 के वेतनमान में हैं। वेतनमानों में इस अन्तर का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि सभी पांचों इंस्ट्रक्टर को रु0 400-615 का वेतनमान दिया जाय। चर्म संस्थान, कानपुर में इंस्ट्रक्टर (चर्म संस्थान) के दो पद रु0 200-320 के वेतनमान में हैं और असिस्टेन्ट टेक्नीशियन का एक पद समान अर्हता के साथ समान वेतनमान में है। इन पदों की अर्हता को ध्यान में रखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि सभी तीनों पद रु0 400-615 के वेतनमान में रखे जायं।

7.96 रु0 300–500 के वेतनमान में तीन पद हैं, जिनका पद नाम मशीन ग्लास इंस्ट्रक्टर, सेकेन्ड लेदर इंस्ट्रक्टर और पर्यवेक्षक हैं। इन पदों की भी वही अर्हतायें हैं, जो इंस्ट्रक्टर लेदर टेक्नालोजी के लिये निर्धारित हैं। हम यह संस्तुति करते हैं कि ये पद रु0 550–940 के वेतनमान में रखे जायं।

राजकीय महिला बहुधन्धी संस्था, लखनऊ

7.97 राज्य में अपने प्रकार की यह एक ही संस्था है जो कई व्यावसायिक ट्रेड में बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करती है। रेडियो इन्जीनियरिंग कला, वास्तु कला, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और कास्ट्यूम डिजाइन में लेक्चरर पहले ही से 550–1200 के वेतनमान में हैं। तथापि तीन पद, अर्थात लेक्चरर हिन्दी, लेक्चरर वाणिज्य और कनिष्ठ लेक्चरर कास्ट्यूम डिजाइन के पद रु0 400–750 के वेतनमान में हैं। लेक्चरर हिन्दी के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री तथा दो वर्ष का अनुभव है। चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। लेक्चरर वाणिज्य के पद के लिये अर्हता वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री तथा दो वर्ष का अनुभव है। इसी प्रकार कनिष्ठ लेक्चरर कास्ट्यूम डिजाइन के लिए निर्धारित अर्हता स्नातक डिग्री या समतुल्य डिग्री तथा कास्ट्यूम डिजाइन में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा कम से कम 66 प्रतिशत अंक के साथ तथा कास्ट्यूम डिजाइन और ड्रेस निर्माण का एक वर्ष का अनुभव है। इन तीनों पदों के लिए अर्हताएं बहुधन्धी संस्थाओं में लेक्चरर (अप्राविधिक) की अर्हताओं के समान हैं, जिन्हें लेक्चरर (प्राविधिक) से समानता देने की पहले ही संस्तुति की जा चुकी है। कास्ट्यूम डिजाइन और ड्रेस निर्माण एक विशेषज्ञता है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। जहां तक अन्य दो पदों का संबंध है, वे मुख्यतया आशुलिपिक पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। जैसा कि हमें बताया गया है, इस संस्था में आशुलिपिक पाठ्यक्रम प्राइवेट एजेन्सियों या कुछ इण्टरमीडिएट कालेजों द्वारा आयोजित साधारण आशुलिपिक पाठ्यक्रम से काफी भिन्न है। इस संस्था का यह पाठ्यक्रम सेक्रेटेरियल पाठ्य क्रम का अंग है। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि ये तीनों पद भी रु0 850–1720 के वेतनमान में रखे जायं।

बहुधन्धी संस्थायें

7.98 सरकार द्वारा संचालित बहुधन्धी संस्थाओं तथा सहायताप्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के वेतनमान समान हैं। इन बहुधन्धी संस्थाओं के मुख्य समस्याएं, जो हमारी नोटिस में लायी गयी हैं, उनके संबंध में नीचे विचार किया गया है :—

(क) इंस्ट्रक्टर के लिये पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम हैं। प्रत्येक संस्था में इंस्ट्रक्टर की संख्या 30 से अधिक है। सरकार ने प्रत्येक संस्था में रु0 450–700 के सेलेक्शन ग्रेड में दो पदों की स्वीकृति दी है, चाहे उस संस्था में इंस्ट्रक्टर की संख्या कुछ भी क्यों न हो। इंस्ट्रक्टर की आधारिक अर्हता इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा है। उन्हें चण्डीगढ़ में टी0 टी0 टी0 आई0 पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान की गयी है। यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वे रु0 550–1200 के वेतनमान में लेक्चरर (प्राविधिक) के पद पर नियुक्त किये जाने के पात्र हो जाते हैं। हमें यह सूचित किया गया है कि काफी अधिक संख्या में लेक्चरर इसी कोटि के लेक्चरर हैं। टी0 टी0 टी0 आई0 डिप्लोमा पहले 2 1/2 वर्ष की अवधि का होता था जिसे बाद में घटाकर 18 मास कर दिया गया। हमने टी0 टी0 टी0 आई0 प्रशिक्षण की विशेषता के प्रश्न पर कई जानकार व्यक्तियों से विचार विमर्श किया। हमें यह सूचित किया गया है कि पाठ्य चर्चा का लगभग 80 प्रतिशत अध्यापन के तरीके से संबंधित है और केवल 20 प्रतिशत प्राविधिक कौशल में वृद्धि से संबंधित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टी0 टी0 टी0 आई0 प्रशिक्षित व्यक्तियों को इंजीनियरिंग विभागों या सरकार द्वारा डिग्री धारक नहीं माना जाता सिवाय अध्यापन कार्य के लिये, हम यह समझते हैं कि यह डिप्लोमा धारकों के पक्ष में एक बड़ी बात है। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि रु0 325–575 के वेतनमान में कार्यरत इंस्ट्रक्टर के नियमित पदों के 15 प्रतिशत पद रु0 670–1070 के सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं। यह सेलेक्शन ग्रेड इन्जीनियरिंग इंस्ट्रक्टर और नान-इन्जीनियरिंग इंस्ट्रक्टर के संवर्गों में पृथक-पृथक अनुमन्य होना चाहिए। तथापि सेलेक्शन ग्रेड केवल तभी दिया जायेगा जब किसी इंस्ट्रक्टर ने विभाग/संस्था में इंस्ट्रक्टर के रूप में 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा कर ली हो।

(ख) कुछ संस्थाओं में ज्येष्ठ डिमान्स्ट्रेटर रु0 300–500 के वेतनमान में हैं। उनकी अर्हताएं वही हैं, जो इंस्ट्रक्टर की हैं। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि इन पदों का भी पदनाम इन्स्ट्रक्टर रखा जाय और उन्हें भी वही वेतनमान दिया जाय, क्योंकि दोनों पद के कार्य की प्रकृति और उत्तरदायित्व समान है और उस विषय के समग्र रूप से प्रभारी लेक्चरर हैं।

(ग) ज्येष्ठ लेक्चरर/विभागाध्यक्ष के पद रु0 650–1300 के वेतनमान में हैं। इस समय ये पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। चूंकि ज्येष्ठ लेक्चरर और लेक्चरर में लगभग 1 : 3 का अनुपात है अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि ज्येष्ठ लेक्चरर/विभागाध्यक्ष के पद गुणागुण और ज्येष्ठता के आधार पर लेक्चरर में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं।

(घ) इलेक्ट्रीशियन और कुशल कार्मिकों के पद भी हैं। ये सामान्य कोटि के पद हैं। हमने इनके बारे में "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में विचार किया है।

(ङ) गोरखपुर और लखनऊ की बहुधन्धी संस्थाओं में फर्स्ट मास्टर, सेकेण्ड मास्टर और थर्ड मास्टर के पद हैं। इन पदों के वेतनमान क्रमशः रु0 350–700 और 325–575 हैं। इस कोटि के अधिकांश पद रिक्त हैं और कुछ पदों पर अप्राविधिक और प्राविधिक अर्हता प्राप्त अध्यापक नियुक्त किये गये हैं। वे लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहे हैं, किन्तु उनका पद नाम फर्स्ट मास्टर, सेकेण्ड

मास्टर या थर्ड मास्टर ही बना हुआ है । इनमें से कुछ पद जो रिक्त हैं या तो समर्पित कर दिये जायं या स्थगित रखे जायं और लेक्चरर (प्राविधिक और अप्राविधिक) के पद निर्धारित मानक के अनुसार आवश्यकतानुसार सृजित किये जायं । ऐसे पद धारकों को जो राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये जायं और जो लेक्चरर के लिये अपेक्षित अर्हता रखते हैं, लेक्चरर का वेतनमान दिया जाय। फर्स्ट मास्टर, सेकेण्ड मास्टर और थर्ड मास्टर के पद पर कार्यरत वर्तमान धारक, जो नियमित, रूप से भर्ती नहीं किये गये हैं या जो अपेक्षित अर्हता नहीं रखते हैं, वर्तमान वेतनमानों में बने रहें । यदि बाद में वे लेक्चरर के पद के लिये राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिये जायं तो उन्हें लेक्चरर के पद का वेतनमान दिया जाय ।

(च) हम इस सुझाव का समर्थन नहीं करते कि बहुधन्धी संस्था इलाहाबाद के प्रधानाचार्य का पद अन्य बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के वेतनमान से उच्चतर होना चाहिए, किन्तु इस बहुधन्धी संस्था के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि शासन इस संस्था के लिये उप प्रधानाचार्य का एक पद सृजित करना चाहें । हम यह मांग भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न बहुधन्धी संस्थाओं और प्राविधिक संस्थाओं के अध्यापक वर्ग के वेतनमान प्राविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर होने चाहिए । उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वेतनमान राज्य में वेतन ढांचे की सामान्य योजना तथा राज्याधीन विभिन्न पदों के बीच वर्तमान समस्तरीय/उध्वधिर सापेक्षताओं के अनुरूप ही हो सकते हैं ।

(छ) पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के वेतनमान किसी तर्कसंगत आधार पर निर्धारित नहीं किये गये प्रतीत होते हैं । हमने वेतनमान प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है और हमने "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में विभिन्न विभागों में पुस्तकालयाध्यक्षों के लिये उपयुक्त वेतनमानों की संस्तुति की है ।

(ज) उत्तर प्रदेश प्राविधिक अध्यापक संघ ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में यह बताया है कि मोल्डिंग इंस्ट्रक्टर का पद रु0 200–320 के वेतनमान में है । यह वेतनमान उस समय स्वीकृत किया गया जब पद के लिये अर्हता संबंधित ट्रेड में प्रमाण-पत्र थी । उन्होंने यह मांग की कि चूंकि इस पद के लिये न्यूनतम अर्हता अब डिप्लोमा है अतः उन्हें रु0 325–575 का वेतनमान दिया जाय । हमने इस विषय का परीक्षण किया है । असंगति समिति ने यह संस्तुति की थी कि इस पद पर कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं और तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक हैं, रु0 325–575 का वेतनमान दिया जाय । हमारा यह मत है कि यदि असंगति समिति की संस्तुति अब तक कार्यान्वित नहीं की गयी है तो उसे कार्यान्वित किया जाय, किन्तु ऐसे मामलों को, जो डिप्लोमा अर्हता प्राप्त हैं, रु0 550–940 का वेतनमान दिया जाय, किन्तु ऐसे धारकों को, जो डिप्लोमा अर्हता प्राप्त नहीं हैं, रु0 354–550 के वेतनमान में बने रहेंगे ।

7.99 हमने विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान तथा जहां कहीं आवश्यक है, सेलेक्शन ग्रेड इस खण्ड के भाग 2 में दिये हैं ।

हारकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट से भिन्न इन्जीनियरिंग कालेज

7.100 शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग के वेतनमान सामान्य पैटर्न के आधार पर हैं । संघ/इन्जीनियरिंग कालेजों के प्रधानाचार्यों ने जिन कतिपय समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और जो मांग प्रस्तुत की हैं उन पर नीचे विचार किया गया है :—

(1) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के मैकेनिक ग्रेड एक को रु0 200–320 और 280–460 के वेतनमान अनुमन्य हैं । रु0 200–320 के वेतनमान में ग्रेड-ए मैकेनिक के पदों के लिये निर्धारित अर्हता कक्षा 8 तथा आई0 टी0 आई0 का प्रमाण-पत्र और दो वर्ष का अनुभव है जबकि रु0 280–460 के वेतनमान के पदों के लिये निर्धारित अर्हता हाई स्कूल तथा डिप्लोमा/आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा धारकों के लिये दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव तथा प्रमाण-पत्र धारकों के लिए पांच वर्ष का अनुभव है । इस पद के लिये निर्धारित अर्हता को ध्यान में रखते हुए रु0 280–460 का वेतनमान जिसे अब 470–735 में पुनरीक्षित किया गया है उस मैकेनिक ग्रेड-1 के लिये पर्याप्त है जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं तथा डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा 2/5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है किन्तु ऐसे मैकेनिक ग्रेड-ए को जो रु0 200–320 के वेतनमान में कार्य कर रहे हैं और जिसकी ऊपर उल्लिखित अपेक्षाकृत निम्नतर अर्हतायें हैं, रु0 400–615 का उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया जाय ।

(2) कनिष्ठ वर्कशाप इंस्ट्रक्टर को रु0 325–575 और रु0 300–500 के वेतनमान अनुमन्य हैं । जो कनिष्ठ वर्कशाप इंस्ट्रक्टर रु0 325–575 के वेतनमान में हैं, उनकी अर्हता संबंधी ट्रेड में डिप्लोमा तथा दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है । जो कनिष्ठ वर्कशाप इंस्ट्रक्टर रु0 300–500 के वेतनमान में हैं उनके लिये निर्धारित अर्हता हाई स्कूल तथा संबंधित ट्रेड में प्रमाण-पत्र और पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है । पदों के लिये निर्धारित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए उनका अनुमन्य वेतनमान पर्याप्त हैं । तथापि हम कनिष्ठ वर्कशाप इंस्ट्रक्टर पद के लिये दो वेतनमान और दो प्रकार की अर्हताओं का औचित्य नहीं पाते हैं। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि भविष्य में केवल ऐसे डिप्लोमाधारकों को ही, जिन्हें दो वर्ष का अनुभव भी हो, कनिष्ठ वर्कशाप इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्त किया जाय और रु0 550–940 का वेतन-

मान दिया जाय । वर्तमान पदधारक हमारे द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमानों में ही बने रहें ।

(3) मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज में मेकेनिक ग्रेड-बी के आठ पद रु0 185-265 के वेतनमान में हैं । इस पद के लिए निर्धारित अर्हता प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है। निर्धारित अर्हता को ध्यान में रखते हुए हम इन पदों के लिये रु0 354-550 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं ।

(4) मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज में ज्येष्ठ इंस्ट्रक्टर/डिमांस्ट्रेटर/ज्येष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक/ज्येष्ठ वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर के 18 पद रु0 350-700 के वेतनमान में हैं । इन पदों के लिये निर्धारित अर्हता विज्ञान में स्नातक डिग्री या ट्रेड में इन्जीनियरिंग डिप्लोमा तथा प्रयोगशाला में तीन वर्ष के कार्य का अनुभव है । सामान्यतया डिप्लोमा धारकों को रु0 300-500 या रु0 325-575 का वेतनमान स्वीकृत किया जाता है । वे पहले ही से अच्छी स्थिति में हैं । अतः इन पदों के वेतनमान को और उच्चीकृत करने का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

(5) मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के लेखाकार के पद का वेतनमान दिनांक 1-8-1972 से पूर्व रु0 140-280 था, जो अभी तक पुनरीक्षित नहीं किया गया है । इस पद के लिए निर्धारित अर्हता स्नातक डिग्री तथा चार वर्ष का अनुभव है ! आयोग किसी पद के वेतनमान को पूर्वगामी प्रभाव से पुनरीक्षित करने पर विचार नहीं कर रहा है । तथापि हम निर्धारित अर्हता अनुभव और कर्तव्यों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस पद के लिये रु0 470-735 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं ।

(6) स्टोर कीपर के पद का वेतनमान रु0 230-385 है और निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट है। इस पद के वेतनमान को उच्चीकृत करने का कोई औचित्य नहीं है ।

(7) इलेक्ट्रिशियन के पद के लिए दो वेतनमान रु0 185-265 और 200-320 हैं । दोनों पदों के लिये निर्धारित अर्हता कक्षा 8 तथा ट्रेड प्रमाण-पत्र और एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है । हम इलेक्ट्रिशियन के पद के लिए दो पृथक्-पृथक् वेतनमानों का औचित्य नहीं पाते हैं और यह संस्तुति करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन के दोनों पदों के लिये रु0 354-550 का वेतनमान स्वीकृत किया जाय ।

(8) प्रयोगशाला अटेण्डेन्ट, वर्कशाप अटेण्डेन्ट और स्टोर मेट और इस प्रकार के अन्य पदों का वेतनमान रु0 165-215 है । यह एक सामान्य वेतनमान है जो अन्य संगठनों में भी अनमन्य है । अतः हम इन पदों के वेतनमान को उच्चीकृत करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं ।

(9) बुक लिफ्टर के पद के लिये निर्धारित अर्हता कक्षा 8 है । बुक लिफ्टर के पद के कार्य और कर्तव्यों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए हम इस पद के लिये रु0 300-440 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं ।

(10) पी0 टी0 इंस्ट्रक्टर के पद का वेतनमान रु0 280-460 है । सामान्यतया पी0 टी0 इंस्ट्रक्टर का वेतनमान रु0 250-425 होना चाहिए । इस संगठन के अधीन पी0 टी0 इंस्ट्रक्टर पहले ही से अपेक्षाकृत अच्छे वेतनमान में हैं । अतः हम इस पद के वेतनमान को उच्चीकृत करने की संस्तुति नहीं करते हैं ।

(11) प्रयोगशाला सहायक के पद का वेतनमान रु0 200—320 है और इस पद के लिये निर्धारित अर्हता इंटरमीडिएट (विज्ञान) है । हम इस पद के वेतनमान को उच्चीकृत करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं ।

(12) हम प्रधानाचार्य के आशुलिपिक के लिये रु0 622—940 और अन्य स्टेनो टाइपिस्ट के लिये रु0 515-840 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं ।

(13) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सामान्य कोटि का पद है और "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में हमारी संस्तुतियां इस पद पर भी लागू होंगी ।

(14) मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में ड्राफ्ट्समैन के पांच पद रु0 325—575 के वेतनमान में हैं । इस समय उन्हें पदोन्नति के लिए कोई उच्चतर पद उपलब्ध नहीं है । हम इस संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दिए गये इस सुझाव से सहमत हैं कि ड्राफ्ट्समैन का एक पद सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय, अतः हम तदनुसार संस्तुति कर रहे हैं ।

(15) मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में ज्येष्ठ पुस्तकालय सहायक का पद रु0 300—500 के वेतनमान में है । इस पद के लिये निर्धारित अर्हता स्नातक डिग्री तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र है । हम इस पद के लिये रु0 515—840 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं ।

हरकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इन्स्टीट्यूट

7.101 हमने कतिपय प्राविधिक पदों के वेतनमानों के संबंध में हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक द्वारा किये गये विभिन्न प्रस्तावों का परीक्षण किया है । अन्य विभागों में अवर अभियन्ता के वेतनमान को ध्यान में रखते हुए इस संस्था में अवर अभियन्ता (मेकेनिकल) के वेतनमान (रु0 325-575) को उच्चीकृत करने की आवश्यकता नहीं है । चूंकि यह एकल (आइसोलेटेड) पद है और इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिये पदोन्नति के अवसर नहीं हैं अतः एकल पदों के बारे में हमारी संस्तुतियां इस पद के संबंध में भी लागू होंगी ।

7.102 इस समय कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन और ज्येष्ठ ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान समान हैं, ज्येष्ठ ड्राफ्ट्समैन के लिये निर्धारित अर्हता कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के लिये निर्धारित अर्हता

से अधिक है और इस पद के लिए तीन वर्षों का अनुभव भी निर्धारित है अतः हम ज्येष्ठ ड्राफ्ट्समैन के पद के लिए रु0 550–940 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं ।

7·103 टेलीफोन आपरेटर, लोहार, मिस्त्री, ट्रेड्स-मैन और फर्नेस आपरेटर के पद के लिये निर्धारित अर्हता विभिन्न ट्रेड में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र तथा कम से कम एक वर्ष का अनुभव है । हमने इस खण्ड के भाग 2 में इन पदों के लिये उपयुक्त उच्चतर वेतनमानों की संस्तुति की है ।

रुड़की विश्वविद्यालय

7·104 हमने रुड़की विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सुझावों/प्रस्तावों के संबंध में उनसे ब्योरेवार विचार विमर्श किया है । विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में हमारी संस्तुतियां इस प्रकार हैं :—

(1) कम्प्यूटर सिस्टम का अध्यक्ष रु0 1200–1900 के वेतनमान में है यह मामला अब भी विचाराधीन है कि इस पद को अध्यापन का पद माना जाय या नहीं । चूंकि उक्त पद धारक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में हैं, अतः हम इस पद के वेतनमान के संबंध में कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं ।

(2) इस विश्वविद्यालय में निदेशक, अनवरत शिक्षा (कन्टीन्युइंग एजूकेशन) का एक पद है । पहले इस पद का नाम निदेशक, नवीकरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) था और उसका वेतनमान रु0 750–1400 था । पिछले वेतन आयोग ने इस वेतनमान को इस परिकल्पना के आधार पर पुनरीक्षित नहीं किया कि यह अध्यापन का पद है । कुलपति ने यह सूचित किया है कि इस पद के कर्तव्यों की प्रकृति इन्जीनियरिंग से संबंधित अध्यापन के पदों के समान है । विभाग ने इस पद के बारे में निर्धारित प्रोफार्मा में कोई सूचना नहीं दी है । किन्तु पद का वेतनमान अध्यापन के पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप नहीं है । यदि यह पद शिक्षणेतर पद माना जाय तो हम इसके लिए रु0 1360–2125 का वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करते हैं ।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का एक पद है । यह पद वर्ष 1971 में रु0 1100–1600 के वेतनमान में सृजित किया गया था । इस पद का वेतनमान अभी तक पुनरीक्षित नहीं किया गया है और इस पद को रु0 1500–2500 के वेतनमान में रखने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पत्र व्यवहार हो रहा है । सामान्यतया छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का कार्य किसी प्रोफेसर को उसके अपने कार्य के अतिरिक्त अंशकालिक कार्य के रूप में सौंपा जाता है । इस विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष पद नाम से एक पृथक पद सृजित किया गया है । यह अध्यापन का पद नहीं है । तथापि हम इस पद के लिये रु0 1540–2200 का पुनरीक्षित वेतनमान दे रहे हैं ।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष का पद "सामान्य कोटि का पद है" । अतः इसके बारे में "सामान्य कोटि पद" के अध्याय में विचार किया गया है ।

7·105 आई0 आई0 टी0, कानपुर नामक संस्था भारत सरकार के अधीन है अतः हम रुड़की विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतनमानों की तुलना आई0 आई0 टी0, कानपुर के कर्मचारियों के वेतनमान से करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं । तथापि कतिपय पदों के वेतनमानों के संबंध में हमारी संस्तुतियां इस प्रकार हैं :—

(1) प्रयोगशाला प्राविधिक के विभिन्न पदनाम हैं और इस समय इसके लिये चार भिन्न वेतनमान हैं। ज्येष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक और कनिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक क्रमशः रु0 350–700 और रु0 280–460 के वेतनमान में हैं जबकि ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक क्रमशः रु0 250–425 और 200–320 के वेतनमान में हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति का यह विचार था कि कनिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक और ज्येष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक के पद एक ही में संविलीन कर दिये जायं। कनिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक के लिये निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा आई0 टी0 आई0 पाठ्यक्रम और दस वर्ष का अनुभव है और ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद के लिये निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा आई0 टी0 आई0 पाठ्यक्रम और पांच वर्ष का अनुभव है । ये पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । इस पद के लिये निर्धारित अर्हता तथा इसके कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि कनिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक और ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद का पदनाम प्रयोगशाला प्राविधिक रखा जाय और उसका वेतनमान रु0 470–735 रखा जाय । ज्येष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक को अनुमन्य वेतनमान उच्चतर है । पदधारक दीर्घकाल से अपेक्षाकृत अच्छा वेतनमान पा रहे हैं अतः हम उनके वेतनमान को घटाने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं। रु0 350–700 के वेतनमान में ज्येष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक (पैथोलोजी) के पद के लिये निर्धारित अर्हता हाई स्कूल और पैथालोजी में प्रमाण-पत्र तथा तीन वर्ष का अनुभव है । यह पद भी सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। हम इस पद की प्रास्थिति को कम करने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं किन्तु हम यह संस्तुति करते हैं कि सरकार को इस मामले का पुनः परीक्षण करना चाहिए तथा कोई उपयुक्त उच्चतर अर्हतायें निर्धारित करनी चाहिए।

(2) ज्येष्ठ पुस्तकालय सहायक के पद के लिये रु0 230–385 और 200–320 के दो वेतनमान हैं । दोनों ही पदों के लिये निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र तथा पांच वर्ष का अनुभव है । हम ज्येष्ठ पुस्तकालय सहायक के लिये दो वेतनमान रखने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं । अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि ज्येष्ठ पुस्तकालय सहायक के दोनों पदों के लिये रु0 400–615 का वेतनमान दिया जाय।

(3) ज्येष्ठ आशुलिपिक का पद रु0 300–500 के वेतनमान में है और आशुलिपिक का पद रु0 250–425 के वेतनमान में है । हमारी सामान्य संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति से सम्बद्ध

आशुलिपिक को रु0 622–940 का वेतनमान और अन्य आशुलिपिकों को रु0 515–840 का वेतनमान दिया जाय।

7.106 सामान्य कोटि के पद के संबंध में हमारी सामान्य संस्तुतियों के सन्दर्भ में इस विश्वविद्यालय के लिपिकीय पदों, अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल पदों के वेतनमानों का उपयुक्त पुनरीक्षण किया गया है।

खेल कूद निदेशालय

7.107 खेलकूद संबंधी कार्यकलाप पहले उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् के नियंत्रणाधीन थे। अप्रैल, 1974 में एक निदेशालय संगठित किया गया और खेलकूद से संबंधित कर्मचारी वर्ग इस निदेशालय को स्थानान्तरित किया गया और कर्मचारियों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की गयी। इस संगठन के अध्यक्ष निदेशक हैं जो रु0 900–1600 के वेतनमान में हैं, तथा रु0 200 प्रतिमास का विशेष वेतन पाते हैं। उनकी सहायता के लिये तीन उप निदेशक रु0 800–1450 के वेतनमान में हैं और अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग भी हैं। तीन सम्भागीय खेलकूद अधिकारी रु0 650–1300 के वेतनमान में हैं और आठ सम्भागीय खेलकूद अधिकारी रु0 550–1200 के वेतनमान में हैं। इनके अलावा छः राजपत्रित खेलकूद अधिकारी भी रु0 450–950 के वेतनमान में हैं और 17 उप खेलकूद अधिकारी रु0 400–750 के वेतनमान में हैं।

7.103 आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में निदेशक ने यह इंगित किया कि सम्भागीय खेलकूद अधिकारी ग्रेड-1 (रु0 650–1300) के 2 पदों को ग्रेड-2 (रु0 550–1200) में परिवर्तित कर दिया गया है। जिला स्तर पर भी रु0 550–1200 के वेतनमान में प्रभारी अधिकारी का एक पद रु0 450–950 के वेतनमान में खेलकूद अधिकारी के छः पद और रु0 400–750 के वेतनमान में उप खेलकूद अधिकारी के 9 पद के अतिरिक्त कानपुर में रु0 800–1450 के वेतनमान में उप निदेशक का एक पद है। निदेशक, खेलकूद ने वर्ष 1979 के दौरान विभाग की उपलब्धियों के बारे में एक टिप्पणी भी प्रस्तुत की। उन्होंने यह कहा कि सम्भागीय खेलकूद अधिकारियों और खेल कूद अधिकारियों को निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जाय क्योंकि निदेशालय के प्रबन्धाधीन 12 स्टेडियम हैं और 14 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं और ये सम्भागीय खेलकूद अधिकारियों/खेलकूद अधिकारियों की देख रेख में हैं जो यह कार्य अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त करते हैं।

7.109 निदेशक ने यह भी संस्तुति की है कि निदेशालय में आशुलिपिक जो इस समय रु0 250–425 के वेतनमान में हैं, उन्हें रु0 300–500 का वेतनमान दिया जाय। उन्होंने आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि निदेशक के वैयक्तिक सहायक रु0 500–750 के वेतनमान का अधिकतम पा रहे हैं अतः उनका ग्रेड उच्चीकृत किया जाय। आयोग के समक्ष उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि ज्येष्ठ लिपिक/लेखाकार जो इस समय रु0 230–385 के वेतनमान में हैं, उनके वेतनमान को उन्नत करके ज्येष्ठ उप लेखक और प्रालेखक के वेतनमान के समतुल्य किया जाय। निदेशक ने दृढ़ धारणा व्यक्त की कि विभाग में शिक्षकों (कोचेज) की संख्या बहुत ही कम है अतः उसमें बढ़ोत्तरी की जाय। निदेशक ने यह भी इंगित किया कि उनका विभाग ग्राम्य खेलकूद को भी वित्तपोषित करता है। जिला में प्रादेशिक विकास दल इन ग्राम्य खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। निदेशक ने यह इंगित किया कि उनके विभाग का शिक्षा विभाग से कोई तालमेल नहीं है सिवाय इसके कि शैक्षिक संस्थाओं से खिलाड़ियों के चयन में उनके विभाग के अधिकारियों से परामर्श किया जाता है। निदेशक ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि खेलकूद अधिकारी/सम्भागीय खेलकूद अधिकारी को पदोन्नति के अवसर दिए जायं और वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक उप लेखक और प्रालेखक, ज्येष्ठ लिपिक के पदों को उन्नत किया जाय और सम्भागीय खेलकूद अधिकारी के लिये निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाय।

7.110 वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, उप लेखक और प्रालेखक ज्येष्ठ लिपिक के पद सामान्य कोटि के पद हैं और उनके बारे में संगत अध्याय में विचार किया गया है।

7.111 जहां तक सम्भागीय खेलकूद अधिकारी/खेलकूद अधिकारी के लिये निःशुल्क आवास की सुविधा दिये जाने का संबंध है हम यह पाते हैं कि इन अधिकारियों को जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं वे इस प्रकार के नहीं हैं कि वे कार्यस्थल पर चौबीस घन्टे स्वयं उपस्थित रहें प्रत्येक स्टेडियम के लिए चौकीदार के पद हैं। अतः हम निःशुल्क आवास की सुविधा दिए जाने की मांग को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

7.112 जहां तक खेलकूद अधिकारी/सम्भागीय खेलकूद अधिकारी को पदोन्नति के अवसर दिए जाने का संबंध है, ये पद राज्य लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। रु0 400–750 के वेतनमान में उप खेलकूद अधिकारी शत प्रतिशत सीधे भर्ती किये जाने चाहिए। अब तक उनके पद तदर्थ आधार पर भर्ती द्वारा भरे गये हैं और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित रूप से चयन अभी होना शेष है। यह बात उच्चतर पदों के सम्बन्ध में भी सच है जहां 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि नियमित नियुक्तियां अभी होनी शेष हैं, वृद्धि अवरोध और पदोन्नति न होने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

7.113 जहां तक विभाग में शिक्षकों (कोचेज) की संख्या अपर्याप्त होने का संबंध है, यह बात आयोग के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः शासन को इस विषय में अलग से विचार करना चाहिए।

7.114 हमारी यह धारणा है कि इस समय खेलकूद संबंधी कार्यकलाप का जो आयोजन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है, उसे एक ही विभाग द्वारा किया जाना चाहिए और उसका विश्वविद्यालयों, कालेजों और विद्यालयों के खेलकूद संबंधी कार्यकलाप से समन्वय होना चाहिए जिससे कि समेकित योजना तैयार की जा सके तथा कार्यान्वित को जा सके।

7.115 हमने इस खण्ड के भाग 2 में पुनरीक्षित वेतनमानों को प्रदर्शित किया है।

अध्याय–आठ

सांस्कृतिक कार्य विभाग

सांस्कृतिक कार्य विभाग एक पृथक विभाग के रूप में 1957 में स्थापित किया गया था। इस विभाग के निदेशक आई० ए० एस० के उच्च वेतनमान (सीनियर स्केल) के अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिये मुख्यालय पर रु0 800–1450 के वेतनमान में एक उप निदेशक हैं जो विभागीय अधिकारी हैं और जिन्हें 150 रु0 प्रतिमास का विशेष वेतन मिलता है। निदेशक, सांस्कृतिक कार्य ने अलग से कोई सुझाव नहीं दिया, किन्तु आयोग के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य में उन्होंने सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के अधीनस्थ विभिन्न संगठनों में कतिपय पदों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। जहां तक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का संबंध है, हमने वेतनमानों का जो सामान्य प्रतिरूप बनाया है उसके अनुसार हम पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने की संस्तुति कर रहे हैं।

8.2 हाल ही में इस विभाग में एक नई प्रशाखा (विंग) बढ़ाई गई है जिसमें पुरावशेष के रजिस्ट्रीकरण का कार्य होता है। सम्भागीय (रीजनल) रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को तथा उनकी सहायता करने के लिये कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इस विभाग ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते आदि के बारे में कोई सुझाव नहीं दिए हैं। अन्यथा भी इस योजना के अधीन कर्मचारिवर्ग को दिये गये वेतनमानों में हम कोई असंगति नहीं पाते हैं।

8.3 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अधीन निम्नलिखित संगठन/संस्थायें हैं :—

(1) राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ।

(2) राज्य अभिलेखागार, लखनऊ।

(3) राज्य संग्रहालय लखनऊ, मथुरा और झांसी।

(4) भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ।

(5) राजकीय वास्तुकला विद्यालय, लखनऊ।

ऊपर उल्लिखित संगठनों/संस्थाओं के संबंध में हमारे समक्ष जो महत्वपूर्ण बातें उठाई गयी हैं उनके बारे में आगे चलकर विचार किया गया है।

राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ

8.4 पुरातत्व विभाग 1958 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। इस विभाग के प्रभारी एक पुरातत्व अधिकारी थे और उनकी सहायता के लिये एक पुरातत्व सहायक, एक ओवरसियर, एक ड्राफ्ट्समैन, एक फोटोग्राफर और एक रसायनविद (केमिस्ट) था। तब से इस विभाग का विस्तार हो गया है और इस समय इसमें 900–1600 रु0 के वेतनमान में एक निदेशक, 550–1200 रु0 के वेतनमान में एक उत्खनन और सर्वेक्षण (एक्सकवेशन एण्ड सर्वे) अधिकारी और 800–1450 रुपये के वेतनमान में एक उप निदेशक हैं। इसके अलावा पुरातत्व सहायक, पब्लिसिटी असिस्टेन्ट, प्रकाशन सहायक, पर्यवेक्षण सहायक संरक्षण (कन्जरवेशन) सहायक–जैसे बहुत से अ(जूनियर) पद तथा समूह 'ग' और समूह 'घ' के पद हैं।

8.5 निदेशक ने आयोग के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(क) निदेशक का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए;

(ख) पुरातत्व सहायक 450–850 रु0 के वेतनमान में हैं, जबकि सर्वेक्षण (सर्वे) सहायक इसी प्रकार की अर्हतायें होने पर भी 400–750 रु0 के वेतनमान में हैं। ये सभी पद एक ही वेतनमान में होने चाहिए;

(ग) फोटोग्राफर का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए;

(घ) संरक्षण सहायक का वेतनमान 300–500 रु0 है जो कि बढ़ाया जाना चाहिए।

8.6 हमने पूर्वोक्त बातों का सावधानी से परीक्षण किया है। पहले जो पुरातत्व अधिकारी का पद था उसी का वर्तमान पदनाम निदेशक है। पिछले वेतन आयोग (1971–73) की रिपोर्ट से पूर्व यह पद 600–1250 रु0 के वेतनमान में था। सामान्यतया प्रतिस्थापन वेतनमान (रिप्लेसमेन्ट) 800–1450 रु0 होना चाहिए था, किन्तु इस पद के लिये विहित अर्हतायें और अनुभव तथा इसके उत्तरदायित्व के स्वरूप और विस्तार को देखते हुए आयोग ने 900–1600 रु0 के उच्चतर वेतनमान दिये जाने को संस्तुति की थी। निदेशक, सांस्कृतिक कार्य ने हमारे समक्ष अपने साक्ष्य यह बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पुरातत्व विभाग के कार्यकलाप कई गुना बढ़ गये हैं। इस पद के लिए विहित अर्हताएं काफी उच्च हैं और तदनुसार निदेशक का वेतनमान और भी पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। अपनी मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत के सन्दर्भ में राज्य में पुरातत्व संबंधी खुदाई और सर्वेक्षण के महत्व को देखते हुए हम इस पद के लिये 1540–2200 रु0 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

8.7 इस तर्क में बल है कि सर्वेक्षण सहायक और पुरातत्व सहायक एक ही वेतनमान में होने चाहिए क्योंकि उनकी अर्हतायें एक ही सी हैं और उनके कार्य भी लगभग समान बताये जाते हैं। तदनुसार हम सर्वेक्षण सहायकों और पुरातत्व सहायकों को एक ही वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करते हैं।

8.8 जहां तक फोटोग्राफर के वेतनमान के प्रश्न का संबंध है, हमने इस संगठन में फोटोग्राफर के कार्य और दायित्व के स्वरूप की तुलना में स्थिति का परीक्षण किया है और हम इस पद के लिये 515–840 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। इसी प्रकार हम रसायनविद् (केमिस्ट) के लिये जिसकी अर्हता बी0 एस-सी0 है, 470–735 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। संरक्षण (कन्जरवेशन) सहायक के तीन पद हैं जो 300–500 के वेतनमान में हैं और जिनके लिये न्यूनतम

तम अर्हता इण्टरमीडियेट और तीन वर्ष का अभियंत्रण डिप्लोमा है। निदेशक ने यह बतलाया कि इसके अलावा संरक्षण सहायक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षण विज्ञान में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना पडता है। हमारा विचार है कि इस पद का वेतनमान कुछ उच्चतर होना चाहिए, अतः हम इसके लिये 550–940 रु0 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

8.9 हम अन्य किसी पद का वेतनमान उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। सामान्य कोटि के पदों के बारे में 'सामान्य कोटि के पद' से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमानों तथा चयन श्रेणियों (सेलेक्शन ग्रेड) को, जहां कहीं भी आवश्यक है. इस खण्ड के भाग 2 में दिया गया है।

राज्य अभिलेखागार

8.10 इस संगठन के प्रधान एक निदेशक हैं जो रु0 800–1450 के वेतनमान में हैं। निदेशक की सहायता के लिए एक सहायक निदेशक रु0 500–1000 के वेतनमान में हैं तथा इसके अलावा अन्य कर्मचारी वर्ग है। रु0 500–1000 के वेतनमान में तीन सम्भागीय (रीजनल) अभिलेखागार अधिकारी इलाहाबाद, वाराणसी और नैनीताल में हैं। इलाहाबाद में एक पांडुलिपि पुस्तकालय है, जो पांडुलिपि अधिकारी के अधीन है। यह अधिकारी रु0 500–1000 के वेतनमान में है और उनके साथ दो प्राविधिक सहायक हैं जो रु0 400–750 के वेतनमान में हैं। इनमें से एक प्राविधिक सहायक संस्कृत के लिये और दूसरा फारसी के लिये है। इस संगठन में किसी भी पद के संबंध में विभाग द्वारा कोई सुझाव/प्रस्ताव नहीं दिये गये हैं। हमने अपनी ओर से इस संगठन के अधीन विभिन्न पदों के लिये विहित अर्हताओं का परीक्षण किया है। हमने यह देखा है कि पिछले वेतन आयोग (1971–73) ने निदेशक और सहायक निदेशक के वेतनमानों को उन्नत (अपग्रेड) किया था। हमें इस संगठन में किसी भी पद को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का कोई औचित्य दिखाइ देता है।

8.11 हम विभिन्न पदों के लिये वेतनमानों तथा जहां कहीं भी आवश्यक है, चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) की संस्तुति इस खण्ड के भाग 2 में कर रहे हैं।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ, मथुरा और झांसी

8.12 राज्य संग्रहालय, लखनऊ में प्राणि-शास्त्र प्राक्-इतिहास (प्रि-हिस्ट्री) सिक्कनें, मूर्तियों, मिट्टी के बर्तनों, पांडुलिपियों, छापों, फोटोग्राफों, आयुधों, वाद्य यन्त्रों, चित्रों आदि से संबंधित पुरावशेष हैं। इस संग्रहालय में एक अच्छा पुस्तकालय है। यह संग्रहालय विद्वानों को अनुसंधान संबंधी सुविधायें भी प्रदान करता है। इस संग्रहालय का अपना प्रतिरूपण अनुभाग (माडेलिंग सेक्शन), फोटोग्राफी प्रयोगशाला, रसायनिक प्रयोगशाला और वर्कशाप है। इस संग्रहालय का सबसे उच्च अधिकारी निदेशक है जो रु0 900–1600 के वेतनमान में हैं। उनकी सहायता के लिये वेतनमान रु0 550–1200 में एक मुद्राशास्त्र अधिकारी और एक प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रु0 450–850 में, चार सहायक निदेशक वेतनमान रु0 450–850 में, रसायनविद् और प्राविधिक सहायक तथा इनके अतिरिक्त अन्य कर्मचारिवर्ग हैं।

8.13 निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने हमें एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(1) निदेशक के पद के लिये ज्येष्ठ प्रोफेसर के पद का वेतनमान दिया जाना चाहिए ;

(2) मुद्रा शास्त्र अधिकारी (न्यूमेस्मेटिक आफिसर) को प्रोफेसर का वेतनमान दिया जाना चाहिए ;

(3) प्रशासनिक अधिकारी को रीडर का वेतनमान दिया जाना चाहिये। विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार जो इसी प्रकार का कार्य करता है, रीडर से उच्चतर वेतनमान में है।

(4) सहायक निदेशक, रसायनविद् (केमिस्ट) (मुद्राविद) (न्यूमिस्मेटिस्ट) प्राविधिक सहायक चित्रीकरण प्राविधिक (इंचार्ज फोटोग्राफिक सेक्शन), माडेलर के वेतनमान रीडर के पद के वेतनमान के समान होने चाहिए।

(5) रसायन सहायक, फोटोग्राफर-कम-आर्टिस्ट, प्रदर्शक व्याख्याता (गाइड लेक्चरर) पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के वेतनमान लेक्चरर के वेतनमान के समान होना चाहिए।

(6) प्रकाशन सहायक, मुद्राशास्त्र सहायक (न्यूमिस्मेटिक असिस्टेन्ट), वीथिका सहायक (गैलरी असिस्टेन्ट), प्रधान लिपिक, आशुलिपिक, लेखाकार, स्वागती (रिसेप्शनिष्ट), भण्डारी एवं अवधाता (स्टोर कीपर-कम-केयर टेकर) के पद के लिये रु0 500–1000 का वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(7) चर्मपूरक (ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ), रोकड़िया (कैशियर), लिपिक, बुकिंग क्लर्क, संग्रहालय सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, फोटो प्रयोगशाला सहायक, माडेलिंग वर्कशाप असिस्टेन्ट, कैबिनेट-कम-पेडेस्टल मेकर, माडेलर-कम-डायरमा मेकर, वर्कशाप मिस्त्री लिये रु0 300–500 के वेतनमान की संस्तुति की की गयी है।

(8) लिफ्टमैन-कम इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, मार्क्समैन, जिल्दसाज, दफ्तरी और जमादार के पद के लिए रु0 300–500 के वेतनमान की संस्तुति की गयी है।

(9) वर्ग 4 के अन्य पदों के लिये रु0 250–425 का वेतनमान दिया जाय।

8.14 राज्य संग्रहालय, मथुरा, तत्कालीन कलेक्टर एफ0 एस0 ग्राउस द्वारा 1874 में स्थापित किया गया था, जो इस देश के एक प्रमुख पुरातत्व संग्रहालय के रूप में विकसित हो गया है। यह बताया जाता है कि इस संग्रहालय में कुषाण और गुप्त कालके पुरातत्व संबंधी प्रादर्शों तथा मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है। यह संग्रहालय एक निदेशक के प्रभार में है जो रु0 650–1300 के वेतनमान में हैं। उन्हें इस वेतनमान के अलावा 150 रुपया प्रतिमास का विशेष वेतन मिलता है। उनकी सहायता के लिये रु0 450–850 के वेतनमान में एक सहायक निदेशक तथा रु0 450–850 के ही वेतनमान में एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और इसके अलावा अन्य सहायक

कर्मचारी वर्ग भी है। 1 अप्रैल, 1979 को कर्मचारियों की कुल संख्या 46 थी। राज्य संग्रहालय, मथुरा के निदेशक ने आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। निदेशक ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं :–

(1) लखनऊ और मथुरा में जो दो राज्य संग्रहालय हैं उन्हें विश्वविद्यालय के विभाग के रूप में समझा जाना चाहिए और तदनुसार इनके विभिन्न पदों को विश्वविद्यालय में तुलनीय पदों के समान किया जाना चाहिए;

(2) निदेशक के पद को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के समान किया जाना चाहिए। वह स्नातक स्तर से लेकर डाक्टर आफ लिटरेचर स्तर तक विभिन्न विश्वविद्यालयों का परीक्षक भी हैं;

(3) दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित संग्रहालय के निदेशक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के लगभग समान हैं। सम्भागीय अधिकारी के रूप में उसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना पड़ता है;

(4) सहायक निदेशक के पद को विश्वविद्यालय के रीडर के पद के समान किया जाना चाहिए। उनकी आधारिक अर्हतायें निदेशक के समान हैं और अन्तर केवल उनके प्रशासनिक तथा व्यावहारिक अनुभव में ही है;

(5) प्रशासनिक अधिकारी को रु0 850–1400 का वेतनमान दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन दक्षतापूर्वक कर सके;

(6) मूर्तिकार (माडेलर) का वेतनमान रु0 350–700 से पुनरीक्षित करके रु0 650–1300 किया जाना चाहिए;

(7) रसायनविद (केमिस्ट) का वेतनमान रु0 300–550) राज्य संग्रहालय, लखनऊ के रसायन सहायक (केमिकल असिस्टेन्ट) के वेतनमान (रु0 350–700) से भी कम है। यह असंगति दूर की जानी चाहिए और उनके वेतनमान समान किये जाने चाहिए;

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान (रु0 300–550) हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर के पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान (रु0 700–1250) के समान किया जाना चाहिए;

(9) प्रदर्शक व्याख्याता (गाइड लेक्चरर) के पद (रु0 300–550) के लिये महाविद्यालयों (डिग्री कालेजों) के लेक्चरर के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए;

(10) फोटोग्राफर के लिये पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं अतः उसके लिये रु0 450–850 के वेतनमान की संस्तुति की गयी है;

(11) वीथिका सहायक (गैलरी असिस्टेन्ट) के पद (250–425) के लिए 450–850 रु0 के वेतनमान की संस्तुति की गई है;

(12) समूह 'ग' और 'घ' के अन्य पदों के लिए उच्चतर वेतनमानों की संस्तुति की गई है।

8.15 राज्य संग्रहालय, झांसी अभी स्थापित किया जा रहा है। इस संग्रहालय के ज्येष्ठतम अधिकारी निदेशक हैं, जो 650–1300 रु0 के वेतनमान में हैं और इनकी सहायता के लिये थोड़े से कर्मचारिवर्ग हैं। निदेशक को सम्मिलित करके कर्मचारियों की कुल संख्या दस है। संग्रहालय के निदेशक ने आयोग को अपना कोई अलग नोट प्रस्तुत नहीं किया किन्तु वे राज्य संग्रहालय लखनऊ के निदेशकों सहित आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

8.16 राज्य संग्रहालय, लखनऊ के संग्रहालय संघ ने भी आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस ज्ञापन का सारांश नीचे दिया गया है :–

(क) कानपुर विश्वविद्यालय ने राज्य संग्रहालय को प्राचीन भारतीय इतिहास में पी0 एच0 डी0 की डिग्री के लिए अनुसंधान केन्द्र के रूप में मान्यता दे दी है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त संग्रहालय संबंधी विशेषज्ञ सर्वेक्षण समिति (1955-56) तथा संग्रहालय संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् (1955) ने राज्य संग्रहालय की उपयोगिता को समझा और इसके कर्मचारियों के लिए विशेष वेतनमानों की संस्तुति की।

(ख) विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों का सुझाव दिया गया :–

(1)–निदेशक–प्रास्थिति में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से किसी भी प्रकार कम नहीं है और उसका वेतनमान प्रोफेसर के वेतनमान के समान रखा जाना चाहिए,

(2) सहायक निदेशक (450–850 रु0) इनका वेतनमान विश्वविद्यालय के रीडर के पद के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए,

(3) लेखाकार (230–385 रु0) इसका वेतनमान इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में लेखाकार के पद के वेतनमान के समान होना चाहिए और इसे 250–425 रु0 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(4) वीथिका सहायक (गैलरी असिस्टेन्ट)–(250–425 रु0) इसका वेतनमान प्राविधिक सहायक और मुद्राविद् (न्यूमिस्मेटिस्ट) के 450–850 रु0 के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए,

(5) स्वागती (रिसेप्शनिस्ट)–(230–385 रु0) इसके कर्तव्य प्रदर्शक व्याख्याता (गाइड लेक्चरर) के कर्तव्य से कम दुष्कर नहीं है जो कि 300–550 रु0 के वेतनमान में है। उसे अन्य विभागों में तद्नुरूप पदों की अपेक्षा उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(6) चित्रीकरण प्राविधिक–(350–700 रु0) इसका वेतनमान सहायक निदेशक के 450–

850 के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए,

(7) फोटोग्राफर-कम-आर्टिस्ट-(325-575 रु0) इसका वेतनमान रसायन सहायक के 350-700 रु0 के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए,

(8) प्रयोगशाला सहायक (फोटोग्राफी)-200-320 रु0) इसका वेतनमान मुद्राशास्त्र सहायक (न्यूमिस्मेटिक असिस्टेन्ट) के 250-425 रु0 के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए,

(9) माडेलिंग वर्कशाप असिस्टेन्ट-इसका वेतनमान मुद्राशास्त्र सहायक (न्यूमिस्मेटिक असिस्टेन्ट) के 250-425 रु0 के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए,

(10) भण्डारी एवं अवधाता (स्टोरकीपर-कम केयरटेकर)-(230-385 रु0) इसका वेतनमान थोड़ा सा उच्चतर होना चाहिए क्योंकि पदधारी को दो कार्य करने पड़ते हैं,

(11) प्रकाशन सहायक-इसका वेतनमान राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन तद्नुरूप पद के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए,

(12) प्रधान लिपिक, लेखाकार और लिपिक के पद पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को जो सचिवालय के कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, कुछ भत्ता या उच्चतर वेतनमान दिये जाने चाहिए ।

संरक्षण (कन्जरवेशन) संबंधी रासायनिक प्रयोगशाला के पद

(क) रसायनविद् (केमिस्ट) (450-850 रु0)-इसका वेतनमान विश्वविद्यालय में रीडर के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए,

(ख) रसायन सहायक (350-700 रु0)-इसका वेतनमान मुद्राविद् (न्यूमिस्मेटिस्ट) के पद के 450-850 रु0 के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए ।

(ग) प्रयोगशाला सहायक (200-320 रु0)-इसका वेतनमान ज्येष्ठ चर्म पूरक (सीनियर टैक्सीडरमिस्ट) के पद के 280-460 रु0 के समान किया जाना चाहिए ।

चर्म पूरक अनुभाग (टैक्सीडरमिस्ट सेक्शन)

(1) ज्येष्ठ चर्म पूरक-(280-460 रु0) उसके उत्तरदायित्वों को देखते हुए उसे उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिए,

(2) परिरक्षक (कस्टोडियन)-(250-425 रु0) इसका वेतनमान प्राविधिक सहायक के पद के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए ।

8.17 हमने निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, राज्य संग्रहालयों के निदेशकों तथा राज्य संग्रहालय संघ, लखनऊ के प्रतिनिधियों से विस्तार में विचार-विमर्श किया । ज्ञापनों में जो मुख्य प्रश्न उठाये गये हैं उन पर नीचे विचार किया गया है:-

8.18 संग्रहालय के निदेशकों तथा संग्रहालय संघ के प्रतिनिधियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि संग्रहालय के निदेशकों और सहायक निदेशकों के पदों के वेतनमान विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और रीडरों के पद के वेतनमान के समान किये जाने चाहिए । उनके सुझाव का आधार यह है कि संग्रहालय अनुसंधान करने वाले विद्वानों को अनुसंधान करने की सुविधाएं प्रदान करता है । संग्रहालय का मुख्य कार्य शैक्षिक विश्वविद्यालयों की भांति औपचारिक शिक्षा और अनुसंधान करना नहीं है । संग्रहालय का मुख्य कार्य ऐतिहासिक महत्व के प्रादर्शों (एक्जीविट्स) को परिरक्षित करना है । हम इस सुझाव को मानने में असमर्थ हैं कि संग्रहालय में सेवानियोजित कर्मचारिवर्ग को विश्वविद्यालयों के कर्मचारिवर्ग के समान समझा जाय । राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक के कार्य और दायित्वों का विचार करके हमने इस पद के लिए उपयुक्त वेतनमान की संस्तुति की है । हम यह महसूस करते हैं कि राज्य संग्रहालय मथुरा के निदेशक के वेतनमान को उन्नत (अपग्रेड) करके 1250-2050 रु0 किया जाना चाहिए, किन्तु राज्य संग्रहालय, मथुरा के निदेशक को इस समय जो विशेष वेतन अनुमन्य है, वह बन्द कर दिया जाना चाहिए । इस पद के वेतनमान पदधारक को नये वेतनमान में वेतन निर्धारण में विशेष वेतन का लाभ मिलना चाहिए ।

8.19 राज्य संग्रहालय, झांसी को पूर्ण विकसित अवस्था में आने में कई वर्ष लग जायेंगे, क्योंकि वह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । अतः हमें राज्य संग्रहालय झांसी के निदेशक के वेतनमान को उन्नत (अपग्रेड) करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है ।

8.20 हमने मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयों के रसायनविद् (केमिस्ट) और रसायन सहायकों के वेतनमानों का भी परीक्षण किया है । मथुरा संग्रहालय में रसायनविद् (केमिस्ट) के पद के लिए जो अर्हताएं हैं वे लखनऊ संग्रहालय में रसायन सहायक के पद की अर्हताओं की तुलना में कम हैं । उनके कार्य और उत्तरदायित्वों का स्वरूप भी भिन्न है । अतः हमें मथुरा संग्रहालय में रसायनविद् (केमिस्ट) के पद के वेतनमान को लखनऊ संग्रहालय में रसायन सहायक के पद के वेतनमान के समान किये जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता । हमने लखनऊ संग्रहालय के रसायनविद् के वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने के प्रश्न का भी परीक्षण किया है किन्तु हम इस पद को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का कोई औचित्य नहीं पा सके । हम यह महसूस करते हैं कि इसमें मुख्य कठिनाई यह है कि इस पद के धारक के लिये पदोन्नति की सम्भावनायें नहीं हैं । इस विभाग में तथा अन्य विभागों में कई ऐसे पद और भी हैं जिनके संबंध में इसी प्रकार की कठिनाई है । हम ऐसे पदों के लिए 'एकल पद' (आइसोलेटेड) का लाभ दिये जाने की संस्तुति कर रहे हैं ।

8.21 हमने वीथिका सहायक (गैलरी असिस्टेंट), स्वागती (रिसेप्सनिस्ट), प्रयोगशाला सहायक, फोटोग्राफर, ज्येष्ठ चर्म पूरक, (सीनियर टैक्सीडरमिस्ट) और ज्ञापन में उल्लिखित अन्य पदों के वेतनमानों का भी परीक्षण किया हम इनमें से किसी भी पद को उन्नत किये जाने का कोई

औचित्य नहीं पाते। प्रदर्शक व्याख्याता (गाइड लेक्चरर) के पद के लिए स्नातकोत्तर अर्हता निर्धारित है, किन्तु यह पद अध्यापन का पद नहीं है। उसका वेतनमान 300–500 रु0 है। इस पद की अर्हता तथा उससे संबद्ध कर्तव्यों के स्वरूप को देखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि इस पद के लिए स्वीकृत वेतनमान कुछ अपर्याप्त है। हम इस पद के लिए 570–1070 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। माडेलिंग एण्ड वर्कशाप असिस्टेन्ट 200–320 रु0 के वेतनमान में है। उसकी अर्हता हाई स्कूल तथा मिट्टी की मूर्ति बनाने का प्रमाण-पत्र (क्ले माडेलिंग सर्टीफिकेट) है। हम यह महसूस करते हैं कि उसे 400–615 रु0 का उच्चतर वेतनमान अनुमन्य होना चाहिए। चित्रीकरण प्राविधिक (डाकूमेन्टेशन टेक्नीशियन) का वेतनमान 350–700 रु0 है। उसकी आधारिक अर्हता इंटरमीडिएट तथा कामर्शियल आर्ट में डिप्लोमा है। उसके वेतनमान को पुनरीक्षित कर उन्नत करने का औचित्य नहीं है। मुद्राविद् (न्यूमेस्मेटिस्ट) का वेतनमान 450–850 रु0 है। उसके पास स्नातकोत्तर अर्हता है तथा उसे कुछ अनुभव भी प्राप्त है। मुद्राशास्त्र अधिकारी का एक अन्य पद 550–1200 रु0 के वेतनमान में है तथा अर्हताएं उच्चतर हैं। यह अधिकारी अनुभाग का समग्र रूप से प्रभारी होता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि मुद्राशास्त्र अधिकारी उच्चतर अर्हता प्राप्त व्यक्ति होता है और अनुभाग का समग्र रूप से प्रभारी होता है, यह स्वाभाविक है कि उसका वेतनमान मुद्राविद् (न्यूमिस्मेटिस्ट) से उच्चतर हो। दोनों वेतनमानों में से किसी भी वेतनमान को पुनरीक्षित कर उन्नत करने का औचित्य नहीं है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ में फोटोग्राफर-कम आर्टिस्ट का वेतनमान 325–575 रु0 है। इस पद के लिए मूर्तिकला में डिप्लोमा और फोटोग्राफी में डिप्लोमा की अर्हताएं निर्धारित हैं और फोटोग्राफी स्टूडियो का 3 वर्ष का अनुभव। उनकी अर्हताओं और कर्तव्यों के स्वरूप को देखते हुए हम इस पद के लिए 570–1070 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

8.22 हम इस सुझाव को मानने में असमर्थ हैं कि ज्येष्ठ चर्म पूरक को मूर्तिकार (माडेलर) के समान किया जाना चाहिए। ज्येष्ठ चर्म पूरक की अर्हता मूर्तिकार की अर्हता की तुलना में काफी कम है। जहां तक राज्य संग्रहालय में प्रकाशन सहायक (पब्लिसिटी असिस्टेन्ट) के वेतनमान को बढ़ाकर राज्य पुरातत्व विभाग के प्रकाशन सहायक के वेतनमान के समान किये जाने का संबंध है, हमने स्थिति का परीक्षण किया है। निस्संदेह दोनों पदों की अर्हताएं लगभग समान हैं, सिवाय इसके कि लखनऊ संग्रहालय में प्रकाशन सहायक के लिए यह अपेक्षित है कि उसे दोनों ही संगठनों में पद के लिए विहित शैक्षिक अहताओं के अतिरिक्त कार्य का भी कुछ अनुभव हो। सामान्यतया संग्रहालय में प्रकाशन सहायक का वही उत्तरदायित्व नहीं होता है जो कि पुरातत्व विभाग में प्रकाशन कार्य करने वाले सहायक का होता है। तथापि, लखनऊ संग्रहालय के संबंध में यह बताया गया है कि वे नियमित प्रकाशन निकालते हैं। निदेशक, सांस्कृतिक कार्य ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि इस पद का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए। तद्नुसार हम इस पद के लिए 625–1170 रु0 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

8.23 राज्य संग्रहालय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में यह सुझाव दिया कि गैलरी अटेन्डेन्ट्स का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें प्राविधिक कर्मचारिवर्ग घोषित किया जाना चाहिए। हमने इस मामले पर निदेशक, सांस्कृतिक कार्य तथा संग्रहालय के निदेशकों के साथ विचार-विमर्श किया है। वर्तमान गैलरी अटेन्डेन्ट पदनाम पहले चपरासी, फर्राश, भिश्ती आदि था। उनका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संग्रहालय में दर्शकगण प्रादर्शों में कोई गड़बड़ी न पैदा करने पायें। हमें इस पद के वेतनमान को उन्नत करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

8.24 राज्य संग्रहालय, लखनऊ के पुस्तकालयाध्यक्ष ने आयोग को पृथक् से प्रस्तुत अपने ज्ञापन में यह निवेदन किया कि पुस्तकालय राज्य संग्रहालय का एक पृथक् अनुभाग है और पुस्तकालयाध्यक्ष इस अनुभाग का प्रभारी होता है। उसने अपने लिए हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान के समान उच्चतर वेतनमान दिये जाने का तर्क प्रस्तुत किया। राज्य संग्रहालय, लखनऊ में पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए कला या विज्ञान में स्नातक की डिग्री की अर्हता है, जिसमें इतिहास एक विषय रहा है और इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा भी है। यह वेतनमान शैक्षिक संस्थाओं में इसी प्रकार की अर्हता रखने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए विहित वेतनमान के अनुरूप है। हम अन्य पदों के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाते हैं।

भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ

8.25 यह संस्था मैरिस म्युजिक कालेज, लखनऊ के नाम से 1926 में स्थापित की गई थी। यह एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है और इसमें गायन और वाद्य संगीत तथा नृत्य की शिक्षा दी जाती है। राज्य सरकार ने 1966 में इस संस्था का प्रबन्ध संगीत नाट्य भारती से अपने हाथ में लिया। तथापि, विशारद, निपुण आदि की परीक्षाएं 'भातखण्डे विद्यापीठ' नामक एक प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित की जाती है। यह संस्था इस समय न तो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है और न ही यह किसी विश्वविद्यालय का संघटक विद्यालय है। यह बताया गया है कि इस महाविद्यालय की उत्कृष्ट स्थिति के कारण इसके स्नातकोत्तर डिग्री धारक कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संगीत और नृत्य में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति के पात्र होते हैं, जहां संगीत की एक पृथक् संकाय (फैकल्टी) है।

8.26 इस संस्था के प्रधान एक प्रधानाचार्य (प्रिन्सिपल) हैं जो 1200–1800 रु0 के वेतनमान में हैं। इनके अलावा इस संस्था में तीन प्रोफेसर 800–1450 रु0 के वेतनमान में, दस सहायक प्रोफेसर 550–1200 रु0 के वेतनमान में, पांच लेक्चरर 450–850 रु0 के वेतनमान में और बारह जूनियर लेक्चरर 300–500 रु0 के वेतनमान में हैं। इनके अतिरिक्त संगतकर्ता के 19 पद हैं जो 200–320 रु0 के वेतनमान में हैं।

8.27 इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कतिपय सुझाव देते हुए हमारे पास एक नोट भेजा है। ये सुझाव संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :–

(1) प्रधानाचार्य को 2200–2700 रु0 का वेतनमान दिया जाय;

(2) प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, लेक्चरर और जूनियर लेक्चरर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिये जायं।

(3) संगतकर्ता को 450–850 रु० का वेतनमान दिया जाय;

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हताओं, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए उसके वेतनमान को 550–1200 रु० में पुनरीक्षित किया जाना चाहिए;

(5) अधीक्षक के पद का नाम बदलकर प्रशासनिक अधिकारी रखा जाना चाहिए और उसे 1000–1500 रु० के वेतनमान में रखा जाना चाहिए;

(6) इलेक्ट्रिशियन, इन्स्ट्रूमेन्ट-कीपर, बुक कीपर और चपरासी को क्रमशः 475–700 रु० 450–650 रु०, 500–700 रु० और 450–600 रु० का वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

8.28 भातखण्डे महाविद्यालय के अध्यापक संघ ने भी हमारे पास पृथक् से एक ज्ञापन भेजा । हमारे समक्ष उपस्थित होकर संघ महाविद्यालय के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिये जाने के लिए वकालत की ।

8.29 इस महाविद्यालय में सभी विषयों में प्रतिवर्ष लगभग 100 छात्र भर्ती होते हैं और संस्था में भर्ती होने वाले कुल छात्रों की संख्या लगभग 550 है । हमने वेतनमानों के प्रश्न पर महाविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधियों, प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) और निदेशक, सांस्कृतिक कार्य के साथ विचार-विमर्श किया है । हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया एक तर्क इस महाविद्यालय के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिये जाने की मांग से संबंधित था । दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि इस महाविद्यालय के वेतनमान किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में अनुमन्य वेतनमानों के तद्नुरूप होने चाहिए ।

8.30. हम इस बात को मानते हैं कि भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय को हिन्दुस्तानी संगीत में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है । तथापि, हम इस ओर ध्यान देने के लिए बाध्य हैं कि इस महाविद्यालय की डिग्रियों की तुलना शैक्षिक संस्थाओं, अभियन्त्रण और चिकित्सा महाविद्यालयों की सामान्य स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्रियों से नहीं की जा सकती । बिना कोई औपचारिक डिग्री प्राप्त किये हुए ऐसे सभी उत्कृष्ट संगीतज्ञ हो चुके हैं, जो इस व्यवसाय में प्रमुख स्थान पा चुके हैं—इनमें से कुछ संगीतज्ञ महाविद्यालय के स्टाफ में हैं । हम यह महसूस करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस महाविद्यालय को जो स्थान प्राप्त है उसी के अनुरूप उसके अध्यापक वर्ग के वेतनमान होने चाहिए और इस बात की आवश्यकता है कि ऐसी संस्थाओं में परिलब्धियों के मामले में अग्रगामी नीति अपनायी जाय, जिससे कि उनकी उच्च कुशलता के प्रति सरकार आश्वस्त हो सके । अतः हम प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल), प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और लेक्चरर के वेतनमानों को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने की संस्तुति कर रहे । हम जिन पुनरीक्षित वेतनमानों की संस्तुति कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) रु० 1840–2400,

(2) प्रोफेसर रु० 1540–2200,

(3) सहायक प्रोफेसर रु० 1250–2050,

(4) लेक्चरर रु० 850–1720,

(5) जूनियर लेक्चरर रु० 690–1420 ।

8.31 तथापि हम यह भी संस्तुति करते हैं कि ये सभी पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने चाहिए ।

8.32 जहां तक संगतकर्ता का वेतनमान का संबंध है, उनसे यह अपेक्षित है कि वे संगीत में विशारद की डिग्रीधारक हों और उन्हें कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो । उनका वेतनमान 200–320 रु० है, जिसे हम महसूस करते हैं कि यह वेतनमान कम है । हम इन पदों के लिए 430–685 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं ।

8.33 जहां तक आशुलिपिक, प्रधान लिपिक, लेखाकार, (एकाउन्टेन्ट), रोकड़िया (कैशियर) आदि पदों के वेतनमानों का सम्बन्ध है, हम अलग से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन पदों के बारे में "सामान्य कोटि के पद" से संबंधित अध्याय में विचार किया जा चुका है । पुनरीक्षित वेतनमानों तथा जहां कहीं भी आवश्यक है चयन श्रेणियों (सेलेक्शन ग्रेड) को, इस खण्ड के भाग–2 में दिया गया है ।

राजकीय वास्तुकला विद्यालय, लखनऊ

8.34 यह विद्यालय पहले राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय (गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स) का एक अंग था । इसे 1976 में एक पृथक् संस्था बनाया गया । यह संस्था हाई स्कूल के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा प्रदान करती है । इस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने हमें प्रेषित अपने नोट में यह सुझाव दिया है कि प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल), प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए क्रमशः 800–1450 रु०, 550–1200 रु० और 450–850 रु० के वर्तमान वेतनमानों के स्थान पर क्रमशः 1600–2000 रु०, 800–1450 रु० और 650–1300 रु० के वेतनमान दिये जाने चाहिए ।

8.35 प्रधानाचार्य आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हुए और उन्होंने यह बताया कि यह संस्था अगले शैक्षिक सत्र से वास्तुकला में डिग्री कोर्स आरम्भ करेगी, अतः उसके कर्मचारिवर्ग को वही वेतनमान दिये जाने चाहिए जो कला और शिल्प महाविद्यालय के अध्यापकों को अनुमन्य हैं । निदेशक ने भी, जिनसे हमने इस विषय में विचार-विमर्श किया, यह बताया कि वास्तुकला का डिग्री कोर्स प्रारम्भ होने ही वाला है । तथापि, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है जिससे निम्नलिखित बातों का पता चले :—

(1) प्रारम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित कोर्स के ब्यौरे,

(2) वह निश्चित दिनांक जबसे उसे कार्यान्वित किया जायेगा, और

(3) नई व्यवस्था में अध्यापन संबंधी विभिन्न पदों के लिए विहित की जाने वाली अर्हताएं ।

8.36 इस समय प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) के लिए विहित अर्हता वास्तुकला में बैचलर डिग्री या उसके समतुल्य डिप्लोमा है । सहायक प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए भी यही अर्हताएं विहित हैं । भावी व्यवस्था के बारे में कोई निश्चित सूचना के अभाव में हम इस तर्क को स्वीकार

करने में असमर्थ हैं कि विभिन्न पदों के वेतनमान डिग्री संस्थाओं के पदों के वेतनमान के समान होने चाहिए । इस संस्था में, जैसा कि वह इस समय गठित है, विभिन्न पदों के वेतनमान केवल बहुधन्धी संस्थाओं (पालीटेक्निक्स) में उपलब्ध वेतनमानों के समान हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कि प्रधानाचार्य, सहायक प्रोफेसर और लेक्चरर पदों के वेतनमानों को उन्नत (अपग्रेड) करके क्रमशः 1360–2125 रु०, 1000–1900 रु०, और 850–1720 रु० किया जाय । हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि स्टूडियो असिस्टेन्ट का पद भी एक शैक्षिक पद है, जो पूर्व में लेक्चरर पद के समान था । इसी धारणा पर हम इस पद के लिए भी 850–1720 रु० का वेतनमान संस्तुत कर रहे हैं । इस धारणा की पुष्टि हेतु प्रशासनिक विभाग स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे ।

8.37 जहां तक आशुलिपिक, प्रधानलिपिक, लेखाकार (एकाउन्टेन्ट) रोकड़िया (कैशियर) आदि पदों के वेतनमानों का संबंध है, हम पृथक् से कोई संस्तुतियां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन पदों के बारे में "सामान्य कोटि के पद" से सम्बन्धित अध्याय में विचार किया जा चुका है ।

8.38 पुनरीक्षित वेतनमानों तथा जहां कहीं भी आवश्यक है चयन श्रेणियों (सेलेक्शन ग्रेड) को, इस खण्ड के भाग-2 में दिया गया है ।

अध्याय नौ

सूचना विभाग

इस संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रचार-प्रशाखा (पब्लिसिटी विंग) के रूप में अपना कार्य आरम्भ किया और 1937 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस राज्य का शासन-सूत्र संभाला तो यह संगठन प्रचार सूचना विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया और 1947 में सूचना विभाग के रूप में संगठित किया गया। आरम्भ में सूचना निदेशालय क्षेत्रीय विभाग तथा सचिवालय विभाग दोनों ही के रूप में कार्य करता रहा। इस समय इस संगठन का नाम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। वेतन अभिनवीकरण समिति (1965) ने यह संस्तुति की थी कि सचिवालय प्रशाखा (सेक्रेटेरियट विंग) को क्षेत्रीय प्रशाखा (फील्ड विंग) से अलग कर दिया जाय।

9.2 इस विभाग के निदेशक आई० ए० एस० के उच्च वेतनमान (सीनियर स्केल) के अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए मुख्यालय पर 4 उपनिदेशक (800–1450 रु०) और 5 सहायक निदेशक (550–1200 रु०) हैं। इसके अलावा मुख्यालय पर सम्पादक, प्रदर्शनी अधिकारी, फिल्म निर्माण अधिकारी, उत्पादक न्यूजरील, फिल्म निर्माता, टेलीविजन मेन्टीनेन्स अधिकारी, गीत एवं नाट्य अधिकारी के पद हैं जो 550–1200 रु० के वेतनमान में हैं। मुख्यालय पर 33 सूचना अधिकारी हैं जो 450–950 रु० के वेतनमान में हैं। क्षेत्रीय स्तर पर 2 जनसंपर्क अधिकारी और 54 जिला सूचना अधिकारी हैं। जनसंपर्क अधिकारी 550–1200 रु० के वेतनमान में हैं और जिला सूचना अधिकारी 450–850 रु० के वेतनमान में हैं। 1 अप्रैल, 1974 और 1 अप्रैल, 1979 को विभिन्न कोटि के कर्मचारिवर्ग की जो संख्या थी वह नीचे दी गई है :–

कर्मचारिवर्ग की कोटि	1 अप्रैल, 1974 को	1 अप्रैल, 1979 को
1–ग्रुप 'क'	5	5
2–ग्रुप 'ख'	83	137
3–ग्रुप 'ग'	317	480
4–ग्रुप 'घ'	321	544
योग	726	1166

9.3 निदेशालय में निम्नलिखित मुख्य यूनिटें/अनुभाग (सेक्शन) हैं :–

(1) प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो।

(2) प्रचार माध्यम (पब्लिसिटी मीडिया)

(3) टेलीविजन और रेडियो।

(4) फिल्म।

(5) फोटो।

(6) प्रदर्शनी।

(7) प्राविधिक (टेक्निकल)।

(8) गीत और नाट्य।

(9) कला।

(10) जिला क्षेत्रीय प्रचार ((पब्लिसिटी) यूनिट।

9.4 कई सेवा संघों ने आयोग को अपने-अपने ज्ञापन प्रस्तुत किये। हमने पत्रकार संघ, जिला सूचना अधिकारी संघ, सूचना विभाग के प्राविधिक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श भी किया। मुख्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ साक्ष्य देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। हमने विभिन्न ज्ञापनों में तथा साक्ष्य के समय कही गई बातों का परीक्षण किया जो कि संक्षेप में नीचे दी गई हैं :–

(क) पत्रकार संघ, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

(1) पत्रकार वर्तमान स्थिति का सिंहावलोकन करता है और वर्तमान को भविष्य से संयोजित भी करता है जबकि प्रचारक (पब्लिसिस्ट) केवल वर्तमान स्थिति का ही सिंहावलोकन करता है। इस प्रकार प्रचारक (पब्लिसिस्ट) की तुलना में पत्रकार का उत्तरदायित्व अधिक है।

(2) राज्य में सूचना और प्रचार सेवायें वहीं कार्य करती हैं जो भारत सरकार के अधीन सूचना और प्रचार सेवायें करती हैं। उत्तर प्रदेश में सूचना अधिकारी का वेतनमान 450–950 रु० है जबकि भारत सरकार में सूचना अधिकारी का वेतनमान 1100–1600 रु० है।

(3) सूचना अधिकारी (मुख्यालय) राज्य में सूचना सेवाओं का मुख्य स्तम्भ है। उसके मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं :–

(क) समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को प्रचार सामग्री देना,

(ख) विभिन्न मैगजीन को प्रकाशित और मुद्रित करना,

(ग) विभिन्न समाचारपत्रों और मैगजीन में प्रकाशित विचारों से प्रशासन को अवगत कराना, और

(घ) जन-संपर्क कार्य।

(4) सूचना अधिकारी के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं। सूचना अधिकारी को कम से कम उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के वर्ग–2 का वेतनमान मिलना चाहिए। केन्द्रीय संगठन के उपमुख्य सूचना अधिकारी ने सूचना अधिकारियों को उच्चतर वेतन-

मान दिये जाने की संस्तुति की थी । श्री उपेन्द्र बाजपेयी की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति (हाई पावर कमेटी) ने भी सूचना अधिकारियों, को उपयुक्त वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की थी । राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जन-संपर्क अधिकारी 550-1200 रु0 के वेतनमान में हैं जबकि राज्य विद्युत् परिषद् में इस पद का वेतनमान 650-1300 रु0 है ।

(5) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया जैसी विभिन्न समाचार एजेन्सियों के रिपोर्टर, संवाददाता, सहायक सम्पादक क्रमशः 400-1100 रु0, 750-1500 रु0 और 1000-2000 रु0 के वेतनमान में हैं ।

(6) 50 प्रतिशत पद 800-1450 रु0 के सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं ।

(7) सहायक निदेशक और उप निदेशक के पद सूचना अधिकारियों में से पदोन्नति करके भरे जाने चाहिए ।

(8) सहायक निदेशक का वेतनमान पुनरीक्षित करके 800-1450 रु0 किया जाना चाहिए और उप निदेशक तथा जन-संपर्क अधिकारी, राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली का वेतनमान पुनरीक्षित करके 1300-1600 रु0 किया जाना चाहिए ।

(9) जिन सूचना अधिकारियों का 2 वर्ष से अधिक समय से उनके वेतनमान की अधिकतम धनराशि पर वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) हो रहा है उन्हें प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए एक वेतनवृद्धि दी जानी चाहिए ।

(10) "उत्तर प्रदेश" नामक मासिक और पाक्षिक पत्रिका के सम्पादक के पद का वेतनमान पुनरीक्षित करके 900-1600 रु0 किया जाना चाहिए ।

(11) मुख्यालय पर उप सम्पादक, अनुवादकों और परिनिरीक्षकों (स्क्रूटिनाइजर) के पदों का नाम सहायक सूचना अधिकारी रखा जाना चाहिए और उन्हें 450-850 रु0 का वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

(ख) पत्रकार संघ, उत्तर प्रदेश सूचना और जन-संपर्क विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया पुनरीक्षित ज्ञापन

(1) विभिन्न पदों के लिए अर्हताएं और वेतनमान निम्नलिखित हैं :–

(1) **सूचना अधिकारी**–स्नातक तथा पत्रकारिता में डिप्लोमा, किसी समाचार पत्र कार्यालय या सरकारी प्रचार (पब्लिसिटी) संगठन में रिपोर्टर या उप सम्पादक के रूप में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव साधारण ग्रेड 450-950 रु0, सेलेक्शन ग्रेड 550-1200 रु0 ।

(2) **उप संपादक**–स्नातक तथा किसी समाचार पत्र कार्यालय में उप सम्पादक के रूप में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव–350-700 रु0 ।

(3) **अनुवादक**–भाषा स्नातक तथा अनुवाद कार्य में दक्षता–350-700 रु0 ।

(4) **परिनिरीक्षक**–भाषा स्नातक तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की परिनिरीक्षा करने तथा उन पर रिपोर्ट तैयार करने की योग्यता–280-460 रु0 ।

2–इस देश में वेतनमान निम्नतम हैं । उन्हें निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है :–

(क) **सूचना अधिकारी**–इनका वेतनमान केन्द्रीय सरकार में इसी प्रकार के अधिकारी के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए या इनका वेतनमान राज्य सरकार की सेवा में अनुसचिव और उप सचिव के वेतनमान के बीच में नियत किया जाना चाहिए ।

(ख) **उप सम्पादक और अनुवादक**–इनका वेतनमान उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव के वेतनमान के बीच नियत किया जाना चाहिए ।

(ग) **परिनिरीक्षक**–इनका वेतनमान उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक और अनुभाग अधिकारी के वेतनमान के बीच नियत किया जाना चाहिए ।

(ग) जिला सूचना अधिकारी सेवा संघ

(1) जिला सूचना अधिकारी राज्य सरकार की नीतियों कार्यक्रमों और उपलब्धियों का विभिन्न माध्यमों से प्रचार करते हैं ।

(2) बहुत से जिला सूचना अधिकारियों का उनके वेतनमान की अधिकतम धनराशि पर पिछले दो वर्ष से वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) हो रहा है जबकि अन्य, जिनकी मुख्यालय पर अनुवादकों, अवर वर्ग सहायकों और सूचना अधिकारियों में से पदोन्नति की गई है, को अपेक्षाकृत अच्छे वेतनमान, प्रास्थिति और पदोन्नति की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं ।

(3) यद्यपि पुनर्गठन योजना के अधीन उप निदेशक (रीजन) के वर्ग–1 के ग्यारह पद 800-1450 रु0 के वेतनमान में एक मात्र जिला सूचना अधिकारियों के लिए सृजित किये गये थे किन्तु उन्हें यह वेतनमान नहीं दिया गया है । इसके विपरीत केवल एक जिला सूचना अधिकारी को ही 550-1200 रु0 के निम्नतर वेतनमान में मेरठ में सहायक निदेशक के रूप में तैनात किया गया है ।

(4) जिला सूचना अधिकारियों का वेतनमान वर्ग–2 की सेवाओं के अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के वेतनमान के समान किया जाना चाहिए तथा उनके लिए सेलेक्शन ग्रेड के 50 प्रतिशत पद होने चाहिए और उन्हें सहायक सूचना निदेशक से समानता दी जानी चाहिए ।

(5) जिला सूचना अधिकारियों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं । बाजपेयी समिति की संस्तुतियां कार्यान्वित की जानी चाहिए ।

(6) इलाहाबाद और वाराणसी में जो जिला सूचना अधिकारी हैं वे उच्चतर वेतनमान (550–1200 रु0) में हैं । जबकि अन्य जिला सूचना अधिकारियों का वेतनमान निम्नतर अर्थात् 450–850 रु0 है । यह असंगति दूर की जानी चाहिए ।

(घ) उत्तर प्रदेश सूचना प्राविधिक कर्मचारी संघ

(1) यह संघ उन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो विभिन्न माध्यमों (पत्रकारिता से भिन्न) से सरकार की नीतियों का प्रचार करने में लगे हुए हैं । ये माध्यम प्रदर्शनियां, फिल्म, फोटोग्राफी, टेलीविजन, रेडियो, गीत और नृत्य, कला तथा जनता को संबोधित करने वाले यंत्र हैं ।

(2) उपर्युक्त 'माध्यम' में लगे हुए कर्मचारी को अनुमन्य निम्नतम वेतनमान 185–265 रु0 है जबकि पत्रकारों का निम्नतम वेतनमान 280–460 रु0 है । अब तक एक व्यक्ति को छोड़कर जिसकी पदोन्नति लिपिकीय वर्ग से की गई है, सूचना संगठन में सहायक निदेशक, उपनिदेशक और अतिरिक्त निदेशक के सभी पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति उनमें से चुने गये हैं जिन्हें पत्रकारिता के कार्य का अनुभव रहा है ।

(3) विभिन्न 'माध्यम' में कार्य करने वालों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए ।

(4) फिल्म्स डिवीजन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के अधीन तद्नुरूप पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के समान वेतनमान स्वीकृत किये जाने चाहिए ।

(5) फोटोग्राफी शाखा के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित वेतनमानों की मांग की गई है :–

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
	रु0	रु0
(क) फोटोग्राफी प्रभारी	400–750	1100–1600
(ख) सहायक फोटो अधिकारी	350–700	850–1450
(ग) फोटोग्राफर	280–460 } 325–575 }	800–1400
(घ) सहायक फोटोग्राफर/ फोटो आर्टिस्ट	230–385	450–850
(ङ) लैब इंचार्ज/ कैटलागर	280–460	550–1200
(च) ब्रोमाइड प्रिंटर	230–385	450–800
(छ) लैब सहायक	185–265	350–700
(ज) लैब ब्वाय	165–215	280–460

(6) प्रदर्शनी यूनिट के लिए जिन वेतनमानों का सुझाव दिया गया है वे इस प्रकार हैं :–

(क) **प्रदर्शनी अधिकारी**–1800–2250 रु0 (वर्तमान 550–1200 रु0)

(ख) **सहायक प्रदर्शनी अधिकारी**–650–900 रु0 (वर्तमान वेतनमान 280–460 रु0) ।

(7) **गीत एवं नाट्य अधिकारी** के लिये 1800–2000 रु0 के वेतनमान की मांग की गई है । इनका वर्तमान वेतनमान 550–1200 रु0 है ।

(8) 'कला अनुभाग' में जो कर्मचारिवर्ग है उसके लिये निम्नलिखित मांगें की गई हैं :–

(क) विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अर्हता हाई स्कूल तथा 5 वर्ष का डिप्लोमा (जो डिग्री के समतुल्य) है । इन पदों का एक संवर्ग बनाया जाना चाहिए और वेतनमान निम्नलिखित होने चाहिए :–

(1) कलाकार (जूनियर ग्रेड) रु0 400– 750,

(2) कलाकार (सीनियर ग्रेड) रु0 550– 1200,

(3) कलाकार (सुपर ग्रेड) रु0 800– 1450,

(4) मुख्य कलाकार रु0 1200–1800 ।

(ख) जो कलाकार साधारण ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लें उसे सीनियर ग्रेड दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार जो कलाकार सीनियर ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लें उसे सुपर ग्रेड दिया जाना चाहिए ।

(ङ) सूचना निदेशालय मुख्यालय (लिपिक वर्गीय) कर्मचारी संघ

(1) सूचना निदेशालय 1947 में स्थापित किया गया था । यह निदेशालय सचिवालय के सूचना विभाग तथा विभागाध्यक्ष के कार्यालय के सम्मिलित कार्यालय के रूप में कार्य करता था । 1965 तक उसके वेतनमान वही थे जो सचिवालय में अनुमन्य हैं ।

(2) 1965 में वेतन अभिनवीकरण समिति ने उनके वेतनमानों को बिना किसी औचित्य के घटा दिया और सूचना विभाग को अन्य विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के समकक्ष रखा ।

(3) बाद में उच्च न्यायालय और राजस्व परिषद् के कर्मचारियों को सचिवालय के वेतनमान दिये गये । इसके पूर्व कि सूचना निदेशालय के कर्मचारियों को सचिवालय के वेतनमान फिर से दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाता, वेतन आयोग (1971-73) गठित कर दिया गया । वेतन आयोग द्वारा जो संस्तुतियां की गयीं उनसे उनकी प्रास्थिति नहीं बदली ।

(4) 1 अगस्त, 1973 से सूचना निदेशालय के सम्मिलित कार्यालय को सचिवालय के सूचना विभाग और सूचना निदेशालय में विभाजित किया गया । इसके फलस्वरूप कर्मचारियों की कार्यदक्षता घट गई है । यह व्यवस्था मितव्ययी नहीं सिद्ध हुई

है । इसके कारण दोहरा कार्य हो रहा है तथा उसमें विलम्ब हो रहा है और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है ।

(5) इस समय दो प्रकार के वेतनमान प्रचलित हैं । एक प्रकार के वेतनमान उन कर्मचारियों के लिए हैं जो 1965 से पहले सचिवालय के वेतनमान में कार्य कर रहे थे । अब उन्हें सचिवालय के वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में स्वीकृत किये गये हैं । अन्य प्रकार के वेतनमान उन कर्मचारियों के लिए हैं जो 1965 के बाद निम्नतर वेतनमान में भर्ती किये गये । वे ऐसे वेतनमान पा रहे हैं जो विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में अनुमन्य हैं ।

(6) सूचना निदेशालय में जो वेतनमान हैं वे सचिवालय के वेतनमान के समान किये जाने चाहिए ।

(च) सूचना प्राविधिक कर्मचारी संघ

(1) लगभग 150 प्राविधिक कर्मचारी हैं जिन्हें इस रूप में मान्यता दी जानी चाहिए ।

(2) विभाग द्वारा पिछले 24 वर्षों में सामुदायिक श्रावण योजना चलाई जा रही है । सहायक रेडियो अभियन्ता, रेडियो निरीक्षक और रेडियो मिस्त्री के पद हैं । उनका मुख्य कार्य उपर्युक्त योजना के अधीन वितरित किये गये रेडियो सेट की मरम्मत तथा अनुरक्षण करना है ।

(3) रेडियो निरीक्षक आई० टी० आई० से रेडियो मेकेनिक ट्रेड में प्रशिक्षण पाते हैं ।

(4) मुख्यालय पर रेडियो निरीक्षक के वेतनमान और अतिरिक्त रेडियो अभियन्ता, टेलिविजन अभियन्ता तथा प्राविधिक अधिकारी के वेतनमानों में बहुत अधिक अन्तर है हालांकि उनके शैक्षिक और प्राविधिक अर्हताओं में मामूली अन्तर है ।

(5) टेलिविजन योजना के अधीन अधिकांश कार्मिकों रेडियो निरीक्षकों में से पदोन्नति किये गये गये हैं ।

(6) 90 प्रतिशत रेडियो निरीक्षक पिछले कई वर्षों से 200–320 रु० के वेतनमान की अधिकतम धनराशि पा रहे हैं ।

(7) क्षेत्रीय प्रचार (पब्लिसिटी) यूनिटों में सिनेमा आपरेटर के पद हैं जो केवल प्रोजेक्टर मशीन चलाते हैं वरन् किसान मेलों और प्रदर्शनियों में विद्युतीकरण व्यवस्था की देख-रेख भी करते हैं ।

(8) भारत सरकार के अधीन जो सिनेमा आपरेटर हैं वे 400–700 रु० के वेतनमान में हैं ।

रेडियो निरीक्षकों ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसमें यह कहा गया है कि रेडियो निरीक्षक आई० टी० आई० से डिप्लोमा प्राप्त करते हैं । वे पिछले पांच वर्षों से अपने वेतनमान की अधिकतम धनराशि पा रहे हैं । उसमें से अधिकांश टेलीविजन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्राविधिक पदों के लिये जो वेतनमान हैं उन्हीं के समतुल्य वेतनमान इन्हें भी स्वीकृत किए जाने चाहिए ।

(छ) सूचना अधिकारी, राज्य सूचना ब्यूरो, लखनऊ

(1) मुख्यालय पर जो सूचना अधिकारी हैं वे 450–950 रु० के वेतनमान में हैं, जबकि राज्य सूचना ब्यूरो में जो सूचना अधिकारी हैं वह 450–850 रु० के वेतनमान में हैं ।

(2) राज्य सूचना ब्यूरो में जो सूचना अधिकारी हैं उनका वेतनमान या तो जन-संपर्क अधिकारी के वेतनमान (550–1200 रु०) के या राज्य सूचना ब्यूरो नई, दिल्ली के सूचना अधिकारी के वेतनमान (800–1450 रु०) या कम से कम मुख्यालय सूचना अधिकारियों के वेतनमान (450–950 रु०) के समान होनी चाहिए ।

(ज) सूचना विभाग के कलाकार (आर्टिस्ट)

(1) कलाकार के चार पद 350–700 रु० के वेतनमान में हैं तथा दो पद 300–500 रु० के वेतनमान में हैं ।

(2) सभी पदधारियों की शैक्षिक अर्हता एक ही है और उन्हें 350–700 रु०का वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

(झ) जन संपर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

(1) उत्तर प्रदेश सूचना केन्द्र नई दिल्ली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । वह आवश्यक साहित्य उपलब्ध कराकर संसद सदस्यों को राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में जानकारी देता है ।

(2) उत्तर प्रदेश के रेजीडेन्ट कमिश्नरों के कार्यालयों में कर्मचारिवर्ग को जो वेतनमान अनुमन्य हैं, वे उत्तर प्रदेश सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में कर्मचारिवर्ग को अनुमन्य वेतनमान से अधिक हैं ।

(3) उत्तर प्रदेश सूचना केन्द्र के कर्मचारिवर्ग के वेतनमान दिल्ली स्थित अन्य राज्य सरकारों के तद्नुरूप कर्मचारिवर्ग के वेतनमान की तुलना में कम हैं । जो विशिष्ट सुझाव दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :-

(क) उत्तर प्रदेश सूचना केन्द्र, नई दिल्ली अधिकारियों और कर्मचारिवर्ग को वही वेतनमान दिये जाने चाहिए जो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार के उस कर्मचारिवर्ग को ग्राह्य हैं जो दिल्ली में तैनात हैं ।

(ख) अन्य राज्य सरकारों की भांति, निम्नलिखित दर से विशेष वेतन दिया जाना चाहिए :
जन-संपर्क अधिकारी–250 रु० प्रति मास।
वर्ग 2 और 3 के कर्मचारी–150 रु० प्रति मास

वर्ग 4 के कर्मचारी–100 रु० प्रति मास ।

(ग) अन्य राज्यों ने अपने कर्मचारिवर्ग के लिए उनके वेतन के 10 प्रतिशत की दर से आवास की व्यवस्था की है या इसके विकल्प में अपेक्षाकृत अधिक दर से मकान किराया भत्ता दिया है । उत्तर प्रदेश सूचना केन्द्र के कर्म-

चारिवर्ग को उनके वेतन के 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए ।

(घ) चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जानी चाहिए । इलेक्ट्रीशियन, प्रदर्शनी यूनिट, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने जो ज्ञापन दिया है उसमें यह सुझाव दिया गया है कि इलेक्ट्रीशियन को वर्तमान वेतनमान 170–225 रु० के स्थान पर 185–265 रु० का वेतनमान दिया जाना चाहिए जो कि अन्य विभागों में इसी प्रकार के पदों पर अनुमन्य है ।

(ञ) सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कारपेन्टर

(1) कारपेन्टर तथा कारपेन्टर-कम-पेन्टर जो 175–250 रु० और 185–265 रु० के वेतनमान में हैं वे जूनियर हाई स्कूल के बाद आई० टी० आई० या राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान (गवर्नमेन्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट) से डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त है । भारत सरकार के अधीन कारपेन्टर का वेतनमान 280–550 रु० है ।

(2) उन्हें प्राविधिक घोषित किया जाय और चूंकि उन्हें पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं अतः उन्हें 380–550 रु० का सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(ट) सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रोजेक्टर आपरेटर

(1) उन्हें प्राविधिक कर्मचारी घोषित किया जाय ।

(2) भारत सरकार के रीजनल पब्लिसिटी विभाग, भारतीय उर्वरक निगम (फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया), भारतीय जीवन बीमा निगम के अधीन इसी प्रकार के पदों का वेतनमान 425–700 रु० है । उनका पदनाम संभागीय प्रचार सहायक (रीजनल पब्लिसिटी सहायक) रखा जाय और उन्हें 425–600 रु० का वेतनमान अनुमन्य होना चाहिए जिसे वेतन आयोग को और भी पुनरीक्षित करके 425–700 रु० करना चाहिए ।

(3) उनको पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं अतः उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिए ।

(ठ) फिल्म लाइब्रेरियन, सूचना और जन-संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

(1) सूचना निदेशालय में फिल्म लाइब्रेरियन का पद 1959 में सृजित किया गया था । शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद में इसी प्रकार का पद है । इन पदों के वेतनमान की तुलना नीचे दी गई है :–

	1965 से पूर्व	वेतन समिनवीकरण समिति के वेतनमान	वेतन आयोग (1971–73) के वेतनमान
	रु०	रु०	रु०
सूचना विभाग	120–300	150–350	300–550
शिक्षा विभाग	200–450	250–550	400–750

(2) सूचना विभाग में फिल्म लाइब्रेरियन के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग में इसी प्रकार के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व से अधिक हैं । सूचना विभाग में इस पद के लिए अर्हताएं निम्नलिखित हैं :–

(क) स्नातक,

(ख) फिल्मों का ज्ञान, और

(ग) लाइब्रेरी साइन्स में डिप्लोमा

शिक्षा विभाग में जो वेतनमान है उसके समान तथा फण्डामेंटल रूल 9(25) के अधीन 100 रु० का विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

(3) पदधारी को पदोन्नति के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं अतः उसे फिल्म अधिकारी या अन्य समतुल्य उच्चतर पदों पर पदोन्नति दी जानी चाहिए ।

(ड) ब्रेडमा मशीन आपरेटर्स

(1) सूचना विभाग में इन पदों के वेतनमान अन्य विभागों में अनुमन्य वेतनमानों से अपेक्षाकृत कम हैं ।

	सूचना विभाग	अन्य विभाग
	रु०	रु०
ब्रेडमा मशीन इन्चार्ज	200–320	280–460
ब्रेडमा मशीन आपरेटर	170–225	200–320

(2) पदधारी प्राविधिक अर्हताएं प्राप्त हैं अतः उन्हें अन्य विभागों में इसी प्रकार के पदों के वेतनमान के समान वेतनमान स्वीकृत किये जाने चाहिए ।

(ढ) रेडियो यूनिट कर्मचारी संघ, अल इंडिया रेडियो, लखनऊ

रूरल ब्राडकास्टिंग स्कीम वर्ष 1939 में ग्राम्य विकास विभाग के अधीन आरम्भ की गयी थी और बाद में वर्ष 1947 में उसे सूचना विभाग को हस्तांरित कर दिया गया था । इस समय इस योजना के अन्तर्गत कुल सात कर्मचारी कार्यरत हैं । संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित सुझाव दिए :–

(1) सुपरवाइजर, रूरल ब्राडकास्टिंग का वेतनमान बढ़ाकर सूचना अधिकारी के वेतनमान के बराबर किया जाना चाहिए और पदों को राजपत्रित किया जाना चाहिए ।

(2) सहायक सुपरवाइजर, रूरल ब्राडकास्टिंग का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए ।

(3) इस शाखा में प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक के लिपिक वर्गीय पदों का कार्य प्राविधिक प्रकार का है, अतः उनके वेतनमान बढ़ाये जाने चाहिए ।

9.5 सूचना निदेशक ने आयोग की प्रश्नावली के उत्तर में यह कहा कि विभाग में पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम हैं । अतः उन्होंने यह सुझाव दिया कि कम से कम 10 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था उन सभी व्यक्तियों के लिए की जानी चाहिए जो साधारण ग्रेड के वेतनमान की अधिकतम धनराशि पा रहे हैं । उन्होंने यह भी सुझाव

दिया कि पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मध्यवर्ती वेतनमान (इण्टरमीडियरी स्केल) वाले पद सृजित किये जाने चाहिए ।

9.6 ज्ञापनों से या मौखिक साक्ष्य से जो मुख्य बातें उत्पन्न हुई उन पर नीचे विचार किया गया है :–

(1) मुख्यालय के सूचना अधिकारियों और जिला सूचना अधिकारियों दोनों ही ने एक की दूसरे से तुलना में अपनी प्रास्थिति के प्रश्न के सम्बन्ध में अभ्यावदन किया है । मुख्यालय के सूचना अधिकारियों ने हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि वे अपेक्षाकृत अधिक अर्हता प्राप्त हैं और सरकार पत्रों की नीतियों और निर्णयों को जैसा कि वे समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन में अभिव्यक्त किये जाते हैं समन्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं । जिला सूचना अधिकारियों ने अपने ज्ञापन में तथा मौखिक साक्ष्य में इस तथ्य पर जोर दिया कि वे लगभग 20 वर्ष पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये थे और स्थायी किये गये हैं, जबकि मुख्यालय के सूचना अधिकारियों के कुछ ही पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित रूप से भरे गये हैं और सभी पद परिनिरीक्षकों (स्क्रूटीनाइजर) और अनुवादकों में से तदर्थ आधार पर पदोन्नति करके भरे गये हैं । जिला सूचना अधिकारियों ने यह मांग की है कि उन्हें वेतनमान और पदोन्नति के संबंध में वर्ग-2 के अधिकारियों से समानता दी जाय ।

(2) सूचना विभाग में कार्य के बारे में तथा जो वेतनमान उन्हें अनुमन्य होने चाहियें उनके बारे में दोनों ही संघों ने बाजपेयी समिति की रिपोर्ट, 1965 को व्यापक रूप से उद्धृत किया है । मुख्यालय सूचना अधिकारी के बारे में बाजपेयी समिति ने उल्लेख किया है कि "इस विषय में विभाग में ही मत भिन्नता है कि उनमें से आधे या दो तिहाई के पास निर्धारित मात्रा से कम कार्य है या बिल्कुल ही कार्य नहीं है ।"

हम यह महसूस करते हैं कि मुख्यालय सूचना अधिकारी नाजुक कार्य करता है, क्योंकि उसे सरकार की नीतियों की व्याख्या करनी पड़ती है लेकिन इसके साथ ही हम इस बात को नजर अन्दाज नहीं कर सकते कि क्षेत्रीय स्तर पर सरकार के कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन से सामान्य जनता को अवगत कराने का भार प्रमुख रूप से जिला सूचना अधिकारी पर ही होता है । पिछले वेतन आयोग (1971-73) ने मुख्यालय पर और जिलों में तैनात सभी सूचना अधिकारियों के लिए 450–850 रु0 का एक ही वेतनमान संस्तुत किया था । असंगति समिति ने मुख्यालय सूचना अधिकारी के वेतनमान की अधिकतम धनराशि को बढ़ाकर 950 रु0 कर दिया । यह एक छोटा सा संवर्ग है अतः अच्छा यह होगा कि सभी सूचना अधिकारियों को एक ही संवर्ग में लाया जाय । अतः हम सभी सूचना अधिकारियों के लिए एक ही वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं ।

(3) जिला सूचना अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों ने यह शिकायत की कि सेवा में पदोन्नति का अभाव है । सेवा संघ और विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श के दौरान यह विदित हुआ कि विभाग में कोई सेवा नियमावली नहीं है अतः समुचित संवर्ग व्यवस्था होना सम्भव नहीं हो सका । अतः हम इस बात की सबल संस्तुति करते हैं कि इस स्थिति में अविलम्ब सुधार किया जाना चाहिए और सेवा नियमावली को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए । जब तक कि जिला सूचना अधिकारियों और मुख्यालय के सूचना अधिकारियों के लिए एक ही संवर्ग न बन जाय हम जिला सूचना अधिकारियों और मुख्यालय सूचना अधिकारियों के लिये 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संस्तुति करते हैं ।

(4) हम इस बात की भी संस्तुति कर रहे हैं कि इस समय 550–1200 रु0 के वेतनमान में जो पद हैं उनमें से 50 प्रतिशत पद जिला सूचना अधिकारियों और मुख्यालय सूचना अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए । जब तक कि कोई सामान्य संवर्ग न बना दिया जाय, 850–1720 रु0 के वेतनमान में पदोन्नति वाले पद जिला सूचना अधिकारियों और मुख्यालय के सूचना अधिकारियों से उनकी अपनी-अपनी संख्या के आधार पर भरे जाने चाहिए ।

(5) हम इस बात की भी संस्तुति करते हैं कि उप निदेशक के सभी पद सामान्यतया पदोन्नति द्वारा भरे जायं । फिर भी यदि किसी पद के कार्य की अपेक्षानुसार **पार्श्विक प्रविष्टि** (लेटरल इन्ट्री) की जानी आवश्यक हो तो ऐसे पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायं ।

(6) जहां तक फिल्म निर्माण अधिकारी, प्रदर्शनी अधिकारी और गीत तथा नाट्य अधिकारी की पदोन्नति की सम्भावनाओं के प्रश्न का संबंध है, चूंकि इस बात की संस्तुति की जा चुकी है कि उपनिदेशक के पद उन पदाधिकारियों में से पदोन्नति करके भरे जायं जो 850–1720 रु0 के पुनरीक्षित वेतनमान में हैं, अतः हम इन अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में अलग से संस्तुति किये जाने की आवश्यकता नहीं समझते । हम समाचार सम्पादक (न्यूज एडिटर), प्रकाशन अधिकारी, प्रचार (पब्लिसिटी) अधिकारी, सूचना अधिकारी (सूचना केन्द्रों पर) फिल्म अधिकारी और चीफ आर्टिस्ट-कम-विजुअलाइजर को कुछ उच्चतर वेतनमान दिये जाने की भी संस्तुति कर रहे हैं ।

9.7 लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने विशिष्ट रूप से यह सुझाव दिया है कि वेतन अभिनवीकरण समिति से पूर्व सूचना निदेशालय में वेतनमान का जो ढांचा था उसी के आधार पर निदेशालय के सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को सचिवालय के वेतनमान दिये जायं । हमने लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमान के प्रश्न का परीक्षण किया है । हम सूचना निदेशालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग को सचिवालय के वेतनमान दिये जाने से संबंधित मांग को मानने में असमर्थ हैं । सूचना निदेशालय को अन्य विभागों से भिन्न मानने में कोई विशेष कारण नहीं है फिर भी हम ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग के लिए जो सचिवालय वेतनमान में, जो कि उन्हें वैयक्तिक वेतनमान के रूप में दिये गये हैं, कार्य कर रहे हैं, प्रतिस्थापन

वेतनमान (रिफ्रेसमेन्ट स्केल) दिये जाने की संस्तुति कर रहे हैं ।

9.8 इस विभाग के प्राविधिक कर्मचारियों ने वेतनमान के मामले में भारत सरकार के अधीन तदनुरूप पदों के वेतनमान से समानता दिये जाने की मांग की है । पहले एक अध्याय में हम वेतनमानों की समानता के सामान्य प्रश्न का परीक्षण कर चुके हैं । इस मांग को मानना सम्भव नहीं है ।

9.9 राज्य सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली में तैनात कर्मचारिवर्ग ने वही वेतनमान दिये जाने की मांग की है जो दिल्ली में तैनात पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार विभाग में अनुमन्य वेतनमान से समानता दिये जाने की सरकार के कर्मचारिवर्ग चाहे वे जहां कहीं भी तैनात हों, के वेतनमान वही होंगे जो उस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अनुमन्य हों । अतः यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती ।

9.10 जहां तक सूचना विभाग में कलाकारों (आर्टिस्ट) फोटोग्राफरों आदि के वेतनमान का सम्बन्ध है, हमारे समक्ष अन्य विभागों के जो विभिन्न सेवा संघ साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए उन्होंने ऐसे पदों के वेतनमानों को सूचना विभाग में अनुमन्य वेतनमान से समानता दिये जाने की मांग की । अतः हमें सूचना विभाग में ऐसे पदों को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता । हम यहां सामान्य कोटि के पदों के संबंध में पृथक् से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन पदों के संबंध में हम 'सामान्य कोटि के पदों' से संबंधित अध्याय में विचार कर चुके हैं ।

9.11. सुपरवाइजर, रूरल ब्राडकास्टिंग के पद हेतु निर्धारित अर्हता स्नातक डिग्री तथा ब्राडकास्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में अनुभव और ग्रामीण जीवन की अच्छी जानकारी है । पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है । इस अनुभाग में यह एक महत्वपूर्ण पद है । इस पद हेतु निर्धारित अर्हता, कार्य की प्रकृति तथा पद के महत्व को देखते हुए और इस कारण भी कि इस पद पर प्रोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं, हम इस पद हेतु 625–1170 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं । इस अनुभाग में एक सहायक सुपरवाइजर भी हैं जिनकी भर्ती सीधी होती है । इस पद के लिए निर्धारित अर्हता स्नातक डिग्री तथा प्रचार का अनुभव और ग्रामीणजीवन की जानकारी है । इस पद पर प्रोन्नति के अवसर नहीं हैं । हम इस पद के लिए 515–840 रु0 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं । हम इस संगठन के लिपिक वर्गीय पदों की समानता प्राविधिक पदों से किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते ।

9.12 170–225 रु0 के वेतनमान में प्रिंटिंग मशीन आपरेटर (ब्राडमा) के तीन पद तथा इम्बोसिंग मशीन आपरेटर के दो पद हैं। इन पदों हेतु निर्धारित अर्हता हाई स्कूल तथा कुछ अनुभव है । हम इन पदों के लिए 325–495 रु0 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं । वेतनमान 200–320 रु0 में मशीन इन्चार्ज का एक ही पद है और उसके लिए निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट तथा ब्रैडमा/इम्बोसिंग मशीनों पर कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव है । अतः हम इस पद हेतु 400–615 रु0 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं ।

हिन्दी संस्थान

9.13 वर्ष 1947 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हिन्दी परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था जिसे वर्ष 1955–56 में हिन्दी समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया और बाद में वर्ष 1960 में हिन्दी भाषा का समग्ररूप से विकास सुनिश्चित करने के लिये उसे सूचना विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया । इस समिति को वर्ष 1977 में पुनः शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया गया और अब इसका नाम हिन्दी संस्थान है । इस संस्था में वर्ग-4 के कर्मचारियों को सम्मिलित करके कुल 30 पद हैं । हमें यह सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति पहले हिन्दी समिति में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे थे उन्हें हिन्दी संस्थान में हस्तान्तरित कर दिया गया है । सूचना विभाग के स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें हिन्दी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर माना गया है । इस संस्थान का ढांचा अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है । इस संस्थान के कर्मचारी सूचना विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं अतः हमने सूचना विभाग के समान कोटि के कर्मचारियों के वेतनमान के आधार पर उनके पुनरीक्षित वेतनमान इस खंड के भाग–2 में दिये गये हैं ।

9.14 हमने पुनरीक्षित वेतनमान और, जहां कहीं आवश्यक हैं, सेलेक्शन ग्रेड इस खण्ड के भाग–2 में दिये हैं ।

अध्याय दस

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जिसमें एलोपैथी अस्पताल, औषधालय, विभाग की जिला तथा परिक्षेत्रीय (जोनल) स्थापनायें (सेट-अप) सम्मिलित हैं ।

(2) आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय,

((3) शीर्ष-स्तर पर चिकित्सा की होम्योपैथी पद्धति जो स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की देख-रेख तथा नियंत्रण में है ।

(4) चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा शोध ।

10.2 पिछले एक दशक के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है । बहुत सी केन्द्रीय योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने के कारण अनेक पदनामों वाले पद सृजित किये गये हैं । उनके कार्य परस्पर मिल गये हैं, क्योंकि नयी योजनाओं को स्वीकृत करते समय सभी बातों पर समग्र रूप से विचार नहीं किया जा सका । किसी विकासशील देश में ऐसी बात होना स्वाभाविक है ।

10.3 चिकित्सीय देखभाल एवं स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात् यह पता चलता है कि महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय मानक तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा । डाक्टर का जनसंख्या के साथ अनुपात जो पांचवीं योजना के प्रारम्भ में 1:6674 था वह वर्ष 1979-80 के अन्त तक बढ़कर 1:4800 हो जाने की आशा की जाती है जबकि अखिल भारतीय मानक 3000–3500 की जनसंख्या पर एक डाक्टर है । शैय्या तथा जनसंख्या का अनुपात 1:1920 है जबकि इसका मानक 1:1000 है । चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष व्यय 1974-75 में रु0 5.135 था जो 1979-80 में बढ़कर रु0 10.50 हो गया । इसका अखिल भारतीय औसत प्रति व्यक्ति व्यय रु0 12 है । 1979-80 के अन्त में राज्य में 948 नगर तथा 1166 ग्रामीण एलोपैथिक अस्पताल/औषधालय थे । आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पतालों/औषधालयों की संख्या नगर क्षेत्रों में 135 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1564 है । इसी प्रकार 1979-80 के अन्त में होम्योपैथिक औषधालयों की नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या क्रमशः 83 तथा 292 थी । राज्य ने सभी जिला अस्पतालों में आर्थोपैडिक, इमरजेन्सी पैथोलोजी, रेडियोलोजी, एनस्थीसियोलोजी, (डेन्टल क्लीनिक) तथा पूर्ण नर्सिंग इकाइयों की व्यवस्था की है । अभी तक नौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ही उन्नत करके 30 शैय्या वाला अस्पताल बनाया गया है । सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवक योजना इस समय राज्य के 330 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है । मलेरिया, फाइलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ रोग तथा अन्धेपन की रोकथाम करने जैसी विशेषीकृत इकाइयां भी ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में स्थापित कर दी गयी हैं ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि वर्ष 1982-83 के अन्त तक राज्य में जन्म दर घटाकर 30 प्रति एक हजार जनसंख्या तक लायी जाय ।

10.4 निम्नलिखित आंकड़ों से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों में पांच वर्ष की अवधि (1 अप्रैल 1974 से 1 अप्रैल, 1979 तक) के दौरान विभिन्न श्रेणियों के पदों में हुई बढ़ोत्तरी का पता चलेगा :–

निम्नांकित दिनांक को पदों की संख्या

	1-4-1974	1-4-197[illegible]
समूह 'क'	1,331	1,514
समूह 'ख'	5,640	7,466
समूह 'ग'	28,307*	37,038
समूह 'घ'	31,197	34,712
नियत वेतन पर पद	247	423
योग	66,722	81,153

*टिप्पणी–इन आंकड़ों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य [illegible] निदेशक के अधीन लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की [illegible] सम्मिलित नहीं है ।

10.5 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बहुत [illegible] सेवा संघों ने हमारे समक्ष अपने ज्ञापन तथा विचार प्र[illegible] किये हैं । हमने उनकी मांगों से संबंधित विभिन्न [illegible] पर तथा अन्य महत्वपूर्ण नीति विषयक मामलों के सम्बन्ध [illegible] विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से वि[illegible] विमर्श भी किया ।

10.6 विभिन्न सेवा संघों की अधिक महत्वपूर्ण [illegible] को संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :

(1) पी0 एम0 एस0 (प्रान्तीय चिकित्सा सेवा) सं[illegible] की मांगें

(एक) वरिष्ठ पदों के लिए भी निःशुल्क आवा[illegible] व्यवस्था ।

(दो) एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के [illegible] मान आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक डाक्टरों के [illegible] मानों से उच्चतर होने चाहिए ।

(तीन) एम0 बी0 बी0 एस0 को दो अग्रिम [illegible] वृद्धियां तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक [illegible] अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जायें ।

(चार) पोस्ट ग्रेजुएट वेतन की दर दुगनी [illegible] जाय जो उन्हें सेवा पर्यन्त देय हो ।

(पांच) ग्रामीण अंचलों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों को 200 रु0 प्रतिमास ग्रामीण भत्ता दिया जाय ।

(छः) टी0 बी0 क्लीनिकों तथा संक्रामक रोग अस्पतालों में कार्यरत रेडियोलोजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, पैथलाजिस्ट तथा डाक्टरों को 150 रु0 प्रति मास का जोखिम भत्ता दिया जाय ।

(सात) पेंशन के लिए अर्ध सेवा से संबंधित नियमों को इस प्रकार उदार बनाया जाय जिससे कि वे पूरी पेंशन प्राप्त कर सकें ।

(आठ) क्लीनिकल विशेषज्ञों को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाय तथा प्रैक्टिस बन्दी वेतन भत्ता समाप्त किया जाय ।

(2) प्रान्तीय स्वास्थ्य सेवा संघ की मांगें :–

(एक) पोस्ट ग्रेजुएट अर्हताओं (योग्यता) के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियां तथा वरिष्ठता दी जाय ।

(दो) प्रैक्टिस बन्दी वेतन भत्ते को एक में मिला दिया जाय और उसे प्रैक्टिस बंदी वेतन के रूप में 50 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 1,000 रु0 हो, दिया जाय ।

(तीन) पदोन्नति वाले पदों की संख्या बढ़ायी जाय ।

(चार) प्रयोगशाला सेवाओं तथा अन्य चिकित्सीय परीक्षणों हेतु शुल्क के रूप में वसूली की गयी धनराशि का बंटवारा किया जाय ।

(3) प्रान्तीय एकीकृत चिकित्सा सेवा संघ की मांगें

(एक) प्रैक्टिस बन्दी वेतन भत्ता दिया जाय तथा,

(दो) इसके सदस्यों के लिए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(4) राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा संघ की मांगें :–

(एक) उसी पैटर्न पर वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसर हों, जैसे कि एलोपैथिक वर्ग वालों के लिए हैं।

(दो) निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाय ।

(तीन) राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मेसी में सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाय ।

(चार) राजकीय फार्मेसी में अधीक्षक, प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक के वेतनमान क्रमशः संयुक्त निदेशक (एलोपैथिक), क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा के अधिकारियों तथा राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा के (सेलेक्शन ग्रेड) के समान किया जाय ।

(पांच) प्रशासनिक पदों पर प्रैक्टिस बन्दी वेतन/भत्ता दिया जाय ।

(छः) राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के शिक्षकों को राजकीय मेडिकल कालेजों के शिक्षकों के समान वेतनमान स्वीकृत किया जाय ।

(चार) 33 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(5) प्राविन्शियल होम्योपैथिक सर्विस एसोसिएशन की मांगें –

(एक) आयुर्वेदिक स्नातकों के समान वेतन दिया जाय ।

(दो) एलोपैथिक डाक्टरों की भांति प्रैक्टिस बंदी वेतन/भत्ता दिया जाय ।

(तीन) निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जाय ।

(चार) नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों के चिकित्साधिकारी, महिला चिकित्साधिकारी और रेजीडेन्ट चिकित्साधिकारी के लिए उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

(पांच) प्रोन्नति के अवसर उसी पैटर्न पर दिये जांय जैसे कि डेन्टल सर्जनों को प्राप्त हैं ।

(6) डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स एसोसिएशन चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मांगें

(एक) रुपये 550–1200 का वेतनमान दिया जाय तथा,

(दो) 50 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(7) उत्तर प्रदेश सहायक मलेरिया अधिकारी संघ

(एक) जिला मलेरिया अधिकारी (गैर-चिकित्सीय) के पदों को केवल उनके लिए सेवा में प्रोन्नति हेतु निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

(दो) 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(तीन) उनकी सेवा के लिए रु0 350–700 के वर्तमान वेतनमानों के साथ समानता दी जाय ।

(8) यू0 पी0 मेडिकल एन्टोमोलोजिस्ट्स एसोसिएशन की मांग :

रु0 550–1200 का वेतनमान तथा कवाल नगरों में वरिष्ठ पदों का सृजन किया जाय ।

(9) यू0 पी0 फाइलेरिया एन्टोमोलोजिकल एसोसिएशन की मांग :–

स्टेट एन्टोमोलोजिस्ट तथा सहायक निदेशक, फाइलेरिया के पदों को उन की सेवा में प्रोन्नत किये जाने हेतु निर्दिष्ट कर दिया जाय और उन पर एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टरों को न रखा जाय ।

(10) यू0 पी0 असिस्टेन्ट एपीडेमिक आफिसर्स एसोसिएशन की मांगें

(एक) मेडिकल आफिसर (एपीडेमिक) के रूप में पुनः पदनाम रखा जाय ।

(दो) अन्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा स्नातकों की भांति रु0 550–1200 का वेतनमान दिया जाय

(तीन) प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिया जाय ।

(चार) 33 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(पांच) निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाय ।

(11) यू0 पी0 ड्रग इन्सपेक्टर्स एसोसिएशन की मांगें

(एक) उच्चतर वेतनमान दिया जाय और,

(दो) 20 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(12) राजकीय नर्सेज संघ, यू0 पी0 की मांगें

(एक) छात्र नर्सों की छात्रवृत्ति रु0 135 से बढ़ाकर 250 रु0 प्रतिमाह की जाय ।

(दो) 30 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(तीन) नर्सिंग में बी0 एस-सी0 तथा एम0 एस-सी0 की अर्हता रखने वाले धारकों को क्रमशः रु0 30 और रु0 50 का अर्हता भत्ता दिया जाय ।

(चार) बोर्ड भत्ता रु0 45 से बढ़ाकर रु0 120 प्रतिमाह दिया जाय ।

(पांच) रु0 1000 का वर्दी भत्ता दिया जाय ।

(छः) अनुरक्षण भत्ता रु0 20 से बढ़ाकर रु0 30 प्रति माह कर दिया जाय ।

(सात) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, ई0 एस0 आई0 भत्ता तथा सवारी भत्ता दिया जाय ।

(आठ) आठ घंटे से अधिक समय तक कार्य करने पर दुगुनी दर से ओवर टाइम भत्ता दिया जाय ।

(नौ) भण्डार के रख-रखाव के लिए रु0 75 प्रतिमाह का भत्ता दिया जाय ।

(दस) नर्सों के लिए अधिवर्धता की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाय ।

(ग्यारह) पुलिस कर्मियों की भांति छुट्टियों के बदले एक माह का अतिरिक्त वेतन भत्ता ।

(बारह) मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध नर्सिंग स्कूलों में सीनियर प्रिंसिपल ट्यूटर के पद सृजित किये जायं ।

(तेरह) नर्सिंग कालेज में शिक्षण पदों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिये जायं।

(13) यू0 पी0 पब्लिक हेल्थ फीमेल एम्पलाइज एसोसियेशन की मांग

ए0 एन0 एम0 ट्रेनिंग सेन्टरों के ट्यूटर इंचार्ज के लिए उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

(14) डिप्लोमा फार्मेसिस्ट्स एसोसियेशन एवं यू0 पी0 फार्मेसिस्ट एसोसिएशन की मांगें

(एक) उच्चतर वेतनमान सीनियर ग्रेड तथा सुपर-सीनियर ग्रेड दिया जाय ।

(दो) फार्मेसिस्ट का संवर्ग जिलेवार होना चाहिए।

(तीन) मुख्य फार्मेसिस्ट का चयन भी जिलेवार होना चाहिए ।

(चार) प्रभार भत्ते की दर रु0 10 से बढ़ाकर रु0 30 प्रतिमाह की जाय ।

(पांच) कुष्ठ तथा ई0 एस0 आई0 भत्ता दिया जाय ।

(छः) निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाय ।

(सात) वेतन के 50 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिया जाय ।

(आठ) छः सप्ताह का अभिनव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाप्त किया जाय जो इस समय दक्षतारोक पार करने के लिए आवश्यक है ।

(15) यू0 पी0 लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन, यू0 पी0 मेडिकल टेक्नीशियन्स एसोसिएशन तथा दि इण्डियन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलोजिट्स एसोसिएशन, यू0 पी0 की मांगें :–

(एक) उच्चतर वेतनमान दिया जाय तथा सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों का सृजन किया जाय ।

(दो) 30 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(तीन) रु0 100 प्रतिमाह का विशेष वेतन तथा जोखिम भत्ता दिया जाय ।

(चार) वेतन के 50 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिया जाय ।

(पांच) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ को निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाय ।

(छः) एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के प्राविधिक सहायक के पांच पदों को, जिनकी योग्यता बी0 एस-सी0 है, रु0 300–550 के वेतनमान में रासायनिक सहायकों के पद के बराबर समीकृत किया जाय ।

(16) यू0 पी0 एक्स-रे टेक्नीशियन्स एसोसिएशन की मांगें

(एक) उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

(दो) निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाय ।

(तीन) 40 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(17) प्राविंशियल डेन्टल हाइजिनिस्ट, मेकेनिक एवं असिस्टेन्ट एसोसियेशन की मांग

(एक) डेन्टल हाइजिनिस्ट को भी रु0 30 प्रतिमाह की वृत्ति मिलनी चाहिए जो डेन्टल मेकेनिक को मिलती है ।

(दो) फार्मेसिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स तथा एक्सटेन्शन एजूकेटर से उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

(तीन) सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(18) टी0 बी0 कन्ट्रोल वर्कर्स एसोसिएशन, यू0 पी0 की मांगें

(एक) बी0 सी0 जी0 टीम लीडर को मुख्य स्वच्छता निरीक्षक के बराबर तथा बी0 सी0 जी0 टेक्नीशियन को स्वच्छता निरीक्षक के बराबर समीकृत किया जाय।

(दो) निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाय ।

(तीन) सेलेक्शन ग्रेड तथा जोखिम भत्ता दिया जाय।

(19) प्राविन्शियल फिजियो एण्ड आकूपेशनल थिरेपिस्ट्स एसोसिएशन, यू0 पी0 की मांगें

(एक) अस्पताल में शय्यों की संख्या के आधार पर उच्चतर वेतनमान दिया जाय तथा पद सृजित किये जायें ।

(दो) प्रैक्टिस बंदी भत्ता/वेतन दिया जाय ।

(तीन) जोखिम भत्ता दिया जाय ।

(चार) सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(20) उ0 प्र0 परिवार कल्याण सांख्यिकीय कर्मचारी संघ की मांगें

(एक) परिवार कल्याण ब्यूरो में कार्यरत सांख्यिकीय सहायकों के लिए लोक सेवा आयोग के अनुमोदन की अपेक्षा किये बिना रु0 350-700 का वेतनमान दिया जाय ।

(दो) संगणकों के लिए अन्य विभागों में इसी समान पदों के वेतनमान के बराबर रु0 280-460 का वेतनमान दिया जाय ।

(21) वाइटल स्टैटिस्टिक्स एम्प्लाईज एसोसिएशन की मांगें

(एक) पंच आपरेटरों को लोक सेवा आयोग तथा डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर में समान पदों के बराबर वेतनमानें दिया जाय ।

(दो) संगणकों को अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्वेषक एवं संगणकों के समान वेतनमान दिया जाय ।

(22) साइन्टिफिक वर्कर्स एसोसिएशन आफ पब्लिक एनालिस्ट विभाग की मांगें

(एक) खाद्य तथा औषधि अनुभाग के लिए एक संयुक्त संवर्ग होना चाहिए ।

((दो) उच्चतर पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए ।

(तीन) वेतन का 25 प्रतिशत जोखिम भत्ता दिया जाय ।

(23) राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कर्मचारी संघ की मांगें

(एक) समाजशास्त्री, तकनीकी अधिकारी तथा स्टैटिशियन के पद के लिए रु0 550-1200 का वेतनमान दिया जाय ।

(दो) प्रदर्शनी सहायक के लिए रु0 350-700 का वेतनमान दिया जाय ।

(तीन) तृतीय श्रेणी के अन्य पदों के लिए उच्चतर वेतनमान दिये जायं ।

(24) मेरठ तथा आगरा मेडिकल कालेज के यू0 पी0 नान-प्रैक्टीसिंग मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की मांगें

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिये जायं ।

(दो) सभी प्रयोजनों के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ते को वेतन माना जाय ।

(तीन) कुल परिलब्धियों पर अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाय ।

(चार) प्रिन्सिपलों को रु0 500 प्रतिमाह का प्रशासनिक भत्ता दिया जाय ।

(पांच) अधिवर्षता की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाय ।

(छः) 10 प्रतिशत पदों के लिए व्यक्तिगत प्रोन्नति दी जाय ।

(सात) प्रख्यात प्रोफेसरों हेतु रु0 3000 का सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(आठ) प्रवक्ताओं को पांच अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जायं ।

(नौ) वार्डेन को निःशुल्क आवास सुविधा दी जाय अथवा वार्डेन भत्ते में रु0 50 प्रतिमाह की वृद्धि की जाय और उनके निवास पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जाय ।

(दस) रीडर और प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती की जाय ।

(ग्यारह) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सुविधाएं प्रदान की जायं ।

(बारह) बायोकेमिस्ट माइक्रोबायोलाजिस्ट, (फिजिसिस्ट) आदि जैसे गैर-चिकित्सीय शिक्षकों को प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिया जाय ।

(तेरह) शिक्षकों को पांच वर्ष बाद पूरे वेतन पर 6 माह की सैबेटिकल, लीव दी जाय ताकि वे अपने ज्ञान को नवीनतम कर सकें ।

(25) क्लीनिकल टीचर्स एसोसिएशन, मेडिकल कालेज मेरठ की मांगें

(एक) रु0 150 प्रतिमाह का अस्पताल भत्ता दिया जाय ।

(दो) निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाय ।

(तीन) कार्यालय तथा निवास में टेलीफोन की सुविधा दी जाय ।

(चार) गजेटेड छुट्टियों आदि के बदले में प्रतिकर छुट्टी दी जाय ।

(26) डाइरेक्टर-प्रोफेसर, टी0 बी0 डिमान्स्ट्रेशन ट्रेनिंग सेन्टर तथा चेस्ट इन्स्टीट्यूट, आगरा की मांगें

(एक) निदेशक, प्रोफेसर का वेतनमान अतिरिक्त निदेशक के बराबर एपीडेमियालोजिस्ट तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान प्रोफेसर के बराबर, चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान प्रोफेसर के बराबर लिपिक का वेतनमान किसी राज्य स्तरीय संस्था के प्रधान लिपिक के बराबर तथा बी0 सी0 जी0 टेक्नीशियन का वेतनमान बी0 सी0 जी0 टीम लीडर के वेतनमान के बराबर किया जाय ।

(दो) कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए संविदा नियुक्तियां की जायं ।

(तीन) परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा न रखी जाय ।

(चार) जो कर्मचारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं, उनकी व्यक्तिगत प्रोन्नति अगले उच्चतर श्रेणी में की जायं ।

(पांच) 30 वर्ष की सेवा पर पूरी पेंशन दी जाय ।

(छः) यदि अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति न हो तो प्रोन्नति होने तक एक वेतन वृद्धि के बराबर वृद्धिरोध भत्ता दिया जाय ।

(सात) पदनामों को संशोधित किया जाय तथा,

(आठ) जो हाई स्कूल (विज्ञान) के साथ आधारिक अर्हता रखते हैं उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान किये जायं ।

(27) मेडिकल अटेन्डेन्ट एसोसिएशन एडहाक कमेटी, यू0 पी 0की मांगें

(एक) अनर्ह फार्मेसिस्टों के समान वेतनमान दिया जाय ।

(दो) अर्ह फार्मेसिस्ट का वेतनमान पाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की सुविधा दी जाय ।

(तीन) बोर्ड तथा वर्दी भत्ता की दरों में वृद्धि की जाय ।

(28) एक्स-आर्मी एण्ड सिविल नर्सिंग असिस्टेन्ट्स एसोसियेशन की मांगें :-

(एक) चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के समान वेतनमान दिया जाय, और

(दो) वर्दी, धुलाई और बोर्ड भत्ता वही दिया जाय जो पुरुष स्टाफ नर्स को अनुमन्य है ।

(29) मेन्टल हास्पिटल इम्पलाईज यूनियन की मांगें कर्मचारी संघ की मांगें

(एक) जेल विभाग की तरह पूरी वर्दी दी जाय ।

(दो) वेतन का 25 प्रतिशत जोखिम भत्ता दिया जाय ।

(तीन) धुलाई भत्ता की दर रु0 8 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रु0 15 प्रतिमाह कर दी जाय ।

(30) राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय कर्मचारी संघ की मांगें :-

(एक) प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला प्राविधिक सहायक को मेडिकल कालेज के प्रयोगशाला सहायकों के बराबर वेतनमान दिया जाय ।

(दो) माडेलर के पद के लिये उसकी योग्यता के आधार पर उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

(तीन) एक्स-रे टेक्नीशियन तथा डार्क रूम सहायक को मेडिकल कालेज के तद्नुरूप पदों के बराबर वेतनमान दिया जाय ।

(31) राजकीय आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी कम्पाउन्डर्स एसोसिएशन की मांगें

(एक) एलोपैथिक औषधालयों के फार्मेसिस्टों के बराबर वेतनमान दिया जाय ।

(दो) निःशुल्क आवास की सुविधा अथवा उसके स्थान पर मकान किराया भत्ता दिया जाय ।

(तीन) 25 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

(चार) मुख्य फार्मेसिस्ट के 10 प्रतिशत पद सृजित किये जायं ।

(पांच) प्रभार भत्ता की दर रु0 5 प्रतिमाह से बढ़ाकर वेतन का 20 प्रतिशत कर दी जाय ।

(छः) अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को, जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी की है, प्रशिक्षित कम्पाउन्डरों का वेतनमान स्वीकृत किया जाय ।

(32) राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी कर्मचारी संघ की मांगें

(एक) हाई स्कूल पास 'पैकर' तथा 'सार्टर' को उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

(दो) स्टोरकीपर को जिसके अधीन उसी वेतनमान में कई लिपिक कार्य करते हैं, उच्चतर वेतनमान दिया जाय ।

(33) दि आल इंडिया सी0 जी0 एच0 एस0 होम्योपैथिक फिजिशियन एसोसियेशन की मांगें

(एक) होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को आयुर्वेदिक, यूनानी, दन्त तथा पशु शल्य चिकित्सकों के बराबर वेतनमान दिया जाय ।

(दो) जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनके लिए 20 प्रतिशत पद उच्चतर वेतनमान में दिये जांय ।

(तीन) प्रैक्टिस बंदी भत्ता होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को भी दिया जाय ।

(34) नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल लखनऊ के प्रिंसिपल की मांगें

(एक) प्रिंसिपल का वेतनमान राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल के बराबर किया जाय ।

(दो) विभिन्न अन्य कोटि का वेतनमान स्टेट मेडिकल कालेजों में उनके तद्नुरूप पदों के वेतनमान के बराबर किया जाय ।

(तीन) जिन पदों के धारकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है, उन्हें प्रैक्टिस बन्दी वेतन/भत्ता दिया जाय ।

(चार) कर्मचारिवर्ग को स्नातकोत्तर वेतन दिया जाय ।

(पांच) स्नातकों को वेतनमान अन्य मेडिकल स्नातकों के बराबर दिया जाय ।

(35) राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के प्रिन्सिपलों की मांगें

(1) उन्हें राजकीय मेडिकल कालेजों के शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाय ।

(2) अस्पताल कर्मचारिवर्ग में रखे गये वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को आयुर्वेदिक सेवा के राज्य संवर्ग में सम्मिलित किया जाय ।

(3) पैरा-मेडिकल कर्मचारिवर्ग को राजकीय मेडिकल कालेजों के पैरा-मेडिकल कर्मचारिवर्ग के समान वेतनमान दिया जाय ।

10.7 ग्राम तथा ब्लाक स्तर के विभिन्न कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अन्य सेवा संघों ने भी अपनी मांगें प्रस्तुत की है चूंकि उनकी मांगें न्यूनाधिक रूप से एक जैसी है, और उन्हें बहुधन्धी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों के रूप में एकीकृत करने का प्रस्ताव है । अतः हमने यह आवश्यक नहीं समझा कि उनके नामों तथा उनकी मांगों का अलग-अलग उल्लेख किया जाय । तथापि हमने इस अध्याय में संस्तुतियों को अन्तिम रूप देते समय ऐसी मांगों के बारे में विचार किया है ।

10.8 हम वेतनमानों, पदोन्नतियों आदि से संबंधित पदों पर विचार करने से पूर्व कुछ उन मामलों की चर्चा करेंगे जिन्हें हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हैं ।

10.9 **विशेषज्ञ संवर्ग**—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार तथा सभी जिला अस्पतालों, क्रमोन्नत (अपग्रेडेड) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अन्य बड़े अस्पतालों में विशेषज्ञों की नियुक्ति के फलस्वरूप यह सुझाव दिया गया है कि विशेषज्ञों का एक पृथक् संवर्ग बनाया जाय । इस समय इन विशेषज्ञों का सामान्य ग्रेड रु0 550–1200, वरिष्ठ ग्रेड रु0 800–1450 तथा विशेष ग्रेड रु0 1200–1800 है । तथापि विशेषज्ञों का कोई पृथक् संवर्ग नहीं है उन्हें पी0 एम0 एस0 अधिकारी के रूप में भर्ती किया जाता है तथा विशेषज्ञों के पदों पर तैनात किया जाता है । हमारी जानकारी में यह बात लाई गई है कि पोस्ट ग्रेजुएट अर्हता रखने वाले बहुत से डाक्टर सामान्य ड्यूटी अधिकारियों अथवा सामान्य चिकित्सा अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं । हमारे सामने यह तर्क प्रस्तुत किया गया है तथा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश इस विचार से सहमत हैं कि कार्य कुशलता तथा रोगियों की प्रभावपूर्ण सेवा के हित में विशेषज्ञों का एक पृथक संवर्ग बनाया जाना वांछनीय होगा । इस बात पर विचार किया गया है कि क्रमिक रूप से प्रत्येक तहसील में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत (अपग्रेड) किया जायेगा । उस स्तर के ऊपर जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों की व्यवस्था की जायेगी । चिकित्सा संबंधी देख-रेख का जो (पैटर्न) निखर रहा है वह यह है कि साधारण रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर उपलब्ध होंगी । विशेषज्ञ इलाज के लिए रोगी सामान्यतः सबसे पास के क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जायेंगे तथा अधिक गम्भीर रोग वाले मामले जिला तथा बड़े अस्पतालों में आयेंगे । हम यह महसूस करते हैं कि विशेषज्ञों का एक पृथक् संवर्ग बनाने से पदाधिकारी न केवल अपने विशिष्ट ज्ञान को बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित होंगे बल्कि इससे रोगियों की देखभाल भी अपेक्षाकृत अच्छी होगी । अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि विशेषज्ञों का एक पृथक् संवर्ग बनाया जाय तथा सामान्य ग्रेड के विशेषज्ञों को क्रमोन्नित (अपग्रेडेड) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर और वरिष्ठ तथा विशेष ग्रेड के विशेषज्ञों को जिला मंडलीय अस्पतालों में पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था सहित, रखा जाये । इस समय क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बहुत कम है । हम वरिष्ठ वेतनमान के विशेषज्ञों को सभी जिला अस्पतालों में रखे जाने की संस्तुति नहीं करते हैं । उन जिला अस्पतालों में, जहां जिला नगर की जनसंख्या एक लाख से कम है, फिलहाल सामान्य ग्रेड के विशेषज्ञों को तैनात किया जा सकता है । जबकि अपेक्षाकृत बड़े अस्पतालों में वरिष्ठ वेतनमान के विशेषज्ञों को रखा जाय । जैसे ही किसी विशेष जिले में कम से कम तीन क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो गये वहां जिला अस्पताल में चाहे जिला नगर की जनसंख्या कुछ भी क्यों न हो, वरिष्ठ वेतनमान के विशेषज्ञ तैनात किये जा सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में उच्च डाक्टरी राय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मामले मिल सकेंगे । मंडलीय मुख्यालयों के अस्पतालों तथा उनके समकक्ष अन्य अस्पतालों में विशेष ग्रेड के कन्सल्टेण्ट रखे जाने चाहिए । चिकित्सा विभाग इन विशेषज्ञ पदों पर केवल पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टरों की तैनाती पहले से ही करता आ रहा है । हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि इन पदों पर तैनाती के लिए आधारभूत न्यूनतम अर्हता पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा डिग्री होनी चाहिए । तथापि राज्य सरकार यह निर्णय ले सकती है कि क्रमोन्नत (अपग्रेड) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पतालों और अन्य बड़े अस्पतालों में (जिसमें महिला अस्पताल तथा मंडलीय अस्पताल सम्मिलित है) किन स्पेशलिटीज की व्यवस्था की जाय । हमने संस्तुत विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों के लिए पृथक् वेतनमान निर्मित किये हैं ।

10.10 **चिकित्सा शिक्षा तथा शोध**—उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर के सात एलोपैथिक मेडिकल कालेज हैं । राज्य में ग्यारह सामान्य उपचारिका (नर्सेज) प्रशिक्षण केन्द्र, आठ मिडवाइफरी प्रशिक्षण केन्द्र, 42 सहायक नर्स मिडवाइफ प्रशिक्षण केन्द्र, सात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र तथा बहुत से लेडी हेल्थ विजिटर प्रशिक्षण केन्द्र हैं । विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय-समय पर अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं । एलोपैथिक पद्धति में शिक्षा प्रदान करने वाली इन प्रशिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य में नौ आयुर्वेदिक कालेज, 16 होम्योपैथिक कालेज तथा दो यूनानी कालेज हैं । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक, तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक जो इन संस्थाओं का प्रशासन देखते हैं, के पास सामान्य प्रशासन

तथा विभागाध्यक्ष के अन्य सामान्य कर्तव्यों का भी अत्यधिक कार्य भार है ।

10.11 यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन संस्थाओं में शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का हो । हमने चिकित्सा शिक्षा के ढांचे के प्रश्न पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है । हमें यह सूचित किया गया कि राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं में शिक्षण के स्तर में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक् चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । हमने विभिन्न सेवा संघों तथा विभाग के अधिकारियों से जो विचार-विमर्श किया उससे यह प्रतीत होता है कि इस समय चिकित्सा शोध का रूप अव्यवस्थित है और वह ठीक प्रकार से समन्वित नहीं है । विभिन्न कालेजों तथा उन कालेजों में विभिन्न स्पेशलाइजेशन्स में शोध तदर्थ आधार पर की जाती है । हमारी यह दृढ़ धारणा रही है कि एलोपैथिक कालेजों में शोध और देशी चिकित्सा पद्धति में शोध करने के लिये भी कुछ केन्द्रीय मार्ग निर्देशन और कार्यक्रम का समन्वय होना चाहिए । इस समस्या के हर पहलू पर विचार करने के पश्चात् हम यह संस्तुति करते हैं कि राज्य सरकार एक चिकित्सा शिक्षा एवं शोध निदेशालय की पृथक् रूप से स्थापना किये जाने के प्रश्न पर विचार करना चाहे जो सभी मेडिकल कालेजों की, जिसमें आयुर्वैदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तथा पैरा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान और चिकित्सा शोध भी सम्मिलित हैं, देखभाल कर सकता है । चिकित्सा शिक्षा एवं शोध निदेशालय के कार्मिक केवल प्रान्तीय चिकित्सा सेवा से ही न लिये जायं वरन् उन्हें मेडिकल कालेजों तथा बाहरी प्रतिभाओं में से भी लिया जा सकता है ।

10.12 **बहुधन्धी कार्यकर्ता**–इस समय ग्राम्य स्तर पर बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो टीका, मलेरिया, परिवार नियोजन, हैजा आदि कार्यों की देख-भाल करते हैं । राज्य सरकार ने इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि ग्राम्य स्तर के इन विभिन्न कार्यकर्ताओं को एक बहुधन्धी कार्यकर्ता एकीकृत योजना में समांकित कर दिया जाय जिसमें प्रत्येक कर्मचारी छोटे क्षेत्र में ग्राम स्तर पर सभी कार्यों की देखभाल करें । इसी प्रकार से ब्लाक स्तर पर मलेरिया निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, सर्वेलेन्स निरीक्षक, चेचक पर्यवेक्षक, हेल्थ विजिटर, सफाई निरीक्षक आदि के पद हैं । राज्य सरकार एक एकीकृत ब्लाक स्तरीय बहुधन्धी कार्यकर्ता रखने के लिये सहमत है । इस प्रकार से ग्रामों के एक समूह के लिए एक स्वास्थ्य कर्मचारी (पुरुष) तथा एक स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला) होंगे और वे उस क्षेत्र की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जिसका पर्यवेक्षण एक बहुधन्धी ब्लाक स्तरीय कार्यकर्ता समूह द्वारा किया जायेगा । हम तद्नुसार ग्राम तथा ब्लाक स्तर पर इन पदों का समूहीकरण कर रहे हैं तथा उन्हें उपर्युक्त वेतनमान दे रहे हैं । तथापि शासन के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एकीकृत संवर्ग सृजित करने के संबंध में तद्नुसार आगे की कार्यवाही करें तथा सेवा शर्तों और अन्य संबद्ध विषयों को विनियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन नियमावली तैयार करें ।

10.13 ग्राम स्तर पर उपलब्ध पद तथा उनके वर्तमान वेतनमान का नीचे उल्लेख किया गया है :–

	रु0
(1) वैक्सीनेटर	170–225
(2) बेसिक हेल्थ वर्कर	185–265
(3) हाउस विजिटर	185–265
(4) आक्जीलरी नर्स मिडवाइफ	185–265
(5) परिवार कल्याण कर्मचारी	200–320
(6) पैरा मेडिकल वर्कर	200–320
(7) विशेष हैजा कर्मचारी	200–320
(8) परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (नान-ग्रेजुएट)	230–385
(9) ट्रेकोमा वर्कर	230–385

10.14 अधिकांश पुरुष कर्मचारी रु0 185–265 के वेतनमान में हैं । उनकी आधारिक अर्हता विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल है तथा एक अल्पकालिक प्रशिक्षण है । वैक्सीनेटर तथा परिवार कल्याण कर्मचारी की न्यूनतम निर्धारित अर्हता केवल जूनियर हाई स्कूल है । आक्जीलरी नर्स मिडवाइफ/परिवार कल्याण कर्मचारी को डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ता है । केवल वैक्सीनेटर को ही, जो रु0 170–225 के न्यूनतम वेतनमान में है तथा जिसकी न्यूनतम अर्हता जूनियर हाई स्कूल है, लगभग 14 सप्ताह का एक अल्पकालिक प्रशिक्षण लेना पड़ता है । इस श्रेणी के कर्मचारियों की अर्हता तथा वेतनमानों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हम निम्नलिखित संस्तुति करते हैं :

(क) भविष्य में ग्राम स्तरीय बहुधंधी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिये बेसिक न्यूनतम अर्हता विज्ञान के साथ हाई स्कूल तथा उपयुक्त प्रशिक्षण (लगभग 2 वर्ष का) होना चाहिए ।

(ख) इस समय विभिन्न वेतनमानों में वर्तमान पदधारियों को रु0 354—550 का वेतनमान दिया जाय ।

(ग) कनिष्ठ वेतनमान के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक तथा ट्रेकोमा वर्कर को, जो इस समय रु0 230—385 के वेतनमान में हैं, अपने वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प होगा ।

10.15 विभाग में ब्लाक स्तर पर निम्नलिखित कोटि के कर्मचारी हैं :–

	रु0
1–(क) स्वास्थ्य निरीक्षक (अप्रशिक्षित)	230–385
(ख) स्वास्थ्य निरीक्षक (प्रशिक्षित)	280–460
2–(क) वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक	280–460
(ख) वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक	300–500
3–मलेरिया निरीक्षक	230–385
4–सर्वेलेन्स निरीक्षक	230–385
5–चेचक सुपरवाइजर	230–385
6–सीनियर स्केल परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (स्नातक)	300–500
7–सफाई निरीक्षक	280–460
8–लेडी हेल्थ विजिटर	250–425

10.16 **सीनियर स्केल परिवार कल्याण** स्वास्थ्य सहायक जिसकी अर्हता स्नातक है तथा लेडी हेल्थ विजिटर जिसकी अर्हता 3 वर्ष प्रशिक्षण के साथ हाई स्कूल है, के सिवाय इनमें से अधिकांश पदों के लिये निर्धारित अर्हता प्रशिक्षण के साथ इन्टरमीडिएट (साइंस) है। भविष्य में इनकी निर्धारित अर्हता उचित प्रशिक्षण के साथ-साथ इन्टरमीडिएट साइंस होनी चाहिए और उन्हें रु0 470—735 का वेतनमान दिया जाना चाहिए। सीनियर स्केल के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक तथा वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक जो इस समय रु0 300–500 के वेतनमान में हैं को अपने वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प होगा,

10.17 लेडी हेल्थ विजिटर के पद रु0 250–425 के वेतनमान में हैं तथा प्रसार शिक्षक के पद रु0 350–700 के वेतनमान में हैं। ये कार्यकर्ता ब्लाक स्तर के हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है हेल्थ विजिटर ब्लाक स्तरीय कार्यकर्ता होंगे किन्तु लेडी हेल्थ विजिटर के पद जिला स्तर से भी सम्बद्ध किये गये हैं। जिला हेल्थ विजिटर (प्रत्येक जिले में एक) को रु0 515–840 का उच्चतर वेतनमान दिया जाय ताकि वे ब्लाक तथा गांव स्तर के कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण अधिक प्रभावकारी ढंग से कर सकें। प्रसार शिक्षक एक उच्च अर्हताप्राप्त कार्यकर्ता होता है। इसकी अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तथा इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है। वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों को बहुधन्धी कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण करने तथा ब्लाक स्तर पर सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में वास्तविक सहायता कर सकता है। अतएव प्रत्येक ब्लाक में प्रसार शिक्षक के एक पद का उपयोग लाभकारी ढंग से किया जा सकता है। प्रसार शिक्षक की कुल संख्या काफी अधिक है तथा अतिरिक्त पदों को भविष्य में होने वाले रिक्तियों में समाविष्ट किया जा सकता है। रु0 350–700 के वेतनमान में जिला प्रसार शिक्षक के पद भी हैं। उनका मुख्य कार्य जिला स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना अधिकारी को दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करना है। बहुधंधी योजना के अधीन इन कार्यकर्ताओं द्वारा कोई लाभदायक भूमिका क्रियान्वित नहीं की जानी है। ब्लाक तथा जिला स्तर पर प्रसार शिक्षक के पद पर भर्ती फालतू कर्मचारियों को अन्तिम रूप से समाविष्ट किये जाने तक रोकी जा सकती है। विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श करने पर हम जिला मुख्यालय में पैरा मेडिकल सहायक की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त हुए हैं। बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना के लागू हो जाने से असंक्रामयता (इम्यूनाइजेशन) कार्य की देख-भाल अब बहुधन्धी कार्यकर्ताओं द्वारा की जायेगी। विभाग उन्हें भविष्य में उचित रिक्त पदों के विरुद्ध समाविष्ट करने पर विचार करना चाहें। ब्लाक स्तर के कार्यकर्ताओं की संख्या भी आवश्यकता से अधिक है। विभाग निश्चित रूप से वास्तविक आवश्यकता को मालूम करेगा और फालतू कर्मचारिवर्ग का अन्यत्र उपयोग करने के लिये आवश्यक कार्यवाहि करेगा।

10.18 **जिला स्तर**—मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहायता मुख्य खाद्य निरीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना अधिकारी, औषधि निरीक्षक जैसे विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। उन्हें रु0 625–1170 का वेतनमान दिया जाना चाहिए। तथापि जिला मलेरिया अधिकारी (गैर चिकित्सा) को उसके कार्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए रु0 770–1600 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

10.19 **चिकित्साधिकारियों का वेतनमान**—हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि आयुर्वेदिक अर्हता रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों को जो इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तृतीय चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात हैं, वही वेतनमान मिलना चाहिये जो अन्य चिकित्सा अधिकारियों को मिलता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना से संबंधित भारत सरकार की समिति ने यह सुझाव दिया है कि जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो एलोपैथिक चिकित्सक हों तो वहां पर आयुर्वेदिक/यूनानी अर्हता वाला तीसरा चिकित्सा अधिकारी रखना लाभदायक नहीं है। विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य क्षेत्रों में पहले से ही आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधालय हैं। अतएव ऐसे केन्द्रों में आयुर्वेदिक/यूनानी अर्हता वाले तीसरे चिकित्सा को नियुक्त करने का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

10.20 इस संबंध में हमने जो संस्तुति की है और जो तृतीय चिकित्सा अधिकारी के पद के पक्ष में नहीं है उसको देखते हुए हमारे लिये इन चिकित्सा अधिकारियों की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक अथवा यूनानी पद्धति के अन्य चिकित्सा अधिकारियों के समान वेतनमान दिये जाने की मांग को स्वीकार करना कठिन है, उनके कर्तव्य भी तुलनात्मक रूप से उतने कठिन नहीं हैं क्योंकि उनसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्य चिकित्सा अधिकारियों को सौंपे गये सभी कार्यों को करने की अपेक्षा नहीं की जाती। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि सरकार इनका अन्यत्र सदुपयोग करने के लिए इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से हटा सकती है। तथापि हम उनका वेतनमान उनके वर्तमान वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित कर रहे हैं। यदि कभी उन्हें यूनानी तथा आयुर्वेदिक निदेशालय में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रूप में समाविष्ट किया जाता है, तो उन्हें अन्य यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को उपलब्ध वेतनमान दिया जा सकता है।

10.21 हमें यह भी प्रत्यावेदन दिया गया है कि होम्योपैथिक अर्हता रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों को रु0 300–550 का निम्न वेतनमान दिया गया है जबकि उन्हें आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के बराबर वेतनमान दिया जाना चाहिए। जहां तक यूनानी तथा आयुर्वेदिक पद्धतियों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आयुर्वेदिक पद्धति का उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान है और यहां पर प्रसिद्ध विद्वान तथा चिकित्सक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक पद्धति में शोध कार्य भी किया गया है। उसी प्रकार से यूनानी पद्धति की जड़ें उत्तर प्रदेश में बहुत गहरी हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को देशी पद्धति की इन दवाइयों में विश्वास है। हम होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उनका वेतनमान यूनानी तथा आयुर्वेदिक डाक्टरों के बराबर किया जाय। तथापि हमने उनके वेतनमान को रु0 625–1170 के वेतनमान में उचित रूप से उन्नत कर दिया है। उन्हें प्रोन्नति के कुछ अवसर प्रदान किये जाने की दृष्टि से हमने होम्योपैथिक डाक्टरों की सामान्य ग्रेड के 15 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड देने की संस्तुति की है।

10.22 **मेडिकल कालेज के शिक्षकों का वेतनमान**—विभिन्न शिक्षक संघों (क्लीनिकल तथा नान-क्लीनिकल) का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षकों ने हमारे समक्ष जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

के वेतनमान स्वीकृत किये जायं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान शैक्षणिक विश्वविद्यालयों तथा कुछ प्राविधिक संस्थाओं में दिनांक 1-1-1973 से स्वीकृत किए गये थे । हम य हृगहसूस करते हैं कि उसके आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को स्वीकृत करने की प्रासंगिकता 1980 में समाप्त हो गई है । तथापि यह बात सुसंगत है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को स्वीकृत किये जाने का आशय यही था कि शिक्षकों के स्तर तथा परिलब्धियों में वृद्धि हो जिससे कि देश में उपलब्ध अच्छी प्रतिभा इस ओर आकृष्ट हों । अतः इस बात को ध्यान में रखने के कारण इस योजना में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पदोन्नति की कल्पना नहीं की गई है । तथापि हम मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों तथा शिक्षकों को अच्छी प्रास्थिति प्रदान करने के लिए तथा उपलब्ध प्रतिभावान व्यक्तियों को आकृष्ट करने हेतु उन्हें उच्चतर वेतनमान संस्तुत कर रहे हैं ।

10.23 हमने होम्योपैथी तथा देशी पद्धतियों में शिक्षा देने वाले मेडिकल कालेजों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के प्रश्न का परीक्षण किया है । इन संस्थाओं के वेतनमान भी भलीभांति क्रमोन्नत किये गये हैं, ताकि इन शैक्षणिक पदों पर कार्य करने के लिये सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति आकृष्ट हों और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके । हमसे यह भी निवेदन किया गया है कि गुरूकुल कांगड़ी, बरेली, मुजफ्फरनगर तथा अतर्रा के आयुर्वेदिक कालेजों का प्रान्तीयकरण अगस्त, 1978 में किया गया था, किन्तु यहां के शिक्षक पुराना वेतनमान ही पा रहे हैं । हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं । उन्हें वही पुनरीक्षित वेतनमान, जो राजकीय कालेजों में उनके तत्स्थानी शिक्षकों को अनुमन्य हैं, इस शर्त के अधीन दिये जा सकते हैं कि उनकी उपयुक्तता लोक सेवा आयोग/यथाविधि गठित चयन समिति द्वारा अनुमोदित कर दी जाय ।

10.24 हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक तथा यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के शिक्षकों को वही वेतनमान मिलना चाहिए जो सरकारी संस्थाओं में उनके तत्स्थानी शिक्षकों को अनुमन्य है । हम इस मांग से सहमत हैं और तद्नुसार हम यह संस्तुति करते हैं कि यदि पदधारकों की अर्हताएं वही हैं जो राजकीय कालेजों के लिये निर्धारित हैं और उनका चयन उस विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाता है जिससे वे सम्बद्ध हैं, तो सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षकों को भी वही वेतनमान दिये जा सकते हैं ।

10.25 कानपुर, इलाहाबाद, आगरा तथा मेरठ के राजकीय मेडिकल कालेजों में फार्मेसी में 15 मास की अवधि का एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है । फार्मेसी में प्रवक्ताओं को रु0 450-850 का वेतनमान दिया जाता है । तथापि कुछ वर्तमान पदधारियों को उच्चतर वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में दिया जाता है । हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा फार्मेसी के प्रवक्ता के पद के लिए निर्धारित अर्हता में एम0 फार्मा अथवा एम0 एस-सी0 (केमिस्ट्री) सम्मिलित है । स्वीकृत वेतनमान में उपर्युक्त अर्हता रखने वाले उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं और अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। चिकित्सा विभाग ने यह सुझाव दिया है कि इस पद का वेतनमान रु0550-1,200 में उच्चीकृत कर दिया जाय । हमने इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा हम चिकित्सा विभाग के इस सुझाव से सहमत हैं । तदनुसार हम यह संस्तुति करते हैं कि फार्मेसी में प्रवक्ताओं का वेतनमान रु0 850—1720 में उच्चीकृत किया जाय ।

10.26 हमारे सामने यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि नर्सिंग कालेज, कानपुर में शिक्षण स्टाफ का वेतनमान बहुत कम है और उसे क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता है । हमने इस मामले की सावधानी से जांच की है । नर्सिंग कालेज के प्रवक्ताओं से नर्सिंग में स्नातकोत्तर डिग्री रखने तथा ग्रेजुएट कक्षाओं को पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है । अतः हम इन प्रवक्ताओं को रु0 850—1,720 का वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करते हैं । प्रिन्सिपल का वेतनमान भी बढ़ाकर रु0 1,660—2,300 कर दिया जाय । यद्यपि हम क्लीनिकल इन्सट्रक्टर का वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं, तथापि हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि किसी प्रशिक्षण संस्था में इन्सट्रक्टर/डिमान्स्ट्रेटर का महत्व होना चाहिये । अतः हम क्लिनिकल इन्सट्रक्टर्स /डिमान्स्ट्रेटर्स को नर्सिंग कालेज, कानपुर में उनकी तैनाती के दौरान रु0 30 प्रतिमास का भत्ता दिये जाने की संस्तुति करते हैं । तथापि यह भत्ता अन्य नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं के क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर्स को अनुमन्य नहीं होगा, क्योंकि नर्सिंग कालेज में क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर्स/डिमान्स्ट्रेटर्स के दायित्व उच्च-स्तरीय होते हैं । चूंकि हम प्रिन्सिपल के वेतनमान में वृद्धि किये जाने की संस्तुति कर रहे हैं, अतः विभागीय स्थायित्व तथा कार्यकुशलता के हित को ध्यान में रखते हुए हम यह भी सुझाव देंगे कि उप-निदेशक (नर्सिंग) के पद को भी एक उपयुक्त स्तर तक उच्चीकृत कर दिया जाय ।

10.27 निदेशक आयुर्वेदिक ने यह बताया है कि आयुर्वेदिक कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, महिला चिकित्सा अधिकारी तथा कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों के वेतनमान आयुर्वेदिक औषधालयों/अस्पतालों में अनुमन्य वेतनमानों की तुलना में कम हैं । हमें यह विसंगति औचित्य पूर्ण प्रतीत नहीं होती, अतः हम इन चिकित्सा अधिकारियों को भी वही वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करते हैं ।

10.28 आयुर्वेदिक कालेजों के रेजिडेन्ट चिकित्सा अधिकारियों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों और के0 जी0 मेडिकल कालेज के रेजिडेन्ट चिकित्सा अधिकारियों का वेतनमान एक समान होना चाहिए । कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने मेडिकल कालेजों के रेजिडेन्ट चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षित करने के संबंध में निर्णय लिया था । हम यह संस्तुति करते हैं कि राजकीय मेडिकल कालेजों और आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों के रेजिडेन्ट चिकित्सा अधिकारियों पर एक सा वेतनमान तथा निबंधन और शर्तें लागू की जायं ।

10.29 **के0 जी0 मेडिकल कालेज तथा गांधी स्मारक तथा सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ**—हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया था कि कुष्ठ अस्पताल, लखनऊ के रेजिडेन्ट चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान रु0 350-500 से रु0 550-1200 में पुन-

रीक्षित कर दिया जाय जिससे कि उसे अन्य चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान के समकक्ष लाया जा सके । इस पद के लिये निर्धारित अर्हता चर्म रोगों में विशेष योग्यता के साथ एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री है । हमने इस मामले पर विचार किया है और संस्तुति करते हैं कि कुष्ठ अस्पताल, लखनऊ के रेजिडेन्ट चिकित्सा अधिकारी के पद का वेतनमान रु0 850–1720 में पुनरीक्षित कर दिया जाय ।

10.30 हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया था कि गांधी स्मारक तथा संबद्ध चिकित्सालय, लखनऊ के अधीक्षक को जो रु0 1950–2250 के वेतनमान में हैं, न केवल मुख्य गांधी स्मारक तथा सम्बद्ध चिकित्सालय के कार्यों को देखना पड़ता है वरन् उन्हें (एक) कुष्ठ अस्पताल निशातगंज लखनऊ (दो) रिहैबीलिटेशन एण्ड आर्टीफिसियल लिम्ब सेन्टर, डालीगंज तथा (तीन) सरोजनी नगर, बंथरा, मातो, गोसाईगंज और मोहनलालगंज स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य-चालन की भी देखभाल करनी पड़ती है । उन्हें निर्माण कार्य अधीक्षक के रूप में परिसर तथा छात्रावासों के निर्माण कार्य की देखभाल करनी पड़ती है । यह मांग की गयी थी कि अधीक्षक के पद का वेतनमान के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल के वेतनमान के समकक्ष कर दिया जाय । राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों के वरिष्ठ अधीक्षकों के पदों का वेतनमान रु0 1200–1800 है जबकि गांधी स्मारक तथा सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक के अधिक कार्यभार तथा दायित्वों को देखते हुए उक्त पद रु0 1950–2250 के उच्चतर वेतनमान में हैं। हमने उक्त पदों के लिये क्रमशः रु0 1660–2300 तथा रु0 2400–2800 के उपयुक्त वेतनमान संस्तुत किये हैं ।

10.31 के0 जी0 मेडिकल कालेज शिक्षक संघ ने यह प्रत्यावेदन दिया है कि आपद्-चिकित्सा अधिकारियों (कैजुअल्टी मेडिकल आफिसर्स) को, जिन्हें स्नातकोत्तर डिग्री रखना अपेक्षित था, रु0 550–1200 का वेतनमान स्वीकृत किया गया । वे स्नातकोत्तर वेतन पाने के हकदार नहीं थे । हमें यह भी सूचित किया गया है कि यही स्थिति पूर्ण-कालिक एनेस्थीड, क्लीनिकल, पैथालोजिस्ट, रिफ्रेशनिस्ट, सहायक रेडियोथेरापिस्ट की है । इन सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री रखते हों । हम यह महसूस करते हैं कि इस मांग में बल है । इस तथ्य को देखते हुए कि इन पदों के लिये न्यूनतम अर्हता अपेक्षाकृत उच्च है, अतः इन पदों के लिये हमने रु0 1000–1900 का उच्चतर वेतनमान संस्तुत किया है । यह उच्चतर वेतनमान तभी तक मिलेगा जब तक कि आधार भूत अर्हतायें स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा रहेंगी ।

10.32 मनश्चिकित्सा (साइकियाट्री) तथा क्लिनिकल पैथालाजी विभागों में बायो-केमिस्ट का पद रु0 550–1200 के वेतनमान में हैं, जबकि बाल-चिकित्सा (पीडियाट्रिक्स), मेडिसिन तथा सर्जरी विभागों में केवल रु0 500–750 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है । इन सभी विभागों में बायो-केमिस्ट के लिये एक समान रूप से न्यूनतम अर्हता, अर्थात बायोकेमिस्ट्री में एम0 एस0 सी0 है तथा उनके कार्य तथा दायित्व भी एक जैसे हैं । हमें के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के विभिन्न विभागों में बायो-केमिस्ट के लिये भिन्न-भिन्न वेतनमान दिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है और हमने इन सभी पदों के लिये रु0 850–1720 का एक समान वेतनमान संस्तुत किया है ।

10.33 हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि जन सम्पर्क अधिकारी का वेतनमान रु0 350–700 से रु0 550–1200 में पुनरीक्षित कर दिया जाय । इस पद के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता समाजशास्त्र अथवा सामाजिक कार्य में एम0 ए0 है । के0 जी0 मेडिकल कालेज में जन-सम्पर्क अधिकारी के पद का विशेष महत्व है क्योंकि उसके उतने ही दायित्व हैं जितने कि अन्य मेडिकल कालेजों में सहायक अधीक्षकों के होते हैं । हम इस पद के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसके लिये रु0 690–1420 का एक उच्चतर वेतनमान दिये जाने का सुझाव दे रहे हैं ।

10.34 क्लाक अटेन्डेन्ट का एक पद रु0 165–215 के वेतनमान में है, इसके लिये रु0 185–265 के पुनरीक्षित वेतनमान की मांग की गयी है । इसके पदधारी से यह अपेक्षा की जाती है कि घड़ियों की मरम्मत का कार्य अपने कर्तव्य के रूप में करेगा । चूंकि इस कार्य के लिये निपुण होना आवश्यक है, अतः उच्चतर वेतनमान दिये जाने का औचित्य है । तदनुसार हमने इस पद के लिये रु0 300–440 का उच्चतर वेतनमान संस्तुत किया है ।

10.35 प्लास्टिक सर्जरी विभाग में फोटोग्राफर (रु0 300–500) तथा कलाकार (आर्टिस्ट) (रु0 200–320) के पद के लिये उच्चतर वेतनमानों की मांग की गयी है । हमने इस मामले पर 'सामान्य श्रेणी के पद' के अध्याय में विचार-विमर्श किया है ।

10.36 **थेरापिस्ट**—के0 जी0 मेडिकल कालेज के वरिष्ठ डाक्टरों ने थेरापिस्ट के लिये उच्चतर वेतनमान दिये जाने का सुझाव दिया । हमने इस मामले का परीक्षण मनश्चिकित्सा (साइकियाट्री) विभाग में किया । वहां आकुपेशनल थेरापिस्ट के तीन पद हैं, दो पद रिक्रिएशनल थेरापिस्ट के तथा एक पद संगीत थेरापिस्ट का है । के0 जी0 मेडिकल कालेज के बाल-चिकित्सा (पीडियाट्रिक्स) विभाग तथा अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों में फिजिओ-थेरापिस्ट्स तथा आकुपेशनल थेरापिस्ट्स के पद हैं । उक्त विभिन्न पदों की अर्हता में बहुत अन्तर है । के0 जी0 मेडिकल कालेज के मनश्चिकित्सा विभाग में आकुपेशनल तथा रिक्रिएशन थेरापिस्ट की निर्धारित अर्हता सामाजिक विज्ञान (सोशल साइंस)) में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था तीन वर्ष तक कार्य करने का अनुभव रखा गया है, जबकि संगीत थेरापिस्ट्स के लिये निर्धारित अर्हता संगीत विशारद में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट है । के0 जी0 मेडिकल कालेज के बाल चिकित्सा (पीडियाट्रिक्स) विभाग में तथा अन्य मेडिकल कालेजों में इण्टरमीडिएट के पश्चात् तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ फिजिओ-थेरापिस्ट्स/आकुपेशनल थेरापिस्ट्स के पद रु0 350–700 के वेतनमान में हैं । सामान्यतया इन पदों को अन्य विभागों के ऐसे ही पदों के साथ समीकृत किया जाय जिनमें डिप्लोमा की न्यूनतम अर्हता रखी गया हो । किन्तु इस कार्य के लिये निर्धारित अर्हता/अनुभव प्राप्त व्यक्ति बहुत कम संख्या में उपलब्ध होते हैं । इन पद धारकों के लिये पदोन्नति की कोई सम्भावनाएं नहीं हैं । अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि फिजिओ-थेरापिस्ट्स, आकुपेशनल

थेरापिट्स रिक्रिएशनल थेरापिट्स तथा संगीत थेरापिट्स को रु0 625–1170 के वेतनमान में रखा जाय ।

10·37 **राजकीय औषधि निर्माणशाला (फार्मेसी)**—राजकीय औषधि निर्माणशाला (फार्मेसी) में प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक आयुर्वेदिक चिकित्सा के अर्ह ग्रेजुएट हैं। वे इस समय रु0 450–850 के वेतनमान में हैं । हम उनके लिये यह संस्तुति करते हैं कि उनको वही वेतनमान दिये जांय जो साधारण श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों को अनुमन्य है तथा इसके साथ ही प्रबन्धक को रु0 50 प्रतिमास का विशेष वेतन भी दिए जाने की व्यवस्था की जाय । प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के नियमित संवर्ग में रखा जाय तथा वे स्थानान्तरित किये जा सकेंगे ।

10·38 विभाग ने औषधि निर्माणशाला (फार्मेसी) के अधीक्षक के लिये प्रथम श्रेणी के वेतनमान का सुझाव दिया है । किन्तु उनकी अर्हता बी0 फार्मा अथवा आयुर्वेदिक में डिग्री है । इस समय औषधि निर्माणशाला (फार्मेसी) का अधीक्षक प्रबंधक तथा सहायक प्रबन्धक के वेतनमान की अपेक्षा उच्च वेतनमान में है । वह औषधि निर्माणशाला (फार्मेसी) के सम्पूर्ण कार्य-कलापों के लिये उत्तरदायी है । निदेशक ने यह दृढ़ मत व्यक्त किया कि औषधि निर्माणशाला के सुचारु रूप से कार्य संचालन के हित में अधीक्षक के पद को क्रमोन्नत कर दिया जाय । हमें यह सूचित किया गया है कि राजकीय औषध निर्माणशाला (फार्मेसी) के अधीक्षक के पद का वेतनमान पहले ही वर्ष 1978 में रु0 800–1450 में पुनरीक्षित कियाजा चुका है तथापि वर्तमान पदधारी, जो वर्ष 1981 में अधिवर्षता की आयु पर सेवा निवृत्त होने वाले हैं, पूर्वोक्त वेतनमान को नहीं पूरा कर चुका है। चूंकि अधीक्षक का पद पहले ही क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारियों के पद के समकक्ष किया जा चुका है और उसी पद का वेतनमान दिया गया है अतः हमें इस पद को और क्रमोन्नत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । हम इस सुझाव से भी सहमत नहीं हैं कि प्रशासनिक पदों पर भी प्रैक्टिस बंदी भत्ता दिया जाय ।

10·39 **पदोन्नति की सम्भावनायें**—चिकित्सा अधिकारियों (एलोपैथिक) ने यह शिकायत की है कि उनको पदोन्नति के लिये बहुत कम अवसर हैं और उन्होंने यह इंगित किया कि 30:5:1 का फार्मूला भी कार्यान्वित नहीं किया गया अन्यथा बहुत से वरिष्ठ पद सृजित हो जाते। हमने इस स्थिति का परीक्षण किया है । निम्नलिखित तालिका-एक तथा दो में तीनों श्रेणियों में विद्यमान पदों की संख्या तथा उन पदों की, जैसा कि वे 30:5:1 के अनुपात के अनुसार तीनों श्रेणियों में होने चाहिए, संख्या बतायी गयी है :—

तालिका-एक वर्तमान स्थिति

साधारण ग्रेड	सीनियर ग्रेड	५	विशेष ग्रेड
(रु0 ५५०—१२००)	(रु0 ८००—१४५०		(रु0 १२००—[illegible]
पुरुष—४२४८	५५०		[illegible]
महिला—८७४	७०		[illegible]

तालिका-दो-मानक के अनुसार स्थिति

साधारण ग्रेड	सीनियर ग्रेड	विशेष ग्रेड
पुरुष—४२४८	७१०	[illegible]
महिला—८७४	१४५	[illegible]

इस प्रकार उपर्युक्त तालिकाओं से यह पता चलता है कि पदोन्नति के अनुपात के अनुसार जो 30:5:1 निर्धारित किया गया था, पुरुष डाक्टरों के लिये 160 पद सीनियर ग्रेड में तथा 32 पद विशेष ग्रेड में और महिला डाक्टरों के लिये 75 पद सीनियर ग्रेड में और 15 पद विशेष ग्रेड में उपलब्ध होने चाहिए । चिकित्सा अधिकारी इस फार्मूले से भी सन्तुष्ट नहीं हैं और उन्होंने यह मांग की है कि 15:6:1 का पुनरीक्षित फार्मूला स्वीकार किया जाय । हम इसविचार से सहमत नहीं हैं और हमें इस सुझाव का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । हमारे विचार से उच्चतर पद केवल तभी सृजित किये जायं जबकि कार्यभार के आधार पर ऐसे पदों के सृजन के लिये औचित्य हो । हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि विभाग में महिला अस्पतालों तथा महिला डाक्टर की काफी बड़ी संख्या है । इस समय महिला अस्पताल के कार्य की देखभाल एक संयुक्त निदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है । महिला अस्पतालों के कुछ वरिष्ठ अधीक्षक भी उसी वेतनमान में हैं। महिला अस्पतालों के कार्यभार तथा विशेष समस्याओं को देखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि संयुक्त निदेशक (महिला) के पद को क्रमोन्नत करके उसे अतिरिक्त निदेशक के स्तर का कर दिया जाय ।

10·40 यद्यपि विभाग को सीनियर/विशेष ग्रेड पदों को इंगित करना चाहिये और उन्हें भरने की कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि पदोन्नति की दिशा में डाक्टरों को कुछ राहत मिलेगी तथापि हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि विभिन्न स्तरों पर विशेष पदों के सृजन से चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति की सम्भावनाएं बढ़ जायंगी । किन्तु हम अन्य राज्य सेवाओं के समकक्ष साधारण ग्रेड के एलोपैथिक डाक्टरों के लिये जिसमें दन्त चिकित्सक (डेन्टल सर्जन) भी सम्मिलित हैं, 20 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संस्तुति कर रहे हैं ।

10·41 जहां तक आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति का संबंध है, हाल ही में उनके रु0 450–850 तथा रु0 500–1000 के वेतनमानों को रु0 500–1200 के वेतनमान में पुनरीक्षित किया

है। आगामी कई वर्षों तक उनके मामले में वृद्धिरोध होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता किन्तु हम उनके लिए सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए 10 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति कर रहे हैं। इस समय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा अधिकारियों का वेतनमान रु0 800-1450 है। उन्होंने इस बात की मांग की है कि इस वेतनमान को चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के संयुक्त निदेशक के पदों के स्तर के बराबर उच्चीकृत कर दिया जाय चूंकि इन अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों का कार्य देखना पड़ता है जिन्हें हाल ही में रु0 550-1200 का वेतनमान दिया गया है इसलिये हमें इन पदों को उच्चीकृत किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

10.42 उ0 प्र0 सहायक मलेरिया अधिकारी ने यह मांग की है कि जिला मलेरिया अधिकारी (गैर-चिकित्सीय) के पद केवल उन्हीं को पदोन्नति के लिये निर्दिष्ट कर दिया जाय और जिला मलेरिया अधिकारी के पदों को भी जिन पर इस समय एम0 बी0 बी0 एस0 अर्हता वाले अधिकारी कार्य कर रहे हैं पदोन्नति द्वारा भरा जाय। हमने इस मामले में निदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सचिव से विचार विमर्श किया। वे दोनों इस बात से सहमत थे कि मांग उचित है। जिला मलेरिया अधिकारी (गैर-चिकित्सीय) के वर्तमान 13 पद पदोन्नति के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करने में अपर्याप्त थे अतएव हमने यह संस्तुति की कि जिला मलेरिया अधिकारी के शेष पदों को भी पदोन्नति द्वारा भरा जाय यद्यपि हम यह संस्तुति नहीं करेंगे कि जिला मलेरिया अधिकारी का पद अनुपयुक्तता को अस्वीकृत करने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाय, किन्तु हम यह संस्तुति करेंगे कि इस पद को एक चयन पद होना चाहिए तथा पात्रता का क्षेत्र सहायक मलेरिया अधिकारियों के लिए ही सीमित कर देना चाहिए। सहायक मलेरिया अधिकारियों के 106 पद हैं और यह सभी पद सीनियर मलेरिया निरीक्षक/मलेरिया निरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं इस संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए कि जिला मलेरिया अधिकारी का पद सहायक मलेरिया अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर चयन द्वारा भरा जाय, हम सहायक मलेरिया अधिकारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड संस्तुत नहीं करते हैं।

10.43 **औषधि निरीक्षक**—औषधि निरीक्षकों के लिए प्रोन्नति के अवसर लगभग नगण्य हैं। यहां पर सीनियर औषधि निरीक्षक के केवल तीन पद हैं जबकि औषधि निरीक्षकों के पदों की संख्या 36 है। सीनियर औषधि निरीक्षक का एक पद तथा औषधि निरीक्षकों के 12 पद रिक्त हैं। इससे यह पता चलता है कि कार्य करने के लिये अपेक्षित अर्हता तथा अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि औषधियों और दवाइयां निर्मित करने के कार्य में कई गुना वृद्धि हुई है और सरकार भी भारी मात्रा में उनका क्रय कर रही है। अतएव औषधि निरीक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए ताकि वे अच्छा तथा पर्याप्त पर्यवेक्षण कर सकें। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि सरकार औषधि निरीक्षक के वर्तमान पदों में से दस पदों को सीनियर औषधि निरीक्षकों के पदों में बदलने पर विचार करना चाहे।

10.44 **सहायक एन्टोमोलोजिस्ट/एन्टोमोलोजिकल सहायक**—फाइलेरिया तथा मलेरिया योजनाओं के अन्तर्गत रु0 400-750 के वर्तमान वेतनमान में कुल मिलाकर 17 पद हैं। उनकी न्यूनतम आधारित अर्हता एम0 एस-सी0 जीव विज्ञान है और उनकी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। उन्होंने कृषि विभाग के एन्टोमोलोजिस्ट्स के समान जो कि रु0 550-1200 के वेतनमान में हैं, वेतनमान दिये जाने की मांग की है। हमने स्थिति का परीक्षण किया है। कृषि विभाग में एन्टोमोलोजिस्ट मुख्यतया रिसर्च फार्मों से सम्बद्ध हैं और उनके कार्य तथा कर्तव्य का स्वरूप पूर्णतया भिन्न है। हमें समान वेतन दिए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। रु0 800-1450 के वेतनमान में एक पद स्टेट एन्टोमोलोजिस्ट का है। हम यह संस्तुति करते हैं कि स्टेट एन्टोमोलोजिस्ट का चयन सहायक एन्टोमोलोजिस्ट/एन्टोमोलोजिकल सहायकों में से किया जाना चाहिये। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि सहायक एन्टोमोलोजिस्ट तथा एन्टोमोलोजिकल सहायक के छः पदों (फाइलेरिया में दो पद तथा मलेरिया में 4 पद) को रु0 850-1720 का उच्चतर वेतनमान दिया जाय। सरकार भी इन पदों के लिये संयुक्त संवर्ग के सृजन हेतु विचार करना चाहे।

10.45 **प्रयोगशाला प्राविधिक**—प्रयोगशाला प्राविधिक के सभी पद रु0 230-385 के वेतनमान में हैं जिनमें 10 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड के हैं। हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि प्रयोगशाला प्राविधिक के लिये पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं जबकि फार्मेसिस्टों को मुख्य फार्मेसिस्ट के रूप में पदोन्नत किया जाता है। जिला अस्पतालों में विशिष्टीकरण की व्यवस्था से यह स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है कि उस स्तर पर प्रयोगशालाओं का सुप्रबन्ध करना तथा उनकी साज-सज्जा अच्छी तरह से रखना आवश्यक होगा। अतएव हम यह संस्तुति करते हैं कि सभी जिला अस्पतालों तथा बड़े अस्पतालों में प्रयोगशाला प्राविधिक के पद को रु0 470-735 के वेतनमान में सीनियर प्रयोगशाला प्राविधिक के रूप में उच्चीकृत कर दिया जाना चाहिए। प्रयोगशाला प्राविधिक को भी 20 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिए। सरकार भी प्रयोगशाला प्राविधिक के जिलेवार संवर्ग गठित किये जाने के संबंध में विचार करना चाहे।

10.46 **तकनीकी सहायक** एस0 एन0 मेडिकल कालेज आगरा में तकनीकी सहायकों के पांच पद हैं। ये पद 1960 के शुरू में सृजित किये गये थे जिनकी न्यूनतम अर्हता बी0 एस-सी0 है। हमें यह सूचित किया गया है कि वे शोध कार्य में महत्वपूर्ण सहायता कर रहे हैं। वे प्रयोगशाला प्राविधिक प्रशिक्षार्थियों को शिक्षित करने में भी सहायता देते हैं। उनकी अर्हता तथा कालेज के लिये उनकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए, हम उन्हें सीनियर प्रयोगशाला प्राविधिक के समकक्ष कर रहे हैं। तथापि भविष्य में जब कभी भी इन पदों के पदधारी सेवा निवृत्त हों तो इन पदों को साधारण श्रेणी के प्रयोगशाला प्राविधिक में रूपांतरित कर दिया जाना चाहिए।

10.47 **रिफ्रेक्शनिस्ट**—विभाग ने जोरदार शब्दों में यह संस्तुति की है कि वर्तमान वेतनमान में प्रशिक्षित रिफ्रेक्शनिस्ट्स की अनुपलब्धता तथा उनके प्रशिक्षण में लगने वाली लम्बी अवधि को देखते हुए इन कार्यकर्ताओं के वेतन-

मान में बृद्धि की जानी चाहिए । हमने समस्या के संबंध में नेत्र विशेषज्ञों तथा आप्टोमीट्रिस्ट एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया । यह प्रतीत होता है कि यदि इस पद के लिये आयु सीमा उचित रूप से बढ़ा दी जाये तो अनुपलब्धता की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है । सरकार 27 वर्ष की वर्तमान आयु सीमा को और 5 वर्ष बढ़ाने का विचार करना चाहे । कार्य के स्वरूप तथा रिफ्रैक्शनिस्टों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए हम उनके लिये रु0 430–685 का उच्चतर वेतनमान संस्तुत कर रहे हैं । उन्हें साधारण श्रेणी के 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जा सकता है ।

10.48 अधीनस्थ संवर्गों में हम औषधि निरीक्षकों/फिजियोथिरेपिस्ट, आकुपेशनल थिरेपिस्ट, एक्स-रे, तकनीशियन, डेन्टल मैकेनिक/हाइजिनिस्ट, बी0 सी0 जी0 तकनीशियनों, गैर चिकित्सीय पर्यवेक्षकों (नान मेडिकल सुपरवाइजरों) फिजियोथिरेपिक तकनीशियन, नर्सिंग सहायक और गांव तथा ब्लाक स्तर के बहुधन्धी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मानसिक रोग चिकित्सालय के पुरुष/महिला परिचारक (अटेन्डेन्ट) के मामले में सेलेक्शन ग्रेड संस्तुत कर रहे हैं ।

10.49 **प्रशासनिक अधिकारी**—कुछ वर्ष पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के पद स्वीकृत किये गये थे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से सम्बद्ध किये गये थे । उनके सेवा संघ ने यह प्रत्यावेदन दिया है कि उनके लिये पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है । ये सभी प्रशासनिक अधिकारी 1975 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये थे और उनकी पदोन्नति के लिये कोई भी पद नहीं हैं । इस संवर्ग में पदानुक्रम की परिकल्पना नहीं की गयी है । उनके कार्य-सम्पादन की अभी जांच की जानी है । उनकी अर्हताओं तथा कार्य के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए हम उनको पदोन्नति न मिल सकने की समस्या के समाधान के लिये कोई सुझाव देने में असमर्थ हैं । किन्तु विभाग में सामान्य विचार यह है कि यदि इन पदों के पदधारियों को अस्पताल के प्रशासन तथा लेखा नियमों तथा कार्यविधियों आदि के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण तथा जानकारी हो जाय तो वे वास्तविक सहायता कर सकेंगे । सरकार इन अधिकारियों को लेखा तथा नियमों एवं विनियमों में गहन प्रशिक्षण देने के औचित्य पर विचार करना चाहे ।

10.50 **सहायक संक्रामक रोग अधिकारी**—हमने स्थिति का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया है । उनका कार्य विशेषकर मेलों तथा तमाशों (फेयर) आदि में संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहायता करना है । हमारे विचार से उन्हें चिकित्सा अधिकारी का पदनाम दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । हमें यह बताया गया है कि संक्रामक रोग अधिकारियों/सहायक संक्रामक रोग अधिकारियों के बहुत से पद अब समाप्त कर दिये गये हैं और केवल 180 पद अब खपाये जाने हैं । ग्राम तथा ब्लाक स्तर पर चलाई जा रही बहुधन्धी योजना को देखते हुए हम इन पदों के बने रहने का कोई औचित्य नहीं समझते और उन्हें धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए । मेला, तमाशों (फेयर) तथा विशेष अवसरों पर पड़ोसी जिले/ब्लाक के कर्मचारिवर्ग का उपयोग किया जा सकता है । उन्हें समुचित रिक्त पद पर खपाया जा सकता है ।

10.51 **नर्सें** राजकीय नर्सेज संघ ने मुख्य रूप से (क) प्रशिक्षण के दौरान छात्र वेतन (स्टाइपेन्ड) बढ़ाये जाने, (ख) वर्दी भत्ता दिये जाने, (ग) पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करने तथा (घ) अधिक परिलब्धियां देने की मांग पर जोर दिया । हमने इस स्थिति पर विचार किया है । आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली में छात्र वेतन (स्टाइपेन्ड) की दर प्रथम वर्ष में 110 रु0 द्वितीय वर्ष में रु0 120, तृतीय वर्ष में रु0 130 तथा चतुर्थ वर्ष में रु0 140 है, जब कि उत्तर प्रदेश में यह दर रु0 140 प्रतिमास के हिसाब से समान रूप से दी जाती है । छात्र नर्सों को निःशुल्क आवास एवं बिजली भी दी जाती है । हाल ही में मूल्यों में हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि नर्सों के छात्र वेतन की (स्टाइपेन्ड) दर बढ़ाकर रु0 150 प्रतिमास कर दी जाय । प्रशिक्षित नर्सों को नौकरी मिलने पर रु0 20 प्रतिमास धुलाई भत्ता और रु0 45 भोजन भत्ता (बोर्डिंग एलाउन्स) मिलता है । हमें इन भत्तों को बढ़ाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । तथापि, हम इस बात को महसूस करते हैं कि वर्दी नर्सों के कार्य से संबंधित वस्तु विषय का एक अंग है और कुछ विभागों में कर्मचारियों को वर्दी भत्ता नियत कालिक रूप से दिया जाता है । हम यह संस्तुति करते हैं कि एक प्रशिक्षित नर्स को रु0 500 का वर्दी भत्ता सेवा में प्रवेश के समय तथा उसके पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि पर वरिष्ठ मैट्रन के स्तर तक स्वीकार किया जाय। पदोन्नति के अवसरों के संबंध में विभाग ने हमें यह सूचित किया है कि किसी अस्पताल में शय्याओं की संख्या के आधार पर विभिन्न स्तरों की नर्सों की कुल संख्या का मानक निर्धारित है, जिसके संबंध में हमें यह आशा है कि विभाग पदोन्नति आदि के मामलों में भी उसका अनुसरण करेगा । इस समय वरिष्ठ मैट्रन के पद केवल लखनऊ तथा आगरा मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में ही है । हम यह महसूस करते हैं कि वरिष्ठ मैट्रन की व्यवस्था उन सभी अस्पतालों में की जाय जहां शय्याओं की कुल संख्या 500 से अधिक है । सरकार को मानक के अनुसार वरिष्ठ नर्सों की कमी के संबंध में जांच करनी चाहिए और यदि कोई कमी पायी जाये तो उसे यथा सम्भव पूरा किया जाय । हमने नर्स-संवर्ग के लिये नये वेतनमान निर्धारित करते समय उनके वेतन के ढांचे का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है । हम यह भी संस्तुति करते हैं कि साधारण श्रेणी के 15 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय ।

10.52 ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्र में ट्यूटर इंचार्ज के 42 पद हैं, जो अन्य ट्यूटर के कार्यक्रम का समन्वयन करते हैं । इस समय सभी ट्यूटर के वेतनमान एक समान हैं । हम यह संस्तुति कर रहे हैं कि ट्यूटर इंचार्ज को 50 रु0 प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाय । मेडिकल कालेज से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज भी है । इस समय ये स्कूल पूर्ण रूप से अस्पताल से सम्बद्ध मैट्रन के प्रभाराधीन हैं, तथापि नैत्यक कार्य ट्यूटर इंचार्ज द्वारा किया जाता है । कानपुर में प्रधान ट्यूटर का केवल एक पद है। इंडियन मेडिकल काउन्सिल ने यह तय किया है कि नर्सिंग स्कूल पूर्ण रूप से अस्पताल से सम्बद्ध मैट्रन के प्रभाराधीन कार्य करेंगे और इस व्यवस्था में फेर-बदल करना बुद्धिमानी नहीं होगी, परन्तु हम इन स्कूलों के ट्यूटर इंचार्ज के लिये भी रु0 50 प्रतिमास के विशेष वेतन की संस्तुति कर रहे हैं ।

10.53 **फार्मेसिस्ट**—फार्मेसिस्ट का तर्क है कि उन्हें जिला संवर्ग में रखा जाय तथा मुख्य फार्मेसिस्ट का चयन भी जिला स्तर पर ही होना चाहिए। सामान्यतः सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किसी जिला संवर्ग के तथा तृतीय श्रेणी के पदों को मण्डलीय/सम्भागीय संवर्ग का होना चाहिए। हम सरकार को उनकी इस मांग की जांच करने तथा इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करने का सुझाव देंगे। उन्होंने उच्चतर वेतनमान देने के लिये भी तर्क दिया है। हमें यह पता चला है कि इस समय वे रु0 230–385 के वेतनमान में हैं जो उनके समकक्ष सेवाओं को अनुमन्य वेतनमान की अपेक्षा अधिक है। हम यह संस्तुति करते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/अस्पतालों के फर्मेसिस्टों को भी प्रयोगशाला प्राविधिक के बराबर कर्मचारी राज्य बीमा भत्ता दिया जाय। तथापि कर्मचारी राज्य बीमा भत्ता अन्य फार्मेसिस्ट्स को अनुमन्य नहीं होगा जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/अस्पतालों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि ग्रामीण तथा प्राथमिक केन्द्रों/औषधालयों में फार्मेसिस्ट्स को अनुमन्य "प्रभार भत्ता" रु0 10 प्रतिमास से बढ़ाकर 20 रु0 प्रतिमास कर दिया जाय।

10.54 **सरकारी विश्लेषक प्रयोगशाला के औषधि एवं खाद्य अनुभागों में विश्लेषक**—औषधि अनुभाग में दो कनिष्ठ तथा तीन वरिष्ठ विश्लेषण सहायक हैं और उनके कार्य की देख-रेख के लिये तीन राजपत्रित अधिकारी, अर्थात दो बायो-केमिस्ट तथा एक सहायक सरकारी विश्लेषक हैं। दूसरी कोटि में (खाद्य अनुभाग में) 35 कनिष्ठ तथा 13 वरिष्ठ विश्लेषण सहायक तथा तीन अनुभाग प्रभारी हैं। सहायक सरकारी विश्लेषक के **तीन राज-पत्रित पद हैं।** हमारे सामने यह तर्क रखा गया कि विश्लेषण सहायकों के संवर्ग को एक में **मिला दिया जाय और वरिष्ठ पदों को** पदोन्नति द्वारा भरा जाय। हमने इस विषय पर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से विचार विमर्श किया। वे भी इस मांग से सहमत हैं। हम भी इसका समर्थन करते हैं क्योंकि इन सभी पदों की अर्हता समान है। हम संस्तुति करते हैं कि इन दोनों संवर्गों को एक में मिला दिया जाय।

10.55 **सरकारी लसीकाविद् (स्टेट सीरोलोजिस्ट)**—राजकीय रक्त कोष (स्टेट ब्लड बैंक) में लसीकाविद् (सीरोलोजिस्ट) का एक पद रु0 400–750 के वेतनमान में है। हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया था कि इस पद को बी0 एस-सी0 की अर्हता तथा यूनाइटेड किंगडम में 4 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति करके भरा गया था। इस विभाग में इस प्रकार का यह अकेला पद है और पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं। कार्य का स्वरूप अत्यधिक विशेषीकृत (स्पेशलाइज्ड) है। अतः हम इस पद के लिये रु0 850–1720 का उच्चतर वेतन दिये जाने की संस्तुति करते हैं।

10.56 **प्राविधिक अधिकारी**—स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट पटवाडांगर (जिला नैनीताल) में प्राविधिक अधिकारी का एक पद रु0 550–1200 के वेतनमान में है। इस पदधारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह फ्रीज ड्राइड स्माल पाक्स वैक्सीन को तैयार करने से संबंधित कार्य की देख-रेख करें। इस पदधारी के लिये पदोन्नति की कोई सम्भावनाएं नहीं हैं। हमें यह सूचित किया गया है कि वर्तमान पदधारी इंगलैण्ड तथा अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात "फ्रीज ड्राइड एन्टी रैबिक वैक्सीन" तैयार करने में समर्थ हुए हैं। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ने इस पद के लिये उच्चतर वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की है। हमने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। उक्त पद के पदधारी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। **इस संस्थान में** किये गये कार्य का महत्व सर्व विदित है। यद्यपि हम इस पद के वेतनमान को उच्चीकृत किये जाने के पक्ष में नहीं हैं, तथापि यह संस्तुति करते हैं कि पदधारी को अपना दुभर कार्य निरन्तर उत्साहपूर्वक करते रहने के लिये प्रेरणा-स्वरूप उन्हें 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात रु0 1250–2050 का उच्चतर वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में स्वीकृत किया जाय।

10.57 **क्षेत्र सहायक**—चिकित्सा निदेशालय के स्तर पर संक्रामक रोग शाखा के क्षेत्र सहायकों के दो पद रु0 230–385 के वेतनमान में हैं। इन पदों के पदधारी नमूने एकत्र करते हैं तथा मेले, बाढ़ तथा सूखे की स्थिति में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिये रोकथाम संबंधी तथा प्रतिकारक उपाय अपनाते हैं। विभाग ने उनके लिये अपेक्षाकृत अधिक उच्चतर वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की है। हम इस सुझाव से सहमत होने में असमर्थ हैं। किन्तु, उनकी आधारभूत/अर्हता सफाई निरीक्षक के पाठ्य-क्रम के साथ इण्टरमीडिएट साइंस है। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि इन दोनों पदों को सफाई निरीक्षकों के पदों में मिला दिया जाय और ऐसा करने के पश्चात् ही उनको भी सफाई निरीक्षकों को अनुमन्य वेतनमान दिया जाय।

10.58 कतिपय पद एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा एवं अस्पताल में हैं, जिनके वेतनमान इसके पूर्व पुनरीक्षित नहीं किये गये थे हमने प्रत्येक मामले का परीक्षण किया है और विभिन्न पदों के लिये उपयुक्त वेतनमान संस्तुत किये हैं।

10.59 एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में दो पद कलाकार के रु0 200–320 के वेतनमान में हैं। अन्य मेडिकल कालेजों में भी कलाकार एवं माडलर **के पद हैं और** वे रु0 200–320, रु0 230–385 के वेतनमान में तथा उससे भी उच्चतर वेतनमानों में हैं। राजकीय आयुर्वैदिक कालेज में भी एक माडलर है। इस विषय पर "सामान्य श्रेणी के पद" के अध्याय में विचार किया गया है।

10.60 **सांख्यिकीय कर्मचारी**—राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो में सांख्यिकीय सहायकों के कुछ पद हैं। यह मांग की गयी है कि सभी पदधारियों को रु0 350–700 का वेतनमान दिया जाय। राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो के उन सांख्यिकीय सहायकों को, जो गणित अथवा सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) में स्नातकोत्तर उपाधि रखते हों, रु0 570–1070 का वेतनमान दिया जाना चाहिए। भविष्य में भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी चाहिए। इसी प्रकार संकलन कर्ताओं (कम्पाइलर्स) तथा संगणकों (कम्प्यूटर्स) के पद भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायं परन्तु जो विभाग में पहले से ही रु0 250–425 के वेतनमान में कार्य कर रहे हैं उन्हें रु0 470–735 के वेतनमान में रखा जा सकता है परन्तु शर्त यह है

कि वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हों। सांख्यिकीय कर्मचारीवर्ग के मामलों के संबंध में "सामान्य श्रेणी के पद" के अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है और वहां की गयी संस्तुतियां इस विभाग में भी लागू होंगी। जन्म मृत्यु आंकड़ा अनुभाग के अंतर्गत राज्य प्रशिक्षण अधिकारी का पद रु0 400–750 के वेतनमान में क्षेत्र कर्मचारियों के अतिरिक्त मुख्यालय पर तैनात लगभग 40 कर्मचारियों के कार्य का मार्ग निर्देशन तथा देख-रेख के लिये है। इस पद की अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री है। कार्य के महत्व तथा स्वरूप को देखते हुए इस पद के लिये हम रु0 690–1420 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं। इन अनुभाग के संकलनकर्ताओं के लिये पदोन्नति के बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं और हम यह संस्तुति करते हैं कि साधारण श्रेणी के पदों के 20 प्रतिशत को सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय।

10.61 **अन्य पद**–प्रयोगशाला प्राविधिक, प्लास्टर तकनीशियन, आपरेशन रूम तकनीशियन, थियेटर तकनीशियन सभी रु0 200–320/230–385 के वेतनमान में हैं। इस वेतनमान को पद के लिये निर्धारित अर्हता तथा कार्य के स्वरूप से सम्बद्ध किया गया है। हमने प्रत्येक मामले का परीक्षण गुणावगुण के आधार पर किया है और उसके लिये उपयुक्त वेतनमान संस्तुत किये हैं। इस संबंध में सामान्य सिद्धांत यह अपनाया गया है कि जहां कहीं आधारभूत न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट तथा कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण रखा गया है वहां हमने रु0 400–615 का वेतनमान संस्तुत किया है। हमने किसी विशिष्ट पद की अर्हताओं तथा कर्तव्यों के स्वरूप के आधार पर कम अर्हता वाले पदों के लिये रु0 354–550 अथवा रु0 325–495 के वेतनमान की संस्तुति की है। हम यह संस्तुति करते हैं कि एक्स-रे तकनीशियन के लिये रु0 430–685 का उच्चतर वेतनमान, उनके जोखिमपूर्ण कर्तव्यों के स्वरूप को देखते हुए बनाये रखा जाय।

10.62 **मेडिकल अटेन्डेन्ट**–मेडिकल अटेन्डेन्ट्स की संख्या 161 है। मेडिकल अटेन्डेन्ट्स के 133 पदों को वर्ष 1979 में स्थायी कर दिया गया था। उनकी आधारभूत अर्हता जूनियर हाई स्कूल तथा एक वर्ष का प्रशिक्षण थी। वे रु0 175–250 के वेतनमान में हैं। अब यह संवर्ग समाप्त हो रहा है। यह संस्तुति की जाती है कि उन्हें उसी प्रकार का एक अल्पकालिक अभिनव पाठ्यक्रम (रिफ्रेसर कोर्स) कराया जा सकता है जैसा कि अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों के लिये निर्धारित है और उनके समकक्ष समझा जा सकता है।

10.63 **नर्सिंग सहायक**–भूतपूर्व सेना तथा सिविल नर्सिंग सहायक संघ ने यह बताया है कि चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सहायकों को रु0 170–225 का वेतनमान दिया जाता है जबकि स्वास्थ्य विभाग की संक्रामक रोग शाखा के नर्सिंग सहायकों को रु0 175–250 का वेतनमान दिया जा रहा है। चूंकि उनकी अर्हतायें और कार्य का स्वरूप एक जैसा है अतः यह मांग की गयी है कि उन्हें भी वही रु0 170–250 का वेतनमान दिया जाय। हम उनकी इस मांग से सहमत हैं और तदनुसार हम नर्सिंग सहायकों के लिये चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य विभाग में उसकी तैनाती का ध्यान दिए बिना रु0 300–440 का वेतनमान दिये जाने की संस्तुति करते हैं।

10.64 **शव गृह परिचारक/मानसिक रोग चिकित्सालय के परिचारक**–शव गृह परिचारक रु0 165–215 के वेतनमानों में हैं और वे राज्य सरकार के सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से हैं। इनके कार्य बहुत ही अप्रिय हैं। यद्यपि उच्चतर वेतनमान देना न्यायोचित नहीं है तथापि हम उन्हें रु0 10 प्रतिमाह भत्ता दिये जाने की संस्तुति करते हैं। मानसिक रोग चिकित्सालय के परिचारकों के पद नाम परिचारक, प्रधान परिचारक तथा मुख्य परिचारक रखे गये हैं, जिनका वेतनमान क्रमशः रु0 170–225, रु0 185–265 तथा रु0 185–265 और रु0 5 विशेष वेतन प्रतिमाह है। मानसिक रोग चिकित्सालय के परिचारक विकृत मस्तिष्क तथा गम्भीर मानसिक रोगियों की देखभाल करते हैं। इन परिचारकों के कार्य की तुलना अन्य अस्पतालों के परिचारकों तथा उसी स्तर के अन्य कर्मचारियों के कार्य से नहीं की जा सकती। उनका कार्य केवल अरुचिकर ही नहीं बल्कि दुःसाध्य भी है। अतएव, हम यह संस्तुति करते हैं कि इन परिचारकों को रु0 10 प्रतिमाह, प्रधान परिचारक को रु0 15 प्रतिमाह और मुख्य परिचारक को रु0 20 प्रतिमाह विशेष वेतन स्वीकृत किया जाय। हम परिचारकों के लिये अधिक अनुकूल वेतनमान दिये जाने की भी संस्तुति कर रहे हैं। हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि मानसिक रोग चिकित्सालयों में परिचारकों के 256 पदों में उच्च पदों की संख्या केवल 27 है। हम संस्तुति करते हैं कि परिचारकों के 15 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं।

10.65 **होम्योपैथिक, यूनानी/आयुर्वेदिक औषधालयों के कम्पाउन्डर**–होम्योपैथिक औषधालयों के कम्पाउन्डर रु0 185–265 के वेतनमान में हैं जबकि यूनानी तथा आयुर्वेदिक संस्थाओं के कम्पाउन्डर रु0 200–320 के वेतनमान में हैं। उनकी आधारभूत अर्हता तथा कार्यभार पर विचार करते हुए हम होम्योपैथिक औषधालय के कम्पाउन्डरों का वेतनमान रु0 354–550 तथा आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों के कम्पाउन्डरों का वेतनमान रु0 400–615 संस्तुत करते हैं। स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी में 6 पद फार्मास्यूटिकल सहायकों के हैं। उनका वेतनमान रु0 200–320 है। इन पदों से सम्बद्ध कार्य के स्वरूप को देखते हुए हम फार्मास्यूटिकल सहायक के पद के लिये भी रु0 400–615 का वेतनमान संस्तुत करते हैं।

10.66 **पैकर्स तथा सार्टर्स**–स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी में इन पदों के लिये न्यूनतम निर्धारित अर्हता हाई स्कूल है और उनका वेतनमान रु0 165–215 है। यह एक अर्द्धकुशल कार्य है, अतएव हम रु0 300–440 का वेतनमान संस्तुत करते हैं।

10.67 **मेडिको लीगल कार्य**–हमसे यह निवेदन किया गया है कि मेडिको लीगल कार्य का स्तर इस विषय में पर्याप्त जानकारी न होने तथा मेडिको लीगल कार्य की पेचीदा समस्याओं को उचित रूप से समझ न पाने के कारण असंतोषजनक है। इस संबंध में यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक जिला अस्पताल में अलग से मेडिको लीगल विशेषज्ञ रखे जाने चाहिए। हमने इस विषय पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया। हम यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक जिले में एक मेडिको लीगल विशेषज्ञ को नियुक्त करना आवश्यक नहीं है किन्तु प्रत्येक मण्डलीय अस्पताल में एक मेडिको लीगल विशेषज्ञ (एक सीनियर वेतनमान चिकित्सा अधिकारी जो फारेन्सिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो) रखा जाना चाहिए। हमें यह बताया गया है कि विभाग

में फारेन्सिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त डाक्टर हैं। ऐसे डाक्टरों को मण्डलीय मुख्यालयों में तैनात किया जा सकता है। उनके मार्ग दर्शन में मण्डल में सम्मिलित जिलों में नियुक्त अन्य डाक्टरों के लिये अभिनव पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की जा सकती है। इससे वे मेडिको लीगल कार्य करने के लिये प्रशिक्षित हो जायेंगे। न्याय प्रशासन में मेडिको लीगल कार्य के महत्व पर बल देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। शव परीक्षा (पोस्ट मार्टम) का कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को, जब वे शव-परीक्षा करने के लिये जायें, वास्तविक वाहन व्यय स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस समय रु0 800–1450 के वेतनमान में पूर्णकालिक सहायक मेडिको लीगल विशेषज्ञ हैं। उसके पास प्रयोगशाला आदि की उचित सुविधाएं नहीं हैं। सरकार इस बात का परीक्षण करना चाहे कि स्टेट मेडिको लीगल विशेषज्ञ के पद को प्रभावकारी बनाने के लिए और क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। स्टेट मेडिको लीगल विशेषज्ञ को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के वेतनमान में नियमित चयन द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

10·68 **सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता**—अनेक सेवारत डाक्टरों तथा अन्य व्यक्तियों का, जिनसे हमने इस योजना के संबंध में विचार-विमर्श किया, यह विचार है कि इस योजना से अपेक्षित प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो रही है और अब इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह नीमहकीमी को प्रोत्साहित कर रही है। किन्तु विभागीय अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि यह योजना आधारिक रूप से ठीक है और यह जन साधारण तथा विभागीय वेतनभोगी कार्यकर्ताओं के बीच एक उपयोगी कड़ी है, इसलिये इसे बने रहने देना चाहिए। इस योजना पर पर्याप्त व्यय किया गया है और सरकार इस योजना की उपादेयता के संबंध में उचित मूल्यांकन करने के पश्चात् गहराई से विचार करना चाहे।

10·69 **कुष्ठ नियंत्रण**—कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन रु0 200–320 के वेतनमान में 1477 नान-मेडिकल सहायक/पैरा मेडिकल वर्कर्स, रु0 230–385 के वेतनमान में 192 नान-मेडिकल पर्यवेक्षक, रु0 250–425 के वेतनमान में 11 मेडिको सोशल वर्कर्स हैं। नान-मेडिकल पर्यवेक्षक तथा मेडिको सोशल वर्कर दोनों ही नान-मेडिकल सहायकों में से पदोन्नत किये जाते हैं और दोनों से ही उसके कार्य का पर्यवेक्षण करने की अपेक्षा की जाती है। कुष्ठ नियंत्रण की नई योजना में, मेडिको सोशल वर्कर का कोई पद नहीं है। हमें मेडिकल सोशल वर्कर्स के पदों के चलते रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। उक्त पदों से वर्तमान कार्मिकों के सेवा-निवृत्त हो जाने अथवा अन्यत्र समाविष्ट हो जाने पर कोई नई नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए। इस समय नान-मेडिकल सहायकों तथा नान-मेडिकल पर्यवेक्षकों के कुछ सीमित पदों के लिये क्रमशः रु0 25 तथा रु0 50 प्रतिमाह की दर से कुष्ठ भत्ता अनुमन्य है। इन पदों का सृजन 1978-79 में आयोजना पक्ष में किया गया था। शेष पदों (लगभग 80 प्रतिशत) पर उक्त भत्ता नहीं मिल रहा है। चिकित्सा विभाग ने यह सुझाव दिया है कि नान-मेडिकल सहायकों को रु0 25 प्रतिमाह तथा नान-मेडिकल पर्यवेक्षकों को रु0 30 प्रतिमाह कुष्ठ भत्ता एकरूपता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। इन कार्यकर्ताओं के कार्य के स्वरूप को देखते हुए और इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि इस प्रकार का भत्ता चिकित्सा डाक्टरों तथा लिपिकीय कर्मचारी वर्ग को भी अनुमन्य है, हम चिकित्सा विभाग के सुझाव से सहमत हैं। उनमें से जो इस समय उच्च दर पर भत्ता पा रहे हैं उन्हें इन दो दरों का अन्तर वैयक्तिक रूप से मिलता रहेगा। किन्तु यह लाभ उन्हें अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति मिलने पर अनुमन्य नहीं होगा।

10·70 कुष्ठ नान-मेडिकल सहायक/नान-मेडिकल पर्यवेक्षक ने चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के पैटर्न पर नियत यात्रा भत्ता अथवा साइकिल भत्ता दिये जाने की मांग की है। इस संबंध में संगत अध्याय में विचार किया जा चुका है।

10·71 जहां तक उनके पदोन्नति के अवसरों का संबंध है, सामान्यतः नान-मेडिकल सहायक अपने साधारण श्रेणी के 10 से 15 प्रतिशत तक के पदों पर सेलेक्शन ग्रेड पाने के हकदार होंगे किन्तु उनके कार्य के स्वरूप को देखते हुए हम सामान्य शर्तों पर साधारण श्रेणी के 20 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति कर रहे हैं।

10·72 सामान्य विभिन्न भत्तों से संबंधित मांगों के बारे में संगत अध्यायों में विचार किया गया है। सभी अन्य मांगों के संबंध में जिनमें अलग-अलग पदों के वेतनमानों का पुनरीक्षण भी सम्मिलित है, हमने भली-भांति विचार किया है। किन्तु यह आवश्यक नहीं समझा गया कि ऐसी अन्य मांगों को स्वीकार न करने के कारणों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाय।

10·73 यू0 पी0 सेनीटरी इन्सपेक्टर्स एसोसियेशन ने हमारा ध्यान उन 135 सफाई निरीक्षकों के वेतन निर्धारण की समस्या की ओर आकृष्ट किया है जो जिला परिषद् के भूतपूर्व कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाएं 1971 में राज्य सरकार ने अपने अधीन कर ली थीं। वे यह चाहते हैं कि जिला परिषद् में उनका जो मूल वेतन था उसे सरकारी सेवा में उनका प्रारम्भिक वेतन निर्धारण करते हुए सुरक्षित रखा जाय। हमें यह सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अधिनियमित किये जाने से भूतपूर्व जिला बोर्डों के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र समितियों को मिल गये थे। जिला परिषद् को सफाई निरीक्षकों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें सेवा समाप्ति की नोटिस दे दी गयी थीं। किन्तु अनुकम्पा के आधार पर कुछ सफाई निरीक्षकों की सेवाएं राज्य सरकार द्वारा ले ली गईं। उनके वेतन निर्धारण का मामला भी पहले ही रिट याचिका के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31 जनवरी, 1977 के निर्णय में यह निर्देश दिया था कि संबंधित सफाई निरीक्षकों के वेतन तथा भत्ते दिनांक 16 सितम्बर, 1970 के शासनादेश में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उक्त निर्णय में बतायी गयी बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किये जायं। वास्तव में उन सफाई निरीक्षकों के वेतन निर्धारण का प्रश्न हमारे विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत नहीं आता है। तथापि, चूंकि हमारे सामने इस मामले के सभी अच्छे-बुरे पहलुओं पर विचार किया जा चुका है, अतः हम यह सुझाव देंगे कि राज्य सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहे।

10·74 अन्त में यह बताना चाहेंगे कि रिजर्व ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के बहुत से पद सम्भवतः उस समय सृजित किये गये थे जब विभिन्न अस्पतालों/औषधालयों में नियमित चिकित्सा अधिकारियों की संख्या कम थी और जब किसी न किसी कारणवश चिकित्सा अधिकारी के उपलब्ध न हो सकने पर ड्यूटी के लिये किसी प्रतिस्थानी की व्यवस्था करना आवश्यक था । अब यह स्थिति पूर्णरूप से बदल गयी है और प्रत्येक अस्पताल/औषधालय में बड़ी संख्या में नियमित चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध रहते हैं । हमारे अनुरोध पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने चिकित्सा विभाग सहित कुछ विभागों के कार्य का अध्ययन करने के लिये एक कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) गठित किया था । कार्यकारी दल इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी अस्पताल/औषधालय में किसी रिजर्व ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी को रखने का कोई औचित्य नहीं है, और इन पदों को समाप्त कर दिया जाय । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केवल नियमित चिकित्सा अधिकारियों को ही किसी अस्पताल/औषधालय में उन रोगियों की संख्या के आधार पर जिनका इलाज किया गया, उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहिए । हमें यह जानकारी भी दी गयी है कि बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारी स्टेट ब्लड बैंक में तैनात हैं जबकि वहां चिकित्सा अधिकारियों की स्वीकृत संख्या बहुत कम है ।

10·75 रिजर्व ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के पद किसी मानक के आधार पर स्वीकृत नहीं किये गये हैं । चिकित्सा विभाग के वे वरिष्ठ अधिकारी भी जिनसे हमने इस बिन्दु पर विचार विमर्श किया, इस बात से सहमत थे कि इन पदों की आवश्यकता नहीं है । अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि रिजर्व ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के इन सभी पदों को तत्काल समाप्त कर दिया जाय ।

अध्याय ग्यारह

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग

इस विभाग के दो भाग हैं—(1) समाज कल्याण (2) हरिजन कल्याण । समाज कल्याण प्रभाग उन कल्याणकारी योजनाओं के लिये उत्तरदायी है जो अन्य कल्याणकारी विभागों के निर्धारित कार्य क्षेत्र में नहीं आती । हरिजन कल्याण प्रभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़ी जातियों और डिनोटीफाइड जन जातियों के कल्याण के लिये उत्तरदायी है । परन्तु इसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों की यह जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि कृषि, पशुपालन, सहकारिता, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास जैसे विभागीय कार्य-कलापों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां, पिछड़ी जातियां और डिनोटीफाइड जन जातियां अपना उचित अंश पाते रहें । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो विभिन्न आदेश जारी किये गये हैं उनमें इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है । इसलिये हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का कार्य यह है कि उनके आय-व्ययक में जो विशिष्ट योजनाएं सम्मिलित हैं उनके संबंध में कार्यवाही करें तथा विभिन्न विभागों के कार्य-कलापों की इस दृष्टिकोण से समीक्षा करें कि विभागीय योजनाओं/आय-व्ययक में जो धनराशि इन वर्गों के विकास के लिये प्राविधानित है उसका उपयोग समय से होता रहे । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और डिनोटीफाइड जन जातियों से संबंधित कार्य-कलापों के अतिरिक्त हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग प्रोबेशन आफेन्डर्स एक्ट, 1958 के प्राविधानों को भी लागू करने के लिये उत्तरदायी है और इस कार्य के लिये जिला प्रोबेशन अधिकारी और प्रोबेशन अधिकारी के पद विभिन्न जिलों में सृजित किये गये हैं और मुख्यालय पर निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के अधीन मुख्य प्रोबेशन अधिकारी हैं ।

11.2 विभाग में विभिन्न श्रेणी के पदों की संख्या दिनांक 1-4-1974 तथा 1-4-1979 को निम्न प्रकार थी:

	1-4-1974	1-4-1979	
समूह 'क'	9	18	
समूह 'ख'	205	249	
समूह 'ग'	1488	1859	
समूह 'घ'	1286	1150	
योग	2988	3276	अंतिम आंकड़े

11.3 हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के निदेशक आई० ए० एस० के ज्येष्ठ वेतनमान के अधिकारी होते हैं । उनकी सहायता के लिये समाज कल्याण प्रभाग में एक संयुक्त निदेशक, दो उप निदेशक तथा एक विशेषज्ञ (महिला कार्यक्रम) हैं । संयुक्त निदेशक पी० सी० एस० (एक्जीक्यूटिव) के अधिकारी और दो उप निदेशक तथा विशेषज्ञ (महिला कार्यक्रम) जो क्रमशः रु० 800—1450 तथा रु० 650—1300 के वेतनमान में हैं, विभाग के अधिकारियों में से प्रोन्नत किए जाते हैं । हरिजन सहायक प्रभाग में निदेशक की सहायता के लिये एक उप निदेशक रु० 800—1450 के वेतनमान में और विशेष कार्याधिकारी (अनुसूचित जन जातियां) रु० 650—1300 के वेतनमान में हैं और दोनों विभाग के अधिकारियों में से प्रोन्नत हैं । आठ सम्भागीय उप निदेशक रु० 800—1450 के वेतनमान में हैं । इनमें से 50 प्रतिशत पद पी० सी० एस० (एक्जीक्यूटिव) से भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पद जिला हरिजन और समाज कल्याण अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । कुमायूं, गढ़वाल तथा झांसी के तीन मण्डलों में रु० 550—1200 के वेतनमान में सहायक निदेशक के पद हैं । प्रोबेशन कार्य की देख-रेख के लिए जिलों में रु० 400—750 के वेतनमान में प्रोबेशन अधिकारी के पद हैं । जिलों में अधिकारियों की संख्या निर्धारित माप दण्ड के अनुसार रहती है ।

11.4 निम्नलिखित सेवा संघों ने अपनी सेवा के सदस्यों के सेवा संबंधी मामलों के बारे में ज्ञापन भेजा है । वे आयोग के समक्ष भी उपस्थित हुए और हमारे सामने अपने विचार प्रकट किए । इन सेवा संघों ने जो सुझाव प्रस्तुत किए उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(1) उत्तर प्रदेश हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी संघ

इस संघ ने निम्नलिखित मांगों पर बल दिया :—

(क) जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों के सभी पदों पर श्रेणी-2 का वेतनमान मिलना चाहिए ।

(ख) चूंकि बहुत से अधिकारी वृद्धिरोध से प्रभावित हैं, अतः उनके लिए प्रोन्नति के कुछ अवसर निकाले जाने चाहिए ।

(ग) सम्भागीय पदों को विभागीय अधिकारियों द्वारा भरा जाना चाहिए ।

(घ) उनका स्टेटस जिला स्तर के अन्य अधिकारियों से ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे जिला स्तर की विभिन्न समन्वय समितियों के सदस्य होते हैं ।

(2) उत्तर प्रदेश प्रोबेशन अधिकारी संघ

संघ ने निम्नलिखित तथ्य तथा मांगें आयोग के सामने रखी :—

(क) इस पद के लिए निर्धारित अर्हता मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र या एम० एस० डब्लू० में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा अधिमान्य अर्हता एल० एल० बी० है ।

15 सा० (वित्त)—1981—19

(ख) सभी प्रोबेशन अधिकारियों को श्रेणी--2 का रु0 550—1200 का वेतनमान स्वीकृत होना चाहिए ।

(ग) जिला प्रोबेशन अधिकारी को रु0 650—1300 का वेतनमान मिलना चाहिए ।

(घ) 50 प्रतिशत पद रु0 800—1450 के सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें ।

(ङ) महिला प्रोबेशन अधिकारी को रु0 650—1300 का वेतनमान मिलना चाहिए ।

(च) सम्भागीय पद सृजित होने चाहिए ।

(छ) चीफ प्रोबेशन अधिकारी के पद का वेतनमान रु0 1400—1800 होना चाहिए ।

(3) आश्रम पद्धति विद्यालय वेलफेयर परिषद्, उत्तर प्रदेश

परिषद् के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित तथ्य/मांगें प्रस्तुत कीं :—

(क) प्रदेश में 24 स्थानों पर आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं । यह बताया गया है कि 19 विद्यालय जूनियर हाई स्कूल स्तर के तथा 5 हाई स्कूल स्तर के हैं । विद्यार्थियों की संख्या विभिन्न संस्थाओं में अलग-अलग है ।

(ख) जूनियर हाई स्कूल स्तर की संस्थाओं के अधीक्षकों का वेतनमान रु0 300—550 है । अधीक्षकों के कुछ पद रु0 400—750 के वेतनमान में भी हैं । संघ के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि इन आश्रम पद्धति विद्यालयों की कार्य प्रणाली सामान्य शिक्षा के विद्यालयों से भिन्न है क्योंकि उन्हें ऐसे बच्चों से संपर्क पड़ता है जो अपराधी प्रवृत्ति के, असामान्य तथा मानसिक रूप से बाधित होते हैं ।

(ग) आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधीक्षकों का वेतनमान इस समय विद्यमान वेतनमान रु0 300—550 और रु0 450—950 के स्थान पर रु0 900—1600 होना चाहिए । इस समय अधीक्षकों को जो रु0 300—550 का वेतनमान है वह एल0 टी0 ग्रेड अध्यापकों के बराबर है । अधीक्षकों को एल0 टी0 ग्रेड अध्यापकों से ऊंचा वेतनमान मिलना चाहिए ।

(घ) प्रधानाध्यापक के लिए रु0 950—1700 का उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

(ङ) सहायक अधीक्षक/प्रसार अध्यापक अपने अध्यापन कार्य के अतिरिक्त छात्रावास का भी कार्य देखते हैं और इसलिए उन्हें उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिए ।

(च) जे0 टी0 सी0/एच0 टी0 सी0 ग्रेड के अध्यापकों, शिल्प कला अध्यापकों, विज्ञान अध्यापकों तथा संगीत अध्यापकों को सी0 टी0 ग्रेड मिलना चाहिए ।

(छ) कम्पाउन्डर तथा हाउसमदर के वेतनमान चिकित्सा विभाग में उपलब्ध वेतनमानों के समान होना चाहिए ।

(4) उत्तर प्रदेश समाज कल्याण अधिकारी संघ

संघ ने यह तर्क दिया है कि समाज कल्याण अधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी/अधीक्षक का वेतनमान पहले जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों से ऊंचा था और जिला हरिजन अधिकारी की प्रोन्नति जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी के पद पर होती थी । अब स्थिति बिल्कुल भिन्न हो गयी है । उन्होंने मांग की है कि उनका वेतनमान कम से कम जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के बराबर होना चाहिए ।

(5) टीचर्स एण्ड इन्स्ट्रक्टर्स काउंसिल फार ब्लाइन्ड

संघ ने आयोग को ज्ञापन प्रस्तुत किया और इसके कुछ प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भी अपने मामले पर बल दिया था । उन्होंने राजकीय अन्ध विद्यालयों के अध्यापकों के लिए रु0 25 प्रति माह विशेष वेतन की मांग की । उन्होंने यात्रा भत्ते की भी मांग की क्योंकि उन्हें स्कूल आने-जाने के लिए सवारी करनी पड़ती है ।

(6) शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक

एक अलग प्रत्यावेदन में शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने यह निवेदन किया कि उन्हें उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिए क्योंकि उनका कार्य बहुत श्रमसाध्य तथा कठिन है ।

(7) मनोविज्ञानिक संघ

आयोग को दिए गए प्रत्यावेदन में मनोवैज्ञानिक संघ ने यह मांग की है कि उनका वेतनमान शिक्षा विभाग के वेतनमान से ऊंचा होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए ।

11.5 हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के निदेशक हमारे समक्ष उपस्थित हुए तथा बाद में एक टिप्पणी भी भेजी । आयोग के सामने अपने साक्ष्य में उन्होंने निम्नलिखित बिन्दु उठाये :—

(क) जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों को रु0 550—1200 का वेतनमान मिलना चाहिए । परन्तु वे इस बात से सहमत हुए कि जिला स्तर के सभी अधिकारी बराबर नहीं समझे जा सकते और उनके लिए दो स्तर के वेतनमान होने चाहिए ।

(ख) जिला प्रोबेशन अधिकारी का वेतनमान जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के वेतनमान से थोड़ा नीचा होना चाहिए ।

(ग) हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय के अधीन विभिन्न संस्थाओं के अधीक्षकों का वेतनमान एक ही होना चाहिए ।

(घ) आश्रम पद्धति स्कूल के प्रधानाध्यापकों का वेतनमान बढ़ाना चाहिए ।

(ङ) सुपरवाइजर का वेतनमान बढ़ाना चाहिए ।

(च) आश्रम पद्धति के स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं के अध्यापकों का वेतनमान शिक्षा विभाग में लागू वेतनमानों के समान होना चाहिए ।

11.6 हम हरिजन तथा समाज कल्याण के कार्य कलापों को बहुत महत्व देते हैं और उस लिए हमने विभिन्न मांगों पर काफी विचार किया । हमने कुछ व्यक्तियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर भी विचार किया । हमने इस बात का प्रयास

किया है कि विभाग की विभिन्न सेवाओं, उनके कार्य-भार तथा उत्तरदायित्व के स्तरों को एकीकृत रूप में देखा जाय। हम निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण के इस विचार से सहमत हैं कि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के कार्य का उत्तरदायित्व प्रोबेशन अधिकारियों की तुलना में ऊंचा है। प्रोबेशन अधिकारी के लिए आधारिक अर्हता मनोवैज्ञानिक की भांति स्नातकोत्तर की उपाधि है। परन्तु केवल उसी आधार पर वेतनमान नहीं बढ़ाया जा सकता। उनका कार्य अधिकांशतः विनियामक या पर्यवेक्षी प्रकृति का है जबकि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीधे उत्तरदायी हैं। हमने उसी के अनुसार वेतनमानों की संरचना की है। जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी की प्रोन्नति के अवसरों को देखते हुए हम संस्तुति करते हैं कि 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

11.7 इस समय प्रोबेशन अधिकारी रु0 400—750 के वेतनमान में हैं और 8 पदों के लिए रु0 450—950 का सेलेक्शन ग्रेड है। इन पदों की अर्हता तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुए प्रोबेशन अफेण्डर्स एक्ट, 1958 के अधीन नियुक्त जिला प्रोबेशन अधिकारियों के लिए हम उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। चूंकि जिला प्रोबेशन अधिकारी को उच्चतर वेतनमान दिया गया है अतः प्रोबेशन अधिकारियों के संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड देने का कोई औचित्य नहीं है।

11.8 प्रोबेशन अधिकारियों ने सम्भागीय स्तर के पदों की मांग की है। जब तक कि कार्य के लिए आवश्यक न हों, सम्भागीय पद स्वीकृत नहीं किए जाने चाहिए। सम्भागीय हरिजन तथा समाज कल्याण उप निदेशक, जिला प्रोबेशन अधिकारियों तथा प्रोबेशन अधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं। पृथक् से सम्भागीय प्रोबेशन अधिकारी के पद का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी मुख्यालय पर नियुक्त मुख्य प्रोबेशन अधिकारी के लिए हमने उच्चतर वेतनमान की संस्तुति की है।

11.9 हरिजन और समाज कल्याण प्रभागों द्वारा चलाये जाने वाले आश्रम पद्धति स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं में अधीक्षकों के लिए दो अलग-अलग वेतनमान रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार हमने इन दोनों पदों के लिए एक वेतनमान संस्तुत किया है।

11.10 जहां तक जे0 टी0 सी0/एच0 टी0 सी0 ग्रेड के अध्यापकों, शिल्प कला अध्यापकों, विज्ञान अध्यापकों और संगीत अध्यापकों के वेतनमानों का प्रश्न है, यह अध्यापक कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। उनके लिए हमने उसी वेतनमान की संस्तुति की है जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में इस श्रेणी के अध्यापकों को अनुमन्य है। हमें सूचित किया गया है कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत इस समय 94 औद्योगिक प्राविधिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। यह बताया गया है कि इन संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतनमान 1956 से पुनरीक्षित नहीं किया गया है। इन संस्थाओं को अपने व्यय वहन करने के लिए एक मुश्त अनुदान दिया जाता है। स्टाफ के ढांचे के संबंध में हमको विस्तृत सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। निश्चित रूप से यह भी नहीं ज्ञात हो सका कि यह संस्थाएं सहायता प्राप्त संस्थाओं की श्रेणी में आती हैं या नहीं क्योंकि अनुदान देने का आधार हमें स्पष्ट नहीं है। इसलिये हम संस्तुति करते हैं कि राज्य सरकार इस मामले पर विचार करे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान सभी आवश्यक तथ्यों पर विचार करने के बाद, जिसमें इन संस्थाओं को सहायता देने का वर्तमान तरीका शामिल है, पुनरीक्षित करे।

11.11 जहां तक सहायक अधीक्षक के वेतनमान का संबंध है जो अध्यापन कार्य के अतिरिक्त छात्रावास का कार्य भी देखता है, हम उक्त पद पर रु0 20 प्रति माह के भत्ते की संस्तुति कर रहे हैं। परन्तु उच्चतर वेतनमान का हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

11.12 हमने कम्पाउन्डर और हाउस मदर को अनुमन्य वेतनमानों का परीक्षण किया है। हमें इन वेतनमानों और इसी प्रकार के पदों पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में अनुमन्य वेतनमानों में कोई असंगति नहीं मालूम होती।

11.13 शारीरिक रूप से बाधिक बच्चों के स्कूलों, बहरे और गूंगे तथा अन्धे बच्चों के स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों ने इन संस्थाओं की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्चतर वेतनमान की मांग की है। उनके वेतनमान शिक्षा विभाग के प्रशिक्षित अध्यापकों के समान हैं। उनके कार्य की विशेष प्रकृति, उनकी विशेष अर्हता तथा रुचि और सवारी पर उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए हम प्रधानाध्यापक के लिये 45 रु0 प्रति माह तथा अध्यापकों के लिए 35 रु0 प्रति माह के भत्ते की संस्तुति करते हैं।

11.14 जहां तक मनोवैज्ञानिकों के वेतनमान का संबंध है उनका कार्य विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं में छात्रों को पढ़ाने का है। उनका वर्तमान वेतनमान रु0 400—750 इण्टरमीडिएट कालेज के प्रवक्ता के समान है। उनका उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार इण्टरमीडिएट कालेज के प्रवक्ताओं के उत्तरदायित्व से अधिक दुष्कर नहीं है। उनकी बराबरी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं के मनोवैज्ञानिकों से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के कार्यों में कोई समानता नहीं है।

11.15 विभाग के विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलियों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जो प्रस्तावित नियम हैं उनमें यह प्राविधान है कि जिला हरिजन और समाज कल्याण अधिकारियों के 10 प्रतिशत पद निदेशालय के लिपिकीय संवर्ग से भरे जायेंगे। हमने इस संबंध में निदेशक/सचिव, हरिजन तथा समाज कल्याण से विचार-विमर्श किया है। लिपिकीय स्टाफ को क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं होता और वह इस कार्य के लिये आवश्यक योग्यता नहीं रखते हैं। हमारा सुझाव है कि सरकार प्रस्तावित नियमों पर एक बार पुनः विचार करे। इसी प्रकार हमारा सुझाव है कि सरकार मनोवैज्ञानिकों, प्रोबेशन अधिकारियों, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के अधीक्षकों और जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों के संवर्ग की व्यवस्था के बारे में एकीकृत रूप में विचार करे।

11.16 हरिजन कल्याण पर्यवेक्षकों का वेतनमान रु0 200—320 है। इनके लिए कोई प्रोन्नति के अवसर नहीं हैं। इसलिये हम संस्तुति कर रहे हैं कि हरिजन

कल्याण पर्यवेक्षकों के 30 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें।

11.17 हरिजन औद्योगिक स्टेट के सहायक व्यवस्थापकों ने अपना वेतनमान बढ़ाने के लिए आयोग को प्रत्यावेदन दिया है। यह कहा गया है कि वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा निर्धारित वेतन के पूर्व हरिजन औद्योगिक स्टेट तथा उद्योग के विभाग के सहायक व्यवस्थापकों का रु0 120—300 का एक ही वेतनमान था। बाद में वेतन अभिनवीकरण समिति ने उद्योग विभाग के सहायक व्यवस्थापकों का वेतनमान पुनरीक्षित करके रु0 160—320 कर दिया और हरिजन औद्योगिक एस्टेट के सहायक व्यवस्थापकों का वेतनमान रु0 150—260 किया। वर्ष 1971—73 के पिछले वेतन आयोग में इन सहायक व्यवस्थापकों का वेतनमान उनके तत्कालीन वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया। इस प्रकार उद्योग विभाग के सहायक व्यवस्थापक वेतनमान पुनरीक्षित करके दिनांक 1-8-1972 से रु0 300—500 कर दिया जब कि हरिजन औद्योगिक एस्टेट के सहायक व्यवस्थापकों को रु0 280—460 का वेतनमान मिला। इन दोनों पदों की योग्यता एक ही है अर्थात् स्नातक की उपाधि। भर्ती का तरीका भी एक ही है अर्थात् पदधारी लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा चुने जाते हैं। इन पदों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी कमोबेश समान हैं। इस प्रकार हरिजन औद्योगिक एस्टेट के सहायक व्यवस्थापकों को निम्नतर वेतनमान देने का कोई औचित्य नहीं है।

11.18 हरिजन औद्योगिक एस्टेट के सहायक व्यवस्थापक की निर्धारित अर्हता, भर्ती का तरीका तथा कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम इस पद के लिए रु0 515–840 की संस्तुति करते हैं जो उद्योग विभाग के इसी प्रकार के पद के वेतनमान के अनुरूप है।

11.19 पुनरीक्षित वेतनमान तथा जहां आवश्यक है, सेलेक्शन ग्रेड, इस खण्ड के भाग--2 में दिए गए हैं। हमने चपरासी, चौकीदार, लिपिकीय कर्मचारी, ड्राइवर इत्यादि के पदों के बारे में यहां विचार नहीं किया है क्योंकि इन पर सामान्य कोटि के पदों से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है।

मद्य निषेध तथा सामाजिक उत्थान विभाग

11.20 मद्यनिषेध तथा सामाजिक उत्थान विभाग स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद गठित हुआ था और 1956 से स्थायी विभाग की तरह कार्य कर रहा है। इसके शीर्षस्थ अधिकारी राज्य मद्यनिषेध अधिकारी हैं जो रु0 650—1300 के वेतनमान में हैं। एक पद उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी का रु0 550—1200 के वेतनमान में और क्षेत्रीय स्तर पर मद्यनिषेध तथा सामाजिक उत्थान अधिकारी के 8 पद रु0 450—950 के वेतनमान में हैं। विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी मद्यनिषेध संयोजक है।

11.21 विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या 100 है जिसमें 25 चपरासी तथा कई समूह 'ग' के कर्मचारी हैं। सरकार को इस बात का परीक्षण करना चाहिए कि क्या इतने छोटे संगठन के लिए इतनी बड़ी संख्या में समूह 'ग' तथा 'घ' के कर्मचारियों की आवश्यकता है।

11.22 हमने विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रीय कर्मचारियों की प्रोन्नति की संभावनाओं पर विचार किया है। मद्यनिषेध संयोजक के 30 पद हैं जो विभागीय चयन समिति द्वारा सीधे भर्ती किए जाते हैं। मुख्य मद्यनिषेध संयोजक के 7 पद रु0280—460 के वेतनमान में हैं जो वेतनमान रु0 230—385 में मद्यनिषेध संयोजक के पदों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। मद्यनिषेध तथा सामाजिक उत्थान अधिकारियों के 8 पदों में से 50 प्रतिशत पद मद्यनिषेध संयोजक, मुख्य मद्यनिषेध संयोजक और तकनीकी पर्यवेक्षक के पदों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी का पद भी 8 मद्यनिषेध तथा सामाजिक उत्थान अधिकारियों के पदों में से भरा जाता है। इसी प्रकार राज्य मद्यनिषेध अधिकारी का पद उप मद्यनिषेध अधिकारी के अकेले पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। इस प्रकार इस संवर्ग में प्रोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

11.23 इस विभाग की स्थापना लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए की गई है। आबकारी विभाग के कार्यकलापों तथा मद्यनिषेध और सामाजिक उत्थान के कार्य कलापों में समता नहीं है। समाज कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है और यह अधिक उपयुक्त होगा कि इसके कार्यकलापों को समाज कल्याण विभाग के कार्यकलापों के साथ मिला दिया जाय। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि राज्य सरकार इस पर विचार करें कि क्या मद्यनिषेध तथा सामाजिक उत्थान को समाज कल्याण विभाग के एक अंग के रूप में रखा जा सकता है। इस से व्यय में भी कमी होगी।

11.24 जहां तक लिपिकीय संवर्ग, ड्राइवर तथा समूह 'घ' के पदों का संबंध है उन पर सामान्य कोटि के पदों के अध्याय में विचार किया गया है। हमने पुनरीक्षित वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड, जहां आवश्यक है, इस खण्ड के भाग--2 में दिये हैं।

अल्प संख्यक आयोग कार्यालय

11.25 राज्य सरकार ने शासनादेश सं0 19/2/74/राष्ट्रीय एकीकरण, दिनांक अप्रैल 19, 1975 द्वारा अल्प संख्या आयोग के कार्यालय को सचिवालय के समान घोषित किया है और इस कार्यालय के सभी 14 कर्मचारियों को वही वेतनमान स्वीकृत किया है। चूंकि शासन ने अल्प संख्यक आयोग कार्यालय का स्टेटस सचिवालय के बराबर कर लिया है और हम भी अनुभव करते हैं कि अल्प संख्यक आयोग को समुचित स्टेटस मिलना चाहिए, अतः हम इस कार्यालय के संबंध में अलग से संस्तुति नहीं कर रहे हैं। समकक्ष पदों के लिए सचिवालय में जो वेतनमान संस्तुत किए गए हैं वे इस कार्यालय पर भी लागू होंगे। परन्तु हम संस्तुति करते हैं कि अल्प संख्यक आयोग के पदों को सचिवालय के संबंधित संवर्गों में वृद्धि माना जाना चाहिए और सचिवालय के कर्मचारियों से ही इन्हें भरा जाना चाहिए।

आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति

11.26 उत्तर प्रदेश में आयुक्त, अनुसूचित जाति जन जाति का कार्यालय नवम्बर 1976 में स्थापित किया गया था। आयुक्त को दिसम्बर 1976 में विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था। उनका काम यह देखना है कि

विधिक प्राविधानों तथा शासकीय आदेशों के अंतर्गत जो सुविधाएं अनुसूचित जातियों/जन जातियों को अनुमन्य हैं वे उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है। आयुक्त आई० ए० एस० का सुपर-टाइम अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए एक उप आयुक्त है जो पी० सी० एस० के वरिष्ठ वेतनमान का एक अधिकारी है तथा छोटा सा स्टाफ भी है।

11.27 आयुक्त ने संस्तुति की है कि उप आयुक्त को 200 रु० प्रति माह का विशेष वेतन दिया जाना चाहिए। उप आयुक्त के मामले में हमने पी० सी० एस० (इक्जीक्यूटिव) के अध्याय में विचार किया है। आयुक्त का वैयक्तिक सहायक रु० 350—700 के वेतनमान में है। आयुक्त ने उसके लिए रु० 500—750 के वेतनमान की संस्तुति की है। हमें ज्ञात नहीं है कि किन परिस्थितियों में आयुक्त के वैयक्तिक सहायक को यह वेतनमान दिया गया है। यह वेतनमान किसी विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वास्तव में इस प्रकार के छोटा संगठन में वैयक्तिक सहायक के पद का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम संस्तुति करते हैं कि इस पद को आशुलिपिक के पद में परिवर्तित कर दिया जाए और रु० 622—940 का वेतनमान स्वीकृत किया जाय।

राज्य सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद्

11.28 बहुत बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक, नाविक एवं वैमानिक हैं जो सेना से निवृत्त/मुक्त किए गए और जिन्हें नागरिक जीवन में अपने को पुनर्वासित करने में कठिनाई होती है। इन व्यक्तियों और इनके परिवारों की सहायता करने के लिए तथा कार्यरत अधिकारियों और जवानों की अन्य सहायता करने के लिए सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद् की स्थापना की गई। इस संगठन के अध्यक्ष निदेशक हैं जिनका वेतनमान रु० 1800—2000 है और उनकी सहायता के लिए सचिव तथा एक उप निदेशक रु० 550—1200 के वेतनमान में है। तथापि इन पदों के लिए पात्रता भूतपूर्व सैनिकों तक सीमित है। जिला स्तर पर सचिव, सैनिक, नाविक एवं वैमानिक परिषद् के पद हैं। कुछ पदों को छोड़ कर सचिव के पद सेना के भूतपूर्व लोगों से भरे जाते हैं। उनके वेतन निर्धारण के लिए एक निश्चित फार्मूला है परन्तु वे राज्य सरकार से नैवृत्तिक लाभ पाने के हकदार नहीं हैं जिसके लिए रु० 400—750 के वेतनमान में नियमित तरीके से नियुक्त सचिव हकदार हैं। आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में निदेशक, सैनिक परिषद् ने कुछ बिन्दु उठाए जिस पर नीचे विचार किया गया है—

11.29 जिला सैनिक बोर्ड के सचिवों के 8 पद रु० 400—750 के वेतनमान में और 3 पद रु० 280—460 के वेतनमान में हैं जबकि शेष पद रु० 650—1300 के वेतनमान में हैं। रु० 280—460 के वेतनमान के पद कनिष्ठ कमीशन्ड अफसरों से भरे गये हैं और इन पदों का संवर्ग समाप्त प्राय है इस लिए जहां तक इन पदों का संबंध है कोई समस्या नहीं है। तथापि निदेशक ने उन 8 पदों के वेतनमान बढ़ाने पर बल दिया जो इस समय रु० 400—750 के वेतनमान में हैं। यह 8 पद पेंशनयुक्त हैं और उनके पदधारी स्थायी हैं। उनकी तुलना रु० 650—1300 के वेतनमान के पदों से नहीं की जा सकती जो कि सेवा निवृत्त तथा अवमुक्त आपातकालीन/अल्प सेवा के कमीशन्ड अधिकारियों से भरे जाते हैं जिन्हें सेवा नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य नहीं है। हम अनुभव करते हैं कि उत्तरदायित्व के दृष्टि से इन पदों की तुलना उन पदों से नहीं की जा सकती जो इस समय रु० 650—1300 के वेतनमान में हैं। इन अधिकारियों को रु० 650—1300 का वेतनमान प्राप्त नहीं होता बल्कि उन्हें निश्चित फार्मूले के अनुसार परिलब्धियां मिलती हैं जो उनके अंतिम आहरिक वेतन में से पेंशन घटाकर निश्चित की जाती हैं और इसके साथ-साथ उन लोगों को रु० 125 प्रति माह मिलता है जिन्हें सुरक्षा पेंशन अनुमन्य है और जिन्हें सुरक्षा पेंशन अनुमन्य नहीं है उन्हें एक भिन्न फार्मूले के अनुसार परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। चूंकि बाद की श्रेणी के अधिकारियों को राज्य सरकार से पेंशन अनुमन्य नहीं है (संविदा पर होने के कारण), यह स्वाभाविक है कि उनके मन में अपने भविष्य के बारे में आशंका रहती है। हम संस्तुति करते हैं कि राज्य सरकार इस पूरे प्रश्न पर पुनः विचार करे और इस मामले में समुचित निर्णय ले। जब कभी रु० 400-750 के वेतनमान के पद रिक्त होंगे वे भी शार्ट सर्विस कमीशन के अवमुक्त अधिकारियों द्वारा भरे जायेंगे। हमें इन आठ पदों को उच्चीकृत करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

11.30 निदेशक के अनुसार निदेशालय के लिपिकीय पदों के वेतनमान अन्य विभागों के उसी प्रकार के पदों के वेतनमान के समान नहीं हैं। विशेष रूप से ज्येष्ठ आलेखक-प्रालेखक तथा आलेखक-प्रालेखक जो मुख्यालय पर नियुक्त हैं तथा जिलों के मुख्य लिपिकों का उल्लेख किया गया। ज्येष्ठ आलेखक-प्रालेखक का वेतनमान रु० 250—425 है। इसकी तुलना अन्य विभागों के ज्येष्ठ आलेखक-प्रालेखक से की जा सकती है और उसे रु० 470—735 का वेतनमान दिया जाना चाहिए। हम इसी आशय की संस्तुति कर रहे हैं। आलेखक-प्रालेखक रु० 230—385 के वेतनमान में है। इस पद का पद नाम कनिष्ठ आलेखक-प्रालेखक होना चाहिए। अन्यथा कोई विसंगति नहीं है।

11.31 इस बात पर बल दिया गया कि लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। निदेशालय स्तर पर प्रोन्नति के लिए पर्याप्त पद हैं परन्तु जिला स्तर पर मुख्य लिपिक के 53 पद रु० 230—385 के वेतनमान में और नैत्यिक श्रेणी लिपिक के 168 पद रु० 200—320 के वेतनमान में हैं। इस विभाग के कार्य की प्रकृति को देखते हुए हम महसूस करते हैं कि मुख्य लिपिक का पद नाम वरिष्ठ लिपिक होना चाहिए और वरिष्ठ लिपिकों की संख्या बढ़ाकर 106 और नैत्यिक श्रेणी लिपिकों की संख्या घटा कर 115 की जानी चाहिए। हम ज्येष्ठ लिपिक के 20 प्रतिशत पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड की भी संस्तुति करते हैं क्योंकि विभाग में लिपिकीय संवर्ग में उच्चतर पद नहीं हैं।

11.32 जहां तक निदेशालय में आशुलिपिक तथा जिलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों का संबंध है इन पर सामान्य कोटि के पदों के अध्याय में विचार किया गया है।

11.33 पुनरीक्षित वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड जहां आवश्यक हैं, इस खण्ड के भाग-2 में दिये गये हैं।

अध्याय बारह

परिवहन आयुक्त का संगठन

परिवहन आयुक्त का संगठन 1945 में स्थापित किया गया था। यह संगठन मोटर गाड़ियों के निबन्धन, ड्राइवरों को लाइसेन्स दिये जाने और मोटर-गाड़ियों के कराधान से संबंधित कार्य के लिये उत्तरदायी है। यह राज्य में मोटर गाड़ी से संबंधित कानूनों का प्रशासन भी करता है। इस संगठन के अध्यक्ष परिवहन आयुक्त हैं, जो सीनियर वेतनमान के आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं। उनकी सहायता के लिये मुख्यालय पर वेतनमान रु0 1600–2000 में एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, वेतनमान रु0 900–1600 में स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथारिटी के रूप में कार्य करने वाले एक अधिकारी को सम्मिलित करते हुए पांच उप परिवहन आयुक्त तथा वेतनमान रु0 900–1600 में एक सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारिवर्ग हैं। क्षेत्र में यह संगठन 4 परिक्षेत्रों (जोन्स), 13 सम्भागों (रीजन्स) और 11 उप सम्भागों (सब-रीजन्स) में विभाजित है, जिनके अध्यक्ष क्रमशः क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, सम्भागीय (रीजन्स) परिवहन अधिकारी और एक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी हैं।

12.2 सड़क परिवहन के संबंध में नीति विषयक मामलों के बारे में निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकारी (स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथारिटी) द्वारा लिया जाता है, जिसके अध्यक्ष राजस्व परिषद् के चेयरमैन हैं। राज्य परिवहन प्राधिकारी सभी सम्भागीय (रीजनल) परिवहन प्राधिकारियों के कार्य को समन्वित और विनियमित भी करता है। मंडल आयुक्त प्रत्येक सम्भाग में एक सदस्यीय सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी हैं और सम्भागीय परिवहन अधिकारी उक्त प्राधिकारी का गैर सदस्य सचिव है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी और राज्य परिवहन प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध पुनरीक्षण (रिवीजन) और अपील संबंधी मामले एक सदस्यीय राज्य परिवहन अपीलेट प्राधिकरण के समक्ष दायर किये जाते हैं। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं।

12.3 विभिन्न कोटि के कर्मचारी वर्ग की दिनांक 1-4-1974 तथा 1-4-1979 को जो स्थिति थी उसे नीचे दिया गया है :—

कोटि	कर्मचारी वर्ग की संख्या 1-4-1974 को	1-4-1979 को
समूह "क"	19	25
समूह "ख"	88	108
समूह "ग"	892	994
समूह "घ"	534	655
योग ..	1533	1782

12.4 उत्तर प्रदेश परिवहन अधिकारी संघ और उत्तर प्रदेश सम्भागीय (रीजनल) परिवहन कर्मचारी परिषद् ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और मौखिक साक्ष्य देने के लिये वे हमारे समक्ष उपस्थित भी हुए। उनकी मुख्य मांगें संक्षेप में नीचे दी गयी हैं :—

उत्तर प्रदेश परिवहन अधिकारी संघ—

(1) विभाग के निम्नलिखित राजपत्रित पदों के वेतनमान नीचे स्तम्भ 4 में दिए गये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षित किये जायं :—

क्रम सं0	पद	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान जो वेतनमान के पुनरीक्षण का आधार होना चाहिए
		(रु0)	(रु0)
1	उप परिवहन आयुक्त	900–1600	1400–1800
2	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	800–1450	900–1600
3	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	550–1200	800–1450
4	यात्री कर/माल कर अधिकारी	450–950	

(2) सम्भागीय परिवहन अधिकारियों और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अवसर पर्याप्त हैं। जो अधिकारी 1948 में सम्भागीय परिवहन अधिकारी के रूप में भर्ती किये गये थे और जो अधिकारी 1952 में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के रूप में भर्ती किये गये थे वे अब भी सहायक आयुक्त और सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं जबकि पुलिस या एक्जीक्यूटिव में उनके प्रतिरूप अधिकारी (काउन्टर पार्ट) उप महानिरीक्षक (डी0 आई0 जी0) और सीनियर वेतनमान के आई0 ए0 एस0 अधिकारी हो गये हैं। उपयुक्त पदोन्नति के पद/सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय।

(3) उप परिवहन आयुक्त का पद संभागीय परिवहन अधिकारी के लिये पदोन्नति का पद है, किन्तु उप परिवहन आयुक्त का वेतनमान और सम्भागीय परिवहन अधिकारी का सेलेक्शन ग्रेड एक समान है अर्थात रु0 900–1600 है। यह एक असंगति है।

उत्तर प्रदेश संभागीय कर्मचारी परिषद्--

(1) सम्भागीय कार्यालयों में तैनात लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमान परिवहन आयुक्त के कार्यालय में तैनात उनके प्रतिरूप कर्मचारियों (काउन्टर-पार्ट) के समान होने चाहिए और अन्य विभागों के सम्भागीय कार्यालयों में अनुमन्य वेतनमान से कम नहीं होने चाहिए ।

(2) सम्भागीय कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के लिये पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) को दूर करने के लिये (क) अबाध (रनिंग) वेतनमान स्वीकृत किये जायं, (ख) उपयुक्त सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय और (ग) लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के लिये विभाग में उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिये व्यवस्था की जाय ।

(3) सम्भागीय कार्यालयों में रोकड़िया (कैशियर) और सहायक रोकड़िया (मालकर) को एक ही वेतनमान दिया जाय ।

(4) सम्भागीय कार्यालयों के लेखाकार का वेतनमान रु0 230–385 बढ़ाया जाय ।

(5) परिक्षेत्रीय (जोनल) कार्यालयों में तैनात प्रधान लिपिक (हेड क्लर्क) (रु0 300–500) ज्येष्ठ लिपिक (रु0 230–385) और आशुलिपिक (रु0 250–425) के वेतनमान परिवहन आयुक्त के कार्यालयों में उनके प्रतिरूप कर्मचारियों (काउन्टर पार्ट) के समान होने चाहिए ।

(6) परिवहन विभाग की विभिन्न जांच चौकियों (चेक पोस्ट) पर तैनात कर्मचारिवर्ग को निम्नलिखित दर से प्रतिकर भत्ता दिया जाय :—

(क) अधीक्षक, यात्रीकर	180 रु0 प्रति मास
(ख) रोकड़िया (कैशियर) एवं लिपिक	135 रु0 प्रति मास
(ग) कान्सटेबुल/चपरासी और चौकीदार	100 रु0 प्रति मास

12.5 परिवहन आयुक्त ने भी कुछ सुझाव दिये जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :—

(1) उप परिवहन आयुक्त और सम्भागीय परिवहन अधिकारी के वेतनमान बढ़ाकर क्रमशः रु0 1600—2000 और रु0 900—1600 किये जाने चाहिए ।

(2) सम्भागीय परिवहन अधिकारी के संवर्ग का एक पद रु0 900–1600 के सेलेक्शन ग्रेड में है और उप परिवहन आयुक्त के पद का भी यही वेतनमान है । यह एक असंगति है । सम्भागीय परिवहन अधिकारी के सेलेक्शन ग्रेड का पद उप परिवहन आयुक्त के सम्वर्ग में विलीन किया जाना चाहिए ।

(3) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के साधारण ग्रेड के 33 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(4) यात्री कर/माल कर अधिकारियों के कार्य की प्रकृति, अर्हतायें और भर्ती का ढंग वही है जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों का है किन्तु उन्हें रु0 450–950 का वेतनमान दिया गया है । उन्हें रु0 550–1200 का वेतनमान दिया जाना चाहिए और उनके पद सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के संवर्ग में विलीन किये जाने चाहिए ।

(5) मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी का पद रु0 550–1200 के वेतनमान में है और यह पद पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) अधिकारी से भरा जाता है । इस पद के वेतनमान को उन्नत (अप-ग्रेड) करके रु0 800–1450 किया जाय ।

(6) प्रवर्तन दस्ता (इनफोर्समेन्ट स्क्वाड) से सम्बद्ध निम्नलिखित कर्मचारिवर्ग उसी प्रकार का कार्य करता है जिस प्रकार का कार्य पुलिस विभाग में उसके प्रतिरूप कर्मचारिवर्ग (काउन्टार पार्ट) द्वारा किया जाता है, किन्तु उनके वेतनमान अपेक्षाकृत कम है :—

(क) प्रवर्तन चालक (रु0 175–250)
(ख) प्रवर्तन पर्यवेक्षक (रु0 170–225) तथा रु0 10 प्रतिमास का विशेष वेतन ।
(ग) प्रवर्तन कांसटेबुल (रु0 170–225)

उनके वेतनमानों में उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए ।

(7) सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में रोकड़िया (कैशियर) और सहायक रोकड़िया (मालकर) के पद के कर्तव्य समान उत्तरदायित्व के हैं, किन्तु सहायक रोकड़िया (मालकर) का वेतनमान रु0 200–320 रोकड़िया (कैशियर) का वेतनमान (रु0 230–385) से कम है । इन दोनों पदों को एक ही वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

(8) जांच चौकियां (चेक पोस्ट) पर तैनात कर्मचारी वर्ग को विशेष वेतन दिया जाना चाहिए जैसा कि बिक्री कर विभाग में उनके प्रतिरूप कर्मचारी वर्ग को दिया गया है ।

12.6 आयोग के समक्ष अपना साक्ष्य देने के पश्चात परिवहन आयुक्त ने दो और सुझाव दिये जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :—

(1) प्रवर्तन दस्तों की संख्या 9 से बढ़ाकर 55 हो जाने के कारण उप-परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के उत्तरदायित्व काफी बढ़ गये हैं । अतः इस पद को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के रूप में उन्नत (अपग्रेड) किया जाय ।

(2) कर अधीक्षक के पांच राजपत्रित पद हैं जो रु0 400–750 के वेतनमान में हैं और यात्री/माल-कर अधीक्षक के 97 अराजपत्रित पद हैं । इन दोनों पदों के कर्तव्यों की प्रकृति एक ही सी है, अतः दोनों संवर्गों को एक ही में विलीन कर दिया जाय।

12.7 हमने संघों द्वारा की गई विभिन्न मांगों और परिवहन आयुक्त द्वारा दिये गये सुझावों पर भी सावधानी से विचार किया है । हमने परिवहन विभाग के सचिव तथा परिवहन आयुक्त से विचार विमर्श किया है । ड्राइवर,

आशुलिपिक, लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग और समूह "घ" के कर्मचारि वर्ग के वेतनमानों और पदोन्नति आदि से सम्बन्धित विषयों के बारे में "समान कोटि के पदों से संबंधित अध्याय" में विचार किया गया है । अन्य विषयों के बारे में एतद्-पश्चात विचार किया गया है ।

12.8 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के 83 पद हैं । सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के पद पर 1964 से कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है । केवल 11 अधिकारी जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के रूप में सीधे भर्ती किये गये थे, अब इस पद पर कार्य कर रहे हैं परिवहन आयुक्त के कार्यालय में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के 27 पद पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) अधिकारियों से भरे जाते हैं और शेष पद अवर कोटि के पदों से पदोन्नति पाये हुए अधिकारियों से भरे जाते हैं । 1967 में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के पद के लिये पी0 सी0 एस0 अधिकारियों का चयन किया जायेगा और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों के सम्बर्ग को समाप्त प्राय सम्वर्ग (डाइंग कैडर) घोषित किया गया । अब तक इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस बीच पी0 सी0 एस0 में पदों की संख्या तदनुसार बढ़ गई है । इन परिस्थितियों में हम सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के पद के लिये सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करने में कठिनाई पाते हैं । सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद का वेतनमान रु0 800-1450 है । विभिन्न विभागों के सम्भागीय स्तर के अधिकारियों के लिये यही सामान्य वेतनमान है । अतः हम संभागीय परिवहन अधिकारियों के वेतनमान में कोई असंगति नहीं पाते हैं । सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पदों की कुल संख्या 14 है । उप परिवहन आयुक्त के आठ पद (रु0 900-1600) और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त का एक पद (रु0 1600-2000) संभागीय परिवहन अधिकारियों के 14 पदों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है सहायक आयुक्त, परिवहन (प्रशासन) का पद रु0 900-1600 के सेलेक्शन ग्रेड में है और उप परिवहन आयुक्त का भी यही वेतनमान है । हम परिवहन आयुक्त के इस सुझाव से सहमत हैं कि सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) के पद को भी उप परिवहन आयुक्त के पद के बराबर समझा जाय । इन परिस्थितियों में हम संभागीय परिवहन अधिकारी के पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड देना न्यायोचित नहीं समझते हैं ।

12.9 यात्री कर/मालकर अधिकारी के 26 पद रु0 450-950 के वेतनमान में हैं । परिवहन आयुक्त ने यह सुझाव दिया है कि इन पदों को सहायक परिवहन आयुक्त के सम्वर्ग में विलीन कर दिया जाय । हमने स्थिति का परीक्षण किया है । सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोटर गाड़ी से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी हैं । वे सड़क कर के निर्धारण और वसूली के लिये भी उत्तरदायी हैं । यात्री कर/माल कर अधिकारियों के कार्य बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं । यात्री/सवारी कर अधिकारियों के कुछ प्रतिशत पद यात्री/मालकर अधीक्षकों और प्रधान लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । यात्री/मालकर अधीक्षक के 50 प्रतिशत पद परिवहन आयुक्त के कार्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग में से भरे जाते हैं । हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यात्री/मालकर अधिकारियों के पदों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के पदों के बराबर किया जाय ।

12.10 परिवहन आयुक्त ने इस बात की जोरदा[र] शब्दों में वकालत की कि उप सम्भागीय कार्यालयों का अध्य[क्ष] एक अधिक ज्येष्ठ अधिकारी होना चाहिए । इस सम[य] दो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी हैं—ये दोनों अधिकारी रु0 550-1200 के वेतनमान में जो इन्हीं उप सम्भागीय कार्यालय में तैनात हैं । हम यह महसू[स] करते हैं कि उप सम्भागीय कार्यालय में अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्ध के लिये यह आवश्यक है कि उप सम्भागीय कार्याल[य] का समग्र रूप से प्रभारी केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए । तदनुसार हम उप सम्भागीय कार्यालय के प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के 11 पदों के लि[ये] रु0 75 प्रतिमास के विशेष वेतन का प्रस्ताव करते हैं ।

12.11 हमने जांच चौकियों (चेक पोस्ट) पर तैना[त] कर्मचारि वर्ग को विशेष वेतन दिये जाने के प्रश्न का परीक्षण किया है, इस बात से सहमत हों कि जां[च] परीक्षण पर तैनात कर्मचारिवर्ग को कुछ प्रोत्साहन मिल[ना] चाहिए । अतः हम जांच चौकियों पर तैनात कर्मचारी वर्ग को उसी पैटर्न पर विशेष वेतन दिये जाने की संस्तुति क[र] रहे हैं जो विशेष वेतन बिक्रीकर विभाग के तदनुसार कर्म[चारि] वर्ग को दिया गया है । हम इस बात से भी सहम[त] हैं कि परिवहन विभाग में प्रवर्तन पर्यवेक्षक और प्रवर्[तन] कांसटेबुल के वेतनमान अपेक्षाकृत कम हैं, अतः हम परि[वहन] विभाग के प्रवर्तन कांसटेबुल को वही वेतनमान दि[ये] जाने की संस्तुति करते हैं जो आबकारी कांसटेबुल को दिये गये हैं । इसी प्रकार हम परिवहन विभाग [के] प्रवर्तन पर्यवेक्षक के लिये आबकारी विभाग के हेड कान्[स]टेबुल के बराबर उच्चतर वेतनमान दिये जाने की संस्तुति [कर] रहे हैं ।

12.12 विभाग ने यह सुझाव दिया है कि या[त्री/]माल कर अधीक्षक के पद के वर्तमान वेतनमान को रु0 35[0-]700 से बढ़ाकर रु0 400—750 कर दिया जाय । अधीक्षक रु0 400-750 के वेतनमान में भी पांच पद हैं जो यात्री/माल कर अधीक्षक के लिये पदोन्नति के पद हैं यद्यपि हम यात्री/मालकर अधीक्षक के सभी पदों को उच्[च] वेतनमान में रखने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं त[थापि] हम इस बात की संस्तुति करते हैं कि कर अधीक्षक [और] यात्री/मालकर अधीक्षक के दो पृथक-पृथक सम्वर्ग रखने [के] बजाय रु0 570-1070 के वेतनमान में केवल एक संवर्ग होना चाहिए और इन पदों में से 20 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें ।

12.13 परिवहन आयुक्त ने प्रशासनिक अधि[कारी] और उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के पदों को उ[च्चीकृत] (अपग्रेड) किये जाने का भी सुझाव दिया है । हम महसूस करते हैं कि इस सुझाव का शासन स्तर पर [उ]चित रूप से परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है । हम इस मामले में कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं ।

12.14 परिवहन विभाग के सेवा संघों और अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के दौरान हमारी [जान]कारी में यह बात लाई गयी कि प्रवर्तन कार्य पर कम [ध्यान] दिये जाने का एक कारण यह है कि सम्भागीय परि[वहन] प्राधिकारी का कार्य सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधि[कारी]

को सौंपा गया है जो प्राधिकारी (अथारिटी) के सचिव के रूप में कार्य करते हैं । इस संगठन का अत्यधिक महत्व-पूर्ण कार्य मोटर गाड़ी से संबंधित कानूनों का प्रवर्तन है । अतः यदि सम्भागीय परिवहन अधिकारी का अधिक समय सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के कार्य में लग जाता है तो इसका प्रवर्तन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । हमसे यह बताया गया है कि मेरठ में सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी का कार्य सबसे अधिक है । हमने इस प्रश्न का गहराई से परीक्षण नहीं किया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के कार्य को सम्भागीय परिवहन अधिकारी के कार्य से पृथक किया जाना चाहिए । तथापि हम यह महसूस करते हैं कि मेरठ सम्भाग के लिये एक पृथक अधिकारी को सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी का सचिव नियुक्त किया जाय जिससे सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन कार्य पर तथा विभाग के अन्य सामान्य कार्य पर पूरा समय दे सके । शासन इस मामले का और अधिक परीक्षण करना चाहिए ।

12.15 हमने इस खण्ड के भाग–2 में पुनरीक्षित वेतनमानों तथा सेलेक्शन ग्रेड को जहां कहीं आवश्यक है, दिया है ।

15 सा0 (वित्त)–1981–20

अध्याय तेरह

पर्यटन निदेशालय

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य-नियोजन और विकास संगठन के एक अंग के रूप में 1956 नियोजन और विकास संगठन के एक अंग के रूप में 1956 में आरम्भ किया गया था । 1961 में यह कार्य परिवहन आयुक्त के प्रभार में रखा गया । उत्तर प्रदेश में एक पूर्ण विकसित पर्यटन निदेशालय 1965 में स्थापित किया गया जिसका एक पूर्णकालिक निदेशक था । तथापि यह संगठन 1967 में पुनः परिवहन आयुक्त के अधीन रखा गया और एक पूर्णकालिक उप निदेशक को इस संगठन का प्रभारी बनाया गया । उप निदेशक के पद का नाम बाद में उप परिवहन आयुक्त (पर्यटन) रखा गया । जुलाई, 1971 में एक पृथक पर्यटन निदेशालय स्थापित किया गया जिसे एक निदेशक के अधीन रखा गया जो सीनियर वेतनमान का आई० ए० एस० अधिकारी है । निदेशक की सहायता के लिये मुख्यालय पर तीन उप निदेशक (रु० 800–1450) तीन सहायक निदेशक (रु० 650–1300) और एक विख्यापन (पब्लिसिटी) अधिकारी (रु० 550–1200) हैं और इनके अलावा अन्य कनिष्ठ अधिकारी तथा सहायक कर्मचारि वर्ग है । क्षेत्रीय स्तर पर इस संगठन के सम्भागीय (रीजनल) कार्यालय है जो कि सम्भागीय (रीजनल) पर्यटन अधिकारियों (रु० 550–1200) के अधीन हैं । मुख्यालय पर तीन उप निदेशक और तीन सहायक निदेशक के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये दिल्ली में एक उप निदेशक और नैनीताल तथा मंसूरी में एक-एक सहायक निदेशक तैनात हैं ।

13.2 विभिन्न कोटि के कर्मचारी वर्ग की दिनांक 1-4-74 तथा 1-4-79 की जो संख्या थी उसे नीचे दिया गया है :–

कोटि	कर्मचारी वर्ग की संख्या दिनांक 1-4-1974 को	दिनांक 1-4-1979 को
"क"	3	10
"ख"	12	16
"ग"	132	213
"घ"	136	118
	283	357

13.3 पर्यटन निदेशक ने आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली का उत्तर भेजा है और वे हमारे समक्ष उपस्थित भी हुए । उन्होंने जो मुख्य सुझाव दिये उनका उल्लेख नीचे किया गया है :—

(1) विभिन्न पदों के वेतनमानों को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया जाय :—

क्रम संख्या	पद	वर्तमान वेतनमान (रु०)	वर्तमान असंगति को दूर करने के लिए प्रस्तावित वेतनमान (रु०)	प्रस्तावित नया वेतनमान (रु०)
1	2	3	4	5
1	उप निदेशक	800–1450	–	1600-2000
2	सहायक निदेशक	650–1300	–	900–1600
3	सम्भागीय पर्यटन अधिकारी	550–1200	–	800–1450
4	लेखा अधिकारी			
5	विज्ञापन (पब्लिसिटी) अधिकारी			
6	सहायक विज्ञापन (पब्लिसिटी) अधिकारी	450–950	–	650–1450
7	प्रकाशन अधिकारी			
8	सांख्यिकीय अधीक्षक स्टेटिस्टिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट)			
9	प्रधान सहायक (हेड असिस्टेन्ट)			
10	वैयक्तिक सहायक	500–750	–	800–1450
11	पर्यटन अधिकारी			
12	कलाकार (आर्टिस्ट)	350–700	–	550–1200
13	सांख्यिकीय सहायक			
14	सहायक पर्यटन अधिकारी	280–460	–	450–950
15	प्रधान लिपिक			
16	आलेखक एवं प्रालेखक (नांटर एण्ड ड्राफ्टर)			
17	फोटो ग्राफर			
18	इन्वेस्टीगेटर-कम-कम्प्यूटर			
19	प्रधान लिपिक (हेड क्लर्क) लेखाकार (एकाउन्टेन्ट)	230–385	280–460	450–950

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
20	प्रभारी (इंचार्ज)	300-500	–	500-1000
21	आशुलिपिक			
22	लेखाकार (एकाउन्टेन्ट)	280-460	350-700	500-1000
23	आशुलिपिक	250-425	–	350-700
24	कनिष्ठ लेखाकार (जूनियर एकाउन्टेन्ट)	230-385	250-425	350-700
25	नाजिर			
26	स्टोर-कीपर			
27	रोकड़िया (कैशियर)			
28	कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक (जूनियर नोटर एण्ड ड्राफ्टर)			
29	प्रवर वर्ग सहायक (अपर डिवीजन असिस्टेन्ट)			
30	लेखा लिपिक (एकाउन्ट्स क्लर्क)			
31	स्वागती (रिसेप्शनिस्ट)			
32	सहायक स्वागती	200-320	–	300-500
33	टंकक और लिपिक			
34	टेलेक्स आपरेटर			
35	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	165-215	–	230-385
36	ड्राइवर	185-265	–	250-400
37	दफ्तरी	170-225		
38	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	170-225		
39	प्रोजेक्टर आपरेटर	175-250		

(2) गाजियाबाद में तैनात सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के 7.5 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं किन्तु नगर प्रतिकर भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं। भारत सरकार ने गाजियाबाद में तैनात अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता उन दरों से दिया है जो दिल्ली में प्रवृत्त हैं। आयोग से यह अनुरोध किया गया कि गाजियाबाद में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसी प्रकार की सुविधायें देने पर वह विचार करें।

(3) स्वागती (रिसेप्शनिस्ट्स) सहायक पर्यटन अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मचारिवर्ग के ऐसे अन्य सदस्यों को जो खान पान प्रबन्ध के कार्य में और रेलवे स्टेशनों पर तैनात हैं, वर्दी दी जानी चाहिए।

(4) स्वागती (रिसेप्शनिस्ट्स) और सहायक पर्यटन अधिकारियों को सवारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

(5) उप निदेशक के पदों पर वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) है। अतः पदधारियों को कुछ राहत दी जानी चाहिए।

13.4 हमने पर्यटन निदेशक से ब्योरेवार विचार विमर्श किया है और निदेशालय के विभिन्न पदों के वेतनमानों का परीक्षण भी किया है। अधिकारियों के वेतनमान अन्य विभागों के वेतनमानों के पैटर्न पर हैं। सामान्य कोटि के पदों के वेतनमान के बारे में संगत अध्याय में विचार किया गया है। तथापि निदेशक ने जो विवरण-पत्र भेजा है उसमें सम्भागीय (रीजनल) कार्यालयों में प्रधान लिपिक एवं लेखाकार (हेड क्लर्क कम एकाउन्टेंट) के 15 पदों में से 13 पद रु0 280-460 के वेतनमान में हैं और दो पद रु0 230-385 के वेतनमान में हैं। हम यह महसूस करते हैं कि सम्भागीय कार्यालयों में प्रधान लिपिक एवं लेखाकार (हेड क्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट) के सभी पद एक ही वेतनमान में होने चाहिए। हम तदनुसार संस्तुति कर रहे हैं तथापि यह बात सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए कि जिन दो पदों के वेतनमानों को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने की संस्तुति की गयी है वे सम्भागीय (रीजनल) पर्यटन कार्यालयों में हैं। यदि ये पद किन्हीं अन्य कार्यालयों में हैं, तो हमने जिस उच्चतर वेतनमान की संस्तुति की है वह तभी अनुमन्य होगा जब ये पद सम्भागीय (रीजनल) कार्यालयों को स्थानान्तरित कर दिये जांय। जहां तक मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता का संबंध है, हमने इन भत्तों के बारे में अपनी सामान्य संस्तुतियां संगत अध्याय में की है।

13.5 जहां तक उप निदेशक के पद पर वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) का प्रश्न है, हमने स्थिति का परीक्षण किया है। उप निदेशक के कुल मिलाकर चार पद हैं और ये सभी पद सहायक निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं सहायक निदेशक के पद सम्भागीय (रीजनल) पर्यटन अधिकारियों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और सम्भागीय पर्यटन अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद भी पर्यटन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इसी प्रकार पर्यटन अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद सहायक पर्यटन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उप निदेशक का पद विभागीय पदोन्नति वाले पदों के क्रम में सर्वोच्च पद है। उप निदेशक के सभी पद दिनांक 1-4-1974 के बाद सृजित किये गये हैं। इन परिस्थितियों में इस समय उक्त पद पर वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) का कोई प्रश्न नहीं है।

13.6 जहां तक स्वागती (रिसेप्शनिस्ट्स) और सहायक पर्यटन अधिकारियों को सवारी भत्ता दिये जाने के सुझाव का

संबंध है, ऐसा भत्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है। स्वागती (रिसेप्शनिस्ट्स) मार्गदर्शक (गाइड) नहीं है और सहायक पर्यटन अधिकारी नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता का क्लेम करने का हकदार है। हम पर्यटन विभाग द्वारा संवायोजित विभिन्न कोटि के सरकारी कर्मचारि वर्ग को वर्दी भत्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं सिवाय उन सामान्य कोटि के कर्मचारियों के जो पहले ही से संगत नियमों के अन्तर्गत आते हैं। तथापि हम कार्यालय चपरासियों के पैटर्न पर रूम ब्वायज के लिये वर्दी की संस्तुति कर रहे हैं।

13.7 इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व हम इस बात का उल्लेख करना चाहेंगे कि प्रारम्भिक स्तर पर जब उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, निदेशालय ने विभिन्न पर्यटन बंगलों के लिये कुछ कर्मचारि वर्ग नियुक्त किये थे। पर्यटन बंगले तो निगम को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि निदेशालय द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी वर्ग भी निगम को स्थानान्तरित किये गये हैं या नहीं, या वह अब भी निदेशालय के पास ही है। सरकार को इस मामले में विचार करना चाहिए।

13.8 हमने पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग-2 में दिये हैं।

अध्याय चौदह

श्रम आयुक्त का संगठन

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। उनके अधीन निम्नलिखित अनुभाग हैं :-

(क) श्रम संगठन,

(ख) मुख्य कारखाना निरीक्षक, (चीफ इन्सपेक्टर आफ फैक्ट्रीज),

(ग) मुख्य ब्वायलर निरीक्षक (चीफ इन्सपेक्टर आफ ब्वायलर्स)।

14.2 श्रम संगठन के कार्य में उनकी सहायता के लिये कई अतिरिक्त श्रम आयुक्त, श्रम उपायुक्त (डिप्टी लेबर कमिश्नर) और सहायक श्रम आयुक्त तथा अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संगठन का काफी विस्तार हुआ है। अतिरिक्त श्रम आयुक्तों की संख्या तीन से बढ़कर सात, श्रम उपायुक्तों (डिप्टी लेबर कमिश्नर) की संख्या तीन से बढ़कर आठ और सहायक श्रम आयुक्तों की संख्या आठ से बढ़कर नौ हो गई है। संराधन अधिकारियों (कन्सिलियेशन अफसर) की संख्या 32 से बढ़कर 44 हो गई है।

14.3 श्रम विभाग का मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :-

(क) प्रबन्ध (मैनेजमेन्ट) और कर्मचारियों के बीच विवादों का समझौता कराना,

(ख) श्रम से संबंधित विभिन्न विधियों/नियमों को प्रवर्तित करना,

(ग) दुकान और अधिष्ठान अधिनियम, और

(घ) कर्मचारियों का कल्याण।

14.4 विभाग के विभिन्न सेवा संघों ने ज्ञापन के माध्यम से तथा आयोग के समक्ष दिये गये मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किये/सेवा संघों द्वारा की गई मांगों दिये गये सुझावों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :-

1—उत्तर प्रदेश श्रम विभाग अधिकारी संघ

इस संघ की मुख्य मांग यह है कि विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसर बढ़ायें जाने चाहिए। इस संबंध में संघ ने यह संस्तुति की है कि श्रम उपायुक्त और सहायक श्रम आयुक्त के दो वेतनमानों को एक में विलीन किया जाय। उसमें संराधन अधिकारियों (कन्सिलियेशन आफिसर) और अन्य कोटि के कर्मचारिवर्ग के लिए चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) की मांग की है। संघ के प्रतिनिधियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उनका कार्य बहुत संवेदनशील प्रकृति का है। जिसके लिए अत्यधिक व्यवहार कुशलता अपेक्षित है और यह भी कि वे कुछ अर्द्ध न्यायिक (क्वासी जुडिशियल) कृत्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं।

2—उत्तर प्रदेश राज्य बायलर और कारखाना निरीक्षकालय अधिकारी संघ (यू0 पी0 स्टेट इन्सपेक्टोरेट आफ ब्वायलर्स एण्ड फैक्टरी आफिसर्स एसोसिएशन)

इस संघ के प्रतिनिधियों ने यह मांग की कि प्रत्येक अधिकारी को कम से कम दो या तीन पदोन्नतियां मिलनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये :

(क) मुख्य ब्वायलर/कारखाना निरीक्षक को जिसका वर्तमान वेतनमान 900–1600 रु0 है, उसी वेतनमान में रखा जाना चाहिए जो अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) विभागों के अतिरिक्त विभागाध्यक्षों को ग्राह्य है;

(ख) उप मुख्य कारखाना निरीक्षक (डिप्टी चीफ फैक्ट्री इंसपेक्टर) को जो कि 650–1300 रु0 के वेतनमान में है, वही वेतनमान दिया जाना चाहिए जो सार्वजनिक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता (सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर) को ग्राह्य है;

(ग) ब्वायलर/कारखाना निरीक्षक को जिसका वर्तमान वेतनमान 550–1200 रु0 है, पदोन्नति चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) और अन्य लाभों के मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य प्राविधिक (टेक्निकल) विभागों के सहायक अभियन्ताओं की बराबरी में लाया जाना चाहिए;

(घ) यदि समय पर पदोन्नत किया जाना संभव न हो तो निम्नलिखित समयबद्ध वेतनमान आरम्भ किये जाने चाहिए :-

800–50–1400–60–1700–75–2000–75–2600 रु0

दक्षतारोक पार कर लेने पर हर छः वर्ष बाद अगला उच्चतर स्लैब अपने आप ही ग्राह्य होना चाहिए;

(ङ) मुख्य ब्वायलर/कारखाना निरीक्षक के पद 2400–3000 रु0 के वेतनमान में रखे जाने चाहिए और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिए; और

(च) भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923 और भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के पर्यवेक्षण के अधीन फीस के रूप में वसूल की गई धनराशियों को निदेशालय को और अधिक प्रभावकारी बनाये जाने के लिये व्यय किया जाना चाहिये।

3—श्रम निरीक्षक संघ (लेबर इंसपेक्टर एसोसियेशन)

इस संघ के प्रतिनिधियों ने श्रम निरीक्षक, कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इन्सपेक्टर) और सहायक ट्रेड यूनियन इंसपेक्टर के बहुविधि (मल्टीफेरियस) कर्तव्यों को गिनाने के बाद यह तर्क प्रस्तुत किया कि श्रम निरीक्षक अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक (एडिशनल इन्सपेक्टर आफ फैक्टरीज) के रूप में कार्य करता है। इस संघ ने निम्नलिखित मांग की:

(क) उनके वेतनमानों को पुनरीक्षित करके 700-1300 रु0 किया जाना चाहिए,

(ख) एक तिहाई पदों को 1000—1500 रु0 की चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) दी जानी चाहिए,

(ग) उत्तर प्रदेश श्रम सेवा वर्ग-2 (यू0 पी0 लेबर सर्विस क्लास-2) के संवर्ग में 50 प्रतिशत पद केवल श्रम निरीक्षक में से विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित किये जाने चाहिए; और

(घ) जो व्यक्ति मोटर साइकिल रखते हैं उनके लिए सवारी भत्ता की दर पुनरीक्षित करके 200 रु0 प्रतिमास की जानी चाहिए और जो व्यक्ति कोई सवारी नहीं रखते हैं उनके लिये सवारी भत्ता की दर पुनरीक्षित करके 150 रु0 प्रतिमास होनी चाहिए ।

4–श्रम विभाग अधीनस्थ सेवा संघ (लेबर डिपार्टमेन्ट सबार्डिनेट सर्विस एसोशियेशन)

इस संघ के सदस्यों में सांख्यिकीय अनुसंधान (रिसर्च), कल्याण निरीक्षक सम्मिलित हैं । इस संघ के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष निम्नलिखित मांग की :

(क) वर्ग (क्लास) 2 और वर्ग-1 में पचीस प्रतिशत पद इस सेवा के सदस्यों के लिए उपलब्ध किये जाने चाहिए;

(ख) इस सेवा के सदस्यों का वेतनमान ज्येष्ठ उपलेखक और प्रालेखक (सीनियर नोटर एण्ड ड्राफ्टर) के वेतनमान से ऊंचा होना चाहिए;

(ग) श्रम निरीक्षक का मोटर साइकिल भत्ता बढ़ाकर 100 रु0 प्रतिमास किया जाना चाहिए;

14.5 सेवा संघों द्वारा जो विभिन्न बातें उठाई गई हैं उनके विषय में हमने श्रम आयुक्त और श्रम विभाग के सचिव से ब्योरेवार विचार-विमर्श किया । ऊपर जो बातें अंकित हैं उनके अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने निम्नलिखित सुझाव दिये :–

(क) एलोपैथिक, होम्योपैथिक और भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सीय अधिकारियों (मेडिकल आफिसर) के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं । साधारण श्रेणी (ग्रेड) के 34 चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथी) हैं और चिकित्सा अधीक्षक (मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट) का केवल एक उच्चतर पद 800-1450 रु0 के वेतनमान में हैं । अतः एलोपैथी के चिकित्सा अधिकारियों के लिए भी पदोन्नति के अवसर नहीं हैं । इसी प्रकार की स्थिति भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा अधिकारियों तथा होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में हैं । चिकित्सा अधिकारियों (भारतीय चिकित्सा पद्धति) का वेतनमान 550-1200 रु0 है । चिकित्सा अधीक्षक (मेडिकल सुपरिनटेन्डेन्ट) का एक पद 650-1300 रु0 के वेतनमान में है । आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या 25 है । होमियोपैथिक औषधालयों की संख्या 23 है जिनमें से प्रत्येक होमियोपैथिक औषधालय में एक-एक होमियोपैथिक डाक्टर हैं जो रु0 400-750 के वेतनमान में हैं । होमियोपैथिक चिकित्सा अधीक्षक का पद 450-850 रु0 के वेतनमान में है । श्रम आयुक्त यह चाहते थे कि चिकित्सा अधिकारियों के 25 प्रतिशत पदों के लिए चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) की व्यवस्था की जाय या उनके लिए 30:5:1 के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था की जाय जैसा कि चिकित्सा विभाग में पी0 एम0 एच0 एस0 अधिकारियों को ग्राह्य हैं ।

(ख) श्रम निरीक्षकों की कुल संख्या 220 हैं । इनमें से 44 श्रम निरीक्षकों का उनके वेतनमान की अधिकतम पर वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) हो रहा है । उनके लिए पदोन्नति के कुछ अवसर होने चाहिए । इसी प्रकार कुछ संराधन अधिकारियों और उच्च कोटि के अधिकारियों का उनके वेतनमान के अधिकतम पर वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) हो रहा है । पदों की कुल संख्या के एक तिहाई के लिए चयन श्रेणी की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(ग) मुख्य ब्वायलर निरीक्षक और मुख्य कारखाना निरीक्षक को वही वेतनमान दिया जाना चाहिए जो सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं (सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर) को ग्राह्य है ।

(घ) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के संवर्ग में अत्यन्त वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) है ।

14.6 संघों और विभागाध्यक्षों द्वारा जो अधिक महत्वपूर्ण मांगें की गई हैं/सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं उनके बारे में नीचे विचार किया गया है :–

(क) **वेतनमान**–सामान्यतया विभिन्न विभागों में निरीक्षणालय (इन्सपेक्टोरेट) स्तर का जो कर्मचारिवर्ग है वह 280-460 रु0 के वेतनमान में है । इस कोटि के पद पर भर्ती के लिए अर्हता सामान्यतः स्नातक डिग्री है । श्रम निरीक्षक के लिए भी आधारिक अर्हता स्नातक डिग्री है और उनके 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । सामान्यतया इन पदों का वेतनमान रु0 280-460 होना चाहिए था जबकि इस समय श्रम निरीक्षकों को 350-700 रु0 का वेतनमान ग्राह्य है । श्रम विभाग में भी हाउसिंग इन्सपेक्टर के पदों का वेतनमान 280-460 रु0 है । हम श्रम निरीक्षकों के वेतनमान को कम करने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत से अधिनियमों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं । उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे औद्योगिक विधियों (लाज)/नियमों और विनियमों का पर्याप्त ज्ञान रखें । फिर भी हम इन पदों को उन्नत करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं और न हम इस बात का औचित्य पाते हैं कि उनके पद का नाम श्रम प्रवर्तन अधिकारी (लेबर इन्सफोर्समेन्ट आफिसर) रखा जाय ।

(ख) जहां तक सहायक श्रम आयुक्त के वेतनमान का संबंध है हम सरकार के श्रम विभाग के सचिव के इस विचार से सहमत हैं कि सहायक श्रम आयुक्त के कार्य की प्रकृति तथा बढ़ते हुए कर्तव्यों को देखते हुए उनके पदों को श्रम उपायुक्त (डिप्टी लेबर कमिश्नर) के स्तर तक उन्नत (अपग्रेड) करके 1250-2050 रु0 वेतनमान में रखा जाय ।

(ग) ब्वायलर अनुभाग में रु0 550–1200 के वेतनमान में ब्वायलर निरीक्षक के नौ पद हैं जिनकी आधारिक अर्हता अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) डिग्री है। उच्च स्तर पर मुख्य ब्वायलर निरीक्षक का केवल एक पद है जो रु0 900–1600 के वेतनमान में है। मुख्य ब्वायलर निरीक्षक का पद भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। बढ़े हुए औद्योगीकरण में वृद्धि तथा अधिक परिष्कृत और अधिक क्षमता वाले ब्वायलर प्रचलित होने के कारण हम यह महसूस करते हैं कि मुख्य ब्वायलर निरीक्षक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान हो। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि इस पद को उन्नत (अपग्रेड) किया जाना चाहिए तथा उसे रु0 1840–2400 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(घ) कारखाना निरीक्षक के 25 पद रु0 550–1200 रु0 के वेतनमान में हैं जिनके लिए आधारिक अर्हता अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) डिग्री है। उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के पांच पद हैं रु0 650–1300 के वेतनमान में और मुख्य कारखाना निरीक्षक का एक पद रु0 900–1600 के वेतनमान में है। उनके संवर्ग में कोई चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) नहीं है। वे अभियन्त्रण स्नातक (इंजीनियरिंग ग्रेजुएट) हैं। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का पद रु0 1250–2050 के वेतनमान में होना चाहिए और मुख्य कारखाना निरीक्षक का पद रु0 1840–2400 के वेतनमान में होना चाहिए।

(ङ) **पदोन्नति की संभावनाएं**–हम इस बात से सहमत हैं कि श्रम निरीक्षक के संवर्ग में वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) है। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि श्रम निरीक्षक के 20 प्रतिशत पदों के लिए सामान्य शर्तों के अधीन चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) दी जाय। सहायक कल्याण अधिकारी के 13 पद हैं जो अंशतः सीधी भर्ती द्वारा और अंशतः श्रम निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ऐसे मामलों में हमने जो सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनाएं हैं उनके अनुसार हम यह संस्तुति करते हैं कि ये 13 पद श्रम निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं। संराधन अधिकारियों के संवर्ग में वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) का मुख्य कारण यह है कि सहायक श्रम आयुक्त के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। चूंकि अब हमने यह संस्तुति की है कि सहायक श्रम आयुक्त के पदों को उन्नत (अपग्रेड) करके श्रम उपायुक्त के स्तर तक लाया जाय और यह भी संस्तुति की है कि इन पदों में से शत प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायं, अतः भविष्य में इन पदों पर वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए।

(च) हमने चिकित्सा अधिकारियों के संवर्ग में वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) के प्रश्न पर सरकार के श्रम विभाग के सचिव और श्रम आयुक्त से विचार-विमर्श किया है। हम श्रम सचिव के इस विचार से सहमत हैं कि श्रम विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के एक छोटे संवर्ग का पृथक् अस्तित्व उचित नहीं होगा। कर्मचारी राज्य बीमा के प्रतिरूप (पैटर्न) पर श्रम विभाग के अधीनस्थ औषधालयों के लिए अपेक्षित चिकित्सा अधिकारी भी पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग से या आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक चिकित्सकों के संवर्ग से लिए जाने चाहिए।

14.7 इस विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श के दौरान यह विदित हुआ कि कभी-कभी ये औषधालय उसी स्थान पर रखे जाते हैं जहां कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय बाद में स्वीकृत किये गये हैं अतः हम यह संस्तुति कर रहे हैं कि चूंकि चिकित्सीय देख-रेख संबंधी सुविधाएं बहुत खर्चीली हैं, ये औषधालय उन क्षेत्रों में स्थानान्तरित किये जाने चाहिए जहां कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय अभी स्वीकृत नहीं किये गये हैं या जिनके कुछ वर्षों तक स्वीकृत किये जाने की संभावना नहीं है।

14.8 श्रम विभाग के सचिव ने यह सुझाव दिया है कि संकलन लिपिक और संकलन सहायक के वेतनमान को उनकी अर्हता के आधार पर उन्नत (अपग्रेड) किया जाना चाहिए अर्थात् जो अर्थशास्त्र या सांख्यिकी के सहित स्नातक हों। उनका वर्तमान वेतनमान 230–385 रु0 है। श्रम अन्वेषक (लेबर इन्वेस्टीगेटर), ज्येष्ठ अन्वेषक (सीनियर इन्वेस्टीगेटर), सांख्यिकीय सहायक (स्टैटिस्टिकल असिस्टेन्ट सांख्यिकीय अधीक्षक, ज्येष्ठ सांख्यिकीय सहायक, रिटर्न असिस्टेन्ट, अन्वेषण सहायक (इन्वेस्टीगेशन सहायक) समय अध्ययन एवं संकलन सहायक (टाइम स्टडी-कम-कम्पाइलेशन असिस्टेन्ट) के पद 250–425 रु0 के वेतनमान में हैं। उनकी अर्हता स्नातक डिग्री है। उच्च स्तर पर ज्येष्ठ संकलन सहायक का एक पद है जो रु0 280–460 के वेतनमान में हैं और जिसके लिए आधारिक अर्हता सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) अर्थशास्त्र सहित स्नातक की डिग्री है। इसके बाद शोध सहायक (रिसर्च असिस्टेन्ट), ज्येष्ठ अन्वेषक/मुख्य अन्वेषक (चीफ इन्वेस्टीगेटर), ज्येष्ठ अन्वेषण सहायक (सांख्यकी) (सीनियर इन्वेस्टीगेशन असिस्टेन्ट स्टैटीस्टिक्स) और ज्येष्ठ अन्वेषण सहायक (नियोजन) (सीनियर इन्वेस्टीगेशन असिस्टेन्ट) (प्लैनिंग) के पद हैं जिनके लिये आधारिक अर्हता अर्थशास्त्र/सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) में मास्टर डिग्री है। संकलन लिपिक और संकलन सहायक के पद को छोड़कर किसी पद के लिए आधारिक अर्हता सांख्यिकी/अर्थशास्त्र के एक विषय सहित स्नातक डिग्री नहीं है। हमारी सामान्य संस्तुतियों के अनुसार, हम यह संस्तुति करते हैं कि ज्येष्ठ संकलन सहायक, संकलन सहायक और संकलन लिपिक के पदों का नाम संकलक (कम्पाइलर) रखा जाए और उसे रु0 470–735 का वेतनमान दिया जाय।

14.9 जहां तक लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग तथा अन्य सामान्य कोटि के कर्मचारिवर्ग के वेतनमानों का संबध है उनके विषय में सामान्य कोटि के पदों से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है। इसी प्रकार भत्तों और अन्य सुविधाओं से संबंधित विषयों के बारे में संगत अध्याय में विचार किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमानों को इस खण्ड के भाग–2 में दिया गया है।

प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय (डाइरेक्ट्रेट आफ ट्रेनिंग एण्ड इम्प्लायमेन्ट)

14.10 प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय का विभागाध्यक्ष सीनियर वेतनमान का आई0 ए0 एस0 अधि-

कारी होता है। उसकी सहायता के लिए एक संयुक्त निदेशक, कई उप निदेशक और अन्य कई कर्मचारिवर्ग हैं। इसकी दो पृथक्-पृथक् शाखाएं (विंग) हैं। (1) प्रशिक्षण और (2) सेवायोजन (इम्प्लायमेन्ट)। इन दोनों प्रशाखाओं (विंग्स) की समस्याएं स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न हैं अतः उनके बारे में पृथक्-पृथक् विचार किया गया है।

14.11 **प्रशिक्षण**—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (इण्डस्ट्रियल प्रशिक्षण संस्थान) प्रशिक्षण की आधारिक इकाई है। राज्य में ऐसे 67 संस्थान हैं। ऐसे संस्थानों में जिनमें छात्रों की संख्या 600 से कम है, प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल), का पद रु0 550-1200 के वेतनमान में है। ऐसे बड़े संस्थानों में जिनमें छात्रों की संख्या 600 या उससे अधिक है, को रु0 800-1450 के वेतनमान का अधिकारी प्रधानाचार्य के रूप में तैनात किया गया है। बड़े-बड़े संस्थानों में उप-प्रधानाचार्य (वाइस प्रिन्सिपल) के भी पद हैं। अध्यापन कर्मचारिवर्ग में प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के अलावा मुख्यतया फोरमैन, पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और शिक्षक (इन्सट्रक्टर) हैं जो क्रमशः रु0 350-700, रु0 325-575 और रु0 300-500 के वेतनमान में हैं। इन संस्थानों में अध्यापन कर्मचारिवर्ग की कुल संख्या नीचे दी गई है :-

(1) फोरमैन	106
(2) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)	240
(3) शिक्षक (इन्सट्रक्टर)	2042
(4) प्रशिक्षण मिस्त्री (ट्रेनिंग मिस्त्री)	24
(5) भाषा शिक्षक (लैंग्वेज इन्सट्रक्टर)	36
(6) वाणिज्य शिक्षक (कामर्स इन्सट्रक्टर)	3

14.12 कुछ बिखरे हुए (स्कैटर्ड) पद भी हैं। इनके अलावा नौ राजकीय औद्योगिक प्राविधिक संस्थान (गवर्नमेन्ट इण्डस्ट्रियल टेक्निकल इन्स्टीट्यूट) हैं। आई0 टी0 आई0 कर्मचारिवर्ग सेवा संघ और यू0 पी0 जी0 आई0 टी0 आई0 कर्मचारी संघ के अलावा कुछ अधिकारियों ने भी अपना ज्ञापन आयोग को प्रस्तुत किया। विभिन्न संघों और प्रशिक्षण तथा सेवायोजन निदेशक ने जो सुझाव दिये हैं, मांगें प्रस्तुत की हैं, उन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है :

1—यू0 पी0 आई0 टी0 आई0 संघ

(1) फोरमैन का वेतनमान रु0 350-700 है जबकि सहायक सेवायोजन अधिकारी का वेतनमान रु0 400-750 है। वर्ष 1964 (वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट) के पूर्व इन दोनों पदों का वेतनमान रु0 200-350 था। यह असंगति दूर की जानी चाहिए।

(2) प्रशिक्षक (इन्सट्रक्टर) का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान रु0 200-320 है। इस पद की अर्हता कनिष्ठ लिपिक से अधिक है, इसलिए पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान रु0 250-425 होना चाहिए। जैसा कि शिक्षा विभाग में है, और

(4) इस संघ ने निम्नलिखित वेतनमानों की मांग की :-

	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रस्तावित वेतनमान रु0
1.	फोरमैन	350-700	1350-1850
2.	सर्वेयर	350-700	1350-1850
3.	फोरमैन अप्रेन्टिस	350-700	1350-1850
4.	स्टोर अधीक्षक (स्टोर सुपरिन्टेन्डेन्ट)	350-700	1350-1850 ग्राम्य उद्योग
5.	भाषा प्रशिक्षक (लैंग्वेज इन्सट्रक्टर)	350-700	1350-1850
6.	लेक्चरर, आर0 आई0	350-700	1350-1850
7.	पर्यवेक्षक	325-575	1250-1750
8.	प्रशिक्षक (इन्सट्रक्टर) ए0 वी0 टी0 स्कीम	325-575	1250-1750
9.	प्रशिक्षक शिल्प (इन्सट्रक्टर क्रैफ्ट)	300-500 (325--575 एस0 जी0)	1150-1650
10.	प्रशिक्षक आशुलेखन (इन्सट्रक्टर स्टेनोग्राफी)	300-500 (325-575 एस0 जी0)	1150-1650
11.	प्रशिक्षक कला (इन्सट्रक्टर आर्ट)	300-500 (325--575 एस0 जी0)	1150-1650
12.	प्रशिक्षक गणित	300-500 (325-575 एस0 जी0)	1150-1650
13.	प्रशिक्षक अनुरक्षण (इन्सट्रक्टर मैन्टिनेन्स)	300-500 (325-575 एस0 जी0)	1150-1650
14.	प्रशिक्षक (एलाइड)	300-500 (325-575 एस0 जी0)	1150-1650
15.	प्रशिक्षक मिलराइटइड	300-500 (325--575 एस0 जी0)	1150-1650
16.	प्रशिक्षण मिस्त्री	300-500 (325-575 एस0 जी0)	1150-1650
17.	स्टोर कीपर	300-500 (325-575 एस0 जी0)	1150-1650
18.	सहायक स्टोर कीपर	250-425	1050-1550
19.	पुस्तकालयाध्यक्ष	200-320	1050-1550

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रस्तावित वेतनमान रु0
छात्रावास अधीक्षक (हॉस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट)	250–425	1050–1550
कार्यालय अधीक्षक- (आई0 टी0 आई0)	280–460	950–1350
प्रधान लिपिक एवं लेखाकार	280–460	950–1350
ज्येष्ठ लिपिक	230–385	950–1350
खजान्ची (कैशि-यर)	230–385	950–1350
कनिष्ठ लिपिक	200–320	900–13[illegible]

11. **यू0 पी0 जी0 आई0 टी0 आई0 कर्मचारी संघ**

1. ये संस्थाएं 1892 से चल रही हैं और इन्होंने राज्य के औद्योगिक विकास में बड़ा योगदान दिया है। ये संस्थाएं प्राविधिक शिक्षा निदेशालय से प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय को वर्ष 1965 में संक्रमित की गई थीं,

2. प्रशिक्षक (इन्सट्रक्टर), फोटोग्राफर, और मुद्रक (प्रिन्टर) इस समय रु0 300–500 रु0 230–385, रु0 200–320, रु0 185–265, रु0 175–250 के वेतनमान में हैं। इन सभी को रु0 600–1200 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

3. फोरमैन/प्रधान अध्यापक (हेडमास्टर), ड्राइंग मास्टर इस समय रु0 350–700, रु0 325–575, रु0 300–500, रु0 230–385 और रु0 185–265 के वेतनमान में हैं। इन्हें रु0 700–1400 के वेतनमान में रखा जाना चाहिए।

4. प्रधान लिपिक एवं लेखाकार/आशुलिपिक (हेड क्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट/स्टेनोग्राफर) रु0 280–460, रु0 250–425 और रु0 230–385 के वेतनमान में हैं, इन्हें रु0 600–1200 के सामान्य वेतनमान में रखा जाना चाहिए।

5. प्रधानाचार्य और अधीक्षक रु0 400–750 के वेतनमान में रु0 550–1200 के वेतनमान में रखा जाना चाहिये।

6. राजकीय केन्द्रीय संस्थान (गवर्नमेंट सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट), बरेली के प्रधानाचार्य रु0 650–1300 के वेतनमान में हैं। इन्हें 800–1450 रु0 के वेतनमान में रखा जाना चाहिए, और

7. ज्येष्ठ भाषा प्रशिक्षक (सीनियर लैंग्वेज इन्सट्रक्टर) रु0 400–750 के वेतनमान में हैं। इन्हें रु0 700–1400 के वेतनमान में रखा जाना चाहिए।

14.13 प्रशिक्षण और सेवायोजन के निदेशक ने अपने निवेदन में निम्नलिखित सुझाव दिये :–

(1) पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) को रु0 325–575 का जो वेतनमान दिया गया है वह प्रशिक्षक (इन्सट्रक्टर) के पद की भी चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) है। पर्यवेक्षक का पद पदोन्नति का पद है अतः पर्यवेक्षक का वेतनमान प्रशिक्षक को ग्राह्य चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) से अधिक होनी चाहिए।

(2) लेबोरेटरी अटेन्डेन्ट, वर्कशाप अटेन्डेन्ट, ड्रेसर, स्टोर अटेन्डेन्ट एक ऐसे वेतनमान में थे जो 1965 से पूर्व ग्रुप "घ" के कर्मचारियों से अधिक था, किन्तु वेतन अभिनवीकरण समिति ने 55-75 रु0 के समान वेतनमान की संस्तुति की जिसे पिछले वेतन आयोग ने पुनरीक्षित करके रु0 165–215 कर दिया उन्हें उच्चतर वेतनमान मिलना चाहिए।

(3) जी0 आई0 टी0 आई0 में जो वेतनमान हैं उन वेतनमानों के प्रतिरुप होने चाहिए जो आई0 टी0 आई0 में हैं, और

(4) जी0 आई0 टी0 आई0 के कर्मचारियों को उस प्रतिरूप (पैटर्न) पर चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) दी जानी चाहिए जो शिक्षा विभाग में उपलब्ध है।

14.14 इस विभाग के कलाकार ने यह अभिवेदन किया है कि उसकी आधारिक अर्हता इण्टरमीडिएट के बाद 5 वर्षीय डिप्लोमा/डिग्री है। उसे जो वेतनमान ग्राह्य है वह रु0 325–575 है जो बढ़ाकर रु0 350–700 कर दिया जाना चाहिए।

14.15 आई0 ई0 टी0 आई0, वाराणसी के ड्राइंग मास्टर का वेतनमान इस समय 300–500 रु0 है। इन्होंने 350–750 रु0 का वेतनमान दिये जाने की मांग की है।

14.16 निदेशक ने वेतन आयोग से किये गये ब्योरेवार विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित बातों पर जोर दिया :–

(1) फोरमैन के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए। इससे प्रशिक्षकों (इन्सट्रक्टर)/पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे,

(2) पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) फोरमैन, उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के पद के लिए चयन श्रेणी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(3) समूह 'ख' के पदों के लिए फोरमैन की पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

(4) संयुक्त निदेशक के पद का वेतनमान रु0 1150–1700 है जिसे उन्नत करके रु0 1400–1800 किया जाना चाहिए, और

(5) उप निदेशक (प्रशिक्षण) का पद उन्नत (अपग्रेड) करके संयुक्त निदेशक के स्तर तक लाया जाना चाहिए और संयुक्त निदेशक का पद उन्नत (अपग्रेड) करके अतिरिक्त निदेशक तक लाया जाना चाहिए।

सेवायोजन (इम्प्लायमेन्ट)

14.17 सेवायोजन की आधिकारिक इकाइयां जिलों, प्रमुख नगरों और विश्वविद्यालयों में स्थित सेवायोजन कार्या-

आयोग के समक्ष अपने मामले प्रस्तुत किये और निम्नलिखित सुझाव दिये :–

1. उत्तर प्रदेश सहायक संवायोजन अधिकारी और जिला संवायोजन अधिकारी संघ (यू0 पी0 असिस्टेन्ट इम्प्लवायमेन्ट आफिसर एण्ड डिस्ट्रिक्ट इम्प्लवायमेन्ट आफिसर एसोसियेशन)

(1) सेवायोजन अधिकारियों को समाज के अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता है और सेवायोजन और बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों को एकत्रित, संकलित और सारणीबद्ध (टेबुलेट) करना पड़ता है और बेरोजगार व्यक्तियों को इस बात से अवगत कराना पड़ता है कि किन-किन व्यवसायों में रोजगार की अधिक सम्भावनाएं हैं और उन्हें स्वयं सेवायोजित होने तथा आवश्यक प्राविधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रेरित करना पड़ता है ।

(2) सहायक सेवायोजन अधिकारियों/जिला सेवायोजन अधिकारियों के 163 पदधारियों के लिए रु0 550—1200 के वेतनमान में पदोन्नति वाले केवल 24 पद हैं । रु0 650-1300 के वेतनमान में केवल सात पद हैं । अतः उनके लिए पदोन्नति के अवसर अत्यन्त अपर्याप्त हैं और कई अधिकारियों का उनके वेतनमान की अधिकतम धनराशि पर वृद्धिरोध (स्टेगनेशन) हो रहा है ।

(3) इस समय रु0 400—750 के वेतनमान में जो पद हैं उन्हें उन्नत (अपग्रेड) करके रु0 450-950 के वेतनमान में रखा जाना चाहिए ।

(4) इसी प्रकार विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना और मार्गदर्शक ब्यूरो (यूनिवर्सिटी इम्प्लवायमेन्ट इन्फार्मेशन एण्ड गाइड ब्यूरो) के उप प्रधान (डिप्टी चीफ) के दस पद, व्यावसायिक अनुसंधान अधिकारी (आकुपेशनल रिसर्च आफिसर) का एक पद और सेवायोजन अधिकारी के सात पद रु0 550-1200 के वेतनमान में रखे जायं ।

(5) जिला सेवायोजन अधिकारियों के सभी पद उन्नत (अपग्रेड) करके वर्ग–2 में रु0 550–1200 के वेतनमान में रखे जायं । इस सम्बन्ध में उन्होंने असंगति समिति के निर्णय का उल्लेख किया ।

(6) कार्य विकास अधिकारियों (जाब डेवलपमेन्ट आफिसर)/ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों (सीनियर रिसर्च आफिसर) के 7 पद रु0 650—1300 के वेतनमान में हैं । इन पदों को रु0 800—1450 का वेतनमान दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार रु0 650—1300 के वेतनमान में जो अन्य पद हैं उन्हें उन्नत (अपग्रेड) करके रु0 800—1450 के वेतनमान में रखा जाय, और

(7) इस सम्बन्ध में इस संघ के प्रतिनिधियों ने सेवायोजन कार्यालयों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मेथ्यू समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया ।

2. उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण और सेवायोजन कर्मचारिवर्ग संघ

(1) विभिन्न वेतनमानों में जो दक्षतारोक हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए,

(2) प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय के लिपि- वर्गीय कर्मचारियों के जो वेतनमान हैं उन्हें रा- परिषद् के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान- समान होना चाहिए, और

(3) विभिन्न कोटि के कर्मचारियों के लि- समयबद्ध वेतनमान होना-चाहिए ।

14.18 निदेशक ने आयोग से निवेदन करते समय निम्नलिखित बातों पर जोर दिया :–

(1) सहायक सेवायोजन अधिकारी का वेतन- (रु0 400—750) बढ़ाकर रु0 450—950 कि- जाना चाहिए ।

(2) जिला सेवायोजन अधिकारियों के वेतन- को बढ़ाकर रु0 550—1200 किया जाय तथा अ- पदों के वेतनमान को भी जो रु0 450—950 है बढ़ाकर रु0 550—1200 किया जाना चाहिए-

(3) कार्य विकास अधिकारी (जाब डेवलपमे- आफिसर) के पद का नाम क्षेत्रीय विकास अधिका- (रीजनल डेवेलपमेन्ट आफिसर) रखा जाना चाहि- और उसे रु0 800—1,450 का वेतनमान दि- जाना चाहिये ।

(4) उप निदेशक के पद को उन्नत (अपग्रे-) करके संयुक्त निदेशक का पद बनाया जाय और उ- रु0 1,150—1,700 का वेतनमान दिया जा- चाहिये ।

(5) विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना ब्यू- (यूनिवर्सिटी इम्प्लायमेन्ट इन्फार्मेशन ब्यूरो) के उ- प्रधान (डिप्टी चीफ) के दस पदों, व्यावसायिक अ- सन्धान अधिकारी के एक पद और सेवायोजन अधि- कारियों के सात पदों को वर्ग 2 के पदों में परि- वर्तित किया जाय और उन्हें रु0 550—1,20- का वेतनमान दिया जाय ।

(6) लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमा- को तथा अन्य संवर्गों के वेतनमान को बढ़ाकर अ- विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के कर्मचारिवर्ग- वेतनमान के समान किया जाना चाहिये ।

14.19 हमने संघों तथा प्रशिक्षण और सेवायोज- निदेशक द्वारा की गई विभिन्न मांगों और सुझावों के बा- में श्रम विभाग के आयुक्त और सचिव से ब्योरेवार विचा- विमर्श किया । लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग तथ- सामान्य कोटि के अन्य पदों के वेतनमानों तथा पदोन्नि- आदि सम्बन्धित विषयों पर "सामान्य कोटि के पदों- के अध्याय में विचार किया गया है । सेवायोजन औ- प्रशिक्षण कार्मिकों के वेतनमानों/पदोन्नति की सम्भावनाओं- के बारे में एतद्पश्चात् विचार किया गया है ।

14.20 **वेतनमान और पदोन्नति**—प्रशिक्षण पक्ष- कार्यक्रम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण पद प्रशिक्- (इन्स्ट्रक्टर), पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और फोरमैन- हैं ।

(क) **प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर)**—प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) के पद के लिये आधारित अर्हता हाई स्कूल तथा एन0 सी0 टी0 वी0 सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड का सर्टीफिकेट और तीन वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव है। इस पद का वेतनमान रु0 300—500 है। राज्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षकों (इन्स्ट्रक्टर्स) की जो अर्हता विहित है, उसके प्रसंग में प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) के वेतनमान को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। प्रशिक्षकों (इन्स्ट्रक्टर्स) को पदोन्नति के जो अवसर उपलब्ध हैं, उनका हमने परीक्षण किया है और हम संस्तुति करते हैं कि प्रशिक्षकों (इन्स्ट्रक्टर्स) के साधारण श्रेणी के 20 प्रतिशत पदों को चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) में रखा जाय। हम अपने वेतनमानों की संरचना इस प्रकार कर रहे हैं कि चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) का वेतनमान अगले पदोन्नति वाले पद के वेतनमान से कम हो।

(ख) **पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)**—पर्यवेक्षकों के लिये अर्हता वही है, जो प्रशिक्षकों (इन्स्ट्रक्टर्स) के लिये है और पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) के 100 प्रतिशत पद प्रशिक्षकों (इन्स्ट्रक्टर्स) में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उनका वेतनमान रु0 325—575 है। इस पद के लिये निर्धारित अर्हता के प्रसंग में इसके वेतनमान को उन्नत किये जाने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।

(ग) **फोरमैन**—इस पद के लिये अर्हता हाई स्कूल तथा फोरमैन सर्टीफिकेट तथा तीन वर्ष का अनुभव है। आई0 टी0 आई0 में इस पद का वेतनमान रु0 350—700 और जी0 आई0 टी0 आई0 में रु0 325—575 है। इस पद की अर्हता को देखते हुए हम रु0 350—700 के वर्तमान वेतनमान को पर्याप्त समझते हैं। फिर भी जहां फोरमैन की आधारिक अर्हता हाई स्कूल और फोरमैन का डिप्लोमा है, वहां फोरमैन, जी0 आई0 टी0 आई0 को भी समतुल्य वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की जाती है। इस समय फोरमैन के 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। हमने इस पद के लिये विहित अर्हताओं का परीक्षण किया है, जो लगभग वही हैं, जो प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) के लिये विहित हैं। हम निदेशक के इस विचार से सामान्यतः सहमत हैं कि फोरमैन के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जायं। फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिये कि वास्तव में अच्छे और प्रतिभाशाली प्रशिक्षकों (इन्स्ट्रक्टर्स), पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) को कुछ वरीयता और प्रेरणा मिले, हम यह संस्तुति करते हैं कि फोरमैन के 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर्स) में से 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर भरे जायं। परन्तु जी0 आई0 टी0 आई0 में फोरमैन का एक पद रु0 230—385 के वेतनमान में और दूसरा पद रु0 185—265 के वेतनमान में है। किन्तु इन विशेष मामलों में फोरमैन का डिप्लोमा आवश्यक नहीं है। उनकी अर्हतायें दूसरे फोरमैन की अर्हताओं से भिन्न हैं अर्थात् वे फोरमैन का डिप्लोमा प्राप्त नहीं हैं। हम इन दोनों पदों के लिये रु0 400—615 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

(घ) क्षेत्रीय (रीजनल) स्तर पर विभाग का अधिकारी सामान्यतः उप प्रधान (डिप्टी हेड) की कोटि का होता है, सिवाय उन विभागों के जहां विभाग का जिला स्तर का अधिकारी वर्ग (क्लास-1) का अधिकारी होता है। हमें उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद को उन्नत (अपग्रेड) करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। इसी बात से संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के पदों को उन्नत करने के प्रश्न का भी निस्तारण हो जाता है।

14.21 सेवायोजन (इम्प्लायमेन्ट) पक्ष में अधिक महत्वपूर्ण पद सहायक सेवायोजन अधिकारियों, जिला सेवायोजन अधिकारियों तथा इनके समतुल्य पद, वर्ग-2 के विभिन्न पद, कनिष्ठ वर्ग-1 के पद (जूनियर क्लास-1 पोस्ट) तथा वर्ग-1 के पद हैं। सहायक सेवायोजन अधिकारी रु0 400—750 के वेतनमान में हैं। यह अभिवेदन किया गया है कि उसे रु0 450—950 का वेतनमान दिया जाना चाहिये। इस पद को 90 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है और 10 प्रतिशत विभाग के लिपिक वर्गीय पदधारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। सामान्यतः आयोग का विचार रहा है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग को क्षेत्रीय पदों पर नहीं नियुक्त किया जाना चाहिये। फिर भी इस विशेष मामले में सहायक सेवायोजन अधिकारी का कार्य अधिकांश डेस्क पर किया जाने वाला कार्य है, अतः हम सहायक सेवायोजन अधिकारियों के संवर्ग में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति कोटे को समाप्त करने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं। इस पद पर सीधी भर्ती के लिये आधारिक योग्यता स्नातक की डिग्री है। जिला सेवायोजन अधिकारी का पद रु0 450—950 के वेतनमान में है। वेतन आयोग (1971—73) के संस्तुति के पूर्व सहायक सेवायोजन अधिकारी और सेवायोजन अधिकारी में इस प्रकार का कोई विभेद नहीं था और सभी पद रु0 225—500 के वेतनमान में थे। इस वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षण करने पर उनका पुनरीक्षित वेतनमान रु0 400-750 हो सकता था। वेतन अभिनवीकरण समिति (1964-65) के पूर्व सेवायोजन अधिकारी का वेतनमान रु0 200—350 था। वेतन आयोग (1971—73) ने यह संस्तुति की थी कि जिलों में 44 पदों का नाम जिला सेवायोजन अधिकारी रखा जाय और उन्हें रुपया 450—950 का वेतनमान दिया जाय। शेष पद रु0 400—750 के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहें। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि ज्येष्ठतम सेवायोजन अधिकारी को जिले का

प्रभार (चार्ज) सदैव नहीं दिया जाता है, जिससे अधिकारियों में असन्तोष रहता है । अतः उन्होंने जिला सेवायोजन अधिकारी को उच्चतर वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था की, जिससे कि संवर्ग के ज्येष्ठतम व्यक्तियों को अपेक्षाकृत अच्छी प्रास्थिति (स्टेटस) और उच्चतर वेतनमान दिया जा सके । एक पृथक् अध्याय में हमने जिला स्तर के विभिन्न अधिकारियों, जिनमें जिला सेवायोजन अधिकारी भी सम्मिलित हैं, के वेतनमान के प्रश्न का पुनरीक्षण किया है । हमने उनके लिये रु0 770—1,600 के वेतनमान की संस्तुति की है ।

14.22 उत्तर प्रदेश आई0 टी0 आई0 कर्मचारी संघ ने वेतन आयोग को प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में यह अभिवेदन किया है कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के पूर्व सेवायोजन पक्ष में सहायक सेवायोजन अधिकारियों के वेतनमान और प्रशिक्षण पक्ष में फोरमैन के वेतनमान एक हुआ करते थे । इस समिति ने फोरमैन को रु0 200—450 का वेतनमान और सहायक सेवायोजन अधिकारी को रु0 225—500 का वेतनमान दिया । वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षण किये जाने पर सहायक सेवायोजन अधिकारी केवल रु0 350—700 का वेतनमान पाने के हकदार थे, जैसा कि इस समय फोरमैन को ग्राह्य है, फिर भी उनके कार्य की अपेक्षाओं को देखते हुए उन्हें रु0 400—750 का वेतनमान ठीक ही दिया गया ।

14.23 हमने प्रशिक्षण अनुभाग में ग्रुप "ख" और ग्रुप "क" के पदों पर भर्ती के ढंग के प्रश्न का परीक्षण किया है । ग्रुप "ख" के 74 और ग्रुप "क" के 23 पद हैं, जिनके भिन्न-भिन्न पदनाम हैं । ग्रुप "ख" के 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । समग्र रूप से पदोन्नति के अवसरों और संवर्ग व्यवस्था सम्बन्धी पहलू को देखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि ग्रुप "ख" के 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहियें और शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहियें तथा ग्रुप "क" के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिये ।

14.24 हमने कार्य विकास अधिकारी (जाब डेवलपमेंट आफिसर) के पदों को सम्भागीय उप निदेशक (रीजनल डिप्टी डायरेक्टर) के पद में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया है । इसमें दो प्रश्न निहित हैं :

(1) सम्भागीय सेवायोजन अधिकारियों के 14 पद पहले ही से हैं, जबकि राज्य में 11 डिवीजन हैं,

(2) श्रम विभाग के आयुक्त और सचिव से हमने इस विषय में विचार-विमर्श किया है और उनका यह मत है कि सेवायोजन के सम्भागीय उप निदेशक (रीजनल डिप्टी डायरेक्टर) के पृथक् पदों की आवश्यकता नहीं है । उप निदेशक (प्रशिक्षण) अपने डिवीजन में सेवायोजन कार्य के समन्वय (कोआर्डिनेशन) की भी देख-रेख कर सकते हैं ।

अतः कार्य विकास अधिकारी (जाब डेवलपमेंट आफिसर) के पद को उन्नत किये जाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये । सरकार इस बात पर विचार करे कि इन पदों पर तैनात व्यक्तियों की सेवाओं का किस प्रकार अच्छा उपयोग किया जा सकता है ।

14.25 हमने विश्वविद्यालय सेवायोजन ब्यूरो के उप प्रधान (डिप्टी चीफ) की प्रास्थिति (स्टेटस) के प्रश्न का परीक्षण किया है । यह पद रु0 400—750 के वेतनमान में है और सहायक सेवायोजन अधिकारियों के संवर्ग का है । सरकार इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या कार्य के समुचित स्थान का पता लगाने में विश्वविद्यालय के छात्रों को मार्ग दिखाने तथा उन्हें परामर्श देने में कार्य विकास अधिकारी का, जो कि रु0 650—1,300 के वेतनमान में हैं, और अच्छा उपयोग किया जा सकता है । यहां अत्यधिक सम्भाव्यता (पोटेन्शल) है, अतः इस प्रसंग में कार्य सम्बन्धी संसाधनों का पता लगाने के लिये और अधिक प्रयास किया जाना अपेक्षित है ।

14.26 हम असंगति समिति की संस्तुति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे । यह संस्तुति नीचे उद्धृत की गयी है :

> "भविष्य में ऐसे समस्त जिला स्तर के पद, जैसे जिला उद्योग अधिकारी तथा समकक्ष पद जैसे जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी और सहायक उद्योग निदेशक के पद रु0 550—1,200 के वेतनमान में सृजित किये जाने चाहिये, परन्तु प्रतिबन्ध यह हो कि ऐसे पदों के 50 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की जाये ।"

उपर्युक्त संस्तुति भविष्य में सृजित किये जाने वाले पदों के सम्बन्ध में थी और वह केवल तब जब कि ऐसे पदों के 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायं, किन्तु यह स्थिति जिला सेवायोजन अधिकारियों के मामले में नहीं है । प्रसंगवश हम मैथ्यू समिति का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसने विशिष्ट रूप से यह संस्तुति की है कि विभाग के 50 प्रतिशत उच्चतर पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिये ।

14.27 प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय में कार्यालय अधीक्षक का पद रु0 400—550 के वेतनमान में है । पिछले उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) ने इस पद के पदधारी को, जो कि उस समय रु0 475—675 के वेतनमान में कार्य कर रहा था, वैयक्तिक वेतनमान के रूप में रु0 450—700 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति की । हमें यह सूचित किया गया है कि सम्भागीय पुनर्वास निदेशालय (रीजनल डाइरेक्टरेट आफ रि-सेटिलमेन्ट) में, जो कि अब प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय है, अधीक्षक का पद वर्ष 1948 में रु0 475—675 के वेतनमान में सृजित किया गया था, जैसाकि सचिवालय में अधीक्षकों को ग्राह्य था । वेतन अभिनवीकरण समिति (1964-65) ने इस वेतनमान को अन्य विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में अधीक्षक को ग्राह्य

वेतनमान के प्रतिरूप (पैटर्न) पर कम कर दिया। पिछले उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के बाद यह मामला पुनः सरकार को निर्दिष्ट किया गया और वर्ष 1977 में इस पद के स्थायी पदधारी को रु0 450—850 का वेतनमान वैयक्तिक रूप में दिया गया। चूंकि वर्तमान पदधारी बराबर उच्चतर वेतनमान पाता रहा है, अतः हम वर्तमान पदधारी के लिये रु0 690—1,420 के वैयक्तिक वेतनमान की संस्तुति करते हैं।

14.28 हम लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के पदों, सांख्यिकीय पदों, आशुलिपिकों, कलाकारों (आर्टिस्ट्स), फोटोग्राफर आदि के पदों जैसे सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में की गई मांग/दिये गये सुझावों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में सामान्य कोटि के पदों से सम्बन्धित अध्याय में विचार किया गया है। हमने पुनरीक्षित वेतनमानों तथा चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) के सम्बन्ध में, जहां कहीं आवश्यक है, इस खण्ड के भाग 2 में संस्तुति की है।

अध्याय–पन्द्रह

नियोजन विभाग

राज्य योजना आयोग मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य योजनाओं के बारे में शीर्षस्थ नीति स्तर संगठन है, जो इस बारे में सामान्य नीति निर्णय लेता है कि योजनाओं की प्राथमिकतायें क्या हों, पूंजी विनियोग की नीति क्या हो तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या अपनाई जाए। राज्य योजना आयोग के सचिवालय का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष नियोजन सचिव हैं। सामान्य सचिवालय कर्मचारिवर्ग के अतिरिक्त योजना आयोग में वरिष्ठ शोध अधिकारी के दो पद रु0 800—1,450 के वेतनमान में, शोध अधिकारी के 6 पद रु0 550—1,200 के वेतनमान में और सांख्यकीय सहायक, शोध सहायक, कनिष्ठ इन्वेस्टीगेटर तथा सहायक सांख्यिकी तथा अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग हैं।

15.2 राज्य योजना आयोग और नियोजन विभाग की सहायतार्थ नियोजन सचिव की अध्यक्षता में एक समुचित स्टाफयुक्त राज्य नियोजन संस्थान है, जिसमें निम्नलिखित प्रभाग हैं :

1—अर्थ एवं संख्या प्रभाग,

2—विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग,

3—मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग,

4—क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग,

5—दीर्घकालीन नियोजन प्रभाग,

6—जन-शक्ति नियोजन प्रभाग,

7—अनुश्रवण प्रभाग, तथा

8—प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।

राज्य योजना आयोग

15.3 कुछ वर्ष पूर्व तक राज्य योजना आयोग के लिये अलग से कोई कर्मचारिवर्ग नहीं था। 1974 के बाद 88 पद सृजित किये गये, जिनमें वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी, शोध सहायक तथा अन्य तकनीकी एवं लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के पद शामिल हैं। लिपिकीय पक्ष में समन्वय सहायक के 8 पद प्रवर वर्ग सहायक के वेतनमान में सृजित किये गये, यद्यपि इस संगठन में प्रवर वर्ग सहायक के पद भी अलग से हैं। सांख्यकीय सहायक और सहायक सांख्यिकी के अलग-अलग पद दोनों ही रु0 350—700 के वेतनमान में हैं। यद्यपि हमने इस संगठन की स्टाफ की आवश्यकताओं के बारे में कोई गहन अध्ययन नहीं किया है, तथापि हम यह महसूस करते हैं कि राज्य सरकार यह अध्ययन कराना चाहें कि क्या वास्तव में नियोजन संस्थान के पांच नये प्रभागों की स्थापना के बाद भी इस स्तर पर वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी तथा शोध सहायक इत्यादि के पदों की आवश्यकता है।

15.4 जहां तक वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी, शोध सहायक तथा अन्य सांख्यकीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमानों का संबंध है, प्रशासनिक विभाग ने यह सुझाव दिया है कि वरिष्ठ शोध अधिकारी का वेतनमान रु0 800—1,450 से बढ़ाकर रु0 1,400—1,800, शोध अधिकारी का वेतनमान रु0 550—1,200 से बढ़ाकर रु0 700—1,600 किया जाय। विभागीय टिप्पणी में यह कहा गया है कि यह तकनीकी पद हैं और पदधारकों से यह आशा की जाती है कि वे तकनीकी और विशेषज्ञ कार्य करें। हमने इस स्थिति का परीक्षण किया है। इन पदों के बारे में अभी सेवा नियमावली नहीं बनी है। वरिष्ठ शोध अधिकारी के शत-प्रतिशत पद शोध अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और शोध अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत पद शोध सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इन पदों की अर्हताएं लगभग वही हैं, जो नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग में सामान्य पदों के लिये निर्धारित हैं। हम इन पदों के वेतनमानों के उच्चीकरण का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। सांख्यिकीय और लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के सामान्य कोटि के पद तथा अन्य कर्मचारिवर्ग के पद हैं, जिन पर हम यहां अलग से विचार नहीं कर रहे हैं तथा जिन पर "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में विचार किया गया है।

राज्य नियोजन संस्थान

15.5 **अर्थ एवं संख्या प्रभाग**—नियोजन संगठन का यह सबसे पुराना प्रभाग है और पूर्व में इसे आर्थिक बोध एवं सांख्यिकीय निदेशालय के नाम से जाना जाता था। राज्य की नियोजन प्रक्रिया में इस प्रभाग का महत्वपूर्ण योगदान बराबर बढ़ता रहा है। नेशनल सैम्पुल सर्वे आरगनाइजेशन के सहयोग से यह महत्वपूर्ण विषयों पर आंकड़े एकत्रित करने, उनका संकलन करने और उनके अभिसारण एवं विश्लेषण के लिये जिम्मेदार है। यह स्वयं अपनी ओर से भी सर्वेक्षण कराता है तथा राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार को विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराता है।

15.6 **निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या** रु0 1,600—2,000 के वेतनमान में हैं और उसकी सहायता के लिये रु0 1,400—1,800 के वेतनमान में पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) संवर्ग एक अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक के पद पर, 2 संयुक्त निदेशक रु0 1,150—1,700 के वेतनमान में, 15 उप निदेशक रु0 800—1,450 के वेतनमान में, एक सहायक निदेशक रु0 650—1,300 के वेतनमान में, 6 प्रोग्रामर रु0 650—1,300 के वेतनमान में और 13 सांख्यिकीय अधिकारी रु0 550—1,200 के वेतनमान में तथा अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग मुख्यालय पर नियुक्त हैं। क्षेत्रीय

स्तर पर जिला संख्या अधिकारी का एक पद तथा जिला अर्थ अधिकारी का एक पद प्रत्येक जिले में है। हाल ही में सम्भागीय उप निदेशक के पद भी इस प्रभाग में सृजित किये गये हैं। गत 5 वर्षों में इस विभाग का बहुत प्रसार हुआ है और इसी अवधि में अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशकों के अधिकतर पद स्वीकृत हुए हैं। अधीनस्थ कर्मचारिवर्ग की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

15.7 अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राजपत्रित अधिकारी संघ ने अपने लिखित ज्ञापन एवं मौखिक साक्ष्य में आयोग के समक्ष निम्नलिखित मुख्य सुझाव प्रस्तुत किये :

(1) विभिन्न पदों के वेतनमान निम्न प्रकार बढ़ाये जाने चाहिये :

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
	रु0	रु0
निदेशक	1,600—2,000	2,500—3,250
संयुक्त निदेशक	1,150—1,700	1,800—2,550
उप निदेशक	800—1,450	1,400—2,300
सहायक निदेशक	650—1,300	1,400—2,300
संख्या अधिकारी/ अर्थ अधिकारी	550—1,200	950—1,950

(2) संख्या अधिकारी/अर्थ अधिकारी के प्रोन्नति के अवसर बहुत कम हैं, अतः संख्या अधिकारी और उप निदेशक के पदों के लिये एक अबाध वेतनमान दिया जाय और इसी प्रकार संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के पदों के लिये एक अबाध वेतनमान दिया जाय।

(3) सेलेक्शन ग्रेड की पद्धति समाप्त कर दी जाय।

(4) प्रभाग में विभिन्न पदों को तकनीकी पद घोषित किया जाय।

15.8 अर्थ एवं संख्या अधीनस्थ सेवा संघ ने अपने ज्ञापन में विभिन्न सेवाओं के लिये निम्नलिखित वेतनमान रखने का सुझाव दिया है :

पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रु0)	प्रस्तावित वेतनमान (रु0)
(1) सांख्यकीय निरीक्षक/अर्थ एवं संख्या निरीक्षक (वर्ग 2)	280–460 400–550 (सेलेक्शन ग्रेड)	600–1150 800–1300 (सेलेक्शन ग्रेड)
(2) सहायक सांख्यकीय अधिकारी/ सहायक अर्थ अधिकारी/ सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी (वर्ग)	350–700 500–750 (सेलेक्शन ग्रेड)	750–1500 1000–1600 (सेलेक्शन ग्रेड)
(3) ज्येष्ठ अनुदेशक	400–750	850–1700
(4) सहायक ग्राफ-आर्टिस्ट	280–460	600–1150
(5) ग्राफ आर्टिस्ट/कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट	350–700	750–1500 1000–1600 (सेलेक्शन ग्रेड)

(2) संघ ने निम्नलिखित सुझाव भी दिये हैं :

(1) सांख्यिकीय निरीक्षकों को वेतन का 25 प्रतिशत और सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को वेतन का 20 प्रतिशत विशेष भत्ता दिया जाय।

(2) प्रोन्नति के अवसर बढ़ाये जायें तथा सांख्यिकीय निरीक्षकों के 25 प्रतिशत पद, सहायक संख्या अधिकारियों के 20 प्रतिशत पद तथा ग्राफ आर्टिस्ट व कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट इत्यादि के 15 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं।

15.9 सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय) सेवा संघ ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित सुझाव दिये :

(1) सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय) के कार्य और जिम्मेदारियां बहुत कठिन और श्रम-साध्य हैं और अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारियों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। अतः सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) को रु0 850-1475 के वेतनमान में रखा जाय।

(2) सेवा में पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं और 20 वर्ष से अधिक सेवा के अधिकारी अभी भी सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसलिये सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय) के 50 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं।

15.10 अर्थ एवं संख्या प्रभाग के लिपिकीय सेवा संघ ने अपने ज्ञापन में कहा कि सेवा के सदस्यों के पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। संघ ने सुझाव दिया कि पंचर/वेरीफायर/मशीन आपरेटर/ज्येष्ठ लिपिक के वेतनमानों का उच्चीकरण किया जाय। यह भी सुझाव दिया गया कि आशुलिपिक संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं। यह भी सुझाव दिया गया कि केयरटेकर के वेतनमान में भी बढ़ोत्तरी की जाय। संघ के कुछ प्रतिनिधि भी आयोग के सम्मुख उपस्थित हुए।

15.11 आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक ने आयोग को अपने पत्र में तथा आयोग के सम्मुख अपने मौखिक साक्ष्य में यह सुझाव दिया कि प्रत्येक कोटि के राजकीय कर्मचारी को अस्थायी पदोन्नति देने का एक ही तरीका है कि उसे 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अगला उच्चतर वेतनमान दे दिया जाय। निदेशक ने महंगाई भत्ता शामिल करते हुए विभाग के विभिन्न पदों के लिये निम्नलिखित वेतनमान निर्मित करने का सुझाव दिया :—

क्रम-संख्या	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	निदेशक	1600–2000	2500–3000
2	संयुक्त निदेशक	1150–1700	1800–2200
3	उप/सहायक निदेशक	800–1450 650–1300	1400–2000

1	2	3	4
4	प्रोग्रामर/संख्या अधिकारी (सेलेक्शन ग्रेड)	650–1300	1000–1800
5	संख्या अधिकारी/ अर्थ अधिकारी	550–1200	900–1700
6	चीफ ग्राफ आर्टिस्ट	450–850	..
7	ज्येष्ठ अनुदेशक	400–750	700–1200
8	सहायक संख्या अधिकारी/ सहायक अर्थ अधिकारी/ सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी/ ग्राफ आर्टिस्ट/ कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट	350–700	625–1150
9	सहायक संख्या अधिकारी (सेलेक्शन ग्रेड)	500–750	800–1200
10	सांख्यकीयनिरीक्षक /अर्थ एवं सांख्यकीय निरीक्षक /सहायक ग्राफ आर्टिस्ट/ सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय)	280–460	500–850
11	सांख्यकीय निरीक्षक (सेलेक्शन ग्रेड)/सहायक विकाय अधिकारी सांख्तःकीय) (सेलेक्शन ग्रेड)	400–550	650–900
12	मुख्य सहायक	450–700	625–1150
13	प्रवर वर्ग सहायक/ संदर्भ लिपिक (17 कर्मचारियों का व्यक्तिगत वेतनमान)	350–700	..
14	सहायक अधीक्षक/ मुख्य लिपिक/ आशुलिपिक	300–500	600–900
15	पुस्तकालयाध्यक्ष	300–550	609–900
16	आशुलिपिक (सेलेक्शन ग्रेड)	400–600	650–1000
17	वरिष्ठ सहायक/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	280–460	550–650
18	कनिष्ठ सहायक	230–385	450–650
19	लिपिक टंकक/ केयरटेकर	200–320	400–625
20	पंचर्स/वैरीफायर–का प्रस्तावित वेतनमान	..	500–850
21	जमादार/बुक बाइंडर/ड्राइवर/ दफ्तरी/मशीन आपरेटर आदि	170–225)) 175–250)	350–550
22	चपरासी/कार्यालय चपरासी इत्यादि	165–215	325–550

15·12 विभिन्न सेवा संघों द्वारा दिये गये ज्ञापनों में जिन बिन्दुओं को उठाया गया था, उनके बारे में हमने निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग तथा नियोजन सचिव से विस्तृत विचार-विमर्श किया। सामान्य धारणा यह है कि जिला स्तर पर जिला अर्थ अधिकारी के पद से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई, जिसके लिये इसे सृजित किया गया था। इस संदर्भ में हमने इस पद की उपयोगिता के बारे में विचार-विमर्श किया। निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग तथा नियोजन सचिव दोनों इस बात से सहमत थे कि अभी तक जिला और विकास खण्ड योजना तैयार करने में अर्थ अधिकारी का वैसा महत्वपूर्ण योगदान नहीं हो पाया है, जैसा वह उनसे आशा करते थे। नियोजन सचिव यह महसूस करते थे कि अब तक के अनुभव के बावजूद इस पद की आवश्यकता है, क्योंकि क्षमता और स्थानीय साधनों के आधार पर जिला एवं विकास खण्ड की वास्तविक योजनायें बनाने का कार्य दृढ़तापूर्वक किया जाना है। निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग यह महसूस करते थे कि पद के सृजन के समय अर्थ अधिकारी से जिस वांछित परिणाम की अपेक्षा की जाती थी, उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पायी है, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कई कार्य भी उनसे लिये जा रहे हैं। निदेशक से यह विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या यह अन्य कार्य जिला संख्या अधिकारी को नहीं सौंपे जा सकते हैं, निदेशक ने उत्तर दिया कि जिला अधिकारी के पास पहले से ही पर्याप्त कार्य है।

15·13 हमने इस प्रश्न पर कई महत्वपूर्ण अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है और हम यह अनुभव करते हैं कि कुछ अन्तर्निहित कठिनाइयों के कारण जिला योजना, राज्य योजना के लक्ष्यों का जिलेवार फांट और उसका जिला स्तर पर संकलन है, जो विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचित करते हैं। इस संदर्भ में जिला अर्थ अधिकारी का कार्य मुख्यतया इस हद तक सीमित है कि वह राज्य स्तर से जिले को सूचित किये गये भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को एक स्थान पर संकलन करता रहे। अन्य कार्य, जो जिला अर्थ अधिकारी को सौंपे गये हैं, वे जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिये संस्थागत वित्त उपलब्ध कराना तथा जिला

स्तरीय स्थानीय नियोजन से सम्बन्धित प्रायोजनाओं की छानबीन करना है। हम यह महसूस करते हैं कि विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिये संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला अधिकारी (राजस्व एवं वित्त) की होनी चाहिये और प्रायोजनाओं की छानबीन की जिम्मेदारी विभिन्न विभागीय अधिकारियों की होनी चाहिये। अधिकतर प्रायोजनायें औद्योगिक प्रकृति की हैं। जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के फलस्वरूप इस कार्य के लिये पर्याप्त कर्मचारिवर्ग उपलब्ध हैं। शासन इस बात पर विचार करना चाहे कि जिला/विकास खण्ड योजनायें बनाने के लिये अलग से अर्थ अधिकारी के पद बने रहने की आवश्यकता है या नहीं। यदि शासन यह निर्णय ले कि जिला अर्थ अधिकारी के पद का जिले में बनाये रखना आवश्यक है, तो यह उचित होगा कि जिला संख्या अधिकारी के पद का वेतनमान जिला अर्थ अधिकारी के पद के वेतनमान से कुछ उच्चतर रखा जाए। हमने दो अलग-अलग वेतनमान रखने की संस्तुति की है—एक वेतनमान जिला संख्या अधिकारी के लिये और दूसरा जिला अर्थ अधिकारी के लिये।

15.14 जहां तक विभाग में विभिन्न पदों के वेतनमानों का प्रश्न है, हम निम्नलिखित संस्तुतियां करते हैं :

(1) निदेशक का पद रु0 1,600—2,000 के वेतनमान में है। विभागाध्यक्ष के वेतनमानों की चर्चा हमने एक अलग अध्याय में की है।

(2) संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद क्रमशः रु0 1,150—1,700 तथा रु0 800—1,450 के वेतनमान में हैं। अन्य विभागों में भी इस स्तर के पदों पर यही वेतनमान अनुमन्य है। उप निदेशक के 50 प्रतिशत पद भी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इसी प्रकार संख्याधिकारी के 50 प्रतिशत पद भी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। हम यह संस्तुति करते हैं कि उप निदेशक के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जायं और इस स्तर पर पार्श्विक भर्ती न हो।

(3) हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस विभाग के लिए वेतनमानों के बारे में कोई अलग से प्रतिपादन आवश्यक है। हम नियोजन संस्थान को एक इकाई के रूप में मानते हैं। मुख्यालय पर इस विभाग में रु0 650—1,300 के वेतनमान में सहायक निदेशक का एक पद है। हम रु0 650—1,300 के वेतनमान में इस अकेले पद को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं पाते और संस्तुति करते हैं कि इस पद को उप निदेशक के पद में परिवर्तित कर दिया जाय। तथापि यदि भविष्य में मुख्यालय पर सहायक निदेशक के पदनाम से कोई कनिष्ठ पद सृजित किया जाय, तो उसे रु0 850—1,720 के वेतनमान में रखा जाय। इस समय संख्या अधिकारी के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में हैं, जिसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाय। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि अर्थ अधिकारी के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं।

(4) इस विभाग में अधिकतर पद सामान्य कोटि के पद हैं, जिसमें अधीनस्थ सांख्यिकीय/लिपिकीय पद और समूह "घ" के पद शामिल हैं। "सामान्य कोटि के पद" के अलग अध्याय में हमने इन पर विचार किया है।

(5) पंचर/वेरीफायर के पद इस समय नैत्यक श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में शामिल हैं। इन पदों का पदनाम इनके कार्य के अनुसार रखा जाय।

(6) जैसा कि "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में इंगित किया गया है, पंच आपरेटर को रु0 354—550 में और पंच वेरीफायर को रु0 430—685 के वेतनमान में रखा जाय।

(7) केयरटेकर का पद रु0 200—320 के वेतनमान में है, उसे रु0 400—615 के वेतनमान में रखा जाय।

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष क्रमशः रु0 300—550 तथा रु0 280—460 के वेतनमान में हैं। जैसा संगत अध्याय में इंगित किया गया है, इन पदों के वेतनमान सामान्य कोटि के पदों के पैटर्न पर संस्तुत किये गये हैं।

(9) ग्राफ आर्टिस्ट का वेतनमान (रु0 325—575) कुछ समय पूर्व रु0 350—700 में पुनरीक्षित किया गया था। इस वेतनमान को और उच्चीकृत करने का हम कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

(10) लिपिकीय संवर्ग में कुछ कर्मचारिवर्ग को वैयक्तिक रूप से सचिवालय के वेतनमान मिल रहे हैं। हमने इनके लिये प्रतिस्थापित वेतनमानों की संस्तुति की है, जो उन व्यक्तियों को वैयक्तिक रूप से मिलते रहेंगे, जो इस समय वे वेतनमान पा रहे हैं।

15.15 जहां तक विभाग में विभिन्न अधीनस्थ संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों का प्रश्न है, सांख्यिकीय सहायक के 10 प्रतिशत पदों पर और अन्वेषक तथा संगणक के 15 प्रतिशत पदों पर 1970 में सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया था। सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) के 15 प्रतिशत पद और आशुलिपिक के दो पद भी सितम्बर 1976 में सेलेक्शन ग्रेड में रखे गये थे। पूर्व के एक अध्याय में इंगित सामान्य नीति के अनुसार हमने पदोन्नति के अवसरों की स्थिति का परीक्षण किया है और इस आधार पर हम सामान्य शर्तों के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति करते हैं :

(1) सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) के पदों की कुल संख्या 876 है। खण्ड विकास अधिकारी के कुछ प्रतिशत पदों पर वे पदोन्नति के

लिये पात्र हैं। सहायक अर्थ अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर भी वे पदोन्नति के लिये पात्र हैं। संवर्ग के पदों की संख्या और उन्हें उपलब्ध पदोन्नति के अवसर देखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय) के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जाएं।

(2) विभाग में विभिन्न अन्य संवर्गों में, जो सेलेक्शन ग्रेड इस समय अनुमन्य हैं, वे बने रहेंगे। हमारी नोटिस में यह बात आई है कि ऐसे कर्मचारियों को भी सेलेक्शन ग्रेड में रखा गया है, जो अभी विभाग में अपने मूल पद पर स्थायी नहीं हैं। हमारे दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है। जैसा हमने अन्यत्र कहा है, सेलेक्शन ग्रेड की प्रक्रिया एक लघु अवधि के लिये यह सुनिश्चित करने के लिये अपनायी जाती है कि कर्मचारियों में वृद्धिरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। ऐसा कोई कर्मचारी, जो किसी स्थायी पद पर नियमित रूप से खपा न लिया गया हो और जिसमें कुछ निश्चित अवधि तक सेवा न कर ली हो, उसे सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा सकता (जैसा "सामान्य सिद्धान्त" के अध्याय में इंगित किया गया है), विभाग ऐसे सब मामलों पर दुबारा विचार करे और सेलेक्शन ग्रेड केवल उन्हीं मामलों में दिया जाए, जहां हमारे द्वारा संस्तुत शर्तों की पूर्ति होती है।

(3) सहायक ग्राफ आर्टिस्ट के प्रश्न पर "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में विचार किया गया है।

15.16 **विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग**—विकास अन्वेषण एवं प्रयोग संस्थान 1954 में स्थापित किया गया था, जिसमें क्षेत्र में विकास कार्यों को नये आविष्कारों, स्थानीय स्थिति के अनुसार नये विचारों को लागू करके तथा शोध एवं अन्वेषण द्वारा अग्रगामी योजनायें चलाकर प्रगतिशील तकनीक और पद्धति अपनाकर विकास कार्यों को गति दि जा सके। आई0 ए0 एस0 के वरिष्ठ वेतनमान का एक अधिकारी इस प्रभाग का अध्यक्ष है और वह पदेन सचिवालय अधिकारी भी है। उसकी सहायता के लिये एक उप निदेशक, विशेषज्ञ, वरिष्ठ सहयुक्त और कनिष्ठ सहयुक्त एवं अन्य पद हैं। कुछ दिनों पूर्व नियत वेतन पर संविदा के आधार पर सलाहकार के 5 पद सृजित किये गये थे। मोटे तौर पर कनिष्ठ सहयुक्त रु0 550—1,200 या रु0 350—700 के वेतनमान में हैं। वरिष्ठ सहयुक्त सामान्यतया रु0 650—1,300 के वेतनमान में हैं परन्तु यह व्यवस्था है कि यदि इस पद के लिये किसी अधिकारी को किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाय, तो उसे रु0 800—1,450 का वेतनमान अनुमन्य होगा। कुछ अधिकारी, जैसे ग्रामीण जीवन विश्लेषक, वरिष्ठ शोध अधिकारी, सिविल इंजीनियर और परियोजना अधिकारी, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग में ही रु0 800—1,450 के वेतनमान में हैं।

15.17 आयोग के समक्ष निदेशक ने निम्नलिखित सुझाव रखे :

(1) विशेषज्ञों को विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के समान माना जाय और उन्हें प्रोफेसर को अनुमन्य यू0 जी0 सी0 वेतनमान दिया जाय।

(2) वरिष्ठ शोध अधिकारी, वरिष्ठ सहयुक्त और संगठन में उसके समकक्ष अधिकारियों को विश्वविद्यालय के रीडर को अनुमन्य वेतनमान में रखा जाय।

(3) शोध अधिकारी, कनिष्ठ सहयुक्त और उनके समकक्ष अधिकारियों को विश्वविद्यालय के लेक्चरर के समकक्ष माना जाये।

(4) पदनामों में बाहुल्य समाप्त किया जाय और केवल तीन पदनाम रखे जायं अर्थात् विशेषज्ञ, वरिष्ठ शोध अधिकारी तथा शोध अधिकारी।

(5) अराजपत्रित कर्मचारियों को वही वेतनमान दिये जायं, जो अन्य विभागों में समकक्ष पदों के लिए स्वीकृत हों।

नियोजन सचिव ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में इस सम्बन्ध में निदेशक के मत का सामान्यतया समर्थन किया।

15.18 विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग के अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने यह सुझाव दिया कि कम्प्यूटर, क्षेत्रीय अन्वेषक, शोध सहायक, सहायक सांख्यिकीय, कनिष्ठ सहायक इत्यादि के वेतनमान सभी प्रभागों में समान होने चाहिये।

15.19 हमने स्थिति का परीक्षण किया है। प्रभाग को विशेषज्ञों के पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती में कठिनाई अनुभव हो रही है। इस संगठन का मुख्य कार्य यह है कि ऐसी विशिष्ट समस्याओं का समाधान निकाले जो नई टेक्नोलाजी और तकनीक में सुधारों के सन्दर्भ में क्षेत्र अथवा संबंधित विभागों द्वारा उसे सौंपी जायें। समस्यायें सदैव एक सी नहीं हो सकतीं और न उच्चतर पद के लिये अपेक्षित विशेषज्ञता की आवश्यकता ही समान हो सकती है। अतः हम महसूस करते हैं कि विशेषज्ञों के लिये नियमित वेतनमान रखना लाभदायक न होगा। जिस समस्या का समाधान होना है वह समयबद्ध है और उसकी अपनी अलग आवश्यकतायें भी हैं। इसका एक मात्र समाधान यह है कि संविदा के आधार पर कार्य हेतु उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिये विशेषज्ञ के स्तर पर सेवा में लिया जाये। तथापि वरिष्ठ सहयुक्त और कनिष्ठ सहयुक्त के पदों के लिये एक नियमित संवर्ग जैसा इस समय विद्यमान है, अधिक लाभदायक है। इन सहयुक्तों को निदेशक या विशेषज्ञ द्वारा इंगित नीतियों के अनुसार अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करना होता है। हम महसूस करते हैं कि वरिष्ठ सहयुक्त के वर्तमान वेतनमान यथार्थोचित नहीं हैं। हम वरिष्ठ सहयुक्त और समकक्ष स्तर के सभी पदों के लिये रु0 1250-2050 के वेतनमान और कनिष्ठ सहयुक्त और उनके समकक्ष पदों के लिये रु0 850-1720 के वेतनमान की संस्तुति इस अग्रिम अनुबन्ध के साथ करते हैं कि यदि

वरिष्ठ सहयुक्त या कनिष्ठ सहयुक्त के पद पर किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी को लिया जाये तो उसे क्रमश: रु0 150 या रु0 100 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाये । हम आशा करते हैं कि इससे विभाग को विभिन्न कार्यों के लिये वास्तव में सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध हो जायेंगे । हम विभागाध्यक्ष के इस तर्क से सहमत हैं कि पदनाम में बाहुल्य समाप्त किया जाय और उन्हें वरिष्ठ शोध अधिकारी/शोध अधिकारी के पद नाम दिये जायं ।

15.20 ग्रामीणजीवन विश्लेषक का पद विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग जैसी संस्था के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यह संस्तुति करेंगे कि पुनरीक्षित आवश्यकताओं के आधार पर इस पद की अर्हताओं को संशोधित किया जाये और संशोधित अर्हता के आधार पर चयनित पदधारक के लिये रु0 1,540—2,200 के वेतनमान की संस्तुति की जाती है ।

15.21 प्राविधिक अधिकारी का एक पद रु0 450–950 के वेतनमान में है । इस पद की निर्धारित अर्हतायें शुगर टेक्नोलोजी या इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी में स्नातक डिग्री तथा कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है । इस पद की अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए हम यह संस्तुति करते हैं कि इस पद का वेतनमान रु0 850–1720 में पुनरीक्षित किया जाये । इसी प्रकार हम औद्योगिक अधिकारी के पद के लिये जो इस समय रु0 450–950 के वेतनमान में हैं, रु0 850–1720 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं । इन दोनों पदों को भी शोध अधिकारी का पदनाम दिया जाये । जहां तक सम्पादक और सूचना अधिकारी के वेतन का प्रश्न है, हम इन पदों के लिये उसी वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं जो हमने सूचना विभाग के सूचना अधिकारियों के लिये संस्तुत किया है ।

15.22 कनिष्ठ सहयुक्त के पद रु0 350–700 के वेतनमान में हैं । इसी वेतनमान में कई और पद भी हैं, जैसे शोध सहायक तथा सहायक सांख्यिकीय के पद । इन विभिन्न पदों के वेतनमान किसी तर्क पर आधारित नहीं हैं । कनिष्ठ सहयुक्त (कृषि अभियंत्रण) का पद रु0 350–700 के वेतनमान में है और इस पद की अर्हता कृषि अभियंत्रण या मैकेनिकल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि है। यही वेतनमान कनिष्ठ सहयुक्त (स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य) को भी अनुमन्य है जिसकी अर्हता डिप्लोमा है । कनिष्ठ सहयुक्त (स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य) के एक अन्य पद पर सैनिटरी इन्सपेक्टर की अर्हता निर्धारित है, जबकि कनिष्ठ सहयुक्त (ग्रामीण जीवन विश्लेषक) की न्यूनतम अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों । रु0 400–750 के वेतनमान में स्वास्थ्य प्रसार शिक्षक एवं प्रदर्शक का एक पद है । इसी वेतनमान में दो पद क्षेत्रीय निरीक्षक के भी हैं जिनकी न्यूनतम अर्हता अभियंत्रण या टेक्नोलोजी में स्नातक की उपाधि है।

15.23 हम यह संस्तुति करते हैं कि इन पदों की अर्हताओं का अभिनवीकरण किया जाय । अभियंत्रण प्रभागों में स्नातक की उपाधि अथवा 5 वर्ष के अनुभव के साथ डिप्लोमा की अर्हता रखी जाय । अन्य मामलों में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक होनी चाहिए । इन शर्तों के साथ हम यह संस्तुति करते हैं कि उपरोक्त कोटि में आने वाले पदों को रु0 625–1170 के वेतनमान में रखा जाय और उन्हें शोध सहायक का पदनाम दिया जाय, जो इस कोटि में नहीं आते हैं वह निम्नतर वेतनमान में बने रहें । इस प्रकार इस प्रभाग में केवल निम्नलिखित पदनाम रखे जायं :—

(क) ग्रामीण जीवन विश्लेषक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर रखा जाय ।

(ख) वरिष्ठ शोध अधिकारियों को रु0 1250–2050 के वेतनमान में रखा जाय ।

(ग) शोध अधिकारी रु0 850–1720 के वेतनमें रखे जायं ।

(घ) शोध सहायक रु0 625–1170 के वेतनमान में रखे जायं । अन्य किसी कर्मचारी वर्ग के बारे में कोई असंगति प्रतीत नहीं होती है ।

15.24 जैसा पूर्व में इंगित किया गया है विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग का कार्य प्रयुक्त शोध एवं वर्तमान पद्धति में सुधार से संबंधित है । प्रभाग के कार्य-कलापों को उचित रूप देने के लिये एक उच्चतर अधिकार प्राप्त समिति है । प्रभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये प्रत्येक कार्यक्रम के एक निश्चित समयबद्धता होनी चाहिए । शासन प्रभाग के प्रत्येक अनुभाग में कार्यभार और कर्मचारियों की संख्या का परीक्षण करना चाहें । हमारे नोटिस में यह बात आई है कि विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग में काफी पद रिक्त रहते हैं । अतः इसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग में कर्मचारी वर्ग की वास्तविक संख्या को घटाकर अपेक्षित स्तर एवं पर लाया जाय ।

15.25 **मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग**—मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग विकास अन्वेषण एवं प्रयोग संस्थान का एक अंग था और अब भी निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग जो आई0 ए0 एस0 के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी हैं अब भी इसके पदेन निदेशक हैं । तथापि अतिरिक्त निदेशक, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण की नियुक्ति के उपरान्त इस अधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिहित कर दिये गये हैं । अतिरिक्त निदेशक का पद रु0 1400—1800 के वेतनमान में है और उसकी सहायता के लिये एक संयुक्त निदेशक रु0 1150—1700 के वेतनमान में सात वरिष्ठ मूल्यांकन अधिकारी रु0 800—1450 के वेतनमान में एक उप निदेशक (प्रशिक्षण) रु0 800—1450 के वेतनमान में और एक प्रशिक्षण विशेषज्ञ रु0 2000 प्रति-मास नियत वेतन पर हैं । मूल्यांकन अधिकारी के 8 पद रु0 550–1200 के वेतनमान में, वरिष्ठ क्षेत्रीय अन्वेषक के 6 पद रु0 450–850 के वेतनमान में क्षेत्रीय अन्वेषक के 28 पद और अन्वेषक के 2 पद सेलेक्शन ग्रेड में हैं । लिपिकीय एवं अन्य सामान्य कोटि के पद इसके अतिरिक्त हैं।

15.26 हमने इस प्रभाग में विभिन्न पदों के वेतनमानों का परीक्षण किया है । रु0 250—425 के वेतनमान में संगणक के 12 पद हैं जिसकी अर्हतायें वहीं हैं जो अर्थ एक संख्या प्रभाग में अन्वेषक/संगणक की है । तथापि इस प्रभाग में संगणक का वेतनमान अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रतिस्थानी पदों से निम्नतर है । वेतनमान में इस अन्तर का कारण कदाचित यह है कि इस प्रभाग में यह पद विभागीय चुनाव समिति द्वारा भरे जाते हैं न कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जैसा कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग में

समान पदों पर किया जाता है । हम यह संस्तुति करते हैं कि भविष्य में इन पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाय तथा इन पदों के लिये रु0 470–735 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं । अन्य पदों के वेतनमानों के बारे में हम कोई असंगति नहीं पाते हैं । पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिकीय एवं अन्य समूह "घ" के पदों के बारे में हम अलग से चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके बारे में विस्तृत चर्चा "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में की गयी है ।

15.27 **पांच नये प्रभाग**—यह नये प्रभाग प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये स्थापित किये गये थे । प्रत्येक प्रभाग निश्चित कार्य के लिये जिम्मेदार है। दीर्घकालीन नियोजन प्रभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह पूंजी विनियोग तथा भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं आदि के प्रक्षेप लम्बी अवधि के सन्दर्भ में निर्मित करे । जन शक्ति नियोजन प्रभाग योजना अवधि के लिए वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में सेवायोजन के प्रक्षेप (प्रोजेक्शन) तैयार करने के लिये जिम्मेदार है, तथा नियोजन विभाग को संबंधित विषयों पर परामर्श देता है । संस्थान के अनुश्रवण प्रभाग का यह कार्य है कि वह महत्वपूर्ण सिंचाई, विद्युत एवं औद्योगिक परियोजनाओं का अनुश्रवण करे और शासन तथा संबंधित विभाग को यह परामर्श देता है कि परियोजनाओं की प्रगति तथा समस्याओं को हल करने के बारे में क्या कदम उठाये जायें । प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का भी विभिन्न विकास विभागों की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं/कार्यक्रमों के प्रक्रम में महत्वपूर्ण योगदान है । क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों से संबंधित योजना बनाने में अध्ययन करने का कार्य करता है, जिससे अन्तर्राज्य एवं अन्तर्जिला असमानताओं को कम किया जा सके ।

15.28 प्रत्येक प्रभाग एक निदेशक के नीचे कार्य करता है । जन-शक्ति नियोजन प्रभाग का निदेशक अखिल भारतीय सेवा का वरिष्ठ वेतनमान का अधिकारी है जबकि अन्य निदेशक इन पदों के लिये विशिष्टता के आधार पर नियुक्त किये गये हैं । संयुक्त निदेशक के 5 पद रु0 1150–1700 के वेतनमान में, वरिष्ठ शोध अधिकारी के 19 पद रु0 800–1450 के वेतनमान में और शोध अधिकारी के 39 पद रु0 550–1200 के वेतनमान में इन प्रभागों में हैं । इसके अतिरिक्त रु0 250–425 के वेतनमान में संगणक के 44 पद और रु0 350–700 के वेतनमान में सांख्यिकीय सहायक के 11 पद भी हैं ।

15.29 राज्य नियोजन संस्थान के 5 नये प्रभागों के राजपत्रित अधिकारियों ने आयोग को एक ज्ञापन भेजा और उनका एक शिष्टमण्डल मौखिक साक्ष्य के लिये भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ । उनका मुख्य तर्क यह था कि बढ़ते हुए मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में नये वेतनमान गत वेतन आयोग द्वारा निर्मित वेतनमानों की अपेक्षा शत-प्रतिशत उच्चतर होने चाहिए । उन्होंने शोध अधिकारी के लिये रु0 1100–2000, वरिष्ठ शोध अधिकारी के लिये रु0 1600–2700, संयुक्त निदेशक के लिये रु0 2200–3400 और निदेशक के लिये रु0 3000–3800 के वेतनमान का सुझाव दिया । इन प्रतिनिधियों का यह भी कहना था कि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद प्रत्येक अधिकारी को अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाना चाहिये । वह यह महसूस करते थे कि इस संस्थान के कार्य-कलापों की तुलना केवल ऐसी संस्थाओं से हो सकती है, जैसे इंस्टीट्यूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ रूरल डेवेलपमेन्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इकोनोमिक रिसर्च तथा इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च । तथापि वे यह इंगित नहीं कर पाये कि जिन विभिन्न संस्थाओं का उन्होंने उल्लेख किया उनमें क्या वेतनमान अनुमन्य हैं । हमने उन संस्थाओं और परिषदों के कार्य का अध्ययन नहीं किया है जिनका उल्लेख प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में किया था । तथापि हम यह अनुभव करते हैं कि राज्य नियोजन संस्थान के इन प्रभागों का कार्य राज्य योजनाओं की आवश्यकताओं तक सीमित है । किन्हीं भी दो संगठनों की तुलना करना कठिन कार्य है और हम इसे व्यावहारिक भी नहीं मानते कि किसी राजकीय विभाग की तुलना स्वतन्त्र एवं अर्ध स्वतन्त्र शोध संस्थानों से की जाय । हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि इन विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न प्रतिस्थानी पदों की तुलनात्मक अर्हतायें क्या निर्धारित हैं । हम यह महसूस करते हैं कि राज्य नियोजन संस्थान इन प्रभागों के कार्यों की तुलना अर्थ एवं संख्या प्रभाग मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग/तथा विकास अन्वेषण तथा प्रयोग प्रभाग के कार्यों से की जा सकती है । हम इस बात से अवगत हैं कि विभिन्न राजकीय विभागों के सन्दर्भ में ही वेतनमानों में उर्ध्वाधर तथा क्षैतिज सापेक्षताओं पर विचार किया जा सकता है । इन सीमाओं में रहते हुए हमने इस विभाग के विभिन्न पदों की स्थिति का परीक्षण किया है । अधिकारी स्तर पर अधिकतर पद गत पांच वर्षों में सृजित किये गये हैं । इन प्रभागों में विभिन्न संवर्गों के सेवा नियम भी अभी नहीं बने हैं । सेवा नियमों के अभाव में विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों का परीक्षण करना कठिन है । तथापि हमने यह नोट किया है कि मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग में समान पदों के वेतनमान के पैटर्न पर इन प्रभागों में भी संगणक का पद रु0 250–425 के वेतनमान में है । अपनी सामान्य संस्तुतियों के अनुसार हम इस पद के लिये इस शर्त के साथ रु0 470–735 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं कि रिक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जायेंगी । अन्य पदों के वेतनमान अन्यत्र समान पदों पर सामान्यतया अनुमन्य वेतनमानों के अनुसार हैं ।

15.30 हमने इस खण्ड के भाग-2 में विभिन्न पदों के पुनरीक्षित वेतनमान दिये हैं । विभाग में सेवा नियमों के अभाव में हम किसी भी पद पर सेलेक्शन ग्रेड देने का सुझाव देने में असमर्थ हैं ।

अध्याय–सोलह

राजस्व विभाग

राजस्व परिषद्

राजस्व परिषद् राजस्व प्रशासन की उच्चतम इकाई है तथा राज्य सरकार और मण्डलीय/जिला प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है । राजस्व प्रशासन और राजस्व कानून संबंधी सभी मामलों में यह राज्य सरकार को परामर्श देती है । 1947-48 में उसके न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्यों से अलग किये गये थे, परन्तु प्रशासकीय मामलों से सम्बन्धित सदस्यों को कुछ न्यायिक कार्य भी सौंपा गया । सबसे पुरानी प्रशासनिक तथा न्यायिक संस्थाओं में से होने के कारण परिषद् के कार्य-कलाप सर्वविदित हैं । राजस्व परिषद् के संगठनात्मक मुख्य अंग निम्नलिखित हैं :—

(1) राजस्व परिषद् का मुख्यालय कर्मचारिवर्ग

(2) राजस्व परिषद् का लेखा संगठन ।

(3) तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पेशकार अधिष्ठान ।

(4) भूमि अभिलेख अधिष्ठान ।

(5) एकीकृत संग्रह योजना ।

(6) सर्वे एवं भू-अभिलेख प्रशिक्षण संस्था, हरदोई ।

(7) सर्वे एवं भू-अभिलेख अधिष्ठान ।

(8) मंडलायुक्त तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय ।

(9) गवर्नमेन्ट स्टेट्स तथा स्टोन महाल ।

(10) भूमि अध्याप्ति स्टाफ ।

16·2 यद्यपि राजस्व परिषद् के उपरोक्त दस विशिष्ट अंग हैं, तथापि उसके अन्तर्गत स्टाफ को मोटे तौर पर निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है:—

(क) राजस्व परिषद् के अधिकारी

(ख) राजस्व परिषद् मुख्यालय का लिपिक कर्मचारिवर्ग ।

(ग) राजस्व परिषद् के मुख्यालय पर तैनात अन्य कर्मचारिवर्ग ।

(घ) मंडल आयुक्तों के कार्यालयों में तैनात कर्मचारिवर्ग ।

((ङ) जिलों और तहसील स्तर पर तैनात कर्मचारिवर्ग ।

16·3 उपर्युक्त शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर नियुक्त कर्मचारिवर्ग के वेतनमान, भत्ते, प्रोन्नति के अवसर आदि के बारे में हमने इसके पश्चात् विचार किया है ।

16·4 **राजस्व परिषद् के अधिकारी**—राजस्व परिषद् के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के हैं तथा मध्य स्तर के अधिकारी पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) संवर्ग के हैं । अखिल भारतीय सेवायें हमारे विचार क्षेत्र में नहीं हैं और पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) संवर्ग से सम्बन्धित मामलों पर हमने एक पृथक अध्याय में विचार किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी राजस्व परिषद् के मुख्यालय पर नियुक्त हैं:—

(1)	सहायक सचिव	1	वेतनमान रु0 800–1100 में
(2)	रजिस्ट्रार	1	वेतनमान रु0 500–1000 में
(3)	निजी सचिव	3	वेतनमान रु0 500–1000 में

16·5 हमने अध्यक्ष राजस्व परिषद् और सचिव राजस्व परिषद् तथा राजस्व सचिव से विस्तृत विचार विमर्श किया।

16·6 राजस्व परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि निजी सचिवों के पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाये क्योंकि उन्हें प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं । यद्यपि हम यह महसूस करते हैं कि राजस्व परिषद् में निजी सचिवों की कुल संख्या 3 होने के कारण, सेलेक्शन ग्रेड देने अथवा प्रोन्नति का उच्चतर पद सृजित करने का कोई औचित्य नहीं है तथापि हम इस बात से सहमत हैं कि अध्यक्ष राजस्व परिषद् की जिम्मेदारियों को देखते हुए अध्यक्ष से सम्बद्ध निजी सचिव को रु0 50 प्रति मास विशेष वेतन दिया जाय । अधिकारी स्तर पर किसी अन्य पद के वेतनमान में कोई असंगति नहीं है ।

16·7 **मुख्यालय लिपिकीय कर्मचारी वर्ग**—परिषद् में प्रवर वर्ग सहायक, सन्दर्भ सहायक, अवर वर्ग सहायक, टंकक और वैयक्तिक सहायक के वेतनमान सचिवालय में समकक्ष पदों पर अनुमन्य वेतनमानों के समान हैं । राजस्व परिषद् में अधीक्षक और सहायक अधीक्षक के पद, क्रमशः रु0 500–1000, रु0 500–750 के वेतनमान में हैं । परिषद् द्वारा हमें प्रेषित विवरण-पत्र के अनुसार अवर वर्ग सहायक, खजांची और कनिष्ठ नोटर ड्राफ्टर के 33 प्रतिशत पद, सन्दर्भ सहायक के 100 प्रतिशत पद और प्रवर वर्ग सहायक के 33 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते हैं । राजस्व परिषद् में लिपिकीय कर्मचारी वर्ग को सचिवालय के वेतनमान इस शर्त विशेष पर स्वीकृत किये गये थे कि विभिन्न पदों की अर्हतायें और उनकी भर्ती का तरीका आदि सचिवालय के समान होगा । तथापि हमें यह बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पदों का जो प्रतिशत भरा जाना था, वह अभी तक उस तरह नहीं भरा गया है और सभी पदों को नीचे के पदों से प्रोन्नति देकर भरा जा रहा है । अवर वर्ग सहायक के पदों की कुल संख्या 109 है, जबकि लिपिकीय संवर्ग में उच्च पदों की संख्या 167 है । टंकक के पदों की संख्या केवल 24 है। राजस्व परिषद् में अवर वर्ग सहायक के पदों में 33 प्रतिशत पद टंककों की प्रोन्नति के लिये सुरक्षित रखने का कोई औचित्य नहीं है । "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में हमने पहले ही यह संस्तुति की है कि राजस्व परिषद् में अवर वर्ग सहायक के 40 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से

भरे जायें, 35 प्रतिशत पद अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों के लिपिकीय कर्मचारी वर्ग में से सीमित प्रतियोगिता के आधार पर भरे जायं, अर्थात मण्डल आयुक्त और कलेक्ट्रेट कार्यालयों के लिपिकों में से तथा शेष 25 प्रतिशत पद राजस्व परिषद् में कार्यरत टंकक तथा अन्य लिपिकीय कर्मचारियों में से भरे जायं, जो रु0 354–550 और रु0 400–615 के वेतनमान में कार्य कर रहे हों। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रवर वर्ग सहायक के 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायं जैसा कि सचिवालय में होता है।

16.8 वेतन आयोग के समक्ष अपने प्रतिवेदन में राजस्व परिषद् मिनिस्टीरियल आफिसियल्स एसोसियेशन ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

(क) अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के सभी पदों को समाप्त करके तथा सचिवालय के मानक के अनुभाग अधिकारी के पद के अनुसार सृजित करके सचिवालय के आधार पर राजस्व परिषद् के कार्यालय का पुनर्गठन किया जाय।

(ख) राजस्व परिषद् में प्रोन्नति के अवसर नितान्त अपर्याप्त हैं तथा लिपिकीय कर्मचारी वर्ग के प्रोन्नति के अवसर बढ़ाने हेतु निबंधक और अनु सचिव के अतिरिक्त पद बढ़ाये जायं।

(ग) न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद् से सम्बद्ध आशुलिपिकों का वेतनमान अध्यक्ष तथा अन्य प्रशासनिक सदस्य राजस्व परिषद् से सम्बद्ध निजी सचिवों के समान रखा जाय।

16.9 हम महसूस करते हैं कि यद्यपि राजस्व परिषद् के लिपिकीय कर्मचारी वर्ग को सचिवालय में समकक्ष कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान दे दिये गये हैं तथापि दोनों संगठनों के कार्य-कलाप सर्वथा भिन्न हैं। हमारी राय में सचिवालय की संगठन पद्धति राजस्व परिषद् में कार्य को शीघ्र निपटाने और दक्षता के दृष्टिकोण से उचित न होगी। सचिवालय के पैटर्न पर राजस्व परिषद् में बहुत छोटे अनुभागों का इस संगठन की कार्य क्षमता पर, बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न पेचीदा समस्याओं पर जो सन्दर्भ राजस्व परिषद् को भेजे जाते हैं, उन पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाना कठिन हो जायेगा। अतः हम यह महसूस करते हैं कि अधीक्षक, सहायक अधीक्षक पर आधारित वर्तमान पद्धति जिनमें अपेक्षाकृत बड़े अनुभाग हैं, राजस्व परिषद् के सुचारु रूप से संचालन में अधिक उपयुक्त है।

16.10 जहां तक लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के अवसरों का प्रश्न है, हम सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था जैसी कोई संस्तुति करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि यह आधारिक प्रकल्पना अब तक पूर्ण नहीं की गयी है कि प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक के 66 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग की प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा भरे जायेंगे। जहां तक न्यायिक सदस्यों से सम्बद्ध वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान का प्रश्न है, वे रु0 350–700 के वेतनमान में हैं। यही वेतनमान सचिवालय के वैयक्तिक सहायकों को भी अनुमन्य हैं। अतः हम इस व्यवस्था को बदलने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

16.11 राजस्व परिषद् में अधिशासी अभियन्ता से सम्बद्ध आशुलिपिक का एक पद वेतनमान रु0 250–425 में है। अधिशासी अभियन्ता का पद सार्वजनिक निर्माण विभाग के संवर्ग में है। अन्यथा भी अधिशासी अभियन्ता और उसके आशुलिपिक को सार्वजनिक निर्माण विभाग के समकक्ष स्तर के समान माना जाना चाहिए। इसी प्रकार कम्प्यूटर, ड्राफ्ट्समैन, अवर अभियन्ता के पद सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमों तथा विनियमों से शासित होते हैं।

16.12 **परिषद् कार्यालय में अन्य कर्मचारी वर्ग**—लेखा संगठन में मुख्य लेखाकार के 44 पद, लेखाकार के 136 पद, वरिष्ठ लेखा लिपिक के 34 पद, टंकक के 10 पद और चपरासियों के 52 पद हैं। "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में हमने लेखाकार व सहायक लेखाकार आदि की अर्हताएं और वेतनमानों पर विचार किया है। असंगति समिति की संस्तुतियों के आधार पर मुख्य लेखाकार के वेतनमान का उच्चीकरण किया गया था। हम महसूस करते हैं कि इस संगठन में चपरासियों के पदों की संख्या बहुत अधिक है तथा शासन इस पर विचार करना चाहे कि क्या इन्हें घटाया जा सकता है।

16.13 राजस्व परिषद् बन्दोबस्त कार्यकलापों के लिए भी जिम्मेदार है। बन्दोबस्त कार्य के लिए लिपिकीय स्तर पर प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक व टंकक का एक-एक पद है। इन पदों के वेतनमान परिषद् में अनुमन्य इस प्रकार के लिपिकीय अन्य पदों के समान हैं। तथापि नोटर और ड्राफ्टर का एक पद रु0 280–460 के वेतनमान में है और वरिष्ठ लिपिक का एक पद रु0 230–385 के वेतनमान में है। हम यह महसूस करते हैं कि इन पदों को क्रमशः प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक के पदों में उच्चीकृत किया जाय और इन्हें परिषद् में प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायक के पदों पर अनुमन्य वेतनमान दे दिये जायं।

16.14 सहायक प्रतिकर आयुक्त के अधिष्ठान में वरिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक कनिष्ठ लिपिक, सदर कानूनगो तथा चपरासी के एक एक पद हैं। इन पदों के वेतनमान वही हैं, जो सामान्यतया विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में अनुमन्य हैं। यद्यपि यह कार्यालय राजस्व परिषद् परिसर में स्थित है और इस पर राजस्व परिषद् का सामान्य नियंत्रण भी है तथापि यह राजस्व परिषद् अधिष्ठान का अंग नहीं है। इन पदों के वेतनमान सामान्य कोटि के पद के अध्याय में इसी प्रकार के पदों के संबंध में हमारी संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित किये जायेंगे।

16.15 **मण्डल आयुक्त कार्यालय में तैनात कर्मचारी वर्ग**—मण्डलायुक्त अपने मण्डल में सामान्य प्रशासन के पर्यवेक्षण तथा विकास कार्यक्रमों का मार्ग दर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह मण्डल स्तर पर नियुक्त विभिन्न विकास एवं विनियमक विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्यकलापों में समन्वय भी करते हैं। क्षेत्रीय विकास निगम के अध्यक्ष की हैसियत से उनसे नये उद्योगों की स्थापना और अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन करने में सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। राजस्व और अपराधित प्रशासन के मामले में वह कलेक्टर तथा जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस पर सामान्य नियंत्रण रखते हैं और

उनका मार्गदर्शन करते हैं । स्थानीय निकायों के बारे में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है ।

16.16 उत्तर प्रदेश आयुक्त कार्यालय लिपिकीय संघ ने आयोग को प्रस्तुत अपने लिखित और मौखिक प्रतिवेदन में निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(1) आयुक्त कार्यालय के लिपिकीय कर्मचारियों के वेतनमान कलेक्ट्रेट कर्मचारियों से उच्चतर और राजस्व परिषद् के कर्मचारियों के समान होने चाहिए :—

(2) स्टाफ अधिकारी का पद समाप्त कर देना चाहिए और मुख्य सहायक को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए :—

(3) विभिन्न पदों के वेतनमान निम्न प्रकार पुनरीक्षित होने चाहिए :—

पद नाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
	रु0	रु0
1 मुख्य सहायक	450–700	850–1450
2 वरिष्ठ सहायक	280–460	650–1200
3 कनिष्ठ सहायक	230–385	500–850
4 वैयक्तिक सहायक	400–600	650–1200
5 कैम्प सहायक/अतिरिक्त आयुक्त के आशुलिपिक	300–500	500–850
6 नैत्यक लिपिक/टंकक	200–320	450–700
7 मशीन मैन (रोटा प्रेस)	200–320	450–700
8 सहायक मशीन मैन	185–265	350–500
9 फीडर	170–225	325–450
10 चपरासी	165–215	320–440
11 ड्राइवर/जीप ड्राइवर	175–250	340–425
12 बंडल लिफ्टर/दफ्तरी/जमादार	170–225	325–450
13 अर्दली/चपरासी/फर्राश/माली/चौकीदार/पानी वाला/स्वीपर	165–215	320–440
14 पेड अपरेन्टिस	200 (नियत)	350 (नियत)

(4) आयुक्त कार्यालय के कनिष्ठ लिपिकों के लिये नायब तहसीलदार के 5 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायें ।

16.17 आयुक्त कार्यालय में मुख्य सहायक का वेतनमान वही है जो कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक को अनुमन्य है । राज्य सरकार ने दोनों पदों का वेतनमान कदाचित इस दृष्टिकोण से समान रखा कि दोनों पद परस्पर अन्तर स्थानान्तरणीय हैं तथा आयुक्त जैसे उच्च प्रशासनिक कार्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था लाभदायक होती है । तथापि आयुक्त के मुख्य सहायक अपेक्षाकृत उच्च जिम्मेदारी निभाते हैं । अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि उन्हें रु0 50 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाये । इस कार्यालय में रु0 200–320 के वेतनमान में कनिष्ठ लिपिक/सामान्य ग्रेड लिपिकों के कुल 91 पद हैं जबकि इससे उच्च वेतनमान में पदोन्नति के लिये इन सहायकों को लगभग 120 पद उपलब्ध हैं । इस प्रकार आयुक्त के संगठन के लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं ।

16.18 हमारे लिये यह सुझाव मानना सम्भव नहीं है कि इन कार्यालयों में लिपिकीय कर्मचारी वर्ग के वेतनमान जिला कलेक्ट्रेट में उपलब्ध लिपिकीय कर्मचारी वर्ग के वेतनमान से अधिक और राजस्व परिषद् के वेतनमानों के समान होने चाहिए । आयुक्त कार्यालयों की रचना विभागाध्यक्षों के कार्यालयों पर आधारित है । हम इस संगठन के विभिन्न पदों के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाते हैं और न वृद्धिरोध का ही कोई कारण दिखलायी देता है। लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पद सामान्य कोटि के पद हैं और इन पर सामान्य कोटि के पद के अध्याय में चर्चा की गई है । यह प्रस्ताव राजस्व परिषद् को मान्य नहीं है कि नायब तहसीलदार के 5 प्रतिशत पद आयुक्त कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग से भरे जायं । हम भी यह महसूस करते हैं कि सुपरवाइजर कानूनगो तथा अमीन जो नायब तहसीलदार के लगभग 33 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति के लिये अर्ह हैं, स्वयं अपने संवर्गों में वृद्धिरोध का अनुभव कर रहे हैं । साथ ही हमारा यह सामान्य मत भी है कि लिपिकीय कर्मचारि वर्ग को अपने संवर्ग में ही पदोन्नति के अवसर मिलने चाहिए ।

16.19 **कलेक्ट्रेट तथा तहसील लिपिकीय कर्मचारि वर्ग**—कलेक्ट्रेट लिपिकीय कर्मचारि वर्ग में कार्यालय अधीक्षक रु0 450–700 के वेतनमान में, राजस्व सहायक, जुडिशियल सहायक, नाजिर सदर, मुख्य राजस्व लेखाकार, इंगलिश रेकार्ड कीपर/रेवेन्य रेकार्ड कीपर रु0 280–460 के वेतनमान में, बिल लिपिक, आबकारी लिपिक, नायब नाजिर स्थानीय निकाय लिपिक इत्यादि रु0 230–385 के वेतनमान में तथा अन्य पद रु0 200–320 के वेतनमान में हैं जिलाधिकारी के आशुलिपिक रु0 300–500 के वेतन में हैं और अतिरिक्त जिलाधिकारी/परगनाधिकारी के आशुलिपिक रु0 250–425 के वेतनमान में हैं । ये सभी सामान्य कोटि के पद हैं और "सामान्य कोटि पद" के अध्याय में इन पर चर्चा की गयी है ।

16.20 रु0 200–320 के वेतनमान में 4675 पदों के विरुद्ध उच्चतर पदों की संख्या लगभग 1540 है। रु0 200–320 के वेतनमान में विभिन्न लिपिकीय पदों के कार्य-कलापों को देखते हुए, हम यह महसूस करते हैं कि सूट्स क्लर्क, नायब नाजिर, सहायक रेवेन्यू/जुडिशियल सहायक तथा सहायक इंगलिश रेकार्ड कीपर के पद इससे उच्चतर वेतनमान रु0 430–685 में रखे जायें।

16.21 **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व (प्रशासनिक) सेवा**—तहसीलदार, नायब-तहसीलदार और पर्वतीय क्षेत्र के पेशकार इस सेवा में हैं। तहसीलदार के पदों की कुल संख्या 330 है और वह रु0 400—750 के वेतनमान में है। नायब-तहसीलदारों की कुल संख्या 1257 है और वे रु0 300—500 के वेतनमान में हैं। पेशकारों की कुल संख्या 39 है और वे भी इसी वेतनमान में हैं। पेशकार के 4 पद और नायब-तहसीलदार के 84 पद सेलेक्शन ग्रेड में हैं। पेशकार और नायब-तहसीलदार के लगभग दो तिहाई पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा भरे जाते हैं जबकि तहसीलदारों के सभी पद नायब-तहसीलदार, पेशकार और सदर कानूनगो में से लोक सेवा आयोग की अनुमोदन से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

16.22 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व (प्रशासनिक) सेवा संघ ने आयोग के समक्ष अपने लिखित और मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किए :—

(1) प्रदेश में इनकी सबसे पुरानी सेवा है। तहसीलदार का पद सर्वप्रथम 1795 में सृजित किया गया था और शनैः शनैः इसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां बढ़ती रही हैं।

(2) तहसीलदार लगभग 2 करोड़ खातेदारों के राजस्व लेखे का रख-रखाव करते हैं और लगभग 200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अन्य बकायादारों तथा भूधारकों से वसूल करते हैं।

(3) तहसीलदार को प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलेक्टर के राजस्व अधिकार प्राप्त हैं। भूलेखों, राजकीय देयों के संग्रह, चुनाव, जनगणना, प्राकृतिक आपदायें, नागरिक आपूर्ति तथा उपकोषागारों से संबंधित कर्तव्यों के अतिरिक्त वह इक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होता है। कृषि और पशु गणना के कार्य के लिए भी वह जिम्मेदार है।

(4) तहसीलदार के कर्तव्य कठिन परिश्रम युक्त हैं। उसका कार्य क्षेत्र खंड विकास अधिकारी के कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा होता है। कार्यकलापों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में नायब-तहसीलदार/पेशकार की समानता खंड विकास अधिकारी से की जा सकती है।

(5) नायब-तहसीलदार तथा पेशकारों के 15 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाए।

16.23 अध्यक्ष राजस्व परिषद और राजस्व विभाग के सचिव ने आयोग से अपने विचार विमर्श के समय इस बात पर बल दिया कि जिम्मेदारियों और कठिन परिश्रम युक्त कर्तव्यों के संदर्भ में तहसीलदार को श्रेणी--11 में रखा जाना चाहिए तथा किसी भी सूरत में तहसीलदार का वेतनमान खंड विकास अधिकारी या सहायक पशु चिकित्सक से कम रखने का औचित्य नहीं है। हमारे सामने यह भी दलील दी गई कि नायब-तहसीलदार तथा पेशकार के पदों पर पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं और उनमें वृद्धि की जानी चाहिये।

16.24 हम इस बात से अवगत हैं कि तहसीलदार बहुत महत्वपूर्ण और व्यस्त अधिकारी है। तहसील स्तर पर वह बहुत से कार्य करता है तथा आवश्यक वस्तुओं की सम्पूर्ति, थोड़े थोड़े समय पर चुनाव, बाढ़ एवं सूखे के समय शीघ्र राहत पहुंचाने के कार्य के संदर्भ में उस पर नया कार्यभार आ गया है जिसमें समय और शक्ति निहित है। इसी प्रकार संग्रह स्टाफ में भी बहुत बढ़ोत्तरी हो गई है। यह स्पष्ट है कि उसके पद का ह्रास नहीं होना चाहिए। हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि तहसीलदार के पद का महत्व किसी प्रकार भी खंड विकास अधिकारी के पद से कम नहीं है। हम यह भी महसूस करते हैं कि जहां तहसीलदार अपने क्षेत्र में नियमित कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार है, वहां खंड विकास अधिकारी अपने खंड के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। हमारी राय में ये दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे के पूरक हैं।

16.25 हमने तहसीलदार के वेतनमान एवं अन्य परिलब्धियों पर खंड विकास अधिकारी और सहायक पशु चिकित्सक इत्यादि के वेतनमानों एवं परिलब्धियों की समानता के संदर्भ में विचार किया है। 1965 से पूर्व तहसीलदार का वेतनमान रु0 200—400 था तथा खंड विकास अधिकारी का वेतनमान रु0 220—400 था। गत वेतन आयोग की संस्तुतियों के बाद, जिसने तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी को समान वेतनमान संस्तुत किया था, खंड विकास अधिकारी को कुछ वर्ष पूर्व उस वेतनमान के अतिरिक्त रु0 50 प्रति माह विशेष वेतन भी स्वीकृत किया गया। उनके पदों के 10 प्रतिशत पद पहले ही श्रेणी--? में रखे जा चुके हैं तथा बाद में शासन ने सेलेक्शन ग्रेड पदों की संख्या में वृद्धि कर कुल संवर्ग के 50 प्रतिशत पद कर दिया। दोनों संवर्गों में एक मौलिक अन्तर है। तहसीलदारों के शत प्रतिशत पद नायब-तहसीलदार तथा पेशकारों में से भरे जाते हैं जबकि खंड विकास अधिकारी के 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इसका परिणाम यह है कि तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के समय उनकी आयु काफी अधिक होती है जबकि 50 प्रतिशत खंड विकास अधिकारी उस स्तर पर अपना कैरियर प्रारम्भ करते हैं। दूसरी बात यह है कि तहसीलदारों के लिए डिप्टी-कलेक्टरों के संवर्ग में पर्याप्त पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं जबकि खंड विकास अधिकारी के संवर्ग में उच्चतर पदों की संख्या बहुत कम है। इन सब बातों को देखते हुए दोनों पदों के संबंध में अलग अलग विचार आवश्यक है। यह बहुत आवश्यक है कि न तो खंड विकास अधिकारी और न तहसीलदार में कुंठा की भावना पैदा हो। खंड विकास अधिकारी को पर्याप्त पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, अतएव उनका वेतनमान लम्बी अवधि का होना आवश्यक है ताकि वे अपने कैरियर के आरम्भ में ही वृद्धिरोध से ग्रस्त न हों। तहसीलदारों के बारे में इस प्रकार की कोई आशंका नहीं है। कुल परिलब्धियों के संदर्भ में भी तहसीलदारों को निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध है। स्थिति के

उपरोक्त सिंहावलोकन के परिपेक्ष्य में हमने इन दोनों सेवाओं के वेतनमान निर्मित किए हैं ।

16.26 जहां तक नायब-तहसीलदारों के प्रोन्नति के अवसरों का संबंध है, हमने स्थिति का परीक्षण किया है । हम महसूस करते हैं कि नायब-तहसीलदार/पेशकार के संवर्ग में वृद्धि रोध है । अध्यक्ष, राजस्व परिषद् और राजस्व विभाग के सचिव ने इस बात पर बल दिया है कि सेलेक्शन ग्रेड पदों की संख्या में वृद्धि कर नायब-तहसीलदार/पेशकार के संवर्ग में कुल पदों की संख्या का 15 प्रतिशत किया जाए । इस समय नायब-तहसीलदार के 84 पद संवर्ग में कुल स्थाई पदों के 10 प्रतिशत के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड में हैं । अध्यक्ष राजस्व परिषद् ने यह इंगित किया है कि सीधी भर्ती से नियुक्त नायब-तहसीलदार 15-16 वर्ष की सेवा के बाद भी तहसीलदार के पद पर पदोन्नत नहीं हुए हैं । ऐसी परिस्थिति में हम प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव से सहमत होते हुए यह संस्तुति करते हैं कि नायब-तहसीलदार तथा पेशकार के 15 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं और 5 वर्ष बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया जाए । हमने यह नोट किया है कि अमीनों को जब नायब-तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति किया जाता है तो उन्हें भूलेखों, राजस्व नियमों/अधिनियमों तथा उप कोषागारों के कार्य का समुचित ज्ञान नहीं होता है । यह अति आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को नायब-तहसीलदारों के पदों पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाए, उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए । राज्य सरकार इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करना चाहें ।

16.27 **कानूनगो तथा लेखपाल**—मैदानी क्षेत्र में लेखपालों की कुल संख्या 27563 है । लेखपालों का सामान्य वेतनमान रु0 185—265 है और 20 प्रतिशत पद रु0 200—320 के सेलेक्शन ग्रेड में हैं । पर्वतीय क्षेत्र में लेखपाल अपने पुराने पदनाम पटवारी से अब भी जाना जाता है । इनकी संख्या 1069 है । इसे पुलिस और संग्रह अमीन के अधिकार भी होते हैं और वह उच्चतर वेतनमान रु0 200—320 में है । सुपरवाइजर कानूनगो के कुल 1258 पद हैं, जिनमें से 1058 मैदानी क्षेत्र में हैं और 200 पर्वतीय क्षेत्र में हैं । सुपरवाइजर कानूनगो का वेतनमान रु0 250—425 है तथा 34 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा से भरे जाते हैं । भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हता इन्टरमीडिएट है । पद पर चुनाव के बाद-चाहे सीधी भर्ती से तथा चाहे लेखपाल से पदोन्नति से-उसे कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में 15 मास की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है । पदोन्नति हेतु आरक्षित कानूनगो के कुछ पद सर्वे अमीन तथा भूमि अध्याप्ति अमीनों के संवर्ग से भी भरे जाते हैं परन्तु उनकी संख्या कम है । लेखपाल की पदोन्नति सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के 828 पदों और रजिस्टार कानूनगो के [illegible] पदों पर भी होती है । सदर कानूनगो के 57 पद सुपरवाइजर कानूनगो और रजिस्टार कानूनगो के पदों में 3:1 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

16.28 उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने इस बात पर बल दिया कि लेखपालों का वेतनमान उच्चीकृत किया जाए । उनका कहना है कि लेखपाल को हाई स्कूल अर्हता के बाद लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल में एक साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता है । उसके कर्तव्यों में भूलेखों का रख-रखाव, कृषि तथा पशु गणना, जनगणना, चुनाव, गांव पंचायत कार्य, भूमि आवंटन, भूमि अधिकतम सीमा के विवरण-पत्र तैयार करना तथा प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कार्य तथा अन्य कार्य शामिल हैं । उनके मतानुसार उनके कार्य और जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें अन्य ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के अनुमन्य वेतनमान मिलना चाहिए । उन्होंने यह भी मांग की कि उन्हें नायब-तहसीलदार के स्तर तक समुचित पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाएं तथा सुझाव दिया कि सुपरवाइजर कानूनगो के सभी पदों पर और नायब-तहसीलदारों के 17 प्रतिशत पदों पर लेखपालों के संवर्ग में से पदोन्नति दी जाय ।

16.29 पर्वतीय पटवारी महासंघ ने यह निवेदन किया है कि पर्वतीय क्षेत्र में पटवारियों के कार्य मैदानी क्षेत्र के लेखपालों से भिन्न हैं । भूलेख कार्य के अतिरिक्त उन्हें पुलिस कर्तव्यों और संग्रह कार्यों को भी निभाना पड़ता है । इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में सुपरवाइजर कानूनगो भूलेखों के रख-रखाव और राजस्व कार्य के अतिरिक्त पुलिस के सर्किल इन्सपेक्टर के कर्तव्यों का भी निर्वाह करता है । महासंघ ने मांग की कि :—

(क) पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों को पुलिस उप-निरीक्षक से समानता दी जाए ।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र में सुपरवाइजर कानूनगो को पुलिस के सर्किल इन्सपेक्टर से समानता दी जाए ।

(ग) पटवारियों और कानूनगो के साथ सम्बद्ध चपरासियों को कान्सटेबुल के समान रखा जाए ।

16.30 लेखपाल संघ ने हमको यह भी बताया कि भूलेखों के उद्धरण तैयार करने के लिए उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है, अर्थात् 25 पै0 से 50 पै0 प्रति उद्धरण तक मिलता है । उन्होंने इस बात पर भी रोष प्रकट किया कि तहसील मुख्यालय पर रुकने के लिए उन्हें प्रथम दो दिन तक दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता और तीसरे दिन से आगे के दिनों के लिए भी केवल 75 पै0 प्रति दिन दैनिक भत्ता देय है । इसी प्रकार जिला मुख्यालय पर रुकने के लिए भी केवल 75 पै0 प्रति दिन दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

16.31 लेखपाल संवर्ग से संबंधित मुख्य कठिनाई यह है कि उनमें से अधिकतर 1953 में पटवारियों के सामूहिक त्याग-पत्र के बाद नियुक्त किए गए थे । इस श्रेणी के लेखपालों की संख्या लगभग 15000 बताई जाती है । किसी भी तरीके से ऐसी कोई पद्धति नहीं निकाली जा सकती जिससे ऐसी स्थिति में लेखपालों को समय से पदोन्नति मिल सके । हम यह बात मानते हैं कि इस विशेष कठिनाई को छोड़ते हुए भी लेखपालों को प्रोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं । हमें डर है कि 40 या 50 प्रतिशत लेखपालों के पदों पर सेलेक्शन ग्रेड देने पर भी स्थिति में बहुत अधिक सुधार होने की सम्भावना नहीं है । यह देखते हुए कि उन उच्च पदों की संख्या जिन पर लेखपाल को पदोन्नति दी जा सकती है, केवल लगभग 10 प्रतिशत है, हम यह संस्तुति करते हैं कि लेखपालों के 30 प्रतिशत पद इस शर्त के साथ सेलेक्शन ग्रेड में रखे जाएं कि उन्होंने 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर

ली हो । लेखपालों के संबंध में यह संस्तुति पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों पर भी लागू होगी । इस संदर्भ में हम पर्वतीय क्षेत्र के पटवारियों के बारे में अपनी 'अन्तरिम रिपोर्ट' का हवाला देना चाहेंगे जिसमें हमने यह संस्तुति की है कि 20 प्रतिशत पद जिन पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होता उन पर 20 रु0 प्रति मास विशेष वेतन दिया जाए । पर्वतीय क्षेत्र के समस्त सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर भी इसी प्रकार के विशेष वेतन की संस्तुति की गई है । चूंकि अब हम सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च पदों के लिए भिन्न-भिन्न वेतनमान संस्तुत कर रहे हैं, अतः पटवारियों के संबंध में की गई अन्तरिम संस्तुतियां नये वेतनमान लागू होने की तिथि से प्रभावी नहीं रहेंगी । तथापि पर्वतीय क्षेत्र में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो को 20 रु0 प्रति मास विशेष वेतन पूर्ववत् मिलता रहेगा ।

16·32 यद्यपि हमारे विचार से लेखपाल/पटवारी के पद का वेतनमान उच्चीकृत करने का पूर्ण औचित्य नहीं है, हम संस्तुति करते हैं कि :—

(क) खसरा और खतौनी के इन्तखाब के लिए लेखपालों को प्रति इन्तखाब एक रुपया पारिश्रमिक दिया जाए चाहे उसमें खातों की संख्या कुछ भी हो (इसमें कागज का मूल्य भी शामिल है) ।

(ख) जब लेखपालों को तहसील/जिला मुख्यालय पर बुलाया जाय तब उन्हें दैनिक भत्ता उसी दर पर दिया जाए जिस पर उस वेतन स्तर के राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य है । तथा

(ग) पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी तथा सुपरवाइजर के साथ तैनात चपरासियों को निःशुल्क आवास या उसके बदले में मकान किराया भत्ता दिया जाए तथा रु0 10 प्रति मास विशेष वेतन भी दिया जाए ।

16·33 उत्तर प्रदेश कानूनगो संघ ने अपने लिखित एवं मौखिक साक्ष्य में इस बात पर बल दिया कि एक सुपरवाइजर कानूनगो पर 25—30 लेखपालों के कार्य के पर्यवेक्षण और गांव के मानचित्र, भूलेखों के पुनरीक्षण तथा लेखों एवं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत बहुत से कार्य करने की जिम्मेदारी है । भूमि संबंधी विवादों के बारे में स्थानीय जांच, आंकड़ों का संकलन तथा प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाने का कार्य भी उसके कार्यकलापों का अंग है । उनकी मुख्य मांग यह है कि उन्हें भी वही वेतनमान दिया जाए जो दूसरे विभागों के निरीक्षकों को अनुमन्य है तथा 30 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जाएं । प्रशासकीय विभाग ने भी उनकी मांग का समर्थन किया है। हमने स्थिति का परीक्षण किया है । 1258 सुपरवाइजर कानूनगो के पदों के विरुद्ध नायब-तहसीलदार/पेशकार के पदोन्नति से भरे जाने वाले 224 पद उन्हें उपलब्ध हैं जो उनके पदों का लगभग 18 प्रतिशत है । उन्हें कोई सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य नहीं है । 34 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग की लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती की जाती है । जैसा हमने पूर्व में इंगित किया है, यद्यपि पद की न्यूनतम आधारिक अर्हता इन्टरमाडिएट है, पदधारकों को 15 मास का प्रशिक्षण भी पूरा करना पड़ता है । इस समय उनका वेतनमान ड्राफ्टस मैन तथा अन्य विभागों के वर्ग-2 के निरीक्षकों से कम है। सुपरवाइजर कानूनगो एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता है जो अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं अर्थात् लेखपालों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है । उसका कार्य क्षेत्र लगभग विकास खंड के क्षेत्र के बराबर है । उत्तर प्रदेश के भूलेख भारत में सबसे अच्छे माने जाते हैं । उनके माध्यम से आधारभूत कृषि आंकड़े और विभिन्न फसलों आदि के अन्तर्गत उत्पादन के अग्रिम अनुमान उपलब्ध होते हैं । कुछ राज्यों में समान पद को राजस्व निरीक्षक या भूलेख निरीक्षक पदनाम दिया गया है ।

16·34 हम संस्तुति करते हैं कि सुपरवाइजर कानूनगो को रु0 470—735 का वेतनमान स्वीकृत किया जाय । उसका वेतनमान उच्चीकृत करने के अतिरिक्त हम यह भी संस्तुति करते हैं कि और अधिक अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से सुपरवाइजर कानूनगो के 15 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जाएं ।

16·35 रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो-- राज्य में रजिस्ट्रार कानूनगो के 248 पद और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के 826 पद हैं । रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतनमान रु0 230—385 है तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो रु0 200—320 के वेतनमान में हैं । जो लेखपाल पहले से ही रु0 200—320 के वेतनमान में काम करते हुए सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर प्रोन्नत पाते हैं उन्हें 20 रु0 प्रति मास का विशेष वेतन दिया जाता है । सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के सभी पद लेखपालों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तथा रजिस्ट्रार कानूनगो के सभी पद सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । सदर कानूनगो के 25 पद भी रजिस्ट्रार कानूनगो में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

16·36 रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की मुख्य मांग यह है रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतनमान सुपरवाइजर कानूनगो के बराबर होना चाहिए । अध्यक्ष राजस्व परिषद् तथा राजस्व विभाग के सचिव ने भी इस मांग का समर्थन किया । हमने इस मामले को ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है । रजिस्ट्रार कानूनगो का पद तहसील में निश्चित रूप में सबसे महत्वपूर्ण लिपिकीय पद है, भूलेखों से सम्बन्धित सभी लिपिकीय कार्य की जिम्मेदारी तहसीलदार तथा नायब-तहसीलदार की देख-रेख में इन कर्मचारियों की है तथापि हम यह महसूस करते हैं कि सुपरवाइजर कानूनगो और रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों में कुछ मौलिक अन्तर है । रजिस्ट्रार कानूनगो के सभी पद सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के सभी पद शत प्रतिशत लेखपाल में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । दूसरी ओर सुपरवाइजर कानूनगो के 34 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे भरे जाते हैं और पदधारकों को, चाहे वह पदोन्नति द्वारा भर्ती हुए हों अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हों, कानूनगो प्रशिक्षण केन्द्र में 15 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है । अतः हम सिद्धान्ततः दोनों पदों की समानता के विचार से सहमत नहीं हैं । तथापि हमारा यह विचार है कि रजिस्ट्रार कानूनगो के पद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को देखते हुए उसके वेतनमान का उच्चीकरण होना चाहिये । इसलिये रजिस्ट्रार कानूनगो के पद के लिए हम वेतनमान रु0 430—685 की संस्तुति कर रहे हैं । हम सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो

के पद के लिए भी रु0 400—615 के उपयुक्त वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। रजिस्ट्रार कानूनगो के 248 पदों के विरुद्ध सदर कानूनगो के उच्च पदों की संख्या जो उन्हें उपलब्ध है केवल 14 है। हमारी संस्तुति है कि रजिस्ट्रार कानूनगो के 15 प्रतिशत पद सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें।

16.37 **संग्रह कर्मचारी वर्ग**—संग्रह अमीनों के पदों की संख्या 9635 है और उतने ही पद संग्रह चपरासियों के हैं। संग्रह अमीनों के कुल संवर्ग में से 713 पद रु0 230—385 के सेलेक्शन ग्रेड में हैं। राजस्व संग्रह कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन तथा मौखिक साक्ष्य में आयोग के समक्ष यह बात रखी कि संग्रह अमीन को 10000 रु0 का फाइडेल्टी गारेन्टी बान्ड बीमा कम्पनी से लेकर राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होता है और प्रतिमास नकद जमानत के तौर पर उसके वेतन का 10 प्रतिशत काटा जाता है। उसे एक माह में 26 दिन दौरा करना पड़ता है और सप्ताह में एक बार तहसील मुख्यालय पर उपस्थित रहना पड़ता है। उस के पदोन्नति के अवसर नगण्य हैं। नायब-तहसीलदार के केवल 1/18 पदों पर वह पदोन्नति के लिए अर्ह है। लेखन सामग्री भत्ते के रूप में भी उसे केवल रु0 1.50 प्रति माह मिलता है।

16.38 राजस्व कर्मचारी वर्ग के इस प्रभाग की समस्याओं का हमने परीक्षण किया है और निम्नलिखित संस्तुतियां करते हैं :—

(1) अमीनों को लेखन सामग्री भत्ता रु0 1.50 से बढ़ाकर रु0 5 प्रति मास कर दिया जाय।

(2) अमीनों के संवर्ग में वृद्धि देकर 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें।

16.39 संग्रह कर्मचारी वर्ग के वेतनमान इत्यादि में हम कोई अन्य असंगति नहीं पाते। तथापि यह संस्तुति करते हैं कि संग्रह अमीनों के 10 प्रतिशत पद ऐसे संग्रह चपरासियों के लिए आरक्षित किये जायें जिन्होंने हाई स्कूल पास किया हो और जिनका कार्य लगातार 5 वर्ष तक पूर्णरूप से संतोषजनक रहा है।

16.40 जहां तक अमीन और संग्रह चपरासी के नियत यात्रा भत्ता का संबंध है, इस मामले पर संबंधित अध्याय में विचार किया गया है।

16.41 **सर्वे तथा भूलेख प्रशिक्षण संस्थान**—हरदोई में स्थित यह संस्थान राजस्व स्टाफ को सर्वे और भूलेख कार्य का प्रशिक्षण देने वाला अकेला संस्थान है। संस्थान के निदेशक का पद रु0 1400—1800 के वेतनमान में है और उसका धारक स्पेशल ग्रेड पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) अधिकारी है। उप निदेशक के 2 पद रु0 550—1200 के वेतनमान में और सहायक निदेशक के 3 पद रु0 400—750 के वेतनमान में हैं जिन पर तहसीलदार नियुक्त हैं। 8 लिपिकीय पद रु0 200—320 के वेतनमान में हैं। आयोग को प्रस्तुत अपने पत्र में निदेशक ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(1) निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक को क्रमशः रु0 200, रु0 100 तथा रु0 50 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय।

(2) अधिकारियों को वेतन का 20 प्रतिशत प्रतिकर भत्ते के रूप में दिया जाय।

(3) लिपिक पदों में से एक पद का उच्चीकरण किया जाय क्योंकि उसे अपने सामान्य लिपिकीय कार्य के अतिरिक्त मुख्य लिपिक, खजांची, लेखाकार तथा स्टोरकीपर इत्यादि का कार्य भी करना पड़ता है।

16.42 हम इस बात से अवगत हैं कि यह संस्थान राजस्व स्टाफ को सर्वे और भूलेख कार्य का प्रशिक्षण दे कर उपयोगी कार्य कर रहा है। हम महसूस करते हैं कि प्रशिक्षण कार्यों पर जिस कर्मचारी वर्ग को प्रतिनियुक्त किया जाय उसे कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा हम संस्तुति करते हैं कि निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक को क्रमशः रु0 150, रु0 75 तथा रु0 50 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय। निदेशक को विशेष वेतन हम इस आधार पर देने की संस्तुति कर रहे हैं कि प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल के संयुक्त निदेशक को भी इसी प्रकार का विशेष वेतन दिया जाता है।

16.43 हम यह भी संस्तुति करते हैं कि लिपिक का एक पद अगले उच्चतर वेतनमान में उच्चीकृत कर दिया जाय। निदेशक ने संस्थान में बहुत से लिपिकीय एवं अन्य पदों के सृजन का प्रस्ताव किया है। यह मामला वेतन आयोग के विचार क्षेत्र में नहीं है और इस बिन्दु पर हम कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार गुणवागुण के आधार पर इस पर विचार करना चाहें।

16.44 **सर्वे कर्मचारी वर्ग**—सहायक भूलेख अधिकारियों के 8 पद रु0 550—1200 के वेतनमान में हैं तथा सर्वे नायब तहसीलदार के 40 पद रु0 300—500 के वेतनमान में हैं। सर्वे कानूनगो, ड्राफ्ट्समैन, ट्रेसर, लेखपाल और लिपिकीय कर्मचारी वर्ग स्वीकृत पैटर्न के अनुसार नियुक्त हैं। राजस्व परिषद् ने अप्रैल 1980 के अपने पत्र द्वारा वेतन आयोग को सूचित किया है कि इस अधिष्ठान में वेतनमान संबंधी कोई असंगतियां नहीं हैं। राजस्व परिषद् के अध्यक्ष तथा राजस्व विभाग के सचिव ने आयोग के साथ विचार-विमर्श के समय इस बात पर बल दिया है कि रजिस्ट्रार कानूनगो के पद को उच्चीकृत किया जाय। हमने रजिस्ट्रार कानूनगो के वेतनमान के मामले में एक पूर्वप्रस्तर में विचार किया है। रजिस्ट्रार कानूनगो को अनुमन्य वेतनमान सर्वे कानूनगो और पेशी कानूनगो को भी दिया जाय।

16.45 भूमि अध्याप्ति अधिष्ठान—इस प्रभाग में मुख्यालय पर कुछ पद विशेष कार्याधिकारी के और लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के हैं। लिपिकीय वर्ग के कुछ पद स्थायी आधार पर कुछ जिलों में हैं। कई वृहत् परियोजनाओं जैसे शारदा सहायक, विकास प्राधिकरण, नगर पालिकाएं, महापालिकाएं और आवास तथा विकास परिषद् इत्यादि के कार्य करने हेतु भूमि अध्याप्ति कार्य के लिए बहुत सी इकाइयां हैं। इन इकाइयों में कर्मचारिवर्ग राजस्व विभाग के समरूप कर्मचारिवर्ग में से लिया जाता है और उनके वेतनमान भी समान हैं। अतः हम इन इकाइयों में कर्मचारिवर्ग के बारे में पदवार अलग से विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। राजस्व विभाग में समरूप स्तर पर नियमित कर्मचारिवर्ग के लिए हमारी संस्तुतियां इन इकाइयों में तैनात कर्मचारिवर्ग पर भी लागू होंगी।

16.46 हमारे सम्मुख यह प्रश्न उठाया गया है कि विशेष कार्यों पर तैनात तहसीलदारों को विशेष वेतन स्वीकृत किया जाय । तहसील में प्रभारी के रूप में तैनात तहसीलदार को निःशुल्क आवास की सुविधा मिलती है तहसील में तैनात होने पर वह अपना सामान्य तहसील का कार्य करता है । जब उसे विशेष कार्यों में तैनात किया जाय तो उसे कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । अतः हम संस्तुति करते हैं कि विशेष कार्यों पर तैनात होने पर तहसीलदारों को रु0 50 प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाय ।

गवर्नमेन्ट स्टेट्स तथा स्टोन महाल

16.47 इस प्रभाग में तैनात कर्मचारिवर्ग राजस्व परिषद् के अन्य प्रभागों में ऐसे ही पदों के पैटर्न पर हैं और उनके वेतनमान और भर्ती का तरीका भी समान है । इस प्रभाग में विभिन्न पदों के लिए हम अलग से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं ।

16.48 प्रशिक्षित अध्यापकों के 29 पद रु0 175—250 के वेतनमान में हैं तथा 15 पद अप्रशिक्षित अध्यापकों के हैं । इस कर्मचारिवर्ग के बारे में हम अलग से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं । प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की समरूप पदों पर अनुमन्य वेतनमान इस कर्मचारिवर्ग पर भी लागू होंगे । राज्य सरकार इन स्कूलों को शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित करने पर विचार करें ।

चकबन्दी आयुक्त कार्यालय

16.49 राज्य में उत्तर प्रदेश चकबन्दी जोत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत जोतों की चकबन्दी का कार्य किया जा रहा है । आयुक्त के स्तर का एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी विभागाध्यक्ष के पद पर है और वह चकबन्दी जोत अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी निदेशक के कर्तव्यों का पालन करता है । वह चकबन्दी संगठन का सर्वोच्च अधिशासी और न्यायिक अधिकारी है और चकबन्दी जोत अधिनियम के कार्यान्वयन को जिम्मेदारी उस पर है । उसकी सहायता के लिए कई संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य अधिकारी हैं । संयुक्त निदेशकों में से एक वरिष्ठ वेतनमान का आई0 ए0 एस0 अधिकारी है तथा शेष अधिकारी पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) संवर्ग से लिए जाते हैं । 1-4-74 और 1-4-79 को विभिन्न श्रेणी के कुल पदों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

पदों की कोटि	1-4-74 को पदों की संख्या	1-4-79 को पदों की संख्या
समूह 'क'	6*	6*
समूह 'ख'	391	355
समूह 'ग'	5311	4569
समूह 'घ'	16846	10130
अन्य	3	3

*टिप्पणी—इसमें आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के 2 पद शामिल नहीं हैं ।

16.50 क्षेत्रीय स्तर पर चकबन्दी कार्य की जिम्मेदारी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) की है । जिला अधिकारी पदेन उप निदेशक चकबन्दी के रूप में उसके कार्य की देख-रेख करता है । पूर्णकालिक संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक (चकबन्दी) चकबन्दी के कार्य की मुख्य रूप से देख-रेख करते हैं । वह बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध निगरानी भी सुनते हैं । बन्दोबस्त अधिकारी के नीचे इस श्रेणी क्रम में चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दीकर्ता एवं लेखपाल हैं । बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के अन्तर्गत स्टाफ की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि चकबन्दी इकाई का क्षेत्रफल और गाटों की संख्या क्या है । सारणीकरण कार्य के लिए अलग कर्मचारिवर्ग हैं ।

16.51 सहायक चकबन्दी अधिकारी संघ ने आयोग के समकक्ष अपने प्रतिवेदन और मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित मुख्य सुझाव रखे :—

(1) इस समय चकबन्दी अधिकारियों के संवर्ग में वृहत् वृद्धिरोध है यहां तक कि जो अधिकारी 1959 में और उसके बाद चकबन्दी अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए थे वे अब भी उसी पद पर कार्य कर रहे हैं । इसी प्रकार 1959 से पूर्व भर्ती हुए 125 सहायक चकबन्दी अधिकारी अभी तक अगले उच्च पद पर प्रोन्नत नहीं हुए हैं ।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी के पद क्रमशः नायब तहसीलदार तथा तहसीलदारों के पदों के समकक्ष हैं परन्तु तहसीलदारों के पदोन्नति के अवसर कहीं अधिक हैं और तुलनीय ज्येष्ठता के तहसीलदार काफी समय पूर्व उच्च पदों पर पदोन्नत किये जा चुके हैं ।

(3) बन्दोबस्त अधिकारियों के सभी पद चकबन्दी अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं ।

(4) सहायक निदेशक चकबन्दी के दृष्टांतर बन्दोबस्त अधिकारियों को भी रु0 180 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय ।

(5) उप निदेशक और संयुक्त निदेशक चकबन्दी के सभी पद जो इस समय पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) संवर्ग से भरे जाते हैं चकबन्दी अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं ।

(6) सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का जो पद इस समय रु0 450—950 के वेतनमान में है उसे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी न्यायिक) का पद नाम दिया जाय और रु0 550—1200 के वेतनमान में रखा जाय।

(7) जो अधिकारी 10 वर्ष से प्रोन्नत न किया गया हो उसे सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।

16.52 विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित बिन्दु मुख्य रूप से उठाये गये हैं :

(1) लेखपाल और ट्रेसर के लिये कोई पदोन्नति के अवसर नहीं हैं । वह सब कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय ।

(2) ट्रेसर को वही वेतनमान दिया जाय जो लेखपाल को अनुमन्य है ।

(3) चकबन्दी विभाग के लेखपाल का वेतनमान ग्राम सेवक के बराबर रखा जाय ।

(4) चकबन्दी विभाग में चकबन्दीकर्ता का वेतनमान सुपरवाइजर कानूनगो के वेतनमान से कम है । यह दोनों पद एक ही वेतनमान में होने चाहिए क्योंकि चकबन्दी कर्ता और कानूनगो के कर्तव्य समान हैं ।

(5) चकबन्दी विभाग में लेखपाल को राजस्व परिषद् के अंतर्गत लेखपालों के समान नियत यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए और उनका लेखन सामग्री भत्ता भी 50 पैसे प्रतिमास से बढ़ाकर रु0 5 प्रतिमास किया जाना चाहिए ।

16·53 राजस्व विभाग ने अपने पत्र में यह संस्तुति की है कि चकबन्दी विभाग के ट्रेसर और लेखपाल दोनों को ही रु0 185–265 के वेतनमान में रखा जाय और दोनों संवर्गों के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय । विभाग ने यह भी संस्तुति की है कि चकबन्दीकर्ता को वही वेतनमान दिया जाय जो सुपरवाइजर कानूनगो को अनुमन्य है ।

16·54 चकबन्दी आयुक्त एवं विभिन्न सेवा संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर हमने चकबन्दी आयुक्त तथा सचिव राजस्व विभाग से विस्तृत विचार विमर्श किया । इस बारे में आम सहमति प्रतीत होती है कि चकबन्दी कार्य में पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) अधिकारियों को पूर्ववत लगाये रखना चाहिए । राज्य सरकार चकबन्दी के कार्य को प्राथमिकता देती है । यह उचित न होगा कि चकबन्दी के कार्य को सामान्य राजस्व विभाग से असम्बद्ध कर दिया जाय । विभाग में लेखपालों के 5376 पद रु0 185–265 वेतनमान में चकबन्दीकर्ता के 1627 पद रु0 230–385 के वेतनमान में, सहायक चकबन्दी अधिकारी के 800 पद रु0 300–500 के वेतनमान में और चकबन्दी अधिकारी/रेक्टीफ़िकेशन अधिकारी के 233 पद रु0 400–750 के वेतनमान में हैं । 1960 से चकबन्दी कर्ता अथवा सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति नहीं हुई है । प्रशासनिक विभाग द्वारा जो विवरण पत्र हमें भेजा गया है, उससे यह विदित होता है कि अब किसी भी स्तर पर सीधी भर्ती नहीं हो रही है और चकबन्दी कर्ता से लेकर सहायक निदेशक तक जो चकबन्दी स्टाफ के लिये आरक्षित हैं के पदों को पदोन्नति द्वारा ही अगले निम्न पदों में से भरा जा रहा है । सहायक निदेशक और बन्दोबस्त अधिकारी के पदों के अतिरिक्त रु0 450–950 के वेतनमान में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के 30 पद हैं । बन्दोबस्त अधिकारी और सहायक निदेशक चकबन्दी के 50 प्रतिशत पद नीचे के चकबन्दी पदों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

16·55 चकबन्दी विभाग में चकबन्दी कर्ता लगभग 3.3 लेखपालों के कार्य को देखभाल करता है, जबकि राजस्व परिषद् में सुपरवाइजर कानूनगो को लगभग 27 लेखपालों के कार्य की देख-रेख करना पड़ता है । चकबन्दी कर्ता का कार्य क्षेत्र भी बहुत छोटा है । हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं कि चकबन्दी कर्ता का वेतनमान बढ़ाकर सुपरवाइजर कानूनगो के बराबर होना चाहिए विशेष कर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वृहत क्षेत्र और अधिक अधीनस्थ कर्मचारियों की देख-रेख के अतिरिक्त सुपरवाइजर कानूनगो एक बहुधन्धी कार्यकर्ता है जो भूलेखों तथा चुनाव प्राकृतिक आपदायें तथा जांच संबंधी प्रशासनिक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार है । तथापि हम चकबन्दीकर्ता के लिए एक उपयुक्त वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं । उपरोक्त इंगित परिस्थितियों में सामान्य तौर पर वृद्धिरोध का अवसर नहीं होना चाहिए तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये और इन पदों से चकबन्दी अधिकारी और बन्दोबस्त अधिकारी के पदों पर तीव्रता से पदोन्नति हुई और एक ही आयुवर्ग के अधिकारी थोड़े-थोड़े समय के बाद चकबन्दी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये गये । इसके परिणामस्वरूप 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा के अधिकारी अब भी चकबन्दी अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं । सम्पूर्ण स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद हम निम्नलिखित संस्तुतियां करते हैं :

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी के 50 प्रतिशत पद भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायं ।

(2) चकबन्दी अधिकारियों के 15 प्रतिशत पद और सहायक चकबन्दी अधिकारी के 10 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं ।

16·56 हम आशुलिपिक, ट्रेसर, लिपिकीय कर्मचारिवर्ग, ड्राफ्ट्समैन, ड्राइवर और चपरासियों आदि के संबंध में कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह सामान्य कोटि के पद हैं और "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में की गई संस्तुतियां इन पदों पर लागू होंगी ।

16·57 चकबन्दी आयुक्त ने इस बात पर बल दिया कि चकबन्दी विभाग में तैनात पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर विशेष वेतन मिलना चाहिये । हमने विशेष वेतन के अध्याय में इस मामले पर चर्चा की है । राजस्व परिषद् के अन्तर्गत लेखपालों के यात्रा भत्ता और लेखन सामग्री भत्ता दिये जाने सम्बन्धी हमारी संस्तुतियां चकबन्दी विभाग के लेखपालों पर भी स्वतः लागू होंगी ।

गजेटियर विभाग

16·58 जिला गजेटियरों का पुनरीक्षित तथा राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य गजेटियरों को तैयार करने की जिम्मेदारी इस विभाग को सौंपी गई है । राज्य सम्पादक के पद पर वरिष्ठ वेतनमान का आई0 ए0 एस0 अधिकारी नियुक्त है । उसकी सहायता के लिए 3 सम्पादक के पद पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) के वरिष्ठ वेतनमान (800–1450) के अधिकारियों के हैं । रु0 400–750 के वेतनमान में कम्पाइलर के 22 पद तथा रु0 450–850 के सेलेक्शन ग्रेड में कम्पाइलरों के 2 पद हैं । टीम लीडर के 3 पद रु0 400–750 के वेतनमान में, 40 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन सहित भी दिये हैं । वैयक्तिक सहायक, सहायक अधीक्षक, प्रवर वर्ग सहायक, अवरवर्ग सहायक तथा आशुलिपिक आदि के पद भी हैं ।

16·59 उत्तर प्रदेश गजेटियर्स कम्पाइलिंग स्टाफ एसोसियेशन ने अपने ज्ञापन और मौखिक साक्ष्य में आयोग के समक्ष निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत किये :–

(1) उनके कार्य तथा अर्हता को देखते हुए कम्पाइलेशन अधिकारियों को डिग्री कालेज के प्रवक्ता के समान माना जाना चाहिए और उन्हें रु0 700–1600 के वेतनमान में रखा जाय ।

(2) टीम लीडर के पद को उच्च जिम्मेदारी का पद माना जाय और उसे कम्पाइलेशन अधिकारी के वेतनमान की तुलना में उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

16.60 राज्य सम्पादक ने यह सुझाव दिया कि हरियाणा और पंजाब में प्रतिरूप पदों के वेतनमान के पैटर्न दर की तरह उत्तर प्रदेश में भी कम्पाइलेशन अधिकारी को रु0 700–1600 के वेतनमान में रखा जाय ।

(2) विभाग के टंककों को रु0 20 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय ।

(3) राज्य सम्पादक संबद्ध आशुलिपिक को सचिवालय अधिकारियों के वैयक्तिक सहायक के समान रु0 350–700 के वेतनमान में रखा जाय और उसे रु0 20 प्रतिमास विशेष वेतन भी दिया जाय ।

16.61 कम्पाइलेशन अधिकारियों के अपर्याप्त पदोन्नति के अवसर के बारे में हमने राजस्व विभाग के सचिव तथा राज्य सम्पादक से विस्तृत विचार-विमर्श किया । इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया गया कि टीम लीडर के 3 पद जो इस समय कम्पाइलेशन अधिकारी के वेतनमान में हैं, उन्हें उससे उच्चतर वेतनमान में रखा जाय, क्योंकि टीम-लीडर कम्पाइलेशन अधिकारी के काम की देख-रेख करते हैं । हमारे सामने यह भी कहा गया कि सेलेक्शन ग्रेड के दो पद और टीमलीडर के 3 पदों को छोड़कर कम्पाइलेशन अधिकारियों के लिए पदोन्नति के और कोई अन्य अवसर नहीं हैं ।

16.62 कम्पाइलेशन अधिकारी के पद के लिये निर्धारित आधारिक न्यूनतम अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री है। कम्पाइलेशन अधिकारी के काम की तुलना विश्वविद्यालय के प्रवक्ता से नहीं की जा सकती, क्योंकि विश्वविद्यालय के प्रवक्ता को बिल्कुल भिन्न प्रकार का कार्य करना पड़ता है और उसकी सामान्य शैक्षिक अर्हता पी0 एच0 डी0 डिग्री है । इस समय इनका वेतनमान इण्टरमीडिएट कालेज के प्रवक्ताओं के समान है जिनकी अर्हताएं भी समान हैं और जिनका कार्य किसी प्रकार भी कम्पाइलेशन अधिकारियों से कम परिश्रम साध्य नहीं है । गजेटियर के प्रकाशन की जिम्मेदारी राज्य सम्पादक और सम्पादकों की है । कम्पाइलेशन अधिकारी का मुख्य कार्य विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करना, उनका संकलन करना और उनकी परितुलना करना है तथापि हम इस बात से सहमत हैं कि उनके पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं । हम इस बात से भी सहमत हैं कि यह संस्तुति इनके कार्य की आवश्यकता और विभाग के सक्षम संचालन के संदर्भ में, टीम लीडर के पद उच्चतर वेतनमान में होने चाहिए उचित प्रतीत होती है । अतः हमारी संस्तुति निम्न प्रकार है :-

(1) कम्पाइलेशन अधिकारियों के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें ।

(2) टीम लीडर के पदों को रु0 770–1420 के उच्चतर वेतनमान में रखा जाय ।

(3) राज्य सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या सम्पादक का एक पद कम्पाइलेशन अधिकारियों में से भरना उचित होगा ।

16.63 हमने अन्य पदों की स्थिति का अध्ययन किया है । इस संगठन के विभिन्न पदों के पुनरीक्षित वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड, जहां भी आवश्यक थे, इस खण्ड के भाग 2 में इंगित किये गये हैं ।

वक्फ आयुक्त संगठन

16.64 इस संगठन के शीर्ष अधिकारी वक्फ आयुक्त हैं । तथापि सार्वजनिक लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष अपने कार्य के अतिरिक्त इस पद का कार्य भी देखते हैं । उनके अधीन मुख्यालय पर एक उपायुक्त वक्फ तथा अन्य लिपिकीय कर्मचारिवर्ग हैं । 24 जिलों में जिला स्तर पर वरिष्ठ वक्फ निरीक्षक, वक्फ निरीक्षक तथा अधीनस्थ लिपिकीय एवं समूह 'घ' के कर्मचारिवर्ग हैं । वक्फ आयुक्त ने अपने पत्र में आयोग को सूचित किया है कि उक्त संगठन में सभी पद सामान्य कोटि के पद हैं और उनके वेतनमान अन्य विभागों में समरूप पदों के वेतनमानों के समान हैं ।

16.65 हमने भी स्थिति का अध्ययन किया है । इस संगठन में मुख्य वक्फ निरीक्षक, वरिष्ठ वक्फ निरीक्षक, और वक्फ निरीक्षक के अतिरिक्त अन्य सब पद सामान्य कोटि के पद हैं । तथापि इन पदों के वेतनमान भी अन्य विभागों के समकक्ष कर्मचारियों के वेतनमान के समान हैं । इस संगठन की स्थापना 1977 में हुई और 1979-80 में इसका सुदृढ़ीकरण किया गया । अतः वृद्धिरोध इत्यादि का प्रश्न यहां नही है । इस संगठन में विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग 2 में दिये गये हैं ।

अध्याय सत्रह

सहायता एवं पुनर्वास विभाग

यह विभाग वर्ष 1947 में पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के पुनर्वासन के लिए स्थापित किया गया था और इसके कार्यकलाप धीरे-धीरे कम होते रहे हैं और अब केवल पूर्व में स्थापित कुछ संस्थाओं की देख-भाल तक ही सीमित हैं। विभाग में कुल स्टाफ 109 कर्मचारियों का है जिसमें 35 समूह 'घ' के पद शामिल हैं।

17.2 सहायता एवं पुनर्वास कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन/मौखिक साक्ष्य में यह निवेदन किया कि वेतन अभिनवीकरण समिति (1964-65) और वेतन आयोग (1971-73) ने कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज किया जो कि शरणार्थियों की सहायता तथा पुनर्वासन एवं संपत्ति के प्रबन्ध में लगे हुए हैं उन्होंने मांग की कि :–

(क) सहायता एवं पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों को निदेशालय स्तर का स्टाफ माना जाना चाहिए,

(ख) रु0 325-575 के लेखाकार के पद को कृषि विभाग और हरिजन कल्याण विभाग तथा सचिवालय के उसी प्रकार के पदों से समता (रु0 350-700) मिलनी चाहिए,

(ग) पुनर्वास निरीक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, स्टोर कीपर तथा रिकार्ड कीपर (वेतनमान रु0 230-385) को विभिन्न विभागों के निरीक्षकों से विशेषकर खाद्य तथा रसद विभाग के ज्येष्ठ हाट निरीक्षक से (वेतनमान रु0 325-575) समता मिलनी चाहिए।

(घ) वेतनमान रु0 280-460 में कृषि निरीक्षक के पद को रु0 350-700 का वेतनमान मिलना चाहिए,

(ङ) वेतनमान रु0 175-250 के अमीनों को वेतनमान रु0 200-320 में रखा जाना चाहिए,

(च) अन्य पदों के लिए वही वेतनमान मिलना चाहिए जो अन्य निदेशालयों में उसी प्रकार के पदों के लिए अनुमन्य हैं,

(छ) चूंकि प्रोन्नति के अवसर नहीं हैं, अतः प्रत्येक स्तर पर 50 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिए।

17.3 संघ ने विभिन्न पदों के लिए जो वेतनमान प्रस्तावित किये वे नीचे तालिका में दिये गये हैं :–

क्रम सं0	पद नाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित आधारिक वेतनमान
1	2	3	4
		(रु0)	(रु0)
1	लेखाकार	325-575	350-700
2	पुनर्वास निरीक्षक	230-385	325-575
3	रिकार्ड कीपर/कनिष्ठ लेखाकार/स्टोर कीपर	230-385	325-575
4	लेखा लिपिक/लिपिक/टंकक/सामाजिक कार्यकर्ता	200-320	230-385
5	कृषि निरीक्षक/	280-460	350-700
	कृषि पर्यवेक्षक	230-385	280-460
6	अमीन	175-250	200-320
7	ड्राइवर	175-250	जैसा कि अन्य विभागों के लिए स्वीकृत है।
8	साइक्लोस्टाइल आपरेटर/मेकैनिक/ट्यूबवेल आपरेटर	170-250	तदैव
9	चपरासी/अर्दली/चेनमैन/चौकीदार	165-215	तदैव

17.4 सचिव, सहायता एवं पुनर्वास विभाग भी हमारे सामने उपस्थित हुए और यह बताया कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को 30 प्रतिशत स्टाफ प्रतिवर्ष कम करने का निर्देश दिया है। सचिव, सहायता एवं पुनर्वास को यह इंगित किया गया कि कुल स्टाफ को देखते हुए समूह 'घ' के कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक मालूम पड़ रही है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की सहमति दी है। उन्होंने विशेष रूप से पुनर्वास निरीक्षक का वेतनमान अन्य विभागों के निरीक्षकों के समान रु0 230-385 से बढ़ाकर रु0 280-460 करने पर बल दिया।

17.5 इस अधिष्ठान में चिकित्सा अधिकारी के दो पद, कम्पाउन्डर के दो पद, मिडवाइफ के दो पद तथा हेल्थ विजिटर का एक पद है। वे चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। हम यहां इनके वेतनमान के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उसी प्रकार के पदों के लिए की गई संस्तुतियों से शासित होंगे। इसी प्रकार का एक पद सहायक अभियन्ता तथा एक पद अवर अभियन्ता का है। इन पदों के पदधारी अभियन्त्रण विभागों से प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे उन विभागों के संबंध में की गई संस्तुतियों से शासित होंगे।

17.6 पुनर्वास निरीक्षक का वेतनमान रु0 230-385 है। हमें पूर्व में भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1974 में पदों की संख्या 22 थी जो घटकर अब 12 रह गई है। रु0230-385 का वेतनमान इस पद के लिए सम्भवतः इसलिए स्वीकृत किया गया था कि इस पद के लिए निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट है। 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद विभाग के नीचे के स्टाफ में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस पद की अर्हता, कार्य की प्रकृति और भर्ती के तरीके देखते हुए हम इस पद

को उच्चीकृत करने का कोई औचित्य नहीं पाते । सचिव सहायता तथा पुनर्वास ने इस बात पर भी बल दिया कि उनके लिए प्रोन्नति के लिए कोई अवसर नहीं है और उनकी यह उचित शिकायत है । इसलिए हम संस्तुति करते हैं कि पुनर्वास निरीक्षक के 30 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय ।

17.7 हमने इस विभाग के अमीन तथा नलकूप चालक के पदों की अर्हता तथा उत्तरदायित्व की प्रकृति का भी परीक्षण किया है । अमीन के लिए शैक्षिक अर्हता केवल जूनियर हाई स्कूल है और उसका कार्य अपेक्षाकृत सीमित है । इसलिए इसके वेतनमान को उच्चीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । इस विभाग के नलकूप चालक का कार्य कृषि फार्म तक सीमित है और इसकी तुलना सिंचाई विभाग के नलकूप चालक से नहीं की जा सकती, जिसके कार्य विभिन्न प्रकृति के हैं ।

17.8 हमारे सामने इस बात पर भी बल दिया गया कि कृषि पर्यवेक्षक का वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए । हमने इस पद की अर्हताओं तथा इस समय अनुमन्य वेतनमान का परीक्षण किया है जो कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक के समान है । इसलिए हम वेतनमान के बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं समझते ।

17.9 सचिव, सहायता एवं पुनर्वास ने हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि यद्यपि यह विभाग अस्थाई है यहां के पदधारी जो काफी लम्बी अवधि से सेवा में हैं उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए । इस संबंध में उन्होंने यह भी इंगित किया कि कुछ पद शासन द्वारा पहले स्थाई किये जा चुके हैं । यह ऐसा मामला है जो वेतन आयोग के विचार क्षेत्र में नहीं है और शासन को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए । जहां तक हमें ज्ञात है विभाग के अस्थाई होने के बावजूद पदों के स्थाई किये जाने में कोई रोक नहीं है ।

17.10 हम सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार, कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक, टंकक, ड्राइवर तथा समूह 'घ' के पदों के बारे में यहां अलग से विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर सामान्य कोटि के पदों से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है ।

17.11 हमने पुनरीक्षित वेतनमान तथा आवश्यकतानुसार सेलेक्शन ग्रेड इस खण्ड के भाग–2 में इंगित किये हैं।

अध्याय अट्ठारह

खाद्य तथा रसद विभाग

विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या दिनांक 1-4-74 तथा 1-4-79 को निम्न प्रकार थी :–

	1-4-74	1-4-79
(1) समूह "क"	23	25
(2) समूह "ख"	252	227
(3) समूह "ग"	5743	5221
(4) समूह "घ"	1450	1218

18.2 खाद्य तथा रसद विभाग का कार्य निम्नलिखित से संबंधित है :–

(क) आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की शासन की नीति,

(ख) उत्पादकों को मूल्य समर्थन (प्राइस सपोर्ट) देने के लिए खाद्यान्न की वसूली करना तथा आवश्यकतानुसार अभाव की स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रतिरोधक (बफर) स्टाक कायम रखना, और

(ग) कीमतों के चढ़ाव-उतार पर निगाह रखना तथा कानून के अनुसार कार्यवाही करना ।

18.3 खाद्य आयुक्त की सहायता के लिए मुख्य हाट अधिकारी, क्षेत्रीय हाट अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो खाद्यान्न की वसूली तथा संचरण में सहायता करते हैं । नागरिक आपूर्ति के संबंध में उनकी सहायता के लिए उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) कुछ बड़े शहरों में और जिला पूर्ति अधिकारी/नगर खाद्य अधिकारी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अन्य अधीनस्थ स्टाफ के साथ उपलब्ध हैं।

18.4 बांट तथा माप के संबंध में राज्य में दशमलव प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप बांट तथा माप का एक अलग विभाग सृजित किया गया था, जिसके विभागाध्यक्ष नियंत्रक, बांट तथा माप हैं । राज्य में आवश्यक वस्तुओं के संचरण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, निदेशक, संचरण खाद्य आयुक्त की सहायता करता है ।

18.5 विभाग के सेवा संघों ने निम्नलिखित मांगें/सुझाव आयोग के सामने प्रस्तुत किये । इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

(क) उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद राजपत्रित अधिकारी संघ

(1) क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को रु0 350–700 का वेतनमान दिया गया है जबकि उन्हें तहसीलदार और खण्ड विकास अधिकारी के बराबर रु0 400–750 का वेतनमान मिलना चाहिए था,

(2) जिला पूर्ति अधिकारी/नगर खाद्य अधिकारी का वेतनमान इस समय अनुमन्य रु0 450–950 के स्थान पर रु0 550–1200 होना चाहिए था,

(3) बिक्री-कर तथा परिवहन विभागों में प्रारम्भ में इसी सेवा के अधिकारी नियुक्त किये जाते थे परन्तु बाद में इन विभागों ने अपने अधिकारियों की व्यवस्था कर ली जो रु0 550–1200, रु0 800–1450 तथा रु0 1400–1800 के वेतनमान में रखे गये परन्तु जिला पूर्ति अधिकारियों को इस प्रकार के प्रोन्नति के अवसर नहीं मिले । इसी प्रकार जुडीशियल मजिस्ट्रेट जो पहले रु0 300 प्रतिमास के नियत वेतन पर नियुक्त हुए थे उन्हें बाद में रु0 550–1200 का वेतनमान दिया गया परन्तु यह सेवा इन वेतनमानों से वंचित रही,

(4) वेतन आयोग (1971–73) ने संस्तुति की थी कि जिला पूर्ति अधिकारी/नगर खाद्य अधिकारी के 46 पदों में से 25 पदों को रु0 550–1200 के वेतनमान में रखा जाय परन्तु यह संस्तुति भी अभी तक कार्यान्वित नहीं की गयी है,

(5) जिला पूर्ति अधिकारी तथा सहायक आयुक्त के पद अब भी रु0 650–1300 के वेतनमान में हैं यद्यपि वित्त एवं लेखा सेवा तथा उद्योग विभाग में उनके तत्स्थानी पदों को रु0 800–1450 का वेतनमान दिया गया है, और

(6) हमारे सामने अपने साक्ष्य में संघ के प्रतिनिधियों ने यह मांग की कि बड़े नगरों में अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) के पद पर पी0 सी0 एस0/आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के स्थान पर उन्हें रु0 800–1450 के उच्चतर वेतनमान में नियुक्त होना चाहिए और क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक का पद उनके संवर्ग में प्रोन्नति के पद के रूप में होना चाहिए । उन्होंने प्रोन्नति के अधिक अवसर तथा सचिवालय स्तर पर प्रतिनिधित्व की मांग की ।

(ख) उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद अराजपत्रित कर्मचारिसंघ

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धुलाई भत्ता रु0 1.50 प्रति माह से बढ़ाकर रु0 6 प्रति माह करना चाहिए ।

(2) खाद्य तथा रसद विभाग के सभी कर्मचारियों को रु0 75 प्रतिमाह का मोटर साइकिल भत्ता अनुमन्य होना चाहिए ।

(3) विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमान स्वीकृत किये जाने चाहिए :–

15 सा0 (वित्त)--1981—24

क्रम सं0	पद नाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
		(रु0)	(रु)
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	165-215	410-600
2	कामदार	170-225	415-625
3	ड्राइवर	175-250	420-650
4	लिपिक चतुर्थ श्रेणी/नैत्यक/कनिष्ठ	200-320	450-700
5	आशुलिपिक/ज्येष्ठ	250-425	550-775
	लेखा लिपिक/लेखाकार/लिपिक श्रेणी-3 एवं 2/कम्प्यूटर/आलेखक-प्रालेखक	230-385	
6	मुख्य लिपिक, बांट तथा मांप/आपूर्ति लेखाकार	280-460 250-425	600-800
7	निरीक्षक, खाद्य तथा रसद आपूर्ति/बांट तथा माप	280-460	600-800
8	मुख्य लेखाकार/मुख्य लिपिक/आशुलिपिक	300-500	625-850
9	ज्येष्ठ संपरीक्षक	350-700	725-950
10	ज्येष्ठ निरीक्षक, हाट, आपूर्ति, बांट तथा माप	325-575	700-900

(4) हाट तथा खाद्य दोनों प्रभागों में निरीक्षक तथा ज्येष्ठ निरीक्षक का वेतनमान रु0 350-700 होना चाहिए ।

18.6 खाद्य आयुक्त, जो कि सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग भी हैं, ने अपने पत्र में निम्नलिखित विन्दु उठाए हैं :-

(1) खाद्य आयुक्त के वैयक्तिक सहायक का वेतनमान, उसके उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, रु0 500-750 से बढ़ाकर रु0 700-1100 किया जाना चाहिए,

(2) वेतनमान रु0 300-500 में मुख्य लिपिक के दो पद हैं । विभाग में कर्मचारियों की संख्या लगभग 8000 हैं और कार्यभार तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुए मुख्य लिपिक का वेतनमान रु0 800-1000 होना चाहिए,

(3) खाद्य आयुक्त के कार्यालय में आशुलिपिक रु0 250-425 तथा रु0 300-500 के वेतनमान में हैं । सहायक खाद्य आयुक्त के साथ संबद्ध आशुलिपिक का वेतनमान रु0 400-850 तथा अन्य अधिकारियों के साथ सम्बदध आशुलिपिक का वेतनमान रु0 400-750 होना चाहिए ।

(4) ड्राफ्ट्समैन का एक पद रु0 280-460 के वेतनमान में है । पदधारक के लिए विभाग में प्रोन्नति के अवसर न होने के कारण इस पद के लिए रु0 500-1000 का वेतनमान दिया जाना चाहिए,

(5) ज्येष्ठ लिपिक का वेतनमान रु0 280-460 से बढ़ाकर रु0 450-750 तथा श्रेणी-2 के लिपिकों/लेखा लिपिकों/लेखाकारों/सांख्यिकीय स्टाफ/आलेखक प्रालेखक का वेतनमान रु0 250-425 से बढ़ाकर रु0 400-750 कर दिया जाय । इसी प्रकार, कैशियर तथा श्रेणी-3 के लिपिकों को रु0 230-385 के स्थान पर रु0 350-700 का वेतनमान मिलना चाहिए ।

(6) श्रेणी-4 के लिपिकों तथा टंककों को रु0 325-575 का वेतनमान दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार ड्राइवर, साइक्लोस्टाइल आपरेटर, कामदार, दफ्तरी, माली आदि के वेतनमान भी बढ़ाये जायं ।

18.7 आयोग के सामने अपने साक्ष्य में खाद्य आयुक्त ने निम्नलिखित अतिरिक्त प्रस्ताव/सुझाव प्रस्तुत किये :-

(1) विभाग में पहले ही से 13 पद रु0 550-1200 या इससे अधिक वेतनमान में मौजूद हैं । इसलिए केवल 12 पद रु0 550-1200 के वेतनमान में स्वीकृत किये गये । इस प्रकार वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुति का कार्यान्वियन हो चुका है,

(2) खाद्य तथा रसद संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक मंडलायुक्त के साथ नागरिक संपूर्ति के कार्य के लिए सहायक आयुक्त का एक पद सम्बद्ध होना चाहिए और 3 अतिरिक्त पद मुख्यालय के लिए सृजित होने चाहिए,

(3) सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को रु0 550-1200 के वेतनमान में रखा जाना चाहिए । कवाल नगरों में तैनात जिला पूर्ति अधिकारियों को रु0 100 से रु0 150 प्रतिमास का विशेष वेतन मिलना चाहिए,

(4) क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को तहसीलदार के बराबर उच्चीकृत किया जाना चाहिए,

(5) पांच पर्वतीय जिलों में अभी तक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रभारी द्वारा कार्य लिया जाता है । उन के लिए श्रेणी-2 के जिला पूर्ति अधिकारी के पद सृजित होने चाहिए,

(6) मुख्य हाट अधिकारी को रु0 900-1600 के स्थान पर रु0 1400-1800 के वेतनमान में होना चाहिए,

(7) क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक का एक पद जो विभागीय अधिकारियों में से भरा जाता है वह रु0 650-1300 के स्थान पर रु0 900-1600 के वेतनमान में होना चाहिए,

(8) उप क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के पद रु0 550-1200 तथा रु0 650-1300 के वेतनमान में हैं। इन सभी पदों को रु0 800-1450 के वेतनमान में रखा जाय, और

(9) क्षेत्रीय हाट अधिकारी के 12 पद रु0 650-1300 के वेतनमान में होने चाहिए ।

18.8 सचिव, खाद्य तथा रसद जिला स्तर के सभी अधिकारियों के लिए एक वेतनमान के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि जिला स्तर के अधिकारियों के लिए किसी विभाग में कार्य की प्रकृति तथा कार्यभार के आधार पर दो प्रकार के वेतनमान हो सकते हैं। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि निरीक्षक बांट तथा माप के पद के लिए एक अर्हकारी परीक्षा होनी चाहिए और लिपिक वर्ग के जो कर्मचारी इस परीक्षा को पास करें उन्हें ही इस पद पर प्रोन्नति मिलनी चाहिए।

18.9 इस विभाग की समस्याओं को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से श्रेणियों में बांटा जा सकता है :–

(1) खाद्य तथा हाट अनुभागों के वेतनमानों तथा प्रोन्नति के अवसरों में असमानता,

(2) विभिन्न स्तर के अधिकारियों के वेतनमान तथा उन स्तरों के अन्य विभागों के अधिकारियों के वेतनमानों की स्थिति,

(3) प्रोन्नति के अवसरों का अभाव।

18.10 जहां तक खाद्य तथा हाट अनुभाग के वेतनमानों में असमानता का प्रश्न है, दोनों अनुभागों के तत्स्थानी पदों के वेतनमान नीचे दिये जा रहे हैं :—

क्रम-संख्या	तत्स्थानी पद का नाम खाद्य विभाग	वेतनमान (रु0)	हाट विभाग	वेतनमान (रु0)
1	आपूर्ति निरीक्षक	280–460 15 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड (400–750)	हाट निरीक्षक	280–460 15 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड (400–750)।
2	ज्येष्ठ आपूर्ति निरीक्षक/मुख्य आपूर्ति निरीक्षक	325–575 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड (350–700)	ज्येष्ठ हाट निरीक्षक	325–575 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शनग्रेड (350–700)।
3	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	350–700 10 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड (500–750)।	हाट अनुभाग में कोई तत्स्थानी पद नहीं है	..
4	खाद्य अनुभाग में कोई तत्स्थानी पद नहीं है		उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी	450–850
5	सहायक क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक	400–750	हाट अनुभाग में कोई तत्स्थानी पद नहीं है	
6	जिला आपूर्ति अधिकारी	450–950 550–1200 650–1300	क्षेत्रीय हाट अधिकारी	550–1200

18.11 उच्चतर स्तर पर क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक के पद हैं जिन पर आई0 ए0 एस0/पी0 सी0 एस0 अधिकारी नियुक्त होते हैं (केवल एक पद को छोड़कर जो हाट/नगर आपूर्ति कर्मचारियों में से विभागीय प्रोन्नति द्वारा जाता है)। सहायक आयुक्त के तीन पद हैं जो जिला पूर्ति अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उप आयुक्तों के पद आई0 ए0 एस0 के ज्येष्ठ वेतनमान के संवर्ग के पद हैं।

18.12 जन वितरण प्रणाली पर दबाव बराबर बढ़ता जा रहा है और एक अच्छी संगठित सेवा की आवश्यकता पर जितना बल दिया जाय वह थोड़ा है। जन वितरण प्रणाली की बढ़ती हुई जिम्मेदारी शासन द्वारा स्वीकार करने के फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि इस संवर्ग में सुयोग्य लोगों को लिया जाना चाहिए और उनके लिये प्रोन्नति के उचित अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

18.13 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के पद 50 प्रतिशत वरिष्ठ खाद्य निरीक्षकों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जो रु0 325–575 के वेतनमान में हैं और शेष 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं जिसमें न्यूनतम आधारिक अर्हता स्नातक की उपाधि है। ज्येष्ठ आपूर्ति निरीक्षक के शत-प्रतिशत पद रु0 280–460 के वेतनमान के आपूर्ति निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। आपूर्ति निरीक्षकों के 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और शेष 50 प्रतिशत पद मुख्य लिपिकों/लेखाकारों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। बांट तथा माप और नागरिक आपूर्ति विभागों में कमोवेश यही व्यवस्था है जहां क्षेत्र के पद भी लिपिकीय संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

18.14 हमने इस मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है और यद्यपि हम इस तथ्य को समझते हैं कि लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति के अवसर होने चाहिए, तथापि हमें इस बात का कोई औचित्य नहीं मालूम होता कि खाद्य तथा रसद विभाग के क्षेत्रीय पदों को लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों से प्रोन्नति द्वारा भरा जाय। जो लोग पहले से ही यह सुविधा प्राप्त कर चुके हैं उनसे उसे वापस लेने की हम संस्तुति नहीं करेंगे, किन्तु हम यह संस्तुति करते हैं कि भविष्य में क्षेत्र के पद सीधी भर्ती द्वारा या क्षेत्र के कर्मचारियों में से ही प्रोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए जैसी व्यवस्था अन्य सभी विभागों में है। शासन द्वारा यह संस्तुति स्वीकृत होने की शर्त पर हम यह संस्तुति करते हैं कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को रु0 625–1170 के वेतनमान में रखा

जाना चाहिए । निरीक्षक, नगर आपूर्ति/हाट के लिये न्यूनतम अर्हता स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और यह पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना चाहिए । ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पूर्णतया आपूर्ति/हाट निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए ।

18.15 जिला पूर्ति अधिकारी के उत्तरदायित्व को देखते हुए हम जिला पूर्ति अधिकारियों के सभी पदों के लिए रु0 850–1720 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं, परन्तु कुछ जिलों में जिला पूर्ति अधिकारियों के पद पर उच्चतर वेतनमान देने का कोई औचित्य नहीं देखते । उन 5 पर्वतीय जिलों के कार्य-भार को देखते हुए जहां क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी इन्चार्ज के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम इन पदों को जिला पूर्ति अधिकारी के स्तर पर उच्चीकृत करने की आवश्यकता नहीं समझते । हमारे विचार से वर्तमान व्यवस्था चलती रहनी चाहिए । चूंकि सहायक आयुक्त के रु0 650–1300 के वेतनमान में केवल 3 पद हैं और प्रोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं, अतः हम यह भी संस्तुत करते हैं कि–

(क) सहायक आयुक्त के पदों को रु0 1250–2050 के वेतनमान में उच्चीकृत किया जाय,

(ख) जिला पूर्ति अधिकारियों के 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय,

(ग) उप मंत्रीय खाद्य नियंत्रक का पद विभागीय पद है और विभागीय स्टाफ में से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है । हम इस पद के लिये उच्चतर वेतनमान की संस्तुति नहीं करते हैं, और

(घ) जहां तक इस सेवा के अधिकारियों की सचिवालय में तैनाती का प्रश्न, है, एक अधिकारी पहले ही इ सचिवालय में उप सचिव के पद पर कार्य कर रहा है । सचिवालय में तैनाती शासन द्वारा संबंधित अधिकारी के गुणावगुण के आधार पर की जाती है और हम इस मामले में कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं ।

18.16 जहां तक मुख्य हाट निरीक्षक के वेतनमान का प्रश्न है जो रु0 900–1600 के वेतनमान में है, हम पाते हैं कि इससे नीचे का पद रु0 550–1200 के वेतनमान में है । इस परिप्रेक्ष्य में इस पद को उच्चीकृत करने का हम कोई औचित्य नहीं पाते । हाट अनुभाग के वेतनमान में हम कोई अन्य असंगति भी नहीं पाते ।

नियंत्रक, बांट तथा माप

18.17 नियंत्रक, बांट तथा माप के कार्यालय में ज्येष्ठ निरीक्षक के 92 पद और निरीक्षक के 104 पद हैं। निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये आधारिक अर्हता मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा या स्नातक की उपाधि है जिसके लिये विज्ञान के विषयों को वरीयता दी जाती है । 50 प्रतिशत पद लिपिक वर्ग के कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । हमें यह बात तर्कसंगत नहीं मालूम होती कि लिपिकीय, कला तथा मैकेनिकल इन्जीनियरिंग अर्हताओं को एक समूह में वैकल्पिक अर्हता के रूप में रखा जाय । इस पद का वेतनमान रु0 280–460 है । दक्षता तथा विभाग के सुचारु रूप से संचालन के लिये यह आवश्यक मालूम होता है कि नियंत्रक, बांट तथा माप के कार्यालय में निरीक्षक के पद पर केवल वही व्यक्ति भर्ती किये जायं जो मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किये हों या भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ बी0 एस-सी0 हों । इन अर्हताओं के साथ उन्हें रु0 515–840 का वेतनमान अनुमन्य होना चाहिए । हम यह भी संस्तुति करते हैं कि ज्येष्ठ निरीक्षक के पद मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त या भौतिक शास्त्र और रसायन के साथ बी0 एस-सी0 की उपाधि वाले निरीक्षकों में से ही भरा जाना चाहिए और उस दशा में उन्हें रु0 550–940 का वेतनमान दिया जाना चाहिए । जो व्यक्ति निरीक्षक/ज्येष्ठ निरीक्षक के पदों पर तदर्थ/अस्थायी आधार पर नियुक्त हैं उन्हें कहीं और खपाया जाना चाहिए । जो स्थायी रूप से इन पदों पर नियुक्त किये गये हैं वे अपना वर्तमान वेतनमान पाते रहें । हम यह प्रकल्पना करते हैं कि निरीक्षकों का पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भरा जायेगा ।

18.18 हमारे सामने इस बात पर बल दिया गया है कि विभाग में मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिये कोई प्रोन्नति का अवसर नहीं है क्योंकि विभाग में यह अकेला पद है। हम संस्तुति करते हैं कि इसे "एकल" पद माना जाय ।

18.19 वैयक्तिक सहायक, मुख्य लिपिक, आशुलिपिक, सांख्यिकीय स्टाफ, ज्येष्ठ लेखा लिपिक, लेखाकार, कनिष्ठ लिपिक तथा समूह "ग" तथा "घ" के पदों के लिये हम अलग से संस्तुतियां नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन पर सामान्य कोटि के पदों के अध्याय में विचार हुआ है ।

18.20 हमने पुनरीक्षित वेतनमान तथा आवश्यकतानुसार सेलेक्शन ग्रेड इस खण्ड के भाग2 में दिये हैं ।

निदेशक संचरण का कार्यालय

18.21 मूवमेन्ट इन्सपेक्टर के दो पद तथा ट्रैफिक इंसपेक्टर का एक पद रु0 230–385 के वेतनमान में हैं। इन पदों के लिये निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट है और लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है । निदेशक, संचरण ने सुझाव दिया है कि इन निरीक्षकों के कार्य का महत्व किसी प्रकार से खाद्य तथा रसद विभाग के निरीक्षकों/ज्येष्ठ निरीक्षकों के कार्य से कम नहीं है । हमने निदेशक के सुझाव पर विचार किया है । हम यह महसूस करते हैं कि मूवमेन्ट इन्सपेक्टर और ट्रैफिक इन्सपेक्टर इस संगठन में महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं। हम इन पदों के लिये रु0 470–735 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं । जैसा कि हमने पूर्ति निरीक्षकों के मामले में संस्तुति की है, हम संस्तुति करते हैं कि भविष्य में मूवमेन्ट इन्सपेक्टर/ट्रैफिक इन्सपेक्टर के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने चाहिए और पद की अर्हता स्नातक की उपाधि होनी चाहिए ।

18.22 जहां तक आशुलिपिक, सांख्यिकीय सहायक, प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक तथा चपरासी के शेष पदों का संबंध है हम अलग से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन पर सामान्य कोटि के पदों के अध्याय में विचार किया गया है ।

18.23 हमने पुनरीक्षित वेतनमान तथा आवश्यकतानुसार सेलेक्शन ग्रेड इस खण्ड के भाग-2 में दिये हैं ।

अध्याय उन्नीस

वित्त विभाग

वित्त विभाग प्रत्येक वर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये प्राक्कलित राजस्व और व्यय का एक विवरण-पत्र तैयार करने और अतिरिक्त अनुदानों के लिये अनुपूरक तखमीने या विवरण तैयार करने और संचित निधि में से धनराशियों के विनियोग के लिये विनियोग विधेयक तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। वह नये व्यय की सभी योजनाओं की जांच करता है तथा उन पर परामर्श देता है, जिनके लिये तखमीनों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव हो। वह राजस्व के संग्रह के लिये उत्तरदायी विभागों को संग्रह की प्रगति तथा संग्रह के लिये अपनाये गये तरीकों के संबंध में परामर्श देता है। वह राज्य सरकार के अर्थोपायों (वेज एण्ड मीन्स) के सन्दर्भ में सरकार की शेष धनराशियों की स्थिति पर दृष्टि रखने के लिये भी उत्तरदायी है। वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से सम्बद्ध लेखे का प्रभारी है और ऋण पर होने वाले व्यय संबंधी तथा वित्तीय प्रत्याभूतियों से उन्मुक्ति संबंधी मामलों को सम्मिलित करते हुए ऐसे ऋणों से सम्बद्ध सभी लेने देने के वित्तीय पहलुओं पर परामर्श देता है। वह दुर्भिक्ष सहायता निधि की सुरक्षा और उसके उचित प्रयोग के लिये तथा भविष्य निधियों, निक्षेपों और अग्रिम धनराशियों से सम्बद्ध लेखों के रख-रखाव के लिये उत्तरदायी है। वह करों में वृद्धि या कमी करने के प्रस्तावों की, राज्य सरकार द्वारा उधार लिये जाने के प्रस्तावों की और बाजार से ऋण प्राप्त करने के प्रस्तावों की जांच करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है। वित्त विभाग अन्य विभागों के मार्ग दर्शन के लिये उचित वित्तीय नियम बनाये जाने और अन्य विभागों तथा उनके अधीन अधिष्ठानों द्वारा उपयुक्त लेखे रखे जाने के लिये भी उत्तरदायी है। वह कार्मिक विभाग से परामर्श करके राज्य सरकार की सेवा में व्यक्तियों के वेतन, अवकाश और पेंशन विनियमित करने के लिये नियम बनाता है और इस बात को देखने के लिये उत्तरदायी है कि इन नियमों का उचित रूप से प्रयोग होता है।

19.2 वित्त सचिव निम्नलिखित संगठनों का कार्य देखते हैं :—

1 उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा/सहायक लेखा अधिकारी सेवा।

2–स्थानीय निधि लेखा संगठन।

3–सहकारिता एवं पंचायत संपरीक्षा संगठन।

4–कोषागार एवं लेखा निदेशालय और कोषागार।

5–वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

6–उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी निदेशालय।

7–राष्ट्रीय बचत निदेशालय।

8–मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषदें)।

9–रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स।

10–वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय।

11–पेंशन अधिकारी का संगठन।

12–खाद्य एवं रसद विभाग का लेखा संगठन।

19.3 सेवा संघों, संबंधित विभागाध्यक्ष और वित्त विभाग में शासन के सचिव से जो प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर एतद्पश्चात विभागवार विचार किया गया है।

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा और सहायक लेखा अधिकारी सेवा

19.4 उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संघ ने आयोग को प्रस्तुत अपने एक विस्तृत ज्ञापन में यह कहा कि यद्यपि उनका चयन पी0 सी0 एस0 (कार्यकारी एवं न्यायिक) के सदस्यों की भांति सम्मिलित राज्य प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है तथापि वेतनमानों और पदोन्नति की सम्भावनाओं के संबंध में उन्हें इन सेवाओं के समकक्ष नहीं समझा जाता है। उपर्युक्त संघ ने समूह "क" और समूह "ख" के सभी पदों के लिये रु0 900–2500 के एक सम्मिलित वेतनमान का सुझाव दिया। वेतनमान की अवधि 24 वर्ष रखने का सुझाव दिया। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि रु0 1500–2750 के एक सेलेक्शन ग्रेड की भी स्वीकृति दी जानी चाहिए। संघ ने वैकल्पिक के रूप में राज्य वित्त एवं लेखा सेवा के लिये निम्नलिखित वेतनमानों का सुझाव दिया :—

रु0	
(1) 900–1880	"ख" और "ग" श्रेणी के नगरों के कोषागार अधिकारियों और अतिरिक्त कोषागार अधिकारियों के लिये।
(2) 1200–2000	"क" श्रेणी के नगरों में वरिष्ठ कोषागार अधिकारियों और लेखा अधिकारियों के लिये।
(3) 1800–2250	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, के लिये।
(4) 2000–2500	मुख्य लेखा अधिकारी, आंतरिक वित्तीय परामर्शदाता, उप वित्तीय परामर्शदाता के लिये।
(5) 2250–2750	निदेशक, कोषागार एवं लेखा, प्रबंधक वित्तीय सांख्यिकी मुख्य वित्त अधिकारी, राज्य विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारी, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारी तथा लेखा नियंत्रक (लेखा से संपरीक्षा के पृथक हो जाने पर)।

सेवा संघ ने निम्नलिखित सुझाव भी दिये :—

(1) सभी संवर्गों के लिये सेलेक्शन वेतनमान वाले पदों का अनुपात एक ही होना चाहिए । जहां किसी विशेष राज्य संवर्ग के अधिकारियों के लिये केन्द्रीय संवर्ग में जाने का सुअवसर उपलब्ध नहीं है, वहां इस अनुपात में इतनी वृद्धि की जानी चाहिए कि उससे उस संवर्ग के अधिकारियों को मिलने वाला अतिरिक्त लाभ पूर्णतया निष्प्रभावी हो जाय जिन्हें केन्द्रीय संवर्ग में जाने का सुअवसर उपलब्ध है ।

(2) वेतनमानों में प्रोत्साहनोन्मुख दक्षता रोक व्यवस्था होनी चाहिये और दक्षतारोक पार करने उपलब्धियों में काफी वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(3) अभियंत्रण विभागों के पैटर्न पर, जहां सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता के पद कार्यभार के आधार पर सृजित किये जाते हैं, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी के समानुपातिक स्तर के पद सृजित किये जाने के लिये उपयुक्त वित्तीय मानक नियत किये जाने चाहिए ।

(4) कतिपय विभागाध्यक्षों के अतिरिक्त पद, जैसे निदेशक लेखा, निदेशक आंतरिक सम्परीक्षा, निदेशक वित्त तथा लेखा प्रशिक्षण तथा राज्य कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये पृथक-पृथक भविष्य निधि एवं पेंशन के आयुक्त, उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के सदस्यों के लिये सृजित किये जाने चाहिए ।

(5) वित्त विभाग में विशेष सचिव का एक पद और संयुक्त सचिव के तीन पद सेवा के सदस्यों के लिये पृथक से रक्षित किये जाने चाहिए ।

(6) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वित्त से संबंधित सभी सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति एक मात्र उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के सदस्यों में से की जानी चाहिए ।

(7) रु0 650–1300, रु0 900–1600 और रु0 1200–1800 के मध्यवर्ती वेतनमान समाप्त किये जाने चाहिए ।

(8) उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के लिये लागत एवं प्रबन्ध लेखा (कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

19.5 सहायक लेखा अधिकारी सेवा संघ ने आयोग को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित मांग की :—

(1) वे वही कार्य कर रहे हैं जो लेखा अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, अतः उन्हें रु0 550–1200 का वेतनमान दिया जाना चाहिए ।

(2) लेखा अधिकारियों के केवल 25 प्रतिशत पद सहायक लेखा अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं अतः उनकी पदोन्नति की सम्भावनाएं अपर्याप्त हैं ।

19.6 उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा संगठन के वर्तमान वेतनमान नीचे दिये गये हैं :—

पद नाम	वेतनमान (रु0)	1-4-1979 को पदों की संख्या
1–सहायक लेखा अधिकारी	450–950	197
2–लेखा अधिकारी/कोषागार अधिकारी	550–1200	223
3–लेखा अधिकारी/कोषागार अधिकारी	650–1300	37
4–वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ कोषागार अधिकारी	800–1450	45
5–मुख्य लेखा अधिकारी	900–1600	5
6–मुख्य लेखा अधिकारी	1200–1800	5
7–निदेशक, कोषागार और लेखा	1600–2000	1

19.7 सहायक लेखा अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद लेखाकारों, मुख्य लेखाकारों, सम्परीक्षकों (आडिटर) और वरिष्ठ समरीक्षकों आदि में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । सहायक लेखा अधिकारियों के पद उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के पद नहीं हैं, किन्तु उनका एक पृथक संवर्ग है जो सहायक लेखा अधिकारी सेवा कहलाता है ।

19.8 हमने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से, जिनमें निदेशक, कोषागार, एवं लेखा, मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषद्) और वित्त विभाग के विशेष सचिव सम्मिलित हैं, व्योरेवार विचार-विमर्श किया । निदेशक कोषागार एवं लेखा इस सुझाव से सहमत नहीं हुए कि सहायक लेखा अधिकारियों के कार्य और उत्तरदायित्व की प्रकृति लेखा अधिकारियों के समान है । उन्होंने यह इंगित किया कि सहायक लेखा अधिकारी या तो लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के अधीन तैनात किये जाते हैं या ऐसे स्थानों पर स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिये तैनात किये जाते हैं, जहां कार्य की मात्रा इतनी नहीं है कि एक लेखा अधिकारी का पद सृजित किया जाय । हम इस मांग में कोई सार नहीं पाते हैं कि सहायक लेखा अधिकारी के पृथक पद समाप्त कर दिये जायं और उन्हें उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के संवर्ग में विलीन किया जाय । हमने सहायक लेखा अधिकारियों के पदोन्नति की सम्भावनाओं की स्थिति का भी परीक्षण कर लिया है । इस समय उन्हें पदोन्नति के लगभग 30 प्रतिशत अवसर उपलब्ध हैं । प्रशासनिक विभाग ने हमें जो विवरण-पत्र भेजे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक लेखा अधिकारी के सभी पद वास्तव में इस समय पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं और अभी कोई सीधी भर्ती नहीं की गयी है । इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि वरिष्ठ सम्परीक्षक, मुख्य सम्परीक्षक आदि के पद, जिनमें से पदोन्नति द्वारा सहायक लेखा अधिकारियों के पद भरे गये हैं, स्वयं भी निम्नतर संवर्ग से पदोन्नति वाले पद हैं अतः वृद्धिरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए । प्रशासनिक विभाग

भी इस सेवा में वृद्धिरोध के विशिष्ट मामलों को नहीं बताया है। अतः हम इस सेवा के लिये पदों को उन्नत किये जाने/सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था किये जाने की संस्तुति करने में असमर्थ हैं। तथापि यदि और जब कभी सहायक लेखा अधिकारियों के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन किया जाय तो इस सेवा में उपयुक्त सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था किये जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा सामान्य शर्तों के अधीन विचार किया जा सकता है।

19.9 जहां तक वित्त एवं लेखा सेवा में अबाध वेतनमान का संबंध है, हम "सामान्य सिद्धांत" से संबंधित अध्याय में अबाध वेतनमान के बारे में सामान्य रूप से अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। यहां हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि अबाध वेतनमान की धारणा किसी संगठन में श्रेणीबद्ध पदों के ढांचे के प्रतिकूल है, जैसा कि वह हमारे प्रदेश में है। जहां तक सेवा में वृद्धिरोध के प्रश्न का संबंध है, हम यह पाते हैं कि इस समय रु0 650-1300 के वेतनमान में 37 अधिकारियों में से अधिकांश की प्रारम्भिक भर्ती 1975 में या उसके बाद रु0 550-1200 के वेतनमान में की गयी थी और प्रारम्भिक भर्ती के 2-3 वर्षों के भीतर ही उनकी पदोन्नति हो गयी। रु0 800-1450 के वेतनमान में पदोन्नति कनिष्ठतम अधिकारी की प्रारम्भिक भर्ती 1973 में रु0 550-1200 के वेतनमान में की गयी थी और वरिष्ठतम अधिकारी की 1957 में की गयी थी। रु0 900-1600 के वेतनमान में कार्यरत अधिकारी 1949 से 1956 तक की अवधि में रु0 550-1200 के वेतनमान में भर्ती किये गये थे। रु0 1200-1800 और रु0 1600-2000 के वेतनमान में कार्यरत अधिकारी 1948 में रु0 550-1200 के वेतनमान में भर्ती किये गये थे।

19.10 एकीकृत उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा गठित हो जाने से रु0 550-1200, रु0 650-1300 और रु0 800-1450 के वेतनमान में बहुत से पद सजित किये गये, किन्तु इस संवर्ग में उच्चतर पदों की संख्या अत्यन्त सीमित है जिसके परिणाम स्वरूप 1973 के बैच के कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति रु0 800-1450 के वेतनमान में हुई है और जिन अधिकारियों की प्रारम्भिक भर्ती 1957 में की गयी थी, वे भी इसी वेतनमान में कार्य कर रहे हैं जिसका कारण यह है कि अधिकारियों की पदोन्नति समानुपातिक आधार पर नहीं हुई।

19.11 हमारा यह दृढ़ मत है कि किसी भी सेवा में केवल पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था किये जाने के लिये ही उच्चतर पद सजित नहीं किये जाने चाहिए। वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सामान्य सिद्धांत से सहमति व्यक्त करते हुए यह महसूस किया कि उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के संवर्ग के बहुत से पदों का उनके कार्य की अपेक्षाओं से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि ऐसे सात विभाग हैं जिनका वार्षिक बजट रु0 100 करोड़ से अधिक होता है और अन्य 16 विभाग ऐसे हैं जिनका वार्षिक बजट रु0 50 करोड़ से अधिक किन्तु रु0 100 करोड़ से कम होता है। ऐसे विभागों में अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारी जो वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर हैं, अधिक प्रभावशाली नहीं होते अथवा उस प्रयोजन को भली-भांति पूरा नहीं कर पाते, जिसके लिये वे विभाग में तैनात किये गये हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों में तैनात वित्त अधिकारी या लेखा नियंत्रक, जिन्हें वहां पर लेखा, वित्तीय प्रबन्ध आदि की विभिन्न समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करनी पड़ती है, प्रभावी नहीं हो सकते, यदि उनका वेतनमान, विशेष रूप से अध्यापन कर्मचारिवर्ग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिये जाने के बाद अन्य अधिकारियों को स्वीकृत वेतनमान की तुलना में काफी कम हो, जैसे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार। हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि लेखा संबंधी कार्य करने वाले व्यक्ति को उचित प्रास्थिति होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक निर्वहन कर सकें।

19.12 हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि दक्ष वित्तीय प्रबन्ध चाहे वह सरकारी कार्यालयों में हो या सार्वजनिक उपक्रमों में हो, ठोस प्रशासन की आधारिक आवश्यकता है। इस संबंध में हम निम्नलिखित संस्तुति करना चाहेंगे:—

(1) लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिये आधारित अर्हता इस समय स्नातक डिग्री है। भर्ती के बाद जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह और अधिक प्रगाढ़ और कार्योन्मुख (जाब ओरियेन्टेड) होना चाहिए और उसमें वाणिज्यिक लेखा (कामर्शियल एकाउन्टेंसी) तथा लागत लेखा (कास्ट एकाउन्टेन्सी) का प्रशिक्षण भी सम्मिलित होना चाहिए। लेखा और संपरीक्षा सेवाओं, जिनमें संपरीक्षा अधिकारी, वरिष्ठ संपरीक्षक, संपरीक्षक, लेखा अधिकारी, कोषागार अधिकारी भी सम्मिलित हैं, के लिये शासन ऐसा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार करे जिसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों।

(2) बड़े-बड़े विभागों में और आवासिक विश्वविद्यालयों में अपेक्षाकृत अधिक वरिष्ठ अधिकारी तैनात किये जाने चाहिए। वित्त विभाग ने अपने पत्र संख्या-एस-8838/दस-33(113)(1)/79, बी0 सी0, दिनांक 27 अगस्त, 1980 में रु0 650-1300 के वेतनमान को समाप्त किये जाने का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव किया कि इस वेतनमान के 21 पदों को रु0 550-1200 के निम्नतर वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाय और 16 पदों को, जिनसे अधिक उत्तरदायी कार्य अपेक्षित है, उन्नत करके रु0 800-1450 के वेतनमान में लाया जाय। हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं और इस विभाग में रु0 650-1300 के पदों के लिए रिप्लेसमेन्ट स्केल की संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

(3) निदेशक, कोषागार, और लेखा का वेतनमान रु0 1600-2000 है। हमने विभागाध्यक्ष के वेतनमानों के संबंध में संबंधित अध्याय में विचार किया है।

19.13 निदेशक, कोषागार और लेखा निस्सन्देह जिला कोषागारों और उप कोषागारों के समग्र रूप से नियंत्रण और देख-रेख के लिये उत्तरदायी है, किन्तु तात्कालिक नियंत्रण संबंधित कलेक्टर का होता है। अतः हम इस पद के वर्तमान वेतनमान को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं पाते।

19.14 हम वित्त विभाग के इस विचार से सहमत हैं कि कतिपय महत्वपूर्ण विभागों में पद रु0 1200–1800 के वेतनमानों में रखे जायें और संस्तुति करते हैं कि सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य तथा रसद और बिक्री कर विभागों तथा राजस्व परिषद् और पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालयों में मुख्य लेखा अधिकारियों के पद रु0 1660–2300 के वेतनमान में रखे जायं। हम अन्य विभागों में तैनात लेखा अधिकारियों की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन किये जाने की संस्तुति नहीं करते हैं। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि केवल रु0 1660–2300 के वेतनमान के उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा सेवा के अधिकारियों को ही विश्वविद्यालयों में वित्त अधिकारी/लेखा नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाय। अतः यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिये रु0 1660–2300 के वेतनमान में आवश्यक प्रतिनियुक्ति रिजर्व बनाया जाय। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि लेखा अधिकारियों के साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में सामान्य शर्तों के अधीन रखे जायं। हम वेतनमानों में कोई अन्य असंगति नहीं पाते हैं।

स्थानीय निधि लेखा संगठन

19.15 यह संगठन स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं और ऐसे अन्य संघों/संस्थाओं के लेखे सम्परीक्षा के लिये उत्तरदायी है जो राज्य सरकार की सूची में है। इस संगठन के अध्यक्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक हैं जो रु0 1200–1800 के वेतनमान में हैं और उनकी सहायता के लिये रु0 800–1450 के वेतनमान में एक उप परीक्षक और रु0 550–1200 के वेतनमान में 30 सहायक परीक्षक (जिनमें क्षेत्र में कार्यरत 27 सहायक परीक्षक सम्मिलित हैं) हैं। हाल ही में रु0 450–950 के वेतनमान में जिला सम्परीक्षा अधिकारियों के 13 पद भी स्वीकृत किये गये हैं।

19.16 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि सम्परीक्षक संघ ने आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन/मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :–

(1) वरिष्ठ सम्परीक्षकों का वेतनमान 1965 से पूर्व रु0 200–450 था, जिसे उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971—73) द्वारा रु0 350–700 में पुनरीक्षित किया गया था। अन्य विभागों के बहुत से कार्यकर्ताओं को, जैसे तहसीलदार, सहायक बिक्री कर अधिकारी, डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ इण्डस्ट्रीज, विद्यालय उप निरीक्षक, जिला उद्योग अधिकारी (ग्रेड-2), जिला हरिजन और समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, और जेलर, जो इसी वेतनमान में हैं या रु0 200–400, रु0 200–350, रु0 160–400 के निम्नतर वेतनमान में हैं, उच्चतर वेतनमान दिये गये हैं। यह असंगति दूर की जानी चाहिए।

(2) बहुत से वरिष्ठ सम्परीक्षक इस पद पर कई वर्षों से वृद्धिरोध पर हैं।

19.17 स्थानीय निधि लेखा परीक्षक ने आयोग को भेजे गये अपने पत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं —

(1) आशुलिपिकों में से एक पद को उन्नत (अप-ग्रेड) करके वैयक्तिक सहायक के स्तर तक लाया जाना चाहिए और इस समय रु0 250–425 के वेतनमान में अन्य आशुलिपिकों को रु0 300–500 का वेतनमान दिया जाना चाहिए।

(2) वरिष्ठ सम्परीक्षकों के लिये पदोन्नति के अवसर अत्यन्त अपर्याप्त हैं।

19.18 हमने इस संगठन में वेतनमानों और पदोन्नति की सम्भावनाओं का परीक्षण किया है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की प्रास्थिति विभागाध्यक्ष की है और उनके वेतनमान के प्रश्न पर संबंधित अध्याय में विचार किया गया है।

19.19 हम उप परीक्षक या सहायक परीक्षक के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाते हैं। यह सही है कि वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद के वेतनमान और संघ के ज्ञापन में उल्लिखित कतिपय पदों के वेतनमान की परम्परागत सापेक्षता में अन्तर आ गया है। तथापि हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि वरिष्ठ सम्परीक्षकों के प्रति कोई अन्याय हुआ है। सम्परीक्षक रु0 280–460 के वेतनमान में हैं और वरिष्ठ सम्परीक्षकों के शत-प्रतिशत पद संपरीक्षकों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। जहां कहीं भी निम्नतर पद रु0 280—460 के वेतनमान है अगला उच्चतर अराजपत्रित पद सामान्यतया रु0 350–700 के वेतनमान में है, उदाहरणार्थ, कृषि सहकारिता, अर्थ एवं संख्या, गन्ना विभाग आदि के ग्रुप-2 और 1 में निरीक्षक के पद। हम वरिष्ठ सम्परीक्षक के वेतनमान को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। तथापि 1-4-1979 को वरिष्ठ सम्परीक्षकों के 244 पदों के लिये उक्त दिनांक को पदोन्नति वाले कुल पद केवल 32 थे। अगस्त, 1979 में जिला सम्परीक्षक अधिकारियों के 13 पद सृजित किये गये हैं। इन पदों को आगणित करने पर भी वरिष्ठ सम्परीक्षकों के लिये पदोन्नति की सम्भावनाएं अपर्याप्त हैं। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि वरिष्ठ सम्परीक्षकों के साधारण श्रेणी के 20 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय। हम इस मामले में यह उदार संस्तुति इसलिये कर रहे हैं कि वरिष्ठ सम्परीक्षकों के पद पर पदोन्नति के लिये केवल वे ही सम्परीक्षक पात्र होते हैं जो एस0 ए0 एस0 परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। सम्परीक्षकों के लिये पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हैं अतः हम इन पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति नहीं कर रहे हैं। हम सहायक परीक्षक के पद के लिये भी सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था किये जाने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सभी पद वरिष्ठ सम्परीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

19.20 हमने इस सेवा के सामान्य ढांचे के संबंध में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है। जिन संस्थाओं की अब सम्परीक्षा की जानी है उनकी संख्या बहुत अधिक है और तदनुसार कर्मचारी वर्ग की भी व्यवस्था की गयी है। यह प्रकल्पित है कि समस्त वरिष्ठ संपरीक्षकों, संपरीक्षकों और सहायक परीक्षकों के मुख्यालय इलाहाबाद में हैं और उन्हें वे सभी लाभ अनुमन्य हैं, जो केवल नगर में तैनाती पर देय हैं। वास्तविकता यह है कि वे राज्य भर में फैले हुए हैं और अपने-अपने नियत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम यह महसूस करते हैं कि इस विभाग का प्रसार हो जाने से यह बिल्कुल आव-

श्यक नहीं है कि सम्परीक्षा से संबंधित सभी कर्मचारी वर्ग का मुख्यालय इलाहाबाद में ही रखा जाय। यह वांछनीय न होगा कि किसी संस्था का सम्परीक्षा कार्य उसी वरिष्ठ संपरीक्षक/संपरीक्षक को कई वर्षों तक सौंपा जाय, अतः हम संस्तुति करते हैं कि वरिष्ठ संपरीक्षक/संपरीक्षक का मुख्यालय वह मंडलीय मुख्यालय माना जाय, जिसमें वह जिला भौगोलिक स्थिति के अनुसार पड़ता हो।

19.21 यह विभाग जिला संपरीक्षा अधिकारी (स्थानीय निधि) के कुछ पद पहले ही स्वीकृत कर चुका है। हम यह संस्तुति करते हैं कि उन जिलों को छोड़कर जिनमें संस्थाओं की संख्या इतनी कम है कि उनमें जिला स्तर के संगठन का पृथक अस्तित्व उचित नहीं होगा, समस्त जिलों में जिला स्तर के पद सृजित किये जाने चाहिए। जिला स्तर के सम्परीक्षा अधिकारी को रु0 770–1600 के वेतनमान में रखा जाय। जिला स्तर के अधिकारियों के पदों के सृजन के बाद सहायक परीक्षकों की संख्या में संभवतः उपयुक्त कमी की जा सकती है। हमें यह सूचित किया गया है कि सहायक परीक्षक विश्वविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का सम्परीक्षा कार्य स्वं ही निष्पादित करते हैं। हम यह संस्तुति करते हैं कि वित्त विभाग यह परीक्षण करें कि सहायक परीक्षक के पदों की संख्या किस सीमा तक कम की जा सकती है।

19.22 इस समय केवल सम्परीक्षक के स्तर पर ही पदधारकों की सीधी भर्ती की जाती है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जिला सम्परीक्षा अधिकारी (स्थानीय निधि) के स्तर पर नये व्यक्तियों की भर्ती की जाय। तदनुसार हम यह संस्तुति करते हैं कि जिला संपरीक्षा अधिकारी (स्थानीय विधि) के एक-तिहाई पद सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायं। राज्य सरकार सीधी भर्ती के लिये उपयुक्त अर्हताएं विहित कर सकती है।

19.23 आशुलिपिक, सहायक अधीक्षक, लेखाकार आदि जैसे सामान्य कोटि के पदों के संबंध में पृथक से हम यहां कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके बारे में सामान्य कोटि के पद से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है।

सहकारिता और पंचायत सम्परीक्षा संगठन

19.24 राज्य सरकार ने 1953 में एक पृथक सहकारी सम्परीक्षा संगठन स्थापित किया। पंचायत के लेखे की सम्परीक्षा का कार्य भी इस संगठन को 1955 में सौंपा गया और मुख्य सम्परीक्षा अधिकारी के अधीन समेकित सहकारिता और पंचायत सम्परीक्षा संगठन 1955 में बनाया गया। औद्योगिक सहकारी समितियों का संपरीक्षा कार्य इस संगठन को 1956 में स्थानान्तरित किया गया। बाद में गन्ना संबंधी सहकारी समितियों का सम्परीक्षा कार्य भी इस संगठन को सौंपा गया और गन्ना आयुक्त के अधीन संपरीक्षा से सम्बद्ध कर्मचारी वर्ग को इस संगठन को स्थानांतरित किया गया।

उत्तर प्रदेश जिला सम्परीक्षा अधिकारी सहकारिता और पंचायत संघ और उत्तर प्रदेश सहकारिता और पंचायत सम्परीक्षा राजपत्रित अधिकारी संघ

19.25 आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में/आयोग के समक्ष दिये गये मौखिक साक्ष्य में उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(1) सम्भागीय सम्परीक्षा अधिकारी के कम से कम तीन पद और उप मुख्य सम्परीक्षा अधिकारी का एक पद सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

(2) सम्परीक्षा विभाग के अधिकारियों को रु0 150 प्रतिमास की दर से नियत भत्ता दिया जाय।

(3) जिला संपरीक्षा अधिकारी को उनके वर्तमान वेतनमान रु0 450–950 के स्थान पर रु0 550–1200 के वेतनमान में रखा जाय।

(4) निम्नलिखित प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेन्ट) वेतनमान दिये जायं।

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रस्तावित वेतनमान रु0
1 मुख्य सम्परीक्षा अधिकारी	1200–1800	2200–2500
2 उप मुख्य संपरीक्षा अधिकारी	800–1450	1200–1800 1900–2250 (सेलेक्शन ग्रेड)
3 संपरीक्षा अधिकारी	550–1200	
4 सम्भागीय संपरीक्षा अधिकारी/प्रिंसिपल	550–1200	800–1450 1300–1600 (सेलेक्शन ग्रेड)
5 जिला संपरीक्षा अधिकारी	450–950	550–1200

(5) संपरीक्षकों को लेखन सामग्री आदि के लिये रु0 10 प्रतिमास का नियत आकस्मिक व्यय दिया जाता है जिसे बढ़ा कर रु 30 प्रति मास कर दिया मान दिया जाय।

उत्तर प्रदेश सहकारी संपरीक्षक संघ

पंचायत संपरीक्षक संघ

19.26 संघ ने निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(1) संपरीक्षक रु0 280–460 के वेतनमान में हैं उन्हें रु0 350–700 के वेतनमान में रखा जाय।

(2) वरिष्ठ संपरीक्षक रु0 550–1200 के वेतनमान में रखें जायं।

(3) सभी संपरीक्षकों को रु0 150 प्रतिमास का नियत सवारी भत्ता दिया जाय।

(4) संपरीक्षकों/वरिष्ठ संपरीक्षकों के 25 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय।

19.27 मुख्य संपरीक्षा अधिकारी, सहकारिता और पंचायत संपरीक्षा संगठन ने अपनी टिप्पणी/मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(1) मुख्य संपरीक्षा अधिकारी सहकारिता और पंचायत संपरीक्षा संगठन का अध्यक्ष है और वह

83,233 पंचायत संस्थाओं और 24,175 सहकारी संस्थाओं के लेखे की संपरीक्षा के लिये उत्तरदायी हैं। उनके उत्तरदायित्व और उनके अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग संख्या को देखते हुए उन्हें स्वीकृत रु0 1200-1800 का वेतनमान अपर्याप्त है और उसे पुनरीक्षित करके रु0 2000-2500 किया जाय ।

(2) सहकारिता और पंचायत संपरीक्षा से 1978-79 में रु0 1.79 करोड़ की आय हुई थी । इस संगठन का यह उत्तरदायित्व है कि वह संपरीक्षा फीस की वसूली करे, जो इस विभाग के लिये आवंटित कार्य के अतिरिक्त है ।

(3) इस संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित वेतनमान दिये जायं :

पद नाम	वर्तमान वेतनमान (रु0)	प्रस्तावित वेतनमान (रु0)
1 मुख्य संपरीक्षा अधिकारी	1200-1800	2000-2500
2 उप मुख्य संपरीक्षा अधिकारी	800-1450	900-1600
3 सम्भागीय संपरीक्षा अधिकारी/संपरीक्षा अधिकारी/प्रिंसिपल	550-1200	800-1450
4 जिला संपरीक्षा अधिकारी	450-950	550-1200
5 वरिष्ठ संपरीक्षक	350-700	600-1120
6 संपरीक्षक	280-460	525-900
7 प्रधान सहायक	450-700	750-1400
8 लेखाकार (मुख्यालय)	350-700	600-1120
9 प्रधान लिपिक (मुख्यालय)	300-500	525-900
10 प्रधान लिपिक (सम्भागीय और उप लेखक और प्रालेखक (मुख्यालय)	280-460	500-830
11 सहायक लेखाकार	250-425	425-710
12 वरिष्ठ लिपिक	230-385	410-675
13 नैत्यक लिपिक	200-320	350-565
14 आशुलिपिक (श्रेणी-1)	300-500	525-900
15 आशुलिपिक (श्रेणी-2)	250-425	425-710
16 ड्राइवर, स्टाफ कार	175-250	300-450
17 दफ्तरी और जमादार	170-225	290-420
18 चपरासी	165-215	280-400

19.28 हमने इस संगठन में विभिन्न संवर्गों के वेतनमानों और पदोन्नति की सम्भावनाओं का परीक्षण किया है और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्य संपरीक्षा अधिकारी से इस विषय में विचार-विमर्श किया है। हमने मुख्य संपरीक्षा अधिकारी के लिये रु0 1840-2400 का पुनरीक्षित वेतनमान संस्तुत किया है। विभिन्न पदों के लिये निर्धारित अर्हता, भर्ती का ढंग और उत्तरदायित्व के स्तर को देखते हुए हम संपरीक्षक/वरिष्ठ संपरीक्षक, जिला संपरीक्षा अधिकारी, सम्भागीय संपरीक्षा अधिकारी और उप मुख्य संपरीक्षा अधिकारी के विभिन्न पदों के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाते हैं। हमने प्रधान सहायक, लेखाकार, प्रधान लिपिक और सहायक लेखाकार, आशुलिपिक, ड्राइवर और दफ्तरी आदि के वेतनमानों के प्रश्न पर "सामान्य कोटि के पद" से संबंधित अध्याय में विचार किया है ।

19.20 इस विभाग का मूल ढांचा यह है कि रु0 280-460 के वेतनमान में संपरीक्षक के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इन पदों के लिये निर्धारित अर्हता स्नातक की डिग्री है और इस संवर्ग में पदों की संख्या 1898 है। वरिष्ठ संपरीक्षक के अगले उच्चतर पद संपरीक्षकों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। रु0 450-950 के वेतनमान में जिला संपरीक्षा अधिकारी के पद ज्येष्ठ संपरीक्षकों में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। तथापि रु0 550-1200 के वेतनमान में संपरीक्षा अधिकारियों/सम्भागीय संपरीक्षा अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इन पदों की कुल संख्या केवल 15 है। रु0 800-1450 के वेतनमान में उप मुख्य संपरीक्षा अधिकारी के अगले उच्चतर पद भी सम्भागीय संपरीक्षा अधिकारी/संपरीक्षा अधिकारियों और प्रशिक्षण केन्द्र के प्रिंसिपल में से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। मुख्य संपरीक्षा अधिकारी का पद भी पदोन्नति का पद है। इस विश्लेषण से यह विदित होता है कि सीधी भर्ती सम्परीक्षकों के स्तर पर और रु0 550-1200 के वेतनमान में सम्परीक्षा अधिकारियों के 50 प्रतिशत पदों पर की जाती है। वरिष्ठ सम्परीक्षकों की संख्या 272 है जबकि संपरीक्षकों के पदों की संख्या 1898 है। हमें यह सूचित किया गया है कि संपरीक्षकों के 15 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति हाल ही में दी गयी है। संघ तथा विभाग ने यह वकालत की है कि 25 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जाने चाहिए। हम वरिष्ठ संपरीक्षकों, जिला संपरीक्षा अधिकारी, या उप मुख्य संपरीक्षा अधिकारी के पद के लिये सेलेक्शन ग्रेड का कोई औचित्य नहीं पाते हैं, किन्तु हम यह महसूस करते हैं कि संपरीक्षकों के लिये पदोन्नति की सम्भावनाएं अब भी अपर्याप्त हैं। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि संपरीक्षकों के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं। पिछले वेतन आयोग ने उप मुख्य संपरीक्षा अधिकारी के पद के लिये रु0 650-1300 के वेतनमान की संस्तुति की थी।

असंगति समिति की संस्तुति पर शासन ने उसे 1-10-75 से रु0 800-1450 में पुनरीक्षित कर दिया है।

19.30 जब औद्योगिक सहकारी समितियों का संपरीक्षा कार्य उद्योग विभाग से हस्तान्तरित करके सहकारिता और पंचायत संपरीक्षा संगठन को सौंपा गया तो संबंधित कर्मचारी वर्ग भी इस संगठन को स्थानान्तरित किया गया। जो संपरीक्षक मूलतः उद्योग विभाग के थे, उन्होंने यह शिकायत की कि उन्हें समेकित संवर्ग में यथोचित ज्येष्ठता नहीं दी गयी है। यद्यपि हम इस संबंध में कोई विशेष संस्तुति नहीं कर रहे हैं, तथापि हम यह सुझाव देंगे कि शासन इस मामले को देख ले।

19.31 स्थानीय निधि संपरीक्षा संगठन में केवल उन्ही संपरीक्षकों की वरिष्ठ संपरीक्षक पद पर पदोन्नति की जाती है जिन्होंने एस0 ए0 एस0 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हम यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार के संगठन में ऐसी परीक्षा कार्यदक्षता के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि इस संगठन में भी वरिष्ठ संपरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये केवल उन्हीं संपरीक्षकों के बारे में विचार किया जाय जो एस0 ए0 एस0 परीक्षा के सादृश्य पर निर्धारित की जाने वाली विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायें।

19.32 हमने नियत सवारी भत्ता के प्रश्न पर संगत अध्याय में विचार किया है। जहां तक आकस्मिक व्यय की धनराशि का संबंध है हम यह महसूस करते हैं कि संपरीक्षकों के लिये रु0 10 प्रति मास की वर्तमान दर को बढ़ाकर रु0 15 प्रति मास कर दिया जाय।

कोषागार तथा लेखा निदेशालय और कोषागार

19.33 राज्य में समस्त कोषागारों और उप कोषागारों के कार्य को समन्वित करने के लिये 1965 में एक पृथक कोषागार निदेशालय सृजित किया गया था। कोषागार निदेशक, कोषागारों और उप कोषागारों के कार्य को समन्वित करने, उनका पर्यवेक्षण करने तथा उन्हें निदेश देने के लिये उत्तरदायी है, किन्तु उन पर तत्काल नियंत्रण और पर्यवेक्षण जिलों के कलेक्टर और मंडलों के आयुक्त द्वारा किया जाता है।

19.34 उत्तर प्रदेश कोषागार कर्मचारी संघ ने आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में तथा आयोग के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(1) कोषागार का कार्य दुष्कर प्रकृति, प्राविधिक और जोखिम वाला है और वह बैंक के कार्य से तुलनीय है। कर्मचारिवर्ग का वेतनमान भी उस (पैटर्न) पर होना चाहिये।

(2) कर्मचारी वर्ग के लिये पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं अतः उनमें वृद्धि की जाय।

(3) यदि बैंकों के पैटर्न पर वेतनमान लागू नहीं किये जा सकते, तो कोषागारों के सहायकों का पदनाम सहायक लेखाकार, लेखाकार और प्रधान लेखाकार रखा जाय और उन्हें तुलनीय वेतनमान दिया जाय।

(4) अवकाश न मिल पाने के बदले उन्हें एक मास के वेतन के बराबर अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए।

19.35 निदेशक ने आयोग को प्रस्तुत अपनी टिप्पणी में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(1) निदेशक, कोषागार का आशुलिपिक रु0 400-600 के वेतनमान में है। इस आशुलिपिक के पद को रु0 500-750 के वेतनमान में वैयक्तिक सहायक के पद में परिवर्तित किया जाय।

(2) कोषागारों में विभिन्न पदों के वेतनमान निम्नलिखित होने चाहिए :—

पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रु0)	प्रस्तावित पदनाम	प्रस्तावित वेतनमान (रु0)
1	2	3	4
1 टंकक/प्रेषक ..	200-320	टंकक/प्रेषक	350-575
2 नैत्यक लिपिक (लिपिक जो प्राप्तियों और भुगतानों की पोस्टिंग का कार्य करते हैं) डाटा क्लर्क वर्नाक्यूलर क्लर्क, लेखाकार, लीव रिजर्व, सियाहा नवीस और सहायक सियाहा नवीस	200-320	लेखा लिपिक	400-650
3—पेंशन लिपिक नैत्यक लिपिक, (जेड0 ए0 सी0 बाण्ड, जी0 पी0 नोट्स और डिपाजिट्स)	200-320 (पेंशन लिपिक के लिये रु020 का विशेष वेतन	सहायक लेखाकार	450-700
4—बिल पारित करने वाला लिपिक अधिष्ठान लिपिक और रेकर्ड कीपर।	230-385 (बिल पारित करने वाले लिपिक के लिए रु020 का विशेष वेतन)	सहायक लेखाकार	450-700
5—सहायक प्रधान लिपिक और चेक राइटर	280-460	उप लेखाकार	500-775
6—प्रधान लिपिक ..	450-700	लेखाकार	800-1150

(3) पोतदार का नियत वेतन रु0 60 से बढ़ाकर रु0 350 प्रतिमास किया जाय ।

19.36 हमने निदेशालय स्तर के कर्मचारी वर्ग को अनुमन्य वेतनमानों का परीक्षण किया है । हम किसी भी वेतनमान में कोई असंगति नहीं पाते हैं । आशुलिपिक, लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग, चपरासी, अर्दली जैसे सामान्य पदों के वेतनमानों के बारे में इस निदेशालय के संबंध में अलग से विचार नहीं किया गया है, क्योंकि इनके बारे में 'सामान्य कोटि के पदों' से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है ।

19.37 जहां तक कोषागार के कर्मचारी वर्ग के पदनामों को परिवर्तित करने के प्रस्ताव का संबंध है, हमने इस विषय में संघ के प्रतिनिधियों तथा वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है । कनिष्ठतम लिपिक वर्गीय पद अर्थात् नैत्यक श्रेणी लिपिक, सियाहा नवीस और सहायक सियाहा नवीस के पद के लिये शैक्षिक अर्हता किसी अन्य विभाग में कनिष्ठ लिपिक के अन्य पदों की भांति 'इण्टरमीडियेट' है । सभी उच्चतर पद आसन्न निम्नतर पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । अन्य राज्यों में भी कोषागारों/उप कोषागारों में लिपिक वर्गीय पदों का पदनाम वरिष्ठ लिपिक, लिपिक और कनिष्ठ लिपिक आदि है । कोषागारों की कार्य प्रणाली बैंकों की कार्य-प्रणाली से बिल्कुल भिन्न है । लेखा कार्य आहरण और वितरण अधिकारी के कार्यालय में किया जाता है । कोषागार में मुख्य कार्य प्रस्तुत किये गये बिलों में अंकित प्रविष्टियों की जांच करना और सम्यक रूप से स्क्रूटनी के बाद उन्हें पारित करना है । बैंकों में भी अधिकांश पदों के लिपिकीय पदनाम हैं । किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया है कि कोषागारों की परम्परागत कार्य प्रणाली निष्प्रभावी है । कोषागार लिपिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिये जाने से उन्हें किसी भी प्रकार यह हक नहीं मिलता कि उनका पदनाम लेखाकार-सहायक लेखाकार आदि रखा जाय । अतः हम कोषागारों/उपकोषागारों में लिपिकीय पदों के पदनाम लेखाकार, सहायक लेखाकार में परिवर्तित करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं । तथापि यह स्पष्ट है कि पेंशन लिपिक और बिल पारित करने वाले लिपिक को अनुमन्य वेतनमान अपर्याप्त है और उसे उन्नत (अपग्रेड) किये जाने की आवश्यकता है । हम तदनुसार उनके लिए क्रमशः रु0 430-685 और रु0 470-735 के पुनरीक्षित वेतनमानों की संस्तुति कर रहे हैं । इन पदों के वेतनमानों को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने के बाद इन पदों पर रु0 20 प्रतिमास के विशेष वेतन को समाप्त कर दिया जाय । हमने 'सामान्य कोटि के पद' से संबंधित अध्याय में वरिष्ठ लिपिकों के वेतनमान को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने की संस्तुति की है और हमारी राय में पुनरीक्षित वेतनमान कोषागार कर्मचारिवर्ग की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ।

19.38 हमने कोषागार प्रधान लिपिक के लिये पदोन्नति के अवसरों का भी परीक्षण किया है । अब कोषागार अधिकारी के पद पर उनकी पदोन्नति किये जाने के अतिरिक्त उप कोषागार अधिकारी के पद पर भी उनकी पदोन्नति की जा रही है । लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति की सम्भावनायें पर्याप्त हैं । हम लेखाकार, नैत्यक श्रेणी लिपिक जैसे अन्य पदों के बारे में अलग कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में 'सामान्य कोटि के पद' से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है ।

19.39 सहायक कोषागार प्रधान लिपिक के चार पद रु0 280-460 के वेतनमान में हैं । प्रशासनिक विभाग ने यह सुझाव दिया है कि इन पदों को रु0 450-700 के वेतनमान में अतिरिक्त कोषागार प्रधान लिपिक के रूप में उन्नत (अपग्रेड) किया जाय जिससे केवल चार पदों के लिये पृथक वेतनमान की अव्यवस्था दूर हो जाय । हम इस सुझाव को स्वीकार करते हैं और तदनुसार इन चार पदों को रु0 670-1070 के वेतनमान में उन्नत (अपग्रेड) किये जाने की संस्तुति कर रहे हैं ।

19.40 जहां तक अवकाश न मिल पाने के बदले में एक मास का वेतन दिये जाने की मांग का संबंध है, हम इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं पाते हैं । विभिन्न संस्थाओं में अवकाश कार्य की अपेक्षानुसार दिया जाता है। कोषागार कर्मचारी वर्ग को अपेक्षा चिकित्सालयों में अवकाश बहुत कम मिलता है । अतः हम इस संबंध में कोई विशेष महत्व दिये जाने का सुझाव नहीं दे रहे हैं ।

19.41 जिला कोषागारों और उप कोषागारों में तहसीलदारों, स्टाम्प फरोशों मनीटेस्टर और चपरासियों के पद होते हैं । यद्यपि तहवीलदार का चयन कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथापि वह कलेक्टर के नियंत्रणाधीन होता है । तहवीलदारों को शासन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है, उनके कार्य की प्रक्रिया शासन द्वारा नियंत्रित की जाती है और उन्हें निलम्बित, पदच्युत् और बहाल करने की शक्ति का प्रयोग शासन करता है । इन तथ्यों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अवध नारायण सिंह और अन्य (ए0 आई0 आर0 1965 एस0 सी0 360) के मामले में यह निर्णय दिया कि यद्यपि तहवीलदार सरकारी कोषाध्यक्ष द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिये नियुक्त किये जाते हैं तथापि वे राज्य सरकार के अधीन सिविल पद धारण करते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि वे संविधान के अनुच्छेद 311 का संरक्षण पाने के हकदार हैं ।

19.42 मनीटेस्टर, स्टाम्प फरोश और चपरासी सभी अपना पारिश्रमिक सीधे शासन से प्राप्त करते हैं किन्तु वे कलेक्टर के नियंत्रणाधीन होते हैं । उन्हें भी शासन के अधीन 'सिविल सेवक' की कोटि में रखा जा सकता है । उनकी मांग यह है कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य नैवृत्तिक लाभ के समान उन्हें भी नैवृत्तिक लाभ दिये जायें जो हमारे विचारणीय विषयों में नहीं आता । मनीटेस्टर, स्टाम्प फरोशों और चपरासियों की स्थिति तहवीलदारों के समान है ।

19.43 तहवीलदार रु0 200-320 के वेतनमान में हैं, स्टाम्प फरोश और मनीटेस्टर रु0 185-265 के वेतनमान में हैं और चपरासी रु0 165-215 के वेतनमान में हैं । हम यह नहीं महसूस करते हैं कि उनके वेतनमान अपर्याप्त हैं और इस प्रकार उनके वेतनमान में बढ़ोत्तरी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

19.44 जहां तक उन्हें अन्य लाभ देने का संबंध है, उनकी सेवा की शर्तों को विनयमित करने वाले नियमों या कार्य निदेशों के अभाव में जो कुछ उन्हें मिल रहा है उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी संस्तुति करने में हम अस-

गर्थ है । तथापि हम यह सुझाव देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी कोषाध्यक्षों के सेवायोजन संबंधी संविदा की शर्तों पर नये सिरे से इस प्रकार विचार किया जाय कि उनका सेवायोजन विशुद्ध और सहज रूप में संविदा नियुक्ति के परे न हो ।

19.45 जहां तक सरकारी कोषाध्यक्षों का, जो अंशकालिक-कर्मचारी हैं, एकमुस्त भुगतान किए जाने का संबंध है, हमने स्थिति का परीक्षण किया है । इस समय उन्हें रु0 450 से रु0 800 तक की दर से भुगतान किया जाता है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कितनी धनराशि प्रतिभूति के रूप में देनी पड़ती है । हम यह महसूस करते हैं कि उन्हें दिनांक 1-7-1980 से निम्नलिखित दरों से भत्ते का भुगतान किया जाय :—

प्रतिभूति की धनराशि	वर्तमान नियत भत्ता	पुनरीक्षित भत्ता
1	2	3
1—रु0 50,000 से कम	रु0 450 (बैंकिंग कोषागारों में)	रु0 600
	रु0 500 (नान बैंकिंग कोषागारों में)	रु0 650
2—रु0 50,000 और उससे अधिक किन्तु रु0 75,000 से कम ..	रु0 620	रु0 775
3—रु0 75,000 और उससे अधिक किन्तु रु0 1 लाख से कम	रु0 740	रु0 900
4—रु0 1 लाख और उससे अधिक ..	रु0 800	रु0 1000

वित्त और लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश

19.46 यह प्रशिक्षण केन्द्र 1972 में स्थापित किया गया था और इसका प्रिंसिपल रु0 900-1600 के वेतनमान में है । इस केन्द्र के चार लेक्चरर रु0 650-1300 के वेतनमान में हैं और दो अराजपत्रित अध्यापक रु0 450-700 के वेतनमान में हैं । इसके अलावा इस प्रशिक्षण केन्द्र में समूह 'ग' तथा 'घ' के भी कर्मचारी वर्ग हैं । इस प्रशिक्षण केन्द्र का मुख्य कार्य कोषागार के अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना है । प्रिंसिपल का वर्तमान वेतनमान हाल ही में 1978-79 में पुनरीक्षित किया गया है । इसके पहले उनका वेतनमान रु0 800-1450 था । हमने इस प्रशिक्षण केन्द्र के पदों के वेतनमानों का परीक्षण किया है । वित्त विभाग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र के लेक्चरर के तीन में से दो पदों को रु0 1250-2050 के वेतनमान में उन्नत किया जाय और तीसरे पद को रु0 850-1720 का निम्नतर वेतनमान दिया जाय । अन्य पदों के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं है ।

लाटरी निदेशालय

19.47 उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी योजना अस्पतालों में सुधार लाने तथा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये 1968 में आरम्भ की गयी थी । निदेशक राज्य लाटरी का पद पदेन रूप से वित्त विभाग के विशेष सचिव द्वारा धारित है, जो आई0 ए0 एस0 के सीनियर वेतनमान में है । उनकी सहायता के लिये दो उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, एक लेखा अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारी वर्ग हैं । इस संगठन का हाल ही में काफी विस्तार हुआ है । आयोग के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य में निदेशक लाटरी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि बिक्री पर्यवेक्षक का वेतनमान प्रधान सहायक के वेतनमान से उन्नतर होना चाहिए । उन्होंने लाटरी कर्मचारीवर्ग को उन्नतर दर से मानदेय दिये जाने की भी वकालत की । बिक्री पर्यवेक्षक और प्रधान सहायक एक ही वेतनमान में हैं किन्तु उनमें से कोई भी एक दूसरे के अधीन नहीं है । बिक्री पर्यवेक्षक वरिष्ठ बिक्री अधिकारी के अधीन हैं, जो उन्नतर वेतनमान में है । हम इस पद के वेतनमान में कोई असंगति नहीं पाते हैं ।

19.48 जहां तक मानदेय की दर का संबंध है हम यह महसूस करते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निदेशालय में कार्य की प्रगति कर्मचारी वर्ग की पहलशक्ति और निपुणता पर निर्भर करती है, इस निदेशालय की तुलना अन्य सरकारी विभागों से नहीं की जा सकती है । हम निदेशक के विचार से सहमत हैं और शासन से निदेशालय के कर्मचारी वर्ग के लिये मानदेय की दरों में उपयुक्त वृद्धि करने की संस्तुति करना चाहेंगे, किन्तु मानदेय किसी विशेष स्तर के सभी कर्मचारियों को न तो समान दर से दिया जाना चाहिए और न वह नैत्यक रीति से स्वीकृत किया जाना चाहिए । किसी व्यक्ति को मानदेय स्वीकृत किये जाने के लिये सुपरिभाषित मार्ग निर्देशक सिद्धांत होने चाहिए । हम यहां सामान कोटि के पदों के वेतनमानों के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय बचत निदेशालय

19.49 शासन में आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग पदेन निदेशक राष्ट्रीय बचत हैं । उन की सहायता के लिये एक संयुक्त निदेशक एवं (शासन) के संयुक्त सचिव हैं, जो आई0 ए0 एस0 के सीनियर वेतनमान में हैं तथा चार उप निदेशक हैं जिनमें से तीन रु0 800-1450 के वेतनमान में हैं और एक रु0 550-1200 के वेतनमान में है । एक उप निदेशक पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) संवर्ग का, एक लेखा सेवा का, एक ग्रामीण विकास का और चौथा उप निदेशक रु0 550-1200 के वेतनमान

में भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर है। हाल ही में जिला राष्ट्रीय बचत अधिकारी के भी पद सृजित किये गये हैं। जिला और मण्डल स्तर पर जिले के कलेक्टर और मंडल के आयुक्त राष्ट्रीय बचत कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकार के सभी विभाग इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

19.50 निदेशालय ने वेतन आयोग को प्रस्तुत अपनी टिप्पणी में ये सुझाव दिये कि :–

(1) उप निदेशकों को रु0 100 प्रति मास का विशेष वेतन दिया जाय क्योंकि वे अन्य विभागों से निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(2) मुख्य बचत निरीक्षक के वेतनमान (रु0 450–850) को उन्नत (अपग्रेड) किया जाय।

(3) कार्यालय प्रभारी के वेतनमान (रु0 450–700) को उन्नत (अपग्रेड) किया जाय।

(4) निदेशालय में उपलेखक एवं प्रालेखकों के वेतनमान (रु0 250–425) को बढ़ाकर वेतनमान रु0 280–460 किया जाय।

(5) रु0 300–500 के वेतनमान में अनुभाग प्रभारी का पद रु0 350–700 के वेतनमान में सांख्यिकीय सहायक का पद और रु0 280–460 के वेतनमान में लेखाकार एवं रोकड़िया का पद, ये तीनों पद रु0 350–700 के एक ही वेतनमान में हों।

19.51 हमने निदेशालय के वेतनमानों के ढांचे का परीक्षण किया है और निदेशालय द्वारा उठाए गये बिन्दुओं के संबंध में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया है। राष्ट्रीय बचत निदेशालय में उप निदेशकों के कार्य के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह विशेष रूप से दुष्कर प्रकृति का है अतः हम इस पद पर विशेष वेतन दिए जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हम मुख्य बचत निरीक्षक के वेतनमान को भी उन्नत किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। क्षेत्र में पर्यवेक्षी मार्ग निर्देशन उप निदेशकों और संयुक्त निदेशक द्वारा किया जाता है चूंकि जिलास्तर पर राष्ट्रीय बचत अधिकारी का एक पृथक पद शासन द्वारा सृजित किया गया है जो ऐसे ही उस पद के अतिरिक्त है जिसका भार भारत सरकार के बजट से वहन किया जाता है। हम मुख्य बचत निरीक्षक के पद को उन्नत किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि जिला स्तर के पद सृजित किये जाने के बाद अब इस पद की कदाचित आवश्यकता नहीं है। शासन इस मामले का परीक्षण करना चाहे। सांख्यिकीय सहायक, अनुभाग प्रभारी और लेखाकार के वेतनमान उनकी अर्हता और कार्य के आधार पर हैं। सांख्यिकीय सहायक के पद के लिये शैक्षिक अर्हता सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री है। हमने इस पद के वेतनमान और अर्हता आदि के प्रश्न पर 'सामान्य कोटि के पद' से संबंधित अध्याय में विचार किया है। निदेशालय द्वारा सन्दर्भित अन्य पदों के बारे में भी 'सामान्य कोटि के पद' से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है।

19.52 हमने इस खण्ड के भाग-2 में पुनरीक्षित वेतनमान और संलेक्शन ग्रेड जहां कहीं आवश्यक हैं, दिये हैं।

मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषदें

19.53 क्षेत्रीय समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अधिनियमित हो जाने के फलस्वरूप जिला परिषदों में वित्तीय परामर्शदाताओं तथा अल्प संख्या में सहायक कर्मचारी वर्ग को तैनात किया गया। इस संगठन के मुख्यालय पर मुख्य वित्त अधिकारी का पद सृजित किया गया।

19.54 मुख्य वित्त अधिकारी रु0 1200–1800 के वेतनमान में हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में रु0 450–950 के वेतनमान में एक वित्तीय परामर्शदाता है। मुख्य वित्त अधिकारी ने आयोग के समक्ष अपनी संवीक्षा में यह इंगित किया कि जिला परिषद् के माध्यम से अब जो धनराशि कम की जा रही है वह बहुत अधिक है अतः जिला परिषद् के वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व काफी बढ़ गया है। उसका वर्तमान वेतनमान रु0 450–950 है जो सहायक लेखा अधिकारी के वेतनमान के समान है। उसके कार्य की प्रकृति और उसके द्वारा वहन किये जा रहे उत्तरदायित्व को देखते हुए उसे रु0 550–1200 के वेतनमान में होना चाहिए। यह बताया गया है कि वित्त अधिकारी को जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद् के सभी बिलों का परीक्षण करना पड़ता है। यह भी बताया गया है कि मुख्य वित्त अधिकारी का वेतनमान रु0 1200–1800 है किन्तु उसके उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं अतः उसे अपेक्षाकृत अच्छे वेतनमान में होना चाहिए।

19.55 हमने विभाग द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं का परीक्षण किया है तथा उनके संबंध में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है। मुख्य वित्त अधिकारी के वेतनमान के प्रश्न पर यहां विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस संबंध में विभागाध्यक्षों के वेतनमान से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है। हमारे विचार से जिला स्तर पर वित्तीय परामर्शदाता का कार्यभार अपेक्षाकृत हल्का है। जिला परिषद् की अधिकांश संस्थाओं, जैसे अस्पतालों, सड़कों, गौकाघाट तथा प्राइमरी शिक्षा को संबंधित विभागों को स्थानान्तरित किया गया है। वह केवल प्राइमरी शिक्षा से संबंधित कर्मचारी वर्ग के बिलों पर हस्ताक्षर करता है। अध्यापकों के वेतन को आहरित करने तथा उसे वितरित करने का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी का है। हम इस पद को उन्नत (अपग्रेड) करने का कोई औचित्य नहीं पाते और हम यह भी संस्तुति करते हैं कि शासन स्तर पर इस बात का परीक्षण किया जाय कि क्या इस अधिकारी को कुछ अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है, क्योंकि इस समय इस अधिकारी का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस संगठन के अन्य कर्मचारी वर्ग के वेतनमानों आदि में कोई असंगति नहीं है।

रजिस्ट्रार, फर्म, सोसाइटीज और चिट

19.56 1958 तक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटीज के रूप में भी कार्य करते थे। रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटीज का एक पृथक् कार्यालय अगस्त, 1958 में स्थापित किया गया था, जो 1959 में वित्त विभाग के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया। रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटीज, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960, इंडियन पार्टनरशिप अधिनियम, 1932, यू0 पी0

पार्टनरशिप अधिनियम, 1932 और उत्तर प्रदेश चिट फण्ड अधिनियम 1975 का प्रशासन करते हैं।

19.57 रजिस्ट्रार जो रु0 1400–1800 के वेतनमान में हैं, विशेष श्रेणी के पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं। उनकी सहायता के लिये रु0 650–1300 के वेतनमान में दो उप रजिस्ट्रार, रु0 550–1200 के वेतनमान में 3 सहायक रजिस्ट्रार और अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग हैं। हमने इस संगठन के विभिन्न पदों के वेतनमानों का परीक्षण किया है। इस विभाग से कोई ज्ञापन या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। सहायक रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के पद हाल ही में वित्त और लेखा सेवा संवर्ग में सम्मिलित किये गये हैं। वित्त विभाग द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के सभी पद रु0 850–1720 के वेतनमान में रखे जायं। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि उन्हें सहायक रजिस्ट्रार का सामान्य पदनाम दिया जाय। अन्वेषक के दो पद रु0 350–700 के वेतनमान में हैं। इस पद के लिये आधारिक अर्हता विधि की डिग्री है। अन्वेषक के लिये इस समय कोई पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। अन्वेषकों की अर्हता को देखते हुए हम यह संस्तुति कर रहे हैं कि सहायक रजिस्ट्रार का एक पद अन्वेषकों में से पदोन्नति करके भरा जाना चाहिए। फोटो स्टेट मशीन आपरेटर का वेतनमान रु0 200–320 है। इस पद के लिये कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गयी है। आपरेटर का कार्य सरल और नैत्यक प्रकृति का है और उसके कार्य की तुलना सामान्यतया साइक्लोस्टाइल मशीन आपरेटर के कार्य से की जा सकती है। अतः हम इस पद के लिये उसी वेतनमान की संस्तुति करते हैं, जो साइक्लोस्टाइल मशीन आपरेटर को अनुमन्य है। हम इस संगठन में किसी अन्य पद के वेतनमानों के संबंध में कोई असंगति नहीं पाते हैं।

वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय

19.58 वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय वित्तीय आंकड़े एकत्र करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिये उत्तरदायी है। यह संगठन वित्त विभाग के विशेष सचिव के प्रभार में है, जो इस संगठन के पदेन निदेशक हैं। उनकी सहायता के लिये चार उप निदेशक, एक सहायक निदेशक और अन्य सहायक कर्मचारी वर्ग हैं।

19.59 इस संगठन से हमें कोई प्रत्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है जिसका कारण सम्भवतः यह है कि वहां कोई सेवा संघ नहीं है। वित्त विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक हमारे समक्ष उपस्थित हुए किन्तु उन्होंने इस संगठन के कर्मचारियों के वेतनमान आदि के बारे में कोई विशेष समस्यायें नहीं बतायीं।

19.60 उप निदेशक और सहायक निदेशक के पद उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में सम्मिलित हैं। अतः हम उनके वेतनमानों के संबंध में यहां कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

19.61 मशीन पर्यवेक्षक के दो पद रु0 500–1000 के वेतनमान में हैं। इस पद के लिये निर्धारित अर्हता स्नातक की डिग्री और कम्प्यूटर मशीनों पर आंकड़ों के विधायन के पर्यवेक्षण का पांच वर्ष का अनुभव है। इस पद पर 75 प्रतिशत सीधी भर्ती की जाती है और 25 प्रतिशत भर्ती उन मशीन आपरेटरों में से पदोन्नति द्वारा की जाती है जो रु0 350–700 के वेतनमान में हैं। अन्य प्राविधिक पद मशीन आपरेटर का रु0 350–700 के वेतनमानों में है। इस पद के लिये अर्हता स्नातक की डिग्री और 3 वर्ष का अनुभव है। हम इस पद के वेतनमान में कोई परिवर्तन किये जाने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

19.62 पन्च/वेरिफायर आपरेटर के 12 पद रु0 250–425 के वेतनमान में हैं। इन पदों के लिये अर्हता इण्टरमीडियेट तथा 6 मास की अवधि के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है। ये पद अर्थ और संख्या निदेशालयों में भी उपलब्ध हैं जहां अर्हतायें समान हैं। पन्च/वेरिफायर आपरेटर के पदों के बारे में संस्तुतियां 'सामान्य कोटि के पद' से संबंधित अध्याय में की गयी हैं।

19.63 इस संगठन में कार्यालय अधीक्षक का पद रु0 450–700 के वेतनमान में है। कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की संख्या केवल 13 है। इसे देखते हुए इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि कार्यालय अधीक्षक का पद रु0 450–700 के वेतनमान में हो। अतः हम "सामान्य कोटि के पद" से संबंधित अध्याय में प्रतिपादित सामान्य पैटर्न के अनुसार इस पद के लिये रु0 622–940 के निम्नतर वेतमान की संस्तुति कर रहे हैं।

19.64 मुख्य कलाकार का एक पद रु0 450–850 के वेतनमान में है। इस पद के लिये अर्हता स्नातक की डिग्री तथा आर्ट्स कालेज का 5 वर्ष का प्रशिक्षण है। अर्थ और संख्या निदेशालय में भी मुख्य कलाकार का एक अन्य पद रु0 450–850 के वेतनमान में है। इस पद के लिये अर्हता भी वही है जो वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय में है। अतः हम इस वेतनमान में कोई परिवर्तन किये जाने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

19.65 आशुलिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष, लेखाकार एवं रोकड़िया, स्टोर-कीपर, टंकक, ड्राइवर, दफ्तरी, चपरासी माली और चौकीदार के अन्य पद सामान्य कोटि के पद हैं और उनके संबंध में संगत अध्याय में विचार किया गया है।

पेंशन अधिकारी का संगठन

19.66 पेंशन अधिकारी राज्य भर में पेंशन संबंधी मामलों के समय पर निस्तारण पर निगाह रखने के लिये उत्तरदायी हैं। यह एक छोटा सा संगठन है जिसके अध्यक्ष पेंशन अधिकारी रु0 550–1200 के वेतनमान में हैं और जिनका मुख्यालय सचिवालय में है। उनकी सहायता के लिये 12 पेंशन निरीक्षक रु0 300–500 के वेतनमान में हैं। इनमें से 11 पेंशन निरीक्षक मण्डल आयुक्तों के कार्यालय में और एक पेंशन निरीक्षक मुख्यालय पर तैनात है।

19.67 हमारे समक्ष प्रस्तुत लिखित निवेदन तथा मौखिक साक्ष्य में यह मांग की गयी है कि पेंशन अधिकारी का वेतनमान रु0 550–1200 से बढ़ाकर 650–1300 किया जाय तथा रु0 100 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय। इस समय कोई सेवा नियमावली नहीं है और इस पद पर नियुक्ति वित्त विभाग द्वारा वित्त और लेखा सेवा के अधिकारियों में से की गयी है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि पेंशन अधिकारी को महालेखाकार तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क रखना पड़ता है और पेंशन अधिकारी द्वारा किया जा रहा कार्य काफी

महत्व का है और उनका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश में है, हम इस पद के लिये रु0 1250-2050 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं किन्तु विशेष वेतन दिये जाने का हम कोई औचित्य नहीं पाते ।

19.68 पेंशन निरीक्षक का पद रु0 300-500 के वेतनमान में है । इस वेतनमान को उन्नत किये जाने का हम कोई औचित्य नहीं पाते । पेंशन निरीक्षक के लिये पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि सामान्य शर्तों के अधीन 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं ।

19.69 इस संगठन के अन्य पद सामान्य कोटि के पद हैं और उनके संबंध में संगत अध्याय में विचार किया गया है ।

मुख्य लेखा अधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग

19.70 खाद्य तथा रसद विभाग के मुख्यालय पर मुख्य लेखा अधिकारी सम्भागीय लेखा अधिकारियों के कार्य को समन्वित तथा नियंत्रित करने के लिये उत्तरदायी है । वह लाभ और हानि के लेखे और खाद्यान्नों के मुद्रा संबंधी लेन-देन के स्थित पत्रक (बैलेन्सशीट) के लिये भी उत्तरदायी है और वह खाद्य तथा रसद विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों जिनमें बांट और माप संगठन भी सम्मिलित है, के लेखे का समय-समय पर निरीक्षण करता है ।

19.71 इस संगठन से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जिसका कारण सम्भवतः यह है कि संगठन में तैनात अधिकारी अर्थात् मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य लेखा अधिकारी लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा और सहायक लेखा अधिकारी सेवा से लिये गये हैं । उनके वेतनमान आदि का परीक्षण इसी अध्याय में पहले किया गया है ।

19.72 इस संगठन की कतिपय अनोखी विशेषतायें हैं । संपरीक्षक और लेखाकार रु0 280-460 के समान वेतनमान में हैं किन्तु संपरीक्षक का पद लेखाकारों के लिये पदोन्नति का पद है । मुख्य लेखा अधिकारी ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि संपरीक्षक और लेखाकार के वेतनमान समान हैं तथापि उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व बिल्कुल ही भिन्न हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह संस्तुति की है कि दोनों कोटि के पदों को अलग-अलग संवर्ग में रखा जाय, जैसा कि अब तक है । उन्होंने यह भी संस्तुति की है कि लेखाकार के पद से संपरीक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने की व्यवस्था को बने रहने दिया जाय । जो स्थिति स्पष्ट की गयी है उसे ध्यान में रखते हुए हम इन संवर्गों में कोई परिवर्तन किये जाने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं ।

19.73 इस संगठन में पदोन्नति की सम्भावनाओं का भी परीक्षण किया गया है । वरिष्ठ संपरीक्षकों के सभी छः पद मुख्य लेखाकारों/संपरीक्षकों में से भरे जाते हैं । जिनकी कुल संख्या 16 है । मुख्य लेखाकार के सभी चार पद संपरीक्षक/लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इसी प्रकार संपरीक्षकों के 50 प्रतिशत पद लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और लेखाकारों के 33 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन पदों के धारकों को पदोन्नति के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं । अतः हम इनके लिये किसी सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति नहीं कर रहे हैं ।

19.74 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस संगठन में वरिष्ठ लेखा लिपिक के 13 पद हैं और टंकक के 4 पद हैं । विभाग द्वारा जो विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ लेखा लिपिक का पद टंककों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और यदि पदोन्नति के लिये कोई टंकक उपलब्ध नहीं हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है । इस प्रकार का जो उल्टा पदानुक्रम है वह समुचित कार्मिक व्यवस्था के लिये सहायक नहीं है । मुख्य लेखा अधिकारी ने यह कहा है कि ऐसी स्थिति इसलिये है कि इस संगठन में नैत्यक श्रेणी के लिपिक नहीं हैं और उन्होंने यह संस्तुति की है कि वरिष्ठ लेखा लिपिकों के 13 पदों में से 9 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायं । हम मुख्य लेखा अधिकारी के सुझाव से सहमत हैं ।

19.75 अन्य पद सामान्य कोटि के पद हैं और उनके बारे में संगत अध्याय में विचार किया गया है । हमने इस खण्ड के भाग 2 में पुनरीक्षित वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड जहां कहीं आवश्यक है, दिये हैं ।

अध्याय बीस

संस्थागत वित्त

सचिव, संस्थागत वित्त निम्नलिखित विभागों के लिये जिम्मेदार हैं :—

(1) बिक्रीकर विभाग

(2) न्यायाधीश पुनरीक्षण (बिक्रीकर)

(3) मनोरंजन-कर विभाग

(4) स्टैम्प तथा निबन्धन विभाग

(5) संस्थागत वित्त निदेशालय

बिक्री-कर विभाग

20.2 बिक्रीकर राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। वर्ष 1980—81 के आय-व्ययक में कर, राजस्व तथा फीस के रु0 504.99 करोड़ में से बिक्रीकर से आय रु0 238.02 करोड़ है जो कि वर्ष में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों का 47.3 प्रतिशत है। क्षेत्र स्तर पर इस संगठन के अध्यक्ष बिक्रीकर आयुक्त हैं जो आई0 ए0 एस0 के सुपर टाइम वेतनमान के अधिकारी हैं। वह उ0 प्र0 बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य में बिक्रीकर के सर्वेक्षण, निर्धारण तथा वसूली के लिये उत्तरदायी हैं। बिक्रीकर आयुक्त की सहायता के लिये एक अतिरिक्त आयुक्त (आई0 ए0 एस0 के ज्येष्ठ वेतनमान के अधिकारी), 21 उपायुक्त, 98 सहायक आयुक्त, 1341 बिक्रीकर अधिकारी तथा अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग हैं, जिनमें 15 डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) शामिल हैं।

20.3 उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिकारी संघ ने अपने ज्ञापन तथा हमारे समक्ष मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये :—

(1) पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव)/(जुडीशियल) तथा पुलिस के वेतनमान किसी भी दशा में अन्य सम्बद्ध राज्य सेवाओं से उच्चतर नहीं होना चाहिये।

(2) बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों के प्रोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं और इसीलिये विभिन्न सम्वर्गों में प्रोन्नति के अतिरिक्त अवसर के अलावा अतिरिक्त आयुक्त बिक्रीकर के तीन पद और सचिवालय स्तर पर एक या दो पद विभाग के अधिकारियों के लिये सुरक्षित होना चाहिये।

(3) विभाग के अधिकारियों को निम्नलिखित वेतनमान स्वीकृत किये जांय :—

	(रु0)
(1) आयुक्त, बिक्रीकर	3000—3500
(2) अतिरिक्त आयुक्त	2750—3000
(3) उप आयुक्त	2250—2750
(4) सहायक आयुक्त	2000—2500
(5) बिक्रीकर अधिकारी	1200—2250

(4) मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को विशेष वेतन स्वीकृत किया जाय।

20.4 वेतन आयोग को दी गई टिप्पणी में बिक्रीकर आयुक्त ने यह सुझाव दिया कि बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 के 10 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाना चाहिये। बिक्रीकर आयुक्त तथा सचिव (संस्थागत वित्त) ने आयोग के साथ विचार-विमर्श में निम्नलिखित बिन्दु भी उठाये :—

(1) विभाग में शोध एवं विकास कोष्ठक की स्थापना के लिये अतिरिक्त आयुक्त, बिक्रीकर का एक और पद होना चाहिये, जो बिक्री-कर से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावों के उपाशय का परीक्षण राज्य की आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में करे और अन्य संबंधित समस्याओं का गहराई से अध्ययन करे।

(2) सहायक आयुक्त बिक्रीकर तथा बिक्रीकर अधिकारी के स्तर पर वृद्धिरोध है। इन पदों पर यथोचित सेलेक्शन ग्रेड का प्राविधान होना चाहिये।

(3) उप आयुक्त (अपील) के कुछ अतिरिक्त पद होने चाहिये।

(4) सचल इकाई, चेक पोस्ट और विशेष अन्वेषण शाखा में तैनात कर्मचारियों को विशेष वेतन मिलते रहना चाहिये।

20.5 बिक्रीकर आयुक्त तथा सचिव (संस्थागत वित्त) द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के अतिरिक्त आयोग ने इन अधिकारियों से निम्नलिखित प्रश्नों के संबंध में विचार-विमर्श किया :—

(क) बिक्रीकर अधिकारी स्तर पर सर्वेक्षण तथा कर निर्धारण का कार्य अलग-अलग होना चाहिये।

(ख) बिक्रीकर अधिकारी तथा सहायक आयुक्त,

15 सा0 वित्त—1981—26

बिक्रीकर के कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध संशोधनात्मक प्रतिविधान (रिवीजनल रेमेडी) की सीमा।

(ग) बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-1 तथा 2 के बहुत से अधिकारियों को सवारी भत्ता दिये जाने का औचित्य।

(घ) बिक्रीकर विभाग में पिछले पांच वर्षों में कर्मचारिवर्ग में असामान्य वृद्धि।

(ङ) बिक्रीकर विभाग में वसूली के लिये अलग एजेन्सी का औचित्य।

20.6 उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिकारी संघ के ज्ञापन में उठाये गये बिन्दुओं और बिक्रीकर आयुक्त तथा सचिव (संस्थागत वित्त) द्वारा दिये गये सुझावों पर नीचे के प्रस्तरों में विचार किया गया है।

20.7 दिनांक 1-4-1974 को उप आयुक्त के 6 पद, सहायक आयुक्त के 61 पद, बिक्रीकर अधिकारी के 281 पद और बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 के 416 पद थे। वर्ष 1978-79 के अन्त तक यह संख्या बढ़कर क्रमशः 19, 98, 723 और 618 हो गई है। अन्य श्रेणी के कर्मचारिवर्ग में भी अपार वृद्धि हुई है। विभाग की ओर से यह कहा गया कि पिछले पांच वर्षों में बिक्रीकर के राजस्व में बहुत वृद्धि हुई है और कर्मचारिवर्ग में वृद्धि को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये। हमारा विचार है कि बिक्रीकर से राजस्व में पिछले पांच वर्षों में जो वृद्धि हुई है वह कई कारणों के फलस्वरूप हुई है, जैसे मूल्यों में वृद्धि, बिक्रीकर की दरों में वृद्धि और उन वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि जिन पर बिक्रीकर लगाया जाता है। तथापि विभाग ने कर्मचारि वर्ग की वास्तविक आवश्यकता के प्रश्न की जांच करने पर अपनी सहमति दी है।

20.8 व्यवसाय-कर के बकाये की वसूली के लिये 183 पद हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह इंगित किया गया कि यद्यपि व्यवसाय-कर 7 वर्ष पूर्व समाप्त किया जा चुका है, कर्मचारियों को अवशेष बकाये की वसूली के लिये अभी बनाये रखा गया है। हम अनुभव करते हैं कि राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूलियां की जा सकती हैं और जो फालतू स्टाफ है उसका विभाग में होने वाली रिक्तियों में उपयोग किया जा सकता है।

20.9 हमने बिक्रीकर विभाग में कर्मचारियों के वेतनमानों की जांच की है। बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 रु० 400—750 के वेतनमान में है, जिनमें से 15 पद रु० 450—950 के सेलेक्शन ग्रेड में हैं। इस पद का पदनाम पहले सहायक बिक्रीकर अधिकारी था। 25 प्रतिशत पद लिपिकीय कर्मचारिवर्ग में से जो रु० 280—460 तथा उसके ऊपर के वेतनमान में हैं, प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती के लिये आधारिक अर्हता स्नातक की उपाधि है। इस पद के वेतनमान को उच्चीकृत करने का हम कोई औचित्य नहीं पाते। तथापि हमने पाया कि बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 के 155 पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। विभाग में रु० 280—460 तथा उसके ऊपर के वेतनमान के लिपिकीय वर्ग के लगभग 250 पद हैं जिनमें आशुलिपिक, आलेखक तथा प्रालेखक, मुख्य सहायक, अधीक्षक, सांख्यकीय सहायक, अन्वेषक, आडीटर, मुख्य लिपिक इत्यादि शामिल हैं। बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 का कार्य अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है जो लिपिकीय कर्मचारियों के नैत्यिक कार्य से भिन्न है। लिपिकीय कर्मचारी वर्ग में सीधी भर्ती (आशुलिपिक के पद को छोड़कर) कनिष्ठ लिपिक/टंकक के स्तर पर है जिनका वेतनमान रु० 200—320 है। हमारा विचार है कि लिपिकीय कर्मचारी वर्ग को सामान्यतया लिपिकीय संवर्ग में ही उच्चतर पदों पर प्रोन्नति मिलनी चाहिये न कि क्षेत्र के पदों पर परन्तु साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस विभाग में लिपिकीय कर्मचारी वर्ग को प्रोन्नति के अवसर काफी लम्बे अरसे से उपलब्ध हैं, इस समय यह वांछनीय न होगा कि वर्तमान प्रणाली को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये। हम संस्तुति करते हैं कि प्रमोशन कोटा में भारी कमी की जाये और केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाये जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता परीक्षा पास कर लें।

20.10 इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 के लिये प्रोन्नति के अवसर पर्याप्त हैं, विभागीय अधिकारियों ने उनके लिये सेलेक्शन ग्रेड देने का प्रस्ताव नहीं किया। वेतनमान रु० 550—1200 में बिक्रीकर अधिकारी के 723 पद हैं। इनमें से 33 प्रतिशत बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार 482 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिये उपलब्ध हैं। उच्चतर स्तर पर प्रोन्नति के लिये कुल उपलब्ध पदों में 98 पद सहायक आयुक्त के तथा 19 पद उप आयुक्त के हैं। बिक्रीकर अधिकारियों के संवर्ग में कोई सलेक्शन ग्रेड नहीं है। सहायक आयुक्त के 12 पद पहले से ही सेलेक्शन ग्रेड में हैं। इस समय कुछ बिक्रीकर अधिकारी, जो वर्ष 1971 में सीधी भर्ती द्वारा लिये गये, सहायक आयुक्त, बिक्रीकर के पद पर प्रोन्नति पा चुके हैं। वर्ष 1971 तथा उसके बाद के वर्षों में बहुत भारी संख्या में भर्ती हुई, जिसके फलस्वरूप 1971 बैच के बहुत से अधिकारी सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के लिये अभी शेष हैं। सहायक आयुक्त के पदों की कुल संख्या को देखते हुये, भविष्य में रिक्तियां प्रतिवर्ष लगभग पांच होंगी और बिक्रीकर अधिकारियों के स्तर पर वृद्धिरोध निश्चित है। इसलिए हम संस्तुति करते हैं कि बिक्रीकर अधिकारियों के 15 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में सामान्य शर्तों के अधीन रखा जाये। इसके अतिरिक्त, सहायक आयुक्त, बिक्रीकर के 20 पद भी सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें। जहां तक अतिरिक्त आयुक्त, बिक्रीकर के अतिरिक्त पद के सृजन का सुझाव है, उत्तर प्रदेश वेतन आयोग अतिरिक्त पदों के सृजन पर विचार नहीं कर रहा है और इस मामले में निर्णय राज्य सरकार को लेना है।

20.11 जहां तक लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमानों का प्रश्न है जिसमें आशुलिपिक भी सम्मिलित हैं, ये

सामान्य कोटि के पद हैं और इन पर संगत अध्याय में विचार किया गया है।

विशेष वेतन

20.12 बिक्रीकर अधिकारी और बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 जब विशेष अन्वेषण शाखा, चेक पोस्ट और सचल दल में तैनात होते हैं तो उनको क्रमशः रु0 100 तथा रु0 50 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाता है। जब उन्हें अदालतों में विभाग की ओर से पैरवी का दायित्व सौंपा जाता है तो उन्हें विशेष वेतन भी मिलता है। मुख्यालय पर तथा शोध कार्य में लगे चार बिक्रीकर अधिकारियों को भी 100 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमन्य है। मुख्य लिपिक, आशुलिपिक, आलेखक और प्रालेखक, लेखाकार, टंकक, सब इन्सपेक्टर, हेड कान्सटेबुल, कान्सटेबुल, ड्राइवर तथा चपरासी को भी रु0 20 से रु0 40 प्रतिमाह विशेष वेतन मिलता है। हमारे सामने इस बात पर बल दिया गया है कि जो कर्मचारि वर्ग चेक पोस्ट पर और सचल दस्तों में तैनात हैं और जो विशेष अन्वेषण शाखा में तैनात हैं उनका कार्य विशेष दुरूह है। विशेष वेतन से संबंधित प्रश्न पर सभी विभागों के संबंध में संगत अध्याय में विचार किया गया है। इसी प्रकार वाहन भत्ते के मामले में भी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में संगत अध्याय में विचार किया गया है।

20.13 सर्वेक्षण तथा कर-निर्धारण कार्य को पृथक करने के सम्बन्ध में हमने विभाग के अधिकारियों से विस्तार-पूर्वक विचार-विमर्श किया। विभाग का यह दृढ़ मत है कि इन दोनों कार्यों को अलग नहीं किया जाना चाहिये। इस संबंध में विभाग ने जयराम वर्मा कमेटी रिपोर्ट 1962—65, शुक्ला कमेटी रिपोर्ट 1968-69 तथा लकड़ावाला कमेटी रिपोर्ट 1974 का हवाला दिया है। जयराम वर्मा और लकड़ावाला कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि इन दोनों कार्यों को अलग नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि यदि सर्वेक्षण कार्य के लिये अलग कर्मचारी नियुक्त होते हैं तो कर-निर्धारण प्राधिकारी संबंधित व्यापारी के कार्यकलापों की व्यक्तिगत जानकारी से वंचित हो जायेगा। इसके विपरीत शुक्ला कमेटी ने यह कहा कि कर-निर्धारण प्राधिकारी सम्भवतः सर्वेक्षण कार्य के साथ न्याय नहीं कर सकेगा और यह संस्तुति की कि सर्वेक्षण कार्य के लिये अलग स्टाफ नियुक्त किया जाये। विभाग के अधिकारियों का यह विचार था कि यदि दोनों कार्यों को पृथक किया जाता है तो इस बात का अन्देशा है कि सर्वेक्षण अधिकारी का बिक्री के संबंध में अनुमान वास्तविकता से परे होगा। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि वर्ष 1978-79 में जब लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी में विशेष सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किये गये थे तो यह बड़ा अप्रिय अनुभव था। विभाग का मत है कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुये दोनों कार्यों को एक साथ रखना अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी है। सर्वेक्षण अधिकारी के कार्यभार का मापदंड घटाया जाना चाहिये ताकि प्रभावकारी सर्वेक्षण सुनिश्चित हो सके। हमारे सामने पर्याप्त सामग्री के अभाव में इस मामले में निश्चित सुझाव देना संभव नहीं हो पाया है। हम इस मामले के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण का कार्य शासन पर छोड़ते हैं।

20.14 जहां तक बिक्रीकर के देयों की वसूली के लिये अलग स्टाफ का प्रश्न है हम इस संबंध में कोई निश्चित संस्तुति नहीं कर रहे हैं परन्तु एक ही कार्य के लिये कई एजेन्सी होने से राज्य कोष पर अतिरिक्त भार बढ़ता है। यह एक अलग बात है कि यदि किन्हीं क्षेत्रों में बिक्रीकर के देय बहुत अधिक हैं वहां तहसील में ही इसके लिये एक अलग खंड खोला जाये।

बिक्रीकर न्यायाधिकरण

20.15 बिक्रीकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की प्रास्थिति अपने अधिष्ठान के संबंध में विभागाध्यक्ष की है। अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकरण के सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा से तथा बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों में से चुने गये हैं। अध्यक्ष को रु0 2500 प्रतिमाह का नियत वेतन मिलता है और सदस्यगण रु0 1950—2250 के वेतनमान में हैं। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हुये और उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिये :

1. अध्यक्ष, न्यायाधिकरण बिक्रीकर का वेतनमान रु0 2200—2500 होना चाहिये।
2. बिक्रीकर विभाग में मुंसरिम का वेतनमान रु0 250—425 से उच्चीकृत करके रु0 280—460 किया जाना चाहिये।
3. लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि रु0 300—500 के वेतनमान के आशुलिपिक, रु0 400—550 के वेतनमान के मुख्य लिपिक तथा मुंसरिम को बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 के पद के लिये पात्र होना चाहिये।
4. अध्यक्ष, न्यायाधिकरण (बिक्रीकर) को अन्य विभागाध्यक्षों की भांति स्टाफ कार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये क्योंकि उनको दौरा करना पड़ता है।

20.16 हमने यह इंगित किया है कि अध्यक्ष, बिक्रीकर न्यायाधिकरण को रु0 2700—3000 के वेतनमान में रखा जाना चाहिये और जो सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा से आते हैं उन्हें रु0 2300—2700 का वेतनमान मिलना चाहिये। हम इस मांग से सहमत हैं कि बिक्रीकर न्यायाधिकरण में मुंसरिम का वेतनमान अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों के मुंसरिम के बराबर होना चाहिये। हम तदनुसार संस्तुति कर रहे हैं। हमने यह नोट किया है कि रु0 280—460 तथा उसके ऊपर के वेतनमान के लिपिकीय कर्मचारी बिक्रीकर अधिकारी ग्रेड-2 के पद पर प्रोन्नत पाने के लिये अर्ह हैं और इससे न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के लिपिकीय कर्मचारि वर्ग

को वंचित नहीं किया जाना चाहिये। जहां तक अध्यक्ष, न्यायाधिकरण (बिक्रीकर) के लिये अलग से वाहन की व्यवस्था का प्रश्न है, इस संबंध में हमें कोई टीका नहीं करनी है क्योंकि यह मामला हमारे विचारणीय विषयों में नहीं है और शासन इस मांग पर गुणावगुण के आधार पर विचार करना चाहे।

मनोरंजन-कर विभाग

20.17 कुछ वर्ष पूर्व तक बिक्रीकर आयुक्त मनोरंजन-कर विभाग का भी विभागाध्यक्ष होता था, यद्यपि यह एक अलग विभाग था। अब विभाग के अध्यक्ष मनोरंजन-कर आयुक्त हैं जो आई० ए० एस० के ज्येष्ठ वेतनमान के अधिकारी हैं। इनकी सहायता के लिये एक उपायुक्त (मनोरंजनकर) रु० 800—1450 के वेतनमान में पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारी, 11 सहायक आयुक्त रु० 550—1200 के वेतनमान में, 23 मनोरंजन-कर अधीक्षक और 242 मनोरंजन-कर निरीक्षक ग्रेड-1 तथा ग्रेड-2 क्रमशः रु० 450-950, 350-700 और 280-460 के वेतनमान में हैं।

20.18 उ० प्र० मनोरंजन-कर अधिकारी संघ ने प्रश्नावली के उत्तर में यह सुझाव दिया है कि उप आयुक्त (मनोरंजन-कर) का पद विभागीय अधिकारियों में से भरा जाना चाहिये। उसने यह भी मांग की है कि मनोरंजन कर निरीक्षक का वेतनमान नायब तहसीलदार तथा आबकारी निरीक्षक के समान होना चाहिये।

20.19 मनोरंजन-कर निरीक्षक संघ ने नायब तहसीलदार तथा आबकारी निरीक्षक के वेतनमान से समानता की मांग के साथ-साथ यह भी मांग की है कि मनोरंजन-कर निरीक्षकों को रु० 125 प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता दिया जाये क्योंकि उन्हें शहर में एक सिनेमा घर से दूसरे सिनेमा घर तक निरन्तर आना जाना पड़ता है, जिसके लिये कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं है।

20.20 संघों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर हमने मनोरंजन-कर आयुक्त तथा सचिव, (संस्थागत वित्त) से विचार-विमर्श किया। मनोरंजन-कर आयुक्त ने मनोरंजन-कर निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक के एक पद तथा वरिष्ठ लिपिकों के कुछ पदों के लिये उच्चतर वेतनमान की मांग की। इस समय मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-2 के 207 पद, निरीक्षक ग्रेड-2 के सेलेक्शन ग्रेड के 5 पद तथा निरीक्षक ग्रेड-1 के 35 पद हैं। सचिव, (संस्थागत वित) का मत यह था कि ग्रेड-1 के निरीक्षकों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाये तथा ग्रेड-2 के निरीक्षकों का सेलेक्शन ग्रेड समाप्त कर दिया जाये। सहायक आयुक्त मनोरंजन-कर के 11 पदों में से 6 पदों पर भर्ती पी० सी० एस० सम्वर्ग से की जाती है तथा 5 पद विभागीय अधिकारियों में से भरे जाते हैं। मनोरंजन-कर अधीक्षक के 25 पद हैं जो प्रोन्नति हेतु उपलब्ध हैं। यह पद वर्ष 1975 में निरीक्षकों को प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सृजित किये गये थे। हम सचिव, (संस्थागत वित्त) से सहमत हैं कि निरीक्षक ग्रेड-2 को उपलब्ध प्रोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। हम इस बात से भी सहमत हैं कि बड़े शहरों में मनोरंजन-कर निरीक्षक का कार्य अधिक उत्तरदायित्व का होता है। विचार-विमर्श के दौरान यह पाया गया कि मोटे तौर से 25 प्रतिशत स्थानों पर मनोरंजन-कर निरीक्षक के पदों पर अधिक अनुभवी व्यक्तियों को तैनात किये जाने की आवश्यकता होगी। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि निरीक्षकों का ग्रेड-1 तथा ग्रेड-2 में वर्गीकरण बना रहे तथा निरीक्षकों के 25 प्रतिशत पद ग्रेड-1 में और शेष 75 प्रतिशत पद ग्रेड-2 में रखे जायें। जैसा कि सचिव, (संस्थागत वित्त) ने सुझाव दिया है, निरीक्षक ग्रेड-2 को अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड में समाप्त कर दिया जाये।

20.21 जहां तक लिपिकीय कर्मचारि वर्ग के वेतनमानों का संबंध है यह पद सामान्य कोटि के पद हैं और इन पर "सामान्य कोटि के पद" से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है।

20.22 हम इस बात से सहमत हैं कि उन मनोरंजन कर निरीक्षकों को, जिनका कार्यक्षेत्र नगर सीमा के अन्तर्गत आता है और जिन्हें यद्यपि वे एक बड़े क्षेत्र में फैले कई सिनेमा घरों का पर्यवेक्षण करते हैं, कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं मिलता, कुछ सवारी भत्ता दिया जाना चाहिये। इस पर संगत अध्याय में विचार किया गया है।

स्टैम्प तथा निबन्धन विभाग

20.23 निबन्धन महानिरीक्षक, निबन्धन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1864 का प्रशासन करते हैं। मुख्य निरीक्षक, स्टैम्प की हैसियत से वह कोर्ट फीस एण्ड इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, 1899 का प्रशासन करते हैं। निबन्धन महानिरीक्षक, जो आई० ए० एस० के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी हैं, की सहायता के लिये रु० 900—1600 के वेतनमान में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक रु० 800—1450 के वेतनमान में 5 उप महानिरीक्षक तथा रु० 550—1200 के वेतनमान में 20 सहायक महानिरीक्षक हैं। सब रजिस्ट्रार के कुल पदों की संख्या 239 है, जिसमें से 20 पद रु० 450—850 के सेलेक्शन ग्रेड में हैं। मुख्यालय पर और अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिकीय पद हैं।

20.24 उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन तथा स्टाम्प राजपत्रित अधिकारी संघ ने आयोग को दिये गये अपने ज्ञापन में यह निवेदन किया है कि इस विभाग का कार्य प्राविधिक प्रकार का है, अतः अधिकारियों को प्राविधिक अधिकारियों की भांति माना जाये और इस आधार पर उन्हें उपयुक्त वेतनमान दिये जायें। संघ ने यह भी सुझाव दिया कि अधिकारियों के वेतनमान बिक्रीकर आयुक्त संगठन में विभिन्न पदों के वेतनमानों के समान रखे जायें। संघ ने यह भी मांग की कि सहायक महानिरीक्षक के 5 पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें।

20.25 उ० प्र० सब रजिस्ट्रार संघ ने आयोग को दिये गये अपने ज्ञापन में यह कहा कि सब रजिस्ट्रार के 75 प्रति-

शत पदों पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है और केवल 25 प्रतिशत पद लिपिकीय कर्मचारिवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। संघ ने यह सुझाव दिया कि चूंकि :—

(1) पद के लिये न्यूनतम अर्हता विधि स्नातक की उपाधि है, और

(2) राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में पद का उत्तरदायित्व काफी बड़ा है,

अतः उन्हें रु0 550—1200 का वेतनमान दिया जाये और यदि इस मांग को स्वीकार किया जाना संभव न हो तो कम से कम जिला मुख्यालयों के सब-रजिस्ट्रार को उक्त वेतनमान दिया जाये।

20.26 आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में निबन्धन महानिरीक्षक ने यह विचार व्यक्त किया कि इस विभाग में अधिकारियों को प्रोन्नति के बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं और यह सुझाव दिया कि प्रत्येक स्तर पर 20 प्रतिशत पदों पर संलेक्शन ग्रेड दिया जाये। निबन्धन महानिरीक्षक विभिन्न स्तर पर सेवा में सीधी भर्ती के पक्ष में नहीं थे, किन्तु वे इस बात से सहमत थे कि यदि आवश्यक हो तो सहायक महानिरीक्षक के पदों में से कुछ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मुख्यालय पर तैनात सहायक महानिरीक्षक को उनके उच्चतर दायित्व को दृष्टिगत रखते हुये विशेष वेतन दिया जाये। सचिव, (संस्थागत वित्त) का मत यह था कि जिला रजिस्ट्रार के 25 प्रतिशत पद सब-रजिस्ट्रार में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिये।

20.27 निबन्धन महानिरीक्षक ने यह भी संस्तुति की कि मुख्यालय के लिपिकीय कर्मचारि वर्ग को प्रोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होने चाहिये और इस विभाग के लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमान बिक्रीकर आयुक्त के कार्यालय के वेतनमानों के पैटर्न पर होने चाहिये। उन्होंने आशुलिपिक, मुख्य निबन्धन लिपिक के वेतनमानों के उच्चीकरण का सुझाव भी दिया और यह भी प्रस्ताव किया कि प्रत्येक जिले में निबन्धन लिपिक के 5 पदों में से 1 पद का उन्नयन किया जाये।

20.28 हमने विभिन्न संघों द्वारा की गयी मांगों तथा विभागाध्यक्ष और सचिव, (संस्थागत वित्त) की संस्तुतियों पर विचार किया है। विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध प्रोन्नति के अवसरों तथा विभाग में कार्य की प्रकृति का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त हम यह संस्तुति करते हैं कि :—

(1) जिला मुख्यालय के सब-रजिस्ट्रार को रु0 690—1420 के उच्चतर वेतनमान में रखा जाये।

(2) सब रजिस्ट्रार के संलेक्शन ग्रेड के पद समाप्त किये जायें।

(3) मुख्य निबन्धन लिपिक को रु0 430—685 के वेतनमान में रखा जाये।

(4) प्रत्येक जिले में एक निबन्धन लिपिक को रु0 400—615 के उच्चतर वेतनमान में रखा जाये।

(5) सहायक महानिरीक्षक के पदों की संख्या में वृद्धि से संबंधित मांग पर आयोग किसी प्रकार का सुझाव देने में असमर्थ है, क्योंकि इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है और न यह हमारे विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(6) जहां तक मुख्यालय पर तैनात सहायक महानिरीक्षक के पदों पर विशेष वेतन का संबंध है, हम विशेष वेतन दिये जाने के लिये कोई औचित्य नहीं पाते, क्योंकि यह प्रोन्नति के पद हैं।

हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि उप महानिरीक्षक का पद, जो वर्ष 1979 में सृजित किया गया था, अभी तक रिक्त है। हम अन्य पदों के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाते हैं।

संस्थागत वित्त निदेशालय

20.29 प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय स्तर के क्षेत्रों में विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिये वित्तीय संस्थाओं से संसाधन प्राप्त करने की आवश्यकता के संदर्भ में इस निदेशालय की स्थापना की गई थी। यह अनुभव किया गया कि उत्तर प्रदेश में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण की धनराशि इन संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश में जमा किये गये धन की तुलना में बहुत कम थी। निदेशालय का प्रमुख कार्य सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी उद्यमकर्ताओं को ऋण प्राप्त करने में सहायता देना है।

20.30 सचिव, (संस्थागत वित्त) पदेन निदेशक संस्थागत वित्त भी हैं, जिनकी सहायता हेतु पांच उप निदेशक हैं जो शासन के पदेन उप सचिव भी हैं। इस स्तर से नीचे शोध अधिकारी (अब पदनाम सहायक निदेशक) के 6 पद वेतनमान रु0 550—1200 में, शोध सहायक के 7 पद वेतनमान रु0 400—750 में तथा सहायक लिपिकीय कर्मचारि वर्ग है जिनमें वेतनमान रु0 400—750 में कार्यालय अधीक्षक के 6 पद सम्मिलित हैं।

20.31 आयोग को दी गई अपनी टिप्पणी में निदेशक ने यह सुझाव दिया था कि सहायक निदेशक से कम से कम 50 प्रतिशत पद समूह "क" में उच्चीकृत किये जायें और एक पद को उप निदेशक की प्रास्थिति दी जाये। यह भी सुझाव दिया गया है कि शोध सहायक को रु0 50 प्रतिमाह की दर से सवारी भत्ता दिया जाये। कार्यालय अधीक्षक के 50 प्रतिशत पदों पर संलेक्शन ग्रेड दिये जाने का सुझाव दिया गया है। ड्राइवरों के लिये रु0 30 प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन दिये जाने की संस्तुति की गई है।

20.32 हमने निदेशक तथा सचिव (संस्थागत वित्त) से विचार विमर्श किया है। आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य के समय उन्होंने यह सुझाव दिया कि उपनिदेशक के 20 प्रतिशत पद सहायक निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जायें और सहायक निदेशक के 15 प्रतिशत पद संलेक्शन ग्रेड में रखे जायें। उन्होंने कार्यालय अधीक्षक के एक पद को उच्चीकृत किये जाने का भी सुझाव दिया।

20.33 विभाग द्वारा हमें जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार सहायक निदेशक के शत प्रतिशत पदों पर शोध सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है। दुर्भाग्यवश शोध सहायकों की भर्ती जो रु0 400—750 के वेतनमान में है, लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नहीं की जाती बल्कि उनका चयन विभागीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। चूंकि सहायक निदेशक के पदों की संख्या 6 है और शोध सहायक के पदों की संख्या 7 है, अतः शोध सहायकों के सम्वर्ग में वृद्धिरोध का कोई प्रश्न नहीं है।

20.34 निदेशालय का कार्य एक विशेषीकृत प्रकृति का है। निदेशालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं तथा योजनाओं की जांच की जाती है जिसके लिये क्षेत्र का अनुभव और निपुणता नितान्त आवश्यक होती है। उन्हें अच्छे कार्य के लिये प्रोत्साहित करने के लिये और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिये हम इस सुझाव से सहमत हैं कि उप निदेशक का एक पद उन सहायक निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिये सुरक्षित किया जाये, जिन्होंने इस विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। उप निदेशक के पद पर चयन ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता के आधार पर किया जाये न कि अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर।

20.35 जहां तक कार्यालय अधीक्षक के एक पद को उच्चीकृत किये जाने के सुझाव का संबंध है हम यह महसूस करते हैं कि इस संगठन में, जिसमें लगभग 40 लिपिकीय कर्मचारी हैं, 6 कार्यालय अधीक्षकों का कोई भी औचित्य नहीं है। हमारे समक्ष यह दृढ़ तर्क प्रस्तुत किया गया था कि यह संगठन आफीसर ओरिएन्टेड है अतः स्पष्टतया निदेशालय में प्राप्त होने वाली विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में कार्यालय द्वारा कोई उपयोगी कार्य नहीं किया जा सकता। निदेशालय में लिपिकीय स्तर पर कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है। इस छोटे से संगठन के लिये कार्यालय अधीक्षक के 6 पदों और अन्य लिपिकीय कर्मचारियों के 40 पदों का कोई भी औचित्य नहीं है। हम वेतनमानों में और कोई असंगति नहीं पाते।

20.36 जहां तक आशुलिपिकों के वेतनमान का संबंध है यह सामान्य कोटि के पद हैं और इन पर संगत अध्याय में विचार किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमान और आवश्यकतानुसार संलेक्शन ग्रेड इस खण्ड के भाग-2 में दिये गये हैं।

अध्याय–इक्कीस

आबकारी विभाग

यह एक पुराना विभाग है जिसे 1908 में स्थापित किया गया था। इस विभाग के विभागाध्यक्ष सीनियर वेतनमान के आई० ए० एस० अधिकारी होते हैं। इस विभाग का मुख्यालय इलाहाबाद में है। आबकारी आयुक्त की सहायता के लिये मुख्यालय पर रु० 800—1450 के वेतनमान में दो उप आबकारी आयुक्त (डिप्टी इक्साइज कमिश्नर) हैं और रु० 550—1200 के वेतनमान में छः सहायक आबकारी आयुक्त हैं। ये सभी अधिकारी विभागीय संवर्ग (कैडर) के हैं। क्षेत्रीय स्तर पर सहायक आबकारी आयुक्त के 33 पद हैं और आबकारी अधीक्षक (आबकारी सुपरिन्टेंडेन्ट) के 39 पद हैं जो क्रमशः 550—1200 रु० और 450—950 रु० के वेतनमान में हैं। आबकारी निरीक्षक (इक्साइज इन्सपेक्टर) के 478 पद हैं और उप निरीक्षक (सब इन्सपेक्टर) के 59 पद हैं।

21.2 उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ और आबकारी कान्सटेबुल संघ ने आयोग के समक्ष अपना ज्ञापन दिया। हमने जो प्रश्नावली जारी की थी उसके उत्तर में उत्तर प्रदेश आबकारी लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ। आबकारी निरीक्षकों, उप निरीक्षकों (आबकारी) और आबकारी कान्सटेबुल के प्रतिनिधि साक्ष्य देने के लिये हमारे समक्ष उपस्थित भी हुये और उन्होंने अपना-अपना मामला प्रस्तुत किया।

21.3 हमने विभाग की कार्य प्रणाली और संघों द्वारा हमारे समक्ष रखे गये विभिन्न सुझावों/मांगों के संबंध में आबकारी आयुक्त और आबकारी विभाग के सचिव से व्यौरेवार विचार-विमर्श किया। उपर्युक्त चारों संघों की मांगों/सुझावों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :—

(1) उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

(1) आबकारी के संबंध में सरकार की नीतियों के कार्यान्वियन में इस संवर्ग (कैडर) के कर्मचारियों की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है,

(2) विगत वर्षों में आबकारी निरीक्षकों को राज्य के प्रवरतम अधीनस्थ सेवा (सीनियर मोस्ट सवार्डिनेट सर्विस) के साथ वर्गीकृत किया जाता था और उन्हें सहायक आबकारी आयुक्त के पदों पर पदोन्नति का अवसर दिये जाने के अलावा वर्ग-2 सेवा (क्लास-2 सर्विस) के पदों पर भी पदोन्नति के अवसर दिये जाते थे,

(3) सहायक आबकारी आयुक्त और आबकारी निरीक्षक के पदों के बीच आबकारी अधीक्षक (इक्साइज सुपरिन्टेन्डेन्ट) का पद सृजित हो जाने से आबकारी निरीक्षक अलाभकर स्थिति में हो गये हैं क्योंकि अब उनकी पदोन्नति आबकारी अधीक्षक के निम्नतर प्रास्थिति (लोअर स्टेटस) वाले पद पर की जाती है,

(4) वे जटिल सामाजिक ढांचे में आठ विभिन्न अधिनियमों को लागू करते हैं परन्तु खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, सहायक बिक्रीकर अधिकारी जैसी अधीनस्थ सेवाओं के नीचे रखे गये हैं।

(5) आबकारी निरीक्षक के कर्तव्य वही हैं जो पुलिस निरीक्षक और राजस्व अधिकारी के कर्तव्यों को मिलाकर हैं और वे तस्करी, अवैध आसवन (इलिसिट डिस्टीलेशन) का पता लगाने, उन्हें रोकने और आबकारी की दूकानों का पर्यवेक्षण करने तथा राजस्व आदि के क्षरण (लीकेज) को रोकने से संबंधित हैं,

(6) पुलिस द्वारा बरामद किये गये निषिद्ध माल के संबंध में आबकारी निरीक्षक विशेषज्ञ होता है और उसे संगत विधियों और नियमों की अच्छी जानकारी रखनी पड़ती है,

(7) उनके वेतनमान को इतना कम कर दिया गया है कि 1931 में वे अपने वेतनमान की अधिकतम धनराशि के रूप में प्रतिमास 330 रु० पा रहे थे और 1971 में अपने वेतनमान की अधिकतम धनराशि के रूप में प्रतिमास 320 रु० पा रहे थे।

(8) दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल जैसे कुछ अन्य राज्यों में जो वेतनमान हैं वे उनके वेतनमान से अपेक्षाकृत अधिक हैं,

(9) संपूर्णानन्द वेतन समिति (1947) ने उन्हें तहसीलदारों की बराबरी में रखा था किन्तु सरकार ने उक्त समिति की संस्तुतियों को नहीं माना,

(10) सहायक आबकारी आयुक्त के पद और आबकारी अधीक्षक के पद को एक में विलीन कर दिया जाय और इन पदों को वर्ग-2 की प्रास्थिति (स्टेटस) दी जाय।

2—उप निरीक्षक (आबकारी) संघ [सब इन्सपेक्टर (इक्साइज) असोसियेशन]

(1) उनका वेतनमान बढ़ाकर सिविल पुलिस के उप निरीक्षक (सब इन्सपेक्टर) के बराबर अर्थात् 300—550 रु० किया जाय।

(2) आबकारी निरीक्षकों के संवर्ग के 25 प्रतिशत पद उनके संवर्ग में से पदोन्नति के लिये आरक्षित किये जायं।

(3) सरकार को चाहिये कि वह मकान किराया भत्ता के स्थान पर कर्मचारियों के लिये उनके मूल (बेसिक) वेतन के 10 प्रतिशत की दर से आवास की व्यवस्था करें।

3—आबकारी कान्सटेबुल संघ—

(1) आबकारी कान्सटेबुलों के दो वेतनमान अर्थात 170—225 रु0 और 175—250 रु0 हैं तथा 185—265 रु0 की चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) है।

(2) आबकारी कान्सटेबुल के तथा सिविल पुलिस कान्सटेबुल के कर्तव्य और उत्तरदायित्व समान हैं। उन्हें अफीम अधिनियम तथा यू0 पी0 आबकारी अधिनियम के अधीन अपराधियों को पकड़ना पड़ता है। वे रेलवे स्टेशनों पर तथा बस स्टैन्ड आदि पर निगरानी रखते हैं। अतः उन्हें पुलिस कान्सटेबुलों को दिये गये वेतनमान अर्थात 200—320 से कम वेतनमान नहीं मिलना चाहिये।

(3) वर्तमान दो वेतनमानों के स्थान पर केवल एक ही वेतनमान होना चाहिये। 25 प्रतिशत पदों पर उन्हें चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) दी जानी चाहिये।

(4) उन्हें पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं अतः पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाय जिससे कि उन आबकारी कान्सटेबुलों का जो चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) नहीं पाते हैं, उनके वेतनमान के अधिकतम पर दीर्घ काल तक वृद्धिरोध (स्टैगनेशन) न होने पाये।

(5) उप निरीक्षक (आबकारी) के संवर्ग में हेड कान्सटेबुल आबकारी और ताड़ी पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) की पदोन्नति के लिये पदों का आरक्षण होना चाहिये,

(6) उन्हें मुक्त आवास दिया जाय,

(7) उन्हें प्रतिमास 50 रु0 की दर से सवारी भत्ता, प्रतिमास 25 रु0 की दर से धुलाई भत्ता, प्रतिमास 20 रु0 की दर से साइकिल भत्ता और 75 रु0 प्रतिमास की दर से शिक्षा भत्ता दिया जाय,

(8) आबकारी कान्सटेबुल के पद को चतुर्थ वर्ग (क्लास-4) से उन्नत (अपग्रेड) करके तृतीय वर्ग (क्लास-3) में लाया जाय।

4—उत्तर प्रदेश आबकारी लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ—

(1) विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में जो वेतनमान हैं उन्हें सचिवालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमान के बराबर किया जाना चाहिये।

(2) प्रत्येक संवर्ग में चयन श्रेणी के पदों का प्रतिशत कम से कम 20 प्रतिशत होना चाहिये।

21.4 आबकारी विभाग के सचिव और आबकारी आयुक्त हमसे संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक मिले और उन्होंने निम्नलिखित बातें कहीं :—

(1) इस समय आबकारी निरीक्षक के लगभग 125 पद रिक्त हैं,

(2) उप निरीक्षक (आबकारी) चीनी के छोटे-छोटे कारखानों में तैनात किये जाते हैं किन्तु चीनी के बड़े-बड़े कारखानों में आबकारी निरीक्षक ही तैनात किये जाते हैं,

(3) आबकारी कान्सटेबुलों के लिये केवल एक ही वेतनमान होना चाहिये। 185—265 रु0 के वेतनमान का सुझाव दिया गया है और इसके साथ में चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) के कुछ पदों का भी सुझाव दिया गया है,

(4) हेड कान्सटेबुल (आबकारी) के 22 पद हैं और वे बहुत ही उत्तरदायी कार्य करते हैं। अतः उन्हें उच्चतर वेतनमान दिया जाना चाहिये,

(5) ताड़ी पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और हेड कान्सटेबुल (आबकारी) एक ही वेतनमान में हैं और ताड़ी पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के पद को हेड कान्सटेबुल (आबकारी) के पद में परिवर्तित करने में कोई आपत्ति नहीं है,

(6) आबकारी कान्सटेबुलों को वर्दी दी जाती है, अतः उन्हें भी धुलाई भत्ता दिया जाना चाहिये,

(7) आबकारी अधीक्षक के पद समाप्त कर दिये जायें और सहायक आबकारी आयुक्त के संवर्ग में विलीन कर दिये जांय।

(8) सहायक आबकारी आयुक्त के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जांय,

(9) आबकारी निरीक्षकों को उनके वर्तमान वेतनमान की तुलना में उच्चतर वेतनमान दिया जाय।

21.5 विभिन्न सेवा संघों और विभाग के अधिकारियों द्वारा हमारे समक्ष जो विभिन्न मांगें प्रस्तुत की गई। सुझाव दिये गये, उन पर हमने सावधानी से विचार किया है।

21.6 आबकारी कान्सटेबुल इस विभाग का आधारिक (बेसिक) कार्मिक है। आबकारी कान्सटेबुल जैसे कनिष्ठ कृत्यकारी (जूनियर फंक्शनरी) के लिये दो वेतनमान होने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। हम यह भी महसूस करते हैं कि आबकारी कान्सटेबुल का वर्तमान वेतनमान तुलनात्मक रूप से कम है। हम आबकारी कान्सटेबुल और पुलिस कान्सटेबुल में समता लाये जाने का औचित्य तो

नहीं पाते हैं परन्तु हम उसके लिये रु0 430—685 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

21.7 जहां तक हेड कान्सटेबुल और ताड़ी पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के पदों का संबंध है हम इस विभाग के अधिकारियों के इस सुझाव से सहमत हैं कि इन दोनों संवर्गों (कैडर) को एक में विलीन किया जाना चाहिये और ताड़ी पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) का पृथक पदनाम समाप्त किया जाना चाहिये। हेड कान्सटेबुल के सभी पद, जिनमें ताड़ी पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) का वर्तमान पद भी है, आबकारी कान्सटेबुलों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए। हम इन पदों के लिये भी रु0 354—550 के उच्चतर वेतनमान की संस्तुति करते हैं, यद्यपि कि हमने आबकारी कान्सटेबुल के लिये उच्चतर वेतनमान की संस्तुति की है फिर भी इससे संवर्ग में पदोन्नति के अत्यन्त सीमित अवसर की प्रतिपूर्ति नहीं होती। अतः हम आबकारी कान्सटेबुल के साधारण श्रेणी के 20 प्रतिशत पदों के लिये चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) की संस्तुति करते हैं।

21.8 इस प्रश्न के बारे में कि उप निरीक्षक (आबकारी) के पद को समाप्त किया जाना चाहिये या नहीं, हमने विभाग के अधिकारियों से ब्योरेवार विचार-विमर्श किया। व्यावहारिक दृष्टि से यह वांछनीय नहीं होगा। उप निरीक्षक को हल्का प्रभार (चार्ज) दिया जाता है किन्तु इससे नीचे के संवर्ग में व्यक्तियों के लिये पदोन्नति के कुछ अवसर मिलते हैं। अतः हम इसे समाप्त किये जाने की संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

21.9 जहां तक आबकारी निरीक्षकों का प्रश्न है, उनके 80 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, 10 प्रतिशत पद लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के संवर्ग से भरे जाते हैं और 10 प्रतिशत पद उप निरीक्षक, आबकारी में से भरे जाते हैं। अन्यत्र हमने जिन सामान्य मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के बारे में विचार किया है उनके अनुसार हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति आबकारी निरीक्षक की प्रकृति के क्षेत्रीय पदों पर की जाय। लिपिक वर्गीय संवर्ग के कर्मचारियों को लिपिक वर्गीय ढांचे में ही पदोन्नति के अवसर दिये जाने चाहियें। अतः हम इस बात की संस्तुति करते हैं कि आबकारी निरीक्षक के 90 प्रतिशत भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिए। आबकारी निरीक्षक का वेतनमान हम पर्याप्त समझते हैं।

21.10 जहां तक आबकारी अधीक्षक के पद को सहायक आबकारी आयुक्तों के संवर्ग में विलीन किये जाने के सुझाव का सम्बन्ध है, हम इससे सहमत होने में असमर्थ हैं। सहायक आबकारी आयुक्त ऐसे जिलों में तैनात किये जाते हैं जहां आबकारी राजस्व (इक्साइज रेवेन्यू) बहुत अधिक है या जहां आसवनियां (डिस्टिलरी) मद्य निर्माण शालायें (ब्रिवरीज) हैं जबकि आबकारी अधीक्षक उन जिलों में तैनात किये जाते हैं जहां कि उत्तरदायित्व कम है। तद्नुसार हम आबकारी अधीक्षक और सहायक आबकारी आयुक्त के लिये उपयुक्त वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं।

21.11 विभाग द्वारा हमें जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उससे यह स्पष्ट है कि सभी उच्च स्तरीय पद अर्थात् आबकारी अधीक्षक, सहायक आबकारी आयुक्त और आबकारी उपायुक्त (डिप्टी इक्साइज कमिश्नर) के पद आबकारी निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। आबकारी कान्सटेबुल संघ ने आयोग के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान यह अनुरोध किया कि सभी प्रवर पदों (सीनियर पोस्ट) को आबकारी निरीक्षकों में से भरने की जो प्रणाली है वह ठीक नहीं है। अन्य तुलनीय अधिकांश संवर्गों में 50 प्रतिशत जिला स्तर के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इस बात के बारे में आबकारी विभाग के सचिव से ब्योरेवार विचार किया गया। हम यह महसूस करते हैं कि आबकारी अधीक्षक के कतिपय प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिये। तद्नुसार हम यह संस्तुति करते हैं कि आबकारी अधीक्षक के 25 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जांय। फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस संस्तुति से आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, आबकारी अधीक्षकों के 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियमों में जैसे ही संशोधन कर दिया जाय, आबकारी निरीक्षकों को उनके साधारण श्रेणी के 20 प्रतिशत पदों पर चयन श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) दी जाय।

21.12 जहां तक धुलाई भत्ता, सवारी भत्ता, साइकिल भत्ता आदि जैसे अन्य विषयों का संबंध है, इनके बारे में 'भत्ते' से संबंधित संगत अध्याय में विचार किया गया है। इसी प्रकार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान के बारे में संगत अध्याय में विचार किया गया है। हमने पुनरीक्षित वेतनमानों को तथा चयन श्रेणी (सेलेक्शन-ग्रेड) को, जहां कहीं आवश्यक है, इस खण्ड के भाग-2 में दिया है।

अध्याय–बारह

स्वायत्त शासन तथा आवास विभाग

(1) स्थानीय निकाय निदेशालय

सचिवालय स्तर पर स्वायत्त शासन विभाग समस्त नगरीय स्थानीय निकायों जिनमें नगर महापालिका, नगर-पालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, रेलवे सेटेल्मेन्ट नोटीफाइड एरिया तथा विकास प्राधिकरण सम्मिलित हैं, के सुचारू रूप से संचालन के लिये उत्तरदायी हैं। क्षेत्र स्तर पर कुछ कार्य जो अभी तक शासन स्तर पर निष्पादित होते थे उनको स्थानीय निकाय निदेशालय के कार्य क्षेत्र में लाया गया, जिसकी स्थापना जून, 70 में हुई थी और जिसके विभागाध्यक्ष ज्येष्ठ वेतनमान के आई० ए० एस० अधिकारी होते हैं। उनकी सहायता के लिये दो उप निदेशक, पांच सहायक निदेशक तथा अन्य कर्मचारी हैं। सहायक निदेशक (लेखा) को छोड़कर अन्य सभी उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के पद आई० ए० एस०/पी० सी० एस० अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। पिछले पांच वर्षों में निदेशालय में कर्मचारियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। दिनांक 1-4-74 को कर्मचारियों की कुल संख्या 54 थी जो वर्ष 1978-79 के अन्त में बढ़कर 99 हो गई है।

22.2 आयोग के समक्ष अपने निवेदन में निदेशक ने निम्नलिखित सुझाव दिये :

(1) सहायक निदेशक (लेखा) के पद पर भी रु0 100 प्रतिमास विशेष वेतन मिलना चाहिये।

(2) आशुलिपिक का एक पद संलेक्शन ग्रेड में रखा जाना चाहिये जैसी कि असंगति समिति ने संस्तुति की थी।

(3) सहायक निदेशक के दो पदों को उच्चीकृत करके उप निदेशक के स्तर का किया जाना चाहिये। उनके विचार से इससे अधिक अनुभवी अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे जो स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने में अधिक प्रभावशाली होंगें।

22.3 हमने निदेशालय के विभिन्न पदों के वेतनमानों को जांचा है। अधिकारियों के पदों के वेतनमान उसी प्रकार के अन्य विभागों के वेतनमानों के प्रतिरूप हैं। सहायक निदेशक के पद को उच्चीकृत करने का हम कोई आधार नहीं पाते। कनिष्ठ पद सांख्यकीय, लिपिकीय तथा अन्य सामान्य कोटि के पद हैं। सामान्य कोटि के पदों के वेतनमानों आदि के बारे में हमने सम्बन्धित अध्याय में विचार किया है।

22.4 भारत सरकार की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत रु0 550-1200 के वेतनमान में लेखाधिकारी का एक पद तथा तीन अन्य पद हैं। निदेशक ने हमें सूचित किया है कि यह योजना समाप्त हो चुकी है परन्तु पद अभी चल रहे हैं क्योंकि लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। हम सरकार से सबल अनुरोध करते हैं कि किसी योजना के समाप्त होने पर (जैसे कि इस मामले में हुआ) पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही होनी चाहिये। वेतनमान रु0 200-320 में बहुत से लिपिकीय पद हैं। सम्वर्ग की समुचित व्यवस्था के लिये यह उपयुक्त नहीं है कि किसी संगठन में एक ही प्रकृति का का कार्य तथा पदों की अर्हता एक होने के बावजूद पदों के भिन्न-भिन्न पद नाम रखे जांय। जैसा कि "समान्य कोटि के पदों" के अध्याय में हमने संस्तुति की है इन सब पदों का पद नाम कनिष्ठ लिपिक होना चाहिये। हमने पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग दो में इंगित किये हैं।

(2) नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग

22.5 इस विभाग का विभागाध्यक्ष मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक है जो रु0 1950-2250 के वेतनमान में है। उसकी सहायता के लिये 4 वरिष्ठ नियोजक रु0 1400-1800 के वेतनमान में, 1 वास्तविक नियोजक रु0 800-1450 के वेतनमान में, 15 नगर नियोजक तथा सहयुक्त नगर नियोजक रु0 800-1450 के वेतनमान में तथा एक ज्येष्ठ वास्तुविद और दो अधिशासी अभियन्ता रु0 800-1450 के वेतनमान में हैं। सहायक नियोजक, सहायक वास्तुविद् तथा सहायक अभियन्ता के कई पद रु0 550-1200 के वेतनमान में हैं। मंडलीय स्तर पर सहयुक्त नियोजक इस संगठन का ज्येष्ठतम अधिकारी है जिसको आवश्यक सहायक स्टाफ मिला हुआ है। विभिन्न श्रेणी के पदों की संख्या दिनांक 1-4-74 तथा 1-4-79 को निम्न प्रकार थी :

समूह	विभिन्न श्रेणी के पदों की संख्या	
	1-4-74	1-4-79
समूह "क"	20	22
समूह "ख"	29	36
समूह "ग"	271	302
समूह "घ"	89	101
	409	461

22.6 नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने प्रश्नावली का उत्तर भेजा। संघ की मुख्य मांगों का सारांश नीचे दिया जा रहा है:

(1) विभाग के 50 प्रतिशत राजपत्रित पद सांख्यकीय, सर्वेक्षण तथा वास्तुकला संवर्ग के अराजपत्रित कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायें।

(2) हेड ड्राफ्ट्समैन (रु0 325-575) को आर्किटेक्चरल-कम-प्लानिंग असिस्टेन्ट (रु0 450-950) के पद पर पदोन्नति दी जाय।

(3) सर्वेक्षण सहायकों तथा सांख्यकीय सहायकों को, जो सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, वाहन भत्ता/नियत यात्रा भत्ता दिया जाये।

(4) अर्ह ड्राफ्ट्समैन (रु0 280-460) के संवर्ग के 15 प्रतिशत पदों पर रु0 300-500 का सेलेक्शन ग्रेड अन्य तकनीकी विभागों की भांति दिया जाये।

(5) जो सर्वेक्षण सहायक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और प्रोन्नति नहीं पा सके हैं उन्हें अगला उच्चतर वेतनमान दिया जाय।

22.7 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये और आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रस्तुत मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं:

(1) अखिल भारतीय आवास मन्त्रियों के सम्मेलन ने यह संस्तुति की है कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का स्टेटस वही होना चाहिए जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता का है। इसलिये मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक का वेतनमान सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के बराबर होना चाहिये।

(2) सहायक नियोजक/सहायक नगर नियोजक का वेतनमान सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं से ऊंचा होना चाहिये, क्योंकि सहायक नियोजक/सहायक नगर नियोजक के पदधारियों की अतिरिक्त अर्हता नगर नियोजन में स्नातकोत्तर उपाधि है।

(3) वैयक्तिक सहायक (टेक्नीकल) (रु0 550-1200) का वेतनमान रु0 800-1450 में उच्चीकृत किया जाना चाहिये।

(4) फोटोग्राफर (रु0 230-385) तथा डार्करूम असिस्टेन्ट (रु0 185-265) के वेतनमान सूचना विभाग के फोटोग्राफर (रु0 325-575) तथा ब्रोमाइट प्रिन्टर (रु0 230-385) के वेतनमानों के बराबर होने चाहिये।

(5) आशुलिपिक के दो पद हैं। एक पद के लिये रु0 300-500 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है लेकिन दूसरा पद अब भी (रु0250-425) के वेतनमान में है। इस पद को भी रु0 300-500 के वेतनमान में उच्चीकृत किया जाना चाहिये।

(6) सहायक समाजशास्त्री के दो पद रु0 450-950 के वेतनमान में हैं। चूंकि इन पदों के पदधारियों के लिये प्रोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं इसलिये वृद्धि रोध को दूर करने के लिये अबाध वेतनमान (रनिंग स्केल) स्वीकृत होना चाहिए। इसी प्रकार निम्नलिखित पदों के लिये भी अबाध **वेतनमान** (रनिंग स्केल) स्वीकृत होना चाहिये:

(क) अधिशासी अभियन्ता

(ख) सांख्यकीय अधिकारी

(ग) सांख्यकीय सहायक

(घ) हेड ड्राफ्ट्समैन

(ङ) आशुलिपिक

(च) इलेक्ट्रीशियन

(छ) मुख्य लिपिक

(ज) रोटाप्रिन्टिंग सहायक

(झ) ब्लूप्रिन्टर

(ट) फोटो ग्राफर

22.8 संघ तथा मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर हमने मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक तथा सचिव, नगरीय विकास से विचार विमर्श किया। जहां तक मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के वेतनमान का प्रश्न है, हमने इस पर "सामान्य कोटि के पदों" के अध्याय में विचार किया है। इस पद के वर्तमान पदधारक रु0 2200-2500 का उच्चतर वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में पा रहे हैं। ज्येष्ठ नियोजक, वास्तुविद् नियोजक, नगर नियोजक, ज्येष्ठ वास्तुविद्, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सहायक वास्तुविद् और सहायक नियोजक के विभिन्न पदों के वेतनमान अन्य अभियन्त्रण विभागों के वेतनमानों के अनुरूप हैं। तत्स्थानी पदों के वेतनमानों में समता है और विभिन्न पदों के वेतनमानों की वर्तमान समता में कोई परिवर्तन करने का हम औचित्य नहीं पाते हैं।

22.9 सहायक समाजशास्त्री के दो पद रु0 450-950 के वेतनमान में हैं। उनके लिये प्रोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं क्योंकि इस सम्वर्ग में उच्चतर पद उपलब्ध नहीं हैं। हम संस्तुति करते हैं कि इन पदों को "एकल पद" माना जाये और ऐसे पदों के लिये जो सुविधायें हमने संस्तुत की हैं, इन्हें उपलब्ध हों।

22.10 जहां तक आशुलिपिक के वेतनमान का संबंध है, इस पर हम यहां विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पर

"सामान्य कोटि के पदों" से सम्बन्धित अध्याय में विचार हुआ है। इसी प्रकार फोटोग्राफर के पद के लिये हम यहां अलग से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

22.11 जहां तक सांख्यकीय सहायक तथा सर्वेक्षण सहायक के वेतनमानों तथा प्रोन्नति आदि का सम्बन्ध है, हमने इन पदों की अर्हताओं और प्रोन्नति के अवसरों का परीक्षण किया है। सर्वेक्षण सहायक की अर्हताओं को देखते हुये रु0 300-500 का वेतनमान बहुत उदार है। परन्तु हम इस पद के वेतनमान को घटाने की संस्तुति नहीं करते हैं। संख्या सहाय के पद पर अनुमन्य वेतनमान रु0 350-700 है, जो उचित है। जहां तक प्रोन्नति के अवसरों का सम्बन्ध है, 58 सर्वेक्षण सहायकों को प्रोन्नति के लिये संख्या सहायक के 13 पद उपलब्ध हैं। इसी प्रकार 35 संख्या सहायकों के लिये प्रोन्नति का केवल एक पद सांख्यकीय अधिकारी का है। हम संस्तुति करते हैं कि सर्वेक्षण सहायक के 10 प्रतिशत तथा संख्या सहायक के 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाये।

22.12 जहां तक ट्रेसर, ड्राफ्ट्समैन, डार्करूम असिस्टेन्ट इत्यादि के पदों के वेतनमान का प्रश्न है, जो अराजपत्रित कर्मचारियों के संघ द्वारा उठाया गया है, इनके वेतनमान के विषय में हमने "सामान्य कोटि के पदों" के अध्याय में विचार किया है।

(3) नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय

22.13 निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण का उत्तरदायित्व, नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम को राज्य में लागू करना है। इस समय यह अधिनियम 13 नगरों में लागू है। इस संगठन का विभागाध्यक्ष निदेशक है, जो आई0 ए0 एस0 के ज्येष्ठ वेतनमान का अधिकारी है और उसकी सहायता के लिये मुख्यालय पर एक संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक तथा अन्य सहायक स्टाफ है। क्षेत्रीय स्तर पर हर इकाई का वरिष्ठतम अधिकारी संयुक्त निदेशक के स्तर का होता है। जिसका पद नाम सक्षम प्राधिकारी है। निदेशक ने कोई ज्ञापन नहीं प्रस्तुत किया परन्तु वह आयोग के सामने उपस्थित हुये और निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये :

(1) संयुक्त निदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर विशेष वेतन दिया जाये।

(2) कवाल नगरों में स्थित इकाई कार्यालय के मुख्य लिपिक का वेतनमान रु0 280-460 है जबकि अन्य नगरों में मुख्य लिपिकों का वेतनमान रु0 230-385 है जो कि इस संगठन में ज्येष्ठ लिपिक तथा लेखाकार का भी वेतनमान है। सभी इकाइयों के मुख्य लिपिक को रु0 280-460 के वेतनमान में रखा जाना चाहिये।

(3) क्षेत्रीय कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ता/वाहन भत्ता मिलना चाहिये।

(4) जो अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, उन्हें वही सुविधायें मिलनी चाहिये जो उन्हें अपने पैतृक विभाग में अनुमन्य हैं।

22.14 विभाग की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में हमने निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण तथा शासन के सचिव नगरीय विकास से विचार विमर्श किया। लिपिकीय संवर्ग के पदों को छोड़कर लगभग सभी पदों पर अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं। अधिकारी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, तथा सहायक निदेशक के पद पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) के अधिकारियों से भरे जाते हैं। पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) अधिकारियों के वेतनमान तथा परिलब्धियों के बारे में हमने संगत अध्याय में विचार किया है। अभियन्त्रण स्टाफ अभियन्त्रण विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। अभियन्त्रण सेवाओं के सम्बन्ध में हमारी जो संस्तुतियां हैं वे स्वतः इस संगठन पर लागू होती हैं। अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं और जो संस्तुतियां हमने विभिन्न राजस्व अधीनस्थ पदों के लिये की हैं, वे इस विभाग के पदों पर भी लागू होंगी।

22.15 सर्किल आफिसर (तहसीलदार) और मुख्य लिपिक के पदों के विषय में कुछ कठिनाई मालूम होती है। हम विभाग के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि सभी ज्येष्ठ लिपिकों को एक ही वेतनमान में रहना चाहिये। हम तद्नुसार संस्तुति कर रहे हैं। जहां तक सर्किल आफीसर के पद के सम्बन्ध में कठिनाई का प्रश्न है, यह समस्या इसलिये उत्पन्न हुई है कि तहसीलदार जब तहसील में नियुक्त होता है तो उसे मुफ्त आवास की सुविधा उपलब्ध होती है। राजस्व परिषद् में तैनात होने पर उन्हें मुफ्त आवास के बदले मकान किराया भत्ता दिया जाता है। हालांकि नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय में सर्किल आफीसर के पद पर नियुक्त तहसीलदार के सम्बन्ध में हम मुफ्त आवास या उसके स्थान पर मकान किराया भत्ता की संस्तुति नहीं कर रहे हैं, किन्तु हम यह संस्तुति करते हैं कि उन्हें 50 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाये।

22.16 नगर भूमि सीमारोपण की नगर इकाइयों के सम्बन्ध में एक मुख्य कठिनाई यह बताई गई है कि उन्हें नियत यात्रा भत्ता नहीं मिलता। नगर इकाइयों में तैनात कर्मचारियों को नगर की सीमा के अन्दर ही कार्य करना पड़ता है, इसलिये उन्हें यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं है। नियत यात्रा भत्ता ऐसे कर्मचारियों को अनुमन्य होता है जिन्हें एक दिन में कई जगह घूमना पड़ता है और जिसके लिये उन्हें या तो किराये पर सवारी लेनी पड़ती है अथवा अपनी सवारी जैसे मोटर साइकिल या साइकिल आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम महसूस करते हैं कि इस मामले में कार्य की प्रकृति इस

प्रकार की नहीं हैं। सर्वेयर/चैनमैन सामान्यतया पूरे दिन और बहुधा एक से अधिक दिन तक एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसलिये हम इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

22.17 इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि जब नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम लागू किया गया था तब उसके लिये समयबद्धता थी और यह आशा की जाती थी कि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा हो जायेगा। परन्तु विभिन्न कारणों से जैसे मुकदमेबाजी, अदालतों के आदेश तथा कुछ अनिश्चितता के कारण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। हम यह संस्तुत करते हैं कि शासन इस पर विचार करे कि मुख्यालय तथा क्षेत्र में कार्यभार के संदर्भ में क्या वर्तमान स्टाफ की वास्तव में आवश्यकता है।

22.18 हमने पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग-2 में इंगित किये हैं।

अध्याय-तेईस

गृह विभाग

पुलिस विभाग

संगठन—

किसी भी सभ्य समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता कानून और व्यवस्था बनाये रखना है। विकास सम्बन्धी कार्यों में तीव्रता तभी लाई जा सकती है जब कि समाज आश्वस्त हो कि देश/प्रदेश में शांतिपूर्ण स्थिति सुनिश्चित है। पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन संगठित पुलिस संगठन की स्थापना का उत्तरदायित्व विभिन्न प्रादेशिक सरकारों का है। हमारे संविधान में भी लोक व्यवस्था और पुलिस को जिसमें रेलवे और ग्रामीण पुलिस भी शामिल है, "राज्य सूची" में रखा गया है।

23.2 पुलिस महानिरीक्षक राज्य में पुलिस संगठन के प्रधान होने के नाते पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ-साथ पुलिस से सम्बन्धित विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना भी उनका उत्तरदायित्व है। उनकी सहायता के लिये कई अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और अन्य सहायक कर्मचारी हैं। प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी, अपराध-अनुसंधान विभाग, अभिसूचना और प्रशिक्षण के लिये पृथक महानिरीक्षक हैं। पुलिस महानिरीक्षक सम्पूर्ण पुलिस संगठन का प्रधान होता है फिर भी विभिन्न महानिरीक्षकों को अपने-अपने संगठनों के सम्बन्ध में महानिरीक्षक के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। इस समय अपराध अनुसंधान विभाग, अभिसूचना और प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी इत्यादि के उप पुलिस महानिरीक्षकों के अतिरिक्त 12 रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक के भी पद हैं।

23.3 पुलिस संगठन के विभिन्न अराजपत्रित संवर्गों में पदों की कुल स्वीकृत संख्या 1,17,741 है, जिसमें सिविल पुलिस में 67967 अराजपत्रित कर्मचारी, प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी को मिलाकर सशस्त्र पुलिस में 41516, मोटर परिवहन शाखा में 2096, घुड़सवार पुलिस शाखा में 234, शस्त्रकार शाखा में 389, बिगुलवादक शाखा में 122, रेडियो शाखा में 3104 और अग्नि-शमन सेवा शाखा में 2313 कर्मचारी हैं। 1 अप्रैल, 1974 और 1 अप्रैल 1979 को पुलिस संगठन की विभिन्न शाखाओं में स्वीकृत पदों की संख्या निम्नलिखित थी :

(एक) सिविल पुलिस

पद का नाम	1 अप्रैल, 1974	1 अप्रैल, 1979
इन्सपेक्टर	459	823
सब-इन्सपेक्टर	4,417	7,174
हेड कान्सटेबुल	5,385	6,456
कान्सटेबुल	39,345	48,540

उपर्युक्त आंकड़ों से यह प्रकट होगा कि इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर की संख्या में पांच वर्ष की अवधि के दौरान क्रमशः 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। हेड कान्स्टेबुल के संवर्ग में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कन्सटेबुल के संवर्ग में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(दो) सशस्त्र पुलिस

पद का नाम	1 अप्रैल, 1974	1 अप्रैल, 1979
इन्सपेक्टर	247	272
सब-इन्सपेक्टर	677	760
हेड कान्सटेबुल	6,632	7,455
कान्सटेबुल	29,093	32,711

(तीन) अन्य शाखायें (1 अप्रैल, 1979)

शाखा का नाम	इन्सपेक्टर	सब इन्सपेक्टर	हेड कान्सटेबुल	कांसटेबुल
मोटर परिवहन	3	13	140	1940
घुड़सवार पुलिस	–	8	40	186
अशवाकर	2	11	116	260
बिगुलवादक	—	—	—	122
पुलिस रेडियो शाखा	24	254	1812	1014
अग्निशमन सेवा	67	99	562	1585

पुलिस रेडियो शाखा का पिछले पांच वर्ष की अवधि में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इसी प्रकार पुलिस मोटर परिवहन का पर्याप्त विस्तार हुआ है। रेडियो और मोटर परिवहन शाखा का प्रसार मुख्यतया पुलिस संगठन के आधुनीकीकरण को प्रमुखता देने के कारण हुआ है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला

23.4 यह संगठन पहले अपराध अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुभाग के नाम से जाना जाता था इसे 1969 में एक पृथक शाखा के रूप में संगठित किया गया। इस समय इसके प्रमुख निदेशक के स्तर के अर्ह वैज्ञानिक अधिकारी हैं। कर्मचारीवर्ग में भी पुलिस कार्मिकों से भिन्न कार्मिक हैं। निदेशक का वेतनमान 1600-2000 रु0 है और इनकी सहायता के लिये 1150-1700 रु0 के वेतनमान में एक संयुक्त निदेशक (आगरा में तैनात), 650-1300 रु0 के वेतनमान में 14 सहायक निदेशक, 450-850 रु0 के वेतनमान में 6 वैज्ञानिक अधिकारी, 400-750 रु0 के

वेतनमान में 35 ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और अन्य प्राविधिक कर्मचारी जैसे वैज्ञानिक सहायक, फोटोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक और लिपिक कर्मचारी हैं। इनमें से अभी बहुत से पद भरे जाने हैं।

संगणना (कम्प्यूटर) केन्द्र

23.5 पुलिस विभाग में उप पुलिस महानिरीक्षक के प्रभार में अभी हाल में एक कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की गई है। इसमें आधार सामग्री विधायन पर्यवेक्षक (डाटा प्रोसेसिंग सुपरवाइजर), ज्येष्ठ योजनाकार सीनियर प्रोग्रामर), सब-इन्सपेक्टर और आशुलेखक इत्यादि हैं।

लिपिक संवर्ग

23.6 पुलिस के लिपिक संवर्ग में सेवारत कार्मिकों को मुख्यतया पुलिस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया गया है और वह पुलिस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हैं। उनके पद नाम भी सामान्यतया पुलिस संगठन के अराजपत्रित कार्मिकों के पदनाम के अनुरूप हैं। किन्तु अभी भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पुलिस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किये जाने का विकल्प नहीं दिया है।

23.7 उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संघ ने आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और वे हमारे समक्ष उपस्थित हुये। संघ द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव/उठाये गये बिन्दु संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :

(एक) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग के ज्येष्ठ वेतनमान में 84 पदों में से अभी तक केवल 48 पद भरे गये हैं और 36 पद भरने बाकी हैं ;

(दो) पदोन्नति से नियुक्त उप पुलिस अधीक्षक लगभग 15 या इससे अधिक वर्षों तक अस्थायी रहते हैं ;

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में 78 पद उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। केवल 1960 तक के बैच के उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारी अभी तक भारतीय पुलिस सेवा में आमेलित किये गये हैं। राज्य पुलिस सेवा के 59 अधिकारी समान वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं ;

(चार) कुण्ठा से बचने और प्रगतिरोध को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में स्पेशल ग्रेड का सृजन किया जाय और परिवहन, आबकारी, औद्योगिक उपक्रम और निगमों आदि में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाय ;

(पांच) जिन पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी या कनिष्ठ वेतनमान के उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारी विशेष वेतन या निःशुल्क आवास के हकदार होते हैं उन पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के सभी अधिकारियों को विशेष वेतन और निःशुल्क आवास दिया जाय ;

(छः) वर्दी भत्ते में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाय ;

(सात) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को पुलिस तथा पी० ए० सी० के चिकित्सालयों में चिकित्सीय देख-रेख की सुविधा नहीं है, यद्यपि यह सुविधा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिये उपलब्ध है ;

(आठ) अपराध अनुसंधान विभाग और अभिसूचना में तैनात उप पुलिस अधीक्षकों को सवारी भत्ता दिया जाय।

23.8 उत्तर प्रदेश अपराध अनुसंधान विभाग लिपिक वर्ग संघ ने आयोग के समक्ष निम्नलिखित निवेदन किया—

(एक) लिपिक वर्ग के जिन कार्मिकों ने पुलिस अधिनियम के अधीन भर्ती किये जाने का विकल्प नहीं दिया है उन्हें यह विकल्प देने के लिये पुनः अवसर दिया जाय।

(दो) अपराध अनुसंधान विभाग और अभिसूचना में प्रधान लिपिक और उप लेखकार-प्रालेखक के वेतन मान पुलिस मुख्यालय में समकक्ष पदों के वेतनमान से कम हैं। इस असंगति को दूर किया जाय। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पहले अपराध अनुसंधान विभाग और अभिसूचना विभाग अधीनस्थ कार्यालय थे और इसलिये इन कार्यालयों में वेतनमान पुलिस मुख्यालय के वेतनमान की अपेक्षा कम थे। अब, चूंकि अपराध अनुसंधान विभाग और अभिसूचना विभाग भी महानिरीक्षक के अधीन हैं इसलिये इस अन्तर का कोई औचित्य नहीं है।

23.9 पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, अभिसूचना, प्रशिक्षण, प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी के महानिरीक्षक और अपर महानिरीक्षक (रेलवे) और उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) और सचिवालय के गृह विभाग द्वारा आयोग को कई टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं। पुलिस महानिरीक्षक, महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग, और अभिसूचना, प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी और प्रशिक्षण, अपर महानिरीक्षक (रेलवे) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार), निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला और आयुक्त एवं सचिव, गृह विभाग से हमने सेवा शर्तें, वेतनमान, समावित पदोन्नति, भत्ते इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के बारे में ब्योरेवार चर्चा की। हम एतत्पश्चात् पुलिस विभाग के अधिकारियों और अन्य रैंक के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे।

वेतन का स्वरूप :—

23.10 हमने राज्य में पुलिस कार्मिकों के वेतन के स्वरूप का सावधानी से परीक्षण किया है। गृह विभाग और

पुलिस महानिरीक्षक का यह कहना उचित है कि राज्य में केवल पुलिस विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसके सदस्यों का कोई ऐसा सेवा संघ नहीं है जो उनकी सेवा शर्तों इत्यादि के बारे में उनकी पैरवी करे। तथापि हम यह अभिलिखित करना चाहेंगे कि महानिरीक्षक और पुलिस विभाग के अन्य ज्येष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न पुलिस संवर्गों के मामले को बड़ी दृढ़ता से और विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया। हमें इस तथ्य की जानकारी है कि पुलिस कर्मचारी का कर्तव्य, चाहे वह किसी भी रैंक का हो, जोखिम और संकटपूर्ण होता है और अच्छी व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा और स्थायित्व के लिये यह आवश्यक है कि पुलिसजनों में संतुष्टि की भावना बनाये रखने के लिये उन्हें अच्छा वेतन दिया जाय। हमें विभिन्न पुलिस संवर्गों के कठोर चयन और प्रशिक्षण पद्धति की भी जानकारी है। दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस अधिनियम और अन्य विभिन्न विशेष अधिनियमों के अधीन पुलिस कार्मिकों को व्यापक अधिकार दिये गये हैं और उन्हें भारी उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

23.11 पिछले वेतन आयोग ने कान्सटेबुल के लिये 175-250 रु0 और हेड कान्सटेबुल के लिये 185-265 रु0 के वेतनमान की सिफारिश की थी। किन्तु, सरकार ने उनके कर्तव्यों की प्रकृति और कार्यभार पर विचार करने के पश्चात् कान्सटेबुल का वेतनमान बढ़ाकर 185-265 रु0 और हेड कान्सटेबुल का वेतनमान 200-320 रु0 कर दिया था। अंतिम पुनरीक्षण जून, 1979 में किया गया था जबकि कान्सटेबुल का वेतनमान बढ़ाकर 200-320 रु0 और हेड कान्सटेबुल का वेतनमान 230-385 रु0 कर दिया गया। फलस्वरूप सहायक सब इन्सपेक्टर का वेतनमान भी 230-385 रु0 से बढ़ाकर 250-425 रु0 कर दिया गया था।

23.12 हमने न्यूनतम वेतन और राज्य के सीमित संसाधनों, जिनका ध्यान हमें अपनी संस्तुतियां करते समय रखना आवश्यक था, के प्रश्न पर सुसंगत अध्याय में चर्चा की है। पुलिस कार्मिकों के वेतन में अभी हाल में किये गये पुनरीक्षण से इस समय कान्सटेबुल कई अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारियों की अपेक्षा उच्च वेतनमान में हैं और नैत्यक श्रेणी लिपिक टंकक या हाई स्कूल के पश्चात् किसी व्यवसाय में प्रमाण-पत्र धारी किसी कर्मकार के समकक्ष हैं। हम कान्सटेबुल के लिये जिस वेतनमान की सिफारिश कर रहे हैं उसमें जहां तक न्यूनतम और उच्चतम स्तर में कुल परिलब्धियों का संबंध है, वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त हमने इस रिपोर्ट में वृद्धि अवरोध दूर करने और पदोन्नति की संभावनायें बढ़ाने के लिये भी कतिपय सिफारिशें की हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने अन्य सुधारक उपायों के सुझाव भी दिये हैं।

23.13 सरकार ने अभी हाल में पुलिस कर्मचारियों को कुछ अन्य लाभ भी दिये हैं। इसमें एक माह का अतिरिक्त वेतन, 30 दिन का आकस्मिक अवकाश और कुछ अन्य भत्तों में वृद्धि सम्मिलित है। हमारा विचार है कि पुलिस कार्मिकों की अत्यावश्यक मांग आवास की व्यवस्था करना है। हमें मालूम हुआ है कि राज्य सरकार पुलिस कार्मिकों के मकानों के निर्माण के लिये पृथक् निधि की व्यवस्था करती रही है। किन्तु, कान्सटेबुलों, हेड कान्सटेबिलों और सब इन्सपेक्टरों के लिये उपलब्ध पारिवारिक क्वार्टरों की संख्या अभी भी वास्तविक आवश्यकताओं से काफी कम है। अतएव हम सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों के पारिवारिक आवास निर्माण के लिये और अधिक धनराशि आरक्षित करें।

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा—

23.14 सेवा में 475 पद रु0 550-1200 के वेतनमान में और 84 पद रु0 800-1450 के वेतनमान में हैं। सेवा में प्रारम्भिक भर्ती रु0 550-1200 के वेतनमान में की जाती है। 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और शेष 50 प्रतिशत पद पुलिस इन्सपेक्टर में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के लिये अपेक्षाकृत उच्च शारीरिक मानक विहित किये गये हैं। अधिकारियों को अपनी प्रारम्भिक भर्ती के पश्चात् कठोर प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। इस सम्वर्ग (पुलिस अधीक्षक) के अधिकारी का मुख्य कार्य अपने सर्किल में, जिसमें 4-5 थानों का क्षेत्र आता है, अपराध और विधि और व्यवस्था से संबंधित कार्यों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना है। अपराध अनुसंधान और सतर्कता विभागों आदि में इस संवर्ग के सदस्यों को जटिल और संवेदनशील जांच करनी पड़ती है और उनका पर्यवेक्षण करना पड़ता है। प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी, प्रशिक्षण संस्थान और अभिसूचना विभाग में तैनात अधिकारी को भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है।

23.15 पुलिस महानिरीक्षक ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

(1) पुनरीक्षित साधारण वेतनमान 1100-1800 रु0 किया जाय।

(2) पुनरीक्षित ज्येष्ठ वेतनमान 1500-2100 रु0 किया जाय।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग के 10 प्रतिशत साधारण श्रेणी के पद 2000-2500 रु0 के उच्च वेतनमान में रखें जायें।

(4) इस संवर्ग के अधिकारियों को अनुमन्य विशेष वेतन उन्हें ज्येष्ठ वेतनमान में भी अनुमन्य रहे।

23.16 पुलिस महानिरीक्षक ने यह बताया कि राज्य सरकार से अपेक्षाकृत बड़े जिलों में राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी) अधिकारियों के समान विशेष श्रेणी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के पदों के सृजन का प्रस्ताव किया गया है।

23.17 असंगति समिति (1975) ने उप पुलिस अधीक्षकों के वेतनमान के प्रश्न पर विचार किया और यह

सिफारिश की थी कि साधारण श्रेणी के 20 प्रतिशत स्थायी पद रु0 800-1450 के ज्येष्ठ वेतनमान में रखे जायें और यह भी सिफारिश की थी कि यदि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा का अधिकारी 18 वर्ष सराहनीय सेवा करने के पश्चात् भी पदोन्नत नहीं किया जाता है तो उसे 1300-1600 रु0 के स्पेशल ग्रेड में रखा जाय और यह सुझाव दिया कि इस वेतनमान के अधिकारियों को अपेक्षाकृत बड़े जिलों में संयुक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने के विषय पर विचार किया जाय।

23.18 गृह सचिव ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में स्पेशल ग्रेड की स्वीकृति देने के बारे में पुलिस महानिरीक्षक के विचारों का समर्थन किया किन्तु उनका यह विचार था कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में स्पेशल ग्रेड भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान (1200-1700 रु0) से अधिक नहीं किया जा सकता। गृह सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि स्पेशल ग्रेड के लिये पात्रता की अवधि 18 से घटाकर 15 वर्ष कर दी जाय। गृह सचिव ने बताया कि सरकार पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है और सरकार इस बात का विनिश्चय करेगी कि अतिरिक्त/संयुक्त पुलिस अधिकारियों के पदों का सृजन किया जाय या नहीं।

23.19 हम इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा एक महत्वपूर्ण राज्य सेवा है। बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक स्थिति को देखते हुये पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित रूप से बढ़ गया है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके लिये पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हो जायें।

23.20 इस संवर्ग के अधिकारियों के लिये भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में 78 पद उपलब्ध हैं। साधारण श्रेणी में पदों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत के आधार पर इस संवर्ग के ज्येष्ठ वेतनमान में अधिकारियों के लिये 97 पद उपलब्ध होने चाहियें। असंगति समिति की सिफारिशों के अनुसार यदि 18 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में पदोन्नत न किया जाय तो इस सेवा के अधिकारियों के लिये 1300-1600 रु0 के स्पेशल ग्रेड में 49 पद उपलब्ध किये जा सकते हैं। किन्तु इन पदों को भरा नहीं गया है क्योंकि भारतीय पुलिस सेवा में 1960 तक के बैच के अधिकारी आमेलित किये गये हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पश्चात्वर्ती बैच के 59 अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के समकक्ष वेतनमान में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार इस समय स्पेशल ग्रेड में नियुक्ति के लिये 18 वर्ष या इससे अधिक की सेवा वाले अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि ऐसी संभावना है कि यह स्थिति आगामी कुछ वर्षों में बिगड़ जायगी। गृह विभाग के विचारों से सहमत होते हुये हम निम्नलिखित सिफारिशें करते हैं—

(एक) उत्तर प्रदेश पुलिस की साधारण श्रेणी उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी) को अनुमन्य श्रेणी के समान होनी चाहिए।

(दो) 20 प्रतिशत साधारण श्रेणी के पद 1250-2050 के ज्येष्ठ वेतनमान में रखे जायें।

(तीन) 10 प्रतिशत पद 1540-2200 रु0 के स्पेशल ग्रेड में रखे जायें जिन पर ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जायें जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सराहनीय सेवा की अवधि पूरी कर ली हो।

(चार) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के उपयुक्त अधिकारियों की राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाय।

पुलिस इंसपेक्टर—

23.21 पुलिस इंसपेक्टर का पद पुलिस सब इंसपेक्टर के लिये पदोन्नति का पद है। पुलिस इंसपेक्टर का वेतनमान 400-750 रु0 है। इस समय पुलिस इंसपेक्टर अभिसूचना, अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता और पुलिस बल की अन्य शाखाओं में तैनात किये गये हैं सशस्त्र पुलिस में उसका पदनाम रिजर्व इन्सपेक्टर है और वह रिजर्व पुलिस लाइन का प्रभारी होता है। प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी में उसका पदनाम कम्पनी कमाण्डर है। 194 ऐसे थानों को भी इन्सपेक्टर के चार्ज में रखा गया है जहां पर औसतन सज्ञेय अपराधों की संख्या 400 या इससे अधिक है। पुलिस उप अधीक्षक के 50 प्रतिशत पद पुलिस इन्सपेक्टरों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और पुलिस इंसपेक्टर के सभी पद पुलिस सब-इंसपेक्टरों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। पुलिस सब-इंसपेक्टर को इंसपेक्टर के पद पर पदोन्नति करने के लिये विभागीय चयन समिति द्वारा वार्षिक चयन किया जाता है जिसमें पुलिस महानिरीक्षक और दो या तीन उप महानिरीक्षक होते हैं। सब इन्सपेक्टरों का चयन पहले स्थानापन्न इन्सपेक्टरों के रूप में किया जाता है और बाद में स्थायीकरण हेतु एक पृथक् चयन के माध्यम से चयन किया जाता है। तथापि, इस स्तर के कुछ अन्य पदों का चयन पद्धति के विपरीत यह चयन राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं किया जाता है। आयोग से जो ज्येष्ठ विभागीय अधिकारी मिले उन्होंने पुलिस इन्सपेक्टर के संवर्ग में कोई वृद्धि अवरोध इंगित नहीं किया।

23.22 हमें क्रमोन्नत थानों में पुलिस इंस्पेक्टर को स्टेशन अफसर के रूप में नियुक्त किये जाने की वांछनीयता पर चर्चा करने का अवसर मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कदाचित मतभेद हैं। हमें यह बताया गया है कि ऐसे क्रमोन्नत थानों की संख्या बहुत थोड़ी—साधारणतया एक जिले में दो या तीन हैं। परिणामस्वरूप स्थानान्तरण द्वारा इंसपेक्टरों के परस्पर बदलने की गुंजाइश भी बहुत सीमित है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जाय। इसके विपरीत कुछ ज्येष्ठ

अधिकारियों ने उल्लेख किया है कि घनी आबादी वाले नागर क्षेत्रों में शान्ति और व्यवस्था की जटिल स्थिति के प्रसंग में ज्येष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन अफसर के रूप में अपेक्षाकृत अच्छा काम करता है। यह भी सुझाव दिया गया कि कुछ महत्वपूर्ण थानों के लिये, अपेक्षाकृत उच्च रैंक वाला अधिकारी, जैसे पुलिस उप अधीक्षक अधिक उपयुक्त होगा। हमने इस विषय पर गहराई से विचार नहीं किया है और न यह हमारे कार्यक्षेत्र में आता है। फिर भी, सरकार को इस प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर विचार करना चाहिये।

पुलिस सब इंसपेक्टर—

23.23 पुलिस सब-इंसपेक्टर को "उसके कार्य क्षेत्र में समस्त पुलिस कार्यों (निवारक गुप्तचर और विनियामक) का प्रमुख पुलिस कार्यकर्त्ता" समझा जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी थाने के प्रभारी सब-इंसपेक्टर को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने, जमानत पर मुक्त या आवद्ध करने, सम्पत्ति की तलाशी लेने या उसे अभिग्रहण करने, मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट करने, साक्षियों का समन करने और अनुसंधान के लिये अपेक्षित किसी सामग्री की सुरक्षा का आदेश देने का अधिकार होता है। शान्ति और व्यवस्था की स्थिति से निबटने के लिये और अपराधों की रोकथाम के लिये उसे व्यक्तियों के विधि-विरुद्ध जमाव को तितर-बितर करने और उन लोगों को जो कोई संज्ञेय अपराध कर सकते हैं, गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस महा-निरीक्षक ने आयोग को भेजी गयी अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया है कि "यदि उसके समादेश के अधीन थाना उचित रूप से, विधि सम्मत, संवैधानिक रूप से और ईमानदारी से कार्य करता है, तो लोगों को ऐसा प्रशासन मिल सकता है जो कारगर, दक्ष, और उनके आकांक्षाओं के अनुरूप हो।"

23.24 सब-इंसपेक्टर के पद पर भर्ती के लिये मूल अर्हता स्नातक की डिग्री है। भर्ती राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक चयन समिति द्वारा की जाती है जिसका अध्यक्ष उप-महा-निरीक्षक होता है और जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, एक अथवा दो पुलिस अधीक्षक, एक मनोवैज्ञानिक और कभी-कभी एक गैरसरकारी व्यक्ति होते हैं। इस समिति द्वारा साक्षात्कार के पूर्व उसकी (अभ्यर्थी की) शारीरिक दक्षता और सामान्य ज्ञान के मूल्यांकन के लिये परीक्षण के आधार पर छंटनी की जाती है। उसकी भर्ती के पश्चात्, उसे मुरादाबाद स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक वर्ष तक गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। सिविल पुलिस में, सब-इंसपेक्टरों के 50 प्रतिशत पद उपर्युक्त समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, जब कि 50 प्रतिशत पदों को हैड कान्सटेबिलों/कान्सटेबिलों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। सब-इंसपेक्टर के पद पर प्रोन्नति के लिये आयु, सीमा और एक कठिन विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से संबंधित कतिपय निर्बन्धन हैं। चयन के बाद, उन्हें भी पुलिस प्रशिक्षण महा-विद्यालय, मुरादाबाद में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। सब-इंसपेक्टर, सशस्त्र पुलिस और प्रदेशीय सशस्त्र कांसटेबुलरी के प्लाटून कमाण्डर के संयुक्त संवर्ग में, 20 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और 80 प्रतिशत पद नीचे के रैंकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। चयन द्वारा नियुक्ति का ढंग यहां भी प्रायः वैसा ही है जैसा कि सिविल पुलिस के लिए है। पुलिस महानिरीक्षक ने अपने पत्र संख्याः तीन/ए-355-79, दिनांक 10 सितम्बर, 1980 द्वारा आयोग को सूचित किया है कि सशस्त्र पुलिस/प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी में इंस-पेक्टर के 276 पदों में से, सिविल पुलिस से 188 और सशस्त्र पुलिस से केवल 88 लिए गए थे।

23.25 सशस्त्र पुलिस/प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी में इंसपेक्टरों के 188 पदों को इंसपेक्टर सिविल पुलिस के संवर्ग से जोड़ने पर, सिविल पुलिस में सब-इंसपेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिये उपलब्ध इंसपेक्टर के पदों की कुल संख्या, सब इंसपेक्टर के 7806 पदों की तुलना में, 1100 हो जाती है। सिविल पुलिस में 50 प्रतिशत सब-इंसपेक्टर के पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार सब इन्सपेक्टरों के लगभग 3903 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। चूंकि सब इन्सपेक्टरों के सथ-साथ पदोन्नत किये गये सब-इन्सपेक्टरों को उपलब्ध पदोन्नति के पदों की कुल संख्या केवल 1100 है अतएव हमारी सिफारिश है कि 20 प्रतिशत सब-इंसपेक्टरों के पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय। सशस्त्र पुलिस प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के मामले में, सब इंसपेक्टरों के 80 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, किन्तु इंसपेक्टरों के साथ ही साथ सब-इंसपेक्टरों के पदों की संख्या केवल 11 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है। गृह विभाग के सुझाव के अनुसार, हम सिफारिश करते हैं कि सशस्त्र पुलिस/प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी में भी सब-इंसपेक्टर के 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

23.26 पुलिस महानिरीक्षक ने बलपूर्वक यह विचार व्यक्त किया कि सब-इंसपेक्टर, जिला अपराध अभिलेख विभाग और विशेष अनुसंधान दल के पदों को भी पुलिस इन्सपेक्टर के स्तर पर क्रमोन्नत किया जाय। यह सुझाव विभाग के पुनर्गठन से सम्बन्धित है जो हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। फिर भी हम सिफारिश करेंगे कि सरकार इस पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकती है।

23.27 पुलिस विभाग के ज्येष्ठ अधिकारियों ने गुप्तचर सब-इंसपेक्टरों/इंसपेक्टरों का रिजर्व इंसपेक्टरों के ढंग पर एक पृथक संवर्ग का प्रश्न उठाया। उनके अनुसार पुलिस तंत्र सामान्यतः शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने, अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित कार्यों और दूसरे प्रकीर्ण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है जिसके फलस्वरूप अपराध का पता लगाने पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह प्रस्ताव युक्तियुक्त प्रतीत होता है। किन्तु, यह सरकार का ही काम है कि वह इस प्रस्ताव की जटिलताओं का अध्ययन करे और इस विषय में कोई निर्णय ले।

हेड कान्सटेबिल/कान्सटेबिल

23.28 सीधी भर्ती केवल कान्सटेबिल के स्तर पर ही की जाती है। हेड कान्सटेबिलों के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। पदोन्नति एक विभागीय परीक्षा और शारीरिक उपयुक्तता, ड्रिल और परेड के परीक्षण पर आधारित है। एक प्रारम्भिक परीक्षण से छटनी की जाती है और केवल वही लोग जो इसमें सफल रहते हैं, विभागीय परीक्षा में बैठ सकते हैं। चयन के पश्चात् पदधारियों को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में 10 मास का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है, जहां सिविल पुलिस के हेड कान्सटेबिलों के प्रशिक्षण के लिये एक पृथक अनुभाग है। सशस्त्र पुलिस और प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी के कांसटेबिलों की दशा में प्रशिक्षण सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर में आयोजित किया जाता है। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कान्सटेबिल, हेड कांस्टेबिल के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होते। पुलिस महा-निरीक्षक और गृह सचिव ने हमारे समक्ष यह तर्क दिया कि कांसटेबिल के स्तर पर प्रगतिरोध है क्योंकि सिविल पुलिस में, हेड कांसटेबिल और कांसटेबिल की संख्या का अनुपात मोटे तौर पर 1:7 है और सशस्त्र पुलिस/प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी में यह अनुपात मोटे तौर पर 1:5 है; जबकि हेड कांसटेबिल और कान्सटेबिल के बीच सशस्त्र पुलिस/प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी की तुलना में सिविल पुलिस के मामले में यह अनुपात अपेक्षाकृत अधिक प्रतिकूल है, इसलिये सिविल पुलिस में सब इंसपेक्टर के संवर्ग में पदोन्नति के पदों की संख्या सशस्त्र पुलिस और प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक है। अतएव हमने व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर दोनों ही संवर्गों को समतुल्य माना है।

23.29 यह भी तर्क दिया गया है कि पुलिस विनियमावली के पैरा 455 के अधीन विशेष रूप से योग्य ऐसे कान्सटेबिलों को, जो 40 वर्ष की आयु पार कर जाने के कारण पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं हो पाते, रेंज के उप-महानिरीक्षक के अनुमोदन से वाच एंड वार्ड में हेड कांसटेबिल के 20 प्रतिशत पदों पर और सशस्त्र पुलिस में 2.5 प्रतिशत पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है। पुलिस महानिरीक्षक ने सुझाव दिया है कि कांसटेबिलों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस प्रतिशत को क्रमशः 50 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। गृह विभाग ने भी कांसटेबिलों के संवर्ग में सेलेक्शन ग्रेड का सुझाव दिया है। हमने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि यदि पुलिस विनियमावली के पैरा 455 के अधीन कांसटेबिलों से हेड कांसटेबिलों की पदोन्नति का प्रतिशत बढ़ाया जाता है तो इससे 40 वर्ष से कम आयु वाले कांसटेबिलों की पदोन्नति की सम्भावनाओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तथापि हम इस बात से सहमत हैं कि कांसटेबिलों के संवर्ग में प्रगतिरोध है क्योंकि उनमें से अधिकतम कान्सटेबिलों को हेड कांसटेबिलों/सब-इंसपेक्टरों के पद पर पदोन्नति पाने के लिए लगभग 18 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और सराहनीय योग्यता रखने वाले ऐसे कान्सटेबिलों को, जो 40 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, और हेड कांसटेबिलों/इंसपेक्टरों के पदों के लिये पात्र नहीं रह गये हैं, पुलिस विनियमावली के पैरा 455 के अधीन पदोन्नति के अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिलने चाहियें। हमारी संस्तुति है कि—

(एक) कांसटेबिलों के 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय। सेलेक्शन ग्रेड में ऐसे कांसटेबिलों को रखा जाय जो 15 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा पूरी कर चुके हों।

(दो) वाच एंड वार्ड के हेड कांसटेबिलों के 30 प्रतिशत पदों को ऐसे विशेष रूप से योग्य और उत्कृष्ट कान्सटेबिलों के लिये आरक्षित रखा जाय जो आयु सीमा आदि के कारण पदोन्नति के लिये अर्ह न हो सकते हों।

(तीन) सशस्त्र पुलिस के हेड कांस्टेबिलों के 5 प्रतिशत पदों को भी इसी प्रकार ऐसे विशेष रूप से योग्य और उत्कृष्ट कांसटेबिलों के लिये आरक्षित कर दिया जाय जो आयु सीमा आदि के कारण पदोन्नति के लिये अर्ह नहीं हो सकते हों।

मोटर परिवहन शाखा

23.30 इस शाखा के अराजपत्रित संवर्ग में इंसपेक्टरों के तीन पद, सब इंसपेक्टर के 13 पद, हेड कांस्टेबिल के 140 पद और कांस्टेबिल के 1940 पद हैं। राजपत्रित स्तर पर पुलिस मोटर वाहन अधिकारी के पद 550-1200 रु० के वेतनमान में हैं और राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी का एक और पद 800-1450 रु० के वेतनमान में है।

23.31 यह दो राजपत्रित पद प्राविधिक अर्हता वाले हैं और उनके वेतनमान परिवहन और अन्य प्राविधिक विभागों के ऐसे ही पदों के समतुल्य हैं। तथापि, राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी मोटर गाड़ियों की बड़ी संख्या के रख-रखाव और सीतापुर स्थित पुलिस मोटर गाड़ियों की केन्द्रीय कर्मशाला के प्रशासन से संबंधित अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त, मोटर परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र का प्रभारी भी होता है, जहां पर पुलिस के मोटर ड्राइवर अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ-साथ मोटर मैकेनिक आदि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी पूरा करते हैं। अतएव हमारी सिफारिश है कि ड्राइवरों के प्रशिक्षण आदि से संबंधित अतिरिक्त कार्यों के लिये, राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी को 100 रु० प्रति मास भत्ता दिया जाय। इसी प्रकार पुलिस मोटर वाहन अधिकारी को भी जो प्रशिक्षण से सम्बद्ध हों, 75 रु० प्रतिमास भत्ता दिया जाय।

23.32 कान्सटेबिल ड्राइवरों के पदों को सशस्त्र पुलिस कांसटेबिलों में से चयन करके भरा जाता है। कान्सटेबिल के वेतनमान के अतिरिक्त वे 10 रु० प्रतिमास विशेष वेतन पाते हैं। हेड कांसटेबिल के सभी पदों को कांसटेबिल ड्राइवरों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। सब इन्सपेक्टर मोटर परिवहन के सभी पद हेड कांस्टेबिल ड्राइवरों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इसी प्रकार इंसपेक्टरों के सभी पदों को सब इन्सपेक्टर, मोटर परिवहन में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इस प्रकार कान्सटेबिल ड्राइवरों के स्तर पर

चयन के पश्चात इन्सपेक्टर मोटर परिवहन के स्तर तक के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। जो कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिल 10 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन पाते हैं, उनके अतिरिक्त सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर भी क्रमशः 25 रु0 और 40 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन पाते हैं। इस शाखा में कांसटेबिलों को पदोन्नति के लिए उपलब्ध हेड कान्सटेबिलों के पदों की संख्या को देखते हुए, हमारी सिफारिश है कि कांसटेबिलों के पदों का 20 प्रतिशत चयन सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय। चूंकि इस शाखा में सब इन्सपेक्टर के स्तर पर सीधी भर्ती नहीं की जाती है इसलिये हम उनके लिये किसी सेलेक्शन ग्रेड की सिफारिश नहीं कर रहे हैं।

23.33 इस शाखा में विभिन्न वेतनमानों में मोटर मैकेनिक, फिटर इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, लोहार आदि के पद हैं। ये समान श्रेणी वाले पद हैं और हम इन पदों के लिये उन्हीं वेतनमानों की सिफारिश कर रहे हैं जैसे कि अन्य विभागों के तद्नुरूप पदों के लिये की गई है। तथापि इस संवर्ग के अधिकांश पदों के लिये विहित अर्हता केवल संबंधित व्यवसाय में अनुभव ही है।

घुड़सवार पुलिस

23.34 इसमें सब इन्सपेक्टरों के आठ पद, हेड कान्स्टेबिलों के 40 पद और कान्स्टेबिलों के 186 पद हैं। हेड कांस्टेबिल और सब-इन्सपेक्टर के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि सब-इंसपेक्टरों से ऊपर कोई पद नहीं है और हेड कांस्टेबिल के पदों की संख्या 40 है, हम सिफारिश करते हैं कि कांस्टेबिल के 20 प्रतिशत पदों को और सब-इन्सपेक्टर के दो पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

बिगुलर

23.35 कांस्टेबिल के वेतनमान में 5 रु0 विशेष वेतन सहित बिगुलर कांस्टेबिलों के 122 पद हैं। इसमें कोई पदोन्नति का पद नहीं है। अतएव हमारी सिफारिश है कि बिगुलर कांस्टेबिलों के 30 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रख दिया जाय जो उन्हीं लोगों को उपलब्ध हो जिन्होंने 15 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा पूरी कर ली हो। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि बिगुलर कांस्टेबिलों को अनुमन्य विशेष वेतन एक समान हो चाहे वे प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी में तैनात हों या अन्यत्र।

पुलिस रेडियो शाखा

23.36 अपेक्षाकृत अच्छी संचार सुविधाओं से पुलिस संगठन की समग्र कार्यदक्षता में सुधार होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो तंत्र का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। इस समय एक स्थल से दूसरे स्थल तक टेलीग्राम/टेलीफोन संचार के 1358 स्टेशन हैं, सचल रेडियो टेलीफोन मैनपैक संचार के लिये 1057 स्टेशन हैं और लखनऊ तथा प्रमुख जिला मुख्यालयों के बीच एक स्थल से दूसरे स्थल तक के 18 टेलीप्रिंटर सर्किट हैं। पुलिस रेडियो शाखा का विस्तार पुलिस के आधुनिकीकरण योजना का एक अंग है।

23.37 पुलिस रेडियो शाखा पुलिस महानिरीक्षक के रैंक के एक अधिकारी के अधीन है और सीधे पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कार्य करती है। कर्मचारी पुलिस अधिनियम के अधीन भर्ती किये जाते हैं और प्रदेशीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी अधिनियम से भी नियंत्रित होते हैं किन्तु कर्मचारियों पर समग्र अनुशासनिक, नियंत्रण पुलिस रेडियो शाखा के अधिकारियों का है और स्थानीय अनुशासनिक नियंत्रण उस पुलिस अधीक्षक अथवा कमान्डेन्ट (समादेष्टा) द्वारा किया जाता है जिसके अधीन वे तैनात होते हैं। रु0 2000-2250 के वेतनमान में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) की सहायता के लिये एक राज्य रेडियो अधिकारी (स्टेट रेडियो आफिसर) (1400—1800 रु0), एक अतिरिक्त राज्य रेडियो अधिकारी (800—1450 रु0) और 14 सहायक रेडियो अधिकारी (550—1200 रु0) तैनात हैं। सिगनल आफिस, भण्डारगृह केन्द्रीय वर्कशाप, प्रशिक्षण विद्यालय, सचल केन्द्रों, अधिष्ठापनों, प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के बटालियन स्टेशनों और विभिन्न रेन्जों की देख-रेख के लिये 24 इन्सपेक्टर (400—750 रु0) हैं। रेन्ज मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर अनुरक्षण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं। फिर भी, मुख्य ओवरहालिंग, विरचना और विकास का कार्य लखनऊ में रेडियो मुख्यालय स्थित केन्द्रीय वर्कशाप में लिया जाता है। इस संगठन में 1-8-1980 को कर्मचारिवर्ग की कुल संख्या 3669 थी।

23.38 पुलिस महानिरीक्षक और गृह सचिव ने निम्नांकित मुख्य सुझाव दिये :—

(एक) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) के पद को क्रमोन्नत करके 2250—2500 रु0 के वेतनमान में अतिरिक्त महानिरीक्षक का पद बनाया जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह बताया कि एक पद अतिरिक्त महानिरीक्षक (रेलवे) का भी है।

(दो) राज्य रेडियो अधिकारी का वेतनमान 1400—1800 रु0 से बढ़ाकर कुल विशेष वेतन सहित 1600—2000 रु0 कर दिया जाय। यह पद इस समय रिक्त है।

(तीन) अतिरिक्त राज्य रेडियो अधिकारी का पद का वेतनमान 800—1450 रु0 से बढ़ाकर कुछ विशेष वेतन सहित 900—1600 रु0 कर दिया जाय, क्योंकि उसे पुलिस अधीक्षक/कमान्डेन्ट प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के अधिकार प्राप्त हैं।

(चार) सहायक रेडियो अधिकारी के 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय और शेष पदों पर विशेष वेतन दिया जाय।

(पांच) रेडियो इंस्पेक्टरों को पुलिस इन्सपेक्टरों के समकक्ष किया जाय।

(छः) रेडियो स्टेशन अधिकारी को पुलिस सब-इन्सपेक्टर के समतुल्य किया जाय।

(सात) रु0 280—460 के वेतनमान में मुख्य आपरेटर एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है और उसे रु0 300—500 के वेतनमान में रखा जाय और 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

(आठ) प्रथम श्रेणी के आपरेटर और मास्टर ट्रेड हैण्ड के विशेष वेतन को बढ़ाकर क्रमशः 30 और 50 रु0 प्रतिमाह किया जाय।

(नौ) सहायक आपरेटर को हेड कांस्टेबिल के समकक्ष और वर्कशाप सहायक को कान्सटेबिल के समकक्ष किया जाय।

(दस) पुलिस रेडियो स्टेशन पर तैनात संदेशवाहक को 185—265 रु0 का वेतनमान दिया जाय।

23.39 हमने पुलिस रेडियो शाखा के अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक और गृह सचिव से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। हमने इस विषय का अध्ययन कुछ विस्तार से किया है। पहले इस संगठन का प्रधान अधिकारी रु0 1400—1800 के वेतनमान में राज्य रेडियो अधिकारी होता था जो अतिरिक्त राज्य रेडियो अधिकारी के लिये पदोन्नति का पद था। उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर-संचार) का वर्तमान पद वर्ष 1974—75 में सृजित किया गया था। यह शाखा एक प्राविधिक संगठन है और इस संगठन में 16 राजपत्रित अधिकारी हैं। रेडियो टेलीफोनों की बड़ी संख्या थानों पर है और इनका परिचालन थानों पर तैनात सामान्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा किया जाता है इसी प्रकार अधिकारियों की गाड़ियों में लगे हुये रेडियो टेलीफोनों का परिचालन कांस्टेबिल ड्राइवरों अथवा अधिकारियों के अर्दलियों द्वारा किया जाता है। संगठन का मुख्य कार्य दूर संचार व्यवस्था का दक्षतापूर्वक काम करते रहना सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न उपकरणों और साज सज्जा का रख-रखाव करना है। पुलिस संगठन की इस शाखा की तुलना किसी प्राविधिक विभाग से की जा सकती है और इसलिये, हम सिफारिश करते हैं कि इस संगठन के अध्यक्ष का पद-नाम निदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस (दूर संचार) रखा जाय।

23.40 यद्यपि, हम संगठन के अध्यक्ष के पद को महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक (के पदों) के समकक्ष नहीं रखना चाहते, फिर भी हमारा यह मत है कि इस संगठन के अध्यक्ष को उपयुक्त वेतनमान दिया जाये और इस प्रयोजन के लिये रु0 2050—2500 के वेतनमान की सिफारिश कर रहे हैं।

23.41 इस शाखा के विभिन्न प्राविधिक पदों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि रु0 350—700 के वेतनमान में रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के 113 पद हैं। विहित अर्हता भौतिकी/गणित में बी0 एस0 सी0 की उपाधि है। सेवा नियमावली को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भर्ती एक विभागीय समिति के माध्यम से की जाती है। हमें भेजे गये विवरण पत्र में यह बताया गया है कि ऐसा प्रस्ताव है कि इन पदों में से केवल 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायें और (शेष) 75 प्रतिशत पद निम्न पदों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं। निम्न पद रेडियो स्टेशन अधिकारियों के हैं। रेडियो स्टेशन अधिकारियों की कुल संख्या 146 है। रेडियो स्टेशन अधिकारियों के 75 प्रतिशत पद पुनः ऐसे हेड आपरेटरों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जो रु0 280—460 के वेतनमान में हैं। हेड आपरेटरों के शत प्रतिशत पद ऐसे सहायक आपरेटरों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जो रु0 230—385 के वेतनमान में हैं। इस प्रकार, मूल पद सहायक आपरेटर का है। सहायक आपरेटरों की कुल संख्या 991 है और वे हेड आपरेटरों के 1805 पदों पर पदन्नति के पात्र हैं। इस स्तर पर पदोन्नति की सम्भावनाओं 200 प्रतिशत है और सहायक आपरेटर को इस समय लगभग तीन वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर पदोन्नति दी जा रही है। सहायक आपरेटर के पद के लिये मूल विहित अर्हता केवल विज्ञान और गणित (विषयों) सहित हाई स्कूल होना है। सामान्य तौर पर प्रतिरूप के आधार पर उस योग्यता वाले सरकारी कर्मचारी को अनुमन्य वेतनमान 185—265 रु0 होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सहायक आपरेटर पहले ही से ऊंचा वेतनमान पा रहे हैं। इसी प्रकार, हेड आपरेटर जो 280—460 रु0 के वेतनमान में हैं। एक समुचित वेतनमान प्राप्त करता है। रेडियो स्टेशन अधिकारी का वेतनमान 300—550 रु0 है, जो पुलिस सब-इन्सपेक्टर के वेतनमान के बराबर है। (इसकी) मूल अर्हता भौतिक विज्ञान और गणित सहित बी0 एस0 सी0 की उपाधि प्राप्त होना है। सामान्यतया उस योग्यता वाले कर्मचारी को अन्य विभागों में 280—460 रु0 के वेतनमान में रखा गया है। अतएव उनके वेतनमान भी, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक अनुकूल हैं। इसी प्रकार, रेडियो अनुरक्षण अधिकारी और रेडियो इंस्पेक्टर के वेतनमान भी युक्तियुक्त हैं।

23.42 राजपत्रित स्तर पर सहायक रेडियो अधिकारी का पद रु0 550—1200 के वेतनमान में है। इसकी मूल अर्हता दो वर्ष के प्राविधिक अनुभव सहित एम0 एस-सी0 भौतिकी अथवा बी0 ई0 (दूर संचार)/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/रेडियो इंजीनियरिंग है। प्रशासनिक विभाग ने इन पदों के लिये विशेष वेतन का सुझाव दिया है। विशेष वेतन

स्वीकृत करने का सिद्धान्त यह है कि जब, किसी पद के लिये भर्ती किये गये व्यक्ति को, ऐसे किसी अन्य कार्य पर तैनात किया जाता है, जिसके कर्तव्य अधिक श्रमसाध्य हों अथवा विशेष प्रकृति वाले हों, तो उसे कुछ विशेष वेतन दिया जा सकता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर सिविल पुलिस से अभिसूचना अपराध अनुसंधान विभाग और सतर्कता विभाग में तैनात विभिन्न संवर्गों को विशेष वेतन स्वीकृत किये गये हैं। इन अधिकारियों को सहायक रेडियो अधिकारी के पद के लिये भर्ती किया जाता है और ऊपर उल्लिखित सिद्धान्त के आधार पर उन्हें कोई विशेष वेतन अनुमन्य नहीं हो सकता।

23.43 अतिरिक्त राज्य रेडियो स्टेशन अधिकारी का, उच्चतर पद रु0 800—1450 के वेतनमान में है जो कि रु0 550—1200 के वेतनमान में किसी अधिकारी के लिये सामान्य पदोन्नति का वेतनमान है। जहां तक राज्य रेडियो अधिकारी का सम्बन्ध है, हम इस पद के लिये रु0 1660—2300 के वेतनमान की सिफारिश कर रहे हैं।

23.44 जहां तक कर्मशाला सहायक (वर्कशाप हैण्ड) का सम्बन्ध है, पहले इस पद का नाम वर्कशाप एप्रेन्टिस था जिसका नियत वेतन 165 रु0 प्रतिमास था। बाद में 165—215 रु0 का एक नियमित वेतनमान स्वीकृत किया गया इस पद के लिये मूल अर्हता हाई स्कूल है। हमारे विचार से इस पद के लिये अर्हता को देखते हुये, अनुमन्य वेतनमान अपेक्षाकृत ऊंचा होना चाहिये और तदनुसार हमने इस पद के लिये 325—495 रु0 के वेतनमान की सिफारिश की है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस पद को कान्सटेबिल के पद के समकक्ष माना जाना चाहिये।

23.45 जहां तक संदेशवाहक (मैसेंजर) के वेतनमान का संबंध है, वह रु0 165—215 के वेतनमान में है जो कि विभिन्न विभागों में सन्देशवाहकों के लिये अनुमन्य है। तथापि, हमने राज्य रेडियो मुख्यालय पर, जहां सम्पूर्ण राज्य से सन्देश प्राप्त होते हैं और उन्हें सम्पूर्ण नगर में सम्बद्ध अधिकारियों/अधिकारिकों तक शीघ्रता से पहुंचाना आवश्यक होता है, तैनात सन्देशवाहकों के लिये 20 रु0 प्रतिमास के भत्ते की सिफारिश की है। किन्तु, जिलों के रेडियो स्टेशनों और अन्य अधीनस्थ रेडियो स्टेशनों पर तैनात सन्देशवाहकों के सम्बन्ध में विशेष वेतन अथवा भत्ते का कोई औचित्य नहीं है।

23.46 पदोन्नति के अवसर के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि अराजपत्रित संवर्गों में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हैं फिर भी, सहायक रेडियो अधिकारी के स्तर पर जिसकी संख्या 14 है, पदोन्नति के पदों की कुल संख्या केवल तीन है। अतएव, हम सिफारिश करते हैं कि सहायक रेडियो अधिकारी के 20 प्रतिशत पदों को सामान्य शर्तों के अधीन सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

पुलिस अग्निशमन सेवा

23.47 संगठन का प्रमुख अधिकारी उप पुलिस महानिरीक्षक के रैंक का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है, अन्यथा भारतीय पुलिस सेवा से भिन्न अधिकारी के लिये रु0 1600—2000 के वेतनमान में निदेशक का पद है और इसके लिये पृथक अर्हताएं अपेक्षित हैं तथा इसे यथासमय राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाता है। इसी प्रकार रु0 1150—1700 के वेतनमान में प्राविधिक अर्हताओं वाले संयुक्त निदेशक के पद पर इस समय भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी काम कर रहा है। सरकार को इस पद पर भर्ती के लिये अभी निर्णय लेना है। दो पद रु0 800—1450 के वेतनमान में हैं जिनके पद नाम कमान्डेन्ट, अग्निशमन प्रशिक्षण सेवा और उप निदेशक (प्राविधिक) हैं। इन पदों को, उप महानिरीक्षक (प्रशासन), लखनऊ द्वारा हमें भेजे गए अर्धशासकीय पत्र संख्या-एक-120-79, दिनांक 14-8-80 के अनुसार, मुख्य अग्निशमन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अपने कार्य क्षेत्र के 4-5 जिलों के भीतर अग्निशमन उपस्कर, मशीनों और वाहनों की देखभाल और अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होता है। रु0 550—1200 के वेतनमान में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 11 पद हैं। इन पदों के 50 प्रतिशत पद अग्निशमन स्टेशन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम सेसीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। पदानुक्रम में ठीक नीचे अग्निशमन स्टेशन अधिकारी होता है। रु0 400—750 के वेतनमान में अग्निशमन स्टेशन अधिकारी के 67 पद हैं और अग्निशमन स्टेशन द्वितीय अधिकारी के 99 पद रु0 300—550 के वेतनमान में हैं। अग्निशमन स्टेशन अधिकारी के सभी पद अग्निशमन स्टेशन द्वितीय अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अग्निशमन स्टेशन द्वितीय अधिकारी के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। प्रमुख फायरमैन के 269 पद और फायरमैन के 1585 पद हैं।

23.48 अग्निशमन सेवा में विभिन्न पदों के वेतनमान पुलिस संगठन में सामान्य वेतनमानों के ही अनुरूप हैं और उनका पदानुक्रम का भी वही प्रतिरूप है और विभाग ने इस सेवा में सिविल पुलिस के प्रतिरूप के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड की सिफारिश की है। हमने स्थिति का परीक्षण किया है। फायरमैन को प्रमुख फायरमैन के शत प्रतिशत पदों के अतिरिक्त अग्निशमन सेवा ड्राइवरों के 50 प्रतिशत पदों पर भी पदोन्नति दी जाती है। अग्निशमन स्टेशन द्वितीय अधिकारी के 50 प्रतिशत पद भी पदोन्नति के लि उपलब्ध हैं। अग्निशमन स्टेशन अधिकारी के 67 पदों की तुलना में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 11 पद हैं और इनमें से भी केवल

50 प्रतिशत पद अग्निशमन स्टेशन अधिकारियों की पदोन्नति के लिए उपलब्ध हैं। समग्र रूप से देखते हुए हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं :—

(एक) फायरमैन के 15 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय,

(दो) अग्निशमन सेवा ड्राइवरों के 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय,

(तीन) अग्निशमन स्टेशन द्वितीय अधिकारी के लिये सेलेक्शन ग्रेड का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अग्निशमन स्टेशन अधिकारी के उच्चतर पदों के लगभग 75 प्रतिशत पद उनके लिये उपलब्ध हैं।

किन्तु हमारी सिफारिश है कि अग्निशमन स्टेशन अधिकारियों के 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

23.49 गृह सचिव ने आयोग से विचार विमर्श के दौरान अग्निशमन सेवाओं के लिए निःशुल्क आवास अथवा उसके बदले में मकान किराया भत्ता देने पर जोर दिया। इस संबंध में प्रशासनिक विभाग ने हमें गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 6342/आठ-7-68/74, दिनांक 1 जनवरी, 1974 की एक प्रतिलिपि भेजी है जिसमें अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों, जैसे इन्सपेक्टर, सबइन्सपेक्टर, हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल को निःशुल्क आवास अथवा उसके बदले में मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया गया है। अग्निशमन सेवा के तदनुरूप पद के कर्मचारियों को उन कर्मचारियों की सूची में जिन्हें यह सुविधा अनुमन्य है, सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे विचार से अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों की आग लग जाने और अन्य आपदाओं के सम्बन्ध में हर समय, प्रायः नियमित रूप और बीच-बीच में बार-बार, आवश्यकता पड़ती रहती है, और इसलिये हम सिफारिश करते हैं कि अग्निशमन स्टेशन अधिकारी, अग्निशमन स्टेशन द्वितीय अधिकारी, अग्निशमन सेवा ड्राइवर, प्रमुख फायरमैनों और फायरमैनों को, सिविल पुलिस में उनके समकक्ष कर्मचारियों के समतुल्य निःशुल्क आवास अथवा उसके स्थान पर मकान किराया भत्ता की सुविधा प्रदान की जाय।

विधि विज्ञान प्रयोगशालायें

23.50 पुलिस आयोग 1970—71 और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों के कार्यकारी दल की सिफारिश के आधार पर लखनऊ और आगरा में विधि विज्ञान प्रयोगशालायें स्थापित की गयी थीं। यह प्रयोगशालायें रु0 1600—2000 के वेतनमान में निदेशक के अधीन कार्य कर रही हैं जिसकी सहायता के लिये रु0 1150—1700 के वेतनमान में एक संयुक्त निदेशक (आगरा प्रयोगशाला के लिए) रु0 650—1300 के वेतनमान में 14 सहायक निदेशक, रु0 450—850 के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी के छः पद, रु0 400—750 के वेतनमान में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायकों के 35 पद, रु0 300—550 के वेतनमान में वैज्ञानिक सहायकों के 30 पद के साथ अतिरिक्त सहायक कर्मचारिवर्ग के पद हैं। इस पुनर्गठन के पूर्व आगरा प्रयोगशाला का प्रमुख अधिकारी रु0 900—1600 के वेतनमान में 100 रु0 प्रतिमाह के विशेष वेतन के साथ रासायनिक परीक्षक था और रु0 450—950 के वेतनमान में सहायक रासायनिक परीक्षक के चार पद रु0 400—750 के वेतनमान में आठ पद, 300—550 रु0 के वेतनमान में दस पद थे। लखनऊ प्रयोगशाला में रु0 550—1200 के वेतनमान में तीन पद रु0 350—700 के वेतनमान में 19 पद और रु0 280—460 के वेतनमान में 12 पद थे। प्रयोगशालाओं का हाल में किया गया पुनर्गठन इन संस्थाओं को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक कदम है जिसके परिणामस्वरूप कई पदों को क्रमोन्नत किया गया है।

23.51 गृह सचिव ने हमसे विचार विमर्श के दौरान यह विचार व्यक्त किया कि प्रयोगशालाओं में ज्येष्ठ पदों के वेतनमान का प्रतिरूप विश्वविद्यालयों में शोध कर्मचारिवर्ग के वेतनमान के अनुरूप होना चाहिये। विश्वविद्यालय का शोध कर्मचारिवर्ग वहां पर शिक्षण कर्मचारिवर्ग के समकक्ष है, हम यह महसूस करते हैं कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कार्य पद्धति विश्वविद्यालय में शोध कार्य की पद्धति से काफी भिन्न है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का कार्य प्रदेशों के परीक्षण, विश्लेषण और परिणाम की रिपोर्ट तैयार करने तक ही सीमित है। इनका कार्य उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध कार्य है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न पदों के लिए विहित अर्हताएं भी विश्वविद्यालय में विहित अर्हताओं से पूर्ण तथा भिन्न हैं। विश्वविद्यालय में लेक्चरर से यह आशा की जाती है कि उसके पास पी0 एच0 डी0 की डिग्री हो और रीडर तथा प्रोफेसर से उच्च शैक्षिक डिग्री के साथ-साथ शिक्षण और शोध कार्य के अनुभव की आशा की जाती है। सरकार ने अभी तक इस संगठन में विभिन्न पदों के लिए सेवा नियमावली अन्तिम रूप से तैयार नहीं की है।

23.52 हमने विभिन्न पदों के वेतनमान का उनकी अर्हताओं और भर्ती की रीति को देखते हुए परीक्षण किया है। विभिन्न नव सृजित पदों के वेतनमान अभी हाल में ही निर्धारित किये गये हैं और वे कुछ हद तक अपेक्षाकृत अधिक हैं। सामान्यतया सहायक निदेशक का पद रु0 550—1200 के वेतनमान में होता है और प्रयोगशालाओं के कार्य के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत वेतनमान रु0 650—1300 है। इसी प्रकार वैज्ञानिक सहायक का पद रु0 300—550 के वेतनमान में स्वीकृत किया गया है जो प्रायः प्राविधिक सहायक के पद को जिसका वेतनमान पहले रु0 280—

460 था, प्रतिस्थापित करके कमोन्नत किया गया है। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद को जिसका वेतनमान 350--700 रु0 था, प्रतिस्थापित करके 400--750 रु0 के वेतनमान में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी कर दिया गया है। अब यह वेतनमान पुलिस सब-इंसपेक्टर और पुलिस इंसपेक्टर के वेतनमान के समान है।

23.53 निदेशक की प्रास्थिति के बारे में विशेष उल्लेख किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि निदेशक का पद उप पुलिस महानिरीक्षक के समकक्ष कर दिया जाय। इस समय निदेशक का वेतनमान निदेशक भूतत्व तथा खनिकर्म के वेतनमान के समान है जो कुछ हद तक निदेशक राज्य वेधशाला, नैनीताल के वेतनमान से अधिक है। हमें निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला को निदेशक भूतत्व तथा खनिकर्म से जिसके अधीन गवेषणा, अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त कई प्रयोगशालायें होती हैं, ऊंची प्रास्थिति देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। हमारा यह मत है कि निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का पदनाम कार्य को देखते हुए उपयुक्त है और वेतनमान भी पर्याप्त है।

अभियोजन शाखा

23.54 अभियोजन शाखा के अधिकारियों की भर्ती पहले पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन की जाती थी और उन्हें पुलिस अधिकारियों के प्रवर्ग में रखा गया था। किन्तु, नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधिनियम होने के पश्चात वे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पदोन्नति के पात्र नहीं हैं। राजपत्रित स्तर पर रु0 550—1200 के वेतनमान में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के 56 पद हैं और रु0 800—1450 के वेतनमान में दो पद (पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद) में हैं। रु0 450—850 के वेतनमान में अभियोजन अधिकारी के 127 पद और 350—700 के वेतनमान में सहायक अभियोजन अधिकारी के 726 पद हैं।

23.55 प्रारम्भिक नियुक्ति सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर की जाती है। अभियोजन अधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पदों और दो उच्चतर पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। पुलिस महानिरीक्षक ने आयोग को भेजी गई अपनी टिप्पणी में यह सिफारिश की है कि ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी का वेतनमान उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों की साधारण श्रेणी के वेतनमान से कुछ अधिक होना चाहिये। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि 20 प्रतिशत साधारण श्रेणी के पद ज्येष्ठ श्रेणी में रखे जांय जिससे उनके लिए पदोन्नति की अपेक्षाकृत अच्छी सम्भावनायें हो जांय। गृह सचिव ने सुझाव दिया था कि सहायक अभियोजन अधिकारी का वेतनमान पुलिस इंसपेक्टर के बराबर कर दिया जाय। इसी प्रकार उच्च पदों के वेतनमान को बढ़ाकर पुनरीक्षित किया जाय।

23.56 उत्तर प्रदेश सहायक लोक अभियोक्ता संघ ने आयोग को दिये गये अपने ज्ञापन में यह मांग की है कि सहायक अभियोजन अधिकारी को मुंसिफ और कम से कम सब रजिस्ट्रार के समकक्ष कर दिया जाय। अपने साक्ष्य के दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि सहायक अभियोजन अधिकारी का वेतनमान कम से कम पुलिस इंसपेक्टर के बराबर कर दिया जाय। अभी तक भर्ती के कोई नियम नहीं हैं किन्तु विभाग ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 6071/आठ-9/80, दिनांक 5-9-80 के अन्तर्गत हमें नियमों के उस प्रारूप की प्रति भेजी है जिसे अंगीकार करने का उसका प्रस्ताव है और जिसके लिए उसने लोक सेवा आयोग का अनुमोदन चाहा है। नियमों के प्रारूप में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए विहित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री है और भर्ती सीधे राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से रखी गई है। अभियोजन अधिकारी और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पदों और अन्य उच्च पदों को पदोन्नति द्वारा भरने का प्रस्ताव है/संघ के प्रतिनिधियों ने अपने मौखिक निवेदन में इस बात पर जोर दिया कि सहायक अभियोजन अधिकारियों को आपराधिक न्यायालयों के समक्ष वरिष्ठ वकीलों से तर्क करना पड़ता है। अतएव उनकी समुचित प्रास्थिति होनी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह सरकार के हित में होगा कि अच्छी योग्यता रखने वाले अधिकारियों को मूलतः सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती किया जाय। हमने इस विषय पर गृह सचिव से विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन पदों को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के पश्चात सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रस्ताव है, हमारा मत है कि सहायक अभियोजन अधिकारी का वर्तमान वेतनमान कुछ अपर्याप्त है और हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं :—

(एक) सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर रु0 625—1170 का वेतनमान दिया जाय,

(दो) अभियोजन अधिकारी के पद का वेतनमान रु0 770—1420 रखा जाय,

(तीन) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पद का वेतनमान रु0 850—1720 रखा जाय,

(चार) रु0 800—1450 के वेतनमान के दो उच्च पद हैं और उन्हें रु0 1250—2050 के पुनरीक्षित वेतनमान में रखा जाय,

(पांच) सहायक अभियोजन अधिकारी के 20 प्रतिशत पदों और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के 15 पदों को गृह सचिव और पुलिस महानिरीक्षक की सिफारिश के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

लिपिकीय संवर्ग

23.57 पुलिस के लिपिकीय संवर्ग में सेवारत कार्मिकों [को] भी पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन अधिसूचित ा जाता है। इस आधार पर उनसे विधि और व्यवस्था से न्धित कार्य करने के लिए कहा जा सकता है और वे स अधिनियम के अधीन कठोरतम अनुशासनिक नियं- के अधीन भी होते हैं। इस प्रकार उनकी स्थिति अन्य ागों के लिपिकीय संवर्ग की स्थिति से भिन्न है और उन्हें विभागों में समान पदों पर अनुमन्य वेतनमान की अपेक्षा/ वेतनमान दिये गये हैं। इसके साथ ही यह उल्लेखनीय कि सामान्यतया उन्हें केवल लिपिक वर्गीय कर्तव्यों का न करना पड़ता है और उन्हें विधि और व्यवस्था संबंधी व्यों का पालन करने के लिए यदा-कदा ही बुलाया जाता । विभिन्न श्रेणियों के लिपिक कर्मचारिवर्ग और उनके गान वेतनमान नीचे दिए गये हैं :—

पदनाम	वेतनमान (रु0)	पदों की संख्या
कान्सटेबुल (लिपिक वर्ग)	200 नियत	95
सहायक सब इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग)	250—425	1739
सब इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) श्रेणी चार	300—500	417
सब इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) श्रेणी 1, 2, 3	300—550	456
डिप्टी इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग)	400—600	145
इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग)	400—750	9

23.58 लिपिक संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं :—

(1) सब इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के 4 प्रवर्ग हैं। इनमें से 3 प्रवर्ग रु0 300—550 के वेतनमान में हैं और 1 प्रवर्ग अर्थात् सब इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) श्रेणी 4 रु0 300—500 के वेतनमान में हैं। विभाग ने यह सुझाव दिया है कि सभी प्रवर्गों के सब इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) को रु0 300—550 के एक सामान्य वेतनमान में रख दिया जाय जो सब-इंसपेक्टरों को अनुमन्य है।

(2) इस समय रु0 400—600 के वेतनमान में डिप्टी इंसपेक्टर के कुछ पदों को रु0 400—750 के वेतनमान में इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के पद में क्रमोन्नत कर दिया जाय।

(3) सब इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के कुछ पदों को डिप्टी इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के पद में क्रमोन्नत कर दिया जाय।

(4) जिला कार्यकारी संगठन में सहायक सब-इंसपेक्टर के 20 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के रैंक में क्रमोन्नत कर दिया जाय।

(5) इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के सभी 9 पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

(6) डिप्टी इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग आशुलेखक) के 20 प्रतिशत पदों को इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग आशुलेखक) के पद में क्रमोन्नत किया जाय।

(7) सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग आशुलेखक) के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं।

(8) अपराध अनुसंधान विभाग लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ ने मांग की है कि जिन कर्मचारियों ने इसके पूर्व पुलिस रैंक के लिए विकल्प नहीं दिया है, उन्हें पुलिस रैंक के लिए विकल्प देने का अवसर दिया जाय।

(9) अपराध अनुसंधान विभाग और अभिसूचना शाखा में प्रधान लिपिक और उप लेखक प्रालेखक के वेतनमान वही किये जांय जो पुलिस मुख्यालय में अनुमन्य हैं।

23.59 पुलिस महानिरीक्षक और गृह सचिव से विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई थी। पहले यह सुझाव दिया गया था कि इस समय नियत वेतन पाने वाले कान्सटेबुल (लिपिक वर्ग) को नियमित वेतनमान दिया जाय। आयोग के समक्ष साक्ष्य के दौरान गृह सचिव और पुलिस महानिरीक्षक इस बात से सहमत थे कि नियत वेतन पर कान्सटेबुल (लिपिक वर्ग) रखना उपयोगी है क्योंकि जब नियमित नियुक्तियां की जाती हैं तो प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं।

23.60 इस समय सब इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) 300—500 रु0 और 300—550 रु0 के वेतनमान में हैं। 417 पद रु0 300—500 के वेतनमान में और 456 पद रु0 300—550 के वेतनमान में हैं। दोनों वेतनमानों के विराजन का सुझाव इस आधार पर दिया गया है कि पुलिस संगठन में रु0 300—500 का कोई वेतनमान नहीं है। चूंकि सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) श्रेणी 1, 2, 3 के पद पहले ही एक सामान्य वेतनमान में रख दिये गये हैं और सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) श्रेणी 4 के वेतनमान का 300 रु0 का समान प्रारम्भिक वेतन है, इसलिए हम विभाग के इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के लिए केवल एक ही वेतनमान हो और तदनुसार हम सिफारिश कर रहे हैं।

23.61 डिप्टी इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के 143 पदों में से 80 पद आशुलेखक के हैं और शेष 63 पद प्रधान लिपिक के हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने यह सुझाव दिया है कि प्रधान लिपिक के 50 प्रतिशत पदों को इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के रैंक में क्रमोन्नत किया, जो पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग, अभिसूचना, सरकारी रेलवे पुलिस के संवर्ग में उपलब्ध कराये जांय। किन्तु हमारी यह सिफारिश है कि पंच महानगरियों के प्रत्येक जिला पुलिस कार्यालय में डिप्टी इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के एक पद पर 50 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय। इन स्थानों पर अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए इसकी सिफारिश की जा रही है।

23.62 पुलिस मुख्यालय में 250—425 रु0 के वेतनमान में सहायक सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के पदों की संख्या 156 है जबकि उच्च पदों की कुल संख्या 242 है। इस प्रकार लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए 150 प्रतिशत से अधिक पदोन्नति के पद उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अपराध अनुसंधान विभाग और अभिसूचना शाखा में पर्याप्त पदोन्नति के अवसर हैं। किन्तु जिला पुलिस संवर्ग में सहायक सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के 1418 पद हैं और उच्च पद 243 हैं जो पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार पदोन्नति के पदों का प्रतिशत लगभग 16 प्रतिशत आता है। पुलिस महानिरीक्षक ने पदों को क्रमोन्नत करने की सिफारिश की है। नीति के अनुसार उच्च पद संगठन की आवश्यकता के आधार पर सृजित किये जाते हैं न कि पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला पुलिस संवर्ग में पदोन्नति की सम्भावनायें बहुत ही कम हैं, हमारी यह सिफारिश है कि जिला पुलिस संवर्ग में सहायक सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के 20 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जांय। इसी प्रकार हमारी यह सिफारिश है कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय और सरकारी रेलवे पुलिस में सहायक सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के 20 प्रतिशत साधारण श्रेणी के पदों को भी सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

23.63 पुलिस विभाग में आशुलेखक के पद 300—550 रु0 (सब इंसपेक्टर लिपिक वर्ग) और 400—600 रु0 (डिप्टी इंसपेक्टर लिपिक वर्ग) के वेतनमान में हैं। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त विवरण-पत्र से यह मालूम होता है कि पुलिस विभाग में आशुलेखकों का एक सामान्य संवर्ग नहीं है। पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, अभिसूचना और जिला कार्यकारी दल में से जिसमें सरकारी रेलवे पुलिस और प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी भी सम्मिलित है, प्रत्येक के लिए एक पृथक संवर्ग है।

23.64 मुख्यालय में आशुलेखक के सभी 39 पद 400—600 रु0 के वेतनमान में हैं। अपराध अनुसंधान विभाग में 20 पद 400—600 रु0 के वेतनमान में और 48 पद 300—550 रु0 के वेतनमान में हैं। अभिसूचना विभाग में 21 पद रु0 400—600 के वेतनमान में और 55 पद रु0 300—550 के वेतनमान में हैं। जिला कार्यकारी दल में जिसमें प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी और सरकारी रेलवे पुलिस भी है, सभी 125 पद रु0 300—550 के वेतनमान में हैं। विभाग ने सुझाव दिया है कि पुलिस विभाग में आशुलेखकों का एक सम्मिलित संवर्ग बनाया जाय। हम विभाग के इस सुझाव से सहमत हैं। रु0 300—550 के वेतनमान में आशुलेखकों के कुल पदों की संख्या 229 है और 400—600 रु0 की उच्च श्रेणी में इनकी संख्या 80 है। हमारी यह सिफारिश है कि :—

(1) रु0 300—550 की श्रेणी में 15 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जांय,

(2) पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक से सम्बद्ध आशुलेखकों को इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) का वेतनमान दिया जाय।

23.65 लिपिक वर्ग के लगभग 20 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने मूलतः पुलिस रैंक के लिए विकल्प नहीं दिया है और जो अन्य विभागों में अनुमन्य वेतनमान में वेतन पा रहे हैं। इन कर्मचारियों ने यह मांग की है और विभाग ने भी यह सिफारिश की है कि इन्हें पुलिस रैंक के लिए विकल्प देने का एक और अवसर दिया जाय। आयोग के समक्ष यह बताया गया कि ये कर्मचारी अपनी मूल ज्येष्ठता अब भी पा रहे हैं यद्यपि इन्हें वह वेतनमान नहीं दिया गया है जो ऐसे कर्मचारियों को अनुमन्य है जिन्होंने पुलिस रैंक के लिए विकल्प दिया है। सामान्यतया विकल्प के प्रश्न को अनिश्चित काल के लिए खुला नहीं रखना चाहिए। किन्तु इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि वे संयुक्त संवर्ग के अंग रहे हैं, और अपनी ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति भी पाते रहे हैं, हमारी सिफारिश है कि सरकार उन्हें पुलिस रैंक के लिए विकल्प देने का एक और अवसर देने पर विचार कर लें।

23.66 पुलिस इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के सभी पदों को सेलेक्शन ग्रेड देने या क्रमोन्नत करने के सुझाव के संबंध में हमें इस प्रकार क्रमोन्नत करने के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। किन्तु पदधारियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी यह सिफारिश है कि पुलिस इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) के 9 पदों में से 1 पद रु0 925—1275 के सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

फोटोग्राफर

23.67 फोटोग्राफर के 2 पद रु0 230—385 के वेतनमान में हैं। एक पद पुलिस मुख्यालय में है और दूसरा पद अपराध अनुसंधान विभाग के अंगुलि छाप ब्यूरो में है। गृह विभाग ने यह सिफारिश की है कि फोटोग्राफर को पुलिस रैंक दिया जाय और उन्हें पुलिस सब-इंसपेक्टर को अनुमन्य 300—550 रु0 का वेतनमान दिया जाय। इस पद की अर्हता फोटोग्राफी में डिप्लोमा है। फोटोग्राफर के पद को कभी भी पुलिस सब-इन्सपेक्टर के समकक्ष नहीं माना गया है। किन्तु इन फोटोग्राफरों के कर्तव्य की प्रकृति को दृष्टि में

रखते हुए इन्हें पुलिस रैंक देने और 300—500 रु0 का वेतनमान देने का जो इस समय सब-इंसपेक्टर (लिपिक वर्ग) को अनुमन्य है, औचित्य है। तद्नुसार हम सिफारिश कर रहे हैं।

मुनीम

23.68 अपराध अनुसंधान विभाग में रु0 200—320 के वेतनमान में मुनीम के चार पद हैं। हमें यह बताया गया है कि उसका कार्य विशेष प्रकार का है जिसे संगठन के अन्य लिपिक नहीं कर सकते हैं। अतएव विभाग ने यह सिफारिश की है कि इन पदों का वेतनमान क्रमोन्नत करके रु0 250—425 कर दिया जाय और एक पद का पदनाम ज्येष्ठ मुनीम कर दिया जाय और रु0 300—500 का वेतनमान दिया जाय। इन पदों के लिए अर्हता केवल हाईस्कूल है जो सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकती है। सामान्यतया वर्तमान अनुमन्य वेतनमान उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु उनके विशेष प्रकार के कार्य को दृष्टि में रखते हुये यह उच्च वेतनमान दिया गया है। अतएव उनके वेतनमान में क्रमोन्नति करने का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि उनके लिए पदोन्नति की कोई सम्भावना नहीं है अतएव हमारी सिफारिश है कि चार पदों में से एक पद रु0 250—425 के वेतनमान में रखा जाय।

विशेष वेतन

23.69 उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारी निम्नलिखित पदों पर विशेष वेतन पा रहे हैं —

पद का नाम	विशेष वेतन की दर (रु0)
1—सहायक समादेष्टा (कमान्डेन्ट), ग्यारहवीं बटालियन प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी	100
2—समस्त उप पुलिस अधीक्षक अभिसूचना विभाग।	100
3—उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा तथा अंगुलि छाप, ब्यूरो, अपराध अनुसंधान विभाग	100
4—उप पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध सूचना, ब्यूरो अपराध अनुसंधान विभाग	100
5—समस्त उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार विरोध शाखा	100
6—पुलिस महानिरीक्षक का उप सहायक	100
7—समस्त पुलिस उप अधीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग	100
8—सुरक्षा अधिकारी, राम गंगा नदी परियोजना	100
9—सुरक्षा अधिकारी, हेड वर्क्स गंगा नहर, हरिद्वार	100
10—सुरक्षा अधिकारी, रिहन्द बांध और पावर स्टेशन, पिपरी	100
11—सुरक्षा अधिकारी, ओबरा परियोजना, ओबरा	100
12—स्टाफ आफिसर्स, प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी, मुख्यालय	75
13—ज्येष्ठ सहायक समादेष्टा, समस्त प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी बटालियन	75
14—सहायक समादेष्टा/कम्पनी कमान्डर, विशेष पुलिस फोर्स, मुरादाबाद	75
15—क्वार्टर मास्टर, सेन्ट्रल स्टोर्स	75
16—एडजुटेन्ट ग्यारहवीं बटालियन, प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी	75
17—उप पुलिस अधीक्षक, नगर	75
18—प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात समस्त उप-पुलिस अधीक्षक और प्रशिक्षण रेन्ज के उप पुलिस अधीक्षक	75
19—प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलरी बटालियनों के समस्त सहायक समादेष्टा (ग्यारहवीं बटालियन के सिवाय)	50
20—उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय	50
21—प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी बटालियन के समस्त एडजुटेन्ट (ग्यारहवीं बटालियन के सिवाय)	50
22—जन सम्पर्क अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	50
23—अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के स्टाफ अधिकारी	50

23.70 विभाग ने यह प्रस्ताव किया है कि क्रम संख्या 1 से 18 तक के पदों के लिये विशेष वेतन की राशि को बढ़ाकर 150 रु0 प्रतिमाह और ऐसे अन्य पदों के लिये जिनका विशेष वेतन 50 रु0 प्रतिमाह है, बढ़ाकर 75 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये। हमारा सामान्य दृष्टिकोण यह रहा है कि जहां ऐसे पदों पर जिन्हें वित्तीय हस्त पुस्तिका, खंड-2, भाग-2 के मूल नियम 9(25) के अधीन विशेष रूप से दुष्कर प्रकृति का समझा गया है, पहले जो विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था वह उन्हें पूर्वत मिलता रहे। अतएव हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों के सन्दर्भ में विशेष वेतन की धनराशि पुनरीक्षित करके बढ़ाने का कोई औचित्य है परन्तु हम इस बात से सहमत हैं कि उपर्युक्त क्रम संख्या-19, 20, 21, 22

और 23 के पदों का विशेष वेतन 50 रु0 से बढ़ाकर 75 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाय।

23.71 पुलिस महानिरीक्षक, गृह सचिव और पुलिस सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने यह तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को जब उपर्युक्त पदों पर तैनात किया जाता है तो उन्हें विशेष वेतन नहीं दिया जाता जो कि सामान्य श्रेणी के उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य है।

23.72 पहले विशेष वेतन मूल नियम 9(21) (1) के अधीन उच्चतर उत्तरदायित्व के लिये उच्चतर वेतनमान के बदले में दिया जाता था जबकि मूल नियम 9(25) के अधीन विशेष वेतन दुष्कर प्रकृति के कार्य या कार्य-भार में विशिष्ट वृद्धि होने पर दिया जाता है। 1965 के पश्चात् मूल नियम 9 (21) (1) के अधीन विशेष वेतन नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसे मामलों में उच्च वेतनमान निर्मित किये गये थे। अतएव, अब उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाओं और यहां तक कि अराजपत्रित सम्बर्ग में विशेष वेतन मूल नियम 9(25) के अधीन दुष्कर प्रकृति के कार्य या कार्यों में विशिष्ट वृद्धि के लिये दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह तर्क संगत होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को ज्येष्ठ वेतनमान में उन पदों पर विशेष वेतन का लाभ दिया जाये जिन पर वे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के रूप में विशेष वेतन पा रहे थे, इसी प्रकार जहां कहीं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को विशेष वेतन अनुमन्य है वहां उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी वही विशेष वेतनमान मिलना चाहिये यदि उसे उसी कार्य के लिये तैनात किया जाय।

23.73 पुलिस इन्सपेक्टरों को निम्नलिखित दर पर विशेष वेतन दिया जाता है :—

	(रु0) प्रतिमाह
1—अपराध अनुसंधान विभाग/अभिसूचना से सम्बद्ध इन्सपेक्टर	70
2—ज्येष्ठ इन्सपेक्टर (रिजर्व इन्सपेक्टर)/हेड ड्रिल इंसपेक्टर/ज्येष्ठ इंसपेक्टर सिविल पुलिस), पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद और हेड ड्रिल इन्सट्रक्टर, सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, (ए0 टी0 सी0), सीतापुर	60
3—प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध इन्सपेक्टर	50
4—डाकू विरोधी अभियान से सम्बद्ध इन्सपेक्टर	40
5—लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और आगरा में ज्येष्ठ रिजर्व इन्सपेक्टर और बरेली, झांसी और मेरठ में रिजर्व इन्सपेक्टर	50
6—क्वार्टर मास्टर प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी बटालियन	75
7—ब्रासबैंड 35 वीं बटालियन, प्रदेशीय कान्सटेबुलरी से सम्बद्ध कम्पनी कमान्डर	75
8—प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी बटालियन के कम्पनी कमान्डर	50
9—रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र (आर0 टी0 सी0) सीतापुर/मुरादाबाद के रिजर्व इन्सपेक्टर	50
10—सरकारी रेलवे पुलिस के इन्सपेक्टर	40
11—सहायक क्वार्टर मास्टर, केन्द्रीय भंडार, कानपुर	50
12—रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र या जिलों में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिये रिजर्व इन्सपेक्टर	10 से 35 (भरती होने वालों की संख्या के अनुसार)
13—पुलिस मोटर परिवहन कर्मशाला, सीतापुर में मोटर परिवहन इन्सपेक्टर	40

23.74 हमने विभिन्न कार्यों के लिये तैनात इन्सपेक्टरों के विशेष वेतन की विभिन्न दरों के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। यह प्रतीत होता है कि दरों को समय-समय पर स्वीकृत किया गया है और दरों में किसी प्रकार की एक रूपता नहीं है। सम्पूर्ण विषय पर सावधानी से विचार करने के पश्चात् हम पुलिस इन्सपेक्टरों को निम्नलिखित विशेष वेतन की सिफारिश करते हैं :—

	(रुपये) प्रतिमाह
1—अपराध अनुसंधान विभाग/अभिसूचना, डाकू विरोधी कार्यवाही से सम्बद्ध इन्सपेक्टर, क्वार्टर मास्टर प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी बटालियन, ब्रास बैंड 35 वीं बटालियन, प्रदेशीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी से सम्बद्ध कम्पनी कमान्डर, ज्येष्ठ इन्सपेक्टर (रिजर्व इन्सपेक्टर), हेड ड्रिल इन्सपेक्टर, ज्येष्ठ इन्सपेक्टर सिविल पुलिस, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद और हेड ड्रिल इन्स्ट्रक्टर, सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर	75
2—अन्य पदों से सम्बद्ध इन्सपेक्टर जिसमें सहायक क्वार्टर मास्टर केन्द्रीय भंडार, कानपुर और प्रशिक्षण संस्थाओं और सरकारी रेलवे पुलिस, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, बरेली, झांसी और मेरठ में ज्येष्ठ शोध इन्सपेक्टर/रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र (आर0 टी0 सी0) सीतापुर और मुरादाबाद के रिजर्व इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर मोटर परिवहन, पुलिस मोटर परिवहन कर्मशाला, सीतापुर	50

3—रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र (आर0 टी0 सी0) या जिलों में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के रिजर्व इन्सपेक्टर	(1) 100 रंगरूटों के रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र में 25 रुपया (2) 100 से अधिक रंगरूटों के रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र में 40 रु0

23.75 इस समय सब इन्सपेक्टरों को निम्नलिखित दर पर विशेष वेतन दिया जाता है :—

	रु0
1—पुलिस अधीक्षक का रीडर	15
2—जिला अपराध-अभिलेख अनुभाग का सब इन्सपेक्टर	15
3—विशेष अनुसंधान दल (स्कावड) का प्रभारी सब इन्सपेक्टर	50
4—विशेष अनुसंधान दल का द्वितीय अधिकारी	40
5—राजभवन में पायलट की ड्यूटी के लिये तैनात सब इन्सपेक्टर	30
6—जिलों में रंगरूटों के प्रशिक्षण के लिये सशस्त्र पुलिस के सब इंसपेक्टर	10, 15 या 20 (रंगरूटों की संख्या के अनुसार)
7—रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र में रंगरूटों के गहन प्रशिक्षण के लिये सशस्त्र पुलिस का सब इन्सपेक्टर	12
8—सब इंसपेक्टर, सेन्ट्रल स्टोर कानपुर	15
9—राजभवन, नैनीताल से सम्बद्ध सब-इन्सपेक्टर	30
10—जिला कार्यकारी दल (डी0 ई0 एफ0) अभिसूचना और प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी में सब इन्सपेक्टर मोटर परिवहन	25
11—अपराध अनुसंधान विभाग के सब इन्सपेक्टर	60
12—स्थानीय अभिसूचना इकाई का प्रभारी सब इन्सपेक्टर	60
13—स्थानीय अभिसूचना इकाई के द्वितीय अधिकारी	40
14—थानों के जिनमें सरकारी रेलवे पुलिस के थाने भी हैं, प्रभारी के रूप में तैनात सब इन्सपेक्टर	विशेष, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के थानों के लिये क्रमशः 30, 20, 15 और 10 रु0 प्रतिमास
15—सरकारी रेलवे पुलिस मुख्यालय में सी0 आई0 ए0 का प्रभारी सब इन्सपेक्टर	30
16—सरकारी रेलवे पुलिस मुख्यालय में सी0 आई0 ए0 के द्वितीय सब इन्सपेक्टर	20
17—सब इन्सपेक्टर प्रोवोस्ट/प्लाटून कमान्डर, प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी	15
18—प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात सशस्त्र पुलिस के सब इन्सपेक्टर	30
19—सूबेदार ऐडजुटेन्ट	25
20—सूबेदार क्वार्टर मास्टर	25
21—प्लान ड्राइंग इन्सपेक्टर, सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, (ए0 टी0 सी0) सीतापुर	15
22—विशेष श्रेणी के थानों में ज्येष्ठ सब इन्सपेक्टर	(1) जिला कार्यकारी दल (डी0 ई0 एफ0) 20 (2) सरकारी रेलवे पुलिस 10

23.76 हमारे सामने यह तर्क दिया गया कि थाना प्रभारी भत्ता जो सब इन्सपेक्टरों को स्वीकृत विशेष वेतन के रूप में है, बहुत कम है। विभाग ने इस संवर्ग में अन्य सभी विशेष वेतनों में वृद्धि किये जाने की सिफारिश की है। जिसका हमें कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। भलीभांति विचार करने के उपरान्त हम सिफारिश करते हैं कि सब इन्सपेक्टरों के मामले में विशेष वेतन निम्नवत हो :—

	रु0
1—थानों के जिसमें सरकारी रेलवे पुलिस के थाने भी हैं, प्रभारी के रूप में तैनात सब इन्सपेक्टरों का थाना प्रभारी भत्ता	(1) प्रथम श्रेणी और विशेष श्रेणी के स्थानों के लिए 45 (2) द्वितीय श्रेणी के थानों के लिये 35 (3) तृतीय श्रेणी के थानों के लिये 25
2—पुलिस अधीक्षक का रीडर तथा सब इन्सपेक्टर जिला अपराध अभिलेख अनुभाग	35

	रु0
3—जिला कार्यकारी दल (डी0 ई0 एफ0), अभिसूचना तथा प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी में सूबेदार एडजुटेन्ट, सूबेदार क्वार्टर मास्टर और सब इन्सपेक्टर, मोटर परिवहन	30
4—सब इन्सपेक्टर, सेन्ट्रल स्टोर, कानपुर सब इंसपेक्टर प्रोविस्ट प्लाटून कमान्डर प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी और प्लान ड्राइंग इन्सट्रक्टर सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र (ए0 टी0 सी0) सीतापुर	25
5—जिलों में रंगरूटों के प्रशिक्षण के लिये सशस्त्र पुलिस का सब इंसपेक्टर	(1) 100 रंगरूटों तक रंगरूट शिक्षण वाले केन्द्र में 15 (2) 100 से अधिक रंगरूटों वाले रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र में 25
6—रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र में रंगरूटों के गहन प्रशिक्षण के लिये सब इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस	15
7—सरकारी रेलवे पुलिस के मुख्यालय में सी0 आई0 ए0 का प्रभारी सब इन्सपेक्टर	35
8—सरकारी रेलवे पुलिस के में सी0 आई0 ए0 का द्वितीय सब इन्सपेक्टर	25
9—विशेष श्रेणी के थानों में ज्येष्ठ सब इन्सपेक्टर	(1) जिला कार्यकारी दल 35 (2) सरकारी रेलवे पुलिस 25

अन्य सब इन्सपेक्टर विशेष वेतन का आहरण वर्तमान दरों पर करते रहेंगे।

23.77 हेड कान्सटेबिलों को प्रतिमाह 5 रु0 से लेकर 15 रु0 तक विशेष वेतन अनुमन्य है। जो हेड कान्सटेबिल प्रशिक्षण संस्थाओं और मोटर परिवहन शाखा में इन्सट्रक्टर हैं, या पुलिस मोटर परिवहन, वर्कशाप, सीतापुर में नियुक्त हैं उन्हें यह विशेष वेतन 20 रु0 प्रतिमाह है। अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शैडो के रूप में कार्य करने वाले अभिसूचना के हेड कान्सटेबिलों, राजभवन में तैनात हेड कान्सटेबिलों, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में रिमाउन्ट ट्रेनिंग स्टाफ, मुख्यालय में रिमाउन्ट ट्रेनिंग स्टाफ, यातायात पुलिस और प्रोफीशिएन्ट को 5 रु0 विशेष वेतन अनुमन्य है, रेन्ज प्रशिक्षण केन्द्रों में मुख्य ड्रिल इन्स्ट्रक्टर और ड्रिल इन्स्ट्रक्टर, मुख्य व्यायाम शिक्षक और व्यायाम शिक्षकों तथा सरकारी रेलवे पुलिस के गुप्तचर स्टाफ को 7 रु0 अनुमन्य है। जिला कार्यकारी दल के "ख" श्रेणी के हेड कान्सटेबिलों और "क" श्रेणी के फोटोग्राफरों को क्रमशः 10 रु0 और 12 रु0 का विशेष वेतन दिया जाता है। अन्य सभी मामलों में विशेष वेतन 10 रु0 या 15 रु0 प्रतिमाह है। भलीभांति विचार करने के उपरान्त हम सिफारिश करते हैं कि हेड कान्स्टेबिलों के लिये विशेष वेतन की केवल दो दरें हों। जहां इस समय 15 रु0 या 12 रु0 प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन अनुमन्य है वहां और यातायात तथा नदी पुलिस, प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी के हेड कान्सटेबिलों तथा हेड कान्स्टेबिल (मोटर ड्राइवर), हेड कान्स्टेबिल (बिगुलर) और रेन्ज प्रशिक्षण केन्द्रों में मुख्य ड्रिल इन्सट्रक्टरों/ड्रिल इन्सट्रक्टरों और मुख्य व्यायाम शिक्षक/व्यायाम शिक्षकों तथा सशस्त्र पुलिस के अन्य इन्स्ट्रक्टरों को 15 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन के रूप में दिया जाय। अन्य सभी मामलों में विशेष वेतन 10 रु0 प्रतिमाह की समान दर से अनुमन्य है। जिला कार्यकारी दल के "ख" श्रेणी के फोटोग्राफरों के मामले में जिसे बढ़ाकर 12 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये। प्रशिक्षण संस्थाओं के हेड कान्सटेबिलों और मोटर परिवहन इन्सट्रक्टर, पुलिस मोटर परिवहन वर्कशाप, सीतापुर को 20 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन मिलता रहेगा।

23.78 कान्सटेबिलों के मामले में विशेष वेतन 5 रु0 और 10 रु0 के बीच है, सिवाय प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी की 35 वीं बटालियन के कान्सटेबिल के 1 मान चित्रकार (ड्राफ्टसमैन) 15 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन पाने के हकदार हैं और प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी में कान्सटेबिल नायक 7.50 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन पाता है। जिला कार्यकारी दल के "ख" श्रेणी के कान्सटेबिलों और "क" श्रेणी के फोटोग्राफरों को क्रमशः 6 रु0 और 8 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाता है।

23.79 भलीभांति विचार करने के उपरान्त हम सिफारिश करते हैं कि कान्सटेबिल ड्राइवर, कान्सटेबिल (बिगुलर) और ब्रास बैंड कान्सटेबिल को 15 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाये और प्रदेशीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी के लैंस नायक तथा नायक को 12 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाय। कान्सटेबिलों के अन्य सभी ऐसे पदों पर जिन पर इस समय वह विशेष वेतन के हकदार हैं, 10 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन समान दर पर दिया जाय। नदी पुलिस में तैनात कान्सटेबिल को भी जो इस समय विशेष वेतन के हकदार नहीं हैं, 10 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाये।

23.80 रेडियो शाखा का, यद्यपि यह पुलिस संगठन का एक भाग है, अपना पृथक संगठन है। रेडियो स्टेशन के रेडियो इन्सपेक्टरों को 50 रु0 प्रतिमाह की दर से, मास्टर ट्रेड हैड को 30 रु0 प्रतिमाह की दर से, श्रेणी एक के हेड आपरेटरों को 10 रु0 प्रतिमाह की दर से, वायरलेस ट्रेनिंग स्कूलों के शिक्षकों (इन्सट्रक्टरों) को 10 रु0 प्रतिमाह की

दर से और उन आपरेटरों को जो इलेक्ट्रिशियन की अर्हता रखते हों, 5 रु0 प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन अनुमन्य है। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि किन परिस्थितियों में रेडियो इन्सपेक्टरों को विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है। हमारे सामान्य मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कर्मचारी को उस पद पर जिस पर, वह विनिर्दिष्ट रूप से भर्ती किया गया हो, विशेष वेतन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये। अतः हम रेडियो इन्सपेक्टरों को विशेष वेतन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। तथापि वर्तमान पद-धारी, जो पहले से ही विशेष वेतन पा रहे हैं, इसे पाते रहेंगे किन्तु इन पदों पर भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को विशेष वेतन न दिया जाये। मास्टर टेड हेड और प्रथम श्रेणी के हेड रेडियो आपरेटर को विशेष वेतन उस व्यक्ति की अनुमोदित दक्षता के आधार पर दिया जाता है, अतः इसे चलते रहने दिया जाय। इसी प्रकार वायरलेस ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षकों को भी पूर्ववत विशेष वेतन दिया जाता रहे। प्रथम श्रेणी के हेड आपरेटर और वायरलेस ट्रेनिंग स्कूल के शिक्षकों के मामले में विशेष वेतन 10 रु0 से बढ़ाकर 15 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन की अर्हता रखने वाले आपरेटरों का विशेष वेतन 5 रु0 प्रतिमाह की वर्तमान दर से बढ़ाकर 10 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाय।

23.81 अभियोजन अधिकारियों के सम्वर्ग में अपराध अनुसंधान विभाग, भ्रष्टाचार निरोध और आर्थिक अभिसूचना तथा अनुसंधान शाखा के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों को 100 रु0 प्रतिमाह की दर से और सतर्कता संगठन में 75 रु0 प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन, दिया जाता है। हमारा मत है कि सतर्कता और अपराध अनुसंधान विभाग आदि में अनुमन्य विशेष वेतन में अन्तर होने का कोई औचित्य नहीं है और हम यह सिफारिश करते हैं कि सतर्कता संगठन में भी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों को 100 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जाये। ऐसे अभियोजन अधिकारियों के मामले में, जिन्हें अपराध अनुसंधान विभाग और सतर्कता विभाग में तैनात किया गया है, विशेष वेतन 70 रु0 प्रतिमाह है किन्तु इनमें से जो अधिकारी सरकारी रेलवे पुलिस में तैनात हैं, उनका विशेष वेतन 40 रु0 प्रतिमाह है। जो अभियोजन अधिकारी सशस्त्र प्रशिक्षण विद्यालय (ए0 टी0 एस0), रंगरूट प्रशिक्षण विद्यालय (आर0 टी0 एस0) सीतापुर और रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र (आर0 टी0 सी0) सीतापुर में तैनात हैं उनका विशेष वेतन 50 रु0 प्रतिमाह है। हमारा विचार है कि अपराध अनुसंधान विभाग और सतर्कता विभाग के अभियोजन अधिकारियों का विशेष वेतन बढ़ाकर 75 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये। हम यह महसूस करते हैं कि सरकारी रेलवे पुलिस/पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय/पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय/सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र/रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र में तैनात अभियोजन अधिकारियों का विशेष वेतन समान दर पर होना चाहिये और सिफारिश करते हैं कि इन पदों पर तैनात किये जाने पर विशेष वेतन बढ़ाकर 50 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये। सहायक अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात किये जाने पर 25 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन और करवी, रूड़की, महोबा, काशीपुर, कसिया, चकिया और लैंसडाउन में तैनात किये जाने पर 10 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जाता है हमारी सिफारिश है कि इन सहायक अभियोजन अधिकारियों को 25 रु0 प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन दिया जाये। ललितपुर में जो अब एक जिला बन गया है, में तैनात सहायक अभियोजन अधिकारी का विशेष वेतन समाप्त कर दिया जाये।

23.82 अपराध अनुसंधान विभाग के आर्थिक अभिसूचना तथा अनुसंधान शाखा में एक पद लेखाधिकारी का है जिस पर कोई विशेष वेतन नहीं मिलता है जबकि सतर्कता अधिष्ठान में लेखा अधिकारी के एक अन्य पद पर 75 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन मिलता है। हम इनमें से एक पद पर विशेष वेतन दिये जाने और दूसरे पद पर विशेष वेतन न दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हमारा यह भी मत है कि आर्थिक अभिसूचना शाखा का कार्य विशेष किस्म का और श्रम साध्य है और इस पद के लिये भी 75 रु0 प्रतिमास का विशेष वेतन दिये जाने की सिफारिश की जाती है।

अन्य भत्ते

23.83 पुलिस संगठन के राजपत्रित और अराजपत्रित सम्वर्गों में कई अन्य भत्ते भी दिये जाते हैं। इन भत्तों में विशेष कार्य (स्पेशल ड्यूटी) भत्ता, नियत मकान किराया भत्ता, मोटर साइकिल भत्ता, मोटर साइकिल और साइकिल खरीदने के लिये अनुदान, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सब इन्सपेक्टरों को प्रतिकर भत्ता, साइकिल भत्ता, सवारी भत्ता तथा आशुलेखन भत्ता सम्मिलित हैं।

23.84 हमने इस मामले का सावधानीपूर्वक ब्यौरेवार परीक्षण किया है। कान्सटेबिलों/हेड कान्सटेबिलों को साइकिल खरीदने के लिये दी जाने वाली अनुदान की पुनरीक्षित दरें नवम्बर, 1979 से लागू की गई हैं। विशेष ड्यूटी भत्ता और नियत मकान किराया भत्ता (12 जिलों के लिये) 1976 में स्वीकृत किया गया था। यह लाभ केवल पुलिस रैंक को दिया जाता है। साइकिल भत्ते की पुनरीक्षित दरें जनवरी 1980 से लागू की गई हैं। सामान्य रूप से हम इन विभिन्न भत्तों में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं किन्तु हमारा मत है कि कुछ मामलों में दरों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। ऐसे मामलों के लिये हमारी सिफारिश निम्नवत है :—

(1) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सब इन्सपेक्टरों का प्रतिकर भत्ता 30 रु0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 50 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये।

(2) सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र (ए0 टी0 सी0), सीतापुर में (स्टोर कीपर) के रूप में तैनात हेड कान्सटेबिलों

का सवारी भत्ता 5 रु0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये ।

(3) अभियोजन कर्मचारिवर्ग को सवारी भत्ता/साइकिल भत्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है और यह समाप्त कर दिया जाये ।

(4) पर्वतीय क्षेत्रों में घोड़ा भत्ता 60 रु0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये ।

(5) अभिसूचना शाखा के सब इन्सपेक्टर, जब वे स्थानीय अभिसूचना इकाई में तैनात किये जाते हैं, मोटर साइकिल भत्ता पाते हैं । किन्तु जब वे विशेष शाखा में सहायक विशेष अभिसूचना अधिकारी के रूप में तैनात किये जाते हैं और क्षेत्र में तैनात किये जाते हैं, तो वे मोटर साइकिल भत्ता नहीं पाते हैं । महानिरीक्षक अभिसूचना का यह मत था कि इन दोनों ही पदाधिकारियों के कार्य समान हैं और दोनों को मोटर साइकिल खरीदने के लिये राज्य सहायता दी जाती है और इसलिये सहायक विशेष अभिसूचना अधिकारी को इस सुविधा से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है । हम इस मामले में महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा से सहमत हैं और सिफारिश करते हैं कि विशेष शाखा के सहायक विशेष अभिसूचना अधिकारी को भी, जब वह क्षेत्र में तैनात हो, उसी दर से मोटर साइकिल भत्ता दिया जाये जैसा कि सब इन्सपेक्टरों को अनुमन्य है ।

23.85 महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा ने इस बात का उल्लेख किया कि इन्सपेक्टरों और सब इन्सपेक्टरों को, जब वे अभिसूचना विभाग के मुख्यालय में तैनात किये जाते हैं, एक माह का अतिरिक्त वेतन अनुमन्य नहीं है । इसी प्रकार इस विभाग के लिपिक सम्वर्ग को एक माह का अतिरिक्त वेतन अनुमन्य नहीं है । महानिरीक्षक अभिसूचना का मत है कि यह एक असंगति है और एक माह का अतिरिक्त वेतन ऐसे इन्सपेक्टरों और सब इन्सपेक्टरों को भी दिया जाना चाहिये जो अभिसूचना विभाग के मुख्यालय में तैनात हों ।

23.86 शासनादेश संख्या 7793/आठ-एक-3/1979, दिनांक 7-9-79 के अनुसार कतिपय प्रवर्ग के पुलिस कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन इस विशेष कारण से दिया जाता है कि उक्त शासनादेश के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी छुट्टियों, द्वितीय शनिवारों, रविवारों और राजपत्रित छुट्टियों की सुविधा का लाभ सामान्यतः नहीं उठा पाते हैं । इस शासनादेश में इस बात का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों पर, जो इस शासनादेश के अन्तर्गत नहीं आते हैं, गुणदोष के आधार पर विचार किया जाये । हम इस मामले में अलग से कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उक्त शासनादेश में प्रत्येक मामले का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करने की अपेक्षा की गई है ।

23.87 महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा ने यह सुझाव दिया कि नियत मकान किराये भत्ते की सुविधा गाजियाबाद, नैनीताल, सहारनपुर और फैजाबाद के नगरों में भी दी जाये । इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया कि इन चार नगरों में भी मकानों के किराये बहुत अधिक हैं और मकान किराया भत्ता विषयक सामान्य नियमों से इन स्थानों पर ऊंचे किराये की समुचित प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है । किसी स्थान विशेष में प्रचलित मकान के किराये का प्रभाव कुछ सीमा तक सभी सरकारी सेवकों पर पड़ता है । हम गाजियाबाद और नैनीताल में सभी सरकारी सेवकों को बढ़ी हुई दरों पर मकान किराया भत्ता दिये जाने की सिफारिश अलग से कर रहे हैं । इससे पुलिस कार्मिकों को भी लाभ होगा ।

23.88 महानिरीक्षक अभिसूचना ने यह उल्लेख किया था कि कान्सटेबिलों और हेड कान्सटेबिलों को जब वे अभिसूचना विभाग में तैनात किये जाते हैं, विशेष वेतन दिया जाता है, यह वेतन मोटर परिवहन कर्मचारियों को अभिसूचना विभाग में प्रतिनियुक्ति किये जाने पर नहीं दिया जाता । उन्होंने यह सुझाव दिया कि उन्हें भी अभिसूचना विभाग में तैनात किये जाने पर विशेष वेतन दिया जाये । हमने इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया । कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिल को अभिसूचना विभाग में तैनात किये जाने पर अपने सामान्य कार्य से भिन्न किस्म का कार्य करना पड़ता है और इसलिये उसे सर्वसम्मत नियमों के अनुसार विशेष वेतन दिया जाता है । मोटर परिवहन कर्मचारियों के मामले में कार्य की प्रकृति वैसी ही रहती है । अतः हमारा मत है कि उनके मामले में विशेष वेतन का कोई औचित्य नहीं है ।

23.89 महानिरीक्षक अभिसूचना द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि इन्सपेक्टरों के चार पदों और सब इन्सपेक्टरों के एक पद पर 30 रु0 प्रतिमाह का आशुलेखन भत्ता मिलता है जिसे बढ़ाकर 60 रु0 प्रतिमाह कर दिया जाये । ऐसे मामले जिसमें रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, बहुत कम हैं, हमारा मत है कि आशुलेखन भत्ता 40 रु0 प्रतिमाह पर्याप्त होगा और हम तदनुसार सिफारिश कर रहे हैं ।

23.90 अभिसूचना विभाग में आशुलेखन रिपोर्टरों के 13 पद 350—700 रु0 के वेतनमान में हैं, पर 15 रु0 प्रतिमाह का सवारी भत्ता दिया जाता है । महानिरीक्षक अभिसूचना ने सुझाव दिया कि इन पदों का वेतनमान बढ़ाकर 450—850 रु0 कर दिया जाये ताकि उन्हें विधान मण्डल के रिपोर्टरों के समान स्तर पर लाया जा सके । गृह (पुलिस) अनुभाग-1 ने अपने अशासकीय पत्र संख्या-3468/आठ-1-150(4)/69 दिनांक 25-9-80 में यह सुझाव दिया है कि आशुलेखन रिपोर्टरों के पदों को 400—750 रु0 के वेतनमान में पुलिस इन्सपेक्टर (लिपिक वर्ग) के पदों में परिवर्तित कर दिया जाये और वर्तमान रिक्त पदों को एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरा जाये जिसमें अभिसूचना विभाग के 300—550 रु0 तथा 400—600

रु0 के वेतनमानों में कार्यरत आशुलिपिक सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे उन्हें प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। हम सामान्य रूप से गृह विभाग के सुझाव से सहमत हैं और सिफारिश करते हैं कि इन पदों को 625--1170 रु0 के वेतनमान के पुलिस इन्सपेक्टर (लिपिक वर्ग) के पदों में परिवर्तित कर दिया जाय। तथापि पुलिस विभाग में आशुलिपिकों का एक संयुक्त सम्वर्ग बनाये जाने की जो सिफारिश हमने पहले की है, उसे ध्यान में रखते हुये हम आगे यह सिफारिश करते हैं कि ये पद एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जायें जिसमें पुलिस विभाग के संयुक्त सम्वर्ग के सभी आशुलिपिक सम्मिलित हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये इन पदों को क्रमोन्नत करके पुलिस इन्सपेक्टर (लिपिक वर्ग) के स्तर पर लाया जा रहा है, हम इन पदों पर अनुमन्य सवारी भत्ते की दर का पुनरीक्षण किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

23.91 महानिरीक्षक प्रशिक्षण ने कतिपय प्रवर्ग के कर्मचारियों को निःशुल्क आवास की सुविधा दिये जाने की आवश्यकता का विशेष उल्लेख किया है। इस समय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की एक इकाई में प्रधानाचार्य उप-प्रधानाचार्य और एडजुटेन्ट निःशुल्क आवास पाने के हकदार हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में मान्य सिद्धान्त यह है कि निःशुल्क आवास या उसके बदले में मकान किराया भत्ता प्रधानाचार्य और वार्डन को अनुमन्य है। हम सिफारिश करेंगे कि पुलिस विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में वही सिद्धान्त अपनाया जाये।

23.92 अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) ने बलपूर्वक यह तर्क प्रस्तुत किया कि उप निरीक्षक (सिविल पुलिस) की तरह जिसे मोटर साइकिल खरीदने के लिये अनुदान और मोटर साइकिल भत्ता दिया जाता है, राजकीय रेलवे पुलिस फोर्स के उप निरीक्षक को भी सवारी भत्ता दिया जाये।

23.93 सरकार रेलवे पुलिस में सब इन्सपेक्टर सामान्य रूप से रेलवे परिसर में होने वाले अपराध के निवारण से संबंधित हैं और उनका कार्य अधिकतर रेलवे स्टेशनों या समीपवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। किन्तु उन्हें रेलवे परिसर के बाहर भी जुर्म की तहकीकात के कार्य को करना पड़ता है किन्तु ऐसी यात्रायें सब-इन्सपेक्टर, सिविल पुलिस की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम होती हैं। हमें रेलवे पुलिस में तैनात सब-इन्सपेक्टरों को मोटर साइकिल खरीदने के लिये राज्य सहायता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं दिखता है किन्तु हम सरकारी रेलवे पुलिस में तैनात सब-इन्सपेक्टरों को 30 रु0 प्रतिमाह का सवारी भत्ता दिये जाने की सिफारिश करते हैं।

निःशुल्क भोजन

23.94 आपातकाल में कान्सटेबिलों को निःशुल्क भोजन दिये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान आदेशों के अनुसार ऐसे हेड कान्सटेबिल/कान्सटेबिल, जो आपातकाल में 9 घंटे से अधिक डियूटी पर रहते हैं, निःशुल्क भोजन या उसके बदले में 2 रु0 पाने के हकदार होते हैं। फरवरी 1979 में पुलिस महानिरीक्षक ने निःशुल्क भोजन के कारण सब-इन्सपेक्टरों, सहायक सब-इन्सपेक्टरों और समकक्ष रैंकों को 5 रु0 प्रति दिन तथा हेड कान्सटेबिल और कान्सटेबिलों को 3 रु0 प्रतिदिन स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया। पुलिस महानिरीक्षक ने आयोग से अपने विचार विमर्श के दौरान सिफारिश की है कि यह भत्ता उस दैनिक भत्ते के अलावा होना चाहिये जो इन पदधारियों को उसके बदले में अनुमन्य है। पुलिस महानिरीक्षक ने अब यह सुझाव दिया है कि निःशुल्क भोजन के बदले में भोजन भत्ते की दरें बढ़ाकर इन्सपेक्टरों, सब-इन्सपेक्टरों, सहायक सब-इन्सपेक्टरों और समकक्ष रैंकों के मामले में 7 रु0 प्रतिदिन तथा हेड कान्स-टेबिलों/कान्सटेबिलों के मामले में 5 रु0 प्रतिदिन कर दी जाय। अभी तक निःशुल्क भोजन के बदले में यह भत्ता सहायक सब-इन्सपेक्टर के रैंक से ऊपर अनुमन्य नहीं है। पुलिस महानिरीक्षक ने यह बताया कि जहां निःशुल्क भोजन या भोजन भत्ता दिया जाता है वहां कार्मिकों को दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता और इसलिये यह शासनादेश प्रभावी नहीं है। हमारा मत है कि किसी कर्मचारी को उस दशा में पूरा दैनिक भत्ता नहीं दिया जा सकता जबकि उसे निःशुल्क भोजन या उसके बदले में भोजन भत्ता दिया जाता है, फिर भी हम समझते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पूरे प्रश्न का सावधानी से विश्लेषण करने के पश्चात् हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं :—

(एक) यदि निःशुल्क भोजन नहीं दिया जाता है तो भोजन भत्ता जहां आपातकालीन ड्यूटी में 9 घंटे से अधिक ठहरना पड़े, बढ़ाकर 3 रु0 प्रति भोजन कर दिया जाये।

(दो) यदि किसी कलेन्डर दिवस में प्रत्येक आपात-कालीन ड्यूटी में 16 घंटे से अधिक ठहरना पड़े तो भोजन भत्ता 5 रु0 प्रतिदिन की दर से दिया जाये।

(तीन) यदि निःशुल्क भोजन या निःशुल्क भत्ते की सुविधा का उपयोग किसी हेड कान्सटेबिल/कान्सटेबिल द्वारा किया जाता है तो उन्हें जितना दैनिक भत्ता अनुमन्य है उसका 50 प्रतिशत दिया जाये।

23.95 राज्य सरकार ने पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिये एक राज्य सुख सुविधा निधि (स्टेट एमिनिटीज फन्ड) सृजित की है। इस मद में वार्षिक आवंटन की धन-राशि 10 लाख रु0 है। गृह विभाग का मत है कि पुलिस कार्मिकों की बड़ी संख्या को, उनके संकटपूर्ण कार्य और जोखिम के साथ-साथ कल्याणकारी कार्यों की गति बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस निधि को बढ़ाकर 50 लाख रु0 प्रति वर्ष कर दिया जाना चाहिये। हम निधि

के उद्देश्यों से संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत उसमें यथा-सम्भव सीमा तक वृद्धि करने की आवश्यकता से पूर्णतया सहमत हैं। हम सिफारिश करते हैं कि यह निधि बढ़ाकर 20 लाख रु0 प्रति वर्ष कर दी जाये। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि सरकार इस निधि का प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पुनरीक्षण करके उसमें वृद्धि करने पर विचार करे।

23.96 इस रिपोर्ट के खण्ड-दो के भाग दो में पुन-रीक्षित वेतनमान के साथ-साथ जहां कहीं आवश्यक है, सेलेक्शन ग्रेड का विवरण दिया गया है।

गृह कारागार विभाग

23.97 कारागार महानिरीक्षक विभागाध्यक्ष हैं, जिसकी सहायता के लिये एक कारागार अतिरिक्त महानिरीक्षक, पांच उप महानिरीक्षक एक निदेशक (कारागार उद्योग) और मुख्यालय में अन्य सहायक कर्मचारी हैं। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार और प्रधानाचार्य कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ सहित रु0 800—1450 के वेतनमान में नौ अधिकारी हैं। अधीक्षक, जिला कारागार के 38 पद रु0 550—1200 के वेतनमान में, उपअधीक्षक, केन्द्रीय कारागार के सात पद रु0 450—850 के वेतनमान में, उप प्रधानाचार्य, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय का एक पद सम्मिलित करते हुये जेलर के 79 पद रु0 400—750 के वेतनमान में, उप जेलर के 125 पद रु0 300—550 के वेतनमान में और सहायक जेलर के 238 पद रु0 250—425 के वेतनमान में हैं। भिन्न-भिन्न व्यवसायों में अनुदेशक के अनेक पद और अन्य तकनीकी और लिपिक वर्ग पद भी हैं। चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग के सम्वर्ग के चिकित्सा अधिकारी के 87 पद हैं।

23.98 उ0 प्र0 कारागार संघ ने अपने ज्ञापन और हमारे समक्ष दिये गये मौखिक साक्ष्य में यह सुझाव दिया कि कारा-गार विभाग के विभिन्न पदों को पुलिस विभाग के तद्नुरूप स्तर वाले पदों के समकक्ष किया जाना चाहिये। उन्होंने यह निवेदन किया कि उप अधीक्षक/जेलर को पुलिस उप अधीक्षक के समकक्ष माना जाना चाहिये, उप जेलर को पुलिस इन्सपेक्टर के और सहायक जेलर को पुलिस सब-इन्सपेक्टर के समकक्ष माना जाना चाहिये। इसी प्रकार हेड वार्डर को पुलिस हेड कान्सटेबिल के और वार्डर को पुलिस कान्सटेबिल के समकक्ष माना जाना चाहिये। उन्होंने वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और अन्य सुविधाओं के उसी प्रतिरूप की भी मांग की है जैसी कि पुलिस कार्मिकों को भिन्न-भिन्न स्तरों पर उपलब्ध हैं।

23.99 अपने ज्ञापन में केन्द्रीय कारागार के अनुदेशकों ने अपने वेतनमानों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पालीटेक्निकों के अनुदेशकों के वेतनमान के समान रखने की मांग की है और यह निवेदन किया है कि उन्हें अपराधियों और अशिक्षित कैदियों से निपटना पड़ता है तथा उनके कर्तव्य अधिक कष्टकर हैं। एक्स-रे टेक्निशियन, जिला कारागार सुल्तानपुर ने यह निवेदन किया कि उसको दिया जाने वाला वेतनमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक्स-रे टेक्निशियन के वेतनमान की तुलना में कम है। पुस्तकाध्यक्ष जेल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ ने यह निवेदन किया कि पुस्तकालय में बड़ी संख्या में पुस्तकों, मैगजीन और पत्रि-काओं के प्रसंग में उसका वेतनमान बहुत कम है और यह 300—550 रु0 होना चाहिये। कारागार में कार्य कर रहे इंडियन एसोसियेशन आफ क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट के प्रतिनिधियों ने यह निवेदन किया कि उनकी आधारित अर्हता मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ-साथ मान-सिक तथा सामाजिक मनोविज्ञान में दो वर्ष का डिप्लोमा है। मुख्यालय में मनोवैज्ञानिक का वेतनमान रु0 550—1200 है। यह भी निवेदन किया कि शिक्षा विभाग के मनोवैज्ञानिक भी, जिनकी अर्हता कम है रु0 550—1200 के वेतनमान में हैं।

23.100 कारागार महानिरीक्षक और गृह (कारागार) विभाग ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। कारागार महानिरीक्षक ने मोटे तौर पर यह सुझाव दिया कि कारागार विभाग के वेतन-मान अन्य विभागों में इसी प्रकार के पदों के वेतनमानों के समकक्ष होने चाहिये। कारागार महानिरीक्षक ने सहायक जेलरों के सम्वर्ग में प्रगतिरोध के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से बताया और इस बात का उल्लेख किया कि 57 पदधारी पिछले सात वर्षों से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुये हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उप जेलरों के शत-प्रतिशत पदों को सहायक जेलरों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाये। उन्होंने नलकूप आपरेटरों और क्लीनिकल साइकोलाजिस्टों के वेतन-मानों को पुनरीक्षित करके बढ़ाने की सिफारिश की है। उन्होंने कारागारों में तैनात कम्पाउन्डरों को सेलेक्शन ग्रेड में रखने की भी सिफारिश की है।

23.101 गृह (कारागार) विभाग ने मुख्यालय में तैनात क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट के वेतनमान की तुलना में आगरा कारागार में तैनात क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट के वेतनमान में असंगति का विशेष रूप से उल्लेख किया। यह कहा गया है कि आगरा में मनोवैज्ञानिक का पद अभी तक रिक्त है। सचिव, कारागार विभाग ने अतिरिक्त कारागार महानिरीक्षक, सहायक जेलर और कारागार प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रवक्ताओं के वेतनमानों को पुनरीक्षित करके बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने भिन्न-भिन्न व्यवसायों में अनुदेशकों के वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाने का भी सुझाव दिया है।

23.102 हमने विभिन्न सेवा संघों और अलग-अलग व्यक्तियों की मांगों के साथ-साथ कारागार महानिरीक्षक द्वारा दिये गये सुझावों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। सचिव, कारागार विभाग तथा कारागार महानिरीक्षक से विस्तार-पूर्वक विचार विमर्श भी किया।

23.103 हम इस बात से सहमत हैं कि कारागार के कर्मचारिवर्ग को कठिन कार्य करना पड़ता है किन्तु हम इस सुझाव को मानने में असमर्थ हैं कि कारागार विभाग के

विभिन्न पदों को पुलिस विभाग के तदनुरूप पदों के समकक्ष कर दिया जाये। दोनों विभाग के विभिन्न पदों से सम्बन्धित कार्यों का कोई कार्य अध्ययन या मूल्यांकन नहीं किया गया है। सचिव, कारागार विभाग ने इस विचार पर सामान्य रूप से सहमति प्रकट की कि भिन्न-भिन्न विभागों के किन्हीं भी दो पदों को उनके कार्य की प्रकृति और परिलब्धियों आदि के मामले में समान नहीं रखा जा सकता है। हमने कारागार विभाग और पुलिस विभाग के भिन्न भिन्न पदों के लिये अर्हताओं की तुलना भी की है। वे समान नहीं हैं। इसी प्रकार उनके प्रशिक्षण की अवधि भी भिन्न है। हम जेल विभाग के भिन्न भिन्न पदों के लिये शैक्षिक अर्हता बढ़ाने के भी पक्ष में नहीं हैं। तथापि इस बात पर समान्यतया सहमति होगी कि कारागार विभाग के कर्मचारिवर्ग का कार्य प्रातः स्थानिक किस्म का है। पदक्रम में वार्डर कारागार विभाग का सबसे निम्न कर्मचारी है। उसका वर्तमान वेतनमान 175—250 रु0 है। हम यह मानते हैं कि उसके श्रम साध्य कार्य के स्वरूप को देखते हुये उसका वेतनमान कुछ अधिक होना चाहिये और इसके लिये हमने वार्डर के लिये 325—495 रु0 के उच्च वेतनमान की सिफारिश की है। इस पदक्रम का अगला पद हेड वार्डर का है जिसका वर्तमान वेतनमान रु0 200—320 के सेलेक्शन ग्रेड के साथ रु0 185—265 है। हम हेड वार्डर के लिये रु0 454—600 के चयन श्रेणी के वेतनमान के साथ रु0 354—550 के उच्च वेतनमान की सिफारिश करते हैं। हम मुख्य हेड वार्डर के पद को 430—685 रु0 के वेतनमान में क्रमोन्नत कर रहे हैं।

23.104 सहायक जेलर के 238 पद हैं। इस पद के लिये मूल अर्हता इन्टरमीडिएट है। इन पदों को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरा जाता है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि सहायक जेलर और उप जेलर के कर्तव्य प्रायः समान प्रकृति के हैं और सहायक जेलर का पद एक उत्तरदायी पद है, हम सिफारिश करते हैं कि सहायक जेलर का वेतनमान बढ़ाकर रु0 470—735 कर दिया जाये। कारागार महानिरीक्षक ने सहायक जेलरों की पदोन्नति की अपर्याप्त सम्भावनाओं के संबंध में दृढ़ता से अनुभव किया। इस उच्चतर वेतनमान से इस सम्वर्ग में प्रगतिरोध की समस्या का भी समाधान हो जाना चाहिये। हमने केन्द्रीय कारागारों के जेलर, उप अधीक्षक, जिला कारागारों के अधीक्षक, केन्द्रीय कारागारों के अधीक्षक अथवा इन सम्वर्गों के अन्य पदों के वेतनमान में कोई अन्य असंगति नहीं पाई है। हमने यह भी देखा है कि उच्चतर स्तर पर पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हैं।

23.105 हमने मुख्यालयों पर तैनात क्लीनिक साइकालोजिस्ट के वेतनमान (450—850 रु0) का पुनरीक्षण करके आगरा कारागार और शिक्षा विभाग में मनोवैज्ञानिक के पद के वेतनमान (550—1200 रु0) के सदृश्य पुनरीक्षित करके बढ़ाने की मांग का परीक्षण किया है। कारागार महानिरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा कारागार में मनोवैज्ञानिक का पद केवल 28 फरवरी, 1969 तक के लिये स्वीकृत किया गया था और उसके पश्चात वह पद विद्यमान नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति में जो पद विद्यमान नहीं है उसे मुख्यालयों के क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के पद के वेतनमान की तुलना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कारागार विभाग के क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के पद के वेतनमान की तुलना शिक्षा विभाग के मनोवैज्ञानिक पद के वेतनमान से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों पदों के कर्तव्यों के स्वरूप में व्यापक अन्तर है। कारागार विभाग के मनोवैज्ञानिक के पद की तुलना हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के मनोवैज्ञानिक के पद से की जा सकती है। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में मनोवैज्ञानिक के पद के लिये विहित अर्हता 50 प्रतिशत अंकों सहित मनो विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि है और उसका वेतनमान रु0 400—750 है। कारागार विभाग में क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के पद के लिये अर्हता मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और मानसिक और सामाजिक मनोविज्ञान में दो वर्षीय डिप्लोमा है। मानसिक और सामाजिक मनोविज्ञान के डिप्लोमा की अतिरिक्त अर्हता के लिये ही कारागार विभाग में इस पद के रु0 450—850 का उच्च वेतनमान पहले से ही है। हमको इस पद के वेतनक्रम को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। दण्डशास्त्र (पेनोलोजी), अपराध शास्त्र (क्रिमिनालोजी) आदि के व्याख्याताओं के पदों के सम्बन्ध में, जिनका वेतनक्रम 400—750 रु0 बताया गया था, हम इस बात से सहमत हैं कि कार्य की प्रकृति और अर्हता को ध्यान में रखते हुये उनको भी रु0 690—1420 के वेतनमान में रखा जाये।

23.106 कम्पाउन्डरों के 76 पद हैं। उनकी अर्हता वही है जैसी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कम्पाउन्डर के पदों की है। हमने कम्पाउन्डरों की सामान्य श्रेणी के 20 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड की सिफारिश की है। कारागार विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों का वेतनमान 230—385 रु0 है जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में इन पदों का वेतनमान 250—425 रु0 है। हमारी दृष्टि से इस असमानता का कोई औचित्य नहीं है और हम कारागार विभाग में भी एक्स-रे टेक्निशियनों के लिये 430—685 रु0 से उसी पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश करते हैं।

23.107 कारागार जैसे अधिष्ठानों में नलकूप परिचालकों के कर्तव्यों की तुलना में सिंचाई विभाग में नलकूप परिचालकों के कर्तव्य अधिक कठिन हैं। कारागार में उन्हें जनता से नहीं निपटना पड़ता है। हम उनके लिये 300—440 रु0 के वेतनमान की सिफारिश करते हैं।

23.108 कारागार विभाग में 200—320 रु0 230—385 रु0, 250—425 रु0 और 280—460 रु0 के वेतनमानों में भिन्न-भिन्न व्यवसायों के अनुदेशक हैं। यह

तर्क कि इन अनुदेशकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा पालीटेक्नीक के अनुदेशकों के समकक्ष कर दिया जाय, अधिक बल नहीं है क्योंकि कारागारों में अन्तवासियों को मुख्यतः व्यवहारिक प्रशिक्षण ही दिया जाता है और उन्हें किसी औपचारिक परीक्षा आदि के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

23.109 विभाग द्वारा हमको भेजे गये विवरण से ज्ञात होता है कि इस समय अम्बर चरखा अनुदेशक, रंगाई अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, बढ़ईगीरी अनुदेशक, व्यायाम अनुदेशक, हाथ निर्मित कागज अनुदेशक, साबुन-फिनायल अनुदेशक, प्लम्बरिंग अनुदेशक के पदों पर उच्च वेतनमान अनुमन्य है। कारागारों में प्रशिक्षण की यह मुख्य मदें प्रतीत होती हैं जिन पर प्रशासन ने अपना ध्यान केन्द्रित किया है। अन्य विषयों में जहां निम्न वेतनमान अनुमन्य हैं, अर्हताएं भी अपेक्षाकृत निम्न स्तर की हैं। उदाहरणार्थ, राजगीरी शिक्षक की कोई औपचारिक प्राविधिक अर्हता विहित नहीं है। हम अनुदेशकों के पदों के किसी वेतनमान को घटाना नहीं चाहेंगे, फिर भी हमारी यह सिफारिश है कि जहां कहीं भी अनुदेशक पद के लिये न्यूनतम विहित अर्हता दो वर्ष के प्रमाण-पत्र के साथ हाई स्कूल हो वहां अनुदेशक को 400—615 रु0 का वेतनमान दिया जाये यदि उसका वर्तमान वेतनमान इससे कम हो। हमने इन पदों के वेतनमानों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से किया है और तदनुसार अपनी सिफारिशें की हैं।

23.110 हमें यह बताया गया था कि किशोर सदन, बरेली के शिक्षकों के वेतनमान अपेक्षाकृत कम हैं। हमने इस स्थिति का परीक्षण किया है। इस स्कूल में वही वेतनमान हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अनुमन्य हैं। हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिये जिस पुनरीक्षित वेतनमान की सिफारिश कर रहे हैं उसी वेतनमान की इस संस्था के शिक्षकों के लिये भी सिफारिश की जा रही है।

23.111 हमने पुस्तकाध्यक्ष और अन्य पदों जैसे लेखाकार और अन्य लिपिकवर्ग के कर्मचारियों तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों के वेतनमान के प्रश्न का परीक्षण किया है। यह सामान्य श्रेणी के पद हैं और "सामान्य श्रेणी के पद" से संबंधित अध्याय में की गई हमारी सिफारिशों के अन्तर्गत आते हैं।

23.112 हमने इस खंड के भाग दो में पुनरीक्षित वेतनमानों के साथ-साथ जहां कहीं आवश्यक है, सेलेक्शन ग्रेड का उल्लेख किया है।

होमगार्ड संगठन

23.113 उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अधीन संगठित होमगार्ड संगठन पुलिस संगठन के एक सहायक संगठन के रूप में कार्य करता है। इस संगठन का प्रधान एक कमान्डेन्ट जनरल होता है, जो पुलिस महानिरीक्षक के समकक्ष पद है। उसकी सहायता के लिये एक डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल, एक स्टाफ आफीसर और 9 डिवीजनल कमान्डेन्ट हैं, जो सभी अखिल भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के होते हैं। मुख्यालय के प्रशिक्षण केन्द्र का प्रधान एक कमान्डेन्ट होता है और प्रभागीय स्तर के 9 जिलों में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधान रु0 550—1200 वेतनक्रम के जिला कमान्डेन्ट होते हैं।

23.114 कमान्डेन्ट जनरल, हमारे समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि होमगार्ड संगठन के कर्मचारियों का वेतनमान पुलिस विभाग में तत्समान पदों के वेतनमान के बराबर किया जाय। रु0 550—1200 वेतनक्रम के जिला कमान्डेन्ट के लिये, जिनकी पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं, यह सुझाव दिया गया कि (एक) 20 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाये और (दो) प्रभागीय कमान्डेन्ट के चार पदों को भारतीय पुलिस सेवा के सम्वर्ग से निकाल दिया जाय और जिला कमान्डेन्ट में से पदोन्नति द्वारा भरा जाये। मुख्यालय पर दो स्टाफ आफिसरों के लिये 75 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन का सुझाव भी दिया गया। कमान्डेन्ट जनरल ने यह बताया कि इस समय भण्डार, शस्त्रास्त्र और गोला बारूद सम्बन्धी कार्य एक इन्सपेक्टर को सौंपा गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस कार्य की देखभाल के लिये जिला कमान्डेन्ट स्तर का (रु0 550—1200) एक अधिकारी होना चाहिये। उन्होंने कहा कि वर्ष 1977 में जारी किये गये एक शासनादेश द्वारा गार्डों, हवलदारों और बटालियन आर्गनाइजरों के पदों को पुलिस के कान्स्टेबिलों हेड कान्सटेबिलों और सहायक पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के समकक्ष घोषित किया गया था। पुलिस संगठन में वेतनमान 1 जून, 1979 से पुनरीक्षित किया गया। अतः यह मांग की गई कि होमगार्ड कार्मिकों के वेतनमानों को भी पुनरीक्षित किया जाये और पुलिस संगठन के वेतनमानों के समान कर दिया जाये, क्योंकि होमगार्ड अधिनियम के उपबंधों के अधीन जब उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो उनको भी वही अधिकार सुविधायें और संरक्षण उपलब्ध हो जाते हैं जो पुलिस अधिनियम के अधीन पुलिस संगठन को उपलब्ध होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बटालियन इन्स्ट्रक्टर/ब्लाक आर्गनाइजर (रु0 230—385) को पुलिस के सहायक इन्सपेक्टर (रु0 250—425) के समकक्ष कर दिया जाय। क्वार्टर गार्ड नायक और क्वार्टर गार्ड लाइन्सनायक के पदों के लिये प्रदेशीय सशस्त्र कांसटेबुलरी को अनुमन्य विशेष वेतन के समान ही विशेष वेतन देने का भी सुझाव दिया गया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हवलदार, मोटर परिवहन को जिसका वेतनमान रु0 185—265 है पुलिस विभाग के मोटर परिवहन शाखा के हेड कान्सटेबुल ड्राइवर के समान वेतनमान दिया जाय। लिपिक वर्ग के पदों के संबंध में यह बताया गया कि होमगार्ड संगठन के पुर्नगठन के पूर्व लिपिक/लेखाकार पदों का वेतनमान 230—385 रु0 था। पुनर्गठन के बाद 250—425 रु0 के वेतनमान में 50 पदों का सृजन किया गया था और शेष 130 पदों के लिये 200—320 रु0 का वेतनमान दिया गया। यह सुझाव दिया गया कि

इन 130 पदों के पदधारियों को 230—385 रु0 का वैयक्तिक वेतनमान दिया जाये।

23.115 हमारे समक्ष जो सुझाव रखे गये उन पर हमने सावधानी से विचार किया है। रु0 550—1200 वेतन-क्रम के जिला कमान्डेन्टों के कुल 64 पदों में से (मुख्यालय पर दो कनिष्ठ स्टाफ आफिसर, जिला प्रशिक्षण केन्द्र श्रेणी-1 के आठ कमान्डेन्टों और नगर होमगार्ड के चार कमान्डेन्टों को मिलाकर) केवल एक पद रु0 800—1450 के उच्चतर वेतन-मानमें है। इनकी पदोन्नति के बहुत ही कम अवसरों को ध्यान में रखते हुये हमने सिफारिश की है कि सामान्य श्रेणी के 20 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय। प्रभागीय कमान्डेन्टों के चार पदों को जिला कमान्डेन्टों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग के सम्बन्ध में राज्य सरकार सेवा नियमावली बनाते समय इस विषय पर विचार कर लें।

23.116 जहां तक पुलिस विभाग के साथ समानता की मांग का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि वर्ष 1977 में निर्गत एक शासनादेश द्वारा होमगार्ड कार्मिकों के कतिपय प्रवर्गों की प्रास्थिति में पुलिस बल के तदनुरूप स्तर के समान घोषित किया गया था। हमें उन परिस्थितियों की जानकारी नहीं है जिनमें होमगार्ड संगठन के कतिपय प्रवर्ग के कर्म-चारियों को पुलिस संगठन के कतिपय स्तर के समान किया गया था। हमारा यह मत है कि होमगार्ड यद्यपि एक महत्वपूर्ण संगठन है फिर भी उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की तुलना पुलिस कार्मिकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ नहीं की जा सकती। अतः हम होमगार्ड कार्मिकों के वेतनमानों को पुलिस विभाग के कार्मिकों के समान रखने की सिफारिश नहीं कर सकते।

23.117 मुख्यालय पर नियुक्त स्टाफ आफिसर इस समय रु0 550—1200 के वेतनमान में हैं। हम मुख्या-लय पर तैनात होमगार्ड संगठन के स्टाफ आफिसरों को 75 रु0 प्रतिमास का विशेष वेतन देने की सिफारिश करते हैं।

23.118 बटालियन इन्स्ट्रक्टर/ब्लाक आर्गनाइजर के लिए उच्चतर वेतनमान दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक रूप से उनकी समता प्रादेशिक विकास दल के ब्लाक आर्गनाइजरों से की गई थी। हम इस समीकरण में कोई परिवर्तन करने का औचित्य नहीं पाते हैं।

23.119 इस समय भण्डार, शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद से सम्बन्धित कार्य एक इन्सपेक्टर को सौंपा गया है। इस तथ्य को देखते हुये कि होमगार्ड संगठन के पास एक बृहद भण्डार है, यह उचित प्रतीत होता है कि इस कार्य को किसी अधिक उत्तरदायी अधिकारी के प्रभार में रखा जाये। अतएव हमारी सिफारिश है कि इस पद को क्रमोन्नत कर दिया जाय और उस पर रु0 850—1720 के वेतनमान में जिला कमान्डेन्ट को रखा जाय।

23.120 हम पहले ही यह विचार व्यक्त कर चुके हैं कि इस संगठन के पदों को पुलिस विभाग के पदों से बराबरी नहीं की जा सकती। अतएव हम क्वार्टर गार्ड नायक, और क्वार्टर गार्ड लाइन्स नायक के लिये उच्च वेतनमान की सिफा-रिश करने में असमर्थ हैं। फिर भी हम सिफारिश करते हैं कि उन्हें 10 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाय।

23.121 जहां तक लिपिकवर्गीय पदों का सम्बन्ध है, पुर्नसंगठन के परिणामस्वरूप, 50 पदों को क्रमोन्नत करके 250—425 रु0 के वेतनमान में कर दिया गया है और अवशेष पद 200—320 रु0 के वेतनमान में हैं। हमें इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता।

23.122 जहां तक ड्राइवरों और समूह 'घ' के कर्म-चारियों के समान अन्य साधारण श्रेणी के पदों का सम्बन्ध है, हमारी सिफारिशें साधारण श्रेणी के पद नामक अध्याय में दी गई हैं। विभिन्न पदों के पुनरीक्षित वेतनमान तथा आव-श्यकतानुसार सेलेक्शन ग्रेड इस खंड के 'भाग दो' में दिये गये हैं।

नागरिक सुरक्षा संगठन

23.123 नागरिक सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिक प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। निदेशक नागरिक सुरक्षा इस संगठन का प्रधान होता है। जो पुलिस महानिरीक्षक की कोटि का भारतीय पुलिस सेवा का एक ज्येष्ठ अधिकारी है और मुख्यालय में उसके सहायतार्थ उप निदेशक (उप महानिरीक्षक की कोटि का), स्टाफ अधि-कारी और अन्य सहायी कर्मचारी होते हैं। यह संगठन 14 जिलों में फैला हुआ है जिनमें जिला मजिस्ट्रेट नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 4 के अधीन नियंत्रक के रूप में और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक सुरक्षा) परगना मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 17 के अधीन उप नियन्त्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक नागरिक सुरक्षा क्षेत्र में एक "नागरिक सुरक्षा कोर" होती है जो सेक्शनों में उप विभाजित है और प्रत्येक सेक्शन एक के प्रभारी अधि-कारी के कमान्ड के अधीन होता है। इस समय उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा के पदों के अतिरिक्त रु0 300—550 के वेतनमान में प्रभारी अधिकारी के 116 पद हैं। स्टाफ अधि-कारी के तीन पद हैं जिन पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों और राज्य मुख्यालय में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (रु0 550—1200), अग्निशमन केन्द्राधिकारी (स्टेशन आफिसर) (रु0 400—750), क्वार्टर मास्टर (रु0 400—750) और रु0 400—750 तथा रु0 350—700 के वेतनमान में ज्येष्ठ प्रशिक्षक (सीनियर इन्स्ट्रक्टर) के पद भी हैं। नागरिक सुरक्षा अधिकारी संघ ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित मांग

की हैं जिसका समर्थन निदेशक, नागरिक सुरक्षा द्वारा भी किया गया है :—

(एक) इनके वेतनमान जो वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा कम कर दिये गये थे, बढ़ाये जायं ;

(दो) उनके लिये उच्च वेतनमानों में उपयुक्त पदोन्नति के पदों की व्यवस्था की जाये ;

(तीन) उन्हें 150 रु० प्रतिमास का वाहन भत्ता दिया जाय ;

(चार) इन्हें लगभग 50 प्रतिशत पदों पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाये ।

23.124 हमने अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों और उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा के साक्ष्य लिये हैं । हमने संघ के मांगों की जांच भी की ।

23.125 अधिकारी संघ की मुख्य शिकायत यह है कि वेतन अभिनवीकरण समिति (1965) द्वारा उनका वेतनमान 150—350 रु० से घटाकर 160—280 रुपये कर दिया गया था । परिणामस्वरूप पिछले वेतन आयोग ने 300—550 रुपये का निम्न वेतनमान दिया । वेतन अभिनवीकरण समिति का मुख्य कार्य वेतनमानों का अभिनवीकरण करना था और वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा की अर्हता, कर्तव्य का स्वरूप और उत्तरदायित्व के स्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात उन्हें 160—280 रुपये का वेतनमान दिया गया था । इन अधिकारियों का विभागीय स्तर पर चयन किया जाता है और उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ता । वे 280—460 रुपये के प्रतिस्थापन वेतनमान के हकदार थे, परन्तु वेतन आयोग (1971-73) ने उन्हें 300—550 रुपये का वेतनमान दिया । फिर भी वर्तमान समय की स्थिति के सन्दर्भ में उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुये हम प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा के लिये 550—940 रुपये के उच्च वेतनमान की सिफारिश कर रहे हैं ।

23.126 संघ और निदेशक, नागरिक सुरक्षा द्वारा जिस अन्य बात पर जोर दिया जा रहा है, उसका सम्बन्ध प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा को पदोन्नति के अवसर देने से है । खास तौर से यह सुझाव दिया गया था कि छः उप नगरों अर्थात, मुगलसराय, सरसवां, बक्सी का तालाब, ममौरा, हिन्डन और नरौरा के लिये सहायक नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा के पद सृजित किये जायें और इनकी पूर्ति प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा द्वारा की जाये जिसे 50 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाये । नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 17 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये, उन्हें नियंत्रक या उप नियंत्रक के रूप में पदोन्नत करना सम्भव नहीं है । इसके लिये अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित होगा जिसे करने के लिये संसद ही सक्षम है । फिर भी हम यह अनुभव करते हैं कि चूंकि इन अधिकारियों के लिये पदोन्नति की कोई सम्भावनायें नहीं हैं इसलिये सरकार उपयुक्त उप नगरों के लिये सहायक नियन्त्रक का पद सृजित करने और इन पदों पर प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करने के औचित्य पर विचार करे, बशर्ते यह अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ।

23.127 हम लोगों के सामने यह दलील भी पेश की गई थी कि उपनियंत्रक के पदों के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी को मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्राधिकारी (स्टेशन आफिसर), क्वार्टर मास्टर और ज्येष्ठ प्रशिक्षक (सीनियर इन्स्ट्रक्टर) के पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र हों। यदि कार्य के स्वरूप और उत्तरदायित्व को देखते हुये, इन पदों में से समस्त या कुछ पद प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा में से योग्यता के आधार पर चयन द्वारा भरना संभव हो तो सरकार इसकी परीक्षा कर ले । हम अनुभव करते हैं कि नागरिक सुरक्षा जैसे किसी संगठन में पदोन्नति का मानदण्ड केवल ज्येष्ठता नहीं होना चाहिये । मुख्य बल योग्यता पर देना होगा । यदि इन पदों में से समस्त या कुछ पद प्रभारी अधिकारियों को उपलब्ध भी हो जायें तो भी उनके पदोन्नति के अवसर में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी । सम्प्रति, प्रभारी अधिकारी के कुल 116 पदों में से 23 पद सेलेक्शन ग्रेड (400—750 रुपये) में हैं और 93 पद साधारण श्रेणी (300—550 रुपये) में हैं । प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा के पदधारियों में पहल करने और उन्हें अच्छा काम करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये हम सिफारिश करते हैं कि प्रभारी अधिकारी के 30 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें ।

23.128 एक अन्य मांग जिस पर हम लोगों के समक्ष जोर दिया गया है, यह है कि स्टोर अधीक्षक श्रेणी एक के पद को प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा के पद के बराबर माना जाय । हमने इसकी परीक्षा की है । हमने यह पाया कि स्टोर अधीक्षक श्रेणी-एक के पद स्टोर अधीक्षक श्रेणी-दो (250—425 रुपये) में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । चूंकि इन पदों के कार्य का स्वरूप और इन पर भर्ती का ढंग बिलकुल ही भिन्न है इसलिये इन पदों को प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा के पद के समान नहीं माना जा सकता, यद्यपि इनके वेतनमान एक ही हैं ।

23.129 जहां तक वाहन भत्ते को 30 रुपया प्रतिमास से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमास करने का सम्बन्ध है, इस पर "विशेष वेतन और भत्ते" नामक अध्याय में विचार किया गया है । इसी तरह, निदेशक के आशुलेखक (स्टेनोग्राफर) के वेतनमान के प्रश्न पर "सामान्य श्रेणी के पद" नामक अध्याय में विचार किया गया है ।

23.130 पुनरीक्षित वेतनमान और चयन श्रेणी यथावश्यक इस खण्ड के भाग दो में दिये गये हैं ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्

23.131 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याण के लिये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद है। यह परिषद वृद्ध और अशक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये एक केन्द्र (होम) का संचालन कर रही है।

23.132 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद रु0 1300—1600 के वेतनमान में एक निदेशक के प्रभाराधीन है जिसकी सहायता के लिये विभिन्न श्रेणी के लिपिक वर्गीय और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। विभाग से प्राप्त विवरण पत्र से यह प्रतीत होता है कि परिषद के कर्मचारी सचिवालय से लिये गये हैं। सचिवालय कर्मचारियों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिशें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।

23.133 जहां तक परिषद द्वारा चलाये जा रहे केन्द्र (होम) के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष स्टोर कीपर, रसोइया, कहार, चौकीदार और सफाई मजदूर (स्वीपर) के पद सामान्य श्रेणी के पद हैं। साधारण श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिशें उन पर भी लागू होंगी।

23.134 हमने इस खण्ड के भाग दो में विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान दिये हैं।

—— ——

अध्याय २४

सतर्कता विभाग

सतर्कता संगठन

इस संगठन का प्रधान निदेशक है, "जो भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी है।" इस संगठन में 18 पद भारतीय पुलिस सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान के हैं, 35 पद उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा साधारण ग्रेड, एक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, दस अभियोजन अधिकारी, 191 पुलिस निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), 7 पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, 248 कान्सटेबुल, अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य के लिए कतिपय अधिकारी, जैसे, अधिशासी अभियन्ता, जिला खाद्य अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, लेखाधिकारी, आदि हैं।

24.2 इस संगठन में विभिन्न पदों के वेतनमान पुलिस संगठन तथा अन्य विभागों में प्रचलित वेतनमानों के अनुरूप हैं, जहां से विभिन्न पदों के धारक लिए गये हैं लिपिकीय पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर, जिनमें कान्सटेबुल भी सम्मिलित हैं, विशेष वेतन अनुमन्य है। विभाग ने किसी पद के वेतनमान के बारे में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया है, किन्तु यह संस्तुति की है कि राजपत्रित कर्मचारिवर्ग के विशेष वेतन में वृद्धि की जाय। हमने पुलिस विभाग से सम्बद्ध एक पूर्व अध्याय में इस मामले में विचार व्यक्त किये हैं।

24.3 हमने विभाग के संबंध में अपनी संस्तुतियों के अनुसार, जहां से विभिन्न पदों के धारक इस संगठन में लिए गए हैं, वेतनमानों का पुनरीक्षण किया है।

सतर्कता आयोग तथा प्रशासनाधिकरण

24.4 सतर्कता आयोग का प्रधान अध्यक्ष है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है। इस समय तीन प्रशासनाधिकरण विद्यमान हैं। सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रशासनाधिकरण 1 तथा प्रशासनाधिकरण 2 के भी अध्यक्ष हैं। प्रशासनाधिकरण के सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। तथापि प्रशासनाधिकरण 1 का सदस्य प्रशासनाधिकरण 3 के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है।

24.5 अध्यक्ष, सतर्कता आयोग ने हमें प्रस्तुत अपने ज्ञापन में कतिपय सुझाव दिये हैं :

(1) प्रशासनाधिकरण के अध्यक्ष को (जिनकी नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो) 2750 रु0 प्रतिमास का नियत वेतन दिया जाय।

(2) अधिकरण के सदस्यों को 2500 रु0 प्रतिमास का नियत वेतन दिया जाय।

(3) सतर्कता आयोग और प्रशासनाधिकरणों में सचिव का कोई पद विद्यमान नहीं है। सचिव का पद सृजित किया जाय और उस पर या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी अथवा उत्तर प्रदेश सिविल सेवा को कोई अधिकारी जिसे प्रशासनिक तथा सचिवालय कार्य का अनुभव हो, नियुक्त किया जाय। पत्र व्यवहार कार्य के लिए उप निबन्धक का एक पद सृजित किया जाय और उसे उच्च न्यायालय के सहायक निबन्धक संवर्ग से भरा जाय।

(4) लेखाकार का पद 280—460 रु0 के वेतनमान में है। इस पद के लिए 350—700 रु0 का वेतनमान स्वीकृत किया जाय। किसी भी दशा में इस पद का वेतनमान विभागाध्यक्ष कार्यालय के सहायक अधीक्षक पद के वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए।

(5) आलेखक तथा प्रालेखक के वेतनमान को 300—500 रु0 का वेतनमान मानते हुए पुनरीक्षित किया जाय।

(6) अध्यक्ष तथा सदस्यों से सम्बद्ध आशुलिपिक का वेतनमान 400—600 रु0 होना चाहिए। टंकक, अवर वर्ग सहायक, नैत्यक श्रेणी लिपिक, प्राप्ति तथा प्रेषण लिपिक और स्टोर कीपर पदों के वेतनमानों को उन्नत (अपग्रेड) किया जाय।

(7) विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा सचिवालय में कर्मचारिवर्ग की परिलब्धियों में अन्तर को कम किया जाय।

24.6 हमने अध्यक्ष, सतर्कता आयोग तथा प्रशासनाधिकरण को भी सुना है। सतर्कता आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझावों पर हमने सावधानीपूर्वक विचार किया है, जिन पर नीचे विचार किया गया है :—

(1) प्रशासनाधिकरण के सदस्य के वेतनमान के मामले पर न्यायिक संगठन के अध्याय में विचार व्यक्त किये गये हैं। प्रशासनाधिकरण 1 के सदस्य को, जो प्रशासनाधिकरण 3 के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, 2500 रु0 प्रतिमाह का नियत वेतन मिल रहा है और अन्य सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा के साधारण वेतनमान में 200 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन सहित है। हमने विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों के पुनरीक्षित वेतनमानों के मामले पर भी न्यायिक संगठन के अध्याय में विचार व्यक्त किये हैं। हमने

यह संस्तुति की है कि प्रशासनाधिकरण 3 के सदस्य का पद उच्चतर न्यायिक सेवा के साधारण वेतनमान के अधिकारी द्वारा भरा जाय और उसे 200 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाय। इसके अतिरिक्त हमने यह भी संस्तुति की है कि सदस्य, प्रशासनाधिकरण 1 को, जो प्रशासनाधिकरण 3 के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है, उच्चतर न्यायिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में 200 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन स्वीकृत किया जाय।

(2) अध्यक्ष/सदस्य से सम्बद्ध आशुलिपिक 300—500 रु0 के वेतनमान में 50 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन सहित हैं। हम ये संस्तुति करते हैं कि इस पद पर 622—940 रु0 का पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया जाय तथा विशेष वेतन समाप्त कर दिया जाय। आशुलिपिक के दो अन्य पदों के लिए, जो 250—425 रु0 के वेतनमान में हैं, हम 515—840 रु0 का उच्चतर वेतनमान संस्तुत कर रहे हैं।

24.7 अध्यक्ष, सतर्कता आयोग ने यह सुझाव दिया था कि उनके संगठन में कार्यभार तथा कर्तव्यों के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए लेखाकार का वेतनमान विभागाध्यक्ष कार्यालय में सहायक अधीक्षक के वेतनमान के बराबर कर दिया जाय। चूंकि लेखाकार का पद "सामान्य कोटि का पद" है, अतः इस संबंध में अलग से कोई संस्तुति नहीं कर रहे हैं। वैयक्तिक सहायक, कार्यालय अधीक्षक, आलेखक तथा प्रालेखक, कोषाध्यक्ष अभिलेखपाल, प्राप्ति तथा प्रेषण लिपिक, अवर वर्ग सहायक, टंकक तथा चपरासी आदि पद सामान्य कोटि के पद हैं और "सामान्य कोटि के पद" विषयक अध्याय में की गई हमारी संस्तुतियां उक्त पदों पर भी लागू होंगी।

24.8 हमने विभिन्न पदों के पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग-2 में दिये हैं।

लोक आयुक्त संगठन

24.9 लोक आयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन सितम्बर, 1977 में स्थापित किया गया था। यह संगठन मंत्रियों, विधान मण्डल के सदस्यों, राजस्व परिषद के सदस्यों, सरकार के सचिवों, आदि के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिये स्थापित किया गया है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अधिनियम में इस बात की अपेक्षा की गई है कि केवल ऐसे ही व्यक्ति लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में कार्य कर चुके हों या कर रहे हों। लोकायुक्त का सचिव आई0 ए0 एस0 के उच्च वेतनमान (सीनियर स्केल) का अधिकारी है। मुख्य अन्वेषण अधिकारी उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य है।

24.10 लोकायुक्त के सचिव ने यह निवेदन किया है कि लोकायुक्त की वही प्रास्थिति है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की है और उन्हें अपने संगठन को चलाने में उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त है जितनी कि संविधान के अधीन मुख्य न्यायाधिपति को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को वे ही वेतनमान स्वीकृत हैं जो सचिवालय में विभिन्न कोटि के कर्मचारि वर्ग को अनुमन्य हैं। इसी प्रकार के वेतनमान राजस्व परिषद के कर्मचारियों को स्वीकृत किये गये हैं। इस पृष्ठभूमि में लोक आयुक्त संगठन के कर्मचारियों को वही परिलब्धियां दी जानी चाहियें, जो उच्च न्यायालय या राजस्व परिषद के कर्मचारि वर्ग को दी गई हैं। इस समय इस कार्यालय के कर्मचारियों के वेतनमान किसी विभागाध्यक्ष के कार्यालय के प्रतिरूप पर स्वीकृत, किन्तु सभी पर्यवेक्षी पदों पर सचिवालय के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं। इस कार्यालय में जो कर्मचारी सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं वे कार्य में अभी इतने परिपक्व नहीं हैं कि उन्हें उच्चतर पर्यवेक्षी पदों पर रखा जा सके। इसलिए सचिवालय से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को इस कार्यालय में कम से कम पांच से दस वर्ष तक रहना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यालय का कार्य अत्यधिक गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति का होने के कारण ये कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर बने नहीं रह सकते और उन्हें इस संगठन में खपाना ही पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि सचिवालय में उपलब्ध वेतनमान इस कार्यालय के लिये भी स्वीकृत किये जायें।

24.11 हमने इस विषय पर सावधानी से विचार किया है और हम निम्नलिखित संस्तुति करते हैं :—

(1) लोक आयुक्त की प्रास्थिति और कर्मचारि वर्ग के कर्तव्यों के स्वरूप तथा संगठन की रूपरेखा का विचार करते हुये लोक आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारि वर्ग को वे वेतनमान दिये जायं जो सचिवालय में तद्नुरूप स्तर के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं।

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और प्रवर (कैटेगरीज), उनके वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि लोक आयुक्त के परामर्श से राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायं।

(3) लोक आयुक्त के लिये यह बाध्यकर नहीं होगा कि वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के लिये सचिवालय से या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से अधिकारियों और अन्य कर्मचारि वर्ग को नियुक्त करें। किन्तु लोक आयुक्त द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की जायेंगी।

24.12 इस कार्यालय में विभिन्न पदों के वेतनमानों पर उपर्युक्त सामान्य संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये विचार किया गया है।

(1) प्रशासनिक अधिकारी पद का वर्तमान वेतनमान 550—1200 रु0 है। यह प्रस्ताव किया गया है कि यह पद सचिवालय के अनु सचिव के पद के समतुल्य होना चाहिये जो कि 1000—1350 रु0 के वेतनमान में है। वस्तुतः सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों का कोई संवर्ग नहीं है। सभी अन्य स्थानों में प्रशासनिक अधिकारियों को सामान्यतया 550—1200 रु0 का वेतनमान दिया गया है। सचिवालय में भी बहुत से पद 550—1200 रु0 के वेतनमान में हैं। इस प्रकार 550—1200 रु0 का वेतनमान पर्याप्त है अतः हमें इस वेतनमान को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

(2) सचिवालय में वैयक्तिक सहायक का वेतनमान 350—700 रु0 है। वैयक्तिक सहायक की पदोन्नति के लिये निजी सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी) का उच्चतर पद 500—1000 रु0 के वेतनमान में है। सचिवालय से अनुरूपता लाने के उद्देश्य से वैयक्तिक सहायक का वेतनमान घटाकर 350—700 रु0 किया जाना चाहिये। साथ ही यह भी संस्तुति की जाती है कि वैयक्तिक सहायक के दो पदों में से एक पद को 500—1000 रु0 के वेतनमान में निजी सचिव के पद में उन्नत (अपग्रेड) किया जाय।

(3) जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद 450—850 रु0 के वेतनमान में है। सचिवालय में जन सम्पर्क अधिकारी पदों का कोई संवर्ग नहीं है। लोक आयुक्त के जन सम्पर्क अधिकारी को 770—1600 रु0 का वेतनमान दिया जाना चाहिए, जैसा कि उसके समकक्ष अधिकारी को उच्च न्यायालय में अनुमन्य है। इस बात का विचार करते हुये कि लोक आयुक्त संगठन में गोपनीय प्रकार का कार्य होता है, सरकार लोक आयुक्त से परामर्श करके इस संगठन में जन सम्पर्क अधिकारी के पद को बनाये रखने की आवश्यकता पर विचार करना चाहेगी।

24.13 अन्य पद सामान्य कोटि के पद हैं अतः उनके संबंध में "सामान्य कोटि के पद" से संबंधित अध्याय में विचार किया गया है। विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान इस खंड के भाग-2 में दिये गये हैं।

अध्याय पच्चीस

नियुक्ति विभाग

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव)

जिला स्तर तथा नीचे के स्तर पर सामान्य प्रशासन का ढांचा राजस्व और जिला प्रशासन को सम्मिलित करके बना है। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी है जो कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने, राजस्व अभिलेखों के सही-सही ढंग से तथा अद्यावधिक रूप से रख रखाव, सरकारी देयों की वसूली तथा सामान्य विकास के कार्यक्रमों और आम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये उत्तरदायी है। सब डिवीजनल स्तर पर सब डिवीजनल अधिकारी सब डिवीजन के प्रशासन का प्रमुख अधिकारी है और वह तहसील, गांव सभा, सरकारी देयों की वसूली और भूमि सुधारों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह राजस्व से संबंधित मुकदमों तथा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कतिपय मुकदमों को सुनता है, विकास संबंधी कार्यों का समन्वय करता है और अपने सब डिवीजन में कानून व्यवस्था बनाये रखने पर ध्यान देता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय और आवश्यक वस्तुओं की कमी होने पर सहायता देने तथा सामान्य प्रशासन और दैनिक समस्याओं जिसमें चुनाव, जनगणना तथा प्रोटोकाल ड्यूटी सम्मिलित हैं, के लिये वह मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। प्रशासन का रूप अधिकांशतः विभिन्न सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य से परिलक्षित होता है किन्तु जो अधिकारी सामान्य प्रशासन से संबंधित होते हैं उनका उसमें विशेष स्थान होता है।

25.2 1-4-1974 तथा 1-4-1979 को उ0 प्र0 सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव) सम्बर्ग में अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1-4-1974	1-4-1979
(1) स्पेशल ग्रेड (रु0 1400—1800)	75	123
(2) वरिष्ठ वेतनमान (रु0 800—1450)	116	190
(3) साधारण वेतनमान (रु0 550—1200)	402	605
(4) डेपुटेशन रिजर्व	115	137
(5) लीव रिजर्व	56	45
(6) ट्रेनिंग रिजर्व	70	92
योग	833	1192

इस समय स्पेशल ग्रेड के 123 पदों के अतिरिक्त क्रम संख्या (4), (5) तथा (6) पर उल्लिखित पदों में से भी 22 पद स्पेशल ग्रेड में हैं, किन्तु इनमें से 20 पद प्रोन्नति पाये हुये पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को प्रोन्नति के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने के लिये आस्थगित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार क्रम संख्या (4), (5) और (6) के पदों में से 78 पद वरिष्ठ वेतनमान में हैं। इस प्रकार सम्वर्ग के 1192 पदों में से इस समय 145 अधिकारी स्पेशल ग्रेड में तथा 268 अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में कार्य कर रहे हैं। शेष 779 अधिकारी साधारण वेतनमान में हैं।

25.3 सम्वर्ग के कुल पदों के 25 प्रतिशत पद अधीनस्थ राजस्व (प्रशासन) सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और 75 प्रतिशत पद सीधे लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं। सामान्यतया जो अभ्यर्थी राज्य की सम्मिलित प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं वे इस सेवा के लिये विकल्प देते हैं।

25.4 उ0 प्र0 सिविल सेवा संघ ने अपने ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु उठाये हैं :—

(1) पी0 सी0 एस0 भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधीनस्थ सेवा नहीं है। किसी भी अधीनस्थ सेवा के उच्चतर सेवा में प्रविष्टि निम्नतम स्तर पर होती है। राज्य सेवा के अधिकारी चाहे वे पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) के हों या अन्य राज्य सेवा के, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में सीधे नियुक्त होते हैं।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमावली के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर ड्यूटी के पदों के 33 1/3 प्रतिशत पदों पर राज्य सेवा से भर्ती की जाती है। किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि इनमें से 15 प्रतिशत पद राजकीय सिविल सेवा से भिन्न राज्य सेवाओं से भरे जायेंगे। चयन संबंधी नियमों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिये पात्र होने हेतु 8 वर्ष की निरन्तर सेवा अनिवार्य है। वास्तविक स्थिति यह है कि जो पी0 सी0 एस0 अधिकारी लगभग 25 वर्ष की सेवा कर चुके हैं वे इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में लिये जा रहे हैं।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोन्नति कोटा में होने वाली अनुमानित रिक्तियों में भर्ती के लिये जो चयन सूची तैयार की जाय उसमें उन अधिकारियों

का सम्मिलित करने पर विचार किया जाय जिनकी आयु 54 वर्ष तक है। बहुत से पी0 सी0 एस0 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती होने के पात्र नहीं होंगे, अन्य को प्रोन्नति इतने विलम्ब से मिलेगी कि उनमें से अधिकांश भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर स्केल में सेवा निवृत्त हो जायेंगे और कुछ ही व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में लगभग २ वर्ष तक कार्य कर सकेंगे और कोई भी सुपर टाइम स्केल में नहीं पहुंच पायेगा। संघ ने इस दलील के समर्थन में एक विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया है।

(4) अन्य राज्यों में पी0 सी0 एस0 अधिकारी सामान्यतः 8 से 15 वर्ष तक पी0 सी0 एस0 में कार्य करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त हो जाते हैं। पी0 सी0 एस0 (जुडीशियल) के अधिकारी इस समय 10 वर्ष की सेवा पर उच्च न्यायिक सेवा में प्रोन्नति पा रहे हैं तथा वर्ष 1960 बैंच के राज्य पुलिस सेवा के सभी अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में खपाये जा चुके हैं और 1967 बैंच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी तदर्थ रूप से भारतीय पुलिस सेवा के समकक्ष वेतनमान में कार्य कर रहे हैं।

(5) इस सेवा की श्रेष्ठता को देखते हुए पी0 सी0 एस0 के अधिकारियों को प्रोन्नति के निम्न अवसर सुलभ कराये जाने चाहिए—

(क) सब-डिविजनल अधिकारी तथा सिटी मैजिस्ट्रेट के पद वरिष्ठ वेतनमान में रखे जांय।

(ख) उ0 प्र0 उच्चतर प्रशासनिक राजस्व सेवा सृजित की जाय और अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के समकक्ष पदों को रु0 1200—2000 के वेतनमान में रखा जाय।

(ग) अतिरिक्त आयुक्त, अतिरिक्त बिक्री-कर आयुक्त, अतिरिक्त चकबन्दी आयुक्त आदि के पद इस सेवा के अधिकारियों को रु0 2000—2500 के वेतनमान में उपलब्ध कराये जांय।

(घ) न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद, चकबन्दी आयुक्त, बिक्रीकर आयुक्त राजस्व सचिव, सचिव, राजस्व परिषद के पद इस सेवा के सदस्यों को रु0 2500—2750 के वेतनमान में उपलब्ध कराये जांय।

(ङ) कुछ पद जो इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं उन्हें उस संवर्ग से निकाल लिया जाय और उनपर समकक्ष वेतनमान में पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की नियुक्ति की जाय।

(च) जिन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाता है उन पदों पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को भी विशेष वेतन दिया जाय।

(छ) जिस प्रकार न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायिक सेवा में प्रोन्नति के समय वृद्धि मिलती है उसी प्रकार पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को प्रोन्नति पर कम से कम रु0 200 की वृद्धि दी जानी चाहिए।

(ज) पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को सेवा में भर्ती के समय दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जांय।

25.5 प्रमोटेड डिप्टी कलेक्टर्स एसोसियेशन ने आयोग के समक्ष अपने निवेदन में यह सुझाव दिया कि उ0 प्र0 सिविल सेवा के लिये अबाध वेतनमान (रनिंग स्केल) होना चाहिए और अधिकारियों को अबाध वेतनमान में प्रत्येक पांच वर्ष की सेवा के बाद रु0 200 की वृद्धि दी जानी चाहिये। दूसरी जो बातें इस संघ ने कहीं हैं, वे वही हैं जो पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) संघ द्वारा कही गयी हैं।

25.6 नियुक्ति विभाग ने वेतन आयोग को जो टिप्पणी भेजी उसमें उन्होंने पी0 सी0 एस0 संघ द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर कोई विशिष्ट टीका टिप्पणी नहीं की है। हमने संघ द्वारा उठाये गये विन्दुओं और विभिन्न समस्याओं पर सचिव, नियुक्ति विभाग से विस्तार में विचार-विमर्श किया। इन पर नीचे विचार किया जा रहा है।

25.7 इस समय 1972 बैंच के अधिकारी पी0 सी0 एस0 के वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति पा रहे हैं। इसी प्रकार 1964 बैंच के अधिकारी स्पेशल ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति पा रहे हैं। हम यह महसूस करते हैं कि जहां तक पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की वरिष्ठ वेतनमान और स्पेशल ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति का संबंध है, इस समय कोई वृद्धि-रोध (स्टेगनेशन) नहीं है। हम इस बात से अवगत हैं कि 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति से पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को प्रोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते। आठ वर्ष की सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के पात्र होते हैं। अतः यदि 10 से 12 वर्ष की सेवा के अधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत किया जाये तो उसे उचित और समय से प्रोन्नति होना माना जा सकता है। यदि यह अवधि 20 या 25 वर्ष या और अधिक हो तो प्रोन्नति को समय से प्रोन्नति होना नहीं कहा जा सकता है।

25.8 हमने इस संवर्ग के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में होने वाली प्रोन्नति में विलम्ब के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है। भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-11031/21/79-एम0 एस0 (2) ए, दिनांक 24 जुलाई 1980 के अनुसार प्रमोशन कोटा में सीनियर ड्यूटी के कुल पदों की संख्या 117 है। इन पदों के 15

प्रतिशत पदों पर भर्ती पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं में से प्रोन्नति द्वारा की जाती है और इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के लिये पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को 99 पद उपलब्ध हैं। 1192 के संवर्ग में 99 पद लगभग 8.5 प्रतिशत होते हैं। पी0 सी0 एस0 के संवर्ग में तेजी से विस्तार होने के कारण और इस विस्तार को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उपलब्ध प्रोन्नति के पदों से सम्बद्ध न किये जाने के कारण पहले जो व्यवस्था थी जिसके अधीन 10 से 12 वर्ष की सेवा वाला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति पा जाता था, अब छिन्न-भिन्न हो गयी है।

25.9 पहले इस सेवा में वरिष्ठ वेतनमान नहीं था और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक जैसे उच्चतर पदों पर जब पी0 सी0 एस0 अधिकारी की नियुक्ति होती थी तो उन पदों पर संबंधित अधिकारी को अपने वेतनमान के साथ विशेष वेतन अनुमन्य होता था। संवर्ग के 10 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में थे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति समय से होती थी। वरिष्ठ वेतनमान और सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत होने के बाद से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागाध्यक्ष तथा अन्य समकक्ष पदों को रु0 800—1450 के वरिष्ठ वेतनमान में रखा गया और संयुक्त/अतिरिक्त विभागाध्यक्षों तथा अन्य समकक्ष पदों को पी0 सी0 एस0 के स्पेशल ग्रेड में रखा गया। तथापि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के कुछ पदों के संबंध में इस सामान्य नियम का पालन नहीं किया गया। यह स्थिति वरिष्ठ वेतनमान और स्पेशल ग्रेड के सृजन के काफी समय बाद हुई। सचिव नियुक्ति विभाग ने हमें यह बताया कि केवल कुछ बड़े शहरों को छोड़कर अब स्पेशल ग्रेड के अधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पदों पर तैनात नहीं किये जा रहे हैं।

25.10 हमने सम्पूर्ण मामले का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया है। हम संघ की इस बात से सहमत हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति न तो समय से हो रही है और न ही वह पर्याप्त है। हम इस बात से भी सहमत हैं कि भविष्य में किसी भी पी0 सी0 एस0 अधिकारी के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा में सुपर टाइम स्केल प्राप्त करना कठिन होगा। हमने पी0 सी0 एस0 संघ के इस सुझाव पर भी विचार किया है कि सिटी मजिस्ट्रेट और सब डिवीजनल आफीसर के पदों को वरिष्ठ वेतनमान में रखा जाये तथा कुछ अन्य उच्च पद जो इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में हैं, पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के लिये सुरक्षित किये जायें और उन पर उन्हें उच्चतर वेतनमान दिया जाये। हम यह समझते हैं कि जहां एक ओर इस सेवा के लिये प्रोन्नति के पर्याप्त अवसर सुलभ कराना आवश्यक है, वहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग से बहुत से वरिष्ठ पदों को निकाल कर पी0 सी0 एस0 को उपलब्ध कराये जाने की मांग को स्वीकार करके प्रशासनिक ढांचे को अस्त व्यस्त करना संभव नहीं है। समस्या पर समग्र रूप से विचार करने के बाद हम इस सेवा के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियां कर रहे हैं:—

(1) सब डिवीजनल आफीसर/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के वेतनमान को उच्चीकृत करने का कोई औचित्य नहीं है। पी0 सी0 एस0 अधिकारी का आधारिक पद सब डिवीजनल आफीसर/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट है और हम इस पद को इस संवर्ग के लिये उच्चतर पद मानने का कोई औचित्य नहीं पाते।

(2) हम सिटी मजिस्ट्रेट के पद को बहुत महत्व और उच्चतर दायित्व का पद मानते हैं और यह संस्तुति करते हैं कि इसे पी0 सी0 एस0 के वरिष्ठ वेतनमान में रखा जाये। हम जिला मजिस्ट्रेट के पद पर विशेष वेतन दिये जाने के पक्ष में नहीं हैं।

(3) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागाध्यक्ष तथा अन्य समकक्ष पदों को उच्चतर दायित्व का पद माना गया है अतः ये पद कृषि तथा पशुपालन जैसे विभागों के उप विभागाध्यक्षों और जिला विकास अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता के वेतनमानों के समान वरिष्ठ वेतनमान में चलते रहें।

(4) इस समय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एक्जीक्यूटिव) के पद पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाता है जबकि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास, परियोजना, वित्त तथा राजस्व) के पदों पर कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का पद पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के लिए एक सामान्य प्रशासनिक पद है अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) को छोड़कर जिस पर रु0 100 प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन दिया जाना जारी रखा जाय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अन्य पदों पर विशेष वेतन का कोई औचित्य नहीं है। उप निदेशक तथा अन्य समकक्ष पदों के समान विशेष पदों पर भी विशेष वेतन दिया जाना जारी रखा जा सकता है।

(5) पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की नियुक्ति उन पदों पर भी की जाती है जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी तैनात किये जाते हैं। इन पदों में संयुक्त विभागाध्यक्ष, अतिरिक्त विभागाध्यक्ष, उप सचिव, संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, उप विकास आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त तथा अन्य पद सम्मिलित हैं। इन उच्चतर पदों (स्पेशल ग्रेड) के लिये वे ही अधिकारी पात्र होने चाहिए जो 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों और उन्हें रु0 1840—2400 के वेतनमान में रक्खा जाय। हम यह भी संस्तुति करते हैं कि प्रधानाचार्य, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, संयुक्त निदेशक,

प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, उप बिक्रीकर आयुक्त (प्रशासन), निबन्धक, फर्म्स चिट फण्ड्स एण्ड सोसाइटीज तथा निदेशक, भूमि अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के पदों को भी इस समूह में सम्मिलित कर लिया जाय।

(6) जिन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाता है, उन पदों पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को भी विशेष वेतन दिया जाय।

(7) हम राज्य प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट (संस्तुति संख्या 44 पेज 78-79) में दी गई इस आशय की टिप्पणी से सहमत हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किये गये कुछ पद वास्तव में उस संवर्ग से संबंधित नहीं हैं और उन्हें राज्य सेवा के अधिकारियों से भरा जा सकता है। पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) संघ ने हमें उन पदों की एक सूची दी है जो उनके विचार से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से निकाल लिए जाने चाहिए। हमने इस मामले का गहराई से परीक्षण नहीं किया है किन्तु सामान्यतः हम यह समझते हैं कि इनमें से कुछ पद पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को दिये जा सकते हैं। भारत सरकार ने अतिरिक्त निबन्धक सहकारी समितियां, उप भूमि सुधार आयुक्त, राज्य सम्पादक जिला गजेटियर्स, उप आयुक्त खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति-कम-शासन के संयुक्त/उप सचिव, उप निदेशक, स्थानीय निकाय-कम-शासन के उप सचिव, मनोरंजन कर आयुक्त, अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य-प्रशासन), निदेशक जनशक्ति, ग्राम विकास विभाग, निदेशक जनशक्ति, राज्य नियोजन संस्थान, अतिरिक्त निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण तथा अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, दिल्ली के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से निकाल दिया है। ये पद भी वेतनमान रु0 1840—2400 में पी0 सी0 एस0 संवर्ग में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

(8) हम यह पाते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन अधिकारियों की प्रोन्नति की सम्भावनायें तेजी के साथ कम होती जा रही हैं क्योंकि केवल वे ही अधिकारी चयन-सूची पर आने की आशा कर सकते हैं जो 26-28 वर्ष की सेवा कर चुके हों। इसे हम चिंता का विषय समझते हैं और इसका उपाय किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे सेवा की स्थिरता, गुणता और दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। हम कतिपय पदों को जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग से निकाल लिये गये हैं, सेलेक्शन ग्रेड के वेतनक्रम में उच्चीकृत किये जाने का सुझाव देते हैं। हम यह भी सुझाव देते हैं कि सरकार कुछ अन्य उच्चतर पदों जैसे सदस्य न्यायिक) राजस्व परिषद्, सचिव, राजस्व परिषद को संवर्ग से निकाले जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करें ताकि इस सेवा के अधिकारियों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की आशाएं हो सकें।

(9) अतिरिक्त आयुक्त तथा न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद जैसे उच्चतर राजस्व न्यायालयों में सामान्यतः इस सेवा की उचित ज्येष्ठता और अनुभव वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाय।

(10) निम्नतर वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति के समय वेतन में न्यूनतम वृद्धि के प्रश्न का हमने परीक्षण किया है, यह मामला सभी सेवाओं से संबंधित है। अतः हम यह संस्तुति करते हैं कि सरकार इस सम्पूर्ण मामले पर भलीभांति विचार करके उचित निर्णय ले।

(11) इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि पी0 सी0 एस0 (एक्जीक्यूटिव) के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के हकदार होते हैं, हम उ0 प्र0 उच्च न्यायिक सेवा की भांति राज्य उच्च प्रशासनिक सेवा का सृजन किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते।

(12) संवर्ग की समीक्षा इस दृष्टि से की जाय कि जो पद अन्य राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जा सकते हों उन्हें इस संवर्ग से निकाल दिया जाय ताकि कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या नियंत्रणीय हो सके।

25.11 हमने पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग-2 में दिये हैं।

अध्याय छब्बीस

न्यायिक संगठन

संविधान के भाग छः के अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में एक विशेष उपबन्धक किया गया है। इसमें न्यायिक सेवा के लिये विशेष निर्देश किया गया है। न्यायिक सेवा का नियंत्रण पूर्णतया उच्च न्यायालय में निहित है। संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में परस्पर संतुलन रखा गया है। ऐसा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय सिविल और फौजदारी दोनों प्रकार के वादों का निर्णय करते हैं।

26.2 अधीनस्थ न्यायपालिका में निम्नलिखित हैं :—

(क) यू0 पी0 सिविल सेवा (न्याय शाखा) जिसमें मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश, न्यायाधीश और न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय हैं: (ख) उच्च न्यायिक सेवा जिसमें जिला और सत्र न्यायाधीश अपर जिला और सत्र न्यायाधीश और अवर (सेशन) न्यायाधीश हैं और (ग) यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा के न्यायिक अधिकारी जो न्यायिक मैजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट और कानपुर के मुख्य मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट हैं। राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 237 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके दिनांक 12 मार्च, 1975 की अधिसूचना द्वारा संविधान के भाग छः के अध्याय छः के उपबन्धों को, उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी सेवा के सदस्यों पर, जैसे कि वह राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रवृत्त हैं, इस अपवाद के साथ प्रवृत्त करते हैं कि यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा के सदस्य केवल संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 के ही प्रयोजनार्थ अपर सत्र न्यायाधीश के पदों को भरने के लिये एक न्यायिक सेवा गठित करेंगे और द्वितीयतः यह कि यू पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) से पृथक और भिन्न सेवा होगी। तदनुसार उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में यह उपबन्धित है कि अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद के प्रति उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी सेवा का कोई सदस्य अपर सत्र न्यायाधीश की शक्ति का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है। 15 प्रतिशत की सीमा तक सीधी भर्ती करके सात वर्ष से अन्यून अनुभव प्राप्त बार के प्लीडरों और अधिवक्ताओं में से की जाती है। 15 प्रतिशत पद न्यायिक अधिकारी सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और शेष 70 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के स्थायी सदस्यों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। बार के सदस्यों से और यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) से पदोन्नति पाने वालों के लिये प्रवेश अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के स्तर पर होता है। अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा के सदस्य अपर जिला और सत्र न्यायाधीश/जिला और सत्र न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं हैं। बार से सीधी भर्ती के लिये जिस वर्ष आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये नोटिस प्रकाशित की जाय, उसके अगले वर्ष की पहली जनवरी को न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है।

26.3 उच्च न्यायिक सेवा सदस्य संख्या 1-7-79 को 313 थी जिसमें सेलेक्शन ग्रेड के 17 पद सम्मिलित हैं। उच्च न्यायिक सेवा का वेतनमान रु0 1000—50—1350—द0 रो0—75—1950—50—2000 और सेलेक्शन ग्रेड रु0 1950—75—2250 है।

26.4 यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) की सदस्य संख्या और उनको अनुमन्य वेतनमान नीचे दिये हैं :—

(एक) मुंसिफ मैजिस्ट्रेट (414 पद) रु0 550—30—700—द0 रो0—40—900—द0 रो0—50—1200।

(दो) सिविल न्यायाधीश और न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय (98 पद) रु0 650—30—800—द0 रो0—40—1000—द0 रो0—50—1300।

26.5 यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता विधि स्नातक की डिग्री है और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा में सीधी भर्ती के लिये परीक्षा की घोषणा के दिनांक के पश्चात अगली पहली जनवरी को सेवा में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु 30 वर्ष है तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

26.6 दिनांक 12 मार्च, 1975 की अधिसूचना के बाद यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा के संवर्ग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है। यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा के सदस्यों के वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

(एक) न्यायिक मैजिस्ट्रेट—रु0 550—30—700—द0 रो0—40—900—द0 रो0—50—1200।

(दो) न्यायिक मैजिस्ट्रेट—रु0 650—30—800—द0 रो0—40—1000—द0 रो0—50—1300 (सेलेक्शन ग्रेड)।

(तीन) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट—रु0 850—50—1050—द0 रो0—50—1300—द0 रो0—50—1450।

(चार) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (सेलेक्शन ग्रेड)—रु0 900—50—1150—द0 रो0—50—1400—द0 रो0—50—1600।

26.7 यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा के सदस्य रु0 1400—50—1500—द0 रो0—60—1800 के वेतनमान में अपर आयुक्त भी नियुक्त किये जाते हैं। उनमें से कुछ रुपया 1400—50—1500—द0 रो0—60—1800 के वेतनमान में तथा रु0 200 प्रतिमास विशेष वेतन के साथ राजस्व परिषद् में न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किये गये हैं।

यू0 पी0 न्यायिक सेवा संघ

26.8 यू0 पी0 न्यायिक सेवा संघ ने अपने ज्ञापन और हमारे समक्ष मौखिक प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(एक) उच्च न्यायिक सेवा की प्रास्थिति, स्तर और परिलब्धियां सभी प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा के समान हों ;

(दो) उच्च न्यायिक सेवा और यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) को बार के सदस्यों में से प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को आकर्षित करना है, इसलिये उनकी परिलब्धियों और सेवा शर्तों में सुधार की आवश्यकता है ;

(तीन) यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) की तुलना में यू0 पी0 सिविल सेवा (एक्जीक्यूटिव शाखा) को सेवा में उन्नति के अधिक अवसर तथा अधिक परिलब्धियां अनुमन्य हैं ;

(चार) जिला न्यायाधीश का सेलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम वेतनमान वही होना चाहिये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा को अनुमन्य है। अर्थात संवर्ग सदस्य संख्या का 25 प्रतिशत ;

(पांच) उच्च न्यायिक सेवा का वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान (इस समय रु0 1200—2000) के समान उच्च वेतन वृद्धि की दर के साथ होना चाहिये ;

(छः) यद्यपि यू0 पी0 सिविल सेवा (एक्जीक्यूटिव शाखा) और यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के प्रारम्भिक वेतनमान समान हो सकते हैं। किन्तु न्यायिक सेवा के सदस्यों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां देकर उच्च प्रारम्भिक वेतन दिया जाय क्योंकि वे विधि स्नातक होते हैं और उनमें से अधिकांश बार में प्रैक्टिस करने के बाद सेवा में प्रवेश करते हैं ;

(सात) शासन के न्याय सचिव एवं पदेन विधि परामर्शी अधिकरणों के न्यायिक सदस्य और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पदों को रु0 3000 के नियत वेतन में रखा जाय ;

(आठ) न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, मुख्य मेट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट, कवाल नगरों मेरठ और बरेली के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पदों को यू0 पी0 सिविल सेवा एक्जीक्यूटिव के सेलेक्शन ग्रेड के समान वेतनमान दिया जाय ;

(नौ) जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट और अन्य मैजिस्ट्रेटों को सवारी भत्ता अनुमन्य होना चाहिये ;

(दस) यू0 पी0 लोक सेवा अधिकरणों के प्रशासनिक सदस्यों और न्यायिक सदस्यों को समान परिलब्धियां दी जायं ;

(ग्यारह) न्यायिक सेवा के सदस्यों को नियत वेतन पर दो घरेलू सेवकों की सुविधा दी जाय तथा उन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा भी दी जाय ;

(बारह) न्यायिक सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु 60—61 वर्ष हो ;

(तेरह) प्रशासकीय कार्य कई गुना बढ़ गया है। वादों के शीघ्र निस्तारण और एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिये मण्डलीय मुख्यालयों पर वरिष्ठ जिला न्यायाधीश रखे जांय। मण्डलीय व्यवस्था से उत्तम तथा अधिक प्रभावी न्याय प्रशासन में सहायता मिलेगी।

यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा संघ

26.9 यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा संघ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और मौखिक प्रस्तुतीकरण करने के लिये हमारे सामने उपस्थित भी हुए संघ ने निम्न सुझाव दिये :—

(एक) 73 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें अभी तक उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति नहीं दी गयी है और 15—20 वर्ष के अनुभवी अधिकारी मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(दो) सेवा के अधिकारियों को 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद रु0 1400—1800 के सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय ;

(तीन) कवाल नगरों और अन्य बड़े शहरों के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेटों को रु0 200 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय क्योंकि इन जिलों के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेटों को अनेक न्यायिक मैजिस्ट्रेटों और स्पेशल मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना पड़ता है ;

(चार) सेवा के अधिकारियों को अपर आयुक्त के पद पर नियुक्त किये जाने पर रु0 300 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय ;

(पांच) राजस्व परिषद् के न्यायिक सदस्यों के समस्त पद न्यायिक अधिकारियों में से भरे जायें और उनको वही वेतन दिया जाना चाहिये जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को अनुमन्य है ;

(छः) न्यायिक अधिकारियों को बड़े नगरों में सवारी भत्ता रु0 200 प्रतिमास और अन्य नगरों में रु0 150 प्रतिमास दिया जाय ;

(सात) चूंकि न्यायिक अधिकारियों, यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के अधिकारियों के बीच में कोई पारस्परिक ज्येष्ठता नहीं है, यू0 पी0 न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्च न्यायिक सेवा में भी सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जाय ;

(आठ) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट जब उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किये जाते हैं तो वेतन निर्धारण में विशेष बढ़ोतरी (जम्प) का लाभ पाने के हकदार नहीं होते हैं जो उन्हें दिया जाय ।

26.10 संघ की अन्य मांगों के अन्तर्गत सवारी भत्ता निःशुल्क आवास, पोशाक भत्ता, अधिक प्रासंगिक व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा, चिकित्सा भत्ता और एक सेवक की सुविधा आदि हैं ;

26.11 उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में आयोग को निम्न सुझाव दिये हैं :—

(एक) उच्च न्यायिक सेवा के 25 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं । सेलेक्शन ग्रेड में दो वेतनमान हों, अर्थात 50 पदों के लिये रु0 1950—2250 और 25 पदों के लिये रु0 2500—2750 ;

(दो) कानपुर के मुख्य मेट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट के पद का वेतनमान बढ़ाकर रु0 1000—2000 किया जाय ;

(तीन) मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों को उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जायं ;

(चार) मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के पद में सेलेक्शन ग्रेड यू0 पी0 न्यायिक अधिकारियों को अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड के आधार पर स्वीकृत किया जाय ;

(पांच) सिविल न्यायाधीशों का वेतनमान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेटों से उच्च हो ;

(छः) उन जिलों में जिला न्यायाधीशों को जहां न्यायिक अधिकारियों की संख्या 50 या कम हो रु0 300 प्रतिमास और जहां न्यायिक अधिकारियों की संख्या 50 से अधिक हो रु0 500 प्रतिमास आतिथ्य भत्ता स्वीकृत किया जाय ।

26.12 न्याय सचिव ने हमारे साथ विचार-विमर्श में यह सुझाव दिया कि सेवा अधिकरणों के सदस्यों को परिलब्धियों के मामले में अधिकरणों के अध्यक्ष के साथ समानता दी जाय, उन्हें रु0 3000 प्रतिमास नियत वेतन दिया जाय । जिला न्यायाधीश को भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपरटाइम वेतनमान स्वीकृत किया जाय, अवर जिला न्यायाधीशों को कुछ प्रतिशत पदों को रु0 2000—2250 के सेलेक्शन ग्रेड में रखने के साथ रु0 1000—2000 के वेतनमान में बने रहने दिया जाय । उन्होंने यह भी संस्तुति की कि मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों के 10 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायं ।

26.13 नियुक्ति सचिव ने आयोग के समक्ष कहा कि अग्रिम वेतन वृद्धियां देने के मामले में विभिन्न राज्य सेवाओं के बीच कोई भेदभाव न किया जाय । उन्होंने सभी सेवाओं के लिये अग्रिम वेतन वृद्धियों की संस्तुति की । तथापि तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों को अग्रिम वेतनवृद्धि उनकी नियमित नियुक्ति की दिनांक से दी जाय । उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि सिविल न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पदों को समकक्ष किया जाय और रु0 800—1450 के समान वेतनमान में रखा जाय । न्यायिक सेवा में वृद्धिरोध के बारे में विचार व्यक्त करते हुये उन्होंने यह कहा कि इस समय मुंसिफ मैजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश के स्तर पर कोई वृद्धिरोध नहीं है किन्तु कुछ वर्ष बाद इसकी सम्भावना है और भविष्य में इससे बचने के उपाय किये जायं । उनका विचार था कि जिला न्यायाधीश का वेतनमान अपर जिला न्यायाधीश से थोड़ा उच्च हो । उन्होंने उच्च न्यायिक सेवा के कुछ पदों के 10 प्रतिशत पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड का सुझाव दिया लेकिन वह उच्च न्यायिक सेवा में सुपर टाइम वेतनमान देने के पक्ष में नहीं थे । उन्होंने इंगित किया कि परम्परा से उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के 40 पद जिला न्यायाधीशों में से भरे जाते हैं । उनके विचार में राज्य सेवा की तुलना भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ नहीं की जा सकती ।

26.14 हमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के विचार जानने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ । उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि उच्च न्यायिक सेवा में बार से सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति वे हैं जिन्होंने बार में कम से कम सात वर्ष वकालत की है, अतः उनके मामले में वकालत के उतने वर्षों की अवधि को पेंशन के आगणन के प्रयोजनार्थ जोड़ा जाय । उन्होंने सुझाव दिया कि उच्च न्यायिक सेवा का

प्रारम्भिक वेतनमान बढ़ाया जाय। तत्समय उनका यह भी विचार था कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा 32—36 वर्ष हो। इसी प्रकार उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में प्रवेश करने वालों के लिये अच्छे प्रोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिये उच्च आयु सीमा घटाकर 27 या 28 वर्ष की जाय। मुंसिफ मैजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश के स्तर पर वृद्धिरोध के बारे में उनका विचार था कि इस समय ऐसी कोई समस्या नहीं है लेकिन गत वर्षों में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट सम्बर्ग में बड़ी संख्या में की गयी भर्ती को ध्यान में रखते हुये, पांच वर्ष के बाद वृद्धिरोध की समस्या उठेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस समस्या के महत्व को ध्यान में रखते हुये मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराया नियंत्रण विधायन के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों की सुनवाई, जो लघुवाद क्षेत्र में की जा सकती है, केवल न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय के द्वारा ही किया जाना उनके दक्ष और तीव्र निस्तारण में सहायक होगा। उन्होंने मुंसिफ मैजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश के पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में लघुवाद न्यायालय के सृजन का सुझाव दिया। वेतनमानों के मामले में उनका विचार था कि सिविल न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के बीच समानता हो। जिला न्यायाधीशों के 10 प्रतिशत पदों को सुपर टाइम वेतनमान में सृजन करने और सम्वर्ग की सदस्य संख्या के 20 प्रतिशत को सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए जोर देते हुए उन्होंने विचार व्यक्त किया कि अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों को, जिसके अन्तर्गत सेवा अधिकरण भी है, सुपर टाइम वेतनमान अनुमन्य न हो। उन्होंने शासन के न्याय सचिव के पद के लिये सुपर टाइम वेतनमान का सुझाव दिया। उन्होंने सूचना दी कि उच्च न्यायालय के लगभग एक तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों में से लिये जाने की परम्परा है। उनका विचार था कि अधिकरणों को जिला न्यायाधीशों से उच्च स्तर पर न रखा जाय। उनके विचार में अधिकरणों का क्षेत्राधिकार सीमित है, जब कि जिला न्यायाधीश को, सिविल क्षेत्राधिकार का मुख्य न्यायालय होने के नाते विशेष कानूनों के अधीन कई प्रकार के प्रकीर्ण मामलों का निस्तारण करना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला न्यायाधीश सेवा अधिकरणों के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, और ऐसी स्थिति में वर्तमान सेवा अधिकरणों को बनाए रखना आवश्यक नहीं होगा। उनका यह भी विचार था कि अच्छा होगा यदि सेवा अधिकरण मंडलीय मुख्यालय पर स्थापित किये जायं।

26.15 हमने सेवा संघों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों और नियुक्ति सचिव, सचिव, न्याय विभाग और माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा हमारे समक्ष रखे गये सुझावों पर भली भांति विचार किया। सुदक्ष न्यायिक प्रशासन की समस्या वृहद रूप से सक्षम और योग्य न्यायिक अधिकारियों की खोजने की है। वादों के निस्तारण में विलम्ब होना और वादों का विचारार्थ लम्बित रहना बहुत हद तक, अधिकारियों द्वारा अपने काम को व्यवस्थित रूप से न करने और प्रक्रियागत संहिताओं के उपबन्धों को ठीक से लागू न करने के कारण है। सिविल और फौजदारी सम्बन्धी कामों की मात्रा में वृद्धि और कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग होने के फलस्वरूप कार्मिकों की वृद्धि ने अधीनस्थ न्यायपालिका का उत्तरदायित्व काफी बढ़ा दिया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग होने के कारण अनावश्यक रूप से भारी मात्रा में भर्ती की गयी। उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी बड़ी देर से सेवा में आता है क्योंकि इसकी पात्रता के लिये उसे बार में सात वर्ष वकालत करना होता है। उसकी सेवाकाल की अवधि कम होती है जिससे उसकी पेन्शन और अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों पर प्रभाव पड़ता है।

26.16 जनसाधारण के लिये न्यायपालिका का प्रतिबिम्ब परीक्षण (ट्रायल) न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा परिलक्षित होता है और यह उनके बौद्धिक, नैतिक और व्यक्तिगत गुण पर निर्भर करता है। संविधान में न्यायिक सेवा के बारे में विस्तृत उपबन्ध किये गये हैं। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि लोगों का न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास न हो। अतएव यह आवश्यक है कि न्यायपालिका के वेतनमान ऐसे होने चाहिये जिससे कि एक अधिकारी उचित जीवन स्तर व्यतीत कर सके और उसे कोई ऐसा आभार न लेना पड़े जो उसके कर्तव्यों का पालन करने में बाधक हो। भारतीय प्रशासन सेवा, यू0 पी0 सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) और उच्चतर न्यायिक सेवा या यू0 पी0 न्यायिक सेवा के बीच अलग-अलग ग्रेडों में यथार्थ तुलना करना कुछ कठिन है। विभिन्न सेवाओं के बीच गणितीय समीकरण करना सम्भव नहीं है लेकिन उसी के साथ उस महत्वपूर्ण भूमिका के अनुरूप जो न्यायपालिका को सौंपी गई है, हमने सेवा के विभिन्न खंडों के लिये ऐसे वेतन ढांचे की रचना की है जिससे कि उनमें वृद्धिरोध उत्पन्न न हो, या उनमें यह भावना उत्पन्न न हो कि उनकी परिलब्धियों में कमी हो गई है या उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किए गये मूल्यांकन में गिरावट आ गई है।

26.17 उच्चतर न्यायिक सेवा के पारिश्रमिक के लिये हमारी योजना निम्न प्रकार है :—

(एक) हम उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिये रु0 1420—2400 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। बार से सीधी भर्ती के व्यक्तियों के मामले में हम उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय रु0 1420—2400 के वेतनमान में दो अग्रिम वेतन वृद्धियों की संस्तुति करते हैं। अग्रेतर हम यह संस्तुति करेंगे कि बार में सात वर्ष की वकालत करने की आवश्यक अपेक्षा के

कारण न्यूनतम आयु के लिये कोई सीमा न रखने के साथ अधिकतम आयु को घटाकर 40 वर्ष कर दिया जाय ;

(दो) उच्चतर न्यायिक सेवा के 25 पद रु0 2300—2700 के सेलेक्शन ग्रेड में रखे जांय, जिसके अन्तर्गत शासन के विशेष सचिव का सेवा अधिकरणों के सदस्यों से भिन्न विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के, अध्यक्ष विक्रीकर अधिकरण और पीठासीन न्यायाधीश, राज्य परिवहन एपीलेट अधिकरण के पद सम्मिलित हैं। किन्तु प्रशासनाधिकरण (तीन) अध्यक्ष को, जो प्रशासनाधिकरण (एक) के सदस्य के रूप में भी कार्य करता है, रु0 200 प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाय। किन्तु प्रशासनाधिकरण (तीन) या (दो) के सदस्य और सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को उच्चतर न्यायिक सेवा सामान्य ग्रेड में बने रहने दिया जाय और रु0 200 प्रतिमास विशेष वेतन आहरित करने दिया जाय। उच्चतर न्यायिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के किसी अन्य अधिकारी को जो किसी अन्य अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, विशेष वेतन नहीं दिया जायेगा सिवाय इसके कि जब वह सचिवालय में या ऐसे पद पर नियुक्त हो जहां विशेष वेतन विशिष्ट रूप से उपबन्धित हो ;

(तीन) शासन के न्याय विभाग में सचिव एवं विधि परामर्शी विक्रीकर अधिकरण के अध्यक्ष, सेवा अधिकरणों के सदस्य और राज्य परिवहन एपीलेट अधिकरण के पदों को रु0 2700—3000 के वेतनमान में रखा जाय। तथापि यदि न्याय सचिव के रूप में निम्न वेतनमान का कोई अधिकारी नियुक्त किया जाये तो वह सामान्य दर पर विशेष वेतन आहरित कर सकता है।

हम आदरपूर्वक मुख्य न्यायाधीश के इस विचार से सहमत हैं कि जिला न्यायाधीश जिला प्रशासन में एक निर्णायक स्थान रखता है। किन्तु चूंकि अभी तक सेवा अधिकरणों के सदस्यों के पद उच्चतर उत्तरदायित्व के पद माने जाते हैं, हम उनके लिये उच्चतर वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं। उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिये ये पदोन्नति के पद होंगे और रु0 2700—3000 का यह वेतनमान इन पदों पर केवल ऐसे अधिकारियों को अनुमन्य होगा जो उचित चयन के पश्चात् उस वेतनमान में नियुक्ति के दिनांक से उक्त पदों पर पदोन्नत किये जांय। उस समय तक जब तक ऐसे चयन को पूरा किया जाय इन पदों को इस खण्ड के भाग दो में दिये गये पुनरीक्षित वेतनमान दिये जायंगे।

(चार) शासन का न्याय सचिव एवं विधिपरामर्शी रु0 2700—3000 के वेतनमान में रखे जाने के पश्चात् शासन के सचिव के रूप में उसको अनुमन्य विशेष वेतन का हकदार नहीं होगा। तथापि वह शासकीय हस्तान्तरक के रूप में रु0 200 प्रतिमास का अपना भत्ता आहरित करता रहेगा। न्याय सचिव को सहायता देने के लिये न्याय विभाग में विशेष सचिव एवं अतिरिक्त विधि-परामर्शी को अतिरिक्त शासकीय हस्तान्तरक के रूप में नियुक्त किया जाय और उसे हस्तान्तरक भत्ते के रूप में रु0 150 प्रतिमास भत्ता दिया जाय, लेकिन न्याय सचिव शाखा में कोई अन्य अधिकारी हस्तान्तरक भत्ता नहीं पायेगा।

(पांच) अग्रेतर हमारे सामने यह भी प्रतिवेदन दिया गया है कि महत्वपूर्ण जिले के प्रभारी को बढ़े हुए उत्तरदायित्वों की मान्यता के आधार पर विशेष वेतन दिया जाय जिससे कि ऐसे जिलों में अधिक अनुभवी अधिकारी नियुक्त किये जांय। निःसन्देह हाल के वर्षों में सिविल और फौजदारी दोनों में मुकदमेबाजी बहुत बढ़ गई है जिससे बड़ी संख्या में न्यायालय सृजित किये गये हैं जिनका बड़े शहरों के जिला न्यायाधीशों को पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना पड़ता है। हम महसूस करते हैं कि दक्ष न्यायिक प्रशासन के लिए ऐसे जिलों को दो न्यायाधीश पदों में विभाजित किया जाय। उस समय तक जब तक शासन द्वारा यह संस्तुति स्वीकार की जाय कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मेरठ के न्यायाधीशों को दुष्कर कार्य करने के लिये रु0 200 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाय।

26.18 यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी संघ ने भी हमें प्रतिवेदन दिया है कि न्यायालयों की कार्य पद्धति में समानता लाने के लिये प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर निरीक्षण जिला न्यायाधीश होने चाहिये। इसे स्वीकार किया जाना है कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण प्रणाली का परिणाम यह होगा कि न्यायाधीश वरिष्ठ प्राधिकारी के मार्गदर्शन और नियंत्रण से बिना नहीं है। जिलों में बड़ी संख्या में न्यायालयों या अन्य प्रशासकीय अथवा न्यायिक कार्य के दबाव को ध्यान में रखते हुये जिला न्यायाधीशों के लिये यह संभव नहीं है कि वह न्यायालयों के पर्यवेक्षण के लिये पर्याप्त समय लगाएं और ऐसी कठिनाई को, या तो न्यायाधीश को, उसके कुछ प्रशासकीय कार्यों से छुटकारा देकर या राज्य में ऐसे कई जिलों को प्रभागों में विभाजित कर, प्रत्येक को पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ विभिन्न न्यायाधीश के अधीन रखकर, दूर किया जा सकता है। लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में हम कोई विशिष्ट संस्तुति नहीं कर रहे हैं।

यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी

26.19 यू0 पी0 न्यायिक अधिकारी सेवा के अधिकारियों के लिए अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए उच्चतर न्यायिक सेवा में 15 पद उपलब्ध हैं। इस समय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में पदोन्नति के लिए कोई साधारण ग्रेड अधिकारी

उपलब्ध नहीं हैं, अतः हम न्यायिक अधिकारी संवर्ग में संलेक्शन ग्रेड की संस्तुति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि सेवा का कोई अधिकारी संलेक्शन ग्रेड पा रहा है वह उसे तब तक पाता रहेगा जब तक कि उसे मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के रूप में या अपर आयुक्त के रूप में या न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद् के रूप में नियुक्त न कर दिया जाय। यदि सेवा का कोई अधिकारी मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाय तो उच्चतर न्यायिक सेवा के साधारण वेतनमान में वेतन पायेगा। अपर आयुक्त या न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद यदि सेवा से बाहर से लिया जाय तो उसे रु0 1420—2400 के वेतनमान में रखा जाय। जब सेवा के किसी अधिकारी को न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद के रूप में नियुक्त किया जाय उसे रु0 300 प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाय। इसी प्रकार यदि उच्चतर न्यायिक सेवा के किसी अधिकारी को न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद के रूप में नियुक्त किया जाय तो वह अपने वेतनमान में वेतन के साथ रु0 300 प्रतिमाह का विशेष वेतन पायेगा।

यू0 पी0 न्यायिक सेवा

26.20 यू0 पी0 सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश और न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय/समाविष्ट हैं। संवर्ग स्थिति का संकेत प्रारम्भ में ही कर दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि वर्ष 1976 से 1979 के दौरान 400 से अधिक मुंसिफ मैजिस्ट्रेट भर्ती किये गये। वर्ष के अन्त तक 100 अधिकारियों के एक और बैच द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की आशा की जाती है। इस समय सिविल न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति की स्थिति पर कोई वृद्धिरोध नहीं है लेकिन आने वाले वर्षों में ऐसा वृद्धिरोध सम्भावित है जिससे सेवा के युवा वर्ग में कुण्ठा और निराशा उत्पन्न होगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अधिक लघुवाद न्यायालयों के सृजन की संस्तुति की है। जहां तक वेतनमान का संबंध है इस सेवा और यू0 पी0 सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) के बीच समानता है। यह सुझाव दिया गया था कि क्योंकि इस सेवा की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को विधि की डिग्री प्राप्त करने में तीन वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं, उन्हें उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया जाय। यद्यपि हम इस सुझाव से सहमत नहीं हैं तथापि हमने संस्तुति की है कि उच्च आयु सीमा को घटाकर 27 या 28 वर्ष रखा जाय ताकि इस सेवा में प्रवेश करने वाले नये विधि स्नातकों को अच्छे प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध हों और सेवा में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु वही रहने दी जाये, यथा 21 वर्ष। हम यह संस्तुति इसलिये कर रहे हैं जिससे कि न्यायिक सेवा की ओर उपयुक्त समय और उपयुक्त स्तर पर बहुत से अच्छे (विश्वविद्यालय) स्नातक आकर्षित किये जा सकें। तथापि संभावित वृद्धि-रोध को ध्यान में रखते हुये जो निकट भविष्य में इस प्रक्रम पर हो सकता है, हमने संस्तुति की है कि जिले में दूरस्थ न्यायालय के वरिष्ठतम मुंसिफ मैजिस्ट्रेट को रु0 75 प्रति मास विशेष वेतन दिया जाय। मुंसिफ मैजिस्ट्रेट केवल सिविल और फौजदारी क्षेत्राधिकारी में ही शक्ति का प्रयोग नहीं करता है बल्कि रु0 1000 से अनाधिक मूल्य के वादों की सुनवाई में लघुवाद न्यायालय की शक्तियों का भी प्रयोग करता है। अतएव उसे एक अनुभवी अधिकारी होना चाहिए जिसने कुछ वर्षों की सेवा कर ली हो: मुफस्सिल मुंसिफ के रूप में उसके कर्तव्य जिला मुख्यालय के मुंसिफ की अपेक्षा अधिक दूभर और दुष्कर हैं।

सिविल न्यायाधीश

26.21 इस समय सिविल न्यायाधीश का वेतनमान रु0 650—1300 है, जबकि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट का वेतनमान रु0 800—1450 है। माननीय मुख्य न्यायाधीश यह महसूस करते हैं कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की तुलना में सिविल न्यायाधीश जो कि सहायक सत्र न्यायाधीश भी है का और सिविल न्यायाधीश का वेतनमान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के वेतनमान से कम नहीं होना चाहिये। सिविल न्यायाधीश न्यायिक क्रम परम्परा में एक महत्वपूर्ण हैसियत रखता है। संविधान के अनुच्छेद 236 में "जिला न्यायाधीश" के अंतर्गत "सहायक सत्र न्यायाधीश" भी सम्मिलित हैं। उसका आर्थिक अधिक्षेत्र असीमित है और वह प्रायः बड़े मूल्य के वादों की सुनवाई करता है। वह विशेष अधिनियमों के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, यथा हिन्दू मैरिज एक्ट, भूमि अर्जन अधिनियम। उसके पास सहायक सत्र न्यायाधीश की शक्तियां भी हैं और उस हैसियत से वह सत्र के मुकदमों की सुनवाई भी करता है। उसके कार्य के महत्वपूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुये हम समझते हैं कि सिविल न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट का वेतनमान समान होना चाहिये। न्यायिक क्रम-परम्परा में उनकी प्रास्थिति के कारण हमें ऐसा करना उचित लगता है। अग्रेतर क्योंकि न्यायिक अधिकारी, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति के लिये अब उपलब्ध नहीं हैं, यह जनहित में होगा कि केवल पर्याप्त ज्येष्ठता के मुंसिफ मैजिस्ट्रेट ही मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किये जांय। यद्यपि किसी अधिकारी को पहले सिविल न्यायाधीश के रूप में और फिर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में पदोन्नत करना हमेशा सम्भव नहीं हो सकता है, तथापि यह भी उपयुक्त होगा कि 3-4 वर्ष की सेवा के एक अधिकारी को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में पदोन्नत किया जाय। अतएव हम ऐसा महसूस करते हैं कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीशों के पदों पर अधिकारियों की पारस्परिक गतिशीलता रखी जाय। तदनुसार हम इन दोनों पदों के लिये रु0 1150—1900 के वेतनमान की संस्तुत करते हैं। किन्तु, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट/अपर न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पदों के वर्तमान पदधारी रु0 1250—2050 के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करेंगे, जो उनके लिए वैयक्तिक वेतनमान के रूप में होगा।

26.22 जहां तक मकान मालिक और किरायेदार के बीच वादों का निर्णय करने के लिये, जो अधिकतर यू0 पी0 अर्बन बिल्डिंग्स (रेगुलेशन आफ लेटिंग, रेन्ट एण्ड एविक्शन) ऐक्ट, 1972 की धारा 16 के अधीन आते हैं, हर जिले में लघुवाद न्यायाधीशों के न्यायालयों के सृजन और लघुवाद न्यायालयों के न्यायाधीशों को उच्चतर वेतनमान देने का प्रश्न है, हम महसूस करते हैं कि इस सुझाव में सम्वर्ग की पुनर्संरचना की बात अन्तर्निहित है जो हमारे विचार क्षेत्र के परे है। इस समय हमारे राज्य में लघुवाद न्यायाधीशों के दस न्यायालय हैं। ये न्यायालय अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और मुरादाबाद में हैं। प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट ऐक्ट में विभिन्न संसाधनों द्वारा लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश में, धन से सम्बन्धित वादों और मकान मालिक और किरायेदार के बीच वादों के जो रु0 5000 से अनधिक मूल्य के हैं, सुनवाई की शक्ति अन्तर्निहित है। उसके आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। यदि आदेश में विधि की कोई त्रुटि है तो पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसी कारण ऐसे वादों का निर्णय करने में साक्ष्य का सही मूल्यांकन करने के लिये अधिक अनुभवी और परिपक्व अधिकारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य दुष्कर और अधिक दूभर हैं, लेकिन चूंकि सम्वर्ग का पुनर्गठन हमारे विचार क्षेत्र में नहीं है, हम इस बिन्दु पर कोई सामान्य संस्तुति करने में असमर्थ हैं। तथापि चूंकि हम महसूस करते हैं कि लघुवाद न्यायालयों का कार्य तुलनात्मक रूप से भारी और अधिक दुष्कर है विशेष रूप से यू0 पी0 अर्बन बिल्डिंग्स (रेगुलेशन आफ लेटिंग, रेन्ट एण्ड एविक्शन) ऐक्ट, 1972 की धारा 16 के अधीन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें पक्षों के लिये दांव सामान्य रूप से ऊंचे हैं। अतः लघुवाद न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए रु0 150 प्रतिमास विशेष वेतन की संस्तुति की जाती है। इस संबंध में हम यहां इंगित करना चाहते हैं कि लखनऊ में दो लघुवाद न्यायालयों में निम्नकोटि के कर्मचारिवर्ग की संख्या अधिक मालूम पड़ती है और हम आशा करते हैं कि निम्नकोटि के कर्मचारिवर्ग में उपयुक्तरूप से कमी की जायगी।

26.23 हम न्यायिक सेवा के अधिकारियों को आतिथ्य भत्ता, सवारी भत्ता, पोशाक भत्ता देने की मांग को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम उन्हें निःशुल्क आवास देने में सहमत होने में भी असमर्थ हैं। तथापि हम महसूस करते हैं कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट और वरिष्ठतम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश को प्रत्येक जिले में बिना एस0 टी0 डी0 की सुविधा के आवासीय टेलीफोन दिये जायं।

26.24 अंत में हम संस्तुति करना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन एक कार्मिक इकाई गठित की जाय, जो समय समय पर हमारे राज्य में न्यायिक व्यवस्था के कार्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर पर मात्रात्मक और गुणात्मक संख्या को अवधारित करने के लिये राज्य सरकार के परामर्श से न्यायिक सेवा के सम्वर्ग की संरचना का पुनर्विलोकन करे।

उच्च न्यायालय

26.25 उच्च न्यायालय के लिपिकीय अनुभाग की तीन प्रशाखायें हैं:—

(एक) सामान्य कार्यालय:- जिसके प्रधान, निबन्धक हैं, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त निबन्धक, संयुक्त निबन्धक, उप निबन्धक और अन्य कार्यालय कर्मचारिवर्ग हैं।

(दो) निजी सचिव और वैयक्तिक सहायक।

(तीन) बेंच सेक्रेटरी।

कुछ सामान्य कर्मचारिवर्ग हैं जैसे, जन सम्पर्क अधिकारी पुस्तकालयाध्यक्ष, इलेक्ट्रिशीयन, टेलीफोन आपरेटर, ट्यूबवेल आपरेटर, जमादार, लिफ्टमैन, चौकीदार, माली और चपरासी।

26.2 अनुसचिवीय अधिकारी संघ ने निम्नलिखित सुझाव और मांगें पेश की :—

(एक) वैयक्तिक सहायकों को सेलेक्शन ग्रेड, प्रवर वर्ग सहायक को अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड के पैटर्न पर स्वीकृत किया जाय,

(दो) निजी सचिव ग्रेड-एक के सेलेक्शन ग्रेड के पदों की संख्या सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों और निजी सचिव ग्रेड-2 के पैटर्न पर होनी चाहिये,

(तीन) रु0 1300—1600 के वेतनमान में कुछ पद निजी सचिव को दिये जायं,

(चार) प्रत्येक सम्वर्ग में पदोन्नति के पदों का प्रतिशत 20 प्रतिशत रखा जाय,

(पांच) निजी सचिवों को पोशाक भत्ता पुलिस विभाग के सादृश्य पर दिया जाय।

26.27 बेन्च सेक्रेटरीज बृदरहुड ने निम्न सुझाव दिये हैं :—

(एक) बेंच सेक्रेटरी के दोनों वेतनमानों को मिलाकर निजी सचिव/अनुभाग अधिकारी के समान रखा जाय, क्योंकि शैक्षिक अर्हतायें कार्य की प्रकृति और चयन की रीति समान हैं।

(दो) बेंच सेक्रेटरी के लिये पदोन्नति की सम्भावनायें और सेलेक्शन ग्रेड की उसी अनुपात में व्यवस्था की जाय जो निजी सचिव/अनुभाग अधिकारियों को अनुमन्य हैं और उन्हें रु0 100 प्रतिमास वर्दी भत्ता दिया जाय।

(तीन) उप निबन्धक के पद पर उनकी पदोन्नति सुनिश्चित की जाय।

26.28 अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने मांग की कि वेतन-मान और भत्ते के सम्बन्ध में सचिवालय के साथ समानता बनाये रखी जाय।

26.29 निजी सचिवों और वैयक्तिक सहायकों ने निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(एक) वैयक्तिक सहायकों को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ देने की व्यवस्था की जाय,

(दो) उप निबन्धक के पद पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाय,

(तीन) प्रशासकीय न्यायाधीशों से सम्बद्ध सभी वैयक्तिक सहायकों को रु0 50 प्रतिमास विशेष वेतन के रूप में दिया जाय,

(चार) न्यायाधीशों के साथ सरकारी कार्य के लिये नियमित रूप से सम्बद्ध निजी सचिवों को उपयुक्त सवारी भत्ता दिया जाय।

26.30 उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष न्यायाधीश श्री के0 एन0 सिंह ने निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(एक) वेतनमान और पदोन्नति की सम्भावनाओं में बेंच सेक्रेटरी और निजी सचिवों के बीच में पूर्ण समानता रखी जाय,

(दो) बेंच सेक्रेटरी के लिये विधि की डिग्री अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित की जाय किन्तु वर्तमान पदधारियों को उससे छूट दी जाय,

(तीन) उप निबन्धक के समान रु0 1300—1600 के वेतनमान में कुछ पद बेंच सेक्रेटरी और निजी सचिवों के लिये उपबंधित किये जायें,

(चार) वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों और बेंच सेक्रेटरी के लिये सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय,

(पांच) नैत्य श्रेणी लिपिकों के संवर्ग को अवर वर्ग सहायक के संवर्ग में मिला दिया जाय, क्योंकि व्यवहारिक रूप से नैत्यक श्रेणी लिपिक वही काम कर रहे हैं जो अवर वर्ग सहायक करते हैं।

(छः) प्रवर वर्ग सहायकों के लिये सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों के सादृश्य पर अच्छी पदोन्नति की सम्भावनाओं की व्यवस्था की जाय,

(सात) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्तमान दर रु0 6 से बढ़ाकर 8 कर दी जाय,

(आठ) न्यायालय अधिकारियों और सहायक न्यायालय अधिकारियों के लिये क्रमशः रु0 100 प्रतिमास और रु0 50 प्रतिमास सवारी भत्ते की व्यवस्था की जाय,

(नौ) संयुक्त निबन्धक का पद सृजित किया जाय,

(दस) विभिन्न संवर्गों में सेलेक्शन ग्रेड का प्रतिशत सचिवालय के समान रखा जाय। उन्होंने हमें यह सूचित किया कि सेवा नियमावली में प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक के पदों को सीधी भर्ती के लिये उपबन्ध विद्यमान है लेकिन इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। उनका यह भी मत था कि बेंच सेक्रेटरी ग्रेड्स के पद पर कुछ सीधी भर्ती की जाय।

26.31 निबन्धक उच्च न्यायालय ने निम्न सुझाव दिये :—

(एक) उप निबन्धक के रु0 1300—1600 के वर्तमान वेतनमान के दो पदों को सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद के सादृश्य पर रु0 1600—2000 में उन्नत कर दिया जाय,

(दो) रु0 800—1350 के वेतनमान में उप निबंधक के पांच पदों को रु0 1300—1600 के वेतनमान में उन्नत कर दिया जाय,

(तीन) अनुभाग अधिकारी और प्रवर वर्ग सहायक के पदों के कम से कम 10 पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय,

(चार) जन सम्पर्क अधिकारी को सचिवालय के सादृश्य पर रु0 550—1200 का वेतनमान दिया जाय,

(पांच) अवर वर्ग सहायक और नैत्यक लिपिक/टंकक को वही वेतनमान स्वीकृत किया जाय जो सचिवालय में उनके प्रतिस्थानी को अनुमन्य है,

(छः) प्रधान निजी सचिव का वेतनमान सचिवालय के उप सचिव के समान रखा जाय,

(सात) माननीय मुख्य न्यायाधीश के सहायक प्रधान निजी सचिव का पुनरीक्षित वेतनमान उप निबन्धक के समान रखा जाय,

(आठ) निजी सचिव को वही वेतनमान स्वीकृत किया जाय जो सचिवालय में उनके प्रतिस्थानी को संस्तुत किया जा रहा है। इसी प्रकार वैयक्तिक सहायकों का वेतनमान भी सचिवालय में उनके प्रतिस्थानी के समान रखा जाय,

(नौ) पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान उप निबन्धक के वेतनमान के समान रखा जाय,

(दस) टेलीफोन आपरेटर और अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसके अन्तर्गत रु0 175 नियत वेतन में काम करने वाले भी सम्मिलित हैं, को वेतनमान सचिवालय में उनके प्रतिस्थानी के समान रखा जाय,

(ग्यारह) कार्य के स्वरूप, उत्तरदायित्व और बुद्धि-रोध का विचार करते हुए, बेंच सेक्रेटरी का वेतनमान निजी सचिवों के वेतनमान के समतुल्य होना चाहिये। उन्होंने

बेंच सेक्रेटरी के सम्वर्ग में रु0 800—1100, रु0 1000—1300 और रु0 1300—1600 के उच्चतर वेतनमानों में कुछ पदों के सृजन की संस्तुति भी की है।

26.32 सेवा संघों और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उठाये गये विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा एतद् पश्चात की गई है।

कार्यालय

26.33 उच्च न्यायालय के कर्मचारिवर्ग के वेतनमान मोटे तौर पर सचिवालय की तदनुरूप सेवाओं के वेतनमानों के समकक्ष कर दिये गए हैं। नियमों में यह उपबन्धित है कि अवर वर्ग सहायक और प्रवर वर्ग सहायक के पदों को अंशतः सीधी भर्ती द्वारा और अंशतः ठीक नीचे वाले संवर्गों में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। वास्तविक व्यवहार में अवर वर्ग सहायक के समस्त पदों को नैत्यक श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और प्रवर वर्ग सहायक के सभी पदों को अवर वर्ग सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है अनुभाग अधिकारी के उच्चतर पदों को अवर वर्ग सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और उप निबन्धक के पद अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों/बेंच सेक्रेटरी में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार लिपिकीय संवर्ग में सीधी भर्ती केवल नैत्यक श्रेणी लिपिकों के स्तर पर होती है। चूंकि उच्च न्यायालय में लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमान सचिवालय के वेतनमानों के समकक्ष हैं, हमारा मत यह है कि अवर वर्ग सहायक के 50 प्रतिशत पद और प्रवर वर्ग सहायक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जांय।

26.34 हमने लिपिकीय संवर्ग में वृद्धिरोध की स्थिति की जांच की है। नैत्यक श्रेणी लिपिकों/टंककों के 231 पद हैं। चूंकि लिपिकीय संवर्ग के सभी उच्चतर पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है, उनके लिये अवर वर्ग सहायक के 337 पद, प्रवर वर्ग सहायक के 307 पद, अनुभाग अधिकारी के 42 पद और उप निबन्धक के 7 पद पदोन्नति के लिये उपलब्ध हैं, हम नैत्यक श्रेणी लिपिक, प्रवर वर्ग/सहायक और अनुभाग अधिकारी के पदों पर, सामान्य शर्तों के अधीन 10 प्रतिशत से अधिक सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति के लिए औचित्य नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय में भिन्न-भिन्न लिपिक वर्गीय स्तरों पर अंशतः सीधी भर्ती के लिए नियमों में पहले ही से व्यवस्था है। हम उक्त सेलेक्शन ग्रेड की संस्तुति यह मानकर कर रहे हैं कि इन नियमों को लागू किया जायगा।

26.35 जहां तक नैत्यक श्रेणी लिपिकों के वेतनमान को बढ़ाकर अवर वर्ग सहायक के वेतनमान में उच्चीकृत करने का प्रश्न है, हम इसके लिए कोई औचित्य नहीं पाते। नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकण को भिन्न प्रकार का काम करना पड़ता है अर्थात टंकण से संबंधित काम और ऐसा साधारण काम जिसमें नियमों, विनियमों, कार्य विधि आदि के अधिक ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। हम इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

उप निबन्धक

26.36 इस समय उप निबन्धक के दो वेतनमान हैं, अर्थात रु0 800—1350 और रु0 1300—1600। उप निबन्धक के 10 पदों में से पांच पद रु0 1300—1600 के वेतनमान में हैं और पांच पद रु0 800—1350 के वेतनमान में हैं। ये पद अनुभाग अधिकारी, निजी सचिवों में से जिनमें सहायक प्रधान सचिव और बेंच सेक्रेटरी भी सम्मिलित हैं, पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। तथापि, हमें सूचित किया गया था कि वर्तमान स्थिति में केवल एक ही पद निजी सचिवों में से पदोन्नति द्वारा भरा गया है और कोई भी बेंच सेक्रेटरी, उप निबन्धक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। हमें यह बताया गया है कि निजी सचिव और बेंच सेक्रेटरी अपने कार्य क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेते हैं जिसका उपयोग उनके उप निबन्धक के रूप में नियुक्त होने पर नहीं हो पाता। शासन के पास पहले ही से यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि निजी सचिवों के पदों में से एक पद को उप निबन्धक को अनुमन्य वेतनमान में उच्चीकृत कर दिया जाय और उप निबन्धकों की संख्या घटा कर नौ कर दी जाय। हमारे विचार से निजी सचिवों और बेंच सेक्रेटरी को अपने ही सम्वर्गों में पदोन्नतियां मिलनी चाहिये और तदनुसार हम संस्तुति करते हैं कि प्रधान निजी सचिव के एक पद के अतिरिक्त, निजी सचिव के एक पद को वरिष्ठ वेतनमान के उप निबन्धक को अनुमन्य वेतनमान में उच्चीकृत कर दिया जाय। इसी प्रकार बेंच सेक्रेटरी के दो पदों को अनुसचिव के वेतनमान में उच्चीकृत कर दिया जाय। हम उप निबन्धक के लिये रु0 800—1350 के वेतनमान का कोई औचित्य नहीं पाते और रु0 1420—1900 का वेतनमान संस्तुत करते हैं जैसा कि सचिवालय में अनुसचिव को अनुमन्य है। उप निबन्धक के पदों को जो इस समय रु0 1300—1600 के वेतनमान में हैं, रु0 1720—2125 का वेतनमान दिया गया है जैसा कि सचिवालय में उप सचिव को अनुमन्य है। हम सभी उप निबन्धकों को एक ही वेतनमान में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं पाते क्योंकि दो वेतनमान सचिवालय में अनुसचिव और उप सचिव के वेतनमानों के सादृश्य पर दिये गये हैं।

वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव

26.37 वैयक्तिक सहायकों के 77 पद रु0 350—700 के वेतनमान में हैं, निजी सचिवों के 43 पद रु0 500—1000 के वेतनमान में हैं, निजी सचिवों के चार पद रु0 800-1100 के वेतनमान में हैं और निजी सचिवों के सात पद रु0 1000—1350 के वेतनमान में हैं। प्रधान निजी सचिव का पद रु0 1300—1600 के वेतनमान में है। यह विदित होगा कि रु0 350—700 के निम्न वेतनमान के 77 पदों के लिये, पदोन्नति वाले पदों की संख्या 55 है। अतएव, उच्च न्यायालय में वैयक्तिक सहायकों की पदोन्नति की सम्भावनायें, उनके समतुल्य सचिवालय के वैयक्तिक

सहायकों की अपेक्षा बहुत अच्छी हैं। हम पहले ही संस्तुति कर चुके हैं कि उच्च न्यायालय के निजी सचिवों के पदों में एक पद को रु0 1720—2125 के उच्चतर वेतनमान में (जो उप निबन्धक के समकक्ष हैं) उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। हम उच्च न्यायालय में वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों के महत्व के प्रति सचेत हैं, अतएव संस्तुति करते हैं कि :—

(एक) ऐसे निजी सचिवों/वैयक्तिक सहायकों को जो द्विभाषी हों और जिनसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही काम करने की अपेक्षा की जाती है, रु0 25 प्रतिमास का भत्ता दिया जाय,

(दो) इस समय रु0 500—1000 के वेतनमान में निजी सचिवों के 15 प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड में रखा जाय,

(तीन) मुख्य न्यायाधीश से सम्बद्ध सहायक प्रधान निजी सचिव, प्रशासनिक न्यायाधीशों और लखनऊ बेंच के वरिष्ठतम न्यायाधीश के निजी सचिवों को रु0 50 प्रतिमास का भत्ता स्वीकृत किया जाय। तथापि, यदि लखनऊ बेंच के वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रशासनिक न्यायाधीश भी हों तो उनके निजी सचिव को अनुमन्य भत्ता केवल रु0 50 प्रतिमास होगा।

बेंच सेक्रेटरी

26.38 बेंच सेक्रेटरी के 52 पद रु0 400—750 के वेतनमान में और दस पद रु0 500—1000 के वेतनमान में हैं। पद पर भर्ती के लिये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जिसे उच्च न्यायालय के कम से कम दस वर्ष की सेवा वाले विधि स्नातकों को अधिमान्यता देकर, प्रवर वर्ग सहायकों/अवर वर्ग सहायकों में से भरे जाते हैं। हमें यह प्रत्यावेदन दिया गया है कि बेंच सेक्रेटरी न्यायालयों का कार्य सुगमतापूर्वक चलाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेंच सेक्रेटरी का निम्न वेतनमान प्रवर वर्ग सहायक के वेतनमान की अपेक्षा उच्चतर है और यद्यपि उनकी भर्ती प्रतियोगिता के माध्यम से होती है तथापि यह प्रतियोगिता उच्च न्यायालय के अवर वर्ग सहायकों/प्रवर वर्ग सहायकों तक ही सीमित है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि अवर वर्ग प्रवर वर्ग सहायकों के पद भी नैत्यिक श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नीत द्वारा भरे जाते हैं, यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अवर वर्ग सहायकों में से सीधी भर्ती किये जाते हैं उनके लिये यह दूसरी पदोन्नीत है और जो व्यक्ति पहले प्रवर वर्ग सहायक के रूप में पदोन्नत किये जाते हैं और तत्पश्चात बेंच सेक्रेटरी के पद के लिये अर्ह होते हैं, उनके लिये यह तीसरी पदोन्नीत है। तथापि हम इस बात को मान्यता देते हैं कि केवल उत्कृष्ट प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक ही इस पद के लिये अर्ह हो सकते हैं। बेंच सेक्रेटरी का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतएव हम संस्तुति करते हैं कि :—

(एक) बेंच सेक्रेटरी के कुल पदों में से 30 प्रतिशत पदों को रु0 770—1600 के वेतनमान में रख दिया जाय,

(दो) बेंच सेक्रेटरी के दो पदों को रु0 1420—1900 के वेतनमान में रखा जाय जैसा कि सचिवालय में अनुसचिव को अनुमन्य है।

अन्य पद

26.39 लखनऊ बेंच में एक पद संयुक्त निबन्धक का है जबकि इलाहाबाद में अपर निबन्धक का पद है। मुख्य न्यायाधीश का विचार था कि लखनऊ बेंच स्थित संयुक्त निबन्धक के पद को अपर निबन्धक में उच्चीकृत किया जाय। लखनऊ बेंच के संयुक्त निबन्धक के उत्तरदायित्व की मात्रा को देखते हुये, हम इस प्रस्ताव से सहमत हैं।

26.40 जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद रु0 500—1000 के वेतनमान में है, जो कि पर्याप्त है। पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, टेलीफोन परिचालक, नलकूप परिचालक, टंकक, लिफ्ट चालक, जमादार, अर्दली, चपरासी आदि पद समान कोटि के पद हैं और यहां उनकी चर्चा नहीं की गई है।

26.41 हमें प्रस्तुत विवरणपत्र के अनुसार उच्च न्यायालय में दैनिक वेतन श्रमिकों के 218 पद हैं। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को दो दैनिक वेतन श्रमिक रखने की अनुमति है, किन्तु हम अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के कारणों से अवगत नहीं हैं। शासन उच्च न्यायालय के साथ परामर्श कर इस विषय पर परीक्षण करना चाहे।

अधीनस्थ सिविल न्यायालय

26.42 'समान कोटि के पद' के अध्याय में हम इंगित कर चुके हैं कि उस अध्याय में अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारि वर्ग के लिये निर्दिष्ट मानकों के अंतर्गत न्यायालयों को नहीं रखा जायगा। राज्य सरकार के अनुरोध पर हमने अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के वेतनमानों के बारे में अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। इन अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के लिपिकीय कर्मचारिवर्ग के बारे में अधिकांश बिन्दुओं पर हम अपनी अंतरिम रिपोर्ट में चर्चा कर चुके हैं। तथापि, हम निम्नलिखित पदों के लिये रु0 430—685 का वेतनमान संस्तुत करते हैं :—

(एक) लघुवाद न्यायालय के मुन्सरिम।

(दो) न्यायिक मैजिस्ट्रेटों के अहलमद।

(तीन) लघुवाद न्यायालयों के अभिलेखपाल।

26.43 अधीनस्थ सिविल न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने उच्च न्यायालय के लिपिकीय कर्मचारिवर्ग

के वेतनमानों में समानता रखे जाने की मांग पर बल दिया है। हमने इस प्रश्न पर "सामान्य सिद्धान्त" और "समान कोटि के पद" के अध्यायों में विस्तृत चर्चा की है। हमारा दृढ़ विचार है कि लिपिकीय अथवा किन्हीं अन्य प्रकार के कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के लिये समान वेतन और समान प्रास्थिति का कोई औचित्य नहीं हो सकता। यदि यह सादृश्य स्वीकार किया जाता है तो स्वयं अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में केवल एक ही वेतनमान होना चाहिये। उच्च न्यायालय में तैनात लिपिकीय कर्मचारिवर्ग को कहीं अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संपादित करना पड़ता है और दोनों संघटनों के वेतनमानों में अन्तर रहना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश का भी यही दृढ़ विचार था। इस मांग की तर्कहीनता न्यायालय के कार्य की सादृश्यता करने से स्पष्ट हो जायगी। मुंसिफ जिला जज, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सभी न्यायालय सम्बन्धी कार्य करते हैं और यदि समान कार्य के लिये समान वेतन का तर्क अन्तिम रूप से मान लिया जाय, तो कदाचित यह कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के न्यायालयों के समस्त पीठासीन अधिकारियों को एक ही वेतनमान में रखा जाना चाहिये। इसी प्रकार आयुक्त से लेकर तहसीलदार के स्तर तक के सभी कार्यकारी अधिकारियों को एक ही प्रकार के कार्य में लगे हुए कहा जा सकता है। स्पष्ट है कि यह तर्क भ्रामक है।

महाधिवक्ता का कार्यालय

26.44 महाधिवक्ता ने आयोग से विचार विमर्श के दौरान निम्नलिखित सुझाव दिये :—

(एक) लेखाकार का कम से कम एक पद इलाहाबाद और लखनऊ स्थित प्रत्येक कार्यालय में, मुख्य लेखाकार के रूप में उच्चीकृत किया जाय,

(दो) प्रत्येक अनुभाग में अभिलेखपाल का एक पद उच्चतर वेतनमान में दिया जाय,

(तीन) पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिये उपयुक्त वेतनमान निर्धारित किया जाय,

(चार) सहायक अधीक्षक को उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी के समकक्ष किया जाय,

(पांच) वैयक्तिक सहायक के कुल 26 पदों में से 6 पदों को निजी सचिवों के रूप में उच्चीकृत किया जाय और निजी सचिवों का वेतनमान बढ़ाया जाय,

(छः) लखनऊ स्थित वाद अधीक्षक के पद को जो 50 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन सहित रु0 350—700 के वेतनमान में है, रु0 500—1000 में उच्चीकृत किया जाय, जैसा कि इस पद के लिये इलाहाबाद में अनुमन्य है।

26.45 हमने महाधिवक्ता के कार्यालय के कर्मचारिवर्ग के बारे में उठाए गये विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया। इस कार्यालय के कर्मचारिवर्ग को पहले ही, जहां तक व्यवहार्य है, उच्च न्यायालय के कर्मचारिवर्ग के साथ समानता प्रदान की जा चुकी है। तथापि, इस कार्यालय के सभी पदों को उच्च न्यायालय के कर्मचारिवर्ग के साथ समानता नहीं दी गई है। इस कार्यालय में अवर वर्ग सहायक (लेखा) के सात पद रु0 280—460 के वेतनमान में हैं। यह मांग की गई है कि इलाहाबाद और लखनऊ में प्रत्येक कार्यालय के एक-एक पद को उच्चतर वेतनमान में उच्चीकृत किया जाय। इस समय लेखाकार के पद पर नियुक्ति के लिये कोई विशेष अर्हता निर्धारित नहीं की गयी है। हम महसूस करते हैं कि लेखाओं की समुचित देखभाल के लिये, इलाहाबाद और लखनऊ प्रत्येक में एक-एक पद 515—840 रु0 के वेतनमान में क्रमोन्नत किया जाय, परन्तु लेखाकार के लिये उपयुक्त अर्हतायें निधारित की जाय। अभिलेखपाल के 280-460 रु0 के वेतनमान में 16 पद इलाहाबाद में और छः पद लखनऊ में हैं। महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि इसकी पुर्नस रचना किये जाने की आवश्यकता है और अभिलेख अनुभागों के प्रभारी के लिये ऊंचे पद सृजन किये जांय। अभिलेख अनुभाग के प्रभारियों के लिये ऊंचे वेतनमान दिये जाने के लिये कोई औचित्य नही है। फिर भी, हम अभिलेख अनुभागों के प्रभारियों के लिये 30 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन की संस्तुति करते हैं।

26.46 पुस्तकालयाध्यक्ष के दो पद जो इलाहाबाद और लखनऊ प्रत्येक में एक-एक हैं, रु0 300-550 के वेतनमान में हैं। निर्धारित अर्हता पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा है। इस पद का वेतनमान और अर्हता अन्य पुस्तकालयाध्यक्षों के बारे में हमारी संस्तुतियों के अनुसार अवधारित की जायगी।

26.47 हम इस सुझाव से सहमत हैं कि लखनऊ और इलाहाबाद स्थित वाद अधीक्षकों का वेतनमान समान होना चाहिये। हम इलहाबाद और लखनऊ में नियुक्त वाद अधीक्षकों के लिये रू0 770—1600 के वेतनमान की संस्तुति करते हैं। तथापि, यह वेतनमान पदधारी को केवल तब ही अनुमन्य होगा यदि वह सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति चयन हेतु अपेक्षित ज्येष्ठता रखता हो।

26.48 महाधिवक्ता के कार्यालय में सहायक अधीक्षकों के 5 पद रु0 500-750 के वेतनमान में हैं। यह सुझाव दिया गया है कि उच्च न्यायालय के सादृश्य पर सहायक अधीक्षकों के पदों को अनुभाग अधिकारियों के पदों में परिवर्तित कर दिया जाय। चूंकि महाधिवक्ता के कार्यालय

के अधिकांश पद, उच्च न्यायालय के समान पदों के लिये अनुमन्य वेतनमान में हैं, हमें अधीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के संबंध में महाधिवक्ता के कार्यालय की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। सचिवालय के पैटर्न पर बहुत छोटे-छोटे अनुभाग महाधिवक्ता के कार्यालय जैसे संगठनों में दक्षतापूर्ण कार्य करने में सहायक नहीं होते हैं और इसी आधार पर राजस्व परिषद् में ऐसी ही प्रणाली को यथावत् रहने दिया गया है। इसलिये हम उनकी वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन किये जाने की संस्तुति नहीं करते। अधीक्षकों/सहायक अधीक्षकों की वर्तमान व्यवस्था बनी रहे।

26.49 इस अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायकों के 26 पद रु0 350—700 के वेतनमान में हैं और निजी सचिव का एक पद रू0 500—1000 के वेतनमान में है। निजी सचिव का पद महाधिवक्ता से सम्बद्ध है। सामान्यतया क्षेत्र में आशुलिपिकों के वेतनमान रु0 250—425, रु0 300—500 और कुछ मामलों में रु0 400—600 का सेलेक्शन ग्रेड है। महाधिवक्ता के संगठन में आशुलिपिकों को रु0 350—700 का उच्चतर वेतनमान कदाचित् इसलिये दिया गया है जिससे अत्यन्त दक्ष आशुलिपिक इस संगठन की ओर आकर्षित हो सकें। हम यह महसूस करते हैं कि महाधिवक्ता के कार्यालय में वैयक्तिक सहायकों का कार्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ तैनात निजी सचिवों/वैयक्तिक सहायकों के कार्य की अपेक्षा कुछ भिन्न प्रकृति का है तथापि हम सहमत हैं कि इस संगठन के वैयक्तिक सहायकों के लिये प्रोन्नति की कोई संभावनायें नहीं हैं। अतएव हम संस्तुत करते हैं कि वैयक्तिक सहायकों के 25 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जांय।

महा प्रशासक एवं राज्य न्यासी

26.50 महा प्रशासक एवं राज्य न्यासी एक अंशकालिक पदाधिकारी हैं। उन्हें रु0 550 प्रतिमास की नियत धनराशि दी जाती है। उसकी सहायता रु0 280—460 के वेतनमान में प्रधान सहायक, रु0 230—385 के वेतनमान में लेखाकार और अन्य सहायक लिपिकीय और समूह "घ" के कर्मचारि वर्ग द्वारा की जाती है। महा प्रशासक ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में अपने संगठन में नियुक्त कर्मचारियों के वेतनमानों का उच्च न्यायालय के लिपिक 'वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमानों के समकक्ष करने की मांग की। इस कार्यालय को उच्च न्यायालय के अंग के रूप में रखने या उच्च न्यायालय के समकक्ष रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह एक छोटा कार्यालय है और विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सामान्यतया संचालित कार्यालयों के साथ भी समानता दिये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है तथापि हम सामान्य पैटर्न पर इस कार्यालय के पदों के वेतनमानों को पुनरीक्षित कर रहे हैं।

विधि परामर्शी का कार्यालय

26.51 विधि परामर्शी के अधिष्ठान में रु0 1300—1600 के वेतनमान में एक उप सचिव एवं उप विधि परामर्शी, रु0 1000—1350 के वेतनमान में एक विशेष कार्याधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी रु0 650—1300 के वेतनमान में एक वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी (संसदीय), रु0 550—1200 के वेतनमान में एक शोध अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी (संसदीय), रु0 550—1200 के वेतनमान में एक सहायक सरकारी हस्तांतरक एवं सहायक विधि परामर्शी, रु0 500—1000 के वेतनमान में एक पुस्तकालयाध्यक्ष, रु0 500—1000 के वेतनमान में एक विशेष कार्याधिकारी (संसदीय), रु0 350—700 के वेतनमान में तीन शोध सहायक और एक प्रवर वर्ग सहायक और रु0 250—425 के वेतनमान में एक कैटेलागर है।

26.52 विधि परामर्शी ने आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में दृढ़तापूर्वक यह सुझाव दिया कि पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया जाय ताकि उसका वेतनमान सचिवालय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष को अनुमन्य वेतनमान के समान हो जाय। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शोध सहायक का वेतनमान प्रवर वर्ग सहायक के वेतनमान से कुछ उच्च किन्तु अनुभाग अधिकारी के वेतनमान से कम होना चाहिए। हमने "सामान्य कोटि के पद" के अध्याय में पुस्तकालयाध्यक्ष और कैटेलागर के वेतनमान के प्रश्न पर विचार किया है। शोध सहायक रु0 25 प्रतिमास के विशेष वेतन सहित रु0 350—700 के वेतनमान में हैं। हम संस्तुत करते हैं कि उन्हें रु0 625—1170 के वेतनमान में रखा जाय, किन्तु उन्हें कोई विशेष वेतन अनुमन्य नहीं होगा।

26.53 हम इस खण्ड के भाग-2 में विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमानों की संस्तुति कर रहे हैं।

निर्वाचन निदेशालय

26.54 न्याय सचिव राज्य का पदेन मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और उनकी सहायता रु0 1300—1600 के वेतनमान में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रु0 1000—1350 के वेतनमान में एक उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रु0 500—1000 के वेतनमान में एक सहायक निदेशक, निर्वाचन और अन्य सहायक कर्मचारि वर्ग द्वारा की जाती है।

26.55 निर्वाचन कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन तथा आयोग के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य में दृढ़तापूर्वक यह तर्क प्रस्तुत किया कि वेतनमान के विषय में उन्हें सचिवालय कर्मचारि वर्ग के समान वेतनमान दिये जायें। इस संबंध में उन्होंने यह बताया कि निर्वाचन निदेशालय पहले भी सचिवालय का एक अंग था और आज भी निर्वाचन संबंधी सचिवालय कार्य निदेशालय में किया जाता है। न्याय सचिव ने आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह बताया कि निर्वाचन निदेशालय सचिवालय का अंग नहीं था, किन्तु निर्वाचन

संबंधी सचिवालय कार्यों पर निदेशालय में कार्यवाही की जाती है।

26.56 हमने स्थिति का परीक्षण किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत सरकार के अधीन हैं और राज्य में समस्त निर्वाचन मशीनरी की देख-रेख करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस हैसियत में राज्य सरकार के अधीनस्थ नहीं हैं। निर्वाचन के संबंध में राज्य सरकार का कार्य निर्वाचन मशीनरी की सहायता करने, धनराशि की व्यवस्था करने और निर्वाचन के दिनांकों की औपचारिक अधिसूचनायें जारी करने आदि तक सीमित हैं। यदि निर्वाचन निदेशालय में सचिवालय के कार्य से संबंधित अधिसूचना, आदेश आदि के संबंध में कुछ प्रारम्भिक कार्य किया जाता है तो इससे निदेशालय को सचिवालय संगठन का स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता। नियोजन संस्थान के विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग के भी कतिपय औपचारिक सचिवालय कार्य हैं, किन्तु समस्त कार्य के सन्दर्भ में इसे विभागाध्यक्ष का कार्यालय समझा जाता है। हम इस सुझाव से सहमत होने में असमर्थ हैं कि निर्वाचन निदेशालय को सचिवालय का अंग समझा जाय या निदेशालय के कर्मचारियों के वेतनमान सचिवालय के कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर किया जाय।

26.57 हमने निदेशालय तथा अधीनस्थ निर्वाचन कार्यालयों के विभिन्न पदों के वेतनमानों का परीक्षण किया है। हम विभिन्न पदों के वेतनमानों में कोई असंगति नहीं पाते हैं और इस खण्ड के भाग-2 में पुनरीक्षित वेतनमानों तथा सेलेक्शन ग्रेड जहां कहीं आवश्यक हो, की संस्तुति कर रहे हैं।

अध्याय-सत्ताइस

सचिवालय प्रशासन, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

(1) उत्तर प्रदेश सचिवालय

राज्य सचिवालय का प्रमुख कार्य-नीति निर्धारण तथा उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने में सरकार की सहायता करना है। कुछ विशिष्ट प्रकार के निर्णयों के लिए आवश्यक तैयारी के सिलसिले में वह याददाश्त तथा क्लियरिंग हाउस का कार्य करता है तथा शासन के कृत्यों के सामान्य पर्यवेक्षक का कार्य करता है।

27.2 मोटे तौर पर राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) नीति निर्धारण में मंत्रियों और मंत्रि-परिषद की सहायता करना,

(ख) अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों का आलेख्य तैयार करना,

(ग) नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय,

(घ) निर्णयों के कार्यान्वयन का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण,

(च) बजट तैयार करना और व्यय पर नियंत्रण रखना,

(छ) भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों से संपर्क बनाये रखना।

संक्षेप में, सचिवालय प्रशासन तंत्र के सुचारु और दक्ष संचालन का पर्यवेक्षण करता है तथा कार्मिक एवं संगठन क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उपायों का सूत्रपात करता है।

27.3 प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में हाल के वर्षों में सचिवालय के आकार में पर्याप्त वृद्धि होने और नाना प्रकार के तथा अनावश्यक कार्यों के बढ़ जाने के संबंध में प्रतिकूल आलोचना की है। उसका यह विचार था कि "सचिवालय भारी और मंद गति से चलने वाले संगठन हो गये हैं जिनमें विलम्ब की प्रवृत्ति अनिवार्य है"। इस आयोग ने अपने ही स्तर पर उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों में वृद्धि के संबंध में शीघ्रता से अध्ययन किया और अपने विचारों से राज्य के मुख्य सचिव को अवगत कराया। उत्तर प्रदेश सचिवालय में 1-4-74 को अनुभाग अधिकारियों की कुल संख्या 276 थी जो 1-4-78 को बढ़कर 303 हो गई। प्रवर वर्ग सहायक/सन्दर्भ दाता/अवर वर्ग सहायक तथा टंकक की संख्या 1-4-69 को 2045 थी जो बढ़कर 1-4-74 को 2596 तथा 1-4-78 को 2705 हो गई। 1970—78 के दौरान लिपिक वर्ग के स्तर पर लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में सचिवालय में अधिकारियों की संख्या 1970 के 178 से बढ़कर 1974 में 272 तथा 1979 में 357 हो गई—जो कि लगभग शत प्रतिशत वृद्धि है। हमें बताया गया है कि सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है और अधिकारियों के स्तर पर नये पदों के सृजन पर रोक लगा दी है।

27.4 सचिवालय के समस्त कर्मचारी (सचिवालय राजपत्रित अधिकारियों सहित) मुख्य सचिव के नियंत्रण के अधीन हैं किन्तु अधिष्ठान कार्य की देखरेख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की जाती है। सचिवालय को भिन्न-भिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है जो शासन के संबंधित सचिवों के सीधे नियंत्रण में कार्य करती हैं। शाखाओं को भी छोटे-छोटे अनुभागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अनुभाग एक अनुभाग अधिकारी के अधीन होता है। सामान्यतया प्रत्येक अनुभाग में तीन से लेकर पांच प्रवर वर्ग सहायक होते हैं, इसके अतिरिक्त सन्दर्भदाता, अवर वर्ग सहायक, टंकक और चपरासी इत्यादि होते हैं। रु0 200—320 के वेतनमान में कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों के 51 पद, रु0 200—320 के वेतनमान में टंककों के 346 पद और रु0 230—385 के वेतनमान (चयन श्रेणी) में टंककों के 23 पद हैं। अवर वर्ग सहायकों का वेतनमान रु0 280—460 है और प्रवर वर्ग सहायकों का वेतनमान आ;रहे अस्थायी पदों के 10 प्रतिशत पद रु0 400—750 रु0 350—700 है और स्थायी तथा लगातार तीन वर्ष से चले की चयन श्रेणी के हैं। रु0 350—700 के वेतनमान में सन्दर्भदाता, लेखाकार, खजांची और अनुवादक/पुनरीक्षक भी हैं। विभिन्न विशिष्ट कार्यों के लिए कुछ अन्य पद हैं। रु0 400—750 के वेतनमान में कार्यरत एक प्रतिसार निरीक्षक के अधीन जो पुलिस संगठन का होता है प्रधान विधान भवन रक्षक के 11 पद और विधान भवन रक्षक के 156 पद हैं। उसकी सहायता के लिए 4 सब-इन्सपेक्टर हैं। इसी प्रकार रु0 300—550 के वेतनमान में द्वितीय अग्नि शमन अधिकारी के तीन पद हैं, लीडिंग फायर मैंन के तीन पद (रु0 200—320) तथा रु0 175—250 के वेतनमान में फायरमैंन के 36 पद हैं। टेलेक्स आपरेटर के 5 पद, टेलीप्रिंटर आपरेटर के 54 पद तथा टेलीफोन आपरेटर के 20 पद हैं। ये सभी पद रु0 200—320 के वेतनमान में हैं।

27.5 निजी सचिवों का एक पृथक संवर्ग है, विशेष श्रेणी के पद रु0 1300—1600 के वेतनमान में, निजी सचिव ग्रेड-1 रु0 1000—1350 के वेतनमान में, निजी सचिव सेलेक्शन ग्रेड-1 रु0 800—1100 निजी सचिव ग्रेड-2 रु0 500—1000 के वेतनमान में हैं। वैयक्तिक सहायक का मौलिक पद रु0 350—700 के वेतनमान का है जिसमें से स्थायी और लगातार तीन वर्ष से चले आ रहे पदों के 10 प्रतिशत पदों के लिए रु0 400—750 का सेलेक्शन ग्रेड है।

27.6 रु0 1000—1350 के वेतनमान में अभ्यर्थना अधिकारी, रु0 900—1600 के वेतनमान में मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी, रु0 1000—1350 के वेतनमान में सचिवालय पुस्तकाध्यक्ष, रु0 550—1200 के वेतनमान में शोध अधिकारी, रु0 800—1100 एवं रु0 500—1000 के वेतनमान में भाषा अधिकारी जैसे बिखरे पद हैं। रु0 500—1000 के वेतनमान में विशेष कार्याधिकारी के विभिन्न पद हैं, रु0 500—750 के वेतनमान में भण्डार अधीक्षक का एक पद है, रु0 25 प्रतिमास विशेष वेतन के साथ रु0 350—700 के वेतनमान में व्यवस्था अधिकारी के तीन पद तथा रु0 25 प्रतिमास विशेष वेतन के साथ रु0 280—460 के वेतनमान में व्यवस्थापक के 11 पद हैं। रु0 400—750 तथा रु0 280—460 के वेतनमान में क्रमशः शोध अधिकारी और कनिष्ठ शोध सहायक के पद हैं। रु0 350—700 के वेतनमान में प्रभारी लेखन सामग्री अनुभाग का एक पद है तथा रु0 250—425 के वेतनमान में एक पद व्यवस्थापक (विविध) का है।

27.7 सचिवालय में सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनुसचिव विभिन्न सेवाओं से लिए जाते हैं। इस समय संयुक्त सचिव के तीन पद, उप सचिव के 16 पद तथा अनुसचिव के 56 पद सचिवालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं। अन्य पद सामान्यतया प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा और कुछ मामलों में विभागीय अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं।

27.8 आयोग को सचिवालय के विभिन्न सेवा संघों से बहुत बड़ी संख्या में ज्ञापन तथा प्रश्नावलियों के उत्तर भी प्राप्त हुए हैं। उनकी मुख्य मांगें/सुझाव संक्षेप में नीचे दिये गये हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा राजपत्रित अधिकारी संघ

(1) प्रवर वर्ग सहायक के स्तर से लेकर संयुक्त सचिव तक के स्तर के सभी पदों के लिए रु0 800—4000 का एक अबाध वेतनमान रखा जाय। विकल्प स्वरूप विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमान दिये जांय—

क्र0 सं0	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रस्तावित वेतनमान (रु0)
1	अनुभाग अधिकारी	500—1000	वही वेतनमान दिया जाय जो रु0 550—1200 के वर्तमान वेतनमान के लिए पुनरीक्षित किया जाय।
2	अनु सचिव	1000—1350	वही वेतनमान दिया जाय जो कि रु0 800—1450 के वर्तमान वेतनमान के लिए पुनरीक्षित किया जाय।
3	उप सचिव	1300—1600	वही वेतनमान दिया जाय जो कि रु0 1400—1800 के वर्तमान वेतनमान के लिए पुनरीक्षित किया जाय।
4	संयुक्त सचिव	1600—2000	वेतनमान इस प्रकार बनाया जाय ताकि पदधारी अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच जांय।

(2) विशेष सचिव तथा सचिव के कुछ पद सचिवालय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षित किये जांय,

(3) ज्येष्ठ शोध अधिकारी के पद अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जांय,

(4) अनु सचिव के पदों की संख्या में केन्द्रीय सचिवालय के प्रतिरूप के आधार पर वृद्धि की जाय और उप सचिव तथा संयुक्त सचिव के 50 प्रतिशत पद सचिवालय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षित किये जांय।

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय निजी सचिव संघ

(1) निजी सचिवों के वेतनमान सचिवालय के अन्य संवर्गों के समान किये जांय,

(2) सचिवालय सेवाओं को अन्य सेवाओं से ऊपर रखा जाय,

(3) दक्षता रोक दक्षता प्रोत्साहन के प्रतिकूल कार्य करता है, अतः इसे समाप्त किया जाय,

(4) वृद्धि अवरोध को रोकने के लिये एक अबाध वेतनमान दिया जाय।

(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ

(1) 1 जनवरी, 1980 को आधार मानकर तब तक की मूल्यवृद्धि के कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्णतया समाप्त करते हुए विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमान दिये जांय—

पद	वर्तमान वेतनमान (रु0)	प्रतिस्थापित वेतनमान रु0
1 टंकक	200—320	450—30—600 ई0 आई0 —40—720
2 नैत्यक श्रेणी लिपिक		
3 टाइपराइटर मैकेनिक		
4 टेलीफोन मानीटर	230—385	
5 टेलीफोन आपरेटर	200—320	
6 अवर वर्ग सहायक		550—40—750—ई0 आई—60—950
7 व्यवस्थापक	280—460	
8 सूचीकार (कैटालागर)		
9 प्रवर वर्ग सहायक		
10 सन्दर्भदाता		
11 बजट सहायक	350—700	
12 लेखाकार/अतिरिक्त लेखाकार/खजांची		
13 व्यवस्था अधिकारी		800—55—1075—ई0 आई0—70—1425
14 खजांची, सचिवालय प्रशासन विभाग (लेखा)		
15 शोध सहायक	400—750	
16 भण्डार अधीक्षक	500—750	
17 अनुभाग अधिकारी		1100—100—1600—ई0 आई0—120—2200
18 भाषा अधिकारी	500—1000	
19 प्रकाशन अधिकारी		
20 स्वागत अधिकारी		
21 उप-पुस्तकालयाध्यक्ष (450—850)		
22 अनुसचिव		
23 अभ्यर्थना अधिकारी		
24 पुस्तकालयाध्यक्ष	1000—1350	2000—125—2625
25 उप-सचिव	1300—1600	2600—125—3225
26 मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी	900—1600	
27 संयुक्त सचिव	1600—2000	3000—200—4000
सैलेक्शन ग्रेड		
खजांची एवं लेखाकार		
प्रवर वर्ग सहायक/सन्दर्भदाता	400—750	900—70—1250—ई0 आई0—80—1650
अनुभाग अधिकारी	800—1100	1600—120—2200—ई0 आई0—125—2450

(2) प्रवर वर्ग सहायक और अनुभाग अधिकारी के पदों पर वृद्धि अवरोध है। एक प्रवर वर्ग सहायक को अनुभाग अधिकारी के पद पर पहली पदोन्नति 17 वर्ष की सेवा के बाद होती है। इसी प्रकार अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव बनने के लिए 10 से 12 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। इस वृद्धि अवरोध को दूर करने के लिए एक अबाध वेतनमान बनाया जाय और सचिवालय का केन्द्रीय सचिवालय के प्रतिरूप के आधार पर पुनर्गठन किया जाय।

(3) प्रवर वर्ग सहायकों को शोध अधिकारियों/ज्येष्ठ शोध अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किया जाय।

(4) उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक संघ

(1) वैयक्तिक सहायकों को वही वेतनमान दिया जाय जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को दिया जाय।

(2) प्रोन्नति के सीमित अवसर होने के कारण वैयक्तिक सहायक के पदों पर वृद्धि अवरोध है। इस को समाप्त करने के लिए रु0 900—2700 का एक अबाध वेतनमान दिया जाय। हिन्दी और अंग्रेजी आशुलेखन जानने वाले वैयक्तिक सहायकों को रु0 150 प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जाय।

(3) जन सम्पर्क अधिकारियों के पद वैयक्तिक सहायकों के संवर्ग से भरे जांय।

(4) वैयक्तिक सहायकों को सवारी भत्ता दिया जाय क्योंकि इनको प्रायः उन मंत्रियों/अधिकारियों के आवासों पर जाना पड़ता है जिनसे वे सम्बद्ध रहते हैं।

(5) वृत्तलेखन भत्ता 3 रु0 और 4 रु0 से बढ़ाकर भारत सरकार के प्रतिरूप के आधार पर रु0 40 प्रति बैठक कर दिया जाय।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक संघ

(1) प्रवर वर्ग सहायकों को रु0 800—1450 का वेतनमान दिया जाय और कुल पदों के 50 प्रतिशत पदों पर रु0 900—1600 का चयन श्रेणी का वेतनमान दिया जाय।

(2) प्रवर वर्ग सहायक के वेतनमान की कालावधि 15 वर्ष से अधिक न रखी जाय और पंचवार्षिक दक्षतारोक रखी जाय।

(3) नगर प्रतिकर भत्ता रु0 1500 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी सरकारी सेवकों को अनुमन्य हो।

(4) सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के 10 प्रतिशत के आधार पर आवास की व्यवस्था करानी चाहिए। उनको हायर पर्चेज के आधार पर भी मकान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय टंकक संघ

(1) सचिवालय के टंककों को उत्तर प्रदेश अराजपत्रित सेवा नियमावली 1942 में सम्मिलित किया जाय।

(2) टंककों के लिए अवर वर्ग सहायकों के 80 प्रतिशत पद आरक्षित करके पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जायं और जिन्होंने अवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप से तीन वर्ष तक सेवा की हो, उनकी सेवायें विनियमित की जांय।

(7) उत्तर प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन के 10 प्रतिशत की दर से नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाय,

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 100 प्रतिमास की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाय, यदि उनके लिए सरकारी आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है,

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के और अधिक अवसर दिये जांय।

(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 30 प्रतिमास की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाय,

(5) धुलाई भत्ता रु0 2 प्रतिमास से बढ़ाकर रु0 10 प्रतिमास किया जाय,

(6) न्यूनतम वेतन 550 रु0 प्रतिमास नियत किया जाय।

(8) विधान भवन रक्षक संघ

(1) निम्नलिखित वेतनमान दिये जांय—

क्र0 सं0	पद का नाम	मांगा गया वेतनमान (रु0)
1	रक्षक	320—15—550
2	प्रधान रक्षक	350—25—650 तथा ज्येष्ठ प्रधान रक्षक को रु0 25 प्रतिमास विशेष वेतन
3	लीडिंग फायरमैन	350—25—650
4	सब इन्सपेक्टर (उप-निरीक्षक)	425—30—750
5	फायर सेकेन्ड आफिसर (द्वितीय अग्निशमन अधिकारी)	

(2) साइकिल/चिकित्सा/परेड/धुलाई साज सज्जा (आउटफिट) भत्ता प्रत्येक के लिये रु0 30 प्रतिमास की दर से दिया जाय। इसी प्रकार एक वर्ष में एक मास का वेतन अतिरिक्त ड्यूटी भत्ते के रूप में दिया जाय।

(3) पुलिस विभाग के प्रतिनियुक्ति अग्निशमन सेवा के कार्मिक अपने मूल विभाग को वापस भेजे जांय और द्वितीय अग्निशमन अधिकारी (फायर सेकेन्ड आफिसर) तथा उप-निरीक्षक के पद प्रमुख फायरमैन और रक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जांय।

27.9 हमें भाषा विभाग के कर्मचारियों से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त विभाग के विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमान का सुझाव दिया गया है :—

क्र0 सं0	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान (रु0)	प्रस्तावित वेतनमान
1	अनुवादक	350—700	वह वेतनमान जो प्रवर वर्ग सहायक को दिया जाय।
2	पुनरीक्षक	350—700 (रु0 20 प्रतिमास का विशेष वेतन)	तदैव (50 रु0 प्रतिमास का विशेष वेतन)
3	अनुभाग अधिकारी	500—1000	वह वेतनमान जो अनुसचिव को दिया जाय।
4	भाषा अधिकारी	500—1000	
5	भाषा अधिकारी (सामान्य)	800—1100	वह वेतनमान जो उप-सचिव को दिया जाय।

27.10 हिन्दी टंकन तथा आशुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र आगरा में तैनात अनुदेशक ने भी जिला मजिस्ट्रेट/भाषा विभाग के माध्यम से हमें एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उसने अपने पद के वर्तमान वेतनमान रु0 300—500 के स्थान पर रु0 425—750 के वेतनमान की मांग की है।

27.11 हमें सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग से एक टिप्पणी प्राप्त हुई है जिसमें विभिन्न पदों के वेतनमान आदि के संबंध में उनकी संस्तुतियां दी गई हैं। उनके द्वारा सुझाये गये वेतनमान निम्नलिखित चार्ट में प्रदर्शित किये गये हैं—

क्र0 सं0	पद	वर्तमान वेतनमान रु0	प्रस्तावित वेतनमान जो पुनरीक्षित वेतनमान का आधार होंगे रु0
1	2	3	4
1	अनुभाग अधिकारी	500—1000	550—1200
2	अनुसचिव	1000—1350	800—1450
3	उप-सचिव	1300—1600	1400—1800
4	संयुक्त सचिव	1600—2000	1950—2250
5	(1) निजी सचिव (विशेष श्रेणी)	1300—1600	1400—1800
	(2) निजी सचिव (श्रेणी-1)	1000—1350	800—1450
	(3) निजी सचिव (श्रेणी-2)	500—1000	550—1200
6	अभ्यर्थना अधिकारी	1000—1350	800—1450
7	(1) भाषा अधिकारी (सामान्य)	800—1100	650—1300
	(2) भाषा अधिकारी (3) भाषा अधिकारी (उर्दू)	500—1000	550—1200
8	प्रकाशन अधिकारी तथा मुख्य कोषाध्यक्ष सचिवालय प्रशासन (लेखा) विभाग	500—1000	550—1200

1	2	3	4
		रु0	रु0
9	मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी	900—1600	1400—1800
10	शोध अधिकारी	550—1200	650—1300
11	पुस्तकाध्यक्ष, सचिवालय पुस्तकालय	1000—1350	800—1450
12	अधीक्षक भण्डार	500—750	550—1200
13	व्यवस्था अधिकारी	350—700 (रु0 25 प्रतिमास) विशेष वेतन)	550—1200
	अराजपत्रित पद		
1	प्रवर वर्ग सहायक	350—700	450—950
2	अवर वर्ग सहायक	280—460	300—500
3	निदेश लिपिक	350—700	450—950
4	अनुवादक/पुनरीक्षक	350—700 (पुनरीक्षक के लिए 20 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन)	वेतनमान वही रहे जो प्रवर वर्ग सहायकों का हो । विशेष वेतन की धनराशि 20 रु0 से बढ़ाकर रु0 50 प्रति माह की जाय ।
5	वैयक्तिक सहायक	350—700	वेतनमान प्रवर वर्ग सहायकों के बराबर रहे ।
6	लेखाकार /अपर लेखाकार, बजट सहायक, लेखाकार, एवं खजान्ची	350—700	वेतनमाम प्रवर वर्ग सहायकों के वेतनमान के बराबर रहे ।
7	रिजर्व इन्सपेक्टर	400—750 40 रु0 विशेष वेतन 50 रु0 स्कूटर भत्ता	वेतनमान पुलिस लाइन निरीक्षक के वेतनमान के बराबर इसके अतिरिक्त 75 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जाय ।
8	सब इन्सपेक्टर	300—500	पुलिस सब इन्सपेक्टर के बराबर ।
9	(1) विधान भवन प्रधान रक्षक	185—265 एक पद पर 15 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन तथा तीन पदों पर रु0 5 का परेड भत्ता	वेतनमान पुलिस हेड कान्सटेबिल तथा पुलिस कान्सटेबिलों के वेतनमान के बराबर रहे ।
	(2) विधान भवन रक्षक	175—250	

1	2	3 (रु0)	4
10	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी (फायर सेकेंड अफसर)	300—550	वेतनमान पुलिस सब इन्सपेक्टर के वेतनमान के बराबर ।
11	लीडिंग फायरमैंन फायरमैंन	200—320 175—250	वेतनमान पुलिस अग्निशमन विभाग के लीडिंग फायरमैंन तथा फायरमैंन के वेतनमानों के बराबर ।
12	व्यवस्थापक	280—460 25 रु0 प्रतिमाह का विशेष वेतन	वही वेतनमान जो प्रवर वर्ग सहायकों को दिया जाय तथा साथ-साथ वर्तमान विशेष वेतन ।
13	प्रभारी, लेखन सामग्री अनुभाग	350—700	वही वेतनमान जो प्रवर वर्ग सहायकों को दिया जाय ।
14	व्यवस्थापक (विविध)	250—425	अधीक्षक (भण्डार) के वेतनमान के बराबर ।
15	टंकक (चयन श्रेणी)	200—320 230—385	250—425 रुपया ।
16	टेलेक्स आपरेटर, टेलीप्रिंटर, आपरेटर तथा टेलीफोन आपरेटर	200—320	टंकक के वेतनमान के बराबर ।
17	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक फेसिट कैलकुलेटर	200—320	अन्य कार्यालयों में मिलते जुलते पदों के वेतनमान के बराबर ।
18	सहायक स्टोरकीपर	230—385	अवर वर्ग सहायकों के वेतनमान के बराबर ।
19	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष	450—850	अनुभाग अधिकारी के वेतनमान के बराबर ।
20	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	350—700	वही वेतनमान जो प्रवर वर्ग सहायकों को दिया जाय ।
21	सूचीकार	280—460	वेतनमान जो अवर वर्ग सहायकों को दिया जाय ।
22	टाइपराइटर मैकेनिक	230—385	300—500
23	सहायक टाइप राइटर मैकेनिक	185—265	280—460

1	2	3	4
		रु0	रु0
24	शोध सहायक	400—750	400—750
25	टेलीफोन मानीटर	230—385	300—550
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
1	जमादार, फराशि, लिफ्टर, जमादार स्वीपर, जमादार, जनीटर	170—225	वेतनमान उस वेतनमान से ऊंचा रखा जाय जो वर्तमान वेतनमान रु0 165—215 के स्थान पर दिया जाय ।
2	बढ़ई, रिकार्ड लिफ्टर, प्रिंटर, शिक्षित दफ्तरी, जिल्दसाज	170—225	वेतनमान जमादार, फराश जमादार एवं स्वीपर जमादार के वेतनमान से ऊंचा रहे ।
3	मोटर साइकिल चालक, मोटर चालक, चालक एवं पम्प परिचर	175—250 185—265 200—320	अन्य विभागों में इसी प्रकार के पदों के लिए जो वेतनमान दिया जाय ।
4	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	175—250	वह वेतनमान जो वर्तमान वेतनमान रु0 185—265 को पुनरीक्षित करके दिया जाय ।

27.12 आयोग को अलग से भेजी गई एक टिप्पणी में सचिव, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) ने प्रभारी, लेखन सामग्री अनुभाग को 100 रु0 प्रतिमाह के विशेष वेतन की सिफारिश की है तथा यह भी सुझाव दिया कि कन्ट्रोल पोस्ट के निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के समक्ष अंकित धनराशि का विशेष वेतन दिया जाय ।

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	विशेष वेतन की धनराशि (रु0)
1	अनुभाग अधिकारी	4	100 प्रतिमाह
2	टैलेक्स आपरेटर	4	40 प्रतिमाह
3	टंकक	4	40 प्रतिमाह
4	मोटर साइकिल चालक	3	30 प्रतिमाह
5	चपरासी	5	30 प्रतिमाह

27.13 सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान) द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि मुख्य सचिव तथा गृह सचिव से सम्बद्ध दो ड्राइवरों को राज्य-सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ड्राइवरों की भांति (मंत्रियों से सम्बद्ध चालकों को रु0 50 और अन्य से सम्बद्ध चालकों को रु0 30 विशेष वेतन दिया जाय ।

27.14 हमने सेवा संघों तथा सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान) द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मांगों/सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया । सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव के साथ भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की । हम इसके बाद अधिक महत्वपूर्ण विन्दुओं पर विचार कर रहे हैं ।

टंकक/कनिष्ठ श्रेणी लिपिक

27.15 इन पदों का वेतनमान वही है जो समस्त कार्यालयों में समरूप पदों के लिए अनुमन्य है । अतः उनके वेतनमानों के संबंध में यहां पर हम अलग से कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं । इस समय अवर वर्ग सहायकों के समस्त पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । सचिवालय में रु0 200—320 के वेतनमान में टंककों तथा कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों का पृथक संवर्ग होने से

यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनके लिए भी पदोन्नति के कुछ अवसर उपलब्ध कराये जांय। हमारा यह भी विचार है कि अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सचिवालय सेवा में अवर वर्ग सहायक के स्तर पर प्रवेश करने के कुछ अवसर प्रदान किये जाने चाहियें। हमारी सिफारिश है कि :—

(1) अवर वर्ग सहायक के 40 प्रतिशत पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जांय,

(2) अवर वर्ग सहायक के 35 प्रतिशत पद अधीनस्थ कार्यालयों में (उन कार्यालयों को छोड़कर जहां वेतनमान सचिवालय के वेतनमान के समान अनुमन्य है) कार्यरत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर भरे जांय परन्तु पदधारी स्नातक हो और किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्ग के संवर्ग में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। अभ्यर्थी को आयु में पांच वर्ष तक की छूट दी जाय,

(3) अवर वर्ग सहायकों के 25 प्रतिशत पद टंककों, कनिष्ठ श्रेणी लिपिकों तथा रु0 354—550 और रु0 400—615 के वेतनमान में सचिवालय में कार्यरत अन्य लिपिक वर्ग के पदों में से प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर भरे जायं।

(4) टंककों के 10 प्रतिशत पद चयन श्रेणी में उसी प्रकार बने रहेंगे जैसा कि इस समय अनुमन्य है।

अवर वर्ग सहायक

27.16 प्रवर वर्ग सहायकों के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और शेष 50 प्रतिशत पद अवर वर्ग सहायकों की पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं। प्रवर वर्ग सहायकों के संवर्ग में कुल पदों की संख्या 1207 है (जिसमें चयन श्रेणी भी सम्मिलित है) और अवर वर्ग सहायकों के पदों की कुल संख्या 820 है। यहां लेखाकारों, खजांचियों तथा सन्दर्भदाता के भी पद हैं जो शत प्रतिशत अवर वर्ग सहायकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस प्रकार अवर वर्ग सहायकों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हैं।

प्रवर वर्ग सहायक

27.17 प्रवर वर्ग सहायक के 1207 पद हैं जबकि 304 पद अनुभाग अधिकारी के, 56 पद अनुसचिव के, 16 पद उप सचिव के और 3 पद संयुक्त सचिव के हैं। पदोन्नति की कुल सम्भावनायें 30 प्रतिशत से कुछ ही अधिक हैं। प्रवर वर्ग सहायक सचिवालय के लिपिक वर्ग का मूल कर्मचारी है। उसी के स्तर पर पत्रावलियों में सभी टिप्पणियां और आलेख्य प्रारम्भ किये जाते हैं। उसे राज्य लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा में मुकाबला करना पड़ता है और इसलिए उसे अपने भविष्य में पर्याप्त उन्नति करने [illegible] आशा रखना स्वाभाविक है। अतः हमारा विचार है [illegible] सचिवालय प्रवर वर्ग सहायकों को निराशा और उपेक्षा [illegible] अनुभव नहीं करना चाहिए। हम सिफारिश करते हैं [illegible] प्रवर वर्ग सहायक के 15 प्रतिशत पद चयन श्रेणी के लिए [illegible] जांय।

अनुभाग अधिकारी

27.18 सचिवालय में अनुभाग अधिकारी अपने अनु[illegible]भाग में कार्य के सुचारु संचालन और पत्रावलियां/निर्दे[illegible] का यथा समय निस्तारण के लिए उत्तरदायी होता है। इ[illegible] समय स्थायी अनुभाग अधिकारियों के 10 प्रतिशत पद चय[illegible] श्रेणी में हैं। चूंकि उच्चतर पदों की संख्या बहुत सीमि[illegible] है, इसलिए हमारी सिफारिश है कि अनुभाग अधिकारिय[illegible] के 15 प्रतिशत पदों को सामान्य शर्तों के अधीन चयन श्रेण[illegible] में रखा जाय। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि उ[illegible] पदों को छोड़कर जिनके लिए प्राविधिक अथवा उच्च शैक्षि[illegible] अर्हता की आवश्यकता हो, सचिवालय में विशेष कार्याधिकार[illegible] शोध अधिकारी, ज्येष्ठ शोध अधिकारी जैसे अन्य पद अनुभा[illegible] अधिकारियों को पदोन्नति के पद के रूप में उपलब्ध करा[illegible] जांय। हमारी यह भी सिफारिश है कि उपयुक्त प्रवर व[illegible] सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों को सार्वजनिक उपक्रमों [illegible] निगमों में उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करने पर विचा[illegible] किया जाय।

27.19 सचिवालय अधिकारी संघ तथा सचिवाल[illegible] प्रशासन विभाग के सचिव ने सचिवालय के अधिकारियों क[illegible] कुल संख्या में सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए औ[illegible] अधिक अंश रखने पर बल दिया। हमारा विचार है [illegible] सचिवालय के अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहि[illegible] ताकि वे अपना उत्कृष्ट योगदान दे सकें। उन्हें सचिवाल[illegible] के विभिन्न विभागों की कार्य-प्रणाली का दीर्घकालीन और नान[illegible] प्रकार का अनुभव रहता है और नियमों, विनियमों, दृष्टान्त[illegible] इत्यादि के संबंध में स्मरण शक्ति के भण्डार (Memory Book) के रूप में कार्य करते हैं। वस्तुतः अच्छे अनुभा[illegible] अधिकारियों के सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लि[illegible] उन्हें प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के संबंध में हम सिफारि[illegible] करते हैं कि—

(1) अनुसचिव, उप-सचिव तथा संयुक्त सचिव [illegible] पद के लिए कठोर चयन प्रक्रिया होनी चाहिए।

(2) यद्यपि सचिवालय में अधिकारियों के पदों की कुल संख्या में वृद्धि न की जाय तथापि सचिवालय में अधिकारियों की उपयोगिता में सुधार किया जा[illegible] तथा विभिन्न स्तर पर अधिकारियों के कृत्यों औ[illegible] उत्तरदायित्वों को और अधिक युक्तियुक्त बनाया जा[illegible] तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाय।

(3) विशेष कार्याधिकारी, शोध अधिकारी तथ[illegible] ज्येष्ठ शोध अधिकारी जैसे पदों को जिनके लिए विशे[illegible]

अर्हतायें अपेक्षित न हों, यथा सम्भव, अनुसचिव/उप-सचिव के पदों में परिवर्तित कर दिया जाय और उन्हें सचिवालय सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाय। केवल पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने के लिए किसी संवर्ग के पदों की संख्या में वृद्धि करने के पक्ष में हम नहीं हैं। इसी सन्दर्भ में हमारी सिफारिश है कि विशेष कार्याधिकारी, शोध अधिकारी और ज्येष्ठ शोध अधिकारी के विभिन्न पदों को सचिवालय के नियमित पदों में परिवर्तित कर दिया जाय ताकि सचिवालय अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हो सके और सचिवालय के अधिकारियों की कुल संख्या में अभिवृद्धि भी न हो।

(4) सचिवालय संवर्ग से उप-सचिव और अनुसचिव के पदों का अनुपात किसी विशिष्ट समय में उप-सचिव और अनुसचिव की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए 1:3 होना चाहिए।

(5) सचिवालय संवर्ग से संयुक्त सचिव के पदों की संख्या को तीन से बढ़ाकर पांच अथवा सचिवालय सेवा के उप-सचिव के पदों की संख्या का 25 प्रतिशत इनमें जो भी अधिक हो, कर दिया जाय।

27.20 सचिवालय सेवा में उपलब्ध संयुक्त सचिव के पदों की संख्या में प्रस्तावित वृद्धि नाम मात्र की है और सचिवालय में संयुक्त सचिवों की वर्तमान स्वीकृत संख्या में अन्तर्विभागीय समायोजन द्वारा उनके लिए व्यवस्था करना संभव होना चाहिए। हमें आशा है कि इस व्यवस्था से सचिवालय सेवा के अधिकारियों की न्याय-संगत शिकायतों का निवारण हो जायेगा और इससे सचिवालय में विभिन्न सेवाओं के प्रतिनिधित्व के वर्तमान समीकरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27.21 सचिवालय सेवा संघ ने यह तर्क दिया कि अनुभाग अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी का वेतनमान दिया जाना चाहिए। हम प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के वेतनमानों का वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। हमने सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों और अन्य संवर्गों के लिए उपयुक्त वेतनमान का सुझाव दिया है।

निजी सचिव तथा वैयक्तिक सहायक

27.22 वैयक्तिक कर्मचारिवर्ग के 545 पद हैं जिनमें रु0 350—700 के वेतनमान में 404 वैयक्तिक सहायक रु0 400—750 (चयन श्रेणी) के वेतनमान में 30 वैयक्तिक सहायक, रु0 500—1000 के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी के 86 निजी सचिव, रु0 800—1100 के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी (चयन श्रेणी) के 6 निजी सचिव, रु0 1000—1350 के वेतनमान में प्रथम श्रेणी के 16 निजी सचिव तथा रु0 1300—1600 के वेतनमान (विशेष श्रेणी) में तीन निजी सचिव हैं। इनमें से एक पद उप सचिव के पद में परिवर्तित कर दिया गया है।

27.23 वैयक्तिक सहायक संघ और निजी सचिव संघ ने तर्क दिया है कि उनके लिए पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। इस समय 545 पदों में से केवल 141 पद ही उच्चतर वेतनमान में हैं जिनमें चयन श्रेणी के पद भी सम्मिलित हैं। मोटे तौर पर संवर्ग के लगभग 25 प्रतिशत पद पदोन्नति के लिए हैं। सचिवालय के लिए निजी सचिवों और वैयक्तिक सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्य के महत्व से हम अवगत हैं। हमने 'सामान्य कोटि के पद' के अध्याय में पहले ही सिफारिश की है कि द्विभाषी आशुलिपिकों को रु0 25 प्रतिमास की दर से विशेष वेतन दिया जाय। यह सुविधा सचिवालय में वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों के उन पदों पर भी उपलब्ध रहेगी जिन पदों को यह समझा जाय कि उन पर अंग्रेजी आशुलेखन का ज्ञान और प्रयोग आवश्यक है। हम सिफारिश करते हैं कि—

(1) वैयक्तिक सहायक के कुल पदों के 15 प्रतिशत पद चयन श्रेणी में रखे जायं,

(2) निजी सचिव द्वितीय श्रेणी के पदों की संख्या वैयक्तिक सहायक के पदों की संख्या का 25 प्रतिशत हो,

(3) निजी सचिवों, द्वितीय श्रेणी के कुल पदों के 10 प्रतिशत पद चयन श्रेणी में रखे जायं,

(4) निजी सचिव प्रथम श्रेणी की संख्या निजी सचिव द्वितीय श्रेणी के पदों का 20 प्रतिशत हो,

(5) निजी सचिव, चयन श्रेणी के पदों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच कर दी जाय।

(6) इस संवर्ग के विभिन्न पदों के वेतनमान सचिवालय सेवा के विभिन पदों के वेतनमान समान बनाया जाय।

उपर्युक्त आधार पर भिन्न-भिन्न श्रेणियों के वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों का विभाजन निम्न प्रकार से किया जायः—

1—वैयक्तिक सहायक (साधारण ग्रेड)	353
2—वैयक्तिक सहायक (सेलेक्शन ग्रेड)	62
3—निजी सचिव (ग्रेड-1) (साधारण ग्रेड)	94
4—निजी सचिव-ग्रेड-2 (सेलेक्शन ग्रेड)	10
5—निजी सचिव ग्रेड-1	21
6—निजी सचिव-स्पेशल ग्रेड	5
योग	545

रिपोर्टिंग भत्ता

27.24 दो भाषाओं तथा एक भाषा के रिपोर्टरों को क्रमशः 3 रु0 और दो रुपये प्रतिघण्टे की दर से रिपोर्टिंग भत्ता अनुमन्य है। हम दो भाषाओं और एक भाषा में

रिपोर्टिंग करने के लिये प्रथम घण्टे के लिये क्रमशः 5 रु0 और 4 रु0 की दर से तथा अनुवर्ती घंटों के लिये 4 रु0 और 3 रु0 की दर से रिपोर्टिंग भत्ता देने की सिफारिश करते हैं।

विधान भवन रक्षक

27.25 सचिवालय अधिष्ठान की सुरक्षा शाखा में रुपये 400—750 के वेतनमान में पुलिस दल का एक रिजर्व इन्सपेक्टर होता है। अपने वेतनमान के अतिरिक्त वह रु0 50 प्रतिमास विशेष वेतन और रु0 50 प्रतिमास सवारी भत्ता पाने का हकदार है। हमने पुलिस इन्सपेक्टर के लिये जिस वेतनमान की सिफारिश की है वही वेतमान (वर्दी भत्ता तथा साज-सज्जा अनुरक्षण भत्ता सहित) इस पद के सम्बन्ध में भी लागू होगा। विशेष वेतन और सवारी भत्ते की दर को हम उचित समझते हैं और उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। रु0 300—550 के वेतनमान में सब-इन्सपेक्टर के चार पद हैं। ये पद सचिवालय सुरक्षा रक्षकों/प्रधान रक्षकों के लिए पदोन्नति के पद हैं। प्रधान सुरक्षा रक्षक रु0 185—265 के वेतनमान में हैं जिसमें एक पद पर 15 रुपये का विशेष वेतन और तीन पदों पर 5 रु0 प्रतिमास का परेड भत्ता अनुमन्य है। विधान भवन रक्षकों के 156 पद रु0 175—250 के वेतनमान में हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव ने तर्क दिया है कि इनको कान्स्टेबिल और हेड कान्स्टेबिल के समकक्ष माना जाय और उसी वेतनमान में रखा जाय तथा कान्स्टेबिल तथा हेड कान्स्टेबिलों को जो अन्य सुविधायें अनुमन्य हों वही सुविधायें इन्हें भी दी जायें। हमने इस स्थिति का परीक्षण किया। आबकारी कानिस्टेबिलों/हेड कानिस्टेबिलों, जेल वार्डरों/प्रधान वार्डरों के सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि यद्यपि इनका कार्य महत्वपूर्ण है फिर भी इनके कार्य को पुलिस के कानिस्टेबिलों तथा हेड कानिस्टेबिल के कार्य के समान नहीं माना जा सकता। विधान भवन रक्षकों/प्रधान रक्षकों के मामले में भी हमारा यह विचार है कि इनके कार्य को पुलिस दल के कानिस्टेबिलों/हेड कानिस्टेबिलों के बराबर नहीं माना जा सकता। किन्तु हम इस बात को मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में उनका कार्य बहुत कठिन हो गया है और इसलिए हम यह सिफारिश करते हैं कि :—

(1) विधान भवन रक्षकों को रु0 325—495 के वेतनमान में रखा जाय।

(2) प्रधान विधान भवन रक्षकों को रु0 354—550 के वेतनमान में रखा जाय।

(3) विधान भवन प्रधान रक्षक के एक पद पर इस समय अनुमन्य रु0 15 प्रतिमास का विशेष वेतन बना रहने दिया जाय।

(4) परेड भत्ता रु0 5 प्रतिमास से बढ़ाकर रु0 10 कर दिया जाय।

(5) विधान भवन रक्षक के साधारण ग्रेड के 20 प्रतिशत पदों को संलेक्शन ग्रेड में रखा जाय।

अग्निशमन सेवा

27.26 उत्तर प्रदेश सचिवालय का अपना अग्निशमन संगठन है। इसमें द्वितीय अग्निशमन अधिकारी (फायर सेकेन्ड आफिसर) के तीन पद हैं जो पुलिस अग्नि शमन सेवा के हैं। रिजर्व इन्स्पेक्टर (सुरक्षा) सचिवालय अग्नि शमन सेवा का भी समग्ररूप से प्रभारी है। यहां रु0 200—320 के वेतनमान में लीडिंग फायरमैन के 8 पद हैं और रु0 175—250 के वेतनमान में फायर मैन के 36 पद हैं। इस सम्बन्ध में सेवा संघ ने दो सुझाव दिये हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश सचिवालय अग्निशमन इकाई के पदों को वही वेतनमान दिया जाय जो पुलिस विभाग के तत्स्थानी कार्मिकों को अनुमन्य है।

(2) द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के पद सचिवालय के लीडिंग फायरमैन/फायरमैन में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं।

27.27 हमने स्थिति का परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सचिवालय की अग्निशमन इकाई की तुलना उत्तर प्रदेश पुलिस अग्निशमन सेवा से नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश पुलिस अग्निशमन सेवा में सेवायोजित व्यक्ति प्रायः अपने काम पर लगातार तैनात रहते हैं और उनका अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय कार्य है। सचिवालय में तैनात व्यक्तियों के कर्तव्य सचिवालय परिसर तक सीमित हैं और इस प्रकार वे रिजर्व ड्यूटी पर रहते हैं। तथापि हमारी यह सिफारिश है कि फायरमैन को वही वेतनमान दिया जाय जिसकी विधान भवन रक्षक के लिए सिफारिश की गई है अर्थात रु0 325—495।

अन्य पद

27.28 लेखन-सामग्री प्रभारी का एक पद रु0 350—700 के वेतनमान में है। यही वेतनमान प्रवर वर्ग सहायक का भी अनुमन्य है। हम महसूस करते हैं कि सचिवालय में कर्मचारियों तथा कार्य में वृद्धि होने के साथ-साथ लेखन सामग्री प्रभारी का कार्य भी अधिक श्रमसाध्य और कठिन हो गया है। यद्यपि इस पद के वेतनमान को बढ़ाने का पर्याप्त औचित्य नहीं है तथापि इस पद के लिए रु0 40 प्रतिमास के विशेष वेतन की हम सिफारिश करते हैं। व्यवस्थापक (प्रकीर्ण) का भी एक पद रु0 250—425 के वेतनमान में है। यह सचिवालय में चपरासियों, जमादारों इत्यादि को वर्दी और साइकिलों की सम्पूर्ति तथा गिलास, मिट्टी के घड़े, तौलिया और साबुन इत्यादि जैसी विविध वस्तुओं की सम्पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। इस संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि इस पद को अधीक्षक (भण्डार) के पद के समकक्ष कर दिया जाय। हमने स्थिति का परीक्षण किया। धन के रूप में परिवर्तित मूल्य की दृष्टि से दो पदों की तुलना करना

कठिन है। तथापि हम इस बात से सहमत हैं कि इस पद के लिए निर्दिष्ट कार्य के प्रसंग में इसका वेतनमान कम है। अतएव हम इस पद के लिए रु0 515—840 के वेतनमान की सिफारिश करते हैं।

भाषा विभाग

27.29 इस विभाग में अनुवादक और पुनरीक्षक के 38 पद रु0 350—700 के वेतनमान में हैं और रु0 400—750 के सेलेक्शन ग्रेड में तीन पद हैं। पुनरीक्षकों को रु0 20 प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जाता है। अनुवादकों और पुनरीक्षकों के ऊपर रु0 500—1000 के वेतनमान में भाषा अधिकारी के तीन पद हैं और एक पद रु0 800—1100 के वेतनमान में हैं। भाषा अधिकारी के पद (साधारण वेतनमान) भाषा विभाग के अनुभाग अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, जो कि रु0 500—1000 के वेतनमान में ही हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग ने हमको यह सूचित किया है कि भाषा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के पद समान प्रास्थिति (स्टेटस) के हैं। हमें अनुभाग अधिकारी और भाषा अधिकारी के, जो समान प्रास्थिति के हैं और एक ही प्रकार का कार्य करते हैं और पुनरीक्षकों का पर्यवेक्षण करते हैं, पदों के दो प्रवर्ग का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। हमें भाषा अनुभाग में अनुभाग अधिकारियों की व्यवस्था रखने का कोई लाभ नहीं दिखाई देता है अतः हम निम्नलिखित सिफारिशें करते हैं—

(1) अनुभाग अधिकारी के पद का पदनाम भाषा अधिकारी कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अधिकारी अपेक्षाकृत कम संख्या में अनुवादकों और पुनरीक्षकों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण कर सकेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विभाग में पर्यवेक्षण सम्बन्धी कुल पदों में कमी कर दी जाय।

(2) इस समय भाषा अधिकारी का एक उच्चतर पद रु0 800—1100 के वेतनमान में है। इस पद का पदनाम ज्येष्ठ भाषा अधिकारी रु0 1420—1900 के वेतनमान में रख दिया जाय, जो अनुसचिव को अनुमन्य है।

(3) भाषा अधिकारी के दो पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें।

(4) पुनरीक्षकों को रु0 625—1170 के वेतनमान में रखा जाय किन्तु इन पदों के लिए कोई विशेष वेतन अनुमन्य नहीं होगा।

(5) अनुवादकों के 10 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड में रखे जायें।

27.30 भाषा विभाग में प्रकाशन अधिकारी का एक पद रु0 500 1000 के वेतनमान में है। विभाग ने यह सुझाव दिया था कि हाल के वर्षों में इस पद के कार्य और उत्तरदायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हुई है अतः इसका वेतनमान पुनरीक्षित करके रु0 1000—1350 कर दिया जाय। हमने इस स्थिति का परीक्षण किया। पिछले वेतन आयोग (1971-1973) ने इस पद के लिए रु0 500—750 के वेतनमान की सिफारिश की थी। यह मामला असंगति समिति के सामने भी लाया गया था और उसने भी इस वेतनमान को पर्याप्त माना था। तत्पश्चात शासन ने इस पद का वेतनमान पुनरीक्षित करके रु0 500—1000 कर दिया। अब भाषा अधिकारी और प्रकाशन अधिकारी दोनों ही समान वेतनमान में हैं। प्रकाशन अधिकारी को अपेक्षाकृत उच्च वेतनमान देने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार इस पद के लिए हमने पुनरीक्षित वेतनमान दिया है।

टेलीप्रिंटर/टेलीफोन आपरेटर

27.31 टेलीप्रिंटर आपरेटर के 54 पद रु0 200—320 के वेतनमान में हैं। टेलेक्स आपरेटर के पांच पद भी रु0 200—320 के वेतनमान में हैं। टेलीफोन आपरेटर के 20 पद भी इसी वेतनमान में हैं और टेलीफोन मोनीटर के दो पद रु0 230—385 के वेतनमान में हैं। टेलीफोन आपरेटर/मानीटर के पदों के अतिरिक्त अन्य पद अभी हाल में सृजित किये गये हैं। इन पदों के संबंध में हम अलग से कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन पदों के पदधारी अवर वर्ग सहायकों के आरक्षित पदों के लिए होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

27.32 सचिवालय के मोटर ड्राइवरों को राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कार्यरत मोटर ड्राइवरों को अनुमन्य विशेष वेतन स्वीकृत करने से संबंधित सुझाव के संबंध में हमारी यह सिफारिश है कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग से संबद्ध मोटर ड्राइवरों को रु0 30 प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जाय।

27.33 सचिवालय में पेंटर के तीन पद रु0 170—225 के वेतनमान में हैं। प्रशासकीय विभाग ने इस पद के लिए रु0 200—320 के वेतनमान की सिफारिश इस आधार पर की है कि इस पद का कार्य प्राविधिक प्रकार का है और उनके लिए प्रोन्नति का कोई उच्च पद नहीं है। हमारी यह सिफारिश है कि पेंटर के तीन पदों में से एक को, जो सचिवालय के मुख्य भवन में है, रु0 325—495 का एक उच्च वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाय।

27.34 हमने प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे पदों के संबंध में, जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है, दिये गये सुझावों पर विचार किया है। हमको किसी अन्य पद के संबंध में कोई अन्य असंगति नहीं मिलती है। हमने इस खण्ड के भाग दो में पुनरीक्षित वेतनमान के साथ-साथ सेलेक्शन ग्रेड भी जहां आवश्यक है, सिफारिश की है।

27.35 हालांकि यह स्पष्ट रूप से हमारे विचार क्षेत्र में नहीं है कि दक्षता में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करें, फिर भी हमारा विचार है कि इस समय सचिवालय में अनुसचिवों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है।

उनसे आशा की जाती है कि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में वे आधारभूत टिप्पणी प्रस्तुत करें और यह महसूस किया गया है कि समस्त अनुसचिवों को आधा इकाई के रूप में वैयक्तिक सहायक आवंटित करने की वर्तमान पद्धति दक्षता अथवा अपेक्षाकृत अधिक कार्य सम्पादन के लिए सहायक नहीं हो सकती है। अतः हमारी यह सिफारिश है कि संबंधित शाखा के सचिव की सिफारिश पर अनुसचिवों को पूरी इकाई के रूप में वैयक्तिक सहायक दिये जायं।

27.36 हमने अन्यत्र यह सिफारिश की है कि सचिवालय में अर्दलियों और चपरासियों की संख्या पर्याप्त रूप से घटा दी जाय। हम यह जानते हैं कि यह तभी संभव है जबकि बैठने की व्यवस्था इस प्रकार युक्तिसंगत कर दी जाय जिससे कि किसी विशेष विभाग के कार्यालय अधिकारी संहत खण्ड में रहें। विभिन्न अधिकारियों और अनुभागों को भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाय और अनुभागों में आधुनिक पद्धतियों/संयंत्रों, जैसे कि पाकेट कैलक,लेटर, फाइलिंग कैबिनेट, अन्तः संचार (इन्टरकाम), पर्याप्त फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाय।

27.37 हमारा यह भी दृढ़ मत है कि सचिवालय जलपान गृह को सुदृढ़ बनाया जाय जिससे टेलीफोन पर सूचना मिलने पर उनके लिए कार्यालय कक्षों में जलपान पहुंचाना संभव हो सके। हमारा यह भी सुझाव है कि सरकार सचिवालय की सम्पूर्ण कार्य पद्धति का परीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना चाहेंगी कि सचिवालय पर ऐसे कार्य का भार न पड़े जो सामान्यतया विभागाध्यक्षों अथवा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किया जाना चाहिए।

27.38 अन्त में हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि सचिवालय को जो कि समस्त सरकारी कार्यकलापों का स्नायु-केन्द्र (Nerve Centre) है, अधिक से अधिक दक्ष स्थिति में बनाये रखना आवश्यक है। हमको यह बताया गया है कि यद्यपि सचिवालय के विभिन्न पदों पर भर्ती/चयन, लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने की अपेक्षा की जाती है, जिससे सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित हो सके, फिर भी बड़ी संख्या में अवर वर्ग सहायकों, प्रवर वर्ग सहायकों अनुभाग अधिकारियों और अनुसचिवों के पदों को तदर्थ व्यवस्था करके भरा जाता है जो कई वर्षों तक चलते रहते हैं क्योंकि भर्ती/चयन नियमित आधार पर प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है। इससे दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम दृढ़ता से यह सिफारिश करते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सचिवालय में विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती/चयन वर्षानुवर्ष के आधार पर किया जाय।

राज्यपाल का सचिवालय

27.39 राज्यपाल का सचिवालय सुपरटाइम स्केल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के प्रभार के अधीन है। इस अधिष्ठान में दो ए0 डी0 सी0, एक विधि परामर्शदाता, एक उप सचिव, एक अनुसचिव तथा अन्य सहायक कर्मचारी हैं। हमने राज्यपाल के सचिव के साथ विभिन्न पदों के कार्यों की प्रकृति के संबंध में चर्चा की थी। राज्यपाल के सचिवालय के वेतनमान सिविल सचिवालय के वेतनमानों के अनुसार हैं और सचिवालय के तदनुसार पदों के लिए की गई हमारी सिफारिशें राज्यपाल के सचिवालय में भी लागू होंगी. राज्यपाल के सचिवालय में समूह "घ" के कर्मचारियों की कुल संख्या 77 है जिनमें से 57 कर्मचारी घरेलू कार्यों के लिए हैं। राज्यपाल के सचिव को यह विचार था कि घरेलू कार्यों के कुछ पदों का कार्य श्रमसाध्य प्रकार का है, यहां तक कि इन पदों के पदधारियों को काफी अधिक लम्बे समय तक कार्य करना पड़ता है और अवकाश के दिनों में भी कार्य करना पड़ता है। उन्होंने इन पदों के लिए विशेष वेतन देने का सुझाव दिया। एक अनुवर्ती टिप्पणी में राज्यपाल के सचिव ने निम्नलिखित पदों के लिए विशेष वेतन का सुझाव दिया है—

(1) कार्यालय से संबद्ध 6 जमादार और 4 चपरासी।

(2) दो ज्येष्ठ रसोइये, दो रसोइये, चार अनुचर (बियरर) और दो मेट, जो घरेलू अधिष्ठान से संबद्ध हैं।

27.40 हमने राज्यपाल के सचिवालय संबंधी विषयों पर सावधानी से विचार किया है। ड्राइवरों को रु0 50 प्रतिमास का विशेष वेतन अनुमन्य है। कार्य की प्रकृति और लम्बे समय तक कार्य को देखते हुए हमने राज्यपाल के सचिव की सिफारिश के अनुसार ज्येष्ठ रसोइया के दो पदों के लिए 15 रु0 प्रतिमास और रसोइये के दो पदों तथा अनुचर (बियरर) के चार पदों के लिए रु0 10 प्रतिमास के विशेष वेतन की सिफारिश की है। हम राज्यपाल के सचिव के विवेक पर कार्यालय से संबद्ध जमादार के दो पदों और चपरासी के दो पदों के लिए भी रु0 10 प्रतिमास के विशेष वेतन की सिफारिश करते हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

27.41 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1937 में स्थापित हुआ था और अब संविधान के अनुच्छेद 315—323 के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा है। आयोग के कृत्य संविधान के अनुच्छेद 320 में निर्धारित हैं। राज्य की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षायें संचालित करने के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग से ऐसे सरकारी कर्मचारियों की जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं, भर्ती की रीति और अनुशासनिक मामलों से संबंधित समस्त विषयों में परामर्श किया जाता है। लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है जिसमें आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सम्मिलित हैं। लोक सेवा आयोग का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का ज्येष्ठ वेतनमान का अधिकारी है। आयोग के कार्यालय का कार्यकारी प्रधान होने के नाते उसकी सहायता के लिए चार संयुक्त सचिव, एक उप-सचिव, चार अनुसचिव तथा

अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं। आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रतिरूप पर संगठित हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय में उनके सदृश कार्य करने वाले कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान के अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक, निजी सचिव कार्य करते हैं।

27.42 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इम्प्लाइज एशोशियेसन ने आयोग को दिये गये अपने ज्ञापन में निम्नलिखित सुझाव दिया है—

(1) आयोग के सचिव स्तर तक के अधिकारियों के समस्त पद लिपिक वर्ग के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायं,

(2) अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक और अनुभाग अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं और इसीलिए अनुभाग अधिकारी के पदों की संख्या में वृद्धि की जाय और प्रवर वर्ग सहायक के 80 प्रतिशत पद अवर वर्ग सहायकों के लिए आरक्षित किये जायं।

27.43 पंच आपरेटरों/वेरीफायरों ने पृथक रूप से एक ज्ञापन देकर रु0 250—425 के अपने वर्तमान वेतनमान के स्थान पर रु0 280—460 के वेतनमान का सुझाव दिया है। उनका कथन है कि पंच आपरेटर/वेरीफायर का कार्य अवर वर्ग सहायक के कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें कम से कम अवर वर्ग सहायक के समकक्ष रखा जाय।

27.44 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने भी परिचर, जमादार के लिए उच्चतर वेतनमान का सुझाव देते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

27.45 हमने सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से विस्तार में चर्चा की। हमने लोक सेवा आयोग से संबंधित विभिन्न मामलों का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया है। सचिव, लोक सेवा आयोग ने यह तर्क दिया कि अनुसचिवों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए उप सचिव का एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाय। उन्होंने पुस्तकाध्यक्ष तथा प्रबन्धक के लिए उच्चतर वेतनमान देने पर भी बल दिया। अन्य मामलों के संबंध में सचिव, लोक सेवा आयोग ने यह सिफारिश की है कि उनका परीक्षण ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए जिन्हें आयोग प्रस्तुत करे।

27.46 सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पद है और हमारे विचार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी हमारा विचार है कि विभागीय पदोन्नति द्वारा आयोग के सभी उच्च पदों का भरा जाना प्रतिकूल फलदायक होगा। जहां तक उप सचिव के एक अतिरिक्त पद के सृजन का प्रश्न है यह ऐसा विषय है जिसके संबंध में सरकार को निर्णय लेना है क्योंकि नये पदों का सृजन हमारी अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं है। लोक सेवा आयोग में, प्रवर वर्ग सहायक के 80 पदों के विरुद्ध अनुभाग अधिकारी के 23 पद हैं। इस प्रकार लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रतिरूप पर छोटे-छोटे अनुभाग हैं। हमारे विचार से अनुभाग अधिकारी के अतिरिक्त पदों का कोई मामला नहीं बनता है। तथापि इस मामले पर राज्य सरकार विचार कर सकती है और कोई निर्णय ले सकती है। चूंकि लोक सेवा आयोग के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का वेतनमान उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रतिरूप पर है, अतः सचिवालय के वेतनमानों के सम्बन्ध में की गयी हमारी सिफारिश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मामले में भी लागू होगी।

27.47 प्रबन्धक का पद अभी हाल में सृजित किया गया है और हम इसके सृजन के तुरन्त पश्चात इस पद के वेतनमान को उच्चीकृत करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। पुस्तकाध्यक्ष का पद सामान्य कोटि का पद है। परिचर (अटेण्डेन्ट) जमादार के पद के लिए अर्हता कक्षा 5 स्तर की है। वह रु0 170—225 के वेतनमान में है। यद्यपि हम पद के वेतनमान को उच्चीकृत करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं फिर भी हम रु0 170—225 के वेतनमान के सभी पदों के लिए कुछ उच्चतर वेतनमान की सिफारिश कर रहे हैं।

27.48 लोक सेवा आयोग कार्यालय में पंच आपरेटर/वेरीफायर रु0 250—425 के वेतनमान में है। मुख्य विभाग जो पंच आपरेटरों/वेरीफायरों की सेवाओं का उपयोग करता है, नियोजन संस्थान का अर्थ एवं सांख्यकीय प्रभाग है। अर्थ एवं संख्या विभाग में पांच आपरेटरों/वेरीफायर के रूप में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान रु0 200—320 है। अतएव लोक सेवा आयोग में इन पदों का वेतनमान पहले से ही उच्चतर है। सामान्यतः हमने आयोग के इन पदों के वेतनमान को कम करने की सिफारिश की होती किन्तु लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जहां परिशुद्धता एवं गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, इनके कार्य की प्रकृति को देखते हुए हम इन पदों के वेतनमान को कम नहीं कर रहे हैं।

27.49 इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि लोक सेवा आयोग के कार्यालय में लिपिक वर्ग सम्बर्ग के पदों की संख्या में विगत पांच वर्षों में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या 49 से बढ़कर 80, वैयक्तिक सहायकों की 4 से 13, प्राधिधिक सहायकों की 2 से 5, अवर वर्ग सहायकों की 49 से 81 और पंच आपरेटर्स/वेरीफायर्स की 3 से 11 हो गई है। सरकार इस बात का परीक्षण करना चाहे कि लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक तो नहीं है।

27.50 हमने पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग दो में दिये हैं।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय

27.51 कुछ समय पूर्व तक प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन एक छोटा सा आर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड्स डिवीजन

था जो सचिवालय तथा लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय इत्यादि के समान अन्य मुख्य कार्यालयों के कार्य का अध्ययन किया करता था और अतिरिक्त कार्यालय कर्मचारिवर्ग की आवश्यकता के सम्बन्ध में सिफारिश करता था। लगभग सभी विभागों में समस्त स्तर पर कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुभव किया गया कि केन्द्र तथा राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग स्थापित किया जाये और उसे सुदृढ़ बनाया जाय जिससे कि विभागाध्यक्षों के कार्यालयों, सम्भागीय और क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन प्रयोजनात्मक ढंग से कराया जा सके। यह आशा की गई थी कि यह सुदृढ़ संगठन अनुसंधान कार्य करेगा और कार्य प्रणाली तथा प्रक्रिया के सरलीकरण तथा अभिनवीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देगा जिससे कि कार्यालयों की कार्य पद्धति और अभिलेखों के प्रबन्ध में सुधार हो सके। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये उत्तर प्रदेश में निदेशक एवं सचिव, प्रशासनिक सुधार के नियंत्रण के अधीन सुधार निदेशालय का संगठन किया गया था। उक्त निदेशालय के लिये निदेशक के अतिरिक्त निम्नलिखित पद स्वीकृत किये गये हैं :—

(एक) संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव (रु0 1400-1800)	1
(दो) शोध अधिकारी—(रु0 550-1200)	6
(तीन) आशुलिपिक (रु0 300-500)	3
(चार) टंकक (रु0 200-320)	2
(पांच) ड्राइवर (रु0 175-250)	1
(छः) चपरासी (रु0 165-215)	4

27.52 निदेशक एवं सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग हमारे समक्ष उपस्थित हुए और यह सूचित किया कि निदेशालय केवल उन्हीं मामलों को अध्ययन के लिये अपने हाथ में लेता है जिनमें अधिक गहन अध्ययन किया जाना अपेक्षित होता है और छोटे कार्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग से सम्बन्धित नैत्यिक मामलों पर सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण में विचार किया जाता है। शोध अधिकारी के पद के लिये विहित अर्हता स्नातक की उपाधि और उत्तर दायित्व पूर्ण पर्यवेक्षणीय स्थिति में काम करने का तीन वर्ष का अनुभव, एम0 बी0 ए0/डी0 पी0 ए0 की उपाधि और संगठन और कार्य पद्धति (आर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड्स) और कार्य अध्ययन (वर्क स्टडी) में प्रशिक्षण है। यह पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में है किन्तु अभी तक इनकी कोई नियमावली नहीं बनी है और इस समय पद सचिवालय के ज्येष्ठ अनुभाग अधिकारियों में से चयन द्वारा तदर्थ आधार पर भरे गये हैं। इस पद पर अनुमन्य वेतनमान सामान्य प्रकार का है।

27.53 आशुलिपिक, टंकण, ड्राइवर और चपरासी के अन्य पद सामान्य कोटि के पद हैं जिनके सम्बन्ध में सिफारिश 'सामान्य कोटि के पद' अध्याय में की गई है।

सरकारी कार्यालयों का निरीक्षणालय

27.54 सरकारी कार्यालयों के निरीक्षणालयों की स्थापना वर्ष 1923 में विभिन्न कार्यालयों के सर्वाधिक निरीक्षण के लिए की गई थी। 1955 में इसे अधीनस्थ कार्यालयों में संगठन तथा कार्य पद्धति (आर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड्स) के सिद्धान्तों को लागू करने का कार्य भी सौंपा गया। निरीक्षणालय मुख्य कार्यालय निरीक्षक (रु0 650-1300) के प्रभारी के अधीन है, जिसकी सहायता के लिये 21 निरीक्षक (रु0 500-750) और अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

27.55 निदेशक एवं सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय हमारे सामने उपस्थित हुए। निरीक्षणालय का कार्य इस प्रकृति का है कि यह अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिये और बहुत बड़ी संख्या में लिपिकीय तथा समूह "घ" के पदों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि निरीक्षण कार्य के लिये प्रत्येक इकाई में केवल एक निरीक्षक तथा एक आशुलिपिक होना चाहिये। मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय तथा निदेशक एवं सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग दोनों इस विचार से सामान्य रूप से सहमत थे कि स्टाफ में गुणात्मक सुधार होना चाहिये और लिपिकीय तथा समूह "घ" के पदों की में कमी होनी चाहिये। हमारा दृढ़ मत है कि इस संगठन की संरचना इसी आधार पर होनी चाहिये और लिपिकीय तथा समूह "घ" के पदों में भारी कटौती होनी चाहिये। यदि कार्य के लिये अनिवार्य हो तो निरीक्षकों के संवर्ग में और पद बढ़ाये जांय और निरीक्षण आख्याओं के पुनरीक्षण का कार्य अधिकारी स्तर पर किया जाय न कि लिपिकीय कर्मचारियों द्वारा। यह देखा गया कि इस संगठन में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये जो वर्तमान पद्धति है वह संतोषजनक नहीं है। इस समय निरीक्षक के पद उन लिपिकीय कर्मचारियों में से भरे जाते हैं जिन्हें लिपिकीय कार्य का 15 वर्ष का अनुभव हो! मुख्य कार्यालय निरीक्षक इसी पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निदेशक एवं सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह विचार व्यक्त किया कि निरीक्षक के पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना उचित होगा जिनकी कुछ विशेष अर्हताएं हों, उदाहरणार्थ, डी0 पी0 ए0 इत्यादि। हम इस विचार से पूर्णतया सहमत हैं और यह संस्तुति करते हैं कि सरकार इस पद के लिए उचित अर्हताएं निर्धारित करे ताकि अर्ह व्यक्ति, जो कार्यालयों की कार्य-प्रणाली में और लोक प्रशासन में मूलतः प्रशिक्षित हों वे ही इस संगठन में आयें। यह महसूस किया जाता है कि नैत्यक लिपिकीय पद पर एक लम्बी अवधि तक कार्य करने के बाद कोई व्यक्ति उसी व्यवस्था का अंग बन जाता है और सामान्यतया नई बातें

लाने, लागू करने तथा अन्य आवश्यक परिवर्तन के पक्ष में नहीं रहता ।

27.56 जहां तक वेतनमानों का सम्बन्ध है मुख्य कार्यालय निरीक्षक ने मुख्य कार्यालय निरीक्षक के पद के लिए रु0 1400-1800 के वेतनमान के साथ विशेष वेतन की संस्तुति की तथा यह सुझाव भी दिया कि उसे विभागाध्यक्ष घोषित किया जाय । परन्तु प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस पद के साथ रु0 1150-17000 के वेतनमान का प्रस्ताव किया है । यद्यपि हम यह अनुभव करते हैं कि विगत वर्षों में लिपिकीय पदों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप मुख्य कार्यालय निरीक्षक का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है, तथापि हम इस सुझाव से सहमत नहीं हैं कि इस पद को संयुक्त विभागाध्यक्ष के स्तर पर लाया जाय । फिर भी हम इस पद के लिये रु0 1250-2050 के वेतनमान की संस्तुति कर रहे हैं । हम विशेष वेतन का कोई औचित्य नहीं पाते हैं ।

27.57 अधीक्षक निरीक्षक का पद रु0 500-750 के वेतनमान में है और 75 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाता है । निरीक्षक के अन्य 20 पद भी उसी वेतनमान में हैं और उन पर 50 रु0 प्रतिमास विशेष वेतन दिया जाता है । किसी सेवा या सम्वर्ग के सभी पदों पर विशेष वेतन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । हमारा यह भी विचार है कि अधीक्षक निरीक्षक का पद निरीक्षक के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में होना चाहिये क्योंकि उसे उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना होता है । मुख्य कार्यालय निरीक्षक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने सुझाव दिया है कि इस अधिकारी का पद नाम उप मुख्य कार्यालय निरीक्षक किया जाना चाहिए । हम पद नाम के परिवर्तन के बारे में दिये गये सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं किन्तु अधीक्षक निरीक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से हम सिफारिश करते हैं कि उसे रु0 770-1600 का वेतनमान दिया जाय किन्तु उस पद पर कोई विशेष वेतन न दिया जाय । इसी प्रकार हम सिफारिश करते हैं कि सरकारी कार्यालयों के निरीक्षक के पद के वेतनमान को पुनरीक्षित करके रु0 690-1420 कर दिया जाय किन्तु इस पद पर अनुमन्य विशेष वेतन समाप्त कर दिया जाय ।

27.58 अन्य पद सामान्य कोटि के पद हैं जो सामान्य कोटि के पद के बारे में की गई हमारी सिफारिशों के अंतर्गत आ जायेंगे ।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो

27.59 सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो, वर्ष 1974 में, मुख्यतः निम्नलिखित कृत्यों के निर्वहन के निमित्त स्थापित किया गया था :—

(एक) सार्वजनिक उद्योगों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करना और उनके कार्य सम्पादन में सुधार के लिये उनकी सहायता करना ;

(दो) विभिन्न सार्वजनिक उद्योगों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की सूची रखना ;

(तीन) सामान्य हित के महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जिसके अन्तर्गत मूल्य ढांचा बनाना भी है, आधार सामग्री बैंक (डाटा बैंक) के रूप में कार्य करना ;

(चार) भिन्न-भिन्न संगठनों के विभिन्न प्रवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करना और इस मामले में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये उन्हें परामर्श देना ;

(पांच) कार्य-अध्ययन और अग्रिम सूचना प्रणाली के संचालन के लिये प्रशासनिक सुधार विभाग से संपर्क बनाये रखना ;

(छः) आवासिक तथा प्रशासनिक भवनों तथा कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में व्यय नियन्त्रित करने में शासन के सम्बन्धित विभागों को सहायता देना ।

27.60 सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो महानिदेशक के अधीन कार्य कर रहा जो प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव भी हैं । उनकी सहायता के लिये रु0 1600-2000 के वेतनमान में तीन निदेशक, रु0 1400-1800 के वेतनमान में एक संयुक्त निदेशक, रु0 800-1450 के वेतनमान में तीन उप निदेशक, रु0 550-1200 के वेतनमान में सात शोध अधिकारी, रु0 350-700 के वेतनमान में पांच शोध सहायक, रु0 350-700 के वेतनमान में एक पुस्तकालयाध्यक्ष-कम-प्रलेखीकरण सहायक, रु0 280-460 के वेतनमान में एक प्रलेखीकरण सहायक तथा अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग हैं ।

27.61 विभाग ने ब्यूरो के पदों के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण पत्र भेजे थे, परन्तु उनके वेतनमान, भत्ते आदि पुनरीक्षित करने के लिए कोई संस्तुति संभवतः इसलिये नहीं की थी क्योंकि यह एक नया संगठन है और इसके पद अन्य संगठनों/विभागों के समान पदों के पैटर्न पर ही सृजित किये गये हैं । हम भी महसूस करते हैं कि चूंकि यह संगठन अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और यहां जो वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं वे सामान्य रूप से वही हैं जो अन्य संगठनों में समान पदों पर अनुमन्य हैं, ब्यूरो के पदों के वर्तमान वेतनमानों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि हम विभिन्न पदों के लिये पुनरीक्षित वेतनमानों की संस्तुति इस खण्ड के भाग-2 में कर रहे हैं ।

27.62 ब्यूरो विभिन्न सार्वजनिक उद्योगों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, उनकी परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है, उन्हें परामर्श देता है और राज्य सरकार को प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम/निगम के सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्य-

वाही के लिये सुझाव देता है ताकि उनके उपक्रमों में जो सरकार की भारी पूंजी लगी हुई है उस पर और अधिक लाभ मिल सके। यह आशा की जाती है कि ब्यूरो धीरे-धीरे विभिन्न राजकीय उपक्रमों के प्रबन्धों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो, हानि में कमी हो और उनकी क्षमता का उचित उपयोग हो।

प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान

27.63 अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (जिसका नाम अब प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान हो गया है) वर्ष 1971 में नैनीताल में स्थापित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव ब्रांच) तथा सम्बद्ध सेवाओं और उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (जुडीशियल ब्रान्च) की सीधी भर्ती द्वारा आये हुये अधिकारियों एवं इस राज्य को आवंटित आई० ए० एस० के सदस्यों को प्रशिक्षण देता है। यह राज्य के विभिन्न सिविल सेवा के अधिकारियों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। लखनऊ स्थित प्रशिक्षण कोष्ठक को जो लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को अल्प अवधि का प्रशिक्षण देता था, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान का एक अंग बना दिया गया है। प्रधानाचार्य जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाइम वेतनमान का अधिकारी है, की सहायता के लिये पांच संयुक्त निदेशक, तीन उप निदेशक, पांच सहायक निदेशक तथा अन्य सहायक कर्मचारी हैं। ये अधिकारी विभिन्न सेवाओं से लिये जाते हैं।

27.64 निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान ने पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक तथा प्रवर वर्ग सहायकों के पदों के वेतनमान को बढ़ाने का सुझाव दिया। आयोग के साथ अपने विचार विमर्श के दौरान निदेशक ने इस तथ्य पर बल दिया कि संस्थान का कार्य नैत्यिक प्रकार का नहीं है और सामान्यतः अधिकारीगण यहां तैनात किया जाना पसन्द नहीं करते। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्येष्ठ पदों पर भर्ती बाहर से की जानी चाहिये। उनका यह भी सुझाव था कि संस्थान के कर्मचारियों को निःशुल्क आवास की सुविधा के बदले मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिये, यदि निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध न हो। उन्होंने संस्थान में तैनात शोध अधिकारी के लिये विशेष वेतन दिये जाने का भी सुझाव दिया। आयोग को प्रस्तुत एक टिप्पणी में यह कहा गया था कि लखनऊ स्थित संयुक्त निदेशक को विशेष वेतन दिये जाने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जाय।

27.65 हमने निदेशक द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का परीक्षण किया। संस्थान के पुस्तकाध्यक्ष का वर्तमान वेतन रु० 300-550 है। यह सामान्य कोटि का पद है और इस पर चर्चा उस अध्याय में की गई है। कार्यालय अधीक्षक रु० 400-550 के वेतनमान में है। यह भी सामान्य कोटि का पद है और इस पर चर्चा उस अध्याय में की गई है। जहां तक लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का सम्बन्ध है वे भी सामान्य कोटि के पद हैं और उन पर चर्चा उस अध्याय में की गई है। नैनीताल में तैनात संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों और सहायक निदेशकों को विशेष वेतन दिया जाता है। परन्तु शोध अधिकारियों को जो उसी वेतनमान में है जो सहायक निदेशक को अनुमन्य है, कोई विशेष वेतन नहीं मिलता है। हमारा विचार है कि शोध अधिकारियों को 100 रु० प्रतिमास की दर से विशेष वेतन दिया जाना चाहिये। लखनऊ स्थित संस्थान का संयुक्त निदेशक सचिवालय सेवा से लिया जाता है। इस समय उसे कोई विशेष वेतन अनुमन्य नहीं है और सम्भवतः इसका कारण यह है कि उसके मुख्यालय में परिवर्तन नहीं हुआ है किन्तु प्रशिक्षण कार्य एक श्रमसाध्य कार्य है और वहां तैनात व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति न्याय करने के लिये अधिक परिश्रम करना पड़ता है किन्तु लखनऊ में प्रशिक्षण अपेक्षाकृत निम्न सम्वर्ग तक ही सीमित है और इसलिये हम केवल इसी पद पर 150 रु० प्रतिमास का विशेष वेतन दिये जाने की सिफारिश करते हैं।

27.66 पुनरीक्षित वेतनमान इस खण्ड के भाग दो में दिये गये हैं।

लोक सेवा अधिकरण

27.67 लोक सेवा अधिकरणों की स्थापना लोक सेवकों के सेवा सम्बन्धी विवादों का निपटारा करने के लिये वर्ष 1975 में की गई थी। इस समय राज्यों में पांच लोक सेवा अधिकरण हैं। प्रत्येक अधिकरण में एक अध्यक्ष और एक सदस्य होता है। दैनिक कार्य में अधिकरण की सहायता के लिये रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और अन्य श्रेणी के कर्मचारी हैं।

27.68 लोक सेवा अधिकरण-3 के अध्यक्ष ने बताया कि लोक सेवा अधिकरणों के कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों के स्तर की तुलना माननीय उच्च न्यायालय से की जा सकती है किन्तु अधिकरणों के अधीनस्थ कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमान माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान की अपेक्षा कम है। उन्होंने विभिन्न पदों के लिये निम्नलिखित वेतनमान का सुझाव दिया :—

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
	(रु०)	(रु०)
1 रजिस्ट्रार	500—1000 +100 रु० (विशेष वेतन)	800—1350 +100 रु० (विशेष वेतन)
2 सहायक रजिस्ट्रार	350—700 +100 रु० (विशेष वेतन)	500—1000 +100 रु० (विशेष वेतन)
3 मुन्सरिम	400—550	500—1000
4 पेशकार	250—425	400—750
5 अहलमद	230—385	350—700

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
	(रु0)	(रु0)
6 ज्येष्ठ लिपिक	230—385	350—700
7 रिकर्ड कीपर	230—385	350—700
8 ज्येष्ठ उपलेखक-प्रालेखक	280—460	350—700
9 लेखाकार	250—425	350—700
10 खजांची	230—385	350—700
11 सहायक खजांची	230—385	280—460
12 अध्यक्ष का आशुलिपिक	350—700	500—1000
13 न्यायिक सदस्य का आशुलिपिक	300—500	350—700
14 अन्य अधिकारियों के आशुलिपिक	300—500	350—700
15 पुस्तकालय लिपिक	200—320	350—700

27.69 राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत उपयुर्क्त प्रस्तावों का समर्थन किया है। कार्मिक विभाग के एक पृथक पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक अधिकरण में सरकार की ओर से मामलों में तर्क प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व एक प्रस्तोता अधिकारी और एक सहायक प्रस्तोता अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रस्तोता अधिकारी का पद वकीलों द्वारा भरा जाता है जिन्हें प्रतिधारण (रिटेनर) शुल्क के रुप में 1000 प्रतिमास दिया जाता है किन्तु सहायक प्रस्तोता अधिकारी का पद र0 500—750 के वेतनमान के हैं और सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायकों में से भरा जाता है। पहले सहायक प्रस्तोता अधिकारी प्रस्तोता अधिकारी की सहायता करता था किन्तु अब उसके कर्तव्य का विस्तार कर दिया गया है और वह भी सरकार की ओर से स्वतंत्र रुप से अधिकरणों के समक्ष मामलों में तर्क प्रस्तुत करता है। इस पद के उत्तरदायित्व को देखते हुए विभाग ने यह सुझाव दिया है कि इस पद को रु0 450—850 के वेतनमान में उच्चीकृत कर दिया जाय।

27.70 हम ने लोक सेवा अधिकरणों से सम्बन्धित विभिन विषयों के बारे में सचिव, कार्मिक विभाग, के विचारों को भी सुना है। विभिन्न प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) हमने न्यायिक संगठन के अध्याय में सदस्यों के पुनरीक्षित वेतनमानों से सम्बन्धित विषय पर पहले ही चर्चा की है। इस समय अध्यक्ष के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्त हैं, अतः इस पर किसी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) प्रस्तोता अधिकारी के पदों पर वकीलों की नियुक्ति की जाती है जिन्हें सरकारी सेवक नहीं समझा जाता है। अतः हमने निश्चित प्रतिधारण शुल्क (रिटेनर फीस) के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

(3) हम सहायक प्रस्तोता अधिकारी के वेतनमान को बढ़ाकर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के सुझाव से सहामत हैं, और इन पदों के लिए रु0 690—1420 के वेतनमान की सिफारिश कर रहे हैं; किन्तु इन पदों पर नियुक्तियां, सचिवालय के ऐसे प्रवर वर्ग सहायकों में से विधि-स्नातक हों और जो इस कार्य का पर्याप्त अनुभव/अभिरुचि रखते हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।

27.71 हमको सूचित किया गया कि अब तक कोई सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है और अधिकतर कर्मचारी या तो सचिवालय से या दीवानी न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति पर हैं। हमने इस खण्ड के भाग-2 में विभिन्न पदों के पुनरीक्षित वेतनमान का सुझाव देते समय उपयुर्क्त बातों को ध्यान में रखा है।

पी0 एस0 यू0 पी0—15 सा0 (वित्त)—20-2-1981--3500 (लाइनो)